लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FD 325
Block 'G'
Acc. No. 9-76
Dated 15 June 2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 37, पंद्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)]

अंक 9, बुधवार, 25 फरवरी, 2009/6 फाल्गुन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 123 से 125	1–44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 126 से 140	44–99
अतारांकित प्रश्न संख्या 620 से 804	100–
सभा पटल पर रखे गए पत्र	384–413
राज्य सभा से संदेश	413
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	413–414
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
36वां और 37वां प्रतिवेदन	414
याचिका समिति	
48वां से 50वां प्रतिवेदन	414–415
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
47वां प्रतिवेदन	415
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
40वां प्रतिवेदन	415
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	416
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	416–418
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
(1) 45वां और 46वां प्रतिवेदन	418
(2) विवरण	418–420

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य.	420–431
(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें और 68वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रणब मुखर्जी	420–421
(दो) (क) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 127वें और 135वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति.....	421
(ख) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 128वें और 134वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री टी.आर. बालू	422
(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	422–425
(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	425–426
(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. एम.एस. गिल	426
(छह) (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 27वें और 29वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	427
(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	427
(सात) (क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2004-05, 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, 14वें, 19वें और 25वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	428–429

विषय	कॉलम
(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	429–430
(आठ) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के. वेंकटपति	430
(नौ) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. नारायणसामी	430–431
(दस) डाक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें और 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	431
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आईडीबीआई प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके और उनका निलंबन और स्थानांतरण कर उनके विरुद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	432–446
श्री बसुदेव आचार्य	432
श्री पवन कुमार बंसल	433–446
नियम 377 के अधीन मामले	459–466
(एक) गुजरात के अमरेली में एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. ठुम्मर	460
(दो) निजी क्षेत्र की कंपनियों को आंध्र प्रदेश में किसानों से कपास खरीदने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	460–461
(तीन) राजस्थान के विकास के लिए राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने और कर से छूट देने की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	461
(चार) उड़ीसा के क्योंझर जिले में सिलसुआं एयरपोर्ट और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोन्टो एयरपोर्ट का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत नायक	461–462

विषय	कॉलम
(पांच) उज्जैन को अमृतसर, अजमेर, बड़ौदा और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के साथ जोड़ने वाली नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	462
(छह) राजस्थान के उदयपुर में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महावीर भगोरा	463
(सात) त्रिपुरा में लूमडिंग से अगरतला तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	463
(आठ) बिहार की 'कानू' जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	463–464
(नौ) कायमकुलम पावर स्टेशन का दर्जा बदलने का निर्णय वापस लिए जाने और इसका केरल को समर्पित पावर स्टेशन के रूप में पूर्व दर्जा बनाए रखे जाने की आवश्यकता	
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	464
(दस) असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा व्यापक अपरदन रोके जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	465
(ग्यारह) डीडीए और दिल्ली में विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित आवास इकाइयों के लिए ड्रा निकाले जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
डा. सिबैस्टियन पाल	465–466
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009.	467–471
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	467–470
विचार करने के लिए प्रस्ताव	470
खण्ड 2 से 5 और 1	470
पारित करने के लिए प्रस्ताव	471
राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक, 2007.	471–480
श्री टी.आर. बालू	471–474
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	474–475
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	475–476
विचार करने के लिए प्रस्ताव	478
खण्ड 2, 3 और 1	479
पारित करने के लिए प्रस्ताव	480

विषय	कॉलम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009.	480–496
श्री पी. चिदम्बरम	480–482
प्रो. रासा सिंह रावत	482–486
श्री बाजू बन रियान	486–488
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	488–490
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	490–493
विचार करने के लिए प्रस्ताव	495
खण्ड 2 से 9 और 1	496
पारित करने के लिए प्रस्ताव	496
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008.	497–506
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	506
विचार करने के लिए प्रस्ताव	497–499
श्री संतोष गंगवार	499–500
श्री सुधांशु सील	500–502
श्री जयराम रमेश	502–505
संशोधनों पर सहमति हुई	506
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पद और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक के बारे में.	506–510
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	507
श्री वायालार रवि	507
व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2007.	510–532
विचार करने के लिए प्रस्ताव	510–511
श्री अश्विनी कुमार	510–512, 525–528
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	513–514
श्री एस.के. खारवेनथन	514–517
श्री आलोक कुमार मेहता	517–519
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	519–521
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	521–524
श्री लक्ष्मण सिंह	524–525

विषय	कॉलम
खण्ड 2 से 10 और 1	528–532
पारित करने के लिए प्रस्ताव	–532
नियम 193 के अधीन चर्चा	
सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के मामलों के कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति	532–607
श्री रूपचंद पाल	533–543
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	543–546
श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली	546–557
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	558–565
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	565–568
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	568–570
श्री किन्जरपु येरननायडु	570–573
श्री बी. विनोद कुमार	574–575
श्री के.एस. राव	575–579
श्री रामदास आठवले	580–583
प्रो. एम. रामदास	583–585
श्री एम.पी वीरेन्द्र कुमार	585–586
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	586–589
श्री प्रेमचंद गुप्ता	589–601, 606
पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 और भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007	
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	607–
प्रस्ताव किया गया	607–
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ	608
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	607–612, 620–625
श्री वरकला राधाकृष्णन	612–613
श्री हन्नान मोल्लाह	613–615
श्री संदीप दीक्षित	615
श्री तरित बरण तोपदार	615–619
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	619–620

विषय	कॉलम
(1) **पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007**	625–643
विचार करने के लिए प्रस्ताव	625
खण्ड 2 से 60 और 1	626–642
पारित करने के लिए प्रस्ताव	643
(2) **भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007**	644–664
विचार करने के लिए प्रस्ताव	644
खण्ड 2 से 23 और 1	644–662
पारित करने के लिए प्रस्ताव	664
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	665
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	666–670
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	670–671
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	670–674

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 25 फरवरी, 2009/6 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इतना जोर से बोलने से डर लगता है।

[अनुवाद]

ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद। कल अंतिम दिन है।

[हिन्दी]

क्या आप सब लोग चुनाव के लिये तैयार हैं?

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 121, श्री एम. राजा मोहन रेड्डी।

[अनुवाद]

डाक्टरों की गांवों में अनिवार्य तैनाती

***121.+श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक्टरों द्वारा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् गांवों में उनकी अनिवार्य तैनाती करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है जैसा कि 31 जनवरी, 2009 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए एमबीबीएस स्नातकों की पात्रता हेतु राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला मुख्यालयों में एक वर्षीय संयुक्त ग्रामीण तैनाती को एक अनिवार्य शर्त बनाने का निर्णय लिया है, जैसी कि डा. सम्बासिवा राव समिति द्वारा सिफारिश की गई है। इसे अगले शैक्षणिक सत्र से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 30 जनवरी, 2009 को हुई बैठक में राज्यों द्वारा भी इस निर्णय का समर्थन किया गया।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने अपेक्षित परिणाम दिए हैं। क्या योग्य चिकित्सकों तथा अर्द्ध चिकित्सीय कर्मियों की कोई कमी है? यह इसलिए क्योंकि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि वे उन एमबीबीएस डाक्टरों के लिए जो स्नातकोत्तर शिक्षा में जाना चाहते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को आवश्यक बनाने जा रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एमबीबीएस अपने आप में उनके लिए पर्याप्त है। अतएव, आप डाक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों में जाना किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? मैं माननीय मंत्री से उत्तर जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप किस प्रकार इसे सुनिश्चित करेंगे। यह काफी अच्छा प्रश्न है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, बार-बार मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता के बारे में बताता रहा हूं। भारत के लोग तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से विश्व भर के श्री जेफ्री सच्स जैसे लोग, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के गरीबी उन्मूलन के राजदूत हैं, कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन समूचे विश्व में सबसे बड़ा तथा तीव्रतम गति से फैलता लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह हमारी सरकार द्वारा किया गया है जो स्वास्थ्य पर इतना अधिक बल देती है। वास्तव में, मेरे मंत्रालय का इस वर्ष के लिए कुल बजट लगभग 16,500 करोड़ रुपये है, जिसमें

से लगभग 12,000 करोड़ रुपये केवल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में निवेश किया गया है।

बिहार जैसे राज्य में इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पूर्व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मासिक औसत मरीज उपस्थिति लगभग 40 मरीज थी। तीन वर्षों में यह 40 से बढ़कर 4000 मरीज हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के चलते संस्थागत डिलीवरी सात गुणा बढ़ गई है जो विश्व के किसी भी देश में इतने कम समय में नहीं हुआ है। यह सब अवसंरचना के चलते हुआ है। गत तीन वर्षों में लगभग 80000 स्वास्थ्य कार्मिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्स, अर्द्ध चिकित्सक कार्मिक, तथा नए संवर्ग में, ए.एन.एम. तथा ए.एस.एच.ए. हैं। लगभग 6,40,000 ए.एस.एच.ए.एन. को काम पर लगाया गया है। अतएव, ये सभी स्वास्थ्य कार्मिक हैं।

लेकिन मैं चिकित्सकों की उपलब्धता के मुख्य बिंदु पर आता हूं, वे हैं या नहीं, देश में समग्र रूप से हमारे पास चिकित्सकों की अभी भी कमी है। लगभग 7,00,000 आधुनिक दवाओं के, एमबीबीएस नहीं हैं। लेकिन वे हमारी आवश्यकता और 8,00,000 डाक्टरों की है। देश में लगभग दस लाख नर्स हैं। हमारी आवश्यकता और 15 लाख की है। अत:, हम अवसंरचना निर्माण में निवेश कर रहे हैं।

हम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता दे रहे हैं। ग्यारहवीं योजना में लगभग 1,350 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है जहां सभी सरकारी चिकित्सीय महाविद्यालयों को कम से कम लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक से अधिक विशेषज्ञ बनाने के लिए दे रहे हैं। साथ ही हम वास्तव में, एमसीआई नियमों की शर्तों में कुछ छूट दे रहे हैं ताकि पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तर के राज्य जैसे कठिन क्षेत्र और ज्यादा चिकित्सीय महाविद्यालय खोल सकें तथा और डाक्टर बना सकें। इसलिए, अब हमने निर्णय लिया है कि हमें कुछ ग्रामीण तैनाती आवश्यक करनी होगी। एक वर्ष पूर्व जब हमने यह प्रस्ताव लाना चाहा कि एमबीबीएस पंजीकरण प्रमाण पत्र के पूर्व छात्र ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक वर्ष के लिए आवश्यक रूप से जाए, तो कुछ राज्य सरकारों ने काफी विरोध किया।

वास्तव में, कुछ संसद सदस्यों ने भी विरोध प्रकट किया था। तब छात्र हड़ताल पर चले गए। तब हमने डा. साम्बासिवा राव समिति का गठन किया, जो पूरे देश में गए, छात्रों, प्राध्यापकों, चिकित्सकों, कुलपतियों, जनसाधारण तथा सभी से विचार-विमर्श किया तथा हमें सिफारिश की कि हम ऐसी योजना बना सकते हैं कि यदि कोई एमबीबीएस पूरा करने के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र तथा जिला मुख्यालय अस्पताल में एक वर्ष के लिए आवश्यक ग्रामीण तैनाती में रहना होगा। इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आगामी शैक्षिक सत्र से सभी छात्र जो स्नातकोत्तर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ग्रामीण तैनाती स्वीकार करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय: उन चिकित्सों के बारे में क्या जो .....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए तथा उत्तर पहले से तैयार होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि प्रश्न भी स्पष्ट होंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें इस तरह उत्तर नहीं देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं स्पष्टीकरण देने के सामान्य अधिकार का प्रयोग कर रहा था। आपने अध्यक्ष को भी बोलने की अनुमति नहीं दी। यह आपकी सजगता, अतिरिक्त सजगता को बताता है। मैं केवल जानना चाहता था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं करना चाहता है, तो क्या यह अनिवार्य शर्त है कि वह तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जब तक कि वह ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष नहीं बिताए?

डा. अंबुमणि रामदास: नहीं महोदय, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कितने डाक्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए जाते हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, आज भारत में लगभग 289 चिकित्सीय महाविद्यालय हैं, जिनमें से 141 सरकारी क्षेत्र में हैं तथा 148 निजी क्षेत्र में। अतएव, लगभग 33,000 ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अतएव, 95 प्रतिशत छूट जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार देश में सभी बीपीएल तथा मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने हेतु कोई स्वास्थ्य योजना की परिकल्पना कर रही है जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है, जहां 85 से 90 प्रतिशत जनता राजीव आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत 942 विभिन्न बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह थोड़ा अलग प्रश्न है। प्रश्न अनिवार्य ग्रामीण तैनाती के बारे में है। कृपया अपने प्रश्न को उस तक ही सीमित रखें।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: इस पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये का खर्च आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हमें सूचना प्राप्त कर प्रसन्नता हुई।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन की प्रतिक्रिया से सावधान रहें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमने राज्यों को छूट दी है कि वे अपने राज्य की जरूरतों के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा योजना बनाएं और हम उन राज्यों की योजनाओं के एक हिस्से को सहायता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की हैं।

इसके बावजूद, श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 33,000 रुपये बीपीएल मरीजों के लिए संकल्पित है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें क्रेडिट कार्ड या कैश कार्ड जारी किये गये हैं तथा वे किसी भी प्रत्यायित संस्थान के पास जा सकते हैं तथा अपनी जांच करा सकते हैं। यह इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष व्यय है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, इस देश के नागरिकों को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व है। सांबाशिवा राव समिति ने यह सिफारिश की है और मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूं, किन्तु यह बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार डिग्री प्रदान करने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की शर्त लगाने जा रही है। हम धन उपलब्ध करा रहे हैं, भवन बना रहे हैं, अवसंरचना और सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपने स्नातकोत्तर के लिए एक शर्त रखी है। स्नातक करने के पश्चात् यदि वे विदेश चले जाते हैं तो उन पर यह शर्त लागू नहीं है। केवल पांच प्रतिशत डाक्टरों पर यह शर्त लागू होगी और शेष 95 प्रतिशत पर नहीं। इसीलिए हमें यह शर्त लगानी होगी। हम इसका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप संकल्प प्रस्तुत कीजिए और हम सब सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: 15वीं लोक सभा के लिए प्रतीक्षा कीजिए। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा....

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ा कष्ट झेल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। ...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भी हजारों लोग मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं है। श्री राधाकृष्णन आपत्ति करेंगे। अतएव इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना उन्हें डिग्री प्रदान करने से पहले अनिवार्य बनाने की शर्त रखेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं यथासंभव अधिकाधिक लोगों को मौका देना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कृपया अभी मत बोलिए। मुझे खेद है। कुछ भी और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह भाषण नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक मैं माननीय सदस्य के अनुरोध से सहमत हो सकता हूं, उसके बारे में मैंने पहले ही प्रथम अनुपूरक के उत्तर में कहा है कि गत वर्ष हम यह प्रस्ताव लाए थे कि एम.बी.बी.एस. डिग्री के पूरा होने या उन्हें स्थायी पंजीकरण देने से पहले उन्हें एक वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य बना दिया जाए। इस बात पर संसद के भीतर और बाहर अनेक आपत्तियां उठाई गई थीं। विद्यार्थियों ने भी इसका विरोध किया था तथा अनेक बार काले झंडे भी दिखाकर विरोध किया गया था। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अफसोस है, इसका उत्तर नहीं दीजिए क्योंकि अभी उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इसका अर्थ है कि वे कोई उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगला अनुपूरक प्रश्न श्री महावीर भगोरा पूछेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है- 'एक वर्षीय संयुक्त ग्रामीण तैनाती।' मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा, संक्षिप्त एवं विशिष्ट प्रश्न है। कृपया इसका अत्यंत संक्षिप्त एवं विशिष्ट उत्तर दीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, क्या आप उनसे प्रश्न दोहराने के लिए कह सकते हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पूछा है कि आपने जो एक साल की बात लिखी है, इसके क्या मायने हैं?

...(व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा: क्या अर्थ है इसका?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, आपने भी केवल हिन्दी में अनुवाद किया है, यही समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मेरी वजह से समस्या पैदा हुई है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जहां देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री इसमें होते हैं। हाल ही में, हमने केन्द्रीय परिषद की एक बैठक बुलाई थी जिसमें प्रोस्ट ग्रेजुएट (पी.जी.) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले एकवर्षीय ग्रामीण नियुक्ति को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

एक वर्ष की ग्रामीण तैनाती करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तथा राज्य सरकार उन्हें चार माह के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में; चार माह के लिए किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में, और शेष चार माह के लिए किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) में तैनात कर सकती है। ये नये डाक्टर जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे और जिला चिकित्सा अधिकारी इन डाक्टरों की तैनाती करेंगे। हम उन्हें कम से कम 10,000 रुपये वृत्तिका देंगे तथा राज्य सरकार इससे ज्यादा भी दे सकती है। उनके कार्य करने के अन्य तौर-तरीके कि वे किस तरह कार्य करेंगे, इस समय तैयार किए जा रहे हैं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या यह केवल इन्टर्नशिप होगी या *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपको इसका उत्तर नहीं देना है।

...(व्यवधान)

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, केरल सरकार ने डिग्री पूरी करने के बाद सभी डाक्टरों की ग्रामीण तैनाती संबंधी कार्यक्रम पहले ही क्रियान्वित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप हम 700 और इससे ज्यादा एम.बी.बी.एस. स्नातकों की तैनाती कर सके हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं। क्या मंत्रालय इसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अनिवार्य बनाने हेतु कोई कदम उठाएगा? क्या इसे पी.जी. पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते समय लागू करने हेतु कोई कदम उठाए जाएंगे कि विवरणिका में ही इसका अनिवार्य उपबंध किया जाएगा कि ग्रामीण सेवा आवश्यक है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने वाले इन डाक्टरों को आवास सुविधा देने हेतु कोई विशेष प्रावधान किए जाएंगे या इस पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

डा. अंबुमणि रामदास: कुछ राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य अनेक राज्यों ने भी इसे अनिवार्य बना दिया है कि सेवारत अभ्यार्थी या डाक्टर को ग्रामीण तैनाती दी जाए। कुछ राज्यों में यह एक वर्षीय कठिन ग्रामीण तैनाती तीन-वर्षीय ग्रामीण तैनाती; सुविधाजनक ग्रामीण तैनाती आदि के रूप में होती है। यदि वे पी.जी. के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें श्रेणी निर्धारित हैं। वस्तुत:, हिमाचल प्रदेश में लगभग 75 प्रतिशत पी.जी. की सीटें केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं और इसी तरह कुछ अन्य परिलब्धियां। कुछ अन्य राज्यों में यह 50 प्रतिशत है। इस तरह ये सारी चीजें हैं।

ग्रामीण तैनाती के इस मानदण्ड का आवेदन पत्र में सम्मिलित किया जाना दोनों निजी तथा सरकारी कालेजों में राज्यों एवं अखिल भारतीय कोटा के लिए है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अगले शैक्षणिक सत्र से पूरे देश में पीजी के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे एक वर्ष की ग्रामीण तैनाती पर अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा।

जहां तक आवास के मुद्दे का सवाल है, यह एक अच्छा प्रश्न है। वास्तव में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी हम इन सुविधाओं का उन्नयन कर रहे हैं। हम डाक्टरों एवं नर्सों आदि के लिए क्वार्टर बना रहे हैं, और यह राज्यों की मांग के अनुसार है। हमने इसे राज्यों के विवेक एवं सुविधा पर छोड़ दिया है, और यदि राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत इसकी मांग करते हैं—जिसे वे प्रतिवर्ष प्रस्तुत करते हैं—तो वे इस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं और इन अवसंरचनाओं आदि का सृजन कर सकते हैं। फिर भी हम चार माह की पी.एच.सी. में तैनाती, चार माह की सीएचसी में तैनाती, और चार माह की जिला मुख्यालय अस्पतालों में तैनाती करने की बात कह रहे हैं। इसलिए वे वहां जाएंगे तथा वहां की स्थिति देखेंगे। वे वहां जाकर देखेंगे कि गांव के लोगों की सामाजिक समस्याओं एवं स्वास्थ्य समस्याओं की वास्तविकता क्या है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बिहार का विशेष उल्लेख किया है कि वहां की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के प्रयास किए हैं। यह बात सही है कि आपने प्रयास किए हैं और बहुत अच्छी-खासी राशि गांव की स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित की है। लेकिन आपको जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, वह पता नहीं किस स्तर से प्राप्त हुआ है, लेकिन आज भी बिहार के कई ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां डाक्टर और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम डाक्टरों की पोस्टिंग गांव में करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि गांव के स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की बहाली क्यों नहीं की जा रही है? आज भी गांवों के 90 प्रतिशत अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। उनकी वहां पोस्टिंग ही नहीं की जाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पोस्टिंग होती है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है।

श्री राम कृपाल यादव: डाक्टर नहीं जाते हैं, लेकिन हम उनको कम्पैल भी तो नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह काम राज्य सरकार करेगी, यहां से कैसे हो सकता है?

श्री राम कृपाल यादव: मंत्री जी को इसके लिए नियम और कानून बनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप गांवों के लिए इतनी राशि आवंटित कर रहे हैं तो आपको इस बात को श्योर करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक अनुभवी सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। आप विशेषज्ञ हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य ने चिकित्सकों की ग्रामीण सेवा हेतु तैनाती के बारे में पूछा है जो कि एक अच्छा प्रश्न है। कुछ राज्य ऐसा करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी राज्य इसे अपनाएं। प्रारंभ में जब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) शुरू किया गया था तब संवर्ग स्तर पर भर्ती

में विसंगतियां थीं। हमारे पास राज्य संवर्ग था। हमने कुछ राज्यों को इसे जिला संवर्ग के रूप में करने को कहा ताकि उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही उनके अपने स्थानों के निकट किया जा सके। यदि कुछ राज्य ऐसा चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम एनआरएचएम के अंतर्गत उनकी सहायता करेंगे। हमारे विशेषज्ञों ने कई जगहों का दौरा किया है, काफी कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं। वस्तुतः, हाल ही में हमने 13 राज्यों का साझा समीक्षा मिशन पूरा किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये विशेषज्ञ कई जगहों पर स्वयं गए; उन्होंने कई जगहों पर इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सीएचसी का दौरा किया तथा यह कहते हुए एक बहुत सकारात्मक विवरण और आंकड़ा दिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों सहित लगभग सभी उत्तरी राज्यों में, जो इस संदर्भ में पिछड़े हुए हैं, पुनरुत्थानशील क्रियाकलाप देखने को मिला है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, हम डाक्टरों की रूरल एरियाज में कम्पलसरी पोस्टिंग को वर्ष 2010 से लागू करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की पोस्टिंग तो बहुत से राज्य पहले से ही कर रहे हैं। उनकी वहां पोस्टिंग करने के लिए उन्हें सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, तभी वे वहां जाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह प्रश्न चिकित्सकों की ग्रामीण तैनाती से संबंधित है। शहरी तैनाती से कुछ नहीं हो रहा है और बाकी सब कुछ अब ग्रामीण तैनाती के अंतर्गत आ रहा है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, सामान्यत: डाक्टरों और मरीजों का अनुपात 1:1722 है। इसी प्रकार से ग्रामीण भारत में इसका अनुपात कितना है, क्योंकि इसे ध्यान में रखकर ही हम ग्रामीण स्वास्थ्य की योजना को लागू कर सकेंगे।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यद्यपि कि आज, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, भारत में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 1:1720 है अधिकांश चिकित्सक शहरी क्षेत्रों, नगरों व कस्बों में हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। यही वजह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वहां जाएं हम कुछ नियम/विनियम लाने पर मजबूर हैं। माननीय सदस्य के प्रश्न पर आते हुए कि क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिला मुख्यालय अस्पताल में चार महीने की सेवा देनी है। किसी भी जिला मुख्यालय के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चार महीने की सेवा की व्यवस्था है। यह अधिकांशत: तालुका मुख्यालय होता है जहां सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और तत्पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चार महीने सेवा देने की व्यवस्था है। वे वहां आ जा सकते हैं और वहां पहले से ही चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्यशील बना रहे हैं। आज की तिथि तक एनआरएचएम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित करीब 12,000 सुविधा केन्द्रों को 24 घंटे कार्यशील बनाया गया है। हम उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये की वृत्तिका दे रहे हैं। राज्य सरकारें उनके ठहरने, आवास और भोजन व्यवस्था के मामले में अपना अंशदान दे सकती हैं। यह वेतन नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए एक वर्ष की वृत्तिका है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुधाकर रेड्डी, कृपया आप अपनी बात चिकित्सकों की ग्रामीण तैनाती तक ही सीमित रखें। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, देश में और अधिक विशेषज्ञ होने की माननीय मंत्री का प्रस्ताव आवश्यक है तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु ग्रामीण पदस्थापना आवश्यक अर्हताओं में से एक है।

यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे स्नातकोत्तर में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें क्योंकि प्रत्येक संकाय में प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में मात्र एक या दो सीट ही हैं। हमें लाखों की संख्या में विशेषज्ञों की जरूरत है और हमें लाखों की संख्या में ऐसे चिकित्सकों की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवा दें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री रेड्डी। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: सम्पर्क सुविधा बहुत अच्छी है। यदि हम डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समस्या यह है कि अंतत: मुझे निर्णय लेना होगा। आपका प्रमाणपत्र काम नहीं करेगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: हां, महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इन दृष्टिकोणों से सोचें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई निर्णय लिया गया है जिससे और अधिक संख्या में चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

डा. अंबुमणि रामदास: यह अच्छा प्रश्न है ....

अध्यक्ष महोदय: समस्या यह है कि आप इतना अधिक जानते हैं कि आप समझते हैं कि प्रत्येक प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: विशेषज्ञों के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में सभी प्रकार के विशेषज्ञों की भारी कमी है। जहां तक एमबीबीएस का प्रश्न है, 289 महाविद्यालयों में से करीब 33,000 चिकित्सक निकलते हैं अथवा इन संस्थाओं से निकलेंगे। परन्तु एमबीबीएस की तुलना में करीब 11005 स्नातकोत्तर प्रत्येक वर्ष इन संस्थाओं से निकलते हैं। इस संतुलन को बराबर करने के लिए पहले उपाय के रूप में हमने अब स्नातकोत्तर के संबंध में चिकित्सा परिषद के विनियमों को बदल दिया है। पहले पीजी (स्नातकोत्तर) चिकित्सक के नामांकन हेतु एक छात्र एक प्रोफेसर का मानदंड अपनाया जाता था; आज हमने इसे एक प्रोफेसर दो विद्यार्थी कर दिया है। यहां तक कि तीन छात्र भी लिए जा सकते हैं। उनके पास पूरी क्षमता है। इस पहल से एक बार में 11,005 छात्र के बजाय 22,000 छात्र नामांकन करा पाएंगे।

दूसरा, जहां तक विदेशों में कार्यरत भारतीय चिकित्सकों का प्रश्न है, हमने विदेशी चिकित्सा डिग्री को मान्यता दी है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। हम इस प्रश्न पर पहले ही 21 मिनट चर्चा कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: हमने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भी इस दिशा में प्रयास करता रहा है। हम देश में और अधिक विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तो हम दर्पण में स्वयं को देख कर जान सकते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल डिग्री मिलने से पहले एक साल तक उसकी तैनाती ग्रामीण क्षेत्र में करने के बारे में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में डिग्री मिलने के बाद कुछ डाक्टर्स ऐसे हैं, जिनकी तैनाती में एक साल में भी उनका नम्बर नहीं आया, इसलिए वे डाक्टर्स अभी भी 12-12 साल से टेम्परारी हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल रूरल पोस्टिंग के बारे में है, एकदम डिफरेंट सवाल है।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: मेरा कहना है कि अगर आप उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए अनिवार्य करते हैं तो जो डाक्टर्स 12 साल से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या उनके बारे में मंत्री जी कुछ करने वाले हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं उनका प्रश्न पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं?

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 10-12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: मेरे अनुसार कोई डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी आधार पर कार्य नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: जो भी हो, वे वहां कार्य नहीं करते हैं। उन्हें वहां तैनात कर दिया जाता है और वे कार्य नहीं करते।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: राज्य सरकार की कुछ नीतियां हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी अन्य पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रश्न पर 25 मिनट पहले ही चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनेक प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को पोस्ट-ग्रैजुएशन के लिए अर्ह बनाया जाता है तथा मौद्रिक लाभ के रूप में प्रोत्साहन एवं अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन भी इन सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। कुछ राज्यों का यह नीतिगत निर्णय होता है कि वे अस्थायी सुविधाएं ले अथवा स्थायी सुविधाएं। हम राज्य की नीतियों के बारे में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: हमारा रिकार्ड काफी खराब है। यह पिछले सप्ताह के प्रश्नकाल में कहा गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक प्रश्न में आठ माननीय सदस्यों को भाग लेने की अनुमति दी है। कृपया घड़ी देख लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: हम भी खड़े थे आपकी राहों में सर। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां मिलेगा, उसके बाद तो प्रश्न-काल के बाद नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

प्रश्न संख्या 122–डा. चिन्ता मोहन–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 123–श्री चन्द्रभूषण सिंह।

...(व्यवधान)

कोयले की कमी

*123. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप विद्युत संयंत्रों की मांग सहित घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों को की गई कोयले की आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का वर्तमान भंडार कितना है;

(घ) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। कोयले की अत्यधिक कमी नहीं है। तथापि, वार्षिक योजना 2008-09 के अनुसार योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 550 मिलियन टन (506 मि. टन नान कोकिंग कोयला तथा 44 मि. टन कोकिंग कोयला) की कच्चे कोयले की अनुमानित मांग की तुलना में स्वदेशी कोयले की उपलब्धता 497.29 मि. टन होगी जिसमें 52.71 मि. टन (25.05 मि. टन कोकिंग कोयला तथा 27.66 मि. टन नान कोकिंग कोयला) का अंतर रह जाएगा। इस अंतर को विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा आयातों के माध्यम से पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा तापीय विद्युत संयंत्रों (विद्युत उपयोगिताओं) को पिछले तीन वर्षों तथा अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2008 तक के दौरान कोयले की आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं-

वर्ष	सीआईएल द्वारा विद्युत उपयोगिताओं को की गई कोयले की आपूर्ति (मि. टन)	एससीसीएल द्वारा विद्युत उपयोगिताओं को की गई कोयले की आपूर्ति (मि. टन)	की गई कुल कोयला आपूर्तियां (मी. टन)
2005-06	256.40	25.53	281.93
2006-07	261.80	26.88	288.68
2007-08	280.00	29.85	309.85
2008-09 (अप्रैल 08 से जनवरी 09 तक) (अनंतिम)	242.80	24.62	267.42

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर विद्युत उपयोगिताओं के कोयले की मांग सहित देश में कोयले की मांग स्वदेशी स्रोतों से पूरी की

जाती थी। तथापि, विद्युत क्षेत्र सहित कुछ उपभोक्ता कोकिंग कोयला तथा निम्न राख वाले नान कोकिंग कोयले की सीमित स्वदेशी उपलब्धता, पर्यावरणीय कारणों, स्थान विशेष अवतरित लागत, संयंत्र लोड कारक में वृद्धि, विद्युत उपयोगिताओं द्वारा भंडार तैयार करने आदि की वजह से कोयले का आयात कर रहे हैं।

वर्ष	कुल आयात कोयला (मि.ट. में)
2005-06	38.57
2006-07	45.00
2007-08	49.79
2008-09 (अप्रैल 08 से जनवरी 09 तक) (अनंतिम)	24.93

(च) कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) की शर्तों के अनुसार कोयले की आपूर्ति सहित वितरण को सुचारू बनाने के लिए एक व्यापक नई कोयला वितरण नीति लागू की गई है।

(2) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोयला ब्लाकों का बड़ी संख्या में आबंटन किया गया है।

(3) सचिव (समन्वय), मंत्रिमण्डल सचिवालय की अध्यक्षता में, अवसंरचना नियंत्रण समीक्षा समिति द्वारा विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति की कड़ी निगरानी की जाती है।

(4) इस समय अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह उन विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं में कोयला भण्डार की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता है जिनमें 7 दिन से कम कोयला भंडार है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त एवं संयंत्र विशिष्ट उपाय करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्तियां कायम रहे।

(5) उच्च क्षमता के शावेलों तथा डम्परों, भूमिगत कोयला खानों के यंत्रीकरण को लागू करके और नई कोयला परियोजनाओं को शुरू करके कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. कोयले के उत्पादन में वृद्धि कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने जवाब में कहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर भट्टाचार्य ने नई दिल्ली में हुई कोल-समिट में कहा था कि वर्ष 2016-2017, यानी वर्ष 2017 तक आते-आते, अपने देश की कोयले की जरूरत 2 बिलियन टन्स हो जाएगी। इस समय देश में कोयले का जो ग्रोथ रेट है, वह 6-7 परसेंट है और 2 बिलियन टन्स के लिए यह आवश्यक है कि ग्रोथ रेट 16-17 परसेंट तक हो, तब देश की कोयले की डिमांड को मीट-आउट किया जा सकता है। एक बार कोल के प्रोडक्शन का टारगेट 34.25 मिलियन टन दिया गया, लेकिन पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी कोयले के प्रोडक्शन में 9 परसेंट से ज्यादा एचीव नहीं हो पाया। इसलिए मैं, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश की कोयले की बढ़ती हुई डिमांड को कैसे मीट-आउट करेंगे और इसके लिए सरकार का क्या-क्या व्यवस्थाएं करने का इरादा है?

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा तो माननीय सदस्य कोयले के आयात के बारे में वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकेंगे, और इससे इन्हें मोटे तौर पर पता चल सकेगा कि उत्पादन तथा मांग की क्या स्थिति है।

पिछले वर्ष कुल 45 मिलियन टन कोयले का वास्तविक आयात हुआ, जिसमें से 25 मिलियन टन कोकिंग कोल था जो कि हमारे यहां उपलब्ध नहीं है। इसकी कमी है। शेष 20-22 मिलियन टन है; 10-12 मिलियन टन पत्तन क्षेत्र की यूनिटों के लिए था जो कि स्वयं आयात करते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है और उनके उपकरण आयातित कोयले के लिए उपयुक्त हैं। अत:, वास्तव में लगभग 10 मिलियन टन कोयले की कुल कमी है जिसका आधिकारिक रूप से आयात किया गया है। 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार हमारे पास 45 मिलियन टन का स्टाक था, जो कि अब घटकर 37.2 मिलियन टन हो गया है। अत:, इसकी कमी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन होता यह है कि कभी-कभी अंतर हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि काफी कमी है। लेकिन कानून एवं व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याओं, रैक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण कुछ अंतर हो जाता है। लेकिन मेरा दावा है कि देश में ऐसा एक भी विद्युत संयंत्र नहीं है जो इस वर्ष कोयले की कमी के कारण बंद रहा हो। सभी कोयला संयंत्रों में निरंतर उत्पादन जारी रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, थर्मल पॉवर प्लांट्स के लिए आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि कोयले की कमी की वजह से या खराब कोयला आने की वजह से थर्मल पॉवर प्लांट्स का जो जनरेशन होना चाहिए, वह पूरा नहीं हो पाया। मंत्री जी ने अपनी बात कही कि वे सात दिन के कोयले का स्टॉक थर्मल पॉवर प्लांट्स में रखते हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आए दिन ऐसी सूचनाएं अमूमन हाउस की निगाह में भी जाती हैं और सारे लोग जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन पूछिए।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि थर्मल प्लांट्स को सही कोयला सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कोई और दिशा-निर्देश देना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। थैंक यू।

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया: जब कोयले की गुणवत्ता का प्रश्न आता है तब हम कोल पिटहेड संयंत्रों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां कोयले की गुणवत्ता से संबंधित प्रश्न काफी कम हो जाता है। पर्यावरणीय नियमों के अनुसार जब इसे दूरस्थ स्थानों पर भी ले जाया जाता है, तब भी इसमें 42 प्रतिशत से अधिक राख नहीं होनी चाहिए। अत:, देश में जो भी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध है वह विभिन्न संयंत्रों में जा रहा है। उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है कि आप कोयले की कमी के बारे में जो भी सुन रहे हैं, वह विभिन्न संस्थापनाओं से संबंधित है। योजना आयोग द्वारा योजना सभी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई थी। पिछले वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि 2008-09 के दौरान 20 एम.टी. कोयले का आयात किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है? इनमें से विभिन्न संस्थापनाओं ने केवल 12 एम.टी. कोयले का आयात किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने थर्मल संयंत्रों में कमी के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, वे कमी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक संयंत्र में 21 दिन के उत्पादन 21 दिन की स्टाक आवश्यकता तथा पिटहेड में 15 दिनों एवं दूरस्थ स्थान पर 21 दिनों के लिए कोयला स्टाक रखने की आवश्यकता होती है। अगर वे योजना के अनुसार स्टाक नहीं रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि संकट की स्थिति है। वास्तव में, जैसा कि मैंने कहा संकट की स्थिति नहीं है। यह सभी बातें की जा रही हैं। अगर माननीय सदस्य मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें और अधिक ब्यौरे दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, देश के 77 थर्मल संयंत्रों के लिए जो कोयले की आपूर्ति है, उसमें काफी अनिश्चितता रही है। सरकार का कहना है कि कई विद्युत संयंत्रों के पास सात दिन का स्टाक होता है। 11वीं योजना में 731 मिलियन टन कोयले की मांग आंकी गई है और उत्पादन 680 मिलियन टन होने की सम्भावना है। क्या कोयले के मामले में जो वितरण एवं खनन प्रणाली है, उससे भी कोयले की कमी होती है? कोयले की कमी से ब्लैकमार्केटिंग होती है। इसकी निगरानी प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पावर सीमेंट के संबंध में कोयले की आपूर्ति के लिए निगरानी व्यवस्था में कोई बदलाव किया है? अगर हां, तो उससे स्थिति में क्या सुधार हुआ है?

अध्यक्ष महोदय: हां या ना बोल दीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सुधार तो हुआ ही है।

[अनुवाद]

मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखता हूं। वर्ष 2008-09 के दौरान कोल इंडिया की वार्षिक कार्य योजना कार्यक्रम का लक्ष्य 239 मिलियन टन था जबकि हमने इसकी तुलना में 242 मिलियन टन प्रेषित किया, इसका मतलब है कि इसमें 1.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। पिछले वर्ष के प्रेषण में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा पिछले पांच या दस वर्षों में कभी नहीं हुआ। सिंगरैनी कोल में भी 22.94 मिलियन टन से 24.62 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हुई है जो कि 111 प्रतिशत की वृद्धि है। इसका मतलब है कि 111 प्रतिशत आपूर्ति की गई है। जैसा कि मैंने कहा है, योजना अनुसार आपूर्ति की जा रही है पर उस अनुसार आयात नहीं किया जा रहा, और इसी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि भंडार स्तर को कायम नहीं रखा गया है। कंपनियों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है और परिणामत: वे भंडार रखना नहीं चाहतीं। वे नित कमाना नित खाना चाहती हैं। कोयला मूल समस्या नहीं है बल्कि देश भर में उनकी अपनी प्रणाली ही समस्या है। मैं किसी एक राज्य के संबंध में बात नहीं कर रहा।

[हिन्दी]

श्री हेमन्त खंडेलवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने रिप्लाई में माना है कि 52.71 मिलियन टन कोल की कमी पूरे देश में है। इस कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अंडरग्राउंड नई माइंस शुरू करने के कितने प्रोजैक्ट्स विचाराधीन हैं और ये प्रोजैक्ट्स कब तक शुरू हो जाएंगे, ताकि पावर प्लांट्स में कोल की कमी न रह पाये?

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, मैंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमें आयात करने की आवश्यकता क्यों है और ऐसा क्यों लगता है कि इसकी कमी है।

अध्यक्ष महोदय: वे नए सदस्य हैं। इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: वास्तव में ऐसी कोई कमी नहीं है। आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह एक विशेष कोकिंग कोल या नान-कोकिंग कोल ही है जिसकी उन्हें खासतौर पर आवश्यकता है। अत: वास्तव में ऐसी कोई कमी नहीं है। जो भी नयी योजनाएं आ रही हैं वह एक सतत प्रक्रिया के तहत हैं। मैं आपको वर्ष-वार ब्यौरा दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सभी जानते हैं। ये सभी काफी विद्वान सदस्य हैं। श्री सुनील खां आप संक्षिप्त प्रश्न पूछ सकते हैं अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुनील खां: जी हां महोदय। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कोयले की कमी को पूरा करने के लिए क्या वे अवैध खनन को रोकने के लिए तैयार हैं। वास्तव में खनन का कार्य स्थानीय सहकारी निकायों को दिया जाए जिससे की राजस्व में वृद्धि हो और अवैध खनन को रोका जा सके।

श्री संतोष बागड़ोदिया: हम किसी अवैध खनन की अनुमति नहीं दे रहे। जहां तक कोल इंडिया या कोयला मंत्रालय का सवाल है अवैध खनन एक स्थानीय समस्या है, राज्य सरकार की समस्या है और कानून और व्यवस्था की समस्या है। हमारे अपने अधिकारी इसे रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं परंतु इसे रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की है।

अध्यक्ष महोदय: आप सब को मेरी शुभकामनाएं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, कोयले की खपत को और कम किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: सिंपल हिंदी कहिए, खपत-खपत क्या बोलते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, किसी को तो हिन्दी बोलने दीजिए। रामदास जी तो अंग्रेजी बोलते हैं, हिन्दी बोलते ही नहीं हैं।

महोदय, कोयले की खपत को और कम किया जा सकता है, अगर हम कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन लॉस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस नहीं होती है और आईपीपीज में ज्यादा लॉस होता है। दुर्भाग्यवश शासन ने आईपीपीज पर ज्यादा ध्यान दिया है और सीपीपीज पर कम ध्यान दिया है। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वर्ष 2003 में पास हुआ था, उसमें सीपीपीज और आईपीपीज में समानता स्थापित की गयी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा है। सीपीपीज को जो महत्व देना चाहिए था, वह नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे कोयले की खपत कम हो और ट्रांसमिशन लॉस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, विद्युत उत्पादन में कम हो?

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अगर समस्त मांग के अनुसार हम देखें तो आज देश में सीपीपी की कुल मांग 3,500 मेगावाट से अधिक नहीं है। सीपीपी व्यवहार्य नहीं है। वे सभी छोटी इकाईयां हैं और सीपीपी आपके अपने उपभोग के लिए है। क्या आप किसी वस्तु का उत्पादन केवल अपने लिए कर सकते हैं और उसे किसी और को नहीं दे। क्या सभी उपभोक्ता केवल अपने लिए उत्पादन कर सकते हैं? अत: यह एक यथार्थ है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वैसी किसी हानि का सवाल ही नहीं है। यह एक अलग मुद्दा है इसलिए हम विकास और प्रसार कर रहे हैं और हमारी नीति भी यही कहती है कि हमारे पास पिट-हेड संयंत्र होने चाहिए। अगर हमारे पास सीपीपीज होंगे तो सभी संयंत्र देश के विभिन्न सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में होंगे। कोयले की कम मात्रा को हम सर्वत्र कैसे भेज सकते हैं? अत: यह बिल्कुल एक व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। वस्तुत: सीपीपीज को कम किया जाना चाहिए और हमारे पास और अधिक संख्या में अधिक व्यवहार्य आईपीपीज होने चाहिए क्योंकि इससे कम लागत आएगी और विद्युत की गुणवत्ता और अधिक अच्छी होगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 124–श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील–उपस्थित नहीं।

श्री अजय कुमार।

पुराने रोगों में वृद्धि

***124. [+]श्री एस. अजय कुमार:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में हृदय विकार, मधुमेह, गुर्दे का कार्य न करना और कैंसर आदि जैसे पुराने रोगों के मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम करने तथा विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को कम खर्च पर चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) कोरोनरी हृदय रोगों, मधुमेह, कैंसर जैसे विभिन्न राष्ट्रीय संचारी रोगों के बारे में उपलब्ध साहित्य के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में उनकी घटना दर में वृद्धि हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत में वर्ष 2000 में 32 मिलियन मधुमेह के रोगी थे और इनके वर्ष 2030 तक 80 मिलियन तक बढ़ जाने की संभावना है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए "गैर संचारी रोगों के भार का मूल्यांकन" के बारे में अध्ययन के अनुसार इस्केमिक हृदय रोग (आईएचडी) की संख्या वर्ष 1998 में 18.6 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004 में 22.37 मिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया था जबकि मौतों की संख्या 2.56 लाख से बढ़कर 5.54 लाख हो जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ए. इंद्रायण द्वारा तैयार किए गए "भारत में वाहिका रोगों और संबद्ध मृत्यु दर पूर्वानुमान" शीर्षक से राष्ट्रीय वृहद आर्थिक एवं स्वास्थ्य आयोग (एनसीएमएच) के पृष्ठभूमि संबंधी पेपर के अनुसार ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में कोरोनेरी हृदय रोगों के रोगियों की संख्या वर्ष 2000 में 16.57 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2015 में 31.04 मिलियन हो जाएगी।

गुर्दे संबंधी रोगों की समुदाय आधारित व्यापतता दर अथवा घटना दर के बारे में आंकड़े सीमित हैं। उपलब्ध अध्ययनों से इंगित होता है कि भारत में ऐसे वयस्क लोगों की संख्या लगभग 0.8 प्रतिशत है जिनके गुर्दे काफी समय से काम नहीं कर रहे हैं (सीआरएफ)। तथापि मधुमेह और उक्त रक्तचाप के रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण चिरकालिक गुर्दा रोग के बढ़ने की संभावना है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम से उपलब्ध आंकड़े भारत में कैंसर रोगियों की संख्या में अवश्य ही वृद्धि को इंगित करते हैं। देश में हर वर्ष लगभग 9 लाख नए कैंसर रोगी हो रहे हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उच्च रक्तचाप के बारे में अध्ययनों पर मेटा विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 1962–2000 के बीच ग्रामीण और शहरी जनसंख्या दोनों में उच्च रक्तचाप और हृदय वाहिका के रोगों की व्यापतता दर में वृद्धि हो रही है।

चार प्रमुख जोखिम घटकों जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चिरकालिक गैर–संचारी रोगों के कारणों से जुड़े हुए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) तम्बाकू के प्रयोग; धूम्रपान, तम्बाकू उत्पादों को चबाना;

(2) मदिरा का प्रयोग;

(3) शारीरिक निष्क्रियता; और

(4) अस्वास्थ्यकर भोजन।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1975 से चल रहा है और राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका के रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस) का प्रायोगिक चरण जनवरी, 2008 में इन चिरकालिक रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीसी) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2400 करोड़ रुपये के परिव्यय से आगे बढ़ाया गया है। इस वर्ष का बजट परिव्यय 120 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस चिरकालिक रोग के उपचार, जिसका उपचार अत्यधिक महंगा और लंबा है, के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "स्वास्थ्य मंत्री की कैंसर रोगी निधि" (सीपीएफ) स्थापित की है। कैंसर रोगी निधि को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित योजना आबंटन के भीतर 100 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से राष्ट्रीय आरोग्य निधि के भीतर एक पृथक कोर्पस के रूप में स्थापित किया गया है जिसका विशिष्ट रूप से देश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कैंसर रोगियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्तिगत रोगी को अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मधुमेह, हृदय वाहिका के रोगों और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस) के लिए 1660.50 करोड़ रुपए का परिव्यय भी आबंटित किया गया है। दस राज्यों के 10 जिलों में राष्ट्रीय मधुमेह, हृदय वाहिका के रोगों और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस) को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

श्री एस. अजय कुमार: विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक असाध्य रोगों से 350 मिलियन से अधिक जानें जाएंगी जिनमें अधिकांश भारत से होंगे और भारत में भी अधिकांश ग्रामीण भारत से होंगे। ग्रामीण भारत में हृदय रोग से लोगों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। मधुमेह जैसे रोगों के प्रसार में बढ़ोत्तरी के कारण ऐसे क्षेत्रों में हृदय रोग और पक्षाघात में भारी बढ़ोत्तरी होगी जो इससे निपटने में सक्षम नहीं हैं और यह बात माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि असाध्य रोगों से निपटने के लिए, खासकर ग्रामीण भारत में नई स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाए। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपरोक्त बीमारी के त्वरित इलाज के लिए अच्छे अस्पताल पहुंचने में घंटों का सफर तय करना पड़ता है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समयबद्ध आधार पर सस्ता इलाज उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह असाध्य रोगों के संबंध में है और आप इसका जवाब केवल असाध्य रोगों के संदर्भ में ही दें, सामान्य संदर्भ में नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य निकायों द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है कि असाध्य रोग केवल भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत में असाध्य रोगों से मरने वालों की संख्या कुल मृत्यु का लगभग 53 प्रतिशत है। पूर्व के दशकों में अधिकांश मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण होती थी परंतु आज अधिकांश मृत्यु गैर-संक्रामक रोगों के कारण होती है। अगले 40 से 50 वर्षों में भारत मधुमेह, हृदय रोगों, मानसिक स्वास्थ्य विकारों, कैंसर, पक्षाघात से बुरी तरह प्रभावित होगा और चूंकि जीवन प्रत्याशा में बढ़ोत्तरी हो रही है, इसलिए वरिष्ठ नागरिक भी इन बीमारियों से प्रभावित और पीड़ित होंगे। अत:, सरकार ने जागरूकता अभियान के लिए कई कदम उठाए हैं और आज इसकी आवश्यकता भी है। शराब और तंबाकू से दूरी रखते हुए, शारीरिक क्रियाकलापों और योग को महत्व देकर तथा जीवन-शैली में खान-पान की समस्या, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और इस जैसी अन्य चीजों का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में काफी शोर किया गया है, पर हमें काफी कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर युवा वर्ग को संयमित करने की जरूरत है।

हम देख रहे हैं कि युवा लोग हृदयाघात से प्रभावित हो रहे हैं। मैं स्वयं एक ऐसा मामला जानता हूं जहां एक 22 वर्षीय लड़के को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय: वह धूम्रपान करता होगा।

डा. अंबुमणि रामदास: हो सकता है, महोदय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्कूली बच्चों पर एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें यह पाया गया है कि 13 से 15 वर्ष की आयु में 14.1 प्रतिशत स्कूली बच्चे तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। अल्कोहल सेवन आरम्भ करने की आयु एक समय 28 वर्ष थी। कम होकर यह 19 वर्ष हो गई और आज यह साढ़े तेरह वर्ष हो गई है। कोई भी बच्चों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। हमें एक अच्छी नीति की आवश्यकता है। तंबाकू के बारे में हमारी नीति है तथा निश्चित रूप से आज हमें अल्कोहल नीति की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात का विस्तार कर रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, आज अल्कोहल को सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या माना जाता है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्यों को स्वयं ही पूर्ण मद्यपान निषेध का अनुपालन करना चाहिए, परन्तु गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के अतिरिक्त किसी राज्य में मद्यपान निषेध नहीं है। परन्तु अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि हमें ऐसा करना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय: हमें यह करना होगा और दंडाभाव के कारण हम इसका उल्लंघन करेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: ऐल्कोहॉल आज केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा नहीं है। यह सामाजिक मुद्दा है। इसके कारण मौतें होती हैं, इसके कारण आत्महत्याएं होती हैं, इसके कारण मानसिक विकार तथा पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपको पता लगाना होगा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में कितनी तंबाकू कंपनियां हैं तथा कितने ऐल्कोहॉल विनिर्माता हैं। आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी।

डा. अंबुमणि रामदास: राष्ट्रीय ऐल्कोहॉल नीति बनाने के लिए मुझे संपूर्ण सभा के समर्थन की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को अपने-अपने राज्य की सरकारों पर ऐल्कोहॉल संबंधी व्यापक नीति बनाने का आग्रह करना चाहिए।

श्री एस. अजय कुमार: महोदय, शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास अपनी पसन्द का उपचार कराने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले अस्पतालों को चुनने का विकल्प होता है। सरकार की चुनिंदा राज्यों की राजधानियों में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना करने की योजना है। सरकार से मेरा अनुरोध और सुझाव है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना की जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरन्त तथा समय पर उपचार मिल सके।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जोकि स्वयं एक डाक्टर हैं, कि क्या सरकार देश के सभी जिला मुख्यालयों में इन अस्पतालों की स्थापना की योजना बना रही है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार जिला अस्पतालों तथा सीएचसी में काफी धन का निवेश कर रही है। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना है, जहां विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। वहां चल (मोबाइल) चिकित्सा इकाइयां काम कर रही हैं। आरम्भ में प्रत्येक जिले के लिए एक इकाई थी जिसका बाद में हमने विस्तार किया और प्रत्येक ब्लाक के लिए एक इकाई बनायी प्रत्येक जिले में एक चल (मोबाइल) चिकित्सा इकाई हेतु 318 जिलों के लिए धनराशि जारी की गई है।

ईएमआरए-108 नामक एक अन्य योजना के अंतर्गत देश के लगभग सात-आठ राज्यों का ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय मधुमेह निवारण एवं नियंत्रण, हृदयरोग तथा हृदयाघात कार्यक्रम आरम्भ किया था। आरम्भ में हमने दस राज्यों को इसके दायरे में लिया था और हर राज्य में एक जिले में यह कार्य आरम्भ किया था। योजना में स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। सामुदायिक भागीदारी इसमें सम्मिलित है। इसमें कार्यस्थल संबंधी जागरूकता शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार का विचार स्कूली बच्चों के लिए एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ करने का है, जिसमें देश के सभी स्कूली बच्चों की हृदय संबंधी समस्या, मधुमेह, मुख्य समस्याओं जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मानकों के आधार पर जांच की जाएगी और यदि किसी बच्चे में कोई समस्या पाई जाती है, तो उनकी समस्या का तुरन्त समाधान किया जाएगा। हमें एक व्यापक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। इसकी अति तत्काल आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप संक्षेप में अपना प्रश्न करें तथा विषय पर ही केन्द्रित रहें। आज लिया जाने वाला यह तीसरा ही प्रश्न है जिसे हमने आज लिया है। यह बहुत ही खराब रिकार्ड है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आने वाले दिनों में स्वास्थ्य की बहुत ही भयंकर स्थिति का चित्रण किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या के एक आयाम को छोड़ दिया गया है कि तटवर्ती क्षेत्रों में जहां खनिज भंडार हैं, वहां विकिरण के कारण काफी लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सकीय रूप से इसकी जानकारी दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कतिपय जांच तथा अध्ययन कराएगी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यदि माननीय सदस्य राज्य के उस भाग का उल्लेख करेंगे जो इस रोग से प्रभावित है तो हम निश्चित रूप से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से इस बारे में पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप पत्र के माध्यम से इसे भेज सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: यदि आप पत्र द्वारा इसकी जानकारी दें तो हम आईसीएमआर से इसकी जांच करने को कहेंगे।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आयाट्रोजेनिक औषधियों तथा कीटनाशकों, पेस्ट नाशियों तथा उर्वरकों के कारण फैलने वाले धीमे विष तथा प्रदूषण के मामले में कार्रवाई करेगी। क्या कीटनाशकों तथा पेस्टनाशियों जैसे विषैले पदार्थों को कम करने के लिए सरकार की अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वयन करने की कोई योजना है जिससे खतरनाक बीमारियां पैदा न हों।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप एलोपेथ डाक्टर हैं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: इसीलिए आप आयुर्वेद के खिलाफ हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, वह मेरे पूर्ववर्ती भी हैं। आज हमारी कृषि नीतियों तथा प्राथमिकताओं में कीटनाशकों से बचना असंभव है। जो खाना हम खाते हैं अथवा जो पानी या दूध हम पीते हैं तथा जो सब्जियां खाते हैं, उनमें कुछ मात्रा में कीटनाशक होते हैं। इनमें से कुछ का बहुत अधिक प्रयोग होता है। जब तक हमारे यहां अच्छी कृषि व्यवस्था जीएपी नहीं होगी, इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसके बावजूद दूध, पानी, फलों आदि सहित कई उत्पादों के लिए हमने न्यूनतम अपशिष्ट पेस्टनाशी निर्धारित किए हैं। हम कृषि मंत्रालय तथा उर्वरक मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम अब अपशिष्टों का वह न्यूनतम स्तर निर्धारित कर रहे हैं जिसका लोग प्रयोग कर सकेंगे। यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य जी को और अधिक सूचनाएं पहुंचा दूंगा।

हमने एक और कदम उठाया है जो कि मुख्य बिन्दु से थोड़ा सा हटकर है। 19 मार्च से हमने कह दिया है कि भारत में बिकने वाले सभी खाद्य पैकेटों पर अनिवार्य कर दिया है कि पैकेट के एक तरफ ट्रांसफैट सहित इसके अवयव एवं पोषण मान लिखे जाएं। यह एक अनिवार्यता है तथा पिछली जुलाई में हमने इसे अधिसूचित कर दिया था तथा हमने काफी प्रगति कर ली है। 19 मार्च से पूरा देश यह जाना सकेगा कि वे क्या खा रहे हैं एवं इन खाद्य वस्तुओं का पोषण मान कितना है।

अध्यक्ष महोदय: अब, हम थोड़ी देर पूर्व बीमार हुए श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार का एक अनुपूरक प्रश्न सुन लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: हां, महोदय। वेनाड क्षेत्र में सिकल-सैल एनीमिया से भारी संख्या में आदिवासी लोग पीड़ित हैं। वह रोग पूर्वोत्तर भाग में भी है। उनका कहना है कि आयुर्वेदिक उपचार प्रभावी है तथा इस मामले को आपके समक्ष पेश करने के लिए कुछ लोग हाल ही में दिल्ली आए थे। क्या आप इस पर ध्यान देंगे क्योंकि आदिवासियों में यह रोग बहुत अधिक पाया जाता है?

डा. अंबुमणि रामदास: हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। यह रोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों में पाया जाता है। सिकल-सैल रक्ताल्पता (एनीमिया) वहां के आदिवासियों में बहुत अधिक पाया जाता है। वस्तुत:, हम वेनाड क्षेत्र पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे तथा राज्य सरकार को तदनुसार नीतियां अपनाने की सलाह देंगे।

डा. करण सिंह यादव: महोदय, पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं तथा हम जानते हैं कि हृदयाघात, वृक्क संबंधी रोग एवं मस्तिष्क घात बढ़ रहे हैं। सरकारी संस्थान गहन देखभाल इकाइयों, कार्डियोकेथेराइजेशन प्रयोगशालाओं, डायलिसिस इकाइयों तथा प्रतिस्थान इकाइयों जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इनमें से अधिकांश सुविधाएं निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम राज्य सरकारों के अस्पतालों एवं विशेष रूप से राज्य सरकारों के चिकित्सा महाविद्यालयों, जिन्हें डायलिसिस, कार्डियो-कथेरेराइजेशन प्रयोगशालाओं, हृदय की शल्य चिकित्सा एवं अन्य सहायक सुविधाओं वाली बुनियादी संरचना की आवश्यकता होती है, ये सुविधाएं प्रदान कर सकते है?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वस्तुत: वह भी हृदयरोग विशेषज्ञ हैं। वह जमीनी हकीकत जानते हैं। अधिकांश अस्पताल राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं और स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह क्षमता एवं बुनियादी संरचना के उपकरणों का विस्तार करे। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, और अधिक स्नातकोत्तर चिकित्सक बनाने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए और अधिक बुनियादी संरचना प्रदान करने पर खर्च किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं मिल सकेगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स जैसे छह संस्थान तथा दो और संस्थान अर्थात् एम्स जैसे आठ संस्थान होंगे। प्रारम्भ में हमने 13 संस्थानों का दर्जा बढ़ाया है तथा अब हम पांच संस्थानों का दर्जा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम देश के लगभग सभी जिलों में लगभग 120 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसमें भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्डियो प्रयोगशालाओं जैसे उपकरण, स्पेशियलिटी एवं अभिघात केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह हम निजी अनुभव से कह सकते हैं कि इस तरह के बीमार लोगों की दरख्वास्तें अब हमें आमतौर पर बड़े पैमाने पर मिलने लगी हैं। एक कैंसर पेशंट के आपरेशन और इलाज में पांच-छ: लाख रुपया खर्च होता है। इसी तरह से अगर किडनी ट्रबल है तो सात-आठ लाख रुपया

खर्च हो जाता है। प्रधान मंत्री कोष से सहायता देने के लिए लिखने पर केवल 50,000-60,000 रुपए मिलते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस सहायता कोष से सांसदों के लिखने पर एक साल में इस सहायता को 24 कर दिया है। हमारे पास 20-25 लोगों की दरख्वास्तें आ ही जाती हैं और उनमें से एक-दो दरख्वास्तें ही एक्सपीडाइट होती हैं, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अपने स्वास्थ्य संबंधी बजट में से कोई बड़ा कोष बनाएंगे, जिससे स्पेशलाइज्ड हास्पिटल्स में जो इस तरह के क्रानिक पेशंट्स भर्ती होते हैं, उन्हें सीधे आर्थिक सहायता मिल सके और इसके लिए सांसदों या अन्य किसी जनप्रतिनिधि की स्वीकृति या संस्तुति की जरूरत न पड़े? क्या ऐसा कोई बड़ा कोष बनाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार करेगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, कैंसर के संबंध में आज भारत में समस्या बहुत बड़ी है तथा भविष्य में यह समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। आज, कैंसर का उपचार सबसे महंगे उपचारों में से है। वर्ष 2002-07 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें पांच वर्षों में कैंसर के लिए कुल आबंटन लगभग 280 करोड़ रुपये था, की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये कर दिया है। अत: यह वृद्धि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 280 करोड़ रुपये से बढ़कर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2400 करोड़ रुपये की गई गया जिसका उपयोग केवल जागरूकता, कैंसर का पहले ही पता लगाने के लिए बुनियादी संरचना स्थापित करना है।

मेरे उत्तर में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हमने स्वास्थ्य मंत्री कैंसर कोष स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया है। यह हमारी स्वैच्छिक पहल है। प्रारम्भ में इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब रोगियों को 100 करोड़ रुपये दिए जाने की कल्पना की गई थी।

आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी क्षमतानुसार स्वास्थ्य मंत्री कैंसर कोष में योगदान दें। यदि आप इच्छुक हैं तो एमपीलैड निधि से भी योगदान दे सकते हैं, ताकि गरीब लोगों की देखभाल की जा सके।

गरीब रोगियों की देखभाल के लिए हमारे पास राष्ट्रीय आरोग्य निधि है। प्रधानमंत्री रुग्णता निधि भी है। अत: ये सभी प्रकार की निधियां हैं। निश्चित रूप से हम काफी सारे रोगियों को सहयोग दे रहे हैं। कुछ राज्यों में हृदय रोगियों और कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलायी जा रही हैं। उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कैंसर रोगियों की देखभाल की जा रही है। इस प्रकार की बीमा योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सरकार, जो कि हमारी यू.पी.ए. सरकार है, के द्वारा सहयोग के एक भाग का भुगतान किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गुढे।

श्री गुढे, मैं समझता हूं आप भी मेरी तरह से अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गवां चुके हैं।

[हिन्दी]

अब आपका निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व हो गया है।

श्री अनंत गुढे: अध्यक्ष जी, यह जो हृदय विकार, गुर्दे खराब होना और मधुमेह आदि रोग हैं, इनके अलावा गरीबों को कुछ अन्य ऐसे रोग भी होते हैं, जो न तो तम्बाकू सेवन से होते हैं और न ज्यादा खाने से होते हैं, जैसे वाल्व खराब होना है। आज हम देखते हैं कि दो साल के बच्चे का भी वाल्व खराब हो जाता है और उसका आपरेशन करना पड़ता है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे यह बीमारी भी एक बड़ा कारण है। यदि उसके घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए, तो वह सब कुछ बेचकर भी इस रोग का इलाज नहीं करा पाता है। नतीजा यह होता है कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। आपने बीपीएल परिवारों के बीमार लोगों को नई जिंदगी देने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की आय सीमा एक लाख रुपए प्रति वर्ष है, अगर उस घर में कोई बीमार हो जाए तो उस पेशेंट को इलाज के लिए प्रधान मंत्री राज कोष से 50,000 रुपए मिलते हैं, उस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपया करना चाहिए और एक लाख रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जाएं। क्या मंत्री जी के पास इस तरह की कोई योजना है, नहीं है तो क्या इस पर विचार करेंगे, जिससे उस परिवार को एक आधार मिल सके?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: प्रधानमंत्री राहत कोष अथवा स्वास्थ्य मंत्री राहत कोष के अंतर्गत उसके लिए बजटीय आबंटन किया जाता है। देश भर से बहुत सारे लोगों से उसके लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भविष्य में इसका एकमात्र समाधान स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को बढ़ाना ही है। हम श्रम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामक कार्यक्रम चला रहे हैं जहां प्रारंभिक स्तर पर अब प्रति वर्ष एक परिवार को 30,000/- रुपये तक की कवरेज प्रदान की जाती है और हम इसका भी विस्तार करेंगे। राज्य सरकारों को भी स्वास्थ्य बीमा संबंधी कई लचीली योजनाएं दी जा रही हैं। परंतु ये राज्यों की प्राथमिकता के अनुसार तैयार की गयी हैं। हम इस समस्या से भली भांति अवगत हैं और हमने इसे संज्ञान में भी लिया है। जिस प्रकार से कर्नाटक में बेहद सक्रिय बीमा योजना चलायी जा रही है उसी प्रकार की अधिक सक्रिय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए

हम राज्य सरकारों की सहायता से कई और योजनाएं प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर सार्वजनिक निजी भागीदारी भी की जा रही है जिसके द्वारा वे गांवों में इन बच्चों का निरीक्षण करते हैं और यदि कोई बच्चा हृदय रोग से पीड़ित है उसे तुरंत नजदीक के सम्बद्ध अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी सर्जरी नि:शुल्क की जाती है। अतएव राज्य सरकार को योजनाएं प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। इस पर हम राज्य सरकारों के प्रयासों का संपूरण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आइए अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। हम सब बीमार महसूस कर रहे हैं। मैंने पिछले प्रश्न के लिए सात और पूर्ववर्ती प्रश्न के लिए नौ अनुपूरकों की अनुमति दी है। मैं आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा हूं परंतु यह तो मजाक का विषय बन गया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, आपने मुझे अवसर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: आप यहां पर नहीं थे। अब हम अलग प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

यदि मुझे अवसर मिलता है तो देखेंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

***125. श्री रामजीलाल सुमन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की है जैसा कि 26 जनवरी, 2009 के 'द इकोनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि पर निविदा आमंत्रण के लिए जारी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में सुधार के लिए और मुख्य सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2006 और 2007 में तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों वाली परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत में क्रमश: 20% और 10% की वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया है। विभिन्न परियोजनाओं और कुल परियोजना लागत में वृद्धि का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की साध्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने का वर्ष	लंबाई (किमी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	कुल संशोधित* परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
एनएचडीपी चरण-III परियोजनाएं					
1.	उत्तर प्रदेश में रारा 91 का गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड	2007	126.30	1325.30	1458.00

1	2	3	4	5	6
2.	पंजाब में रारा 15 का अमृतसर-पठानकोट खंड	2007	102.42	704.00	775.00
3.	महाराष्ट्र में रारा 3 का पिंपलगांव-नासिक-गोंडे खंड	2006	60.00	752.48	940.00
4.	महाराष्ट्र में रारा 3 का मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले खंड	2006	97.00	675.00	835.00
5.	तमिलनाडु में रारा 205 का तिरुपति-तिरुतानी-चेन्नै खंड	2007	124.77	802.00	882.00
6.	राजस्थान में रारा 11 का जयपुर-रींगस खंड	2007	54.00	343.04	377.00
7.	राजस्थान में रारा 8 का किशनगढ़-ब्यावर खंड	2007	93.60	722.24	795.00
8.	उड़ीसा में रारा 215 का पाणिकोइली-क्योंझर-रिमोली खंड	2006	163.00	1085.89	1303.00
9.	उड़ीसा में रारा 200 का चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड	2006	133.00	810.00	972.00
10.	आंध्र प्रदेश में रारा 9 का हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड	2006	181.00	1460.20	1752.00
11.	उड़ीसा में रारा 215 का रिमौली-राक्सी-राजमुंदरा खंड	2006	106.00	654.00	785.00
12.	आंध्र प्रदेश में रारा 9 का विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड	2006	65.00	467.67	562.00
13.	कर्नाटक में रारा 17 का कुंदापुर-सूरतकल और मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा खंड	2007	90.08	616.00	677.00
14.	गोवा में रारा 4ए का गोवा/कर्नाटक सीमा-पणजी खंड	2005	65.07	364.86	438.00
15.	केरल में रारा 17 का कुट्टीपुरम-इडापल्ली खंड	2007	112.00	1157.92	1273.71
16.	महाराष्ट्र में रारा 9 का पुणे-शोलापुर खंड (पैकेज 1)	2006	110.00	922.47	1110.00

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु में रारा 67 विस्तार का कोयम्बतूर-मेत्तूपलायम खंड	2007	50.00	499.82	550.00
18.	हरियाणा में रारा 10 का रोहतक-हिसार खंड	2006	89.36	695.32	834.00
19.	महाराष्ट्र में रारा 9 का पुणे-शोलापुर खंड (पैकेज 2)	2007	110.00	809.85	891.00
20.	महाराष्ट्र में रारा 6 का तालेगांव-अमरावती खंड	2007	66.73	618.57	680.00
21.	तमिलनाडु में रारा 67 का नागपट्टनम-तंजावुर खंड	2007	76.70	619.12	681.03
22.	तमिलनाडु में रारा 210 का करईकुडी-रामनाथपुरम खंड	2007	80.00	454.12	499.53
23.	केरल में रारा 17 का कन्नूर-कुट्टीपुरम (पैकेज 2)	2006	81.50	1108.47	1330.16
24.	तमिलनाडु में रारा 210 का त्रिची-करईकुडी खंड	2007	120.00	338.00	371.80
25.	तमिलनाडु में रारा 66 का टिंडीवनम-कृष्णागिरि खंड	2007	199.94	1073.60	1180.96
26.	केरल में रारा 47 का त्रिवेंद्रम-केरल/तमिलनाडु सीमा खंड	2005	43.00	822.41	986.89
27.	तमिलनाडु में रारा 47 और 47बी का केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी खंड	2005	70.00	851.05	1021.26
28.	केरल में रारा 47 का चेरथलई-ओचीरा खंड	2006	83.60	1283.80	1540.56
29.	केरल में रारा 47 का ओचीरा-तिरुवनंतपुरम खंड	2006	85.57	1240.79	1488.95
30.	तमिलनाडु में रारा 45 विस्तार का डिंडीगुल-पेरीगुलम-तेनी खंड और रारा 220 का तेनी-कुमिली खंड	2007	130.00	813.00	894.30
31.	केरल में रारा 17 का कन्नूर-कुट्टीपुरम खंड (पैकेज 1)	2006	83.20	1143.66	1372.39

1	2	3	4	5	6
32.	बिहार में रारा 80 का मोकामा-मुंगेर खंड	2007	70.00	755.59	831.15
33.	बिहार में रारा 19 और 77 का पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड	2007	63.37	570.06	627.06
34.	बिहार में रारा 77 का सोनबरसा-मुजफ्फरपुर खंड	2007	89.00	920.52	1013.10
35.	बिहार में रारा 19 और 85 का गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर खंड (पैकेज 2)	2007	71.70	957.49	1053.80
36.	बिहार में रारा 19 और 85 का गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर खंड (पैकेज 2)	2007	83.50	917.36	1008.70
37.	हरियाणा/उत्तर प्रदेश में रारा 2 का दिल्ली-आगरा खंड	2007	180.00	1917.63	2110.00
38.	राजस्थान में रारा 79, 79ए और 76 का किशनगढ़-उदयपुर खंड	2007	315.00	3076.38	3384.00
39.	उड़ीसा में रारा 5 का चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर खंड	2007	70.00	951.32	1047.00
40.	आंध्र प्रदेश में रारा 5 का विजयवाड़ा-इलूरू-राजमुंदरी खंड	2007	198.00	2416.63	2658.00
41.	उत्तर प्रदेश और बिहार में रारा 2 का वाराणसी-औरंगाबाद खंड	2007	190.00	2588.38	2848.00
42.	मध्य प्रदेश में रारा 3 का इंदौर-देवास खंड	2007	45.00	410.00	451.00
43.	आंध्र प्रदेश में रारा 5 का नेल्लोर-चिल्कालूरीपेट खंड	2007	184.00	2163.90	2380.00
44.	तमिलनाडु में रारा 46 का कृष्णागिरि-वालाजपेट खंड	2007	148.00	1489.55	1639.00
45.	कर्नाटक में रारा 4 का बेलगांव-धारवाड़ खंड	2007	80.00	637.50	702.00
46.	केरल में रारा 47 का वालायर-वदक्कनचेरी खंड	2005	58.00	596.96	717.00
47.	केरल में रारा 47 का वदक्कनचेरी-त्रिसूर खंड	2005	30.00	514.05	617.00
48.	महाराष्ट्र में रारा 7 का मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-नागपुर खंड	2007	95.00	1064.11	1170.52

अनुबंध II

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फार्मेट अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें अब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी पर रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम आदि की वसूली (ब्याज आधार पर) स्थगित करके ठेकेदारों की नकदी उपलब्धता से जुड़ी समस्या में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट परियोजना के तहत 47 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में शांति होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, कृपया संक्षेप में मुद्दे की बात करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अब तक केवल 56 फीसदी लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है। जब किसी परियोजना में निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है और विलम्ब होता है, तो निर्माण लागत बढ़ती है। वर्ष 2005-06 में सड़क निर्माण की जो लागत 1.25 करोड़ रुपए थी, वर्ष 2008 के अंत तक 20 फीसदी तक निर्माण लागत बढ़ी है। सम्भवत: 40 फीसदी बढ़ोतरी करने का सरकार का इरादा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2008 तक जो महंगाई का प्रतिशत बढ़ा, क्या उसके अनुपात से यह निर्माण लागत बढ़ी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो निर्माण लागत बढ़ती है और जो परियोजनाएं समय से पूरा नहीं होती हैं, उन परियोजनाओं का समय से पूरा न होने के लिए क्या भारत सरकार नें किन्हीं लोगों के खिलाफ कोई जिम्मेदारी निश्चित की है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री को आप अपने प्रश्न का उत्तर देने दें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, लागत में बढ़ोत्तरी केवल देरी के कारण नहीं हुई अपितु सड़क निर्माण संबंधी कई इनपुटों में भी वृद्धि हुयी है। उदाहरण के लिए बिटुमिन में 133 प्रतिशत, सीमेंट

में 35 प्रतिशत, इस्पात में 39 प्रतिशत और डीजल में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इसके अतिरिक्त 2005 के बाद से हमने केवल अनुमानित सांकेतिक लागत का का पता लगाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन तैयार किया है। यह कोई एकदम सही राशि का पता लगाने के लिए किया गया अध्ययन नहीं है। अनुमानित लागत से ही हम बोली आमंत्रित करते हैं। अनुमानित लागत बोली के कारण बढ़ने या घटने के प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो सकती है। परंतु साथ ही साथ मैं केवल यही कह सकता हूं कि केवल 2008-2009 में ही हमें 21 बोलियां प्राप्त हुई उनमें ऐसे 13,481 करोड़ रुपये की लागत से 1,300 कि.मी. के लिए इस बोलियों को पहले से ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और 12,164 करोड़ रुपये की लागत से 1,233 कि.मी. के लिए 11 बोलियों का काम प्रक्रियाधीन है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करने के लिए सीसीईए के पास भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत निवेदन किया था कि इन परियोजनाओं को पूरा करने का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति न होने की वजह से निर्माण लागत बढ़ती है? यदि हां, तो क्या जिन लोगों की वजह से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है, क्या उनके खिलाफ आपने कार्यवाही करने का काम किया है या नहीं?

नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद इस निर्माण की लागत आम जनता से टोल टैक्स लगाकर वसूल की जाती है। उस टोल टैक्स के बावजूद भी दो रुपए डीजल एवं पेट्रोल पर सैस लगा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में शांति होनी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन, जब तक आप चुप नहीं होंगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हाईवे के निर्माण की लागत को वसूल करने के लिए आम जनता से टोल टैक्स लिया जाता है और दो रुपए डीजल तथा पेट्रोल पर उपकर लगता है। मैं आपकी मार्फत सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इस उपकर को समाप्त करने का इरादा रखती है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया या तो ''हां'' या ''नहीं'' कहिए।

श्री टी.आर. बालू: वस्तुत: जब हम ट्रकों और चार पहिए वाले वाहनों को चलाने में आने वाली लागत की बात करते हैं तो ट्रकों के लिए 6 रुपये प्रति किलोमीटर की लागत किफायती होगी। ट्रकों के संबंध में 6 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत होगी जबकि कार के लिए यह बचत दो रुपये प्रति किलोमीटर होगी यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क हेतु प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष कारों और ट्रकों से होने वाली कुल बचत की तुलना करेंगे तो यह दो करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। जब हम पथकर की लागत लाभ अनुपात की तुलना करते हैं तो पाते है कि यह केवल प्रयोक्ता के लिए लाभकारी है। ऐसी बात नहीं है कि हम जनता से केवल धनार्जन कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

***122. डा. चिन्ता मोहन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2008 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का औसत ऋण-जमा अनुपात कितना था;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में औसत ऋण-जमा अनुपात में अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के औसत ऋण-जमा अनुपात (सीडीआर) के संबंध में सितम्बर, 2008 तक यथा उपलब्ध अद्यतन सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2006, 2007 और 2008 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ ऋण-जमा अनुपात में राज्य-वार अंतर का अध्ययन करने, विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में ऋण की उपलब्धता की अड़चनों का पता लगाने, ऋण की उपलब्धता में सुधार के लिए बैंकों, राज्य सरकारों, आदि की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका की जांच करने और इस अनुपात के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एजेंसी-वार कार्य योजना का सुझाव देने के लिए 5 नवम्बर, 2004 को श्री वाई.एस.पी. थोराट की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों, जिन्हें सितम्बर 2005 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन राज्यों में, जहां ऋण-जमा अनुपात 40% से कम था, निगरानी योग्य कार्य योजनाएं (एमएपी) तैयार करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के तहत एक विशेष उप-समिति (एसएससी) गठित करने के लिए 9 नवम्बर, 2005 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया था। 20% से कम के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों के लिए उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, बैंकों को राज्य सरकारों के परामर्श से ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने पर अधिक ध्यान देने के लिए भी कहा गया था।

निगरानी योग्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में डीएलसीसी से प्राप्त प्रति सूचना के आधार पर समेकित रिपोर्टें विचार-विमर्श और आगे कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में रखी जाती हैं। यदि पूरे राज्य का ऋण-जमा अनुपात कम हो, तो एलएलबीसी भी निगरानी करती है और उसे सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है। 40% से कम के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों की कुल संख्या दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 181 से घटकर दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 158 हो गई है।

विवरण I

सितम्बर 2008 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार ऋण जमा अनुपात

क्र.सं.	बैंकों के नाम	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में
1	2	3
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	77.3
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	71.0
3.	भारतीय स्टेट बैंक	75.8
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	80.6
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	80.9
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	69.4
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	78.2
8.	इलाहाबाद बैंक	68.8
9.	आंध्रा बैंक	71.3
10.	बैंक आफ बड़ौदा	71.5
11.	बैंक आफ इंडिया	73.1
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	71.9
13.	केनरा बैंक	69.8
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	70.0
15.	कार्पोरेशन बैंक	71.4
16.	देना बैंक	70.6
17.	इंडियन बैंक	76.8
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75.9
19.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	69.8
20.	पंजाब एंड सिंध बैंक	76.8
21.	पंजाब नैशनल बैंक	71.0
22.	सिंडिकेट बैंक	70.2
23.	यूको बैंक	75.0
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	75.8
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	66.9
26.	विजया बैंक	60.3
27.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	119.3
	कुल	74.3

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-7, भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण II

मार्च 2006, मार्च 2007 और मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात

	क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात - प्रतिशत में		
		31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात
	1	2	3	4
1.	**उत्तरी क्षेत्र**	65.5	68.6	66.6
	हरियाणा	57.4	57.6	60.6
	हिमाचल प्रदेश	40.5	41.5	43.6
	जम्मू-कश्मीर	44.9	47.3	48.1
	पंजाब	56.6	62.4	66.3
	राजस्थान	78.4	82.5	82.0
	चंडीगढ़	80.2	94.7	94.0
	दिल्ली	68.9	70.9	65.7
2.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	39.3	40.8	39.0
	अरुणाचल प्रदेश	25.1	26.8	29.1
	असम	42.0	43.3	41.2
	मणिपुर	50.6	53.5	47.2
	मेघालय	39.3	35.8	30.4
	मिजोरम	51.4	53.8	55.9
	नागालैंड	22.3	28.9	33.2
	त्रिपुरा	31.6	34.0	33.9
3.	**पूर्वी क्षेत्र**	49.7	52.5	51.2
	बिहार	30.2	30.1	29.7
	झारखंड	33.7	34.0	35.1
	उड़ीसा	65.2	64.0	56.6
	सिक्किम	45.3	52.4	47.5
	पश्चिम बंगाल	57.2	62.6	61.4
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	27.9	28.1	31.4

1		2	3	4
4.	**मध्य क्षेत्र**	45.2	47.7	47.2
	छत्तीसगढ़	50.2	53.0	52.3
	मध्य प्रदेश	60.0	62.2	60.3
	उत्तर प्रदेश	42.0	45.1	44.9
	उत्तरांचल	25.8	27.0	26.6
5.	**पश्चिमी क्षेत्र**	91.5	91.2	88.8
	गोवा	23.0	26.3	29.2
	गुजरात	56.4	64.5	65.2
	महाराष्ट्र	101.5	98.0	94.7
	दादरा एवं नगर हवेली	49.8	19.8	25.5
	दमन एवं दीव	11.1	13.8	14.9
6.	**दक्षिणी क्षेत्र**	83.6	87.3	89.3
	आंध्र प्रदेश	82.0	87.6	91.6
	कर्नाटक	76.8	77.5	78.0
	केरल	61.7	63.6	65.3
	तमिलनाडु	105.9	112.3	113.4
	लक्षद्वीप	11.5	10.1	7.7
	पांडिचेरी	44.8	47.2	49.4
	अखिल भारत	72.5	75.0	74.2

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-7, भारतीय रिजर्व बैंक

[अनुवाद]

ग्रामीण आपात स्वास्थ्य परिवहन प्रणाली

***126. श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में विश्वसनीय परिवहन सुविधाओं की कमी एक भारी रूकावट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न आपात स्वास्थ्य परिवहन सुविधाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रामीण आपात स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने देश में ग्रामीण गरीबों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सुविधाओं समेत एम्बुलेंसों की व्यवस्था की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट रोगी भार एवं जरूरत के आधार पर अपनी आवश्यकताओं का निर्णय लेती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में उल्लिखित उनकी एम्बुलेंसों की आवश्यकताएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के बुनियादी ढांचे में उपलब्ध मानदण्डों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा जांची एवं अनुमोदित की जाती हैं। इन एम्बुलेंसों को रोगी कल्याण समितियों/उपयोगकर्ता समूहों के पर्यवेक्षण में रखा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुमोदित आपातकालीन परिवहन प्रणाली समेत एम्बुलेंसों हेतु वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम और जम्मू-कश्मीर में जननी सुरक्षा योजना के तहत रेफरल परिवहन एक अनुमोदित व्यय है।

विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	अनुमोदित राशि
1	2	3
	2006-07	
1.	मध्य प्रदेश	588
2.	राजस्थान	500.00
3.	असम	750.00
4.	अरुणाचल प्रदेश	240.00
5.	मणिपुर	54.00
6.	नागालैंड	35.00
7.	मेघालय	90.00
8.	आंध्र प्रदेश	1000.00
	कुल	3257.00
	2007-08	
1.	बिहार	1000.00
2.	मध्य प्रदेश	1040.00
3.	उत्तर प्रदेश	4740.16
4.	जम्मू-कश्मीर	400.00
5.	गुजरात	379.00
6.	गोवा	48.00
7.	असम	1000.00
8.	सिक्किम	72.00
9.	मिजोरम	90.00
10.	त्रिपुरा	97.08
	कुल	8806.24
	2008-09	
1.	बिहार	8.40
2.	जम्मू-कश्मीर	1000.00
3.	मध्य प्रदेश	3826.34
4.	राजस्थान	2500
5.	उत्तर प्रदेश	1843.81
6.	उत्तराखंड	1000.00
7.	आंध्र प्रदेश	10000.00
8.	गुजरात	4006.24
9.	कर्नाटक	679.00
10.	केरल	1147.67
11.	महाराष्ट्र	610.50
12.	तमिलनाडु	954.97
13.	असम	5045.00
14.	अरुणाचल प्रदेश	90.00

1	2	3
15.	मणिपुर	61.20
16.	मेघालय	82.20
17.	मिजोरम	182.40
18.	नागालैंड	119.00
19.	सिक्किम	201.01
20.	त्रिपुरा	97.80
21.	दमन और दीव	48.23
	कुल	33503.77

[हिन्दी]

राज्यों के राजस्व में कमी

***127. श्रीमती करूणा शुक्ला:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण हाल ही में कुछ राज्यों के राजस्व में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक मंदी के मद्देनजर सरकार को कुछ राज्य सरकारों से सहायता का प्रावधान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एकत्रित मूल्यवर्धित कर के आंकड़ों के आधार पर, वर्तमान वित्तीय वर्ष (जनवरी, 2009 तक संचयी) के दौरान किसी भी राज्य में मूल्यवर्धित कर के संग्रहण में कोई कमी नहीं हुई है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय बिक्री कर के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुछ राज्यों में संग्रहण कम हुआ है परन्तु कुछ दूसरे राज्यों में इसमें वृद्धि हुई है। राज्यों के अन्य करों के संबंध में कोई आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्राप्त केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण के उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं-

सारणी-1: वर्ष 2007-08 (दिसम्बर तक) और 2008-09 (दिसम्बर तक) के दौरान प्रमुख राज्यों के लेखा परीक्षित नहीं किए गए केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण करोड़ रुपयों में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2007-08	2008-09
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1073.31	925.94
2.	असम	295.79	349.67
3.	बिहार	37.83	28.16
4.	छत्तीसगढ़	323.44	405.87
5.	दिल्ली	753.58	739.28
6.	हरियाणा	1014.26	1076.18
7.	गुजरात	1138.53	1178.24
8.	गोवा	36.46	40.87
9.	जम्मू-कश्मीर	5.83	4.25
10.	झारखंड	318.47	301.33
11.	कर्नाटक	801.30	792.42
12.	मध्य प्रदेश	359.54	333.19
13.	महाराष्ट्र	1694.78	1920.74
14.	उड़ीसा	368.35	397.80
15.	पुडुचेरी	139.65	129.57
16.	राजस्थान	288.87	332.23
17.	तमिलनाडु	1265.32	1256.62

1	2	3	4
18.	उत्तर प्रदेश	964.37	930.49
19.	उत्तराखंड	94.98	110.75
20.	पश्चिम बंगाल	511.94	566.87

टिप्पणी– अधिकार प्राप्त समिति के पास उपर्युक्त राज्यों से ही केन्द्रीय बिक्री संग्रहण के आंकड़े हैं।

हालांकि, अधिकार प्राप्त समिति की सम्मति से केन्द्रीय बिक्री कर दर को जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया तथा तथापि, केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व में उपर्युक्त रुझान के लिए राज्यों द्वारा कोई विशिष्ट कारण नहीं दिये गये हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने पारस्परिक रूप से सहमत दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर की दर में कमी करने के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व में हुई हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड एवं गोवा की राज्य सरकारों ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाली मंदी के प्रभाव को रोकने के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था एवं एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत 2008-09 के लिए उधार लेने की सीमाओं में छूट देने की मांग की है। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष से निर्माण के कार्यों एवं अवसंरचना में सुधार के वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपये के विशेष केन्द्रीय अनुदान के लिए केन्द्र से अनुरोध करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संघ सरकार ने ग्रामीण विकास, विद्युत एवं जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आदि के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2008-09 में 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजनागत परिव्यय उपलब्ध कराया है तथा पूंजीगत व्यय को करने के लिए उधार लेने की विद्यमान सीमा में छूट देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से अतिरिक्त उधार के रूप में 30,000 करोड़ रुपए लेने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दी है। ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) दिशा निर्देश के अंतर्गत ब्याज राहत एवं ऋण माफी के लाभ गवाएं बिना बाजार से अतिरिक्त उधारी के माध्यम से चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 3 से 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्यों को समर्थ बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीसीआरएफ के लाभों के दावों के लिए राजस्व घाटे को 2008-09 तक समाप्त करने की आवश्यकता को भी छूट प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

वनों की कटाई

***128. श्री नन्द कुमार साय:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार वन विस्तार के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान वनों की कटाई की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में वन क्षेत्र की और कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए स्थानीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र को शामिल करने की नयी पहल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) देश के कुल भू-क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के तहत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य है जिसमें पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में भू-क्षेत्र के दो-तिहाई क्षेत्र को ऐसे आवरण के तहत बनाए रखना शामिल है। गत तीन वर्षों के वन आवरण से संबंधित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वन आवरण का आकलन, द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। पिछले आकलन के परिणाम वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 में प्रकाशित किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, वन आवरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान देश में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि वर्ष 2001, 2003 और 2005 में किए गए आकलन के अनुसार, देश में वन आवरण कमोवेश स्थिर है। इन आकलन के अनुसार वन आवरण नीचे दिया गया है:-

आकलन का वर्ष	2001	2003	2005
वन आवरण (वर्ग कि.मी. में)	653,898	677,816	677,088

जैसाकि देखा जा सकता है कि वर्ष 2001 और 2003 में किए गए आकलन में वन आवरण 23,919 वर्ग कि.मी. तक बढ़ गया है और वर्ष 2003 और 2005 में किए गए आकलन में आंशिक रूप से 728 वर्ग कि.मी. तक घट गया है। वे राज्य जहां से वन आवरण में कमी की सूचना मिली है, उनके कारणों सहित, सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) मंत्रालय, राज्यों और संघ शासित प्रदेश सरकारों को अवसंरचना में सुधार, गतिशीलता, संचार और दावानल की रोकथाम और नियंत्रण द्वारा वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समेकित वन सुरक्षा स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, संयुक्त वन प्रबंध समितियों की भागीदारी से प्राकृतिक पुनरुद्धार में सहायता प्रदान करके और रोपण कार्यों को प्रारम्भ करके अवक्रमित वन क्षेत्र का उपचार किया जाता है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने वनीकरण और अवक्रमित वनों के पुनर्वास में गैर-सरकारी संगठनों और वन विभागों की भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, देश में वन आवरण में विस्तार करने की दृष्टि से, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों को शामिल करके वन रहित (नान-फोरेस्ट) भूमि पर वनीकरण हेतु एक नई स्कीम पर विचार किया है।

विवरण I

वर्ष 2005 की राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार वन आवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र (जी.ए.) (कि.मी.^{2})	वन कवर (कि.मी.^{2})	जी.ए. का प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	275,069	44,372	16.13
अरुणाचल प्रदेश	83,743	67,777	80.93
असम	78,438	27,645	35.24
बिहार	94,163	5,579	5.92
छत्तीसगढ़	135,191	55,863	41.32
दिल्ली	1,483	176	11.87
गोवा	3,702	2,164	58.45
गुजरात	196,022	14,715	7.51
हरियाणा	44,212	1,587	3.59
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,369	25.81
जम्मू-कश्मीर	222,236	21,273	9.57

1	2	3	4
झारखंड	79,714	22,591	28.34
कर्नाटक	191,791	35,251	18.38
केरल	38,863	15,595	40.13
मध्य प्रदेश	308,245	76,013	24.66
महाराष्ट्र	307,713	47,476	15.43
मणिपुर	22,327	17,086	76.53
मेघालय	22,429	16,988	75.74
मिजोरम	21,081	18,684	88.63
नागालैंड	16,579	13,719	82.75
उड़ीसा	155,707	48,374	31.07
पंजाब	50,362	1,558	3.09
राजस्थान	342,239	15,850	4.63
सिक्किम	7,096	3,262	45.97
तमिलनाडु	130,058	23,044	17.72
त्रिपुरा	10,486	8,155	77.77
उत्तर प्रदेश	240,928	14,127	5.86
उत्तराखंड	53,483	24,442	45.7
पश्चिम बंगाल	88,752	12,413	13.99
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	6,629	80.36
चंडीगढ़	114	15	13.16
दादरा और नगर हवेली	491	221	45.01
दमन और दीव	112	8	7.14
लक्षद्वीप	32	25	78.13
पुडुचेरी	480	42	8.75
कुल	3,287,263	677,088	20.60

विवरण II

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एफसी में परिवर्तन	महत्वपूर्ण कारण
आंध्र प्रदेश	-40	ए.पी.एफ.डी.जी. द्वारा परिपक्व पौधों की कटाई
असम	-90	विद्रोहिता प्रभावित क्षेत्रों में गैर-कानूनी कटाई, अतिक्रमण, पहाड़ी राज्यों में झूम खेती
छत्तीसगढ़	-129	सबमर्जेन्स (चम्पी डैम, बिलासपुर) झूम खेती (भोजमठ क्षेत्र, बस्तर) गैर-कानूनी कटाई
गुजरात	-99	प्रोसोपिस-जुलीफ्लौरा (कच्छ जिले) में बड़े पैमाने अपरुटिंग
मध्य प्रदेश	-132	नर्मदा नदी (इंदिरा सागर, ओमकरेश्वरा, मदीखेड़ा) पर डैम के निर्माण की वजह से सबमर्जेन्स
महाराष्ट्र	-38	एफ.डी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर परिपक्व पेड़ों की कटाई
मणिपुर	-173	झूम खेती, बांस पुष्पण
नागालैंड	-296	झूम खेती, बांस पुष्पण
उत्तराखंड	-18	वन क्षेत्रों (हरिद्वार) में विस्थापित लोगों का पुनर्वास और सफेदे (उधमसिंह नगर) की रोटेशनल कटाई
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-178	सुनामी

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

*129. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी के संबंध में अब तक जारी और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धनराशि का उपयोग बजटीय आवंटनों और चल रही तैयारी के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खेलों की तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए जारी की गई तथा अभी तक उपयोग की गई राशि के विवरण निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	उद्देश्य	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1.	खेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रमंडल खेल आयोजक समिति	349.72	318.81
2.	खेल अवसंरचना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय	87.00	62.00
3.	खेल अवसंरचना के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया	3.00	2.36
4.	खेल अवसंरचना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण	608.68	550.00
5.	खेल अवसंरचना के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ	14.00	11.25
6.	टीमों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल परिसंघ	27.22	26.22

(ख) और (ग) उपर्युक्त संगठनों के लिए बजटीय आबंटन में से जारी की गई निधियां आवश्यकता के अनुरूप हैं।

(घ) आवश्यक नियामक सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, प्रतिस्पर्धा स्थलों तथा अधिकांश प्रशिक्षण स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा निर्बाध गति से जारी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वेब-आधारित मानीटरिंग प्रणाली के आधार पर अनुवीक्षण योग्य पैरामीटरों में से समय-सीमाओं का अनुवीक्षण किया जाता है। प्रमुख स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अपेक्षा की जाती है कि इन्हें खेलों के लिए समय पर पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में सम्मिलित अधिकांश खेल विधाओं के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोर संभावित की पहचान कर ली गई है। पर्याप्त वैज्ञानिक सहायता सहित 1200 प्रसिद्ध पदक संभावितों के उन्नत प्रशिक्षण दिए जाने की अपेक्षा है। इसके अलावा, खेल गांव का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से कराया जा रहा है, जिसमें 8000 एथलीटों व अधिकारियों को समायोजित किया जाएगा। दिल्ली की अवसंरचना भी स्तरोन्नत की जा रही है।

खिलाड़ियों का चयन

***130. डा. के. धनराजू:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न खेलों/खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में खेल प्राधिकारी स्वायत्तता बरतते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कोई विशेष प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) इन प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा उनके खेल का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों का प्राथमिक दायित्व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों/टीमों का विवेकपूर्ण चयन करना है जिसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। तथापि, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परिसंघ द्वारा चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रशिक्षक और प्रसिद्ध खिलाड़ी होंगे। सरकार प्रत्येक खेल विधा के लिए अपने प्रेक्षक भी नियुक्त करती है जो राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सभी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं जिनमें खिलाड़ियों/टीमों का चयन शामिल है और मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सर्वोत्तम संभावित खिलाड़ियों का चयन करने तथा सभी वर्गों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाने के लिए, सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए आधुनिक अवस्थापना संबंधी सहायता, सर्वोत्तम प्रशिक्षण सुविधाएं, वैज्ञानिक, तकनीकी और उपस्कर सहायता, तथा प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय एथलीटों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि तथा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण के अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए, भारत तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए तथा उपस्करों की खरीद के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन

***131. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शुरू किये गये कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में धीमी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस रोग से पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(च) इस संबंध में लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा देश में कुष्ठ के भार को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। पंजीकृत कुष्ठ रोगियों की संख्या मार्च, 1981 में 39,46,516 (57.60/10,000 जनसंख्या की व्याप्तता दर के साथ) से कम

होकर मार्च, 2008 में 87,206 (व्याप्तता दर 0.74/10,000) हो गई है। वर्ष 1981 एवं 2008 के दौरान तुलनात्मक राज्यवार व्याप्तता दर द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की प्रतिबिम्बित प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पता लगाए गए नए वार्षिक रोगियों की संख्या भी वर्ष 1981 में 4,82,000 से कम होकर 2007-08 में 1,37,685 हो गई है।

भारत ने जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 द्वारा यथानिर्धारित दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 रोगी से कम के रूप में परिभाषित है।

29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी कुष्ठ उन्मूलन की स्थिति हासिल कर ली है। केवल 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, चंडीगढ़ एवं दादरा और नगर हवेली द्वारा अभी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जाना है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना की समाप्ति पर कार्यक्रम की उपलब्धि की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए फरवरी-मई, 2005 के दौरान भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर), जयपुर द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया।

(घ) अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा एवं सरकार का उत्तर संलग्न विवरण-II में दिया गया है। मार्च, 2007 तक कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के तहत हासिल की गई मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए 2008 में एक और अध्ययन किया गया। अध्ययन का निष्कर्ष संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) कुष्ठ से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

(1) देश भर में कुष्ठ सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सरकारी अस्पतालों के जरिए सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

(2) सरकार के प्रयासों के जरिए कुष्ठ से ग्रस्त व्यक्तियों से भेदभाव करने वाले कुष्ठ रोगी अधिनियम को 1985 में निरस्त कर दिया गया था।

(3) नोडल एजेंसी के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न भेदभावमूलक अधिनियमों/कानूनों के संशोधन के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध मंत्रालयों के साथ उनके विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए मुद्दों को उठाया है।

(4) कुष्ठ से ग्रस्त व्यक्तियों में नि:शक्तता को ठीक करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेवाओं को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने वाले और अधिक केन्द्रों को शामिल करके तेज किया जा रहा है। दृश्यमान नि:शक्तता को ठीक करने से कुष्ठ से ग्रस्त व्यक्तियो के विरुद्ध सामाजिक कलंक एवं भेदभाव को कम करने में और सहायता मिलेगी।

(5) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यक्रम कार्यकलापों के अंतर्गत कलंक एवं भेदभाव को कम करने के लिए कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश दिए हैं।

(च) भारत सरकार ने सभी राज्यों में गहन सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान शुरू करके व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण सहित त्वरित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों को तेज कर दिया है। अभियान की विषय-वस्तु "कुष्ठ मुक्त भारत की ओर" है जिसका लक्ष्य कुष्ठ से ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कलंक एवं भेदभाव को और कम करना है।

लोक प्रचार-माध्यम, ग्रामीण एवं बाह्य प्रचार-माध्यम एवं हिमायती बैठकों द्वारा जागरूकता उत्पन्न की जाती है। रोग के संकेतों एवं लक्षणों, मुफ्त उपचार की उपलब्धता, रोग की पूर्ण साध्यता तथा शुरू में ही उपचार के महत्व को उजागर किया जाता है। इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि कुष्ठ किसी अन्य रोग की तरह है और कुष्ठ से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

विवरण I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में तुलनात्मक व्याप्तता दर द्वारा प्रदर्शित राज्यवार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1981	मार्च, 2008
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	117.20	0.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.90	0.41
3.	असम	7.50	0.38
4.	बिहार	54.30	1.04

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	–	2.34
6.	गोवा	45.90	0.76
7.	गुजरात	29.30	0.82
8.	हरियाणा	0.70	0.13
9.	हिमाचल प्रदेश	16.40	0.30
10.	झारखंड	–	1.11
11.	जम्मू-कश्मीर	8.30	0.17
12.	कर्नाटक	59.80	0.52
13.	केरल	29.50	0.23
14.	मध्य प्रदेश	23.00	0.68
15.	महाराष्ट्र	63.70	0.71
16.	मणिपुर	42.30	0.15
17.	मेघालय	45.50	0.05
18.	मिजोरम	20.40	0.17
19.	नागालैंड	64.90	0.25
20.	उड़ीसा	121.40	0.81
21.	पंजाब	11.90	0.33
22.	राजस्थान	2.90	0.19
23.	सिक्किम	50.00	0.40
24.	तमिलनाडु	151.40	0.55
25.	त्रिपुरा	48.80	0.18
26.	उत्तर प्रदेश	37.90	0.94
27.	उत्तराखंड	–	0.56
28.	पश्चिम बंगाल	78.80	1.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52.60	0.57
30.	चंडीगढ़	45.40	1.23
31.	दादरा और नगर हवेली	20.20	1.88
32.	दमन और दीव	45.90	0.05
33.	दिल्ली	4.50	0.67
34.	लक्षद्वीप	250.00	0.15
35.	पुडुचेरी	125.00	0.22
	कुल	57.60	0.74

विवरण II

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना की समाप्ति पर कार्यक्रम की उपलब्धि की स्थिति का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन फरवरी-मई, 2005 के दौरान कराया। यह अध्ययन स्थानिकमारी वाले 13 विभिन्न राज्यों में कराया गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् हैं

पीआर मार्च, 2001 में 3.74 से घटकर दिसम्बर, 2004 में 1.99 रह गया, इससे 47 प्रतिशत की गिरवाट हुई और वार्षिक नई रोग पहचान दर 5.6 से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई (45 प्रतिशत की घटत)। एमबी अनुपात प्राय: सभी राज्यों में बढ़ गया और नए मामलों में महिला प्रतिशतता 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गई। बाल प्रतिशतता मार्च, 2001 में 2.24 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटकर दिसम्बर, 2004 में 1.5 प्रतिशत रह गई।

निदान के बीच विलंब 8 महीनों से घटकर, 5 महीने रह गया। 80 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं का एकीकरण पूरा हो गया है किन्तु एकीकरण की प्रक्रिया शहरी इलाकों में मंद थी। सरलीकृत सूचना पद्धति दिशानिर्देश को छोड़कर सभी अन्य सरलीकृत सूचना पद्धति के प्रारूप अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध पाए गए। एमडीटी सेवाओं की गुणता अत्यंत संतोषप्रद पाई गई। समग्र एमबी रोगमुक्ति दर 88 प्रतिशत थी और पीवी रोगमुक्ति दर 94 प्रतिशत थी। लगभग 80 प्रतिशत सामान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ विषयक प्रशिक्षण पाया।

जागरूकता का स्तर अधिक था, परंतु कमोबेश स्थिर था। सूचना, शिक्षा, संचार बहुत अधिक जोखिम केन्द्रिक एवं अल्प समुदाय केंद्रिक था। भारत सरकार तथा गैर-सरकारी संगठन की साझेदारी एकीकरण के गत्यावरोध को कमजोर करने में अत्यंत उपयोगी थी।

सुझाई गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार थीं

(क) आंतरिक अनुवीक्षण तंत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए (ख) आरएफटी मामलों, रोगियों, उनके पारिवारिक सदस्यों को परामर्श देने पर जोर देने की जरूरत है (ग) सामुदायिक जागरूकता फैलाने के लिए अधिक स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों को पहचान करके उन्हें अंत: वैयक्तिक संप्रेषण में जुट जाना चाहिए (घ) सूचना, शिक्षा, संचार संदेशों का लक्ष्य समुदाय के अल्प स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में होना चाहिए (ङ) जिला तकनीकी सहायता दलों को डिस्ट्रिक्ट न्युक्लियस टीम के क्षमता निर्माण पर गहन रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

दूसरी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना आईआईएचएमआर, जयपुर के समापन पर स्वतंत्र अनुवीक्षण निष्पादन सर्वेक्षण

	मार्च, 2001	दिसम्बर, 2004	% परिवर्तन
पीआर	4.22	2.24	-46.90
एएनसीडीआर	5.60	3.10	-45.20
पीडी अनुपात	0.76	0.73	-3.95
एमडी %	33.79	38.88	+15.06
महिला %	35.53	36.20	+1.80
बाल %	18.54	13.94	-24.80
अपंगता %	2.24	1.50	-33.00
निदान में मध्यवर्ती विलंब (महीनों में)	8	5	-37.50

* एमडीटी सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकरण > सुविधाओं का 80%
* प्रशिक्षण-80% सामान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ पर प्रशिक्षण लिया।
* एमबी-रोग मुक्ति दर-87.9%
* पीबी रोग मुक्ति दर 94%

भारत सरकार ने कार्यक्रम के मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की है-

* जिला कुष्ठ रोग अधिकारी के नेतृत्व में जिला संकेन्द्रक की स्थापना करते हुए कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण।
* सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के जरिए कार्यक्रम क्रियान्वयन में जिला संकेन्द्रक समूहों को शामिल करना।
* सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को कुष्ठ रोग में प्रशिक्षण देना।
* रेफर सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
* उच्च स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में ब्लाक एवं शहरी आधारित कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान सहित आवश्यकता आधारित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप।

विवरण III

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम-2008 का स्वतंत्र मूल्यांकन

यह अध्ययन भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर द्वारा मार्च, 2007 तक कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत प्राप्त की गई मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। यह अध्ययन 19 राज्यों में किया गया था। संस्थान ने अध्ययन रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की।

अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:-

(1) कुष्ठ रोग कार्यक्रम के सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकरण करने से मार्च, 2007 के अंत तक व्याप्ति दर 0.72/10,000 जनसंख्या में कमी आई है। उच्च व्याप्ति दर वाले राज्यों को भी नए मामला जांच में उच्च श्रेणी में रखा गया।

(2) लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधाएं कुष्ट रोग नैदानिक एवं उपचार सेवाएं प्रदान कर रही थीं।

(3) एमबी मामलों में व्यतिक्रमी दर 12.8 प्रतिशत और पीबी मामलों में 6.7 प्रतिशत थी।

(4) चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और असम ने दृश्यमान विरूपता के उच्चतर प्रतिशत की सूचना दी है। दृश्यमान विरूपता को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों में निदान में विलम्ब, डाक्टरों के ज्ञान एवं कुशलता में कमी तथा मामलों के गलत निदान पाए गए।

(5) तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब ने गलत निदान के उच्चतर प्रतिशत की सूचना दी है।

(6) 92 प्रतिशत रोगियों को एम.डी.टी. सेवा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

(7) जिला स्तर पर एम.डी.टी. भंडारण अच्छा था, तथापि राज्य स्तर पर यह संतोषजनक नहीं पाया गया। औसत बफर स्टाक रोगी माह एम.बी. (ए.)-1.55, पी.बी. (ए.)-1.25, एम.बी. (सी.)-0.54 तथा पी.बी. (सी.)-0.49 था।

(8) अधिकतर सुविधाओं ने आंकड़ों की सूचना के लिए एस.आई.एस. प्रपत्र का प्रयोग किया। तथापि, सी.एल.डी. के रिकार्ड की तुलना में राज्यों द्वारा पी.आर. तथा ए.एन.सी.डी.आर. की सूचना देने में मामूली अंतर था।

(9) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपचार की शीर्ष प्रक्रिया में कमी आई है और सामाजिक जुटाव, क्षमता निर्माण, पुनर्वास की और सघन भूमिका देखी गई। तथापि, स्थानीय-स्तर के गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी पर्याप्त नहीं थी।

(10) कुष्ठ रोग के प्राथमिक लक्षणों, उसकी साध्यता एवं निःशुल्क एम.डी.टी. की उपलब्धता के बारे में सामुदायिक जागरूकता स्पष्ट रूप से सही थी। तथापि, कुछ राज्यों में रोग के प्रति सामुदायिक समझ (बोध) में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं था।

इस अध्ययन से राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य-कलापों को और भी सुप्रवाही बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर समुचित कार्रवाई करेगी।

स्वास्थ्य परिचर्या बीमा

*132. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में स्वास्थ्य परिचर्या बीमा के क्षेत्र में प्रगति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारत में स्वास्थ्य प्रीमियम बीमा में वर्ष 2001-02 से 2007-08 के बीच लगभग 700 करोड़ रुपए से 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है जो इस अवधि में 39% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है। चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2008-09 के पूर्वार्द्ध के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की तुलना में 47% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संतुलित विकास दर

*133. **श्री अनवर हुसैन:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानित विकास दर की तुलना में वास्तविक विकास दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूरे देश में संतुलित रूप से विकास दर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध कारक मूल्यों (वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों) पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) द्वारा मापित वास्तविक विकास दर वर्ष 2005-06 में 9.5%, वर्ष 2006-07 में 9.7% और 2007-08 में 9% है। तीन वर्षों 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए उपलब्ध वास्तविक विकास दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विकास दर का अनुमान लगाता है, न कि वार्षिक आधार पर। दसवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 2002-03 से 2006-07 थी, के लिए प्रतिवर्ष 7.9% विकास लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 2007-08 से 2011-2012 है, के लिए अनुमानित विकास लक्ष्य प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत है।

(ख) सरकार देशभर में संतुलित रूप से विकास दर में सुधार करने के लिए अनेकों कदम उठाती रही है। इस संबंध में नीतिगत उपायों के अंतर्गत कम विकसित राज्यों के पक्ष में केन्द्र को योजना एवं गैर-योजनागत संसाधनों का अंतरण, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना के लिए कर प्रोत्साहन आदि, शामिल हैं। राज्यों के बीच आय असमानता कम करने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों

में शामिल हैं: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।

विवरण

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक विकास दर (%)

(वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6.96	8.72	8.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.46	-4.86	12.69
3.	असम	3.74	4.94	6.97
4.	बिहार	11.32	2.79	20.27
5.	झारखंड	15.21	2.58	9.95
6.	गोवा	10.19	9.93	11.96
7.	गुजरात	8.88	11.18	9.17
8.	हरियाणा	9.06	9.15	11.44
9.	हिमाचल प्रदेश	7.56	8.54	9.20
10.	जम्मू-कश्मीर	5.23	6.17	6.25
11.	कर्नाटक	8.05	7.45	6.23
12.	केरल	9.97	9.17	11.10
13.	मध्य प्रदेश	3.62	4.23	4.20
14.	छत्तीसगढ़	6.62	10.33	12.38
15.	महाराष्ट्र	8.21	9.29	9.69
16.	मणिपुर	9.70	3.95	5.24
17.	मेघालय	7.11	6.08	5.34
18.	मिजोरम	4.15	7.10	7.54
19.	नागालैंड	6.65	5.22	एन.ए.
20.	उड़ीसा	12.61	6.35	9.35
21.	पंजाब	5.20	5.54	6.32
22.	राजस्थान	-1.85	6.71	7.17
23.	सिक्किम	7.72	8.94	8.00
24.	तमिलनाडु	11.45	9.39	9.36
25.	त्रिपुरा	8.14	9.09	8.43
26.	उत्तर प्रदेश	4.22	5.64	7.52
27.	उत्तराखंड	12.99	6.42	10.40
28.	पश्चिम बंगाल	6.72	7.49	8.86
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.69	8.77	एन.ए.
30.	चंडीगढ़	10.30	11.38	11.67
31.	दिल्ली	10.68	8.64	11.98
32.	पुडुचेरी	-10.73	6.21	7.43

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

***134. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों में विचार किए गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) योजना आयोग ने अब तक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों की जांच की है:

1. पुस्तकालय, 2. अनुवाद, 3. स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, 4. एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, 5. पोर्टल, 6. शिक्षा का

अधिकार, 7. आईआरएएचई, 8. चिकित्सा शिक्षा, 9. उच्चतर शिक्षा, 10. व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, 11. ई-अभिशासन, 12. विधिक शिक्षा, 13. मुक्त व दूरवर्ती शिक्षा, 14. मुक्त शैक्षिक संसाधन, 15. प्रबंधन शिक्षा, 16. स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, 17. राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, 18. सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संबंधी कानूनी ढांचा, 19. बौद्धिक सम्पदा अधिकार, 20. पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली, 21. स्कूली-शिक्षा, 22. प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान तथा गणित की ओर आकर्षित करना, 23. नवीनताएं, 24. अधिक गुणवत्ता युक्त पीएचडी(ज) को आकर्षित करना, 25. इंजीनियरिंग शिक्षा।

योजना आयोग ने एनकेसी की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दो अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें (7.2.2008 और 15.4.2008) कराई थीं।

एनकेसी की सिफारिशों पर आयोग में की-गई-कार्रवाई पर 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।

विवरण

योजना आयोग

शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

31.12.2008 के अनुसार अद्यतन स्थिति

1. पुस्तकालय

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना
* सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना कराना
* सभी पुस्तकालयों में आईसीटी एप्लीकेशन का संवर्धन
* पुस्तकालय सेवा सूचनाओं में पुनरुद्धार एवं पीपीपी को प्रोत्साहित करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। ईएफसी मेमो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संशोधन अधीन है और इसे सीमित करते हुए 11वीं योजना में इसके लिए रुपए 180 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन केवल पुस्तकालयों को ही व्याप्ति में लेगा। परियोजना/मिशन 2008-09 से 2013 तक की चार वर्ष की अवधि को कवर करेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की गतिविधियों में शामिल है: पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना, डीओसी के तहत पुस्तकालयों की नेटवर्किंग सहित उनका आधुनिकीकरण, ज्ञान केन्द्र स्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना।

2. अनुवाद

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* उच्च गुणवत्ता के अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं और साहित्य का प्रसार करना।
* एक उद्योग के रूप में अनुवाद को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना।
* भारतीय भाषाओं सहित अनुवाद के सभी पहलुओं के बारे में सूचनाओं का स्टोर हाउस स्थापित करना।
* अनुवाद के लिए विभिन्न उपस्कर सृजित करना एवं उनका अनुरक्षण करना, इसमें मशीनी अनुवाद भी शामिल है।
* अनुवाद के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध करवाना।
* सभी स्तरों पर अनुवाद की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाना।
* इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और वैब पोर्टल स्थापित करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) का अनुमोदन कर दिया गया है। 11वीं योजना के लिए इस मिशन हेतु रुपए 75 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। सीआईआईएल, मैसूर इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत परियोजना सलाहकार समिति विस्तृत ब्यौरे तैयार कर रही है।

3. स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* कक्षा 1 से अंग्रेजी शुरू करना और पाठ्यक्रम में सुधार करना, अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित करना और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए मल्टी मीडिया का उपयोग करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

25 राज्यों ने पहले से ही कक्षा 1 से अंग्रेजी विषय की शुरूआत कर दी है। एनसीईआरटी और सीआईईएफएल की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय उचित पाठ्यक्रम, सामग्री और अंग्रेजी की दक्षता के साथ अध्यापकों के प्रशिक्षण की स्थिति विकसित करते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण का मार्गदर्शन कर रहा है।

4. एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (आईएनकेएन)

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

प्रस्ताव है कि इलैक्ट्रोनिक, डिजिटल ब्राड-बैंड नेटवर्क की समुचित क्षमताओं के साथ पूरे देश में ज्ञान के सभी संस्थानों को पारस्परिक रूप से जोड़ा जाए, ताकि संसाधनों और सहयोजित अनुसंधान की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा सके।

कुछ विशिष्ट सिफारिशें

* सभी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कृषि संस्थानों को जोड़ा जाए, ताकि पूरे देश में समयबद्ध तरीके से आंकड़ों और संसाधनों का लाभ उठाते हुए गीगाबाइट क्षमताओं के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क निर्मित किया जा सके। कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है और प्रथम चरण के अंतर्गत 500 से 1000 मोड्स का लक्ष्य रखा जा सकता है।

* उपभोक्ता संस्थानों को एकमुश्त पूंजी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे फास्ट एथर्नेट लैण्ड्स तैयार कर सकें और ग्रिड पर उन्हें हुक करने में सफल हो सकें।

* विशेषज्ञों का एक विशेष कार्यसमूह तैयार किए जाए ताकि वह विनिर्दिष्टों, योजनाओं के कार्यान्वयन, लागत अनुमान, नेटवर्क योजनाओं, नेटवर्क के प्रापण और कमीशनिंग के संबंध में वास्तविक कार्य करने के लिए अंतिम रूप दे सकें।

* विशिष्ट उद्देश्य व्हीकल (एसपीवी) तैयार करना जिसमें प्रमुख पणधारकों द्वारा दैनिक कार्य का प्रबंधन किया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

2008-09 के लिए आईएनकेएन के लिए रुपए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है, ताकि संसाधनों और अनुसंधान की सहभागिता के लिए ज्ञान संस्थाओं को पारस्परिक रूप से गीगाबाइट क्षमताओं के साथ जोड़ा जा सके। **डीआईटी में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अलग-अलग समितियां कंटेन्ट विकास के बारे में अपने-अपने एप्लीकेशन क्षेत्रों के लिए कार्य करेंगे ताकि एनकेएन में उनका सदुपयोग हो सके।** (डीआईटी के अधीन) एनआईसी एनकेएन का प्रमुख कार्यान्वयन करता होगा। नेटवर्क को दो चरणों में प्रचालन में लाया जाएगा। आरम्भ में कोर और वितरण नेटवर्क में 1000 नोड्स को गीगाबाइट क्षमता के साथ कवर किया जाएगा। इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा सकेगा और इसकी व्याप्ति में 10 हजार/नोड्स/संस्थान विकसित किए जा सकेंगे। **मौजूदा वर्ष में डीआईटी में उच्च स्तरीय समिति की 3 बैठकें क्रमशः मई, जुलाई और नवम्बर, 2008 में हो चुकी हैं और अभी इस प्रस्ताव की पुष्टि होने वाली है।** इसके बाद ईएफसी द्वारा इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा।

5. पोर्टल्स

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* कुछ प्रमुख क्षेत्रकों जैसे जल, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिक अधिकार आदि के बारे में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय वैब आधारित पोर्टल्स का सृजन।

* क्षेत्रकों से पणधारियों के व्यापक दायरे से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कंशोरटियम बनाया जाए और इस पर उनका ही स्वामित्व हो और पोर्टल का प्रबंधन भी उन्हीं के द्वारा किया जाए।

* सरकार द्वारा अनुरक्षित आंकड़े सुलभ कराना।

* संयोजित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

एनकेसी ने 4 पोर्टल्स स्थापित करवाए हैं: एक पोर्टल जल (indiawaterportal.org) पर होगा, जिसे आरगियम ट्रस्ट द्वारा

कैम्पियन किया गया है, एक पोर्टल ऊर्जा (Indiaenergyportal.org) पर है जिसे ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टीईआरआई) द्वारा कैम्पियन किया गया है। पर्यावरण संबंधी पोर्टल (indiaenvironmentportal.org.in) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा कैम्पियन किया गया है और अध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल (teachersofindia.org) अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा कैम्पियन किया गया है। जैव विविधता से संबंधित पोर्टल अशोक ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है जो प्रकृति तंत्र और पर्यावरण (एटीआरईई) के लिए होगा, इसे दिसम्बर में शुरू किया जाएगा।

योजना आयोग ने अपनी पूर्ववर्ती समीक्षाओं के माध्यम से निम्नलिखित सुझाव दिए हैं- प्रत्येक मंत्रालय को अपना निजी पोर्टल/वैब साईट inviagov.in के तहत एनआईसी (डीआईटी) के मार्गदर्शन में तैयार करनी चाहिए, जिसने पोर्टल्स के लिए मानक और सुरक्षा के दिशानिर्देश विकसित किए हैं।

6. शिक्षा के अधिकार का बिल

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदम।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बिल को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

7. उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (आईआरएएचई)

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

* आईआरएएचई, एक समग्र निकाय स्थापित करना, जो संस्थानों में प्रवेश के संबंध में मानदण्ड तैयार करने एवं निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगी।

* उच्चतर शिक्षा के नए संस्थानों, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, दूरस्थ/पत्राचार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों, विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णय आईआरएएचई द्वारा लिया जाएगा।

* एआईसीटीई, एमसीआई, बीसीआई के प्रवेश नियामक कार्यों का निष्पादन आईआरएएचई द्वारा किया जाएगा, ताकि उनकी भूमिका व्यावसायिक संघों तक ही सीमित रह सके।

* यूजीसी की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाएगा ताकि उच्चतर शिक्षा में सार्वजनिक संस्थानों के संबंध में अनुदानों के संवितरण एवं अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रण किया जा सके।

* एमसीआई मात्र एक व्यावसायिक संघ के रूप में कार्य करेगी, जिसके पास व्यवसाय से जुड़ने वालों के लिए परीक्षाओं के संचालन और उन्हें अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

* मात्र आईआरएएचई ही एक ऐसी प्राधिकृत एजेंसी होगी जिसके पास उच्चतर शिक्षा संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए सहमति देने का अधिकार होगा।

* मानकों और विवादों के निबटारे के लिए आईआरएएचई जिम्मेदार होगी।

* शिक्षा में गुणवत्ता, मानकों और प्रमाणन के अनुरक्षण के लिए आईआरएएचई ही जिम्मेदार होगी।

* आईआरएएचई की स्वायत्त स्थायी समिति विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की देखरेख करेगी।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

यूजीसी/एआईसीटीई पुनर्विलोकन समिति, जिसे अब उच्च शिक्षा नवीकरण समिति के नाम से जाना जाता है, उच्च शिक्षा के लिए विनियामक ढांचे की जांच कर रही है।

8. चिकित्सा शिक्षा

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की सिफारिशें

* स्ववित्तपोषित चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मात्र एक अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।

* कौशल एवं ज्ञान का राष्ट्रीय स्तर पर आंकलन करने के लिए साढ़े चार वर्षों के अध्ययन के अंत में एक स्वतंत्र एवं मानकीकृत राष्ट्रीय एक्सिट (ईएक्सआईटी) परीक्षा।

* पीजी में नामांकन राष्ट्रीय एक्सिट परीक्षा में प्राप्त क्रेडिट के आधार पर किया जाए।

* नर्सिंग स्टाफ के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाए। प्रत्येक जिला अस्पताल के साथ नर्सिंग में डिप्लोमा प्रदान करने वाला स्कूल भी चलाया जाए।

* कम्प्यूटर, प्रयोगशाला तकनिशियनों और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे अर्द्धचिकित्सीय गुणों का परीक्षण करने के लिए अर्द्धचिकित्सा परिषद की स्थापना की जाए।

* फार्मेसी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

* आशा को एक सुविधाजनक एवं कारगर स्वास्थ्य कर्मी समझा जाना चाहिए। उनकी प्रशिक्षण कार्य स्थितियों और वेतन में सुधार किया जाना चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

एमओएचएफडब्ल्यू ने बताया है कि शीर्ष स्तर पर, चिकित्सा शिक्षा का विनियमन एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर, आईएमसी अधिनियम में समुचित रूप से सुधार किया जाएगा तथा एनकेसी के विचारों को समायोजित करने के लिए एमसीआई के कार्यों में सुधार किया जाएगा। सभी शैक्षिक संस्थाओं में एक रूपता एवं उच्च मानक हासिल करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्शदात्री समूह स्थापित किया जा सकता है। निजी चिकित्सा संस्थाओं में फीस एवं नामांकन के विनियमन के लिए एक केंद्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर एमओएचएफडब्ल्यू विचार कर रहा है। शिक्षक पात्रता योग्यताओं आदि सहित यूजी/पीजी चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं से संबंधित विनियमों में समुचित संशोधन करने के लिए विचार किया जा रहा है।

9. उच्च शिक्षा

एनकेसी की सिफारिशें

एनकेसी ने उच्च शिक्षा के विस्तार, उसकी श्रेष्ठता और सुलभता के लिए श्रृंखलाबद्ध पहल करने का प्रस्ताव रखा है जिसके विनियमन, प्रत्यायन, शासन, पाठ्यचर्या, अनुसंधान, संकाय विकास, वित्तपोषण, संपदा प्रबंधन, सकारात्मक कार्रवाई शामिल है।

कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं:-

* वर्ष 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत तक (जीईआर) के लिए 1500 विश्वविद्यालयों का सृजन करना।

* सरकारी व्यय बढ़ाना; फीस, भू-उपयोग, लोकोपकारी अंशदान और निजी निवेश के माध्यम से निधियां बढ़ाने वाले वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना।

* अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के विषयों में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले 50 उत्कृष्ट राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।

* विश्वविद्यालयों में सुधार करना: पाठ्यचर्या संशोधन, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली, आंतरिक मूल्यांकन, शासन, जवाबदेही आदि।

* सम्बद्ध पूर्वस्नातक महाविद्यालयों की प्रणाली की पुनर्संरचना-स्वायत्तता की समस्या।

* संकाय विकास, वेतन भिन्नताओं और अनुसंधान संवर्धन के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना।

* सुवित्तपोषित छात्रवृत्तियों के माध्यम से सभी योग्य विद्यार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करना और सकारात्मक कार्रवाई जिसमें वंचना के विविध आयामों को ध्यान में रखा जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

सुधार के संबंध में यूजीसी और डीएचई द्वारा विविध समितियां गठित की गई हैं जिनमें एक यूजीसी/एआईसीटीई पुनर्विलोकन समिति है जिसे अब उच्च शिक्षा नवीकरण समिति नाम दिया गया है। इन समितियों की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

10. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी)

* एनकेसी की सिफारिश: वीईटी का व्यापक विस्तार, पुनर्विन्यास और गुणवत्ता वृद्धि।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

जुलाई 2008 में एक तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है जिसमें (क) राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद, (ख) राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम, और (ग) राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड शामिल है।

(क) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद का कार्य दक्षता विकास। बढ़ाने के लिए नीतिगत लक्ष्य, कार्यनीतियां, निधीकरण एवं शासन माडल निर्धारित करना।

(ख) राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीतियों का उल्लेख करेगा। यह देश की दक्षता विकास की आवश्यकताओं के वृहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश एवं अनुदेश विकसित करेगा तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपयुक्त व्यावहारिक समाधान करेगा और कार्यनीतियां बनाएगा।

(ग) इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम संस्थानीकरण उपायों की एक पद्धति विकसित करेगा।

11. ई-गवर्नेंस

एनकेसी की सिफारिशें

पहलों का एक सेट जो यह सुनिश्चित कर सके कि सरकार नागरिकों की सेवाओं में आईसीटी का अधिकतम एवं प्रभावशाली तरीके से उपयोग करे।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

इस योजना में एसडब्ल्यूएएन (स्वान), सीएससी और राज्य डाटा केन्द्र जैसी केन्द्रीय अवसंरचना बनाने का विचार किया गया है। एनईजीपी पहलों के पालन के संदर्भ में डीआईटी की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

अब तक 26 राज्यों के लिए एसडीसी अनुमोदित किया गया है (प्रथम वर्ष के लिए डीआईटी शेयर का 50% जारी कर दिया गया है)

अनुमोदित सीएससी स्कीम के तहत भारत भर में 100000+सीएससी (प्रति 6 गांवों के लिए 1 सीएससी की दर से) स्थापित करने पर विचार किया गया है- अब तक 20,558 सीएससी पूरे किए गए हैं। अन्य 250968 सीएससी को पूरी करने की प्रक्रिया शुरू है।

12. विधिक शिक्षा

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

विनियम, पाठ्यक्रम, परीक्षा अनुसंधान, संकाय विकास आदि को कवर करते हुए एक सुधार पैकेज। कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं: विधिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए आईआरएएचई की स्थापना, कोर और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों तथा फीस के स्तर का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय विधिक स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करना, विधि शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र रेटिंग प्रणाली, विधिक शिक्षा में नवीनतम अनुसंधान हेतु चार क्षेत्रों की सीएएलएसएआर की स्थापना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सिद्धांत रूप से निम्नलिखित का अनुमोदन कर दिया है: आईआरएएचई के अंतर्गत विधि शिक्षा संबंधी स्थायी समिति तथा तदुपरांत बीसीआई की भूमिका में परिवर्तन, पाठ्यक्रम विकास, विधि स्कूलों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान परम्परा विकसित करना।

एमएचआरडी आईआरएएचई एवं इसके उन विचारों का समर्थन नहीं करता है और उसका विचार है कि व्यावसायिक परिषदों (एमसीआई, बीसीआई, एआईसीटीई, डीसीआई आदि) को उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के स्तर के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। बीसीआई की भूमिका को पुन: परिभाषित किया जा सकता है- बीसीआई से प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस देने हेतु परीक्षा लेने के लिए कहा जा सकता है।

अहमदाबाद, कोलकाता, जोधपुर, भोपाल, बंगलौर, हैदराबाद और रायपुर में स्थापित 7 राष्ट्रीय विधि स्कूल यूजीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समतुल्य विश्वविद्यालय है।

इन राष्ट्रीय विधि स्कूलों और अन्य विधि संस्थानों को अपना पाठ्यक्रम तैयार करने में पहले से ही स्वायत्तता प्राप्त है। बार काउन्सिल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या न्यूनतम निर्धारित अपेक्षा है, जिसे पूरा किया जाना है। बीसीआई द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या से अतिरिक्त के लिए प्रत्येक स्कूल स्वतंत्र है। यूजीसी समिति विधि सहित विभिन्न विषयों के लिए माडल पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है।

एमएचआरडी, सीएएलएसएआर की स्थापना का समर्थन नहीं करता है "क्योंकि इससे अनुसंधान अभियान एवं विश्वविद्यालय प्रणाली के बीच कड़ी टूट सकती है। इसके बजाय राष्ट्रीय विधि स्कूलों को स्नातक पूर्व शिक्षण के अतिरिक्त एलएलएम और अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सीएएलएसएआर की अवधारणा युक्तिसंगत नहीं हो सकती है क्योंकि अधिक से अधिक यह प्रत्येक राष्ट्रीय विधि स्कूलों अथवा विश्वविद्यालयों से कुछ ही विधि अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित कर सकता है, परिणामत: अनुसंधान परिवेश के अलग-अलग व्याप्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय प्रणाली में व्याप्त उत्साह को प्रभावित कर सकता है" इसके अतिरिक्त एमएचआरडी का यह विचार है कि वर्तमान भारतीय विधि संस्थानों (आईएलआई) को सुदृढ़ किया जा सकता है क्योंकि यह उन्हीं कार्यों का निष्पादन करता है जो प्रस्तावित सीएएलएसएसआर के हैं। उत्तरी क्षेत्र के लिए मनेसर (गुड़गांव) में सीएएलएएआर स्थापित करने का प्रस्ताव विधि मामले विभाग द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया। विभाग को ग्यारहवीं योजना में सीएएलएसएआर स्कीम हेतु बजट प्रावधान करने के लिए सलाह दी गई है।

13. मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा (ओडीई)

एनकेसी की सिफारिशें

विनियम, गुणवत्ता, आईसीटी का प्रयोग, मुक्त पाठ्यक्रम, परम्परागत विश्वविद्यालयों के साथ अभिसरण आदि को कवर करते हुए पहलों का एक पैकेज।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

* ओडीएल प्रणाली, जिसमें इग्नू, 13 एसओयू और 119 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान शामिल हैं, का हाल के वर्षों में व्यापक विस्तार हुआ है। जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार इग्नू में छात्रों का संचयी नामांकन 1.48 मिलियन से अधिक है। इग्नू की छात्र सहायता प्रणाली नेटवर्क में 60 क्षेत्रीय केन्द्र, 7 उप-क्षेत्रीय केन्द्र और 1409 अध्ययन केन्द्र शामिल हैं।

* इग्नू के नए कार्यकलापों का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया गया है नामत: (1) इग्नू-दक्षता विकास कार्यक्रम, (2) नए सामुदायिक कालेज-आईसीसी के माध्यम से दक्षता विकास।

* स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में संसद के अधिनियम के अंतर्गत डीईसी की स्थापना हेतु प्रस्ताव को जीओएम के पास भेज दिया गया है।

14. मुक्त शैक्षिक संसाधन (ओईआर)

एनकेसी की सिफारिशें

विकास तथा मुक्त शैक्षिक संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कई पहलें।

कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं:

* चयनित भारतीय संस्थानों द्वारा गुणवत्ता विषय तैयार करने में सहायता

* वैश्विक मुक्त शैक्षिक संसाधनों को लिवरेज

* मुक्त पहुंच को बढ़ावा

* ओईआर के माध्यम से विस्तारित पहुंच और सुधरी हुई गुणवत्ता के लाभ की उपलब्धि के लिए संकाय व संस्थागत विकास कार्यक्रम का सृजन

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

15. प्रबन्धन शिक्षा

एनकेसी की सिफारिशें

विनियमन, गुणवत्ता, प्रत्यायन और रेटिंग, गुणवत्ता अभिशासन, पहुंच, सामाजिक प्रासंगिकता आदि को कवर करते हुए एक सुधार पैकेज।

कुछ विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

* तेजी से बढ़ती हुई निजी प्रबन्धन शैक्षिक संस्थाओं (एमईईज) ने बाजार के बेहतर रूप से कार्य करने और छात्रों और नियोक्ताओं को विभिन्न एमईईज की तुलना में समर्थ बनाने में सहायता करने के लिए एक विश्वसनीय रेटिंग प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है।

* द्वि-चरणीय रेटिंग प्रक्रिया की सिफारिश की गई।

* सीआरएसआईएल और आईसीआरए जैसे विशेषज्ञों के साथ ग्रेडिंग मानक स्थापित किए जाने चाहिए।

* प्रबंधन अध्ययनों के दायरे का विस्तार करना, सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिकता को बढ़ाना।

* परामर्श देना-उत्कृष्टता की उपलब्धि के लिए अग्रणी प्रबंधन संस्थानों को अनिवार्यत: 3-5 एमईईज को अपनाना चाहिए।

* संकाय विकास को बढ़ावा देना।

* अभिशासन: सभी एमईईज के गवर्नर बोर्ड में 50 प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

16. स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क

एनकेसी की सिफारिशें

स्वास्थ्य सेवाओं में आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देना जैसे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक दोनों में स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं को जोड़ना, क्लीनिकल पारिभाषिक शब्दावली और स्वास्थ्य/सूचना विज्ञान के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और सामान्य इलैक्ट्रानिक स्वास्थ्य रिकार्ड का सृजन करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत समिति गठित की गई है। डीआईटी, डीओटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का समिति में प्रतिनिधित्व है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

17. राष्ट्रीय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान फाउन्डेशन (एनएस 3 एफ)

एनकेसी की सिफारिशें

* एक स्वच्छ तत्व के रूप में ज्ञान पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान फाउन्डेशन स्थापित करना।

* फाउंडेशन भारत को ज्ञान के सृजन और उपयोग में अगुआ बनाने के लिए नीतिगत पहलों का सुझाव देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग लोगों के जीवन की बेहतरी और देश में वैज्ञानिक माहौल विकसित करने के लिए किया जाता है।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह विचार है कि एनएस 3 एफ की आवश्यकता नहीं है। आरएण्डडी कार्यकलापों में विभिन्न सरकारी और निजी संस्थान संलग्न हैं जैसे कि आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, आदि। अम्ब्रेला एनएस 3एफ उनकी स्वयात्तता पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त, उभर रहे क्षेत्रों में अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों जैसे कि आईआईटीज की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगेगा।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग सामान्यत: राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के साथ अतिरिक्त प्रयास किए बिना इस फाउन्डेशन को सहायता प्रदान करता है (उल्लेख किया जाता है कि "विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विधेयक 2008" संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है)।

डीबीटी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

18. सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संबंधी विधिक ढांचा

एनकेसी की सिफारिशें

वाणिज्यीकरण हेतु समर्थकारी वातावरण के सृजन के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान से होने वाले आविष्कारों पर विश्वविद्यालयों व अनुसंधान संस्थानों को स्वामित्व और पेटेन्ट अधिकार देने के लिए विधान।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

इस विषय पर मसौदा विधेयक का योजना आयोग द्वारा समर्थन किया गया।

19. बौद्धिक सम्पदा अधिकार

एनकेसी की सिफारिशें

अवसंरचना, एचआरडी और प्रक्रियाओं को कवर करते हुए विश्व श्रेणी की आईपीआर अवसंरचना के सृजन के प्रयासों को बढ़ाने के लिए पैकज।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

* पारदर्शिता व सुलभता (पणधारी भागीदारी सहित) आईपी कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर संगत अधिनियम, नियम, मैनुअल आदि डाल दिए हैं। इन सामग्रियों को प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

* राष्ट्रीय पेटेन्ट डाटाबेस को सभी निर्णयों, अनुप्रयोगों आदि को (सम्पूर्ण दावों व विशिष्टताओं सहित) आन लाइन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सभी पेटेन्ट रिकार्डों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 45000 पेटेन्ट रिकार्ड पहले से ही आईपीओ वैबसाइट पर हैं।

* राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम) नागपुर में स्थापित किया जाना है।

* आईपीआर के सभी पहलुओं संबंधी आईपीआर प्राधिकरण। ट्रेड मार्क, भौगोलिक संकेतकों और पेटेन्टों के लिए एक आईपी अपीलीय प्राधिकरण पहले से स्थापित कर दिया गया है। डिजाइनों तक बोर्ड के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए डिजाइन अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है जो विचाराधीन है।

* पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए अद्वितीय विधान जारी करना। डीआईपीपी मामले की जांच कर रहा है। अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मुद्दे पर एक नोट आयुष विभाग को भिजवाया जाए तथा उसकी प्रति योजना आयोग को भिजवाई जाए।

* पेटेन्ट कार्यालय ने पहले से ही पारंपरिक ज्ञान डिजीटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) तक पहुंच की अनुमति के लिए आयुष विभाग को अनुरोध किया है। आयुष विभाग ने उल्लेख किया है कि एक बार यूएसपीटी और ईपीओ के साथ समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही वे पेटेन्ट कार्यालय को टीकेडीएल तक पहुंच मुहैया कराने पर विचार कर सकते हैं।

20. पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियां (टीएचएस)

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

शिक्षा, अनुसंधान, फार्माकापिआज, नैदानिक परीक्षणों, ज्ञान संरक्षण इत्यादि को कवर करते हुए पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए पहलों का एक सेट।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

* आयुष उद्योग को गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अधिक सब्सिडी दी जाए।

* आयुष उद्योग के 30 क्लस्टरों को संस्वीकृत किया गया।

21. स्कूल शिक्षा

एनकेसी की सिफारिशें

* कुछ विशिष्ट सिफारिशों में शामिल है: शिक्षा के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए सख्त अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान का पुन: अभिमुखीकरण: बुनियादी शिक्षा स्थिति सुनिश्चित करना, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना, समान पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या एवं अध्यापन।

* 50 : 50 पर सीधे जाने की बजाय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के वित्त पोषण को धीरे-धीरे कम करना।

* सार्वजनिक और निजी स्कूलों में मानदंडों संबंधी न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना और जवाबदेही के निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण, अध्यापकों की भर्ती, अध्यापक प्रशिक्षण प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना।

* निजी प्रदाताओं की पहचान करना और उनकी भूमिका बढ़ाना।

* वंचित समूहों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

* अध्यापक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण करना।

* आईसीटी आधारित अध्यापन और शिक्षण साधनों का उपयोग।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

22. प्रतिभावान विद्यार्थियों को गणित व विज्ञान की ओर आकर्षित करना

इन सिफारिशों में स्कूलों और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में विज्ञान व गणित के सुदृढ़ीकरण के विभिन्न पहुलओं को कवर किया गया है जैसे अवसंरचना विस्तार, पाठ्यचर्या परिवर्तन व सुधार, संकाय सुधार, विज्ञान आउटरीच कार्यक्रम, उद्योग सहभागिता आदि।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की टिप्पणियां मांगी गई हैं। इनकी प्रतीक्षा है।

23. नवीनताएं

सिफारिशें

* ऐसी राष्ट्रीय नवीकरण नीति लागू करना जो उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ज्ञान के वृहत प्रसार तथा प्रारम्भिक चरण की प्रौद्योगिकी विकास पहलों को समर्थन में वृद्धि और आरम्भिक स्तर के प्रवर्तकों को बढ़ावा देती हैं।

* आर एवं डी संस्थान, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्रक उद्यमियों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा डिजाइनिंग तथा विभिन्न नवीन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में उनकी संचयी शक्ति को बढ़ाना।

* शैक्षिक जगत और उद्योग के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए नई अंत: पृष्ठीय संरचनाओं का सृजन करना।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

भारी उद्योग, एसएमई, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण श्रम, डीएसटी, डीबीटी, डीआईपीपी मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। इनकी प्रतीक्षा है।

24. अधिक गुणवत्तायुक्त पीएचडीज को आकर्षित करना

सिफारिशें

एनकेसी ने पीएचडीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश की है। इनमें शिक्षा व अनुसंधान में सभी स्तरों पर व्यापक निवेश और नवीकरण व विश्वविद्यालय प्रणाली में सुधार तथा अनुसंधान में वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में डाक्टरल कार्यक्रम के पुनर्नवीकरण और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच सशक्त सहक्रिय विकसित करने के लिए कदम उठाए जाने हैं।

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

डीएसटी से राष्ट्रीय विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान मिशन को तीव्र करने का अनुरोध किया जा रहा है। विज्ञान इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान बोर्ड के गठन हेतु संसद में विधेयक पेश किया गया है। एनकेसी की सिफारिशें राज्य सरकारों को, विश्वविद्यालयों तथा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य शैक्षिक संस्थानों में, कार्यान्वयन हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। एमएचआरडी को सिफारिशें इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जा रही हैं कि 11वीं योजना में उच्च शिक्षा संबंधी परिव्ययों को बढ़ाकर इन्हें प्राथमिकता आधार पर लागू किया जाए।

25. इंजीनियरी शिक्षा

सिफारिशें

इंजीनियरी शिक्षा की गुणवत्ता, विनियमन और शासन को सुधारने के लिए पहलों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव किया गया।

इंजीनियरी शिक्षा के लिए कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं:

विनियामक ढांचे का सुधार करना: (आईआरएएचई संस्थानों के प्रवेश, मानक और अन्य मानदंडों को तय करे)

संस्थानों के शासन में सुधार

संकाय की ओर आकर्षित करना और प्रतिधारण: प्रोत्साहन देना जैसे बेहतर वेतन, आधुनिक अवसंरचना, व्यावसायिक विकास, संकाय की कमी को पूरा करने के लिए आईसीटीज का उपयोग।

अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यचर्या सुधार, इंटर-डिसीप्लीनरी पर्सपक्टिव और वैकल्पिक विषयों का चयन, प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों का संशोधन किया जाना।

विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का एकीकरण

अनुसंधान को बढ़ावा देना

उद्योग - शिक्षा जगत के बीच सहक्रिया पहुंच में सुधार

एनआईटीज और आरईसीज इंजीनियरी महाविद्यालयों को परामर्श देना

अनुवर्ती कार्रवाई - अद्यतन स्थिति

एमएचआरडी से टिप्पणियां मांगी गई हैं। इनकी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

*135. **श्री जसुभाई धनाभाई बारड़:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख पत्तनों की यातायात हैण्डलिंग क्षमता के संदर्भ में उनके कार्य-निष्पादन/उनकी क्षमता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों द्वारा संभाले जा रहे भारी यातायात के मद्देनजर इन पत्तनों के विकास/विस्तार की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान पत्तन-वार संभलाई क्षमता के साथ-साथ संभाले गए यातायात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें कुल 1,00,339 करोड़ रु. का निवेश शामिल है। पत्तन क्षेत्र में, 276 परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित निवेश 55,804 करोड़ रु. है जिनमें सभी प्रकार के कार्य/गतिविधियां शामिल हैं जैसे कि घाटों का निर्माण/उन्नयन, जलमार्गों को गहरा बनाया जाना, रेल/सड़क संपर्क परियोजनाएं, उपस्करों के उन्नयन/आधुनिकीकरण की योजनाएं और अन्य संबंधित योजनाएं। पत्तनों में घाटों, इत्यादि के विकास के लिए अपेक्षित भारी निवेश के समाधान हेतु, गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता है। पत्तन क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को आकृष्ट करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने माडल अर्हता के लिए अनुरोध, प्रस्ताव के लिए अनुरोध और माडल रियायत करार को अंतिम रूप दिया है जिससे बोली प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। गैर-सरकारी प्रचालकों को बोली के आधार पर सौंपे जाने वाले घाटों और टर्मिनलों के लिए पहले से प्रशुल्क निर्धारित करने के नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि संभावित बोलीदाताओं को संबंधित परियोजना से प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व के बारे में जानकारी रहे।

विवरण

वर्ष 2007-08 में संभलाई क्षमता और संभाले गए यातायात

(मिलियन टन में)

पत्तन का नाम	संभलाई क्षमता	संभाला गया यातायात
1	2	3
कोलकाता	14.56	13.74
हल्दिया	46.70	43.58
पारादीप	56.00	42.43

1	2	3
विशाखापट्टनम	61.15	64.59
चेन्नई	53.35	57.15
इन्नौर	13.00	11.56
तूतीकोरिन	20.75	21.48
कोचीन	28.37	15.81
नव मंगलूर	43.50	36.01
मुरगांव	33.05	35.12
मुंबई	44.70	57.03
जवाहर लाल नेहरू	54.34	55.83
कांडला	62.60	64.92
कुल जोड़	532.07	519.31

प्रशिक्षकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश

***136. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षकों के चयन हेतु हाल ही में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में और अधिक व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा कोचिंग टीम के राष्ट्रीय प्रशिक्षकों तथा अन्य सदस्यों के चयन हेतु दिशा-निर्देश राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम में दिए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों से इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए केवल दोहराया भर है।

(ग) और अधिक व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में आयोजित किए गए सेवारत रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षकों को उनके प्रशिक्षण संबंधी हुनर को और अधिक निखारने के लिए विशिष्ट खेलों तथा सामान्य परिस्थितियों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। सरकार प्रतिष्ठित एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी करती है जो प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

***137. श्री विजय कृष्ण:**
श्री सुभाष महरिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वास्थ्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विदेश से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में शुरू किये गये कार्यक्रम क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिले हैं/मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्राप्त बाह्य वित्तीय सहायता वर्ष 2005-06 के लिए 2234.92 करोड़ रुपए, वर्ष 2006-07 के लिए 1885.71 करोड़ रुपए, वर्ष 2007-08 के लिए 2985.73 करोड़ रुपए और वर्ष 2008-09 के लिए 3089.60 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) कई क्रियाकलापों को परिवेष्टित करने वाला एक विस्तृत अग्रणी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और लोगों की उस तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए आरंभ किया गया था। एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों जैसे कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II (आरसीएच-II), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(एनवीबीडीसीपी) एवं पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को बाह्य सहायता मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एचआईवी/एड्स के प्रसार के समावेशन और प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इसे भी बाह्य सहायता प्राप्त होती है।

घरेलू बजट और बाह्य सहायता से विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रक कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सहायता की जाती है। बाह्य सहायता विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, जर्मन सहायता (केएफडब्ल्यू एंड जीटीजेड), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के., डैनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, डेनमार्क, एड्स क्षयरोग एवं मलेरिया से जूझने के लिए वैश्विक निधि, यूरोपीय आयोग, वैश्विक वैक्सीन प्रतिरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ कर दिया गया है और सेवा उपलब्धता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार आया है। इस मिशन से प्रथम रेफरल एककों, सातों दिन चौबीसों घंटे कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रचालित करने, कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना करने और जन स्वास्थ्य परिचर्या को बेहतर करने में विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कार्यक्रम प्रबंधकों एवं स्वास्थ्य व्यावसायिकों को अभिमुख करने में सहायता मिली है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से देश में जनस्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। इससे उच्चतर बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग रोगी विभाग, संस्थागत प्रसव, रोग प्रतिरक्षण, निदानशास्त्र तथा रेफरल एम्बुलेंस सेवा की प्रणालियां भी अभिप्रेरित हुई हैं। कुशल मानव संसाधनों, औषधों एवं आपूर्तियों, बेहतर क्लीनर सुविधाओं की उपलब्धता से जन स्वास्थ्य प्रणाली का कायाकल्प हो गया है। अब तक नागरिकों एवं स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने हेतु 6,50,000 से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई के भाग के रूप में देश में 3,61,000 ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समितियां गठित की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए 26,262 अस्पताल प्रबंधन सोसाइटियां (रोगी कल्याण समितियां) स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को प्रचालित करने में आने वाली महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने में राज्यों की सहायता भी कर रहा है। राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया से होने वाली रोग व्याप्तता एवं मृत्यु में सराहनीय कमी आई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सेवाओं एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण तक पहुंच को बढ़ाने के लिए एक सुनिश्चित एवं प्रभावी अनुक्रिया स्पष्ट की गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रम कार्यक्रम में वैश्विक रोग मुक्ति एवं पहचान दर के लक्ष्यों को निरंतर हासिल किया जाता रहा है। क्षय रोग के कारण होने वाली मौतें 1990 में 42 लाख जनसंख्या से कम होकर 2006 में 25 लाख हो गई है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा रोगियों की संख्या एवं संक्रमित जिलों की संख्या में कमी लाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष

***138. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:**
श्री भिखिल कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की है जैसा कि 28 दिसम्बर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कोष के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) "जनसंख्या स्थिरता कोष" (जेएसके) को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत स्थापित स्वायत्त सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास मंत्रालयों, विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग का प्रतिनिधित्व जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय में उनके सचिवों द्वारा किया जाता है। सभी राज्य सरकारें जनसंख्या स्थिरता कोष की सदस्य होती हैं।

जे.एस.के. का उद्देश्य धारणीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के संगत स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यथापरिकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को 2045 तक प्राप्त कराने वाले क्रियाकलापों को बढ़ावा देकर उन्हें शुरू करना है। जे.एस.के. ने निम्नलिखित कार्यनीतियां इस दिशा में प्रारंभ की हैं:-

* जे.एस.के. ने 485 जिलों की योजना जीआईएस मैपों एवं जनगणना संबंधी आंकड़ों के अद्वितीय सम्मेलन के जरिए बनाई है जिसमें प्रत्येक जिले, इसके उप जिले और प्रत्येक गांव की जनसंख्या तथा इसके बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना की सूचना मिलती है।

* जे.एस.के. ने कम्प्यूटर साफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए प्रजनन और नवजात स्वास्थ्य पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रामाणिक सूचना देने वाला एक काल सेन्टर स्थापित किया है। प्रशिक्षित एजेन्ट मार्गदर्शन चाहने वाले किशोरों, नवविवाहित तथा भविष्य में विवाह करने वाले वर-वधुओं तथा अन्य लोगों को सलाह देने के लिए यह सेवा प्रदान करते हैं।

* जे.एस.के. ने अधिक ध्यान दिए जाने वाले जिलों में ऐसे दंपत्तियों को पुरस्कृत करने के लिए "प्रेरणा" नामक "जिम्मेदार मातृ-पितृत्व" प्रतिदर्श प्रारंभ किया है जो स्वेच्छा से सविलंब विवाह करते हैं, बालिकाओं को विद्यालय जाने की अनुमति देते हैं, और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के हित में अपने परिवार को नियोजित करते हैं। जे.एस.के. की प्रेरणा वाली कार्यनीति का लक्ष्य विवाह की उम्र बढ़ाना, विवाह का पंजीकरण कराना, जन्म में अंतराल बढ़ाना, और दूसरे बच्चे के बाद बध्यीकरण कराना है। पुरस्कार समारोह को समुदाय के अनुकरणीय व्यक्ति को सम्मानित करने हेतु राज्य व्यापी समाचार का विषय बनाया जाता है। महिलाओं की अधिकारिता और स्वास्थ्य जिनका प्रभाव बच्चों के जन्मों एवं मृत्युदर पर पड़ता है, के लिए हिमायती प्रयत्नों से सफलता का निर्धारण किया जाता है।

* जे.एस.के. ने माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वास्तविक स्रोत केन्द्र शुरू किया है जहां से इश्तहार, फिल्में और दृश्य सामग्रियां डाउनलोड की जा सकती है या सीडी में जेएसके से नि:शुल्क मांगी जा सकती हैं।

नई कोयला वितरण नीति

***139. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई कोयला वितरण नीति के कार्यान्वयन में कोई कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) नीति में निर्धारित उपबंधों के अनुसार कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा अक्तूबर, 2007 की नई कोयला वितरण नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है। नीति के मुख्य प्रावधानों तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई मद	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	उपभोक्ता का वर्गीकरण	कार्यान्वित कर दिया गया है।
2.	विभिन्न उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को कोयले का वितरण तथा मूल्य निर्धारण	कार्यान्वित कर दिया गया है।
3.	छोटे तथा मध्यम दर्जे के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण	कार्यान्वित कर दिया गया है।
4.	लिंकेज की पद्धति के स्थान पर ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) लाना	आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है। विद्युत उपयोगिताओं को छोड़कर अधिकांश उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार सम्पन्न कर दिए गए हैं।
5.	नए उपभोक्ताओं के लिए नीति/नए उपभोक्ताओं के लिए आश्वासन पत्र तथा नए उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार	कार्यान्वयनाधीन है। यह एक सतत प्रक्रिया है।
6.	कोयले की ई-नीलामी	कार्यान्वित कर दी गई है। ई-नीलामी की एक संशोधित स्कीम लागू की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोयला मंत्रालय द्वारा नई कोयला वितरण नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है तथा नीति के प्रावधानों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु उचित कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है।

हेडेन्ड-इन-द स्काई शुरू करना

*140. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हेडेन्ड-इन-द-स्काई (एच.आई.टी.एस.) प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में टेलीविजन सिग्नलों के पारेषण एवं वितरण में सुधार लाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर हेडेन्ड-इन-द-स्काई (हिट्स) की नीति निर्णय के अंतिम चरणों में है।

(ग) हिट्स टी.वी. चैनल के वितरण की डिजिटल प्रदाय प्रणाली है और इससे देश के गैर-कैस क्षेत्रों में स्थित केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह देश भर में उपग्रह के माध्यम से कई बहु-प्रणाली संचालकों/केबल आपरेटरों को अपने सिगनल मुहैया कराने का कार्य करता है जो अपना केबल नेटवर्क प्रयोग करने वाले ग्राहकों को सैट-टाप-बाक्स के माध्यम से डिजिटल सिगनल आगे भेज सकते हैं। हिट्स के परिचालन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अभी तक अव्यवहार्यता के कारण केबल बाजार संभव नहीं हो सका है, उसके व्यापन में वृद्धि करने में मदद मिल सकेगी, बल्कि इससे सैट-टाप-बाक्सों की कीमतों में और अधिक कमी लाने में भी मदद मिलेगी। इससे केबल बाजार को और अधिक सुदृढ़ बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में भी मदद मिल सकती है। हिट्स से उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर डिजिटल चैनलों के व्यापक विकल्प, बेहतर पिक्चर गुणवत्ता और मूल्य-वर्धित सेवा का लाभ मिल सकेगा। हिट्स प्राइम/गैर-प्राइम बैंड में रखे गए चैनलों की मौजूदा सीमित क्षमता से अधिक चैनल क्षमता मुहैया कराएगा। कैस से भिन्न, हिट्स विशुद्धत: स्वैच्छिक होगा।

[हिन्दी]

ऋणों के लिए लंबित आवेदन पत्र

620. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिना कारण के बैंकों द्वारा ऋण हेतु आवेदन पत्र लंबित रखने के खिलाफ कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 5 मई, 2003 के अपने परिपत्र के तहत उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से तैयार किया जाना अपेक्षित है। इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर आशोधित किया जाता है तथा हाल ही में 25 नवम्बर, 2008 को आशोधित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:-

(1) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति सूचना देने की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ऐसे आवेदनों की पावती में 2 लाख रुपए तक के ऋण आवेदनों को निपटाए जाने की समयावधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यथोचित समय में ऋण आवेदनों को सत्यापित करना चाहिए तथा अतिरिक्त ब्यौरे/दस्तावेज अपेक्षित होने पर उधारकर्ताओं को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए।

(3) क्रेडिट कार्ड आवेदनों सहित ऋण की सभी श्रेणियों के मामले में, किसी भी प्रारंभिक सीमा का ध्यान दिए बिना, उधारदाताओं को लिखित में मुख्य कारण/कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से यथोचित विचार करने के बाद बैंक के मतानुसार, ऋण आवेदनों को निर्धारित समय के भीतर अस्वीकार किया गया।

[अनुवाद]

एमटीपीएस को कोयले की आपूर्ति

621. **श्री सुनील खां:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मेजिया ताप विद्युत केंद्र (एमटीपीएस) को कोयले की आपूर्ति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) को 1997-1998 से कोयले की आपूर्ति कर रहा है। 2004-05 से 2008-09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से मेजिया थर्मल पावर स्टेशन को कोयला प्रेषण का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	ईसीएल से मेजिया थर्मल पावर स्टेशन को कोयले का प्रेषण (आंकड़े टन में)
1	2
2004-05	62,000
2005-06	1,91,000
2006-07	12,71,000
2007-08	3,99,000
2008-09 (जनवरी, 2009 तक)	4,29,000 अनंतिम

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण

622. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड सहित राज्यों को कृषिगत क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): विगत तीन वर्षों के दौरान, झारखण्ड सहित कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए राज्य-वार बुनियादी ऋण प्रवाह

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	162231	385202	280007
2.	नई दिल्ली	1307623	1546895	1378437
3.	हरियाणा	1084743	1199275	1228236
4.	हिमाचल प्रदेश	95482	108169	142872
5.	जम्मू-कश्मीर	90545	59036	36287
6.	पंजाब	1547980	1988580	2433686
7.	राजस्थान	756234	1058643	1236470
8.	अरुणाचल प्रदेश	1337	2328	2069
9.	असम	66332	54118	64104

1	2	3	4	5
10.	मणिपुर	5766	3034	4833
11.	मेघालय	5657	4501	3627
12.	मिजोरम	2432	3282	3719
13.	नागालैंड	2402	4611	4051
14.	त्रिपुरा	8476	9350	9391
15.	सिक्किम	1169	1305	1493
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1528	6015	416
17.	बिहार	212458	304621	313802
18.	झारखंड	50588	61949	56518
19.	उड़ीसा	312919	392291	432564
20.	पश्चिम बंगाल	644134	774480	889984
21.	छत्तीसगढ़	123321	149461	192242
22.	मध्य प्रदेश	690396	955597	1226563
23.	उत्तर प्रदेश	1405866	1882625	1775776
24.	उत्तरांचल	93782	141629	139980
25.	दादरा और नगर हवेली	158	767	289
26.	दमन और दीव	40	745	1044
27.	गोवा	13134	18147	27110
28.	गुजरात	1110647	1192297	1362736
29.	महाराष्ट्र	1493814	2140106	2327400
30.	आंध्र प्रदेश	2050124	2466909	2908761
31.	कर्नाटक	1291353	1549616	1858968
32.	केरल	1032413	1254998	1458429
33.	लक्षद्वीप	115	115	153
34.	पुडुचेरी	23521	19636	31191
35.	तमिलनाडु	1953680	2729989	3056226
	कुल	17642400	22470322	24889434
	अन्य बांड**	300	0	
	आरआईडीएफ**	405857	469666	69106
	कुल योग	18048557	22939988	24958540

*अनन्तिम

नकली दवाइयां

623. श्री पुष्प जैन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं के वितरण के संबंध में शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा संबद्ध अस्पतालों से नकली दवाइयों के वितरण का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। इन अस्पतालों में सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो (जीएमएसटी) द्वारा औषधियां अधिप्राप्त की जाती है जो कि अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट द्वारा समर्थित होती हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अस्पतालों द्वारा समय-समय पर सरकार की अनुमोदित प्रयोगशालाओं से यादृच्छिक परीक्षण भी किया जाता है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना

624. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी राज्य से राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए धनराशि का आबंटन नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं। इस संबंध में किसी भी राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में समाहित किया गया है। पहले के राष्ट्रीय सम विकास योजना कार्यक्रम के तहत 27 राज्यों में कुल 147 जिले कवर किए गए थे, इनमें से इस कार्यक्रम के तहत 108 जिलों ने अपनी पूर्ण हकदारी का दावा किया है। शेष बचे 39 जिलों में से 33 जिलों को 7.5 करोड़ रुपए प्रत्येक की, एक किस्त का दावा करना है तथा 6 जिलों को दो किस्तों, यानी 15 करोड़ रुपए प्रत्येक, का दावा करना है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत निर्मुक्तियों व व्यय के संबंध में अभी तक रिपोर्ट किए गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत जिला-वार निर्मुक्ति के ब्यौरे वेबसाइट www.brgf.gov.in पर उपलब्ध हैं। पिछली निर्मुक्ति के 60 प्रतिशत को खर्च करने के बाद जिले अपनी अगली किस्तों का दावा कर सकते हैं। किसी पात्र जिले को उसके आबंटन से वंचित नहीं किया गया है।

विवरण

पिछड़ा जिला पहल-आरएसवीवाई जिलों को निधियों की निर्मुक्ति (करोड़ रुपए में)

20.02.2009 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	आरएसवीवाई जिलों की संख्या	कुल निर्मुक्त की जाने राशि	योजना आयोग द्वारा 2003-04 से 2005-06 तक निर्मुक्त राशि	2006-07 में निर्मुक्त राशि	2007-08 में निर्मुक्त राशि	2008-09 में निर्मुक्त राशि	कुल निर्मुक्त की गई राशि	निर्मुक्तियों का प्रतिशत	शेष हकदारी	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया संचित व्यय	प्राप्त किया गया उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	10	450	150.00	82.5	105.00	90.00	427.50	95.00	22.50	332.74	332.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	15.00	7.5	7.50	7.50	37.50	83.33	7.50	29.98	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	5	225	45.00	52.5	52.50	45.00	195.00	86.67	30.00	145.69	145.69
4.	बिहार	21	945	292.50	232.5	97.50	187.50	810.00	85.71	135.00	574.66	553.86
5.	छत्तीसगढ़	8	360	187.50	127.5	45.00	0.00	360.00	100.00	0.00	343.83	310.86
6.	गुजरात	3	135	52.50	37.50	7.50	15.00	112.50	83.33	22.50	81.19	81.36
7.	हरियाणा	1	45	22.50	22.5	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2	90	45.00	30	15.00	0.00	90.00	100.00	0.00	66.66	61.91
9.	जम्मू-कश्मीर	3	135	52.50	22.5	15.00	15.00	105.00	77.78	30.00	80.89	80.89
10.	झारखण्ड	16	720	300.00	315.00	82.50	22.50	720.00	100.00	0.00	594.02	579.05
11.	कर्नाटक	4	180	52.50	37.50	45.00	30.00	165.00	91.67	15.00	140.43	137.49
12.	केरल	2	90	52.50	15.00	7.50	7.50	75.00	83.33	15.00	65.34	63.00
13.	मध्य प्रदेश	10	450	315.00	135.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00	348.83	449.76
14.	महाराष्ट्र	9	405	142.50	90.00	107.00	58.00	397.50	98.15	7.50	299.88	279.84
15.	मणिपुर	1	45	30.00	15.00	0.00	0.0	45.00	100.00	0.00	39.99	39.99
16.	मेघालय	1	45	7.50	15.00	7.50	7.50	37.50	83.33	7.50	27.81	30.00
17.	मिजोरम	1	45	15.00	15.00	15.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
18.	नगालैण्ड	1	45	22.50	22.50	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
19.	उड़ीसा	5	225	97.50	45.00	52.50	30.00	225.00	100.00	0.00	183.37	188.46
20.	पंजाब	1	45	15.00	15.00	7.50	7.50	45.00	100.00	0.00	35.14	35.14
21.	राजस्थान	3	135	120.00	15.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00	131.55	131.58
22.	सिक्किम	1	45	15.00	22.5	7.50	0.00	45.00	100.00	0.00	35.60	131.58
23.	तमिलनाडु	5	225	172.50	30.00	22.50	0.00	225.00	100.00	0.00	211.64	195.72
24.	त्रिपुरा	1	45	22.50	15.00	7.50	0.00	45.00	100.00	0.00	36.65	36.65
25.	उत्तराखंड	3	135	45.00	37.50	30.00	22.50	135.00	100.00	0.00	104.93	104.93
26.	उत्तर प्रदेश	21	945	427.50	300.00	135.00	30.00	892.50	94.44	52.50	677.26	666.28
27.	पश्चिम बंगाल	8	360	135.00	60.00	82.50	82.50	360.00	100.00	0.00	284.74	284.74
28.	चण्डीगढ़		9.3	4.32	3.30	0.00		7.62	81.94	1.68		
	योग	147	6624.3	2854.32	1818.30	954.50	658.00	6277.62	94.77	346.68	5007.81	5086.02

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का पुनर्गठन

625. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अध्यक्ष का कार्यकाल नियत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

1. खोज समिति द्वारा अध्यक्ष का चयन जिनका न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यकाल होगा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. पूर्ण कालिक सदस्यों की संख्या को पांच से बढ़ाकर छह करना और अंशकालिक सदस्यों की संख्या को चार से बढ़ाकर छह करना।
3. मुख्य महाप्रबंधकों के अतिरिक्त पदों का सृजन।
4. वित्त, विधि, सुरक्षा, गुणता नियंत्रण, परियोजना मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में विशेषज्ञों वाले प्रकोष्ठों का सृजन, और
5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाहर के विशेषज्ञों जहां आवश्यक हो, को नियुक्त करने के लिए शक्ति प्रदान करना।

(ग) और (घ) जी हां। यह परिकल्पना की गई है कि अध्यक्ष का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष होगा जिसे न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए 62 वर्ष तक की आयु में छूट के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिशेष कोयले का विपथन

626. श्री के.एस. राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों ने अपने पास उपलब्ध अधिशेष कोयले को ताप विद्युत निर्माण में लगी अन्य कंपनियों को बिक्री हेतु विपथन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) सरकार ने मैसर्स ससान पावर लि. को आबंटित मोहर, मोहर-अम्लोहरी विस्तार तथा छत्रसाल कोयला ब्लाकों के उत्पादित अधिशेष कोयले के मैसर्स रिलायन्स पावर लि. की अन्य विद्युत परियोजनाओं में निम्नलिखित शर्तों पर उपयोग हेतु सिद्धांत रूप में अनुमति दे दी है:

(1) कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना के आधार पर वृद्धिक कोयले की मात्रा निर्धारित की जाएगी।

(2) आबंटित ब्लाकों से उत्पादित समस्त कोयले पर 3960 मेगावाट की ससान अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का हमेशा पहला अधिकार तथा सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी और आबंटी सदैव इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संविदा की सम्पूर्ण अवधि के लिए अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का उत्पादन समूह की किसी अन्य परियोजना द्वारा वृद्धिक कोयले के उपयोग से प्रभावित न हो। ससान में अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के उत्पादन में कोई क्षति केवल रखरखाव, मरम्मत आदि जैसे वास्तविक कारणों की वजह से होगी।

(3) इन ब्लाकों से कोयले का अन्त्य उपयोग विद्युत उत्पादन तक सीमित रहेगा।

(4) इन केप्टिव कोयला ब्लाकों से वृद्धिक कोयले का उपयोग करके उत्पादित विद्युत को प्रतियोगी बोली के आधार पर टैरिफ के माध्यम से बेचा जाएगा।

तथापि, विशिष्ट अनुमति पर विशिष्ट प्रस्ताव उपयुक्त समय पर प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

संचारी रोगों का प्रसार

627. श्री संतोष गंगवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कथित रूप से संचारी रोगों के चलते मृत्यु की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) **क्षय रोग:** संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) को उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सीधी देखरेख में दिए जाने वाले अल्पकालिक कोर्स (डोट्स) की विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्तुत कार्यनीति को भारत पर लागू किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों में (1) पता लगाए गए नए संक्रामक क्षयरोगियों में रोगियों की को कम से कम 85 प्रतिशत अवस्थता दर प्राप्त करना तथा उसे बनाए रखना है और (2) कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने की दर प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। जाति, धर्ममत, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अल्पसंख्यक स्थिति और भौगोलिक क्षेत्र का ध्यान रखे बिना सभी क्षयरोगियों को क्षयरोग-रोधी औषधों की आपूर्ति सहित नि:शुल्क निदान और उपचार प्रदान करना शामिल है।

यह कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से निरंतर 85 प्रतिशत की स्वस्थता दर और नए स्पूटम पॉजिटिव रोगियों का पता लगाने की 70 प्रतिशत दर के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। क्षय रोग के कारण होने वाली मृत्यु-दर वर्ष 1990 की प्रति एक लाख जनसंख्या पर 42 से कम होकर वर्ष 2006 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 29 हो गई है (विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षयरोग रिपोर्ट, 2008 के अनुसार)।

वर्ष 2008 में, अकेले उत्तर प्रदेश में 2.78 लाख रोगियों को डोट्स पर रखा गया। उत्तर प्रदेश राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के समग्र कार्यनिष्पादन में वर्ष, 2007 में नए स्मीयर पाजिटिव रोगियों में 87 प्रतिशत रोगियों के उपचार पूरा करने की दर सहित पंजीकृत रोगियों में से 3 प्रतिशत की मृत्यु-दर में सुधार दिखाई दे रहा है।

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

कुष्ठ

(क) चूंकि कुष्ठ के कारण होने वाली मौतों को सूचित नहीं किया जाता है, इसलिए राज्यों को सहायता इस रोग के कारण होने वाली मौतों की संख्या पर आधारित नहीं होती है। तथापि, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों को कार्यक्रम के कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राज्य-वार धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय

(क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 2008-09 के दौरान (आज तक), नकद एवं सामग्री के संदर्भ में राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपए लाख)

उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश		उत्तर प्रदेश	
नकद	सामग्रीगत	नकद	सामग्रीगत
9600.09	3537.70	578.53	104.53

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

(क) समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) शीघ्रातिशीघ्र प्रकोपों का पता लगाने और सन्निकट प्रकोपों को नियंत्रित करने, इनके लिए द्रुत कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सहित देश में चरणवार ढंग से क्रियान्वित किए जाने वाला एक विकेंद्रीकृत राज्य आधारित रोग निगरानी कार्यक्रम है।

समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) समय-समय पर संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा संचालित की गई प्रकोप संबंधी जांचों में भी भाग लेती है। समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) ने सभी जिला मुख्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों और आईडी अस्पतालों में जीवन और संसाधनों की हानि को कम से कम करने के लिए इस संबंध में सतर्कता उत्पन्न करने हेतु सन्निकट रोग प्रकोपों के लिए शुरू में ही चेतावनी संकेत देना शुरू करने के वास्ते वीडियो कान्फ्रेन्सिंग

सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा सम्प्रेषण सुविधा स्थापित की है। समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) रोग जनक जीवों के निदान के लिए जिला प्रयोगशालाओं और एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रही है। समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) रोग प्रकोपों का शुरू में ही पता लगाने और उनको निवारण करने हेतु जिला और राज्य मुख्यालयों में चिकित्सा अधिकारियों अर्ध-चिकित्सीय कार्यकर्ताओं और प्रयोगशाला तकनीशियनों का भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ख) (1) समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सहायतानुदान के रूप में धन जारी करने का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2005-06	–	23.00 लाख रुपए
2006-07	–	शून्य
2007-08	–	2.50 करोड़ रुपए
2008-09	–	शून्य
कुल धनराशि	–	2.73 करोड़ रुपए

(2) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में याज उन्मूलन कार्यक्रम (वाईपीपी) चल रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान 4.00 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी। तथापि, राज्य ने जनवरी, 2009 में 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) की धनराशि वापस कर दी है। याज रोग के कारण कोई मौत नहीं हुई है।

विवरण I

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी नकद धनराशियां			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (12.02.09 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	620.00	1140.00	1300.00	1295.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.00	100.00	160.00	137.00
3.	असम	460.00	430.00	450.00	450.00
4.	बिहार	377.39	479.26	655.00	475.00
5.	गोवा	25.00	29.80	28.00	43.50
6.	गुजरात	620.00	900.00	271.74	1027.00
7.	हरियाणा	200.00	325.00	193.05	422.00
8.	हिमाचल प्रदेश	190.00	210.00	215.00	240.00
9.	जम्मू-कश्मीर	243.00	155.00	230.00	250.00
10.	कर्नाटक	470.00	820.00	710.00	797.00
11.	केरल	338.46	259.00	541.47	332.00

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	600.00	667.00	877.72	810.00
13.	महाराष्ट्र	1300.00	1025.00	1495.00	2053.00
14.	मणिपुर	132.00	158.00	180.00	185.00
15.	मेघालय	85.00	74.00	105.00	111.00
16.	मिजोरम	78.00	90.00	94.00	123.00
17.	नागालैंड	75.00	128.00	170.00	162.00
18.	उड़ीसा	350.00	382.00	800.00	582.00
19.	पंजाब	150.00	300.00	365.00	432.00
20.	राजस्थान	450.94	400.00	940.70	673.46
21.	सिक्किम	50.00	65.00	50.00	67.00
22.	तमिलनाडु	710.38	800.00	925.00	900.00
23.	त्रिपुरा	0.00	13.00	33.84	75.00
24.	उत्तर प्रदेश	1580.27	2075.00	2525.00	3333.75
25.	पश्चिम बंगाल	950.00	1100.00	1330.00	1425.00
26.	दिल्ली	455.00	610.00	700.00	648.00
27.	पुडुचेरी	10.00	15.00	5.00	14.00
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	14.00	16.00	9.00
29.	चंडीगढ़	33.40	59.00	48.00	56.00
30.	दादरा एवं नगर हवेली	10.00	25.00	21.00	30.00
31.	दमन और दीव	3.50	24.00	11.00	10.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	7.00	10.00	
33.	झारखण्ड	200.00	420.00	360.00	390.00
34.	उत्तरांचल	125.00	129.44	150.00	206.00
35.	छत्तीसगढ़	272.62	440.00	390.00	397.00
	कुल	11296.96	13918.50	17090.47	18160.70

विवरण II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार बजट आबंटन)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बजट आबंटन			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	113.34	113.41	174.91	196.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.03	75.39	130.51	146.61
3.	असम	54.45	88.91	161.77	181.73
4.	बिहार	388.37	358.42	290.97	326.88
5.	छत्तीसगढ़	204.73	209.99	130.09	146.14
6.	गोवा	17.61	17.45	7.03	7.90
7.	गुजरात	130.35	157.93	159.15	178.79
8.	हरियाणा	38.84	38.72	64.39	72.34
9.	हिमाचल प्रदेश	43.67	149.02	64.39	72.34
10.	जम्मू-कश्मीर	63.38	61.16	57.52	64.62
11.	झारखंड	345.08	320.04	162.01	182.00
12.	कर्नाटक	83.99	5.21	136.40	153.23
13.	केरल	30.39	36.57	102.43	115.23
14.	मध्य प्रदेश	389.65	250.49	136.76	153.64
15.	महाराष्ट्र	179.71	210.96	196.56	220.82
16.	मणिपुर	32.09	31.50	41.84	47.00
17.	मेघालय	33.15	42.19	42.29	47.51
18.	मिजोरम	35.07	45.23	58.12	65.29
19.	नागालैंड	78.57	78.22	43.46	48.82
20.	उड़ीसा	261.33	242.20	147.96	166.20
21.	पंजाब	90.88	62.92	68.09	76.49

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	82.02	76.47	125.41	140.89
23.	सिक्किम	23.92	23.00	33.11	37.20
24.	तमिलनाडु	90.50	138.53	150.38	168.94
25.	त्रिपुरा	21.12	21.00	35.64	40.04
26.	उत्तराखण्ड	109.19	432.98	76.94	86.43
27.	उत्तर प्रदेश	447.03	81.80	454.06	510.09
28.	पश्चिम बंगाल	234.70	275.96	287.29	322.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.19	11.18	11.23	12.62
30.	चंडीगढ़	10.75	11.00	10.21	11.47
31.	दादरा और नगर हवेली	9.65	9.00	7.54	8.47
32.	दमन और दीव	15.54	15.00	17.52	19.68
33.	दिल्ली	63.41	61.00	55.65	62.52
34.	लक्षद्वीप	7.02	7.00	2.03	2.28
35.	पुडुचेरी	11.28	11.15	6.34	7.12
	कुल	3762.00	3725.00	3650.00	4100.56

[अनुवाद]

साबरमती नदी को साफ करना

628. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजना चरण-2 के अंतर्गत साबरमती नदी को साफ करने के कार्य को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) अहमदाबाद में साबरमती नदी चरण-2 की सफाई के लिए गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर बजटीय बाधाओं की वजह से विचार नहीं किया जा सका। तदनुसार, राज्य सरकार को बाह्य सहायता सहित वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने की सलाह दी गई है।

केबल कंपनियों से आय

629. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न निजी केबल नेटवर्क कंपनियों से आय सृजित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन केबल नेटवर्क कंपनियों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण तथा निरीक्षण करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, देश में विभिन्न निजी केबल नेटवर्क कंपनियों से प्राप्त कुल राशि के संबंध में अलग सेकई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। स्थानीय केबल आपरेटर बारह माह की अवधि के लिए 500/- रुपये के शुल्क का भुगतान करके अपने क्षेत्र के मुख्य डाक घर के मुख्य डाकपाल से पंजीयन/नवीनीकरण प्राप्त कर लेते हैं। स्थानीय स्व-शासन/राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर भी उन पर लागू हैं।

(ग) और (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिचालन और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी मामलों को विनियमित करने के प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। केबल आपरेटरों को अपने परिचालनों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम के कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई कर सकते हैं।

पड़ोसी देशों में चिकित्सीय महाविद्यालयों को स्थापित करना

630. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सीय महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पड़ोसी देशों को कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन भारतीय छात्रों को वरीयता दी जाएगी जो विदेश स्थित ऐसे महाविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) बीपी कोइराला इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, धारन, जो कि पचास सीटों (इस समय 100 सीटों) वाला मेडिकल कालेज और 350 बिस्तर वाला अस्पताल है, का निर्माण 120 करोड़ रुपए की भारतीय सहायता से किया गया था और नेपाल सरकार को औपचारिक रूप से वर्ष 1999 में सौंपा गया था। इस समय भारत सरकार भारतीय संकाय (फैकल्टी) सहायता के रूप में इस कालेज को सहायता प्रदान कर रही है।

भूटान की शाही सरकार ने थिम्पू, भूटान में मेडिकल कालेज स्थापित करने में भारत सरकार से सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) बीपी कोइराला इन्स्टीट्यूट आफ हेल्थ साइंसेज, धारन, नेपाल द्वारा संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में भारतीय नागरिकों के लिए 10 सीटें निर्धारित की गई हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

631. **श्री कीरेन रिजीजू:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास विद्यमान नीति के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के तथा राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह कार्य संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। कार्य, यातायात घनत्व, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए गए विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए वार्षिक योजना कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्यक्रमों का संशोधन भी समय-समय पर किया जाता है। सरकार, विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और उन पर निगरानी रखती है तथा परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए निरंतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी करती है।

यूरेनियम की आपूर्ति

632. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:**
श्री रमेश दूबे:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति हेतु परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक वास्तविक आपूर्ति शुरू होने की संभावना है तथा प्रत्येक देश से मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत ने असैन्य नाभिकीय सहयोग के लिए फ्रांस, यूएसए और रूस के साथ अंतर्सरकारी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनपीसीआईएल ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए कजातोमप्रोम, कजाकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित अंतर्सरकारी करार के अनुसरण में 300 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति हेतु मैसर्स एआरईवीए, फ्रांस को एक कांट्रेक्ट दिया गया है। रूस के साथ हस्ताक्षरित अंतर्सरकारी करार के अनुसरण में रूस के साथ दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एक 58 मीटरी टन संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति के लिए है और दूसरा 2000 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति के लिए है। इससे पहले कि फ्रांस शिपमेंट कर सके, कुछ दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने की जरूरत है। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिए जाने के तुरंत बाद वास्तविक शिपमेंट किया जाएगा।

(घ) आयात किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल आईएईए के सुरक्षोपायों के अधीन वाले विद्युत रिएक्टरों में किया जाएगा। इससे नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के क्षमता गुणकों में वृद्धि होगी जिससे देश को और अधिक बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

पे-चैनल की दर

633. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक पे-चैनल के लिए वसूली जा रही दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इन दरों को तय करता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दरों को तय करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पे-चैनल की दर बहुत ज्यादा होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। सशुल्क चैनल प्रसारकों द्वारा सूचित की गयी व्यष्टि व समूह-दरों का ब्यौरा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सशुल्क चैनलों की दरें विनियमित करता है:-

(1) औसत मासिक केबल टीवी बिल और दर्शकों द्वारा देखे गए सशुल्क चैनलों की औसत संख्या।

(2) परामर्श प्रक्रिया के दौरान पणधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमतें।

(3) प्रसारकों और बहु-प्रणाली संचालक के बीच हुए करार से निकलने वाला निष्कर्ष।

(4) चेन्नई में कैस क्षेत्रों से उपलब्ध आंकड़े।

(5) डीटीएच आपरेटरों द्वारा की गई पेशकशें। ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में टी.डी.एस.ए.टी. द्वारा दिए गए अपने निर्णय में अपनाई गई निर्धारण-विधि प्रणाली।

(6) वास्तविक उपभोक्ता और प्रभार्य उपभोक्ता के बीच यथा सूचित बेमेल (प्रचलित पद्धतियों से प्राप्त निष्कर्ष)।

(7) विज्ञापन, प्रसारण और उपभोक्ताओं से अर्जित राजस्व के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था।

(8) गैर-कैस क्षेत्रों के संबंध में चूंकि दिनांक 4.10.2007 के प्रशुल्क संशोधन आदेश को टी.डी.एस.ए.टी. द्वारा रद्द कर दिया गया है, इसलिए सशुल्क चैनलों की वर्तमान थोक दरें मुद्रास्फीति के कारण होने वाली वृद्धि के साथ दिनांक 26.12.2003 को यथाप्रचलित बाजार संचालित दरों पर आधारित हैं।

(9) नये सशुल्क चैनलों या सशुल्क चैनलों में परिवर्तित फ्री-टु-एयर चैनलों की दरों के बारे में निर्णय सदृश विधा एवं भाषा की दरों के आधार पर लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सशुल्क चैनलों द्वारा प्रभारित दरों के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतें ट्राई के कार्य-क्षेत्र में आती हैं जो कि प्रसारण संबंधी मुद्दों के लिए विनियामक का कार्य करता है। कैस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के उपभोक्ता के हित

की सुरक्षा करने के लिए ट्राई ने उपभोक्ताओं को व्यष्टि आधार पर सशुल्क चैनल उपलब्ध कराये जाने को अनिवार्य बनाया है और उपभोक्ता स्तर पर प्रत्येक सशुल्क चैनल के लिए प्रति माह 5.35 रु. (करों को छोड़कर) की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। गैर-कैस क्षेत्रों में प्राधिकरण ने दिनांक 4.10.2007 के अपने प्रशुल्क संशोधन आदेश के तहत केबल टीवी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए सशुल्क चैनलों की संख्या के आधार पर निवास स्थान-वार उच्चतम सीमा निर्धारित की थी। तथापि, दिनांक 15.1.2009 को माननीय टी.डी.एस.ए.टी. ने दिनांक 4.10.2007 के प्रशुल्क संशोधन आदेश को रद्द कर दिया है। ट्राई ने माननीय टी.डी.एस.ए.टी. के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है और मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

तटवर्ती लोगों का स्वास्थ्य

634. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटवर्ती लोगों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) तटवर्ती लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तटीय क्षेत्रों समेत सभी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था करता है। राज्य रुग्णता, मृत्यु स्थिति के आधार पर अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जिसमें तटीय क्षेत्रों हेतु योजनाएं भी शामिल हैं, तैयार करते हैं जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकित व अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2008-09 में, केरल सरकार ने 10 जिलों को कवर कर रहे तटीय क्षेत्रों में प्रतिरक्षण कार्यक्रम की सहायता करने के लिए निकटस्थ संस्थानों की प्रशिक्षित सहायक नर्स धात्रियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से कैम्प आयोजित करने हेतु आवश्यकताओं का अनुमान लगाया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

635. श्री रमेश दूबे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के क्रियान्वयन में किन्हीं कठिनाइयों का अनुभव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आरोग्य निधि के संबंध में विद्यमान प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2008-09 के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

पंजाब	4.75 लाख रुपए
केरल	200.00 लाख रुपए
उत्तर प्रदेश	250.00 लाख रुपए

एफ.एम. रेडियो पर चुनाव अभियान

636. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एफ.एम. रेडियो पर चुनाव अभियान चलाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी और भारतीय रेडियो आपरेटर संघ ने अनुरोध किया था कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान रेडियो पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण की अनुमति टीवी चैनलों की तर्ज पर प्रदान की जाए।

(ग) भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिनांक 21.11.2008 के अपने आदेश के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित शर्त के अध्यधीन लोक सभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा के आम चुनावों के संबंध में लागू माडल आचार-संहिता की अवधि के दौरान रेडियो पर राजनीतिक विज्ञापनों की अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

एम.एन.आई.सी. कार्ड

637. श्री एम.के. सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश के पूर्वोत्तर भागों में अवैध आप्रवासन को रोकने हेतु बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम.एन.आई.सी.) जारी करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने "संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण : संघर्ष से संयोजन तक" नामक अपनी सातवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम.एन.आई.सी.) परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस आयोग का मत है कि इससे नागरिकों और सरकार के बीच एक प्रयोक्ता मैत्री अन्तरापृष्ठ उपलब्ध होगा तथा भविष्य में अवैध आप्रवासन को रोकने का कार्य करेगा।

भारत के प्रत्येक नागरिक का पंजीयन करने तथा उसे राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने को अनिवार्य करते हुए वर्ष 2003 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। सरकार ने पहले ही भारतीय यू.आई.डी. प्राधिकरण की स्थापना कर दी है जो इस कार्य को संचालित करेगा।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में कुप्रबंधन

638. श्री उदय सिंह:
श्री विजय कृष्ण:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालयों में नकली दवाओं की आपूर्ति अथवा विशिष्ट दवाओं को नहीं दिया जाना, कुप्रबंधन, अनियमितताओं तथा सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को दवाओं इत्यादि की स्थानीय खरीद का इंडेंड नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों का औषधालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा सी.जी.एच.एस. औषधालयों में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मेडिकल स्टोर डिपो, सीजीएचएस द्वारा सीजीएचएस औषधालयों को अनुदेश दिया गया है कि विशेषज्ञ के नुस्खे पर पोटेन्सी और थेराप्यूटिकल स्तर की दवाएं, औषधालय में आपूर्ति के लिए मेडिकल स्टोर डिपो में जहां कहीं भी उपलब्ध हों, को लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाए। नुस्खे में निर्धारित दवाई को ऐसी स्थिति में ही मंगाया जाए जब औषधालय के भंडार में ऐसी दवाएं उपलब्ध न हों।

एमएसडी और एमएसओ को दवाओं की आपूर्ति करने के लिए किसी निर्माता की पात्रता के लिए पूर्व-शर्त के रूप में उत्तम निर्माण प्रमाण-पत्र पर बल देते हुए दवाओं की वास्तविकता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। मेडिकल स्टोर डिपो और मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन द्वारा खरीदी जाने वाली और सीजीएचएस औषधालयों को आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाइयां एमएसडी और एमएसओ को प्रदान करने से पहले सरकारी प्रयोगशाला और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में दो बार नमूना जांच के लिए जाती है। तथापि, लाभार्थी उनको आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत होने पर अपना प्रतिवेदन अपर निदेशक, मेडिकल स्टोर डिपो, सीजीएचएम, गोल मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं।

बुनियादी खेल सुविधाओं हेतु योजनाएं

639. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेलकूद के विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में इन योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान को आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य 10 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांव तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना प्रदान करना और ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं तक पहुंच प्रदान करना है।

योजना के तहत, खेल अवसंरचना के विकास जैसे खेल मैदान का विकास, एथलेटिक ट्रैक, खेल मैदान की चारदीवारी, गोल पोस्ट, नेट खेलों के लिए पोल, आउटडोर फिटनेस उपस्कर आदि के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक ब्लाक पंचायत को क्रमश: 1 लाख रु. और 5 लाख रु. का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य का अंशदान सामान्य राज्यों के लिए 25% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10% होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को खेल उपकरणों की खरीद के लिए वार्षिक अधिप्रापण अनुदान तथा खेल स्पर्धाओं में अलग प्रचालन संबंधी व्यय की पूर्ति करने के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान के रूप में प्रतिमाह क्रमश: 10,000 रु. और 12,000 रु. दिए जाएंगे, किंतु ब्लाक पंचायतों को क्रमश: 20,000 रु. और 24,000 रु. दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लाक पंचायत को ब्लाक स्तर पर स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 50,000 रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक जिले को जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 3 लाख रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, ब्लाक स्तर व जिला स्तर की स्पर्धाओं में विजेताओं (प्रथम तीन स्थान) के लिए पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।

(ग) इस स्कीम को चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वीकृत तथा जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

बुनियादी खेल सुविधाओं हेतु योजना

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृति के लिए अनुमोदित कुल राशि (लाख रु.)	जारी की गयी निधि (रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	2819.77	14,65,38,500
2.	अरुणाचल प्रदेश	98.50	73,87,500
3.	असम	695.54	1,61,25,000
4.	बिहार	1043.66	5,21,83,000
5.	छत्तीसगढ़	1011.20	–
6.	गोवा	35.19	–
7.	गुजरात	1420.11	–
8.	हरियाणा	650.71	3,25,35,500
9.	हिमाचल प्रदेश	402.40	2,01,20,000
10.	जम्मू-कश्मीर	531.72	2,65,86,000
11.	केरल	159.85	79,92,500
12.	मध्य प्रदेश	2364.77	11,82,38,500
13.	महाराष्ट्र	2754.98	–
14.	मणिपुर	108.24	–
15.	मिजोरम	106.66	85,32,800
16.	नागालैंड	147.90	–
17.	उड़ीसा	734.20	3,67,10,000
18.	पंजाब	1390.17	7,28,96,000
19.	राजस्थान	943.49	3,70,87,500
20.	सिक्किम	75.32	6,00,000
21.	तमिलनाडु	1382.39	5,00,00,000
22.	त्रिपुरा	181.24	1,34,74,200
23.	उत्तर प्रदेश	5390.49	10,00,00,000
24.	उत्तराखंड	889.40	3,00,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	463.22	–
	कुल	25801.12	77,80,07,000

पंचायती राज मंत्रालय का परस्पर व्यापन कार्य

640. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, जो वस्तुत: पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में आता है, विविध एजेंसियों को सौंपा गया है जिसके परिणामस्वरूप पंचायतों की भूमिका की अनदेखी हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त सभी योजनाओं का एक योजना में विलय करके इसे पंचायत को सौंपे जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों द्वारा उनका अनुवर्तन होता है। पंचायती राज मंत्रालय फ्लैगशिप स्कीमों सहित केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के नियोजन, कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग एवं पंचायतों की केंद्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले को सक्रियता से उठाता रहा है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन.आर.ई.जी.एस.) को पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के प्रावधानों के तहत पात्र परिवार ग्राम पंचायत में आवेदन करते हैं, जहां विधिवत सत्यापन के बाद जाब कार्ड जारी किए जाते हैं। प्रत्येक जिले को परियोजनाएं तैयार करनी होती हैं जो ग्राम सभाओं द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती है। कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों को निष्पादित किए जाने के लिए ग्राम पंचायतों को आबंटित किया जाना होता है। सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जानी होती है। इसी प्रकार, इंदिरा आवास योजना के तहत पंचायतें यह सुनिश्चित करती हैं कि लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानदंडों के अनुसार हो। पंचायतें लाभार्थियों को चरण-वार भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के मामले में अभियान के तहत कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अपने-अपने स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर कोर टीम गठित की गयी है। ग्राम स्तर पर, ग्राम शिक्षा समिति (वी.ई.सी.) कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है। यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा के लिए ग्राम पंचायत के तहत स्थायी समिति के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगी। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों को प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/एस.एस.ए. के पर्यवेक्षण की भूमिका दी जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) दिशा-निर्देशों के तहत कार्यक्रमों की योजना का निर्माण व उसका कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से अधिदेशित है। जिला स्वास्थ्य मिशन जो जिले के समस्त जन स्वास्थ्य संस्थानों, उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिशा-निर्देशित व प्रबंधित करता है, के प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वी.एच.एस.सी.), जो ग्राम पंचायत की एक उप समिति है, ग्राम स्वास्थ्य योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, पंचायतें उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पर्यवेक्षण में भी शामिल है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यान्वित किया जाता है। इसमें फल, सब्जियां, मूल व कंद की फसलें, मशरूम, मसाले, पुष्प, सुगंधित पादप व उनका रोपण शामिल है। यह क्षेत्र आधारित भिन्न-भिन्न कार्य-नीतियों को अपनाते हुए, जिसमें राज्य/क्षेत्र की तुलनात्मक अग्रता व उसकी वैविध्यपूर्ण एग्रो-क्लाइमेटिक विशेषताओं के अनुरूप अनुसंधान, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना, विस्तार, फसल के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण व विपणन शामिल है, किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों के तहत जिला स्तर पर पंचायत के सदस्यों एवं जिला योजना समिति को उनकी विशेषज्ञता व उपलब्ध अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।

(ख) वर्तमान में पंचायती राज को सौंपे जाने के लिए ऊपर की सभी योजनाओं को मिला दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रत्येक योजना अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए अभिकल्पित की गई है। पर यह आशा की जाती है कि इस प्रकार की प्रत्येक योजना में पंचायतों की केंद्रीयता उत्तरोत्तर सुनिश्चित की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पंचायतों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यों को योजना-निर्माण, कार्यान्वयन व मानीटरिंग के लिए सौंपा जाना एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक कार्यक्रमों/स्कीमों की योजना बनाई जाने, कार्यान्वयन व मानीटरिंग में पंचायतों को केंद्रीयता प्रदान

करना सरकार का प्रयास रहा है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ऊपर वर्णित प्रत्येक स्कीम के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर को सौंपे जाने वाले प्रकार्यों को बताते हुए गतिविधि मानचित्रण मैट्रिक्स तैयार किया गया है। संबंधित लाइन मंत्रालयों से राज्यों को कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में इन गतिविधि मानचित्रणों का अनुसरण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में मुंबई का विकास

641. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (आईएफसी) के रूप में विकसित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 10 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट को सभी प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, विनियामकों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, पीएफआरडीए, सेबी आईआरडीए और कुछ अन्य गैर-सरकारी अभिकरणों/संगठनों के बीच परिचालित किया गया। एक समर्पित ई-मेल आईडी द्वारा जनता की टिप्पणी मंगाने के लिए यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाली गई थी। रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त जानकारी पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं-एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स संबंधी एक्सचेंज व्यापारित करेंसी फ्यूचर्स की शुरूआत करना, ऋण प्रबंधन संबंधी आंतरिक कार्यदल की स्थापना करना तथा राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन अभिकरण की स्थापना करना, उक्त आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट का प्रक्रियान्वयन करना, मानव संसाधन और अन्य पहलों को आगे बढ़ाने तथा भारत की विनियामक और वित्तीय संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निमित्त विभिन्न विनियामकों और सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ सतत रूप से विचार-विनिमय करना।

के.बी.के. दीर्घावधि योजना

642. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान दीर्घावधि कार्य-योजना के अंतर्गत उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान के.बी.के. योजना हेतु मुहैया करायी गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में वर्ष 2009-17 की अवधि के लिए केबीके जिलों हेतु आठ वर्षीय विशेष योजना का मसौदा प्रस्तुत किया है।

(ख) दस्तावेज में किए गए उल्लेख के अनुसार, विशेष योजना मसौदा के समग्र लक्ष्य हैं- क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार, गरीबी कम करना, संधारणीय तरीके से चरम विकास प्राप्त करना और क्षेत्रीय संतुलन, समता व सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। विशेष योजना मसौदा में आठ वर्षों की अवधि में 4550 करोड़ रु. की संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। विशेष योजना मसौदा की योजना आयोग में जांच की जा रही है।

(ग) योजना आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में केबीके जिलों हेतु विशेष योजना के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	उपलब्ध कराई गई निधियां
2005-06	250.00
2006-07	250.00
2007-08	130.00*
2008-09	130.00*

*इसके अतिरिक्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के अंतर्गत भी केबीके जिलों हेतु निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नए चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु लम्बित प्रस्ताव

643. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमन, 1999 के उपबंधों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन और संस्तुतियों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 68 प्रस्ताव भेजे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियम, 1999 में विहित समय अनुसूची के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई, 2009 है।

[हिन्दी]

एनआरएचएम को आबंटित निधियां

644. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित की गयी धनराशि देश में बढ़ती स्वास्थ्य परिचर्या जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटन में अनेक वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 7189.20 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 9,000 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 10,890 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान 11,930 रुपये कर दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किए गए लगभग संपूर्ण आबंटन एवं परिभाषित पारदर्शी फार्मूले के आधार पर राज्यों को वितरित किया जाता है। राज्य अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं के आधार पर आबंटन का उपयोग करते हैं तथा सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई निधियों से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार कार्य शुरू करने की क्षमता बढ़ रही है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव

645. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु सड़क सुरक्षा मंचों/गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) से काफी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए समय-समय पर सड़क सुरक्षा मंच, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष डा. पी. पुलाराव और अन्य गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। डा. पी. पुलाराव ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर बूथों/शराब की दुकानों को हटाए जाने, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की कुशल प्रणाली और गुंडुगोलानु में उपरि पुलों के निर्माण आदि के लिए सुझाव दिए हैं। नई दिल्ली में 28 जनवरी, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 11वीं बैठक में डा. एम.एन. टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर और डा. सुव्रतो दास, सीईओ, लाईफलाइन फाउंडेशन ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सुझाव दिए थे। ये सुझाव अधिकांशत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सहायता देने के लिए आम जनता को प्रशिक्षित किए जाने और एंबुलेंसों के प्रचालकों को प्रशिक्षण देने से संबंधित थे।

(ग) से (ङ) वर्ष 2003 में, इस विभाग को सड़क सुरक्षा मंच, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष डा. पी. पुलाराव से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस बात पर अडिग हो सकते हैं कि वे सड़कों का निर्माण तब तक नहीं करेंगे जब तक संबंधित उत्पाद नीति में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण इस शर्त पर किया जाएगा कि शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर से हटाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर से शराब की दुकानों को हटाने संबंधी मामले पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की नई दिल्ली में आयोजित दिनांक 15.1.2004 को हुई 7वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और सर्वसम्मति से यह सहमति हुई कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (परिवहन) से

दिनांक 26 अक्तूबर, 2007 को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री के लिए किसी भी शराब विक्रेता को लाइसेंस जारी न किया जाए। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे ऐसे मामलों, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के लिए शराब विक्रेताओं को लाइसेंस पहले ही जारी कर दिया गया है, की सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समीक्षा करें।

विशिष्ट पहचान संख्या

646. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री रमेश दूबे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या मुहैया कराने हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है जैसा कि 27 जनवरी, 2009 के "द मेल टुडे" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या भूमिका अभिकल्पित की गयी है;

(घ) देश के सभी नागरिकों को यह संख्या कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है;

(च) क्या यूनिक आइडेन्टिटी डाटाबेस (यू.आई.डी.) स्मार्ट कार्ड बहुप्रयोजन पहचान पत्रों से अलग होंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या बनाने और उन्हें मुहैया कराने के लिए दिनांक 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अधिसूचित किया गया है।

(ख) यूआईडीएआई को योजना आयोग के तत्वावधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रारम्भ में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा यूआईडीएआई के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यूनिटों में 115 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक केन्द्रीय टीम (कोर टीम) होगी। यूआईडीएआई विशिष्ट पहचान (यूआईडी) स्कीम के लिए योजनाएं निर्धारित करने और नीतियां बनाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यूआईडी का अपना डाटाबेस होगा एवं वह इसका संचालन करेगा तथा वर्तमान आधार पर इसको अद्यतन करने और इसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यूआईडी प्रणाली के विकास के विभिन्न चरणों में इसका प्रबंधन करने के लिए आवश्यक शासन संरचना स्थापित की जा रही है। राज्य सरकारें इस कार्य में सक्रिय रूप में भागीदार होंगी।

(घ) मतदाता सूची डाटा बेस और इसके उपरांत 18 वर्ष से कम की जनसंख्या को कवर करने हेतु निर्मित अन्य डाटाबेसों का प्रयोग कर 18 वर्ष से अधिक की जनसंख्या से शुरू करते हुये चरणबद्ध तरीके से पूरी आवासी जनसंख्या को इस प्रणाली के तहत कवर करने का प्रस्ताव है।

(ङ) इस परियोजना के परिणाम के रूप में जिन लाभों की परिकल्पना की गई है वह यह है कि विशिष्ट आईडी देश में सामाजिक लाभ एवं रोजगार कार्यक्रमों की बेहतर तरीके से मानीटरिंग करने और प्रचलित विभिन्न आईडी पहलों के बीच सहक्रियाओं की पहचान करने में सहायक होगी।

(च) यूआईडी आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

647. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के तीसरे चरण हेतु आवंटित निधियों का दुरुपयोग करने के लिए काफी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। वर्ष 2007-08 के वार्षिक मूल्यांकन के दौरान 17 गैर-सरकारी संगठनों को विश्व बैंक द्वारा विधिवत् अनुमोदित मूल्यांकन तंत्र के आधार पर बंद कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आई.ओ.ए. की जवाबदेही

648. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) को मिली प्रचालनात्मक और वित्तीय स्वायत्तता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.ओ.ए. की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) भारतीय ओलंपिक संघ 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अधीन पंजीकृत संस्था है।

सरकार बहुविधात्मक खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों आदि में भारतीय दल के भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत भारतीय ओलंपिक संघ को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार जब भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा देश में बहुविधात्मक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए बोली लगायी जाती है, तब भी सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) भारतीय ओलंपिक संघ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अनुदान के लिए वार्षिक लेखे और लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। लेखा परीक्षित लेखों की जांच के बाद मंत्रालय स्वीकार्य शेष धनराशि जारी करता है। इसके बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय ओलंपिक संघ की लेखा परीक्षा करते हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को आयकर छूट

649. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 2013 तक आयकर, उत्पाद शुल्क और पूंजी राजसहायता में पर्याप्त छूट दी थी और बाद में उक्त छूटों और अवधि में कटौती कर दी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उपर्युक्त छूटों में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में दी गयी छूटों और अवधि को बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित किए गए उपक्रमों के विनिर्दिष्ट कारोबार से कर निर्धारितियों को प्राप्त हुए लाभों अथवा अधिलाभों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80झग के तहत कटौती की अनुमति प्रदान कर दी है। यह कटौती किसी ऐसे उपक्रम अथवा उद्यम को उपलब्ध है जिसने विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा मदों का निर्माण अथवा उत्पादन करना आरम्भ कर लिया है अथवा करता है अथवा जो विनिर्दिष्ट माल अथवा वस्तुओं का निर्धारण अथवा उत्पादन करता है और वर्ष 2003 के जनवरी माह के सातवें दिन को आरम्भ होने वाली तथा 2012 वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपने कार्य का पर्याप्त रूप से विस्तार करता है। आयकर अधिनियम के तहत इस कटौती में कोई कमी नहीं की गयी है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2003 में, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित की गयी नयी औद्योगिक इकाइयों अथवा ऐसी औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की है जो अपनी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि कर रहे हैं। यह छूट नयी इकाइयों तथा मौजूदा इकाइयों को उनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। 10 वर्ष की इस अवधि में कोई कटौती नहीं की गयी है।

तथापि, सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के लाभ को भंडारण के दौरान परिरक्षण, साफ-सफाई कार्यों, पैंकिंग रीपैकिंग, आधानों पर लेबल लगाने अथवा पुन: लेबल लगाने, छटाई, उस क्षेत्र में होने वाली खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसी परिधीय कार्यकलापों को छोड़कर, अन्य माल तक सीमित कर दिया है।

(ख) ऐसे उपाय के पीछे तर्क यह था कि इस स्कीम के लाभ को क्षेत्र में हो रहे केवल वास्तविक औद्योगिक कार्यकलाप पर ही लागू किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया जा सके तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तम्बाकू कम्पनियों पर रॉयल्टी संबंधी उपकर

650. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
डा. अरविन्द शर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तम्बाकू कंपनियां अपने विदेशी भागीदारों को रॉयल्टी तकनीकी शुल्क के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेज रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक तम्बाकू कंपनी द्वारा धनराशि का किए गए देश-प्रत्यावर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू कंपनियां ऐसे भुगतान करने हेतु केन्द्र सरकार से परामर्श करती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बड़ी तम्बाकू कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों को भेजे जाने वाले रॉयल्टी अथवा शुल्क पर कुछ उपकर लगाने का है ताकि इससे तम्बाकू से जुड़े रोगों संबंधी सरकारी कार्यक्रम का वित्तपोषण किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव

651. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े संपूर्ण प्रभाव यथा औद्योगिक इकाइयों का बंद होना, नौकरियों का खत्म होना इत्यादि के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संकट के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए विभिन उपायों का क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वैश्विक वित्तीय संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों विशिष्टत: उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक वृद्धि तथा निर्यातों की वृद्धि गिरकर अप्रैल-दिसम्बर, 2008-09 में क्रमश: 3.2 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष (2007-08) की इसी अवधि में यह वृद्धि क्रमश: 9.0 प्रतिशत और 23.5 प्रतिशत रही थी। इस समय समूचे भारत में रोजगार पर पड़ने वाले 'समग्र प्रभाव' को आंकना संभव नहीं होगा क्योंकि रोजगार संबंधी उपलब्ध अद्यतन आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2005-06 के लिए किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

सरकार ने अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली करने तथा प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रोत्साहन पैकेज में अन्य बातों के अलावा बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय और भारत सरकार द्वारा दिया गया एक आर्थिक पैकेज शामिल हैं, जिसमें मुख्यत: व्यापक आयोजना व्यय तथा वस्त्रोद्योग, आवास, अवसंरचना, आटोमोबाइल, सूक्ष्म तथा लघु क्षेत्र और निर्यातों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट उपाय शामिल हैं। आशा है कि इन उपायों से इस संकट के प्रभावों पर काबू पाया जा सकेगा।

आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति हेतु निधियां

652. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य आयुर्वेदिक औषधालयों में आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने हेतु निधियां आवंटित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। आयुष विभाग की "आयुष औषधालयों संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत जहां भाचिप एवं हो. सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां प्रति एकक 25,000/- रुपये की दर से राज्य संचालित भाचिप एवं हो. औषधालयों (आयुर्वेदिक औषधालयों सहित) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/बाल स्वास्थ्य केंद्रों हेतु अनिवार्य औषधियों की प्राप्ति एवं आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों/

संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत, अन्य भाचिप एवं हो. औषधालयों के अतिरिक्त राज्यों के आयुर्वेदिक औषधालयों को भी निधियां आवंटित की जाती हैं।

(ख) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान भाचिप एवं हो. औषधालयों संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम हेतु क्रमशः 49.50 करोड़ रुपये एवं 53.50 करोड़ रुपये की निधियों को आवंटित किया गया है।

वित्तीय अस्थिरता बनाए रखना

653. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कतिपय क्षेत्रों में गिरावट आने का खतरा हो सकता है जिसके कारण निकट भविष्य में स्थिरता पर प्रभाव भी पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दिनांक 17.12.2008 को जारी भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट 2007-08 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि यद्यपि वित्तीय प्रणाली समग्रतः काफी सुदृढ़ है, तथापि कतिपय क्षेत्रों में कुछ हानिप्रद जोखिमों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, जिनका निकट भविष्य में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विकास और आस्तियों की कीमतों में कमी। प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास में कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ, सुदृढ़ और लचीला बना हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी लचीलापन दिखाई दिया है, में वर्ष के दौरान और सुधार हुआ। परिचालन क्षमता, आस्ति की गुणवत्ता जैसे कार्यनिष्पादन सूचकों और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता के सूचकों की तुलना इस समय वैश्विक मानदण्डों के साथ की जा सकती है। यद्यपि, वर्ष के दौरान मात्रा की दृष्टि से अनुपयोज्य ऋणों में वृद्धि हुई, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाई गई प्रवृत्ति के विपरित स्थिति का द्योतक है, तथापि सकल अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के अनुपात (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए) में निरंतर गिरावट आई है। अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार, भारत में वित्तीय स्थिरता विवेकपूर्ण नीतियों के अनुपालन के जरिए प्राप्त की गई है, जो संस्थाओं को अधिक जोखिम लेने तथा वित्तीय बाजारों को अत्यधिक अस्थिर और अस्तव्यस्त होने से रोकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दृष्टिकोण का उद्देश्य युक्तिसंगत स्तरों पर विकास की गति बनाए रखते हुए और कीमतों की स्थिरता को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी के दबाव को कम करने के लिए नकदी में वृद्धि करने के उपायों सहित वित्तीय बाजार में बनने वाले दबाव को रोकने के लिए समस्त वित्तीय प्रणाली की बारीकी से निगरानी की है। रिपोर्ट तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को निर्बाध और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। भारत सरकार ने दिनांक 7.12.2008 तथा 2.1.2009 की अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा भी की है, जिनका ब्यौरा उसकी वेबसाइट www.pib.nic.in पर उपलब्ध है।

कंपनियों द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी

654. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रमेश दूबे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेबी" ने जय कारपोरेशन लिमिटेड सहित कतिपय कंपनियों के शेयर मूल्य में बड़े पैमाने पर हुई हेराफेरी की गहन जांच शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार में किसी भी प्रकार के कदाचार का पता लगाने के लिए हमेशा सतर्क रहता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, सेबी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और विनियमों आदि का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। सेबी और एक्सचेंजों ने सूचीबद्ध कंपनी के व्यापार क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रणालियां भी अपनाई हैं। सेबी ने सूचित किया है कि जय कोर्प लिमिटेड के शेयर मूल्य में हेराफेरी के मामले में सेबी द्वारा कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई है।

न्यूजप्रिंट का उत्पादन और लागत

655. श्री पी. करुणाकरन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष न्यूजप्रिंट की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यूजप्रिंट का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यूजप्रिंट के ऊंचे मूल्य के कारण छोटे समाचारपत्रों का प्रकाशन बंद होने के कगार पर है; और

(ङ) यदि हां, तो छोटे समाचारपत्रों को संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कागज, कागज-पट्ट और न्यूजप्रिंट बनाने वाले अधिकांश कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। लाभकारी बिक्री होने और मांग पर निर्भर करते हुए तीव्र गति से न्यूजप्रिंट या लेखन कागज बनाने की सुविधा सहित सरकार द्वारा संचालित मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड जोकि मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी है, की क्षमता का संवर्धन करने के लिए विस्तार-सह-विविधीकरण परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) और (ङ) प्रिंट मीडिया के सामने आ रही कठिनाई और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रिंट मीडिया उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने न्यूजप्रिंट के आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया है। न्यूजप्रिंट की कीमतों में वृद्धि होने के कारण, सरकार ने दिनांक 1.9.2008 से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरें 24% बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, दिनांक 2.10.2007 से लागू विज्ञापन नीति के अनुसार, कुल प्रदर्शित विज्ञापनों में से 15% विज्ञापन लघु समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं।

शिक्षा में निजी निवेश

656. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए योजना आयोग की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग की सिफारिशों सहित अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नये नर्सिंग महाविद्यालय

657. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात राज्य में और नर्सिंग डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन महाविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान अहमदाबाद, गुजरात में कालेज आफ नर्सिंग नामक उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न कार्यक्रमों में नर्सिंग में पीएचडी, एमएससी (नर्सिंग), सतत् शिक्षा (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ), नर्स प्रैक्टिशनर पाठ्यक्रम और अति विशिष्टता पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। इस कालेज को शुरू करने का समय अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य क्लीयरेन्स प्राप्त होने और संस्थान के लिए भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय विरासत मार्ग

658. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आनंद जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय विरासत मार्ग पर विकास कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन एवं व्यय हुआ तथा चल रहे कार्य की स्थिति क्या है; और

(ग) इस मार्ग पर चल रहे विकास कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दांडी हैरिटेज रूट के चरण-1 के अंतर्गत विकास कार्य को मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की तारीख	एजेंसी का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत (लाख रु.)	लंबाई (कि.मी.)	कार्य प्रारंभ होने की तारीख	कार्य पूरा होने की अनुमानित तारीख	अद्यतन प्रगति भौतिक (%)	अद्यतन प्रगति वित्तीय (लाख रु.)
1.	गुजरात में एसए-228 (दांडी रूट) के 78/580 किमी. से 104/940 किमी. (बोरीअवी चं.-आनंद-बोरसाड) में सुदृढ़ीकरण	3.9.2008	मै. कलाठिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि. अक्ष कुंज आटोमोबाइल, नीलम बाग, भावनगर-364001	1428.91	26.36	29.11.2008	28.1.2010	60	337.00
2.	गुजरात में एसए-228 (दांडी रूट) के बोरसाड पहुंच मार्ग नेपाल्पड पहुंच मार्ग, देदर्दा पहुंच मार्ग और बोरसाड बाइपास सहित 104/940 कि.मी. से 119/580 कि.मी. (बोरसाड-कंसारी-कंसारी एस पहुंच मार्ग) में सुदृढ़ीकरण	12.11.2008	मै. भागीरथ एसोसिएट्स, 72, त्रिभुवन इंडस्ट्रियल इस्टेट के सामने ट्रेंगल वाटर टैंक के सामने, काठवाड़ा जीआईडीसी के निकट, काठवाड़ा, अहमदाबाद-382430 गुजरात (भारत)	1399.15	22.53	29.1.2009	28.3.2010	15	159.00
3.	गुजरात में एसए-228 (दांडी रूट) के 119/580 किमी. से 125/150 किमी. 128/730 कि.मी. से 129/930 कि.मी. तथा एस बाइपास का सुदृढ़ीकरण और 125/150 कि.मी. से 128/730 कि.मी. (एस-अंबेरावपुर-कंकपुरा) में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	12.11.2008	मै. भागीरथ एसोसिएट्स, 72, त्रिभुवन इंडस्ट्रियल इस्टेट के सामने ट्रेंगल वाटर टैंक के सामने, काठवाड़ा जीआईडीसी के निकट, काठवाड़ा, अहमदाबाद-382430 गुजरात (भारत)	576.3	12.36	15.1.2009	14.9.2009	15	0.00

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की हड़ताल

659. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन ऑपरेटरों की क्या मांगें थीं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले ट्रांसपोर्टर 5.1.2009 से 12.1.2009 तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए थे। ट्रांसपोर्टरों की मांगों में डीजल के मूल्यों में कमी, टायरों के मूल्यों में कमी, ऋण किस्त स्थगन और ट्रक फाइनेंस पर ब्याज में कम से कम 6 माह के लिए छूट, 6 माह के लिए पथकर स्थगन, राज्यीय/राष्ट्रीय परमिट और संबंधित करों के बगैर सभी वाहनों का निर्बाध आवागमन, सेवा कर हटाए जाने, ट्रांसपोर्टरों के लिए नकद भुगतान की सीमा से छूट, भाड़ा भुगतान से कर की कटौती न किया जाना आदि शामिल हैं।

(ग) इस विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपनी हड़ताल 12.1.2009 की शाम से बिना शर्त वापस ले ली। समझौते के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था और मोटर वाहनों से संबंधित करों को युक्तिसंगत बनाए जाने से संबंधित मसलों की जांच के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा

660. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अपनी उधार लेने की सीमा में वृद्धि करने हेतु संघ सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में उनके अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने भी अवसंरचना विकास के लिए बाजार से 1000 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड जैसी कुछ राज्य सरकारों ने चालू वित्तीय वर्ष (2008-09) में अपनी उधार लेने की सीमा में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है।

सरकार द्वारा घोषित दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय हेतु उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 0.5 प्रतिशत तक बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दे दी गई है, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए बैठती है।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग और संबद्ध क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करने पर होने वाले खर्च के लिए बाजार से 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने का अनुरोध किया था। तथापि, जी.एस.डी.पी. के 0.5 प्रतिशत के आधार पर केरल को 2008-09 में चालू वित्तीय वर्ष हेतु राज्य की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित उधार राशि के अलावा बाजार से 800.00 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है।

चन्द्रयान मिशन

661. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्द्रयान मिशन की प्रगति अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है;

(ख) यदि हां, तो चन्द्रयान-1 के प्रक्षेपण से लेकर अब तक प्राप्त आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिसमें इन आंकड़ों का प्रयोग किए जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर 22, 2008 को चंद्रयान-1 अंतरिक्षयान के प्रमोचन के बाद नवंबर 8, 2008 को अंतरिक्षयान को चन्द्रकक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नवंबर 14, 2008 को चंद्र सत्रह के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास पूर्वनिर्धारित स्थान पर चन्द्र संघट्ट प्रोब (एमआईपी) को स्थापित किया गया है। एमआईपी ने, जहां उसे स्थापित किया गया है वहां, के चंद्र सतह का नजदीकी चित्र खींच लिया है। चंद्रयान-1 में वाहित सभी वैज्ञानिक उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और वे चन्द्र सतह की विशिष्टताओं और खनिज सम्मिश्र से संबंधित आंकड़े भेज रहे हैं।

(ग) ये आंकड़े टोपोग्राफी, खनिज एवं रासायनिक सम्मिश्र से संबंधित चन्द्रमा का विस्तृत मानचित्र तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे चंद्र विकास संबंधी हमारी जानकारी बढ़ेगी।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशाला में कोयले की छंटाई

662. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न धोवनशालाओं में ''उपयोगी कोयला'' तथा अनुपयोगी कोयला को अलग-अलग करने हेतु किसी ''टू वे कनवेअर बेल्ट'' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) इस समय कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न वाशरियों में ''उपयोगी कोयले'' तथा ''अनुपयोगी कोयले'' को अलग-अलग करने के उद्देश्य से टू वे कन्वेयर बेल्ट की स्थापना करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सीआईएल के अधीन प्रचालित सभी वाशरियों में पृथक बेल्ट कन्वेयरों के माध्यम से ''उपयोगी कोयले'' तथा ''अनुपयोगी कोयले'' की अलग रखरखाव सुविधा मौजूद है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का विकास

663. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
डा. के.एस. मनोज:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के उन्नयन का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो केरल में पझायार नदी पर बने पुलों को चौड़ा करने सहित अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ग) इस राजमार्ग पर शुरू किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की कुल लंबाई 655 कि.मी. है जिसमें से 52 किमी. में पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी है। 157 किमी. में चार लेन बनाए जाने का कार्य चल रहा है। 364 किमी. में चार लेन बनाए जाने का कार्य निविदा के स्तर पर है और शेष 82 किमी. लंबाई के लिए साध्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पझायार नदी को पार नहीं करता।

[हिन्दी]

रबरयुक्त सड़क

664. श्री रामदास आठवले: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रबरयुक्त सड़क के निर्माण के संबंध में चल रहे शोध कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और खर्च की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी सड़कों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मंत्रालय की देश में रबरयुक्त सड़कों के निर्माण की कोई अनुसंधान स्कीम नहीं चल रही है। तथापि, इस समय कर्नाटक में मंत्रालय की अनुसंधान योजना 'आर-85-शोधित बाइंडर युक्त बिटुमिनस मिश्रण के फील्ड पर्फोमेंस की जांच' चल रही है। इस अनुसंधान योजना में क्रम्ब रबर शोधित बिटुमन (सीआरएमबी) और पालीमर शोधित बिटुमन (पीएमबी) आदि से युक्त बिटुमिनस मिश्रण जैसे विभिन्न बिटुमिनस मिश्रणों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन शामिल है। इस अनुसंधान योजना की संस्वीकृत लागत 37.5 लाख रु. है। मंत्रालय द्वारा इस अनुसंधान स्कीम पर अब तक 30 लाख रु. खर्च किए गए हैं।

(ख) और (ग) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की ऊपरी सतह पर सीआरएमबी, पीएमबी आदि जैसे शोधित बाइंडर बिटुमन के उपयोग के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा देश में भारी यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसकी व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

आईआरडीए द्वारा बीमा दरें

665. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) बीमा कंपनियों के बीमा प्रीमियम संबंधी आंकड़े प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) परम्परागत जीवन बीमा कारोबार और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लांस (यूलिप्स) द्वारा कुल कितने व्यक्तियों का बीमा, कंपनी-वार किया गया;

(घ) क्या भारत में बिक्री की गई बीमा पालिसियों की किसी प्रकार की कोई गारंटी होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने परम्परगात जीवन बीमा कारोबार तथा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लांस द्वारा बीमित व्यक्तियों की कंपनी-वार कुल संख्या सूचित की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आईआरडीए ने यह भी सूचित किया है कि दो प्रकार के "यूनिट लिंक्ड" उत्पाद/पालिसियां हैं अर्थात् गारंटी सहित और गारंटी रहित। फिलहाल, बाजार में 253 यूनिट लिंक्ड उत्पादों में से केवल 60 उत्पादों के संबंध में गारंटी उपलब्ध है।

यूनिट लिंक्ड उत्पादों के लिए प्रदान की गई गारंटियों के प्रकार निम्नलिखित हैं:-

* अदा किए गए प्रीमियम के एक भाग की वापसी।
* गारंटिड लायल्टी एडिशन।
* यूनिट के "निवल आस्ति मूल्य" की गारंटी।
* वापसी की न्यूनतम दर के रूप में।

गैर-लिंक्ड उत्पादों के मामले में, अभ्यर्पण तथा मृत्यु परिपक्वता लाभों की गारंटी है तथा गारंटी परम्परागत रूप में मिलती है।

विवरण

परम्परागत तथा यूनिट लिंक्ड पालिसियों तथा बीमित व्यक्तियों की संख्या*

क्र.सं.	बीमा कंपनी का नाम	2007-08 वैयक्तिक (पालिसियां)		2007-08 समूह (जीवन)	
		परम्परागत	यूलिप	परम्परागत	यूलिप
1	2	3	4	5	6
1.	बजाज एलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	155358	3588988	1942989	56336
2.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	157579	530732	159648	1107
3.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	318721	629809	167042	126572
4.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	874232	2038878	592400	474687
5.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	96976	263093	120214	4566
6.	मैक्स न्यू यार्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	321901	537574	482236	7266
7.	मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लि.	26596	208556	201766	29192
8.	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लि.	50272	263218	560139	87713
9.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	135410	790119	1134290	2281

1	2	3	4	5	6
10.	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	258249	238700	543033	39894
11.	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	72056	1001659	592755	156527
12.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लि.	37587	352481	652203	17057
13.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	48472	60612	319	52
14.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11454	97675	15429	0
15.	भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11638	62436	9012	0
16.	फ्यूचर जनरलाई इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0	0	0	0
17.	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	146	2606	0	0
18.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0	0	0	0
19.	एइगन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0	0	0	0
20.	डीएलएफ प्रैमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0	0	0	0
	गैर-सरकारी क्षेत्र का कुल	2576647	10667136	7173475	1003250
21.	भारतीय जीवन बीमा निगम	17980610	19609385	26708907	29234
	कुल योग	20557257	30276521	33882382	1032474

*वैयक्तिक पालिसियों के मामले में बीमित व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे फिलहाल प्राप्त नहीं हुए हैं।

निजी नर्सिंग होम्स को विनियमित करने हेतु मानदण्ड

666. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में 'निजी नर्सिंग होम्स' को विनियमित/नियंत्रित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले ही "नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2007" संसद में प्रस्तुत कर दिया है। इस विधेयक का लक्ष्य नैदानिक स्थापनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं के न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करने के उद्देश्य से देश में नैदानिक स्थापनाओं के पंजीकरण एवं विनियमन की व्यवस्था करना है।

विदेशी निवेश में कमी

667. श्री अनंत कुमार:
श्री किरेन रिजीजू:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान वैश्विक मंदी के कारण अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और ओवरसीज कारपोरेट निकायों (ओसीबी) द्वारा देश में किए जा रहे निवेश में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अप्रवासी भारतीय/पी.आई.ओ. और ओ.सी.बी. द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में और निवेश करने हेतु एनआरआई, पीआईओ, ओसीबी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं। विश्व व्यापी मंदी के कारण निवेश में 2007 की तुलना में 2008 के दौरान कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों, प्रवासी निगमित निकायों से निवेश संबंधी आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2006 से 2008 तक गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) प्रवासी भारतीयों द्वारा अधिकाधिक निवेश को कारगर बनाने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक गैर-लाभ अर्जक ट्रस्ट के रूप में प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है। प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र भारत और विदेशों में प्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु निवेशक बैठकों का आयोजन करता है।

विवरण

जनवरी 2006 से सितम्बर, 2008 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों का कलैण्डर वर्षवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि मिलियन)

क्र.सं.	राज्य	2006 जनवरी-दिसम्बर			2007 जनवरी-दिसम्बर			2008 जनवरी-सितम्बर			कुल		
		विदेशी प्रौद्योगिकी मामले	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपयों में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रौद्योगिकी मामले	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपयों में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रौद्योगिकी मामले	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपयों में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रौद्योगिकी मामले	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपयों में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में
1.	आंध्र प्रदेश	3	156.90	3.39	2	199.64	4.90	5	121.16	3.07	10	477.70	11.36
2.	गुजरात	1	5.02	0.11	0	0.00	0.00	1	16.80	0.40	2	21.82	0.51
3.	हरियाणा	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00
4.	कर्नाटक	2	33,750.50	750.86	1	3.29	0.07	3	17.77	0.43	6	33,771.55	751.36
5.	केरल	1	0.92	0.02	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.92	0.02
6.	महाराष्ट्र	7	255.97	5.76	4	103.20	2.43	0	0.00	0.00	11	359.17	8.19
7.	तमिलनाडु	3	50.75	1.14	2	280.00	7.10	1	0.00	0.00	6	330.75	8.24
8.	उत्तर प्रदेश	1	1.80	0.04	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	1.80	0.04
9.	पश्चिम बंगाल	1	9.00	0.20	0	0.00	0.00	1	203.11	5.03	2	212.11	5.24
10.	दिल्ली	9	271.66	6.10	2	0.00	0.00	2	44.11	1.12	13	315.77	7.22
11.	गोवा	1	1.25	0.03	0	0.00	0.00	1	300.00	7.01	2	301.25	7.03
12.	नहीं दर्शाए गए राज्य	0	0.00	0.00	3	72.00	1.64	0	0.00	0.00	3	72.00	1.64
	कुल योग	30	34,503.77	767.66	14	658.13	16.14	14	702.94	17.06	58	35,864.84	800.86

मानव बस्तियों को स्वैच्छिक रूप से अन्यत्र बसाना

668. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार को वयानाड वन्यजीव अभयारण्य से मानव बस्तियों को स्वैच्छिक रूप से अन्यत्र बसाने हेतु केरल सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में मंजूर की गई धनराशि और अब तक जारी धनराशि सहित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) अब तक कुल कितने जनजातीय और गैर-जनजातीय परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए चिह्नित किया गया है और इस कार्य पर कितनी लागत आएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वयानाड वन्यजीव अभयारण्य में 983 परिवारों (593 आदिवासी और 390 गैर-आदिवासी परिवारों) के स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए 85 करोड़ रु. की लागत पर केरल सरकार से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने केरल सरकार से 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित/रिकास्ट करने का अनुरोध किया है ताकि प्रस्ताव पर, कोषों की उपलब्धता और आवश्यक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के पूरा होने पर आगे विचार किया जा सके। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध

669. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों, कंटेनर्स और प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण के उपयोग और विनिर्माण को विनियमित करने के लिए प्लास्टिक विनिर्माण, बिक्री और उपयोग नियमावली, 1999 अधिसूचित की है और वर्ष 2003 में इनका संशोधन किया है। इनमें प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के लिए उपबंध हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का विनिर्माण और पुन:चक्रण केवल पंजीकृत इकाइयों द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं। इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, वर्जिन प्लास्टिक से बनी थैलियां और कन्टेनर्स प्राकृतिक रंग अथवा सफेद रंग के होंगे। पुन:चक्रित प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक की थैलियां, जिनका उपयोग खाद्य सामग्री के भण्डारण और पैकिंग के अलावा दूसरे प्रयोजनों हेतु किया जाता है, उनका विनिर्माण "खाद्य सामग्री फार्मास्युकिल्स और पेयजल के संपर्क में आने वाले प्लास्टिक के लिए रंजक और रंग द्रव्य की सूची" नामक आई एस: 9833:1981 के अनुसार रंजक रंग द्रव्यों का उपयोग करके किया जाएगा। प्लास्टिक का पुन:चक्रण "प्लास्टिक के पुन:चक्रण हेतु दिशा-निर्देश" नामक आई एस 14534:1998 के अनुसार ही किया जाएगा।

आयकर छूट

670. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त अधिनियम, 2003 के अंतर्गत 'स्थानीय प्राधिकरण' की परिभाषा से राज्य समुद्री बोर्डों के दर्जे को बाहर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने राज्य समुद्री बोर्डों से आयकर को माफ कराने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम): (क) वित्त अधिनियम, 2002 के तहत धारा 10 के खंड (20) के अंतर्गत "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा को सीमित किया गया था ताकि इसमें केवल पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगम समिति तथा जिला परिषदों और छावनी बोर्डों को शामिल किया जा सके। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी हुआ। इस प्रकार राज्य समुद्री बोर्डों जैसी संस्थाओं को उक्त धारा के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दायरे से बाहर रखा गया था।

(ख) उक्त संशोधन दसवीं योजना के लिए कर नीति तथा कर प्रशासन पर गठित सलाहकार समूह की सिफारिश पर आधारित था जिसने आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के अंतर्गत दी गई छूट को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उदार कर प्रणाली के अनुरूप छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीमितकारी परिभाषा स्वीकार कर ली गई। तथापि, पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगम समिति आदि के मामले में इस छूट को जारी रखा गया क्योंकि वे स्थानीय स्व-शासन की संस्थाएं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुरोध की जांच की गई और व्यावहारिक नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्लाईओवरों का निर्माण

671. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित/निर्माण हेतु प्रस्तावित फ्लाईओवरों का राज्य-वार एवं खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब में खन्ना में फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित और निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवरों का राज्यवार और खंडवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (घ) पंजाब में खन्ना में फ्लाईओवर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पानीपत से जालंधर खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 6 लेन का बनाए जाने की परियोजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पानीपत-जालंधर खंड को 6 लेन का बनाए जाने और खन्ना में किमी. 272.530, किमी. 273.05 और किमी. 274.000 पर फ्लाईओवरों के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है और 30 माह की निर्माण अवधि के साथ इन कार्यों के मार्च, 2009 तक प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण I

निर्मित फ्लाईओवरों का राज्यवार एवं खंडवार ब्यौरा (31 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रारा सं.	खंड
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	किमी. 297/094, ओंगोल (आं.प्र.)
		5	किमी. 20.00 (आनंदपुरम)
		5	किमी. 30.00 (राजपुलोवा जंक्शन)
		5	किमी. 99/1 (श्रीकाकुलम)
		7	किमी. 464.6 पर पुल
2.	असम	37	किमी. 154.341
3.	बिहार	2	किमी. 162 (पैकेज IV D)
		2	किमी. 143
		2	किमी. 69 मोहनिया

1	2	3	4
		2	किमी. 87 (पैकेज IV बी)
		2	किमी. 211.5 (शेरघाटी)
		2	किमी. 222 (पैकेज V ए) डोभी
		2	किमी. 112 फ्लाईओवर (ताराचांदी)
		2	किमी. 119 लेरुआ
		2	किमी. 126 (पैकेज IV सी)
4.	दिल्ली	8	आरटीटी-पालम जंक्शन (किमी. 13.943 से किमी. 15.548)
		8	महिपालपुर एवं आईजीआई जंक्शन (किमी. 18.200 से किमी. 19.000)
		8	रजोकरी जंक्शन (किमी. 22.200)
5.	हरियाणा	22 एवं 21ए	बलदेवनगर
		8	शंकर चौक/उद्योग विहार जंक्शन (किमी. 24.840)
		8	इफ्को चौक जंक्शन (किमी. 28.200)
		8	साउथ सिटी (किमी. 29.697)
		8	सेक्टर 31 (किमी. 30.950)
		8	झाडसा (किमी. 32.110)
		8	राजीव चौक जंक्शन (किमी. 33.200)
6.	झारखंड	2	किमी. 283.2 (बरही), किमी. 284
		2	किमी. 354.35 डुमरी
7.	कर्नाटक	4	201+073
		4	219+150 सिरीगेरे जंक्शन
		4	228+650 बरमसागरा बाइपास
		4	273+665 शिमोगा जंक्शन
		4	277+615 तुंगभद्रा बाइपास
		4	शिवांग फ्लाईओवर किमी. 363.574
		4	टाडस जीएस किमी. 385.641
		4	कुंडगोल वीसी किमी. 401.000

1	2	3	4
		4	259+640 हदादी जंक्शन
		4	धारवाड़ फ्लाईओवर किमी. 433.000
		4	एम के हुबली किमी. 474.000
		4	किमी. 192.48 (चित्रदुर्ग)
8.	महाराष्ट्र	17	डी प्वाइंट पर आरओबी
		6	किमी. 97.500 (तेलीगांव फ्लाईओवर)
9.	उड़ीसा	5	भुवनेश्वर शहर में बारामुंडा बस टर्मिनल पर चैनेज 413.468 (एफएल-3)
		5	भुवनेश्वर शहर में जयदेव विहार में चैनेज 417.745 (एफएल-5)
		5	कोखिया में चैनेज 78.65 (एफएल-1)
		5	पणिकोइली में चैनेज 90.60 (एफएल-2)
		5	भद्रक में चैनेज 124.58 (एफएल-3)
		5	जमीझाड़ी में चैनेज 147.45 (एफएल-4)
		5	कुरुदा में चैनेज 188.05 (एफएल-5)
		5	रेमूना में चैनेज 193.55 (एफएल-6)
		60	बालासोर किमी. 0.00
		5	किमी. 233.00 से किमी. 284.00
10.	पंजाब	22 एवं 21	जीरकपुर
11.	राजस्थान	8	किमी. 220.00
		11	किमी. 34.100
		8	किमी. 273.5
		8	किमी. 275.885
		8	किमी. 294.200
		8	किमी. 329.491
		8	किमी. 363.885
		8	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 21+010
12.	तमिलनाडु	5	किमी. 11/479 [माधवरम (टीएन)]
		4	पूनामाली (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के किमी. 18/105 पर ग्रेड सेपरेटर)

1	2	3	4
		4 एवं 45	अदियार किमी. 9/140
		4 एवं 45	पोरूर पुल किमी. 15/400
		4 एवं 45	कुउम किमी. 19/600
		205	पाडी किमी. 81/5
		45	काठीपाड़ा किमी. 12/3
		45	हवाई अड्डा (फ्लाईओवर) किमी. 17/3
		7	किमी. 106
		7	किमी. 116.9
		7	किमी. 134.00
		7	किमी. 137.00
		7	किमी. 142.00
		45बी	बिरला मलय बाइपास में प्रस्तावित बाइपास फ्लाईओवर के किमी. 24 और 28.1 के बीच
		45बी	मेलूर बाइपास (मेलूर तिरुपत्तूर सड़क पर) में प्रस्तावित बाइपास फ्लाईओवर और मेलूर बाइपास (मेलूर शिवगंगई सड़क) में फ्लाईओवर के किमी. 96.9 और 102.3 के बीच
		66	रारा 6 का किमी. 36/8 (टिंडीवनम प्रस्तावित बाइपास संरेखण पर फ्लाईओवर)
		45	किमी. 265/2 इलमबलूर (पेरमबलूर फोर रोड पर क्लोवर लीफ फ्लाईओवर)
		45	किमी. 266/6 तोरमंगलम (तोरमंगलम में ग्रेड सेपरेटर)
13.	उत्तर प्रदेश	2	किमी. 0-वीआरएम बाइपास मोहन सराय
		2	किमी. 200.653 (पैकेज I ए)
		2	किमी. 239.441 (फिरोजाबाद)
		2	वीआरएम बाइपास का किमी. 30
		2	किमी. 221.789 (टूंडला)
		2	किमी. 492 (कानपुर)
		2	किमी. 11 (चकरी)
		2	किमी. 160.161 इलाहाबाद बाइपास कोखराज
		2	किमी. 185.544 इलाहाबाद बाइपास नवाबगंज
		2	किमी. 196.605 इलाहाबाद बाइपास शिवगढ़

1	2	3	4
		2	रमादेवी फ्लाईओवर
		2	किमी. 216.816 भरतपुर इलाहाबाद बाइपास
		2	आरओबी सह ग्रेड सेपरेटर किमी. 240.575 (हंडिया)
		24	किमी. 58, किमी. 86, किमी. 105, 149
		2	किमी. 218.341 (टूंडला)
		2	किमी. 264.500 (शिकोहाबाद)
		2	किमी. 320 (इटावा)
		2	किमी. 478 (कानपुर)
14.	पश्चिम बंगाल	2	किमी. 562+725 पर आरामबाग ग्रेड सेपरेटर
		2	किमी. 575+710 ऊपरी मार्ग
		2	किमी. 581+157.285 पर पालसित इंटरचेंज (फ्लाईओवर पर)
		2	किमी. 588+400 पर फ्लाईओवर
		2	किमी. 595+300 पर फ्लाईओवर
		2	किमी. 602+522 पर फ्लाईओवर
		2	किमी. 614+05 पर फ्लाईओवर
		2	किमी. 628+700 पर फ्लाईओवर
		2	किमी. 635+000 पर फ्लाईओवर
		6	किमी. 21.980 पर
		6	किमी. 24.60 पर
		60	बेलदा कस्बा किमी. 80.00

विवरण II

निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवरों का राज्यवार एवं खंडवार ब्यौरा (31 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रारा सं.	खंड	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	किमी. 196.10	प्रगति पर
		7	किमी. 471.7 पर ऊपरी पुल	
		7	किमी. 21.56 पर ऊपरी पुल	

1	2	3	4	5
2.	असम	31	किमी. 1125.00	कार्यान्वयनाधीन
		37	किमी. 164.00	
		37	किमी. 171	
3.	बिहार	28	किमी. 453.6 एवं किमी. 519.66 पर 2	प्रगति पर
		57	किमी. 82.390, 62.796, 5.980, 83.840 पर 3	
4.	दिल्ली	24	किमी. 2.4	प्रगति पर
		24	किमी. 7.2 (गाजीपुर क्रासिंग)	
		10	किमी. 18.96 से किमी. 19.98 (नजफगढ़ एवं किरारी मोड चौराहा)	
5.	गुजरात	6 एवं एसएच 80	निरझर के समीप किमी. 102+038	कार्यान्वयनाधीन
		6 एवं एसएच 173	सौंगाध कस्बे में किमी. 84+368	
		6 एवं एसएच 5	बीजापुर में किमी. 50+780	
		6 एवं एसएच 187	वलोड जंक्शन किमी. 36+655	
		6 एवं एसएच 88 एवं एसएच 165	बारदोली जंक्शन किमी. 34+927	
		पुनर्संरेखित रारा 6 एवं एसएच 6	सचिन में किमी. 11+600	
		पुनर्संरेखित रारा 6 एवं एसएच 6	उन जंक्शन किमी. 12+200	
		पुनर्संरेखित रारा 6 एवं एसएच 66	मगडल्ला में किमी. 25+500	
		पुनर्संरेखित रारा 6 एवं एसएच 168	इच्छापुर जंक्शन किमी. 12+612	
		8सी	गांधीनगर शहर में अदलाज के समीप किमी. 20/800	प्रगति पर
		8सी	इस्कान जंक्शन पर किमी. 39/0	कार्यान्वयनाधीन
		8	जैतपुर से गोंडल और राजकोट बाइपास खंड किमी. 117.00 से किमी. 143.00	प्रगति पर

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	22	किमी. 46.400 (मजरी चौक) किमी. 47.746 और किमी. 49.427	प्रगति पर
		10	किमी. 33.445, किमी. 38.44 किमी. 55.47 किमी. 76.082 और किमी. 85.387	प्रगति पर
7.	जम्मू-कश्मीर	1ए	किमी. 286.0 से किमी. 303.8 तक 4 लेन बनाना हैदरपुरा	प्रगति पर
		1ए	किमी. 0.0 से किमी. 15.0 तक 4 लेन बनाना कुंजवानी	
8.	झारखंड	33	नामकुम में किमी. 130-131 पर एकीकृत आरओबी सह फ्लाईओवर सह एचएल पुल	प्रगति पर
9.	कर्नाटक	4	66.34 बतबाड़ी	प्रगति पर
		4	62.76 क्यातसांद्रा	
		4	192.48 चित्रदुर्ग	
		4	197.315 चित्रदुर्ग	
		4	199.218 चित्रदुर्ग	
		4	199.976 चित्रदुर्ग	
		4	262.253 शमनौर	
		4	295 रेनाबेनूर बाइपास	
		4	300.84 हलीगेरे रोड	
		4	256.732 दावनगेरे बाइपास	
		7	किमी. 8/765 से किमी. 18/750 तक उत्थापित राजमार्ग	
		7	किमी. 21/175 से 22/050 बोमासांद्रा फ्लाईओवर	
		7	किमी. 23/700 से 24/640 पर चंद्रपुरा फ्लाईओवर	
		7	किमी. 31/640 से 32/453 अतिवेले फ्लाईओवर	
		7	सूरतकल	
		7	कुलूर	

1	2	3	4	5
		7	कोटारा चौकी	
		7	कुंतीकान	
		7	नंतूर	
		7	मरोली	
		7	बीसी रोड	
		4	किमी. 10/15 से किमी. 14/50 चै. 15/835 तक पहुंच नियंत्रित राजमार्ग	
		4	किमी. 18/010	
		4	किमी. 20/300	
		4	किमी. 22/050	
		4	किमी. 23/820	
		4	किमी. 26/680	
		4	किमी. 27/833	
10.	केरल	47	पुत्तूर किमी. 272.323	प्रगति पर
		47	त्रिसूर बाइपास किमी. 277.190	
		47	कोडकारा किमी. 294.004	
		47	पोट्टा किमी. 299.499	
		47	चालकुडी किमी. 303.000	
		47	अलुवा किमी. 330.940	
11.	मध्य प्रदेश	76	परोरा फ्लाईओवर	प्रगति पर
		76	कौलबाड़ा	
		3	मऊ बाइपास चैनेज 12+830 (ओवरपास)	
		3	मऊ बाइपास चैनेज 13+230 (ओवरपास)	
		3	मऊ बाइपास चैनेज 59+740 (ओवरपास)	
		3	प्रस्तावित ग्वालियर बाइपास में चार फ्लाईओवर	
		75	ग्वालियर-झांसी खंड के किमी. 32.83, 38.48, 43.37, 47.44, 54.46, 65.18, 75.84 एवं 90.87 पर 8 फ्लाईओवर	

1	2	3	4	5
		86	चैनेज 202.280 पर सागर बाइपास पर फ्लाईओवर कानपुर रोड क्रासिंग	
		26	राजमार्ग चौराहा (किमी. 296.200) पर रारा 26 और रारा 12 की क्रासिंग पर फ्लाईओवर	
		26	किमी. 336.564 पर छिंदवाड़ा फ्लाईओवर	
		26	किमी. 343.470 पर जबलपुर फ्लाईओवर	
		26	किमी. 405.770 पर फ्लाईओवर	
		7	किमी. 606.159 पर फ्लाईओवर (नागपुर-जबलपुर खंड)	
12.	महाराष्ट्र	7	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर खंड तक चार लेन बनाने की परियोजना में प्रस्तावित 8 फ्लाईओवर	प्रगति पर
		6	किमी. 48.800 (कोंडली फ्लाईओवर)	कार्यान्वयनाधीन
		6	किमी. 120.500 (मोजारी फ्लाईओवर), किमी. 140.300 (मोरशी जंक्शन फ्लाईओवर)	
		3	एसएच 4 जंक्शन (सी - किमी. 199/675)	
		3	एसएच 4 जंक्शन (किमी. 201/180)	
		3	एमडीआर-34 जंक्शन (शीरपुर फाटा-किमी. 203/700)	
		3	एसएच 6 जंक्शन (नरदाना बाइपास-किमी. 219/450)	
		3	एमएसएच-1 जंक्शन (सोनगीर फाटा-किमी. 242/300)	
		3	देवपुर जंक्शन (किमी. 257/400)	
		3	रारा 6 जंक्शन (पारोल फाटा किमी. 262/700)	
		3	मालेगांव (मनमाड जंक्शन-किमी. 315.000)	
		3	पिंपलगांव (किमी. 386)	
		3	पिंपलगांव (प्याज मंडी किमी. 389/200)	
		3	ओजार (एचएएल किमी. 396/600)	

1	2	3	4	5
		3	नासिक सिटी (किमी. 413/359 से किमी. 481/671)	
		3	पाथरडी (किमी. 422/00)	
		3	गरवाड़े जंक्शन (किमी. 424/00)	
		9	चौफुला जंक्शन (किमी. 55/00)	
		9	दौंद बारमती क्रास रोड (किमी. 73/800)	
13.	उड़ीसा	5	किमी. 233.00 से किमी. 284 के बीच एक फ्लाईओवर	प्रगति पर
14.	पंजाब	21	किमी. 41.650 (रोपड़) एवं किमी. 71.00 (कीरतपुर)	प्रगति पर
		1	किमी. 463.350	
		1ए	चक्की फ्लाईओवर किमी. 110.6	
		1ए	मुकेरियन फ्लाईओवर किमी. 72.216	
		21	किमी. 41.650 (रोपड़) एवं किमी. 71.00 (कीरतपुर)	
		1	किमी. 272.530	कार्यान्वयनाधीन
		1	किमी. 273.050	
		1	किमी. 274.000	
15.	राजस्थान	76	एमपी/राज. सीमा किमी. 476	प्रगति पर
		76	एमपी/राज. सीमा किमी. 476	
		76	एमपी/राज. सीमा किमी. 473	
		76	एमपी/राज. सीमा किमी. 431	
		76	एमपी/राज. सीमा से कोटा किमी. 411	
		76	कोटा से चित्तौड़गढ़ किमी. 301	
		76	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 6.63	
		76	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 5.16	
		76	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 0.0	
		76	स्वरूपगंज से बेकरिया किमी. 0.406	
		76	स्वरूपगंज से बेकरिया किमी. 0+000	

1	2	3	4	5
		76	गोगुंडा से उदयपुर किमी. 95.080	
		76	कोटा बाइपास किमी. 25.528	
		76	कोटा बाइपास किमी. 20.895	
		76	कोटा बाइपास किमी. 16.443	
		76	कोटा बाइपास किमी. 13.11	
		14	पालनपुर से स्वरूपगंज खंड किमी. 330.436	
		14	पालनपुर से स्वरूपगंज खंड किमी. 296.000	
		14	पालनपुर से स्वरूपगंज खंड किमी. 282.978	
		11	महुआ बाइपास क्रासिंग भिवाडी-अलवर-करौली राजमार्ग पर ऊपरी पुल (फ्लाईओवर)	
		11ए	रारा 11ए की क्रासिंग के साथ दौसा फ्लाईओवर	
		76, 79	किमी. 21+010	
		77, 79	किमी. 23+420	
		11	महुआ बाइपास क्रासिंग भिवाडी-अलवर-करौली राजमार्ग पर ऊपरी पुल (फ्लाईओवर)	
		11ए	रारा 11ए की क्रासिंग के साथ दौसा फ्लाईओवर	
		3	धौलपुर कस्बे में किमी. 53 पर फ्लाईओवर	
		3	धौलपुर कस्बे में किमी. 54.520 पर गुलाबबाग क्रासिंग पर फ्लाईओवर	
16.	तमिलनाडु	4	मदुरावोयल	प्रगति पर
		4	अंबातूर	
		4	कोयंबटूर	
		7	मुदलियापट्टी	
		7	विल्लीपुरम	
		7	पुगालूर	
		7	वेलूर बाइपास	
		7	करूर किमी. 298.275	

1	2	3	4	5
		7	डिंडीगुल जंक्शन (रारा 45 पर) किमी. 375	
		7	डिंडीगुल (रारा 209 पर) किमी. 377	
		7	डिंडीगुल (रारा 36 पर) किमी. 380	
		7	मेतूर गेट किमी. 394.850	
		47	मगुदाचवड़ी किमी. 20.538	
		47	वैगुनधाम किमी. 23.150	
		7	किमी. 188.850	
		7	किमी. 207.600	
		7	किमी. 211.825	
		7	किमी. 228.600	
		7	तिरुचंदूर सड़क और तूतीकोरिन क्रासिंग किमी. 159.800	
		45बी	प्रस्तावित बाइपास के किमी. 0 और 5.1 के बीच त्रिची बाइपास पर फ्लाईओवर (तिरुचिरापल्ली सिटी सड़क)	
		45बी	कोट्टमपट्टी बाइपास में प्रस्तावित बाइपास फ्लाईओवर के किमी. 75.6 और 79.2 के बीच	
		45	प्रस्तावित तिरुचिरापल्ली बाइपास संरेखण में प्रस्तावित बाइपास आरओबी का किमी. 3	
		45	किमी. 306/0 एस कन्नानूर समयपुरम बाइपास संरेखण पर ग्रेड सेपरेटर	
		45 एवं 67	रारा 45 का किमी. 319/4 और रारा 67 का किमी. 135/8 तारनलूर (विद्यमान त्रिची बाइपास में तंजावुर रोड जंक्शन पर फ्लाईओवर)	
		45 एवं 210	रारा 45 का किमी. 323/100 और रारा 210 का किमी. 0/0 कोटापट्टू (विद्यमान त्रिची बाइपास में पुदुकोट्टै जंक्शन पर फ्लाईओवर)	
		45	किमी. 156/0 मुंदीआमबक्कम आरओबी	
		45	नया बाइपास संरेखण विलुपुरम बाइपास	
		45	नया बाइपास संरेखण उलून्दूरपेट बाइपास	
		45	किमी. 165/4 कंदमबक्कम आरओबी	

1	2	3	4	5
17.	उत्तराखंड	72	लच्छीवाला में किमी. 175	प्रगति पर
18.	उत्तर प्रदेश	26	किमी. 13.860 पर फ्लाईओवर	प्रगति पर
		3	आगरा बाइपास परियोजना में प्रस्तावित 5 फ्लाईओवर	
		24	किमी. 58, किमी. 86 किमी. 105, 149	
		25	जाजमऊ पुल से रमादेवी क्रासिंग	
		25	उरई-झांसी खंड (किमी. 217, 121.53, 0 पर आरओबी)	
		25	झांसी बाइपास (किमी. 96.320, 97.083 और 101.401 पर 3)	
		2	बारन से उरई किमी. 449 से किमी. 422	
		2	बारन से उरई किमी. 444	
		2	बारन से उरई किमी. 442	
		2	बारन से उरई किमी. 435	
		2	बारन से उरई किमी. 425	
		2	बारन से उरई किमी. 422	
		28	8.25, 122.975, 126.325, 126.875, 130.425, 50 और अयोध्या बाइपास में 5.40, 196.615, 203.764, 233.726	
		2	किमी. 160.161 ग्रेड सेपरेटर (कोखराज)	
		2	किमी. 185.544 फ्लाईओवर (नवाबगंज)	
		2	किमी. 188.749 आरओबी (कांजिया एवं माधपुर)	
		2	किमी. 196.605 फ्लाईओवर (शिवगढ़)	
		2	किमी. 199.810 आरओबी (अबदलपुर-तुलापुर)	
		2	किमी. 216.816 फ्लाईओवर (भरतपुर)	
		2	किमी. 240.575 आरओबी सह ग्रेड सेपरेटर (हंडिया)	
		58	किमी. 70.95	
		24ए	किमी. 8.44 से 9.10	
19.	पश्चिम बंगाल	41	मछेड़ा फ्लाईओवर (3/4) अप लेन	प्रगति पर
		41	मछेड़ा फ्लाईओवर (3/4) डाउन लेन	
		41	02 नवंबर किमी. 445.2 एवं 472.64	

आई.डी.बी.आई. के कर्मचारी

672. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में अपना विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) का दर्जा बनाए रखने तथा अपने पूर्ववर्ती कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी रक्षा कर रहा है जैसाकि आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के खंड 5(1) में प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्ववर्ती आईडीबीआई के डीएफआई खंड से कर्मचारियों का स्थानांतरण रिटेल बैंकिंग कार्यों के लिए किए जाने से विद्यमान निरसन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। आईडीबीआई बैंक लि. (पूर्व में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. के रूप में जाना जाता था) अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के अलावा, अपने विकासात्मक बैंकिंग कार्यकलाप कर रहा है। इसके अलावा, आईडीबीआई बैंक लि. अपने पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल, परिलब्धियां, दायित्व, अधिकार और कर्त्तव्य के साथ छुट्टी, यात्रा रियायत भत्ता, कल्याणकारी योजनाएं, चिकित्सा लाभ योजना, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधियां, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उप-दान (ग्रेच्युटी) और अन्य लाभ आदि जो भी अधिनियम में दिए गए हैं, के संबंध में सेवा शर्तों की सुरक्षा के द्वारा आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 5(1) के प्रावधानों का भी अनुपालन कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख चुनौतियों के प्रति जी-8 देशों की प्रतिक्रिया

673. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-8 देशों ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया के लिए भारत सहित कुछ विकासशील देशों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न मौजूदा चुनौतियों का समाधान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं, जी-20 के नेताओं की बैठक, जी-7 के वित्त मंत्रियों की बैठक और क्षेत्रीय संस्थाओं सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किया जा रहा है।

बैंकों द्वारा विज्ञापन

674. **श्री अनंत नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक कतिपय पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करने तथा इसके लिए पत्रिकाओं का चयन करने हेतु यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा सहित बैंकों द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) अधिकतम प्रचार और मुनाफा पाने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंक, अपने-अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित बैंक की प्रचार नीति में उल्लिखित विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर, समय-समय पर पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन देते हैं।

विज्ञापन जारी करने के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ बड़ौदा सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले मानदंड विज्ञापन की विषय-वस्तु, सामग्री, पाठक, प्रचार और पहुंच जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, विज्ञापन बजट और विज्ञापन प्रशुल्क पत्रिकाओं में विज्ञापनों को जारी करने और पत्रिकाओं का चुनाव करने में मानदंड बनते हैं।

एन्टीजन का उत्पादन

675. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में सरकारी क्षेत्र के एककों में एन्टीजन के उत्पादन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे एककों में एन्टीजन की गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन वैक्सीन संस्थानों नामत: केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, तमिलनाडु और वी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नै, तमिलनाडु के विनिर्माण लाइसेंस भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा जनवरी, 2008 में निलंबित कर दिए गए थे क्योंकि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ये संस्थान अच्छी विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। इसे अभी रद्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

676. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी उद्योग स्तरीय द्विपक्षीय समझौतों/अधिकारी सेवा विनियमों, जो अन्य बातों के साथ-साथ, चिकित्सा सुविधा से संबंधित हैं, के अनुसार सेवा शर्तों द्वारा शासित हैं।

वर्तमान में, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अधीनस्थ कर्मचारी, कनिष्ठ और मध्य प्रबंधन ग्रेड और वरिष्ठ प्रबंधन एवं कार्यपालक ग्रेड को क्रमश: 1500 रुपये, 3750 रुपये और 5000 रुपये प्रति वर्ष की दर पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (घोषणा के आधार पर) करता है। इसके अलावा, द्विपक्षीय समझौतों/अधिकारी सेवा विनियमों में विहित सीमाओं के अध्यधीन अस्पताल भर्ती प्रभार का, कर्मचारी के मामले में 100% तक और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। व्यय की गई वास्तविक राशि और द्विपक्षीय समझौता/अधिकारी सेवा विनियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की गई राशि के अंतर की कुछ सीमाओं के अध्यधीन सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को, सरकारी बैंकों को उनके संबंधित निदेश मंडल के अनुमोदन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण (चिकित्सा व्यय सहित) के लिए कुछ निधि का आबंटन करने की सलाह देने का अनुरोध किया था।

संशोधित बी.डी.एस. कार्यक्रम

677. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) ने बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के अनुरूप दंत चिकित्सा विज्ञान स्नातक (बी.डी.एस.) की पाठ्यक्रम अवधि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विनियम का उन दंत चिकित्सा छात्रों की कैरियर संबंधी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम अभी तक पूरा नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार को इस विनियम के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 1983 में बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 4 वर्ष की अवधि और उसके बाद दन्त चिकित्सा कालेजों में एक वर्ष की रोटेटिंग इन्टर्नशिप की परिकल्पना की गई है अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की होती है जबकि संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 में पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की है जिसमें इन्टर्नशिप को 5 वर्ष के कार्यक्रम में ही मिला दिया गया है। इसलिए बीडीएस के पाठ्यक्रम की अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विनियम 2007 दिनांक 10.9.2007 से प्रभावी हुए हैं। जिस तारीख को ये राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। पूर्व विनियम 2007 के अनुसार पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र वर्ष 1983 के विनियमों से शासित होंगे। इस प्रकार संशोधित विनियमों से उनकी कैरियर संबंधी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पांच वर्षीय बीडीएस पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप को मिलाने के बजाए 4 वर्ष के बाद एक वर्ष की अनिवार्य इन्टर्नशिप को बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। समुचित कार्रवाई करने के लिए इन अनुरोधों को भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद में भेज दिया गया है।

न्यूरोमोने कृत्रिम हार्मोन तकनीक

678. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने केरल के अलापुज्जा जिले में मच्छर प्रजनन को रोकने के लिए न्यूरोमोने कृत्रिम हार्मोन तकनीक का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोग के क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम का विस्तार देश के अन्य भागों में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) अलापुज्जा की तीन बस्तियां नामत: वेटलकल, कडाकरापल्ली और मोहाम्मा में लगभग 1500 घरों को चुना गया था और लगभग 6000 एविट्रेपो रखे गये थे। प्रत्येक घर में 2-4 एविट्रेपो अर्थात् एक दवायुक्त और अन्य गैर-दवायुक्त क्रमश: प्रयोग और नियंत्रण के लिए रखे गये थे।

पोजिटिव प्रायोगिक एविट्रेपो में अंडों की संख्या नियंत्रण एविट्रेपो की तुलना में काफी अधिक पाई गई। इससे यह पता चलता है कि एट्रेक्टिसाइड मादा को आकर्षित करता है क्योंकि एजेप्टि मच्छर को अपने अंडे देने होते हैं।

अब तक एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, लार्वे की संख्या प्रायोगिक और नियंत्रण दोनों एविट्रेपो में लगभग बराबर पाई गई क्योंकि प्रायोगिक एविट्रेपो में इन्सेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर (आईजीआर) (आकर्षककर्ता) की उपस्थिति के कारण अंडे बच्चे देने में असमर्थ थे। अध्ययन से यह पता चला है कि केरल की मोहम्मा बस्ती में 3769 पाजिटिव नियंत्रण एविट्रेप की तुलना में कुल 3498 प्रायोगिक एविट्रेप पाजिटिव पाये गये। केरल की अन्य बस्तियों में भी इसी प्रकार के परिणाम सामने आये हैं।

(ग) और (घ) अन्य भागों में न्यूरोमोने आर्टिफिशियल हारमोन तकनीक का प्रयोग शुरू करना अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय सम विकास योजना

679. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) ने 27 राज्यों में 147 जिलों को कवर किया। वर्ष 2006-07 से राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़ा

क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया है। कार्यक्रम वर्ष 2003-04 में, प्रति जिला 45 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, जिसे प्रति दो वर्ष समान किस्तों की दर से 3 वर्षों के दौरान छह किस्तों में आहरित किया जाना था, शुरू हुआ था। इस प्रकार प्रत्येक जिले के लिए 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का आवंटन था, जिसे हर साल 7.5 करोड़ रुपये की 2 समान किस्तों में आहरित किया जाना था। राष्ट्रीय सम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों के ऐसे कार्यक्रमों व नीतियों को लागू करना है जो विकास की बाधाओं को दूर करेंगे, विकास की प्रक्रिया को तेज बनाएंगे तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। योजना, पिछड़े क्षेत्रों के लिए सकेन्द्रित ऐसे विकास कार्यक्रमों के प्रति लक्षित है जो असंतुलनों को कम करने में सहायता पहुंचाएंगे तथा विकास में तेजी लाएंगे। तदनुसार, कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में जिलों द्वारा भिन्न-भिन्न किस्म के विकास कार्यों, यथा-आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों, सिंचाई संरचनाओं, स्कूल भवनों, सड़कों, कलवर्टों, पुलों, मत्स्य तालाबों, ग्रामीण बाजार के शेडों, आय सृजन की स्कीम आदि को चलाया गया।

कार्यक्रम के तहत अभी तक 108 जिलों ने अपनी पूर्ण हकदारी का दावा किया है। शेष बचे 39 जिलों में से 33 जिलों को 7.5 करोड़ रुपये प्रत्येक की एक किस्त का दावा करना है तथा 6 जिलों को दो किस्तों, यानी 15 करोड़ रुपये प्रत्येक, का दावा करना है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत अभी तक हुई निर्मुक्तियों तथा व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछड़ा जिला पहल - आर एस वी वाई जिलों को निधियों की निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए)

20.2.2009 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	आरएसवीवाई जिलों की संख्या	कुल निर्मुक्त की जाने वाली राशि	योजना आयोग द्वारा 2003-04 से 2005-06 तक निर्मुक्त राशि	2006-07 में निर्मुक्त राशि	2007-08 में निर्मुक्त राशि	2008-09 में निर्मुक्त राशि	कुल निर्मुक्त की गई राशि	निर्मुक्तियों का प्रतिशत	शेष हकदारी	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया संचित व्यय	प्राप्त किया गया उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	10	450	150.00	82.5	105.00	90.00	427.50	95.00	22.50	332.74	332.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	15.00	7.5	7.50	7.50	37.50	83.33	7.50	29.98	30.00
3.	असम	5	225	45.0	52.5	52.50	45.00	195.00	86.67	30.00	145.69	145.69
4.	बिहार	21	945	292.50	232.5	97.50	187.50	810.00	85.71	135.00	574.66	553.86
5.	छत्तीसगढ़	8	360	187.50	127.5	45.00	0.00	360.00	100.00	0.00	343.83	310.86
6.	गुजरात	3	135	52.50	37.50	7.50	15.00	112.50	83.33	22.50	81.19	81.36
7.	हरियाणा	1	45	22.50	22.5	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2	90	45.00	30	15.00	0.00	90.00	100.00	0.00	66.66	61.91
9.	जम्मू-कश्मीर	3	135	52.50	22.5	15.00	15.00	105.00	77.78	30.00	80.89	80.89
10.	झारखंड	16	720	300.00	315.00	82.50	22.50	720.00	100.00	0.00	594.02	579.05
11.	कर्नाटक	4	180	52.50	37.50	45.00	30.00	165.00	91.67	15.00	140.43	137.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	केरल	2	90	52.50	15.00	7.50	7.50	75.00	83.33	15.00	65.34	63.00
13.	मध्य प्रदेश	10	450	315.00	135.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00	348.83	449.76
14.	महाराष्ट्र	9	405	142.50	90.00	107.00	58.00	397.50	98.15	7.50	299.88	279.84
15.	मणिपुर	1	45	30.00	15.00	0.00	0.0	45.00	100.00	0.00	39.99	39.99
16.	मेघालय	1	45	7.50	15.00	7.50	7.50	37.50	83.33	7.50	27.81	30.00
17.	मिजोरम	1	45	15.00	15.00	15.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
18.	नागालैंड	1	45	22.50	22.50	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	45.00	45.00
19.	उड़ीसा	5	225	97.50	45.00	52.50	30.00	225.00	100.00	0.00	183.37	188.46
20.	पंजाब	1	45	15.00	15.00	7.50	7.50	45.00	100.00	0.00	35.14	35.14
21.	राजस्थान	3	135	120.00	15.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00	131.55	131.58
22.	सिक्किम	1	45	15.00	22.5	7.50	0.00	45.0	100.00	0.00	35.60	131.58
23.	तमिलनाडु	5	225	172.50	30.00	22.50	0.00	225.00	100.00	0.00	211.64	195.72
24.	त्रिपुरा	1	45	22.50	15.00	7.50	0.00	45.00	100.00	0.00	36.65	36.65
25.	उत्तराखंड	3	135	45.00	37.50	30.00	22.50	135.00	100.00	0.00	104.93	104.93
26.	उत्तर प्रदेश	21	945	427.50	300.00	135.00	30.00	892.50	94.44	52.50	677.26	666.28
27.	पश्चिम बंगाल	8	360	135.00	60.00	82.50	82.50	360.00	100.00	0.00	284.74	284.74
28.	नबार्ड		9.3	4.32	3.30	0.00		7.62	81.94	1.68		
	कुल	147	6624.3	2854.32	1818.30	954.50	658.00	6277.62	94.77	346.68	5007.81	5086.02

[हिन्दी]

कम लागत वाले आयुर्वेदिक उपचार केंद्र

680. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अमेरिकी उद्यम पूंजी कंपनी ने देश भर में कम लागत वाले आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों की श्रृंखला शुरू करने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस विभाग को प्रस्ताव के संबंध में कोई भी सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल में भ्रष्टाचार के मामले

681. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के बारे में सीबीआई द्वारा की जा रही छानबीन/जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसईसीएल में 10 तथा डब्ल्यूसीएल में 42 मामले सीबीआई द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। 51 मामलों में से 41 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं और 10 मामलों की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

इन मामलों में सीबीआई के निष्कर्ष संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	निष्कर्ष	मामलों की संख्या		
		एसईसीएल	डब्ल्यूसीएल	कुल
1.	अवैध रिश्वत मांगना और स्वीकार करना	03	22	25
2.	ठेका अवार्ड करने में अनियमितताएं	00	09	09
3.	असमानानुपातिक परिसम्पत्तियों का कब्जा	03	04	07
4.	अन्य	04	07	11

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण के लिए निधि

682. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को अपने-अपने राज्यों में प्रदूषण के स्तर के नियंत्रण के लिए राशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित राशि की सहायता से किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यों की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसीएस) की सुदृढ़ता के लिए प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता की स्कीम के अंतर्गत राज्यों और संघशासित प्रदेशों को धनराशि प्रदान करता है। सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपीएस) को स्थापित करने, भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) के सृजन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों आदि के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों और संघ शासित प्रदेशों को नदी में जल प्रदूषण के उपशमन के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रदूषण उपशमन से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानीटरिंग कार्यक्रम, जल गुणता मानीटरिंग कार्यक्रम और स्थानिक पर्यावरण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और उपकरणों की खरीद का कार्य शुरू किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 3 राज्यों में 14 सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त अवधि के दौरान नौ टीएसडीएफ को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 3 नई नदियों/6 शहरों को शामिल करते हुए 114 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 3 शहरों में 21 नई झीलों को शामिल करते हुए 21 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भी स्वीकृत की गई हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त स्कीमों का कार्यान्वयन नियमित रूप से मानीटर/पुनरीक्षित किया जाता है। पुनरीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ नीति मामले, निधियन पैटर्न और समय-समय पर किए गए कार्य की प्रगति और गुणता शामिल हैं। पूर्व में जारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र और संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा अन्य एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। सीपीसीबी विभिन्न परियोजनाओं जैसे सीईटीपीएस/टीएसडीएफ आदि विभिन्न परियोजनाओं की जांच करता है और निर्धारित समय में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

क. पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदूषण के उपशमन हेतु सहायता स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार तथा वर्ष-वार निधियां

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	00.00	1.72	00.00	00.00
2.	आंध्र प्रदेश	00.00	00.00	00.00	00.00
3.	असम	112.00	109.00	13.95	14.98
4.	बिहार	00.00	00.00	00.00	00.00
5.	छत्तीसगढ़	100.00	15.00	00.00	00.00
6.	चंडीगढ़	11.91	13.04	12.57	12.00
7.	दिल्ली	36.22	28.30	27.33	40.00
8.	गुजरात	00.00	00.00	00.00	00.00
9.	गोवा	30.00	103.26	00.00	59.00
10.	हरियाणा	00.00	00.00	00.00	00.00
11.	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	26.23	00.00
12.	जम्मू-कश्मीर	00.00	00.00	00.00	00.00
13.	झारखंड	00.00	00.00	00.00	00.00
14.	कर्नाटक	00.00	00.00	00.00	00.00
15.	केरल	00.00	55.25	31.90	00.00
16.	लक्षद्वीप	3.95	3.68	00.00	00.00

1	2	3	4	5	6
17.	मणिपुर	3.21	00.00	35.29	15.32
18.	महाराष्ट्र	00.00	00.00	00.00	00.00
19.	मध्य प्रदेश	00.00	75.00	16.33	62.67
20.	मेघालय	12.00	26.72	2.00	00.00
21.	मिजोरम	37.13	11.94	18.54	16.28
22.	नागालैंड	1.96	9.46	20.00	25.13
23.	उड़ीसा	00.00	00.00	00.00	00.00
24.	पंजाब	00.00	16.00	00.00	00.00
25.	राजस्थान	00.00	00.00	00.00	00.00
26.	सिक्किम	1.50	4.91	2.13	1.00
27.	तमिलनाडु	00.00	00.00	00.00	00.00
28.	त्रिपुरा	33.70	65.18	59.39	09.00
29.	उत्तर प्रदेश	00.00	00.00	00.00	00.00
30.	उत्तराखण्ड	6.50	00.00	1.10	00.00
31.	पश्चिम बंगाल	00.00	00.00	00.00	00.00
	कुल	390.08	538.46	316.77	305.38

ख. पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्रीय अनुदान के रूप में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत को कवर करने के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के विकास हेतु जारी राज्य-वार तथा वर्ष-वार निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	00.00	00.00	00.00	72.00
2.	गुजरात	23.00	211.97	137.91	00.00
3.	महाराष्ट्र	410.00	223.03	252.09	123.73
	कुल	433.00	435.00	390.00	195.73

ग. पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना के सृजन स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई सहायता

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.50	2.00	0.00	0.00
3.	आंध्र प्रदेश	0.00	40.00	30.00	56.75
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	12.00	4.92	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	2.00	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	गुजरात	0.00	112.50	4.95	0.00
11.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	झारखंड	8.50	0.00	0.00	0.00
15.	कर्नाटक	0.00	66.85	0.00	0.00
16.	केरल	0.00	83.00	0.00	0.00
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	30.87	25.29	84.78	160.00
20.	मणिपुर	0.00	5.135	0.00	3.90
21.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मिजोरम	13.05	0.00	0.00	0.00
23.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
24.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	7.54
25.	पुडुचेरी	3.90	3.90	0.00	0.00
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तराखण्ड	6.42	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	23.00	0.00	3.00
30.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	17.60

विवरण II

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

क्र.सं.	योजना/राज्य	जारी की गई निधियां			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
क.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)				
1.	आंध्र प्रदेश	5200.00	4785.00	6796.00	2538.00
2.	बिहार	33.72	7.19	0.00	0.00
3.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	25.00	148.76
5.	गोवा	100.00	0.00	70.00	0.00
6.	कर्नाटक	580.00	0.00	275.00	225.00
7.	महाराष्ट्र	1069.77	1009.00	521.47	35.00
8.	मध्य प्रदेश	200.00	415.00	675.00	335.00
9.	उड़ीसा	825.00	1104.00	706.00	502.79
10.	पंजाब	1274.00	1535.00	4430.00	0.00
11.	राजस्थान	18.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	तमिलनाडु	10307.40	8271.77	1840.00	825.00
13.	दिल्ली	100.00	2650.00	1487.08	3110.00
14.	हरियाणा	424.00	777.20	315.23	2000.00
15.	उत्तर प्रदेश	1678.00	3865.00	3766.43	9244.91
16.	उत्तराखण्ड	450.00	825.00	337.42	250.00
17.	पश्चिम बंगाल	4848.00	1800.00	2369.84	2960.16
18.	केरल	0.00	0.00	100.00	100.00
19.	सिक्किम	166.00	504.50	479.00	263.00
20.	नागालैंड	450.00	0.00	0.00	0.00
	उपयोग (एन.आर.सी.पी.)	27723.89	27548.66	24193.47	22537.62
ख.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.)				
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	जम्मू-कश्मीर	4000.00	3000.00	3166.00	1250.00
3.	महाराष्ट्र	100.00	230.00	100.00	75.50
4.	तमिलनाडु	2.23	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	410.00	449.70	259.00	484.00
6.	उत्तराखण्ड	350.00	733.00	427.54	340.00
7.	राजस्थान	300.00	0.00	1343.50	732.50
8.	पश्चिम बंगाल	0.00	111.00	0.00	400.00
9.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	केरल	429.80	0.00	0.00	0.00
11.	उड़ीसा	21.31	100.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश		149.00	100.00	400.00
13.	मध्य प्रदेश		458.00	875.00	60.00
	योग (एन.एल.सी.पी.)	5613.34	5230.70	6271.04	3742.00

विवरण III

क. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत विभिन्न मानीटरी एजेंसियों को जारी किए गए भुगतान के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2005-06 (राशि रुपए में)	2006-07 (राशि रुपए में)	2007-08 (राशि रुपए में)	2008-09 (राशि रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	927917	573750	शून्य	9335917
2.	असम	शून्य	368334	2025834	991667
3.	बिहार	2598000	394305	शून्य	शून्य
4.	चंडीगढ़	शून्य	1615000	920833	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	658750	871250	शून्य	682500
6.	गुजरात	1381250	4324583	1884167	2110000
7.	गोवा	शून्य	1190000	शून्य	495833
8.	झारखंड	शून्य	1728333	2406667	1185833
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	1376000	1747000	शून्य
10.	हरियाणा	शून्य	शून्य	441527	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश	2147666	2295000	3992056	शून्य
12.	कर्नाटक	935000	3105000	538333	1625417
13.	केरल	1281667	1097917	942083	1922916
14.	महाराष्ट्र	1023485	1133333	5581667	2799583
15.	मेघालय	शून्य	524167	शून्य	897667
16.	मणिपुर	शून्य	225000	शून्य	शून्य
17.	मध्य प्रदेश	3391861	510000	शून्य	2155695
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	425000	472500
19.	नागालैंड	शून्य	1586590	198333	623334
20.	उड़ीसा	545416	1211250	892500	186708
21.	पंजाब	1416667	250000	1133333	586000
22.	पुडुचेरी	शून्य	250000	1020000	405000
23.	राजस्थान	2699167	2871250	3143333	1385000

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	1175833	1112084	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	345000	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	4016250	904306	3819445
27.	उत्तराखण्ड	115694	288055	690000	368333
28.	पश्चिम बंगाल	1112083	शून्य	1501667	1960416
29.	नीरी	शून्य	5986171	6324306	शून्य
	कुल	21338456	39253622	36712945	35690140

ख. पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जारी की गई निधियों (रुपए में) के ब्यौरे

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	496359	663793	553354	765034
असम	162240	661360	465400	1054260
बिहार	251282	281859	1456	576878
छत्तीसगढ़	–	539275	348180	284460
गोवा	–	447080	92715	–
गुजरात	–	918260	523030	980785
हरियाणा	–	186225	82482	–
हिमाचल प्रदेश	484630	585495	291160	52660
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
झारखण्ड	–	34500	222630	112755
कर्नाटक	403797	628010	658749	552959
केरल	507959	601997	597584	974184
मध्य प्रदेश	380030	1112750	461556	816033
महाराष्ट्र	625937	822753	946349	1093849
मणिपुर	–	241730	165285	74875

1	2	3	4	5
मेघालय	129345	96615	–	105455
मिजोरम	–	63500	39020	63315
नागालैंड	–	113200	81680	82985
उड़ीसा	385040	329648	612113	381970
पंजाब	–	470894	407947	246404
राजस्थान	165669	282181	217651	308102
सिक्किम	212760	215640	–	456120
तमिलनाडु	–	642698	481544	593590
त्रिपुरा	–	151260	70440	–
उत्तर प्रदेश	210631	1152281	659566	504796
उत्तराखण्ड	145245	37240	187470	64085
पश्चिम बंगाल	25012	489083	311301	701341
चंडीगढ़	–	57220	54435	107140
लक्षद्वीप	–	10940	–	–
पुडुचेरी	–	150945	90960	93555
कुल	4585936	11988432	8624057	11047590

नोट: 18 दिसम्बर, 2008 तक 2008-09 हेतु अदायगी।

ग. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानिक पर्यावरण आयोजन कार्यक्रम और इको-सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/कार्यकारी एजेंसियों को जारी की गई निधि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	761317	1157522	400000	0
2.	असम	818534	180396	400000	0
3.	बिहार	300000	466785	1000190	712901
4.	छत्तीसगढ़	300000	0	0	0

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	338035	323000	0	0
6.	गोवा	200000	692336	675000	0
7.	हिमाचल प्रदेश	600000	611227	299123	0
8.	कर्नाटक	247806	300000	0	189418
9.	केरल	1142383	964333	2747947	240559
10.	मध्य प्रदेश	1264175	710122	756000	150000
11.	महाराष्ट्र	799130	1248712	1013760	0
12.	मेघालय	200000	399684	472495	114006
13.	नागालैंड	300000	0	0	0
14.	उड़ीसा	760909	633143	400000	0
15.	पंजाब	16930	480321	400000	175000
16.	राजस्थान	400000	9000	339000	0
17.	तमिलनाडु	1331573	1216645	400000	150000
18.	त्रिपुरा	393751	0	0	0
19.	उत्तराखंड	300000	400000	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	445477	952145	714828	409200
	कुल	10920019	10745371	10018343	2141084

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में स्टेडियमों का निर्माण

683. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में स्टेडियम सहित खेल अवसंरचना के निर्माण में सहायता की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सहायता से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है;

(घ) क्या इस प्रयोजन/योजना के लिए राशि अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पर्याप्त राशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ङ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान को आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य 10 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांव तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना प्रदान करना और ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं तक पहुंच प्रदान करना है। स्कीम के तहत खेल मैदान का विकास, खेल उपस्करों की खरीद तथा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन स्कीम के अंतर्गत गुजरात के 1369 ग्राम पंचायतों और 22 ब्लाक पंचायतों के लिए 1420.11 लाख रु. की राशि को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार

684. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
डा. सिबैस्टियन पाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महानगरों में सी.जी.एच.एस. अस्पतालों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का इस समय कवर न किए गए क्षेत्र में विस्तार करने में असमर्थ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.आई.सी./एस.आई.सी. द्वारा शिकायतों की सुनवाई

685. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) तथा राज्य सूचना आयोग (एस.आई.सी.) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों/अपीलों की सुनवाई करता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसी कितनी शिकायतें/अपीलों की सुनवाई की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने जन सूचना अधिकारियों को दोषी पाया गया; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई अपीलों तथा शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:-

अवधि	प्राप्त की गई अपीलें/शिकायतें	निपटाई गई अपीलें/शिकायतें
2006-07	6,839	4,074
2007-08	11,261	7,722
2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	5,401	3,519

राज्य सूचना आयोगों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग ने 211 मामलों में शास्ति लगाई तथा 21 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की।

(घ) दोषी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग की सिफारिश पर संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में सूचना केंद्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

पोत-भंजन गतिविधियों के कारण प्रदूषण

686. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के अलांग में पोत-भंजन गतिविधियों के कारण गंभीर पर्यावरणीय अवक्रमण एवं प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भावनगर जिले सहित अलांग के आसपास प्रदूषण रोकने के लिए दिसम्बर, 2003 में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला था। समुद्री जल, परिवेशी वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण स्तरों के संबंध में प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अलांग क्षेत्र की नियमित निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त गुजरात मेरिटाइम बोर्ड ने पोत भंजन कार्यकलापों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के अंतिम निपटान के वास्ते अलांग में एक वैज्ञानिक रूप से डिजाईन की गई शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा विकसित की है जो वर्तमान में कार्य कर रही है। इससे पूर्व शिप ब्रेकर अहमदाबाद में स्थित टी.एस.डी.एफ. में अपने खतरनाक अपशिष्टों का निपटान करते थे। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 24.3.2006 के आदेश द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जिसमें खतरनाक अपशिष्टों से जुड़ी पोतभंजन गतिविधियों के प्रबंधन विषय पर तकनीकी विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल है। समिति ने पर्यावरण और कर्मकारों की सुरक्षा के संरक्षण के वास्ते कुछ सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जी.पी.सी.बी. अलांग में तकनीकी विशेषज्ञों और पोतभंजन कार्यकलापों की निगरानी पर समिति के सुझावों के कार्यान्वयन को देख रही है। समुद्री विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से अलांग में जी.पी.सी.बी. द्वारा आवधिक रूप से तटीय जल की निगरानी की जा रही है।

हिम तेंदुओं की घटती संख्या

687. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से हिम तेंदुओं की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनके संरक्षण के लिए कोई परियोजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इनके संरक्षण कार्य में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) हिम तेंदुआ वैश्विक रूप से एक विलुप्तप्राय: प्रजाति है। यह अनुमानित किया जाता है कि भारत में करीब 400-700 हिम तेंदुए हैं।

(ग) से (च) भारत सरकार द्वारा हाल ही में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के लिए अनन्य रूप से कोई अभिनिर्धारित बजट नहीं है। यद्यपि, केन्द्रीय प्रायोजित योजना "वन्यजीव वास-स्थलों का एकीकृत विकास" के अंतर्गत, हिम तेंदुआ सहित वन्यजीव के संरक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त योजना के 'संवेदनशील रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम' के घटक के अंतर्गत हिम तेंदुआ की सहायता के लिए एक प्रजाति के रूप में पहचान की गई है। वन्यजीव वास-स्थलों की एकीकृत विकास योजना के लिए कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 80 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए ग्राम और लैंड स्केप स्तर पर प्लानिंग, क्षमता निर्माण और स्थानीय लोगों को शामिल करना परिकल्पित है।

राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य कार्यक्रम

688. श्री एल. राजगोपाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में "राजीव गांधी आरोग्यश्री" स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शामिल करके स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राजीव आरोग्यश्री नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों हेतु स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

689. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 50 प्रतिशत बच्चे मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है; और

(घ) देश में बच्चों के लिए मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सेव द चिल्ड्रेन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी ''स्टेट आफ द वर्ल्डस मदर्स रिपोर्ट 2008'' में दावा किया है कि भारत में पांच वर्ष से कम आयु के कुल बच्चों में से 53 प्रतिशत बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुलभ नहीं है।

इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस रिपोर्ट की प्रक्रिया या क्रिया विधि के बारे में भारत सरकार को नहीं बताया है।

(ग) ''स्टेट आफ द वर्ल्डस मदर्स रिपोर्ट 2008'' के अनुसार बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या रिपोर्ट कार्ड संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें विभिन्न देशों की स्थितियां दर्शायी गई हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) का उद्देश्य खराब जन स्वास्थ्य सूचकों और कमजोर आधारभूत सुविधा वाले 18 राज्यों पर विशेष जोर देते हुए देश भर में विशेषकर ग्रामीण लोगों विशेषकर निर्धन महिलाओं एवं बच्चों के लिए समान, वहनीय, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाना तथा बुनियादी अनिवार्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों एवं उप केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करना है।

* जननी सुरक्षा योजना जो कि गरीबी रेखा से नीचे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली एक नकद लाभ योजना है।

* गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक गांव हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति।

* प्रथम रेफरल एककों के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रचालन।

* विभिन्न कुशलता आधारित प्रशिक्षणों के जरिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना अर्थात् जन्म के समय कुशल परिचर प्रदान करना।

* जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशलों और सिजेरियन सेक्शन सहित आपाती प्रसूति परिचर्या में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण।

* बुनियादी अनिवार्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों एवं उप केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में 24 घंटे सेवा की व्यवस्था और जन्म के समय कुशल परिचर की व्यवस्था।

* प्रथम रेफरल परिचर्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण- प्रथम रेफरल एककों में आपाती प्रसूति एवं नवजात शिशु परिचर्या की व्यवस्था तथा आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशलों में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण।

* गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को सम्पूरक पोषण।

* राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम।

* अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या (जन्म के समय परिचर्या- हाइपोथमिया से सुरक्षा-गर्मी, कार्ड परिचर्या की व्यवस्था- संक्रमण से सुरक्षा और स्तनपान शुरू करना)।

* सार्वभौमिक प्रतिरक्षण।

* शिशु एवं बाल स्तनपान (छः महीने तक केवल स्तनपान और सम्पूरक आहार को समय से शुरू करना)।

* विटामिन ए + सम्पूरण।

* आयरन एवं फालिक अम्ल सम्पूर्ण।

* एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रूग्णता प्रबंधन, नवजात शिशु और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में गम्भीर श्वसनीय संक्रमण, अतिसार और अन्य संक्रमणों का शुरू में ही पता लगाना और उनका समुचित उपचार प्रबंधन।

विवरण

स्टेट आफ द वर्ल्डस मदर्स रिपोर्ट 2008

बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या रिपोर्ट कार्ड

प्राथमिकता वाले देश	5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या (हजार) (2006)	बिना बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे		रैंक
		प्रतिशत	पूर्ण संख्या (हजार)	
1	2	3	4	5
फिलीपिन्स	11,027	31	3,391	1
पेरू	2,815	32	912	2
दक्षिण अफ्रीका	5,254	34	1,807	3
इंडोनेशिया	21,720	35	7,599	4
तुर्कमेनीस्तान	491	35	173	4
अजरबेजान	547	39	215	6
गेबॉन	158	39	61	6
बोलीविया	1,243	40	493	8
लेसोथो	272	41	112	9
कांगो	587	42	245	10
बेनीन	1,488	44	647	11
ब्राजील	18,092	44	7,929	11
गाम्बिया	261	44	116	11
जाम्बिया	2,012	45	904	14
कम्बोडिया	1,690	46	772	15
यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया	6,953	46	3,167	15
मोरक्को	2,978	47	1,406	17
मोजाम्बिक	3,670	47	1,733	17
तजाकिस्तान	858	47	401	17
मिश्र	8,634	48	4,117	20
मेडगास्कर	3,142	48	1,521	20

1	2	3	4	5
कोटेडिलवेर	2,849	49	1,395	22
सेनेगल	1,913	49	931	22
स्वीट्जरलैंड	147	49	71	22
बरकीनाफासो	2,605	50	1,300	25
सेंट्रल अफरीकन रिपब्लिक	668	52	347	26
इरीट्रिया	808	53	428	27
घाना	3,195	53	1,686	27
भारत	126,843	53	67,127	27
मालावी	2,425	54	1,311	30
उगांडा	5,840	54	3,133	30
पाकिस्तान	19,012	55	10,478	32
अंगोला	3,082	56	1,738	33
गिनिया	1,544	56	872	33
केनिया	6,161	56	3,423	33
माली	2,247	56	1,247	33
केमरून	2,851	57	1,632	37
सिरिया लोन	999	57	572	37
गुवाटेमाला	2,066	58	1,202	39
टोगो	1,045	59	619	40
जीनिया-बिसाऊ	322	60	192	41
हयाति	1,244	60	744	41
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो	11,843	61	7,229	43
बांगलादेश	18,951	62	11,656	44
नेपाल	3,626	62	2,265	44
नाइजर	2,713	62	1,688	44
रंवाडा	1,617	63	1,017	47
बुरंडी	1,461	64	933	48

1	2	3	4	5
मोरिटाइना	456	65	298	49
नाइजीरिया	24,503	66	16,090	50
लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	715	69	491	51
यमन	3,639	71	2,573	52
छद	943	78	1,521	53
सोमालिया	1,507	82	1,236	54
इथोपिया	13,439	84	11,317	55
कुल	368,171		196,485	

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

690. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर तथा यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी ने संयुक्त रूप से ''समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना'' नामक एक बीमा पालिसी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) बीमा धारक को कितनी धनराशि का बीमा मिलेगा तथा उसे मासिक रूप से कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा;

(घ) क्या उक्त योजना में पालिसीधारक के विकलांग हो जाने की स्थिति में भी लाभ मिलेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के बचत खाता धारकों के लिए यह पालिसी मृत्यु, स्थाई पूर्ण अक्षमता को कवर करती है।

(ग) प्रति पालिसी धारक के लिए कुल बीमित राशि 5 लाख रु. है तथा वार्षिक प्रीमियम 50/- रु. देय है।

(घ) और (ङ) जी, हां। योजना स्थाई पूर्ण अक्षमता को कवर करती है।

एनआरएचएम के अंतर्गत औषधियों की खरीद

691. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत औषधियां खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत औषधियों की खरीद में मानदण्डों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत औषधि और उपभोज्यों की अधिप्राप्ति संबंधित राज्यों को विकेन्द्रीकृत कर दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम माडल (टीएनएमएससी) जैसी विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति प्रणालियां स्थापित करने की परिकल्पना है और कुछ राज्यों ने इसे परिचालित कर दिया है। सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत औषधियों की अधिप्राप्ति में मानदंडों का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एचआईवी/एड्स रोकने के प्रयास

692. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एचआईवी/एड्स की समस्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एचआईवी/एड्स के इलाज के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार देश में एचआईवी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) 4817 समेकित परामर्शी और परीक्षण केन्द्र के माध्यम से नि:शुल्क स्वैच्छिक परामर्शी और एचआईवी परीक्षण;

(2) 1309 गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से उच्च जोखिम वाली और असुरक्षित जनसंख्या को कवर करने के लिए लक्षित कार्यकलाप;

(3) सरकारी और चयनित निजी सुविधा केन्द्रों में नि:शुल्क औषधें प्रदान करके यौन संचारित संक्रमणों का उपचार;

(4) विभिन्न दुकानों, सामाजिक विपणन और कंडोम विक्रय मशीनों के माध्यम से नि:शुल्क/रियायती दरों पर कंडोमों तक आसानी से पहुंच;

(5) रक्त बैंकों की सहायता और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाकर सुरक्षित रक्त की व्यवस्था;

(6) माताओं और नवजात शिशुओं को नि:शुल्क निवेरापाइन प्रदान करके संक्रमित गर्भवती महिलाओं से नवजात बच्चों में होने वाले एचआईवी संचरण का निवारण;

(7) 197 रिट्रोवायरल रोधी उपचार केन्द्रों और 208 सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के माध्यम से पात्र एचआईवी/एड्स रोगियों की नि:शुल्क जांच और उपचार; और

(8) एचआईवी के निवारण, सेवाओं के उपयोग तथा एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न प्रचार साधनों के माध्यम से जनजागरूकता।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए राष्ट्रीय प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। जहां कहीं भी लागू होता हो, राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एचआईवी/एड्स को ठीक करने के लिए औषधों के विकास पर स्वर्णिम त्रिकोणीय भागीदारी के माध्यम से चार राज्यों अर्थात् पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में औषधीय अनुसंधान पर अध्ययनों के लिए धन प्रदान कर रही है। ''चरण-III यादृच्छिकीकृत नियंत्रित खुली बहुकेन्द्रिक खोज (मल्टी-सेन्ट्रिक ट्रेल)'' के शीर्षक से बहुकेन्द्रिक अध्ययन एचआईवी रोधी कार्यकलाप और प्रभावकारिता के लिए आयुर्वेदिक औषध योगों का परीक्षण करेगा। इस अध्ययन में भाग लेने वाले केन्द्रों में राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), मोहाली, शास्त्रा, तंजावुर, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई), पुणे और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद शामिल हैं।

बाघों/जंगली बिल्लियों को मारा जाना

693. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री राकेश सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघों/जंगली बिल्लियों के मारे जाने/अवैध शिकार की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक पहचान किए गए अवैध शिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अवैध शिकार तथा मौतों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है तथा अवैध शिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बाघों के संरक्षण के लिए आवंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) बाघों सहित जंगली बिल्लियों की हत्या और मृत्यु की घटनाओं की सूचना समय-समय पर राज्यों से प्राप्त होती रही हैं। जंगली जीव-जंतुओं की इस प्रकार हत्या/मृत्यु प्राय: अवैध शिकार, आपसी लड़ाई, वृद्धावस्था और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाघ, सिंह और तेंदुओं की मृत्यु का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) चूंकि बाघ आरक्षित क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है, अत: व्यक्तिगत अवैध शिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के विवरण का मिलान भारत सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है। बाघ और अन्य वन्य जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बाघ वासित राज्यों को आबंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

(राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	बाघ				तेंदुआ (बाघ आरक्षित क्षेत्रों के अन्दर और उनके आस-पास के क्षेत्रों में)				शेर		
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006-07	2007-08	2008-09
1.	14	30	14	9	17	08	08	1	35	52	शून्य

विवरण II

बाघों और अन्य जंगली जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ आरक्षित क्षेत्र में अपराध के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा-प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए बाघ संरक्षण बल को तैनात करने के लिए 17 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.2.2006 से गठित किया गया है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण सुदृढ़ किया जा सकेगा।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु-आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ आरक्षित घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र में जीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास विखण्डन को रोकने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 14 बाघ राज्यों द्वारा (17 राज्यों में से), वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, की धारा 36 के अंतर्गत कोर क्षेत्र अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 26749.097 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) तीन बाघ बहुल राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश) में कोर अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट्स के रूप में (4264.282 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने नये गठित बाघ रिजर्व (संजय नेशनल पार्क और संजय डुबली वन्यजीव अभयारण्य) में कोर/क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट अभिनिर्धारित/अधिसूचित नहीं किया है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण संबंधी इनपुट्स को बेहतर/समन्वित ढंग से कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोत्तरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयाण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकाल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स, ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य भागों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ा जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूर किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दुधवा, रणथम्भौर और कार्बेट बाघ रिजर्वों में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कदम उठाने हेतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड राज्यों को सलाह भेजी गई है।

विवरण III

गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यवार जारी और उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	18 फरवरी, 2009 तक जारी	18 फरवरी 2009 तक उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	68.7930	35.0000	35.0000	46.6750	73.9175	50.0005	26.0830	0.0000
2.	अरुणाचल प्रदेश	172.4180	149.1000	237.3730	212.6900	110.2542	110.0347	54.7805	0.0000
3.	असम	86.4900	97.1000	87.4310	65.0000	95.6140	66.8830	221.2690	0.0000
4.	बिहार	6.4920	73.2290	37.1450	73.8500	98.3205	47.9936	49.6730	0.0000
5.	छत्तीसगढ़	24.3340	32.0100	10.0000	12.8200	35.2250	32.3547	92.1297	43.7500
6.	झारखंड	164.1780	149.9680	155.9670	103.8720	45.1600	18.3765	48.2165	40.5590
7.	कर्नाटक	427.7550	389.1570	267.8170	373.8720	1159.7149	1126.8433	382.2488	236.2944
8.	केरल	116.1710	58.5300	109.0000	135.7600	153.2449	134.8449	86.6000	105.0000
9.	मध्य प्रदेश	777.2680	934.4110	759.2360	869.8070	2975.9411	2878.0761	2180.7158	636.6810
10.	महाराष्ट्र	334.1900	396.5260	229.5100	242.6500	295.7191	253.8468	233.1276	189.7225
11.	मिजोरम	65.1560	69.8230	115.1600	77.9740	82.9000	82.9000	80.0000	65.1380
12.	उड़ीसा	107.0020	104.6500	150.2500	139.1850	43.2800	42.0400	473.7600	240.4151
13.	राजस्थान	281.2460	191.7110	100.8760	194.0050	410.6800	325.9826	2477.3026	126.2400
14.	तमिलनाडु	136.9530	89.7200	85.1650	79.4280	45.0000	44.2360	679.3860	142.1100
15.	उत्तराखण्ड	159.9210	141.2950	160.2950	201.6600	202.0050	188.5550	270.8400	100.8200
16.	उत्तर प्रदेश	162.8780	162.6500	75.0000	101.7700	134.8900	260.2435	111.5694	0.0000
17.	पश्चिम बंगाल	228.2940	232.1400	177.3000	226.9200	308.6741	117.4000	182.5100	79.7500
	कुल	3,319.5390	3,307.0200	2,792.5250	3,157.9380	6,270.5403	5,780.6112	7,650.2119	2,006.4800

बच्चों में अनिद्रा की बीमारी

694. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में बच्चे अनिद्रा की बीमारी से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) अनिद्रा रोग के लक्षण चिन्ता, अवसाद, शारीरिक दर्द आदि जैसे अनेक कारणों से होते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तन्त्रिका संस्थान, बंगलौर द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि बच्चों में चिन्ता से संबंधित विकारों की व्याप्तता दर समग्रत: लगभग 4 प्रतिशत है। तथापि, भारत में बच्चों में अनिद्रा रोग की व्याप्तता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के एक भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी), सरकारी मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों के मानसिक चिकित्सा स्कन्धों के उन्नयन और राज्य द्वारा चलाए जा रहे मानसिक अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है ताकि वे एक थेरापेटिक एकक बन सके। केन्द्रीय सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के और अधिक जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को आत्महत्या निवारण सेवाओं, कार्यस्थल पर दबाव प्रबन्धन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और स्कूलों तथा कालेजों में परामर्श देने जैसे अतिरिक्त संघटकों को जोड़कर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्यनीति को पुन: बनाने का प्रस्ताव किया है।

त्रि-राष्ट्र पाइपलाइन परियोजना

695. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में वार्ताओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ईरान ने बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इन देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने ईरान को प्रस्तावित पाइपलाइन से गैस में भारत की हिस्सेदारी को खरीदने की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) अंतिम बार इस परियोजना पर भारत और ईरान द्वारा भारत और ईरान के बीच नवंबर, 2008 में तेहरान में आयोजित संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक के दौरान और दिसंबर, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित छठे विदेश कार्यालय परामर्शों के दौरान चर्चा की गयी थी। भारत ने इस परियोजना पर भारत, ईरान और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय चर्चा करने की पेशकश की थी। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) सरकार को इस संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) सरकार एक ऐसी गैस पाइपलाइन परियोजना के प्रति वचनबद्ध है, जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य और सुरक्षित हो और जिससे निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

पेट्रोल तथा डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

696. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आम उपभोक्ता से पेट्रोल तथा डीजल दोनों पर प्रति लीटर दो रुपये की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एकत्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सितम्बर, 2008 तक इस शुल्क के माध्यम से उपभोक्ताओं से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस शुल्क को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इस निधि से विभिन्न मदों पर खर्च की गई धनराशि का मदवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1998 की धारा 111, यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 159 तथा वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 119 के अनुसार एकत्रित किया जाता है।

हाई स्पीड डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम 1999 की धारा 113, यथा संशोधित वित्त अधिनियम 2003 की धारा 160 तथा वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 120 के अनुसार एकत्रित किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूले गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	वसूली गयी धनराशि (करोड़ रु.)
2005-06	11313.71
2006-07	12206.54
2007-08	13264.41
2008-08 (सितम्बर, 2008 तक)	7511.54

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित धनराशि शुरू में भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है, उसके बाद संयुक्त संग्रह की लागत समायोजित करने के बाद उसे विनियोजन के द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में स्थानांतरित कर देता है। उसके बाद योजना आयोग सीआरएफ का वितरण तीन मंत्रालयों यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) के बीच केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 (viii) के तहत निर्धारित तरीके से करता है। नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सीआरएफ का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए तथा राज्य की सड़कों (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) तथा आर्थिक महत्व की केन्द्र प्रायोजित सड़कों तथा अंतर्राज्यीय संयोजकता के विकास के लिए करता है। नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-Iक एवं Iख में दिए गए हैं। रेल मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा व्यय की गयी धनराशि के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II एवं संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I(क)

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज तक) में हुए निर्माण कार्य की राज्यवार संख्या और उनको सीआरएफ से स्वीकृत राशि

(रुपये करोड़)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06 अनुमोदित सीआर एंड एफ निर्माण कार्य		2006-07 अनुमोदित सीआर एंड एफ निर्माण कार्य		2007-08 अनुमोदित सीआर एंड एफ निर्माण कार्य		2008-09 (आज तक) अनुमोदित सीआर एंड एफ निर्माण कार्य	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	66	171.37	3	10.4	81	197.27	106	247.8
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	11	42.31	5	25.32	0	0
4.	असम	9	27.99	4	15.96	7	91	8	90.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	0	0	8	25.34	9	68.16	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4	28.22	10	24.54	2	10.03	10	102.95
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	26	47	0	0	3	29.68
10.	गोवा	0	0	3	10.59	0	0	3	14.13
11.	गुजरात	117	179.86	27	55.69	77	183.08	49	216.45
12.	हरियाणा	9	77.71	1	17.09	7	89	8	129.72
13.	हिमाचल प्रदेश	8	25.71	2	4.25	4	12.8	0	0
14.	जम्मू-कश्मीर	8	51.64	0	0	8	87	0	0
15.	झारखंड	1	3.48	8	88.95	0	0	0	0
16.	कर्नाटक	140	110.2	249	228.6	8	15.01	228	311
17.	केरल	13	72.58	4	28.51	8	67.37	8	58.18
18.	मध्य प्रदेश	37	128.43	28	108	18	107.99	0	0
19.	महाराष्ट्र	86	229.4	64	195.47	45	171.37	69	303.83
20.	मणिपुर	1	2.96	2	7.02	1	3.98	0	0
21.	मेघालय	2	8.59	0	0	3	14.39	0	0
22.	मिजोरम	0	0	4	11.46	10	16.33	0	0
23.	नागालैंड	1	3.6	0	0	2	9.81	0	0
24.	ठड़ीसा	11	53.6	11	44.36	14	84.44	9	76.58
25.	पाण्डिचेरी	1	2.88	0	0	1	3.6	0	0
26.	पंजाब	12	61.15	6	46.89	0	0	5	38.81
27.	राजस्थान	173	227.87	85	164.04	50	163.92	35	112.64
28.	सिक्किम	0	0	3	1.75	0	0	2	2.1
29.	तमिलनाडु	19	36.36	28	77.7	14	31.55	11	30.27
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0	3	20.4	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	0	0	17	183.83	0	0	20	336.4
32.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	19	286.72	2	47.16	0	0	2	91.51

विवरण I(ख)

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज तक) में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अंतराज्यों से जुड़ी सड़कों पर हुए निर्माण कार्य और उनके लिए स्वीकृत राज्यवार राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06 स्वीकृत ईआई एण्ड आईएससी निर्माण कार्य		2006-07 स्वीकृत ईआई एण्ड आईएससी निर्माण कार्य		2007-08 स्वीकृत ईआई एण्ड आईएससी निर्माण कार्य		2008-09 (आज तक) स्वीकृत ईआई एण्ड आईएससी निर्माण कार्य	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	16	2	17.39	8	50.72	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	18.67	1	14.47	1	14.85	1	23.39
3.	असम	0	0	2	4.95	1	4.95	0	0
4.	बिहार	2	12.17	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	11.53	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	17	34.1	1	3.04	5	14.18	0	0
8.	हरियाणा	1	4.76	1	7.92	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	10.34	1	4.63	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1.18	0	0	0	0	1	73.33
11.	झारखंड	0	0	0	0	1	6.51	5	55.11
12.	कर्नाटक	15	59.67	2	27.08	5	27.75	1	12
13.	केरल	0	0	1	14.24	3	20.38	0	0
14.	मध्य प्रदेश	7	5.93	0	0	6	29.98	0	0
15.	महाराष्ट्र	14	26.83	1	4.27	4	16.23	0	0
16.	मणिपुर	1	4.56	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	1	18.11	1	10.05	0	0
19.	नागालैंड	3	33.43	1	29.32	2	45.51	0	0
20.	उड़ीसा	2	23.46	2	6.27	5	27.88	1	9.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	3	19.89	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	6	14.4	5	12.49	5	16.69	1	2.15
23.	सिक्किम	1	12.99	4	46.25	2	14.93	1	16.47
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	2	24.8	1	2.62
25.	त्रिपुरा	1	7.53	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	2	12.88	1	3.5	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	2	11.5	0	0	1	11.02	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	13.4	0	0	0	0	0	0

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा पर निर्माण कार्यों (लेवल क्रासिंग एवं रोड ओवर/अण्डर ब्रिज) पर रेल मंत्रालय द्वारा किया गया खर्च

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	2005-06	262.24
2.	2006-07	359.94
3.	2007-08	533.35
4.	2008-09 (सितम्बर 2008 तक)	160.14

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया खर्च

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपये करोड़ में)*
1.	2006-07	3725.62
2.	2007-08	3825
3.	2008-09	4046.25

*प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि का पूरा-पूरा उपयोग पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में किया गया है।

लघु तथा मध्यम उद्यमों को ऋण

697. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु तथा मध्यम उद्यमों को कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया कुल बकाया ऋण 2,84,095 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

[अनुवाद]

कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा हेतु अतिरिक्त मार्ग

698. श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने तीर्थ यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तथा इन प्रत्येक वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई/राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या भारत ने चीन को उसके विचारार्थ कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए अतिरिक्त मार्गों का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चीनी प्राधिकारियों के साथ इस मामले में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या
2006	592
2007	674
2008	401

चालू वर्ष के लिए यात्रियों के चयन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में संचार, संभार तंत्र, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख रुपए का व्यय किया जाता है।

(ख) से (घ) 20 से 23 नवंबर, 2006 तक चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने एक अतिरिक्त मार्ग खोले जाने की संभावना का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की। हमने चीनी पक्ष के समक्ष उनके विचारार्थ अतिरिक्त मार्गों का प्रस्ताव किया है।

अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का प्रभाव

699. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय बीमा क्षेत्र पर अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप (एआईजी) के विफल होने के प्रभाव का आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय बीमा क्षेत्र पर अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप (एआईजी) के विफल होने के प्रभाव का आंकलन किया है। एआईजी की भारतीय बीमा क्षेत्र में 2 संयुक्त उद्यमों यथा, (क) टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (टीएएलआईसीएल); और (ख) टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (टीएजीआईसीएल) में हिस्सेदारी है।

दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, टीएएलआईसीएल का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये)

टाटा संस लिमिटेड	1,057.83
एआईजी कंपनी लिमिटेड	371.67
कुल	1,429.50

31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की धन शोधन क्षमता स्थिति 1.5 के न्यूनतम अपेक्षित अनुपात के सापेक्ष, 3.23 थी।

दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार, टीएजीआईसीएल का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये)

टाटा संस लिमिटेड	222.00
एआईजी कंपनी लिमिटेड	78.00
कुल	300.00

31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की धन शोधन क्षमता स्थिति 1.5 के न्यूनतम अपेक्षित अनुपात के सापेक्ष, 1.88 थी।

टाटा संस और एआईजी के बीच दो संयुक्त उद्यमों (74:26) का कार्य निष्पादन, वर्ष 2001 में पंजीकरण के समय दोनों एककों द्वारा दिए गए अनुमान से आगे बढ़ गया है। बढ़ते परिचालनों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दोनों शेयरधारकों ने क्रमश: जीवन और गैर-जीवन उद्यमों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा है।

इसके अलावा, एआईसी निगमित ने दिनांक 23.09.2008 को घोषणा की कि उसने न्यू यार्क के फेडरल रिजर्व बैंक के साथ

दो वर्ष की 85 बिलियन डालर की परिक्रामी ऋण सुविधा हेतु एक पक्के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो चलनिधि संबंधी मसलों और पालिसीधारकों की चिंताओं से संबंधित था। वर्तमान सुविधाजनक धन शोधन स्थिति और जेवी भागीदार द्वारा किए जाने वाले भारी पूंजी अंशदान की सतत उपलब्धता के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीए को कोई भी तात्कालिक विनियामक चिंता नहीं है।

जैव-चिकित्सा अनुसंधान संबंधी नीति

700. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हैल्थ का विचार देश में जैव-चिकित्सा अनुसंधान शुरू करने के लिए कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एशियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हैल्थ एक निजी संस्थान है और सरकार उनके द्वारा शुरू की जा रही किसी नीति/अनुसंधान के बारे में सूचना नहीं रखती।

एनईआईटीसीओ का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाना

701. **श्री अनवर हुसैन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रवर्तित एक रुग्ण इकाई उत्तर पूर्व औद्योगिक तकनीकी सलाहकार संगठन (एनईआईटीसीओ) का प्रबंधन तथा नियंत्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) को सौंपने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क), (ख) और (ङ) आईडीबीआई बैंक लि. ने सरकार से पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लि. (एनईआईटीसीओ) को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रबंधन नियंत्रण के अधीन लाने का अनुरोध किया है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक लि. से इस संबंध में पर्याप्त औचित्य सहित, एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाउसिंग कम्पनियों द्वारा फर्जी खाते तैयार करना

702. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक हाउसिंग कंपनियों ने अपनी आय तथा लाभ के बारे में आयकर विभाग को गुमराह किया है;

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने दरबारी लाल फाउंडेशन (डीएलएफ) सहित इन कंपनियों की वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए बिक्री को समझकर तथाकथित रूप से कर देयता कम करने का प्रयास करने के लिए इनके खातों की विशेष लेखापरीक्षा करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) डीएलएफ सहित दोषी हाउसिंग कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र किए जा रहे हैं तथा उन्हें शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम की धारा 142(2क) के अंतर्गत दिल्ली लीज एण्ड फाइनेंसिंग लि. जिसे डीएलएफ के नाम से भी जाना जाता है, के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए एक विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया गया है। दरबारी लाल फाउंडेशन के मामले में किसी विशेष लेखा परीक्षा का आदेश नहीं दिया गया है। अन्य कंपनियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) दिल्ली लीज एण्ड फाइनेंसिंग लिमिटेड (डीएलएफ) के मामले में लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31.12.2008 को प्राप्त हो गई है और कानून के अंतर्गत यथा निर्धारित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान इसकी जांच की जा रही है। अन्य कंपनियों जिनके मामले में विशेष लेखा परीक्षा के आदेश दिए गए हैं, के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें शीघ्र ही सभा पटल पटल पर रख दिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र को ऋण

703. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र और वैयक्तिक ऋणों की तुलना में कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्यवार, बैंकवार तथा क्षेत्रवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:-

(1) कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 लगभग 3.6 करोड़ किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से नए ऋण लेने के लिए पात्र बनाते हुए उन्हें लाभ पहुंचाकर ऋण सहायता में रुकावट को दूर करने में समर्थ रही है;

(2) सरकार, ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज सहायता प्रदान कर रही है ताकि किसान 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर प्राप्त कर सके;

(3) 50,000/- रुपये तक के ऋणों को सम्पार्श्विक तथा मार्जिन मुक्त बना दिया गया है और अदेयता प्रमाणपत्र की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है;

(4) किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी मानदंडों को, व्यापक ऋण सहायता अर्थात् उपभोग ऋण, सम्बद्ध कार्यकलाप एवं इसके साथ-साथ सावधि ऋण देने के लिए, आशोधित कर दिया गया है;

(5) बैंकों ने कृषि ऋण के लिए प्रलेखीकरण प्रक्रिया सरल कर दी है।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप कृषि ऋण में लगभग तीन गुणा वृद्धि वर्ष 2003-04 को 86,981 करोड़ रुपये से वर्ष 2007-08 में 2,43,570 करोड़ रुपये हुई है। 2008-09 के लिए लक्ष्य 2,80,000 करोड़ रुपये है।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली में राज्य-वार तथा बैंक-वार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, कृषि उद्योग एवं वैयक्तिक ऋण के संबंध में क्षेत्र-वार सूचना निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	124269	173972	230398	273658
उद्योग (लघु, मध्यम तथा बड़े)	423136	550444	697334	871900
वैयक्तिक ऋण	256348	360248	456734	505390

तटीय प्रबंधन क्षेत्र अधिसूचना, 2008

704. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रारूप तटीय प्रबंधन क्षेत्र (सीएमजेड) अधिसूचना, 2008 के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 21.7.2008 को जारी की गई तटीय प्रबंधन जोन अधिसूचना के मसौदे पर स्टेक होल्डरों से बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें उसे अन्तिम रूप देने के लिए प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 365 दिन दिए गए हैं।

भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

705. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षेस राष्ट्रों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित करार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) करार के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को क्या भूमिका दी गई है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) नई दिल्ली में 4 अप्रैल, 2007 को आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना के लिए अंतर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अंतर्सरकारी करार में कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण की एक विश्वस्तरीय संस्था का निर्माण करना है, जो लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता, नृजातीयता अथवा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना दक्षिण एशिया के सभी देशों के प्रतिभावान और अत्यंत समर्पित छात्रों को एक साथ लाएगा, जिन्हें उदार और मानवीय शिक्षा प्रदान करने और नौकरी प्राप्त करने और उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस करार में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय एक शासी मंडल द्वारा प्रशासित होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य के दो सदस्य होंगे और इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चुनाव शासी मंडल के सदस्यों में से किया जाएगा।

इस अंतर्सरकारी करार में विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रचालन में सार्क के सभी सदस्य राज्यों की सक्रिय सहभागी भूमिका की परिकल्पना की गयी है। चूंकि यह एक क्षेत्रीय परियोजना है, इसलिए प्रत्येक चरण में सार्क सदस्य राज्यों की भागीदारी अपेक्षित है।

आवास ऋण पर ब्याज राजसहायता

706. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निम्न आय वर्ग को आवास ऋण पर देय ब्याज पर राजसहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय समूह (एलआईजी) द्वारा लिए गए 1 लाख रु. तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए, शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की एक नई योजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यह ऋण मकान प्राप्त करने अथवा मकान निर्माण के लिए लिया जा सकता है बशर्ते हितधारक के पास पहले से कोई मकान नहीं हो। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय एजेंसी राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) है, जबकि इस योजना के लिए वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण दिया जा सकता है।

अंतरिक्ष अनुसंधान

707. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत ने अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति की है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी हां, गत तीन वर्षों, 2006-08, के दौरान भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, फ्रांस, यूरोप, जापान, ब्राजील, स्पेन, ईजिप्त, ब्रुनाई की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ 29 करारों एवं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2009 के दौरान, अब तक, भारत ने कजाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार एवं समझौता ज्ञापन मोटे तौर पर सुदूर संवेदन, उपग्रह नौवहन, संचार, मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग और संयुक्त अनुसंधान क्रियाकलाप प्रदान करते हैं।

(ग) भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और विश्व-स्तर के उपग्रहों, प्रमोचन यानों एवं संबंधित भू-अवसंरचनाओं के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। दो प्रमुख प्रचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की गई है-यानी दूर-संचार, टेलीविजन संप्रेषण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट) और संसाधन के मानीटरन एवं प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आईआरएस)। दो प्रचालनात्मक प्रमोचन यानों, यानी सुदूर संवेदन तथा वैज्ञानिक उपलक्ष्यों के उपग्रहों को ध्रुवीय/निम्न भू-कक्षाओं में प्रमोचित करने हेतु ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान (पीएसएलवी) और संचार एवं मौसम विज्ञानीय उपग्रहों को भू-तुल्यकाली अंतरण कक्षा में प्रमोचित करने हेतु भू-तल्यकारी प्रमोचन यान (जीएसएलवी), उपग्रहों के प्रमोचन में आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। भारत ने ग्रहीय अनुसंधान/अध्ययन हेतु चन्द्रमा पर चन्द्रयान-1 अंतरिक्षयान का भी प्रमोचन किया है।

[हिन्दी]

अन्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

708. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक अन्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं घाटे में चल रही हैं; और

(ग) इन बैंकों द्वारा उन देशों की सरकारों को कितनी धनराशि देनी पड़ती है जहां ये शाखाएं काम कर रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 11 बैंकों की 120 शाखाएं विदेशों में कार्य कर रही हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के 4 बैंकों की 8 शाखाएं 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, घाटा उठाने वाली शाखाएं थीं।

(ग) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को आय/निगम कर, लाइसेंस नवीकरण शुल्क, सामाजिक प्रतिभूति कर, आदि, जैसा कि मेजबान देश में लागू हो, अदा करना अपेक्षित होता है। तथापि, ऐसे करों/शुल्कों की राशि अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

[अनुवाद]

असम में के.स.स्वा.यो. सुविधाएं

709. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम राज्य में के.स.स्वा.यो. कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार असम राज्य में के.स.स्वा.यो. औषधालयों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) गुवाहाटी असम का एकमात्र शहर है जहां के.स.स्वा.यो. वर्तमान में उपलब्ध है। गैर-आपात स्थितियों में के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी के.स.स्वा. योजना, गुवाहाटी के तहत पैनलबद्ध दो निजी प्राइवेट अस्पतालों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उपचार करा सकते हैं। आपात स्थिति में के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी उपचार के लिए किसी अस्पताल में जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर संग्रहण

710. **श्री कीरेन रिजीजू:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री नंदकुमार साय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक मुख्य आयुक्तालय-वार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के लक्ष्यों एवं वास्तविक संग्रहण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में कर संग्रहण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 2009 तक प्रत्यक्ष करों के समग्र लक्ष्य और संग्रहण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रुपये करोड़)	संशोधित अनुमान (रुपये करोड़)	वास्तविक संग्रहण (रुपये करोड़)
2005-06	177077	170077	165208
2006-07	210684	229272	230184
2007-08	267490	304760	312202
2008-09	365000	345000	247396**

**जनवरी, 2009 तक, संग्रहण वर्ष 2008-09 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 जनवरी, 2009 तक प्रत्यक्ष करों के लक्ष्यों एवं वास्तविक संग्रहण के संबंध में मुख्य आयुक्तालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

वर्ष 2005-06 से दिसम्बर, 2008 तक मुख्य आयुक्तालय (क्षेत्र) वार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के राजस्व लक्ष्य और वास्तविक संग्रहण क्रमश: संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं। सेवा कर के आंकड़े क्योंकि क्षेत्रवार एकत्रित नहीं किये जाते बजट एवं संशोधित अनुमान तथा सेवा कर से संग्रहित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में अलग से दिखाया गया है।

(ख) सरकार ने कर संग्रहण की गति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* सभी मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को अघोषित आय और स्रोत पर कर को कम करने एवं कटौती नहीं करने (टीडीएस) का पता लगाने की दृष्टि से और अधिक सर्वेक्षण करने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

* कर दाताओं की शिकायतों के उत्तर, वापसियों को तेजी से जारी करके कर प्रणाली को करदाता के लिए और अधिक हितैषी बनाया जा रहा है।

* अधिक राशि के बकाया वाले मामलों की पहचान करना जो आयकर आयुक्तों (अपील), आयकर अपील अधिकरण और समझौता आयोग के समक्ष लंबित है और इन प्राधिकारियों से ऐसी अपीलों को तेजी से निपटाने के लिए कहा जा रहा है।

* शीर्ष करदाताओं द्वारा अग्रिम कर भुगतान की विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी।

* कर प्राधिकारियों को उच्च मूल्य के संव्यवहारों की सूचना देना एवं सूचना प्राप्त करने के लिए विभागीय कार्यकारी प्रक्रियाओं एवं डाटा बेस का और कंप्यूटरीकरण।

* अधिकांश वित्तीय लेन-देनों में स्थायी खाता संख्या देने को अनिवार्य बनाना।

* कर कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बहु मीडिया अभियान।

* डाटा संग्रहण एवं विश्लेषण, लेखा परीक्षा एवं अपवंचन रोधी उपायों को सुधारने के लिए प्रशासनिक उपाय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व की स्थिति को सुधारने के लिए कानून एवं प्रक्रियाओं में कमियों को रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

विवरण I

लक्ष्य और वास्तविक वसूली सीसीआईटी (संवर्ग-नियंत्रण) की तुलना में बजट अनुमान

सीसीआईओ प्रभार (संवर्ग नियंत्रण)	2007-08			2006-07			2005-06		
	लक्ष्य	वास्तविक वसूली	आधिक्य/ कमी	लक्ष्य	वास्तविक वसूली	आधिक्य/ कमी	लक्ष्य	वास्तविक वसूली	आधिक्य कमी
अहमदाबाद	10582	11528	8.94%	7783	9101	16.93%	6458	6143	-4.88%
बंगलौर	23906	32537	36.11%	19633	20225	3.02%	15194	15063	-0.87%
भोपाल	5045	5488	8.79%	4575	4089	-10.62%	4419	3443	-22.08%
मुम्बई	87491	114161	30.48%	69548	74935	7.75%	57723	52656	-8.78%
कोलकाता	13388	12056	-9.95%	9897	11623	17.44%	7656	7548	-1.41%
कोचीन	2597	2733	5.23%	2310	2116	-8.41%	2305	1702	-26.16%
हैदराबाद	11660	13428	15.17%	8479	10128	19.45%	6401	6627	3.54%
जयपुर	4815	4913	2.04%	2721	4375	60.76%	2173	2148	-11.11%
चेन्नई	17473	18603	6.47%	13872	14843	7.00%	11234	10716	-4.61%
दिल्ली	43682	46865	7.29%	33646	37347	11.00%	27623	26158	-5.31%
चंडीगढ़	8265	9724	17.65%	6373	7002	9.87%	5686	5011	-11.88%
कानपुर	1193	1057	-11.38%	913	1007	10.30%	890	701	-21.22%
मेरठ	13989	10089	-27.88%	13627	11203	-17.79%	11867	10306	-13.15%
लखनऊ	2136	2235	4.61%	1726	1781	3.18%	1595	1339	-16.03%
पुणे	10578	12365	16.89%	8414	8924	6.05%	7282	6436	-11.61%
पटना	2345	2641	12.62%	1879	1950	3.79%	1972	1440	-27.01%
गुवाहाटी	2229	1775	-20.36%	2165	1765	-18.49%	2000	1673	-16.37%
भुवनेश्वर	3957	3829	-3.23%	3249	3308	1.83%	3093	2469	-20.18%
नागपुर	1843	2149	16.61%	1470	1553	5.67%	1252	11.54	-7.85%
कुल	267173	308176	15.35%	212281	227276	7.06%	176823	162733	-7.97%

टिप्पणी:

1. संग्रहण के आंकड़े केन्द्रीय स्रोत पर कर कटौती के अंतर्गत संग्रहण के अतिरिक्त है जो कि खाता अन्तरण के माध्यम से केन्द्रीय रूप से प्राप्त की जाती है।
2. दर्शायी गई वृद्धि की दर बजट अनुमान के लक्ष्य की तुलना में वृद्धि है न कि पिछले वर्ष के संग्रहण की तुलना में है।

विवरण II

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ क्षेत्रवार संग्रहण

मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार	निगमित आयकर कर				वैयक्तिक आयकर कर				कुल				लक्ष्य	
	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2007-08)	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2008-09)	अतिरेक/कमी (करोड़ रुपये में)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2007-08)	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2008-09)	अतिरेक/कमी (करोड़ रुपये में)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2007-08)	वा. संग्रहण (करोड़ रुपये में) (2008-09)	अतिरेक/कमी (करोड़ रुपये में)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	2008-09 के लिए लक्ष्य	2008-09 के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मुम्बई	53588	57926	4338	8.09%	21869	25155	3286	15.03%	75456	83080	7624	10.10%	150011	30.46%
पश्चिम क्षेत्र														
अहमदाबाद	4160	4938	778	18.69%	3723	4218	494	13.27%	7884	9156	1272	16.13%	14545	25.50%
नागपुर	462	1064	602	130.36%	814	745	-69	-8.46%	1276	1809	533	41.78%	2657	23.42%
पुणे	3813	4179	366	9.59%	5121	5195	74	1.45%	8934	9373	440	4.92%	14841	27.29%
भोपाल	1316	2953	1637	124.35%	2362	1324	-1038	-43.93%	3678	4277	599	16.29%	6972	25.74%
योग	9751	13133	3382	34.68%	12020	11482	-538	-4.48%	21771	24615	2844	13.06%	39015	26.07%
दक्षिण क्षेत्र														
चेन्नई	7501	9626	2125	28.32%	6100	6285	186	3.04%	13601	15911	2310	16.99%	23861	25.70%
बंगलौर	11931	13422	1491	12.49%	9229	9135	-93	-1.01%	21160	22557	1397	6.60%	33312	26.30%
हैदराबाद	4813	7542	2728	56.69%	4858	4618	-241	-4.95%	9671	12159	2488	25.72%	19193	30.08%
कोचिन	791	1119	328	41.46%	1035	1200	165	15.96%	1826	2319	493	27.01%	3475	23.70%
योग	25037	31709	6672	26.65%	21222	21238	17	0.08%	46258	52947	6689	14.46%	79841	26.89%
उत्तरी क्षेत्र														
दिल्ली	24882	31038	6156	24.74%	8779	11860	3081	35.10%	33661	42898	9237	27.44%	64599	28.15%
मेरठ	8065	7165	-900	-11.16%	1452	1212	-240	-16.54%	9516	8377	-1140	-11.98%	14627	19.79%
चंडीगढ़	3034	3595	561	18.49%	4055	3843	-212	-5.23%	7089	7438	349	4.92%	10514	25.18%
योग	35981	41798	5818	16.17%	14286	16915	2629	18.40%	50267	58713	8447	16.80%	89740	26.37%
पूर्वी क्षेत्र														
गुवाहाटी	889	564	-325	-36.56%	686	563	-123	-17.98%	1575	1126	-448	-28.47%	2377	11.35%
भुवनेश्वर	1212	2456	1244	102.59%	1341	1032	-309	-23.04%	2553	3488	935	36.62%	4927	23.58%
कलकत्ता	5885	7022	1137	19.33%	2403	3244	841	34.98%	8288	10266	1978	23.87%	15639	24.70%
पटना	819	960	141	17.23%	978	1035	57	5.81%	1797	1995	198	11.01%	3204	25.01%
योग	8804	11001	2197	24.96%	5408	5873	465	8.60%	14212	16874	2662	18.73%	26147	23.18%

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
केन्द्रीय क्षेत्र															
जयपुर		2149	1813	-336	-15.62%	1243	1448	205	16.53%	3392	3262	-130	-3.84%	6040	24.63%
लखनऊ		448	562	114	25.52%	971	1198	227	23.37%	1419	1760	341	24.05%	2749	22.75%
कानपुर		285	368	83	29.17%	444	546	102	22.95	729	914	185	25.38%	1456	24.01%
	योग	2881	2743	-138	-4.80%	2658	3192	534	20.10	5539	5935	396	7.15%	10245	24.03%
क्षेत्र		136042	158310	22268	16.37%	77462	83855	6393	8.25	213503	242164	28265	13.24%	395000	27.68%
केन्द्रीय स्रोत पर कर कटौती (दिस. 08 तक)		68.75	39.05	-29.7	-43.20%	1136.21	1877.02	740.81	65.20	1204.96	1916.07	711.11	59.02%		
कुल योग		136111	158349	22238	16.34%	78598	85732	7134	9.08	214708	244080	29372	13.68%	395000	25.60%

टिप्पणी- स्थायी खाता सं. आधारित पूछताछ के माध्यम से प्राप्त ओएलटीएएस आंकड़ों पर आधारित संग्रहण।
वैयक्तिक कर में एफबीटी शामिल है
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अनुसार केन्द्रीय स्रोत पर कटौती।

विवरण III

क्षेत्र-वार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लक्ष्यों और वास्तविक राजस्व वसूली

क्र.सं.	क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (अनंतिम)	
		लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुम्बई-I	3800	3995	4767	5071	5520	5391	5660	3641
2.	मुम्बई-II	7700	8650	9610	10299	11194	10802	11340	6589
3.	पुणे	4900	4456	4450	4326	4680	4317	4530	1476
4.	नागपुर	3250	2807	3002	2784	3100	3141	3460	1793
5.	बड़ोदरा	10200	10317	111000	11303	12320	12339	13135	7760
6.	अहमदाबाद	10200	8508	8600	5189	5800	3526	6225	5127
	पश्चिम क्षेत्र	40050	38732	41529	38972	42614	39516	44350	26386
7.	बंगलौर	4330	4165	4550	4167	4810	4744	5300	3103
8.	मंगलोर	6520	5278	4850	5835	62109	7301	7885	5186
9.	कोचीन	4200	3681	4320	4539	4820	5045	5445	3268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हैदराबाद	3000	2788	3000	2879	3300	3004	3305	1919
11.	विशाखापत्तनम	7238	6100	6700	7043	7100	7186	7545	4874
12.	चेन्नई	8000	7666	7800	7984	8350	7554	8450	4749
13.	कोयम्बतूर	1700	1870	2020	2159	2700	2504	2630	1285
	दक्षिणी क्षेत्र	34988	31547	33240	34605	37290	37337	40560	24384
14.	लखनऊ	7200	6238	6810	6933	7430	6494	6885	4750
15.	मेरठ	4680	4295	4383	4488	4850	4723	5100	3312
16.	रांची	7630	6844	6900	7451	8600	8410	9165	5762
17.	दिल्ली	7500	7100	8400	7570	9200	9020	10150	5806
18.	चंडीगढ़	840	1275	1290	1465	1660	1529	1745	723
19.	जयपुर	1600	1762	1850	1967	2300	2408	2650	1516
20.	भोपाल	5100	4794	5215	5493	6600	7011	8130	5216
	उत्तरी क्षेत्र	34550	32308	34848	35367	40640	39595	43825	27085
21.	कोलकाता	7000	5605	5850	5906	6300	6463	7500	5273
22.	भुवनेश्वर	1980	1792	1800	2066	2200	2445	3180	1742
23.	शिलांग	2700	2774	3100	3133	3320	3362	3630	2436
	पूर्वी क्षेत्र	11680	10170	10750	11105	11820	12270	14310	9451
	सीमा शुल्क गृहों द्वारा अदा की गयी प्रति अदायगी	3000	2050	2400	3402	3321	5778	6435	6187
	सम्पूर्ण भारत योग	118268	110707	117967	116646	129043	122939	136610	81118

स्रोत: आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय के.उ.शु. एवं सी.शु.

टिप्पणी: सेस के अतिरिक्त जो राजस्व विभाग के अलावा प्रशासित किया जाता है।

विवरण IV

क्षेत्र-वार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लक्ष्य और वास्तविक राजस्व वसूली

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) (अनंतिम)	
		लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली	लक्ष्य	वास्तविक राजस्व वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुम्बई-I (सी.शु.)	5685	6394	7510	7830	9000	8391	9095	5480
2.	मुम्बई-II (सी.शु.)	12691	14943	18080	21311	18215	196600	25360	17626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मुम्बई-III (सी.शु.)	555	455	550	577	6535	6357	7255	4948
4.	मुम्बई-I (के.उ.)	20	20	20	12	10	12	10	4
5.	मुम्बई-II (के.उ.)	6	8	10	11	10	15	20	14
6.	पुणे	375	346	410	522	910	1221	2050	908
7.	नागपुर	215	278	340	344	390	343	340	280
8.	अहमदाबाद (सी.शु.)	7810	10734	12330	13054	14940	15307	13940	11785
9.	अहमदाबाद (के.उ.)	45	15	20	5	6	578	165	149
10.	वड़ोदरा	30	6	10	6	6	450	490	221
	पश्चिम क्षेत्र	27432	33199	39280	43672	50022	52334	58725	41415
11.	बंगलौर (सी.शु.)	3835	3848	4540	5009	5730	4117	5400	3079
12.	मैसूर	10		10	12	15	10	10	3
13.	कोचीन (के.उ.)	70	86	100	113	130	1696	1900	1071
14.	हैदराबाद (के.उ.)	420	495	600	782	890	906	1080	730
15.	विजाग (के.उ.)	1640	2346	2730	2698	3090	3364	3240	2721
16.	चेन्नई (सी.शु.)	1800	9471	11340	12818	14670	16581	20115	14376
17.	चेन्नई (निवा.)	1120	1140	1380	1685	1930	1489	1720	1205
18.	चेन्नई (के.उ.)	45	63	80	100	110	212	275	313
19.	कोयम्बतूर	30	-72	-92	-8	0	22	30	23
	दक्षिण क्षेत्र	15470	17377	20688	23175	26565	28331	33695	23461
20.	लखनऊ (के.उ.)	10	-59	-72	-8	0	22	30	23
21.	मेरठ (के.उ.)	160	791	960	1195	1370	1706	2200	1612
22.	पटना (निवा.)	210	211	250	177	200	134	155	121
23.	रांची	1	0	0	0	0	0		4
24.	दिल्ली	6545	6785	8180	9672	11070	11101	12670	9256
25.	दिल्ली (निवा.)	45	448	60	115	60	131	170	67
26.	दिल्ली (के.उ.शु.)	845	805	970	696	800	810	1045	756
27.	चंडीगढ़	285		490	580	660	702	765	593
28.	जयपुर	25	29	40	33	40	24	30	26
29.	भोपाल (के.उ.शु.)	95	134	160	179	200	207	240	193
	उत्तरी क्षेत्र	8221	9144	11038	12639	14400	14837	17305	12651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	कोलकाता (सी.शु.)	4390	4873	5690	6638	7600	7643	7525	4303
31.	भुवनेश्वर	160	304	350	417	480	970	1650	1153
32.	शिलांग	9	13	20	28	30	30	30	13
	पूर्वी क्षेत्र	4559	5190	6060	7083	8110	8643	9205	5469
	सम्पूर्ण भारत योग	55682	64911	77066	86569	98770	104146	118930	82993

स्रोत: आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय के.उ.शु. एवं सी.शु.
वर्ष 2007-08 में 327 करोड़ रुपये प्रति अदायगी के रूप में वापस लिये गये।

विवरण V

सेवा कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बजट अनुमान	17500	34500	50200	64460
संशोधित अनुमान	23000	38169	50603	65000
वास्तविक	23055	37598	51301	

अप्रैल-दिसम्बर, 2008 के दौरान राजस्व वसूली 45521 करोड़ रुपये हुई।
स्रोत: प्राप्ति बजट और पी आर सी सी ए

[अनुवाद]

सी.एल.आई.ए. योजना

711. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने "चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाईजर्स" (सी.एल.आई.ए.) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एल.आई.ए. योजना ने उन अभिकर्ताओं का विशाखन भी किया है जो लक्ष्य की प्राप्ति तथा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विकास अधिकारियों के संसाधन के रूप में कार्य करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने दिनांक 1.4.2008 से मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना, 2008 (सीएलआईए) शुरू की है। इस योजना का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बीमा उद्योग के परिवर्तित बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, एलआईसी ने इस अनुकूल माध्यम का विकास किया है। यह सीएलआईए माडल जीवन बीमा निगम को एक सुदृढ़ और स्थायी एजेंसी बल का विकास करने, बाजार व्याप्तता बढ़ाने और निजी कंपनियों द्वारा वरिष्ठ एजेंटों को अपने संगठन में लुभाने की गुंजाईश कम करने में सहायता करने के लक्ष्य पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ एजेंटों को उनके बाजार संबंधी लंबे अनुभवों, जानकारी और धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर्यवेक्षी भूमिका अदा करने में समर्थ करना है। विकास अधिकारियों को उनके एजेंटों के सीएलआईए बन जाने के बावजूद उनके द्वारा किए गए कारोबार पर क्रेडिट मिलता रहेगा।

विवरण

मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए) योजना का ब्यौरा

पात्रता मानदण्ड:

आवेदक को एजेंटों के निम्नलिखित क्लबों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए:

1. कारपोरेट, 2. अध्यक्ष का, 3. अंचल प्रबंधक का, 4. मंडल प्रबंधक, का अथवा: आवेदक कम से कम 3 वर्ष से

कार्य कर रहे वित्तीय सेवा कार्यपालक होना चाहिए। अथवा, निगम का वर्ग 1, 2 और 3 संवर्ग का सेवानिवृत्त, पेंशन नियमावली के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सहित, कर्मचारी होना चाहिए और जिनकी एलआईसी एजेंसी हो।

उम्र:

आवेदक की उम्र न्यूनतम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रभारी अंचल प्रबंधक, पात्र मामलों में उपरी उम्र सीमा में छूट दे सकते हैं। एक आवेदक की मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के रूप में कार्य करने की अधिकतम उम्र 70 वर्ष होगी।

चयन प्रक्रिया:

उपर्युक्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आवेदक का मंडल कार्यालय के प्रभारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा गठित 3-सदस्यीय समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईसी) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। समिति का नेतृत्व कम से कम सहायक मंडल प्रबंध करेंगे और समिति के अन्य सदस्य कम से कम प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी के होंगे। इस तरह से चयनित आवेदकों को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले निबंधनों एवं शर्तों पर एक पृथक समझौता करना होगा। इस समझौते पर निगम की ओर से विपणन प्रबंधक अथवा प्रभारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और आवेदक को मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। यह संविदा 5 वर्षों के लिए होगी और उसके बाद इसे पांच वर्षों के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सीएलआईसी के मामले में कम के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी इस समझौते को 1 महीने की लिखित नोटिस देकर निरस्त कर सकता है बावजूद इसके कि सीएलआईसी ने समय-समय पर निर्दिष्ट न्यूनतम कार्यनिष्पादन मानदण्ड पूरा किया हो तथापि, ऐसे नोटिस अवधि के दौरान इनके पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाले एजेंटों के द्वारा किए गए कारोबार की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होंगे।

मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के कार्य:

(क) प्रत्येक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार नये एजेंटों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करेगा। ये उम्मीदवार समय-समय यथा संशोधित बीमा विनियामक विकास प्राधिकारी (बीमा एजेंटों को लाइसेंस देना) नियमावली, 2000 द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक भर्ती पूर्व जांच में सफल होने के पश्चात् मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त होंगे।

(ख) प्रत्येक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार निगम के विमुक्त एजेंटों को प्रेरित कर पुनर्नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पुनर्नियुक्त एजेंट विद्यमान प्रभावी प्रावधानों के अध्यधीन प्रेरित करने वाले सीएलआईसी के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

(ग) मुख्य जीवन बीमा सलाहकार उनके द्वारा पर्यवेक्षित एजेंटों को भर्ती पश्चात् उन्हें परामर्श करने, सलाह देने और उनके द्वारा पर्यवेक्षित एजेंटों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार उनके द्वारा पर्यवेक्षित एजेंटों के कारोबार गुणवत्ता और पेशातर आचारों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(घ) प्रत्येक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार उनके अधीन कार्यरत एजेंटों को उत्प्रेरित करने और संतोषजनक निष्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ङ) प्रत्येक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार पर्यवेक्षित एजेंटों को समय-समय पर लागू एजेंट नियम 1972 और आईआरडीए नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में सहायता करेंगे।

(च) प्रत्येक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार ऐसे अन्य कर्त्तव्यों जो उन्हें निगम द्वारा समय-समय पर दिया जाएगा, का भी निर्वहन करेंगे।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

712. श्री अधीर चौधरी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री डेविड मिलिबैंड 13-16 जनवरी, 2009 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए थे। यह यात्रा विदेश मंत्रियों के स्तर पर आयोजित होने वाली वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता का भाग थी। दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहु-पक्षीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण

713. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्द्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्षेपित किए जाने वाले मानव सहित और मानव रहित अंतरिक्ष यानों के प्रकारों को बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में तैयार की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारत, चन्द्रमा पर नवंबर 08, 2008 को चन्द्रयान-1 अंतरिक्षयान (मानवरहित) भेज चुका है। आगे, सरकार ने चन्द्रयान-2 मिशन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। चंद्रयान-2 एक मानवरहित अंतरिक्षयान है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का स्व-स्थान वैज्ञानिक अन्वेषण है। फिलहाल, मंगल के लिए अंतरिक्षयान भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चंद्रयान-2 का प्रमोचन 2011-12 के समय-ढांचे के लिए निर्धारित है। चंद्रयान-2 के लिए अनुमोदित कुल बजट 425 करोड़ रुपए है।

(घ) चन्द्रयान-2 चंद्रमा की सतह एवं पर्यावरण के बारे में वैज्ञानिक समझ को बढ़ाएगा, भारत की प्रौद्योगिक क्षमताओं का उन्नयन करेगा और देश की युवा पीढ़ियों को ग्रहीय अनुसंधान हेतु अवसर प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

बैंकों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

714. श्री के. सुब्बारायण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां देने के लिए बैंक-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने आवेदनों को मंजूर और नामंजूर किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन

715. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों का आशय कानूनी उत्प्रवास को सरल बनाना, अवैध उत्प्रवास को रोकना और उत्प्रवास को एक सरल, पारदर्शी, प्रभावशाली और मानवीय प्रक्रिया बनाना है।

रोगियों का आपातकालीन उपचार

716. श्री के.एस. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोगियों को तात्कालिक और आपातकालीन उपचार देने से मना करने के संबंध में अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध शिकायतों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) ऐसे अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों को रोगियों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार एक ऐसे व्यापक तंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है जो वर्गीकृत नैदानिक संस्थापन के लिए मानक

तैयार करने के साथ-साथ अस्पतालों एवं निजी क्लिनिकल इकाइयों के नियमन हेतु अपने राष्ट्रीय रजिस्टर के संकलन, रखरखाव, और उसे अद्यतन बनाने का कार्य करे ताकि इन्हें रोगियों की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, रोगियों को अत्यावश्यक एवं आपातकालीन उपचार से वंचित करने के संबंध में किसी शिकायत की सूचना नहीं मिली है। रोगियों की शिकायतों/परिवेदनाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए इन सभी अस्पतालों में शिकायत/परिवेदन प्रकोष्ठ पहले से ही विद्यमान हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीयन एवं विनियमन) विधेयक, 2007" संसद में पहले ही पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधा एवं सेवा मानदंड निर्धारित करने के लक्ष्य से देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन एवं विनियमन के लिए प्रावधान करना है।

भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि

717. श्री निखिल कुमार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल विद्यमान प्रत्यर्पण संधि में संशोधन करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल 2 अक्तूबर, 1953 को संपन्न प्रत्यर्पण संधि भारत और नेपाल के बीच लागू है। इस संधि को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई है, क्योंकि अपराध के स्वरूपों में बदलाव आने तथा प्रत्यर्पण के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के कारण यह संधि अपर्याप्त साबित हुई थी।

(ग) दोनों सरकारों के बीच नई प्रत्यर्पण संधि के पाठ को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नई संधि से सीमा पार अपराध और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए द्विपक्षीय विधिक रूपरेखा पर्याप्त सुदृढ़ बनेगी। नई प्रत्यर्पण संधि पर जनवरी, 2005 में अद्याक्षर किए गए थे। इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाने की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

चिकित्सीय पौधों का संरक्षण

718. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कार्य की समीक्षा की है जिन्हें चिकित्सीय पौधों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों के संरक्षण के प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सौंपे गए कार्य की समीक्षा निम्नानुसार की गई है-

* निष्पादित कार्य के संबंध में विशेषज्ञों की समिति के समक्ष गैर-सरकारी संगठनों की प्रस्तुति और अगली किस्त दिए जाने से पहले उनके द्वारा की गई उपलब्धियों का जायजा।
* राज्य औषधीय पादप बोर्डों द्वारा निष्पादित उस कार्य का अनुवीक्षण और मूल्यांकन जिसके लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड परियोजना लागत की 2.5 प्रतिशत सहायता हेतु पात्र हैं।
* कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित कार्य का अनुवीक्षण और मूल्यांकन किया जाना, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के इस संगठन को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के अनुवीक्षण हेतु वित्त पोषित किया जाता है।

[अनुवाद]

खेलों के विकास हेतु योजनाएं

719. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेलों के विकास के लिए चलाई जा रही विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के खेल के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खेलों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) इस समय, निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाएं देश में खेलकूद के विकास और संवर्धन के लिए कार्य कर रही हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के मुख्य उद्देश्य
1	2	3
1.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान	अगले 10 वर्षों के दौरान चरणबद्ध ढंग से देश के सभी गांव और ब्लाक पंचायत में मूल खेल अवसंरचना का सृजन करना तथा इन्हें ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं को उपलब्ध कराना।
2.	राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता की योजना	भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता, कोचिंग कैम्पों का आयोजन, खेल उपस्कर की खरीद, विदेशी प्रशिक्षकों को लगाना आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जाती है।
3.	प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के लिए उदीयमान और उभरते हुए खिलाड़ियों, प्रतियोगिता प्रदर्शन तथा उपस्कर खरीद के लिए सहायता प्रदान करना।
4.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए उनके प्रशिक्षण और तैयारी के लिए अनुकूल सहायता प्रदान करना।
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, सेना बाल खेल कम्पनी योजना, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना, उत्कृष्टता केन्द्र योजना, राष्ट्रीय कोचिंग योजना तथा बड़ी परियोजनाएं	प्रतिभा की पहचान और विकास, राष्ट्रीय कोचिंग कैम्प का आयोजन तथा खेल अकादमियों के विकास सहित खेलों में उत्कृष्टता का व्यापक आधार प्रदान करना तथा संवर्धन करना।
6.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर	शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता नेतृत्व को तैयार करना, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान आरंभ करना, संवर्धन करना तथा साहित्य को भी प्रकाशित करना, व्यावसायिक और अकादमी नेतृत्व को अन्य संस्थानों आदि को प्रदान करना।
7.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार	उच्च उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करना और एम्योचोर तथा व्यावसायिक दोनों खेलों में युवाओं को आकर्षित करना।
8.	पुरस्कार योजनाएं जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल-कूद में जीवन-पर्यन्त उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी	उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा अंतर विश्वविद्यालयी टूर्नामेंटों में समग्र प्रदर्शन में सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय।

1	2	3
9.	सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन की योजना	मासिक पेंशन को सुनिश्चित करने के रूप में उनकी उत्कृष्ठ उपलब्धियों के लिए जीवन-पर्यन्त सहायता के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार।
10.	खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कल्याण निधि	सेवानिवृत्त खिलाड़ियों जिन्होंने देश के लिए ख्याति और गौरव प्राप्त किये हो लेकिन अब दरिद्र अवस्था में रह रहा हो, सहायता प्रदान की जाती है।
11.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	महिलाओं के बीच खेलकूद का संवर्धन करना।
12.	स्कूलों और कालेजों में खेलकूद का संवर्धन	स्कूल स्तर पर खेलों के स्तर को उठाना और अंतर स्कूल प्रतियोगिताओं में सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
13.	खेल छात्रवृत्तियों की योजना	उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिभावान बालक और बालिकाओं के लिए खेल छात्रवृत्तियों से सहायता करना।
14.	डोप विरोधी गतिविधियों के लिए सहायता की योजना	डोप विरोधी उपाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ख) केवल राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना के अंतर्गत खेल विशिष्ट सहायता प्रदान की जाती है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना के लिए निम्नलिखित आबंटन किये गये थे:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2	3	4
1.	2005-06	45.00	40.00
2.	2006-07	40.60	34.08
3.	2007-08	51.49	54.49
4.	2008-09	54.00	41.00

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना के अंतर्गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों के व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसम्बर, 2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	13.98	12.69	15.21	11.88
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	78.94	112.46	239.94	51.26

1	2	3	4	5	6
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	00.00	3.46	00	00
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	13.43	19.15	17.24	28.35
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, केशवपुरम, दिल्ली	07.00	15.49	9.00	10.50
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	34.57	38.64	18.03	43.55
7.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ, नागपुर	12.00	15.50	8.50	10.00
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	00.00	0.00	शून्य	00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	41.21	36.31	71.44	33.67
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0	30.01	14.82	13.73
11.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	43.78	45.70	6.61	21.75
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	14.88	66.47	39.65	7.80
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0.00	0	00
14.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ, नई दिल्ली	36.50	21.23	43.52	20.24
15.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	01.10	1.55	2.11	4.97
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, नई दिल्ली	15.00	8.50	11.50	8.00
17.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	64.66	48.62	92.23	17.25
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	12.00	2.00	00	00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	09.00	12.50	13.50	9.47
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	77.45	90.07	92.63	64.61
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	433.43	373.19	717.24	325.25
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, शाहदरा, दिल्ली	11.50	9.50	14.99	18.78
23.	भारतीय लोरल स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	09.00	0.00	0	00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकंदराबाद	51.65	9.75	65.20	41.00
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ, नागपुर	10.50	13.00	11.95	9.00
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	00.00	0.00	0	00
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, जोधपुर	9.80	12.00	9.00	00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ, चेन्नई	15.42	21.94	11.37	8.27
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	53.33	13.59	84.14	8.09

1	2	3	4	5	6
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	165.10	178.75	332.97	55.93
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	00.00	0.00	0	00
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ, नई दिल्ली	11.00	13.00	9.00	12.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	17.00	11.50	8.00	10.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	11.50	20.75	3.50	8.50
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	94.97	58.17	104.81	56.39
36.	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	141.30	78.40	117.91	12.33
37.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	07.10	13.50	11.41	23.57
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	09.00	0.00	19.82	00
39.	पैरालंपिक, बंगलौर	13.50	33.34	219.19	10.70
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	51.75	96.48	81.67	66.82
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	28.57	16.13	33.49	20.39
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	142.74	81.79	154.76	138.92
43.	भारतीय हाकी परिसंघ, पटेल नगर, दिल्ली	96.46	92.09	125.18	116.78
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ, नई दिल्ली	78.81	111.64	191.65	71.51
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	24.69	13.95	25.68	15.43
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	51.41	3.28	0	00
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	227.95	86.83	233.19	215.51
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ, राजस्थान	271.94	117.65	199.75	139.43
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	31.20	29.06	61.99	44.85
50.	फुटबाल, दिल्ली	70.37	30.55	68.15	21.65
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	37.84	23.65	56.64	1.06
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली	209.82	32.58	6.15	141.86
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, दरियागंज, दिल्ली	12.51	1.65	0	2.03
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली	00	1.00	1.87	00
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	11.73	1.00	27.91	00
56.	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	0.00	4.50	87.22	9.00

1	2	3	4	5	6
57.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	28.53	538.10	244.28	201.16
58.	भारतीय खेल प्राधिकरण	950.00	500.00	1700.00	800.00
59.	मलखंभ परिसंघ	0	0	3.75	10.25
60.	भारतीय एम्योचोर साफ्ट टेनिस परिसंघ	0	0	0	7.50
61.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0	0	0	1.50

ऋणों की ब्याज दर में कटौती

720. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए गए ऋणों की ब्याज दर को घटाने के लिए केरल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को, आरआईडीएफ के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए संरचना को सशक्त करने के लिए ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना

721. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गांधीनगर में भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान की शाखा की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेल में हानिकारक वसा घटक की उपस्थिति

722. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रमेश दूबे:
श्री अधीर चौधरी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल में वसा के अंश पाए गए हैं जैसा कि दिनांक 4 फरवरी, 2009 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) प्रेस में छपी हाल की रिपोर्टें खाद्य तेल में ट्रान्सफैटी अम्लों की मौजूदगी के संबंध में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा जनवरी, 2009 में प्रकाशित "फैटी एसिड प्रोफाइल आफ एडिबल आयल्स एंड फैट्स इन इंडिया" नामक रिपोर्ट पर आधारित है। सामान्यतया खाद्य वनस्पति तेलों में ट्रान्सफैटी

अम्ल नहीं होते हैं। तथापि, ट्रान्सफैटी अम्लों का विनिर्माण तब होता है जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण अर्थात् वनस्पति, मारजरीन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में तेलों एवं वसाओं में ट्रान्सफैटी अम्लों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत जारी खाद्य लेबलिंग के संबंध में दिनांक 19.9.2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 664(अ) के जरिए उपबंध किए गए हैं कि हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा अथवा बेकरी चर्बी का इस्तेमाल किसी खाद्य वस्तु को बनाने में किया जाता है तो इसे प्रकट किया जाएगा कि इसमें ट्रान्स फैटीअम्ल निहित है। इसके अलावा, इस दावे की स्थिति में कि उत्पाद ट्रान्सफैटी अम्लों से मुक्त है, ट्रान्सफैटी अम्ल की मात्रा 0.2 ग्राम प्रति परिवेषण से अधिक नहीं होगी।

सी.आई.एल. परियोजनाओं की अर्थक्षमता

723. श्री बसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत अपनी सभी परियोजनाओं की अर्थक्षमता पर फिर से विचार करने का है जैसा कि दिनांक 4 फरवरी, 2009 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) को राष्ट्रीय कोयला वेतन अवार्ड-VIII (एनसीडब्ल्यूए-VIII) को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण 11वीं योजनावधि के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की आर्थिकियों/अर्थक्षमताओं पर पुन: विचार करने का काम सौंपा गया है।

(ग) आज की तारीख तक सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ऋण परामर्श केन्द्र

724. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का विचार बैंक खाते खोलने तथा ऋणों की वसूली के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु देश में ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने "बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंटों" के संबंध में दिनांक 24.4.2008 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार उधारकर्ताओं को उचित परामर्श प्रदान करने के लिए ऋण परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन

725. श्री सुरेश कलमाडी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत केबल आपरेटरों के लिए स्वयं को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) जी, हां। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार की राय है कि केबल आपरेटर द्वारा मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने से बचने से उन पर रोक लगाने के लिए उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए उसने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि पंजीयन प्राधिकरण उन केबल आपरेटरों के पंजीयन को मंजूरी देने या नवीनीकृत करने से मना करने में सक्षम हो सके जिन्होंने राज्य अधिनियम के अंतर्गत मनोरंजन कर का भुगतान न किया हो।

(ग) से (ङ) दिनांक 25.7.2008 को "केबल सेवाओं के पुनर्गठन" के संबंध में सरकार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्राप्त सिफारिशों के मद्देनजर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में विचार करते समय राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(च) ऐसे नीतिगत मुद्दों में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

आई.आर.ई.एल. की विस्तार योजना

726. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानवालकुरिची में कच्ची रेत के दोहन हेतु इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) की प्रस्तावित विस्तार योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) का मानवलाकुरिचि (एमके) में कच्ची रेत के दोहन की विस्तार योजना पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से अनुमति मिलने और तमिलनाडु सरकार द्वारा खनन पट्टों के नवीकरण किए जाने की अपेक्षा में रुका हुआ है।

(ख) इस परियोजना के लिए Xवीं और XIवीं योजना में क्रमश: 11 करोड़ रुपए और 45.50 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी, किंतु अभी तक कोई धनराशि खर्च नहीं की गई।

(ग) एमओईएफ ने 25.11.2008 को हुई अपनी विचारार्थ विषय (टीओआर) की बैठक में इस आधार पर मानवलाकुरिचि विस्तार परियोजना को अस्वीकृत कर दिया था कि तटीय नियामक जोन (सीआरजैड) क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि का विस्तार अनुमेय नहीं है। इस निर्णय पर पुन: विचार के लिए 4.2.2009 को राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकारी के यहां एक अपील दाखिल की गई है।

आईआरईएल भूमि अधिग्रहण और खनन पट्टों के नवीकरण के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ सक्रियतापूर्वक प्रयत्नशील है।

ददात्रत्त कोशिका रक्ताल्पता

727. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ददात्रत्त कोशिका रक्ताल्पता से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सिकेल सेल रक्ताल्पता रोग (एस.सी.ए.डी.) दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन संरचना के कारण होने वाला एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कण जल्दी नष्ट होने लगते हैं और फलस्वरूप रक्ताल्पता होती है। ऐसा आकलन है कि प्रतिवर्ष लगभग 5-6000 नवजात शिशु प्रतिवर्ष एस.सी.ए.डी. के साथ पैदा होते हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में चार राज्यों अर्थात् गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की पुरातन जनजातियों में पाए जाने वाले सिकेल सेल रक्ताल्पता संबंधी बहुकेंद्री अध्ययन पूरा किया है।

इस परियोजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों में सिकेल सेल संकट में कमी करने के लिए सामान्य नैदानिक उपाय अपनाये गये थे जिनमें पोषण संबंधी रक्ताल्पता और आयरन की कमी वाले एस.सी.ए.डी. के मामलों को फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां, आपात स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट, पाउडर और भरपूर तरल पदार्थ, एस.सी.ए.डी. वाले सभी बच्चों को निवारक टीके (हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लूएंजा तथा न्यूमोकोकस) शामिल हैं। पीड़ित जनसंख्या को आनुवंशिक परामर्शन दिया गया है। राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों से इन नैदानिक उपायों का क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बैंक ड्राफ्ट घोटाला

728. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में कथित नकली बैंक ड्राफ्ट घोटाले के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "धोखाधड़ी सूचना और निगरानी प्रणाली" के अनुशीलन में यह पाया गया है कि त्रिपुरा राज्य में किसी भी बैंक ने चैक, ड्राफ्ट के कपटपूर्ण रूप से नकदीकरण के किसी भी धोखाधड़ी वाले मामले की सूचना नहीं दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को जाली/नकली/चुराये हुए/बदले हुए लिखतों के कपटपूर्ण नगदीकरण पर दिशानिर्देश/कार्यशैली परिपत्र जारी किया है ताकि इस क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों द्वारा पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जा सकें। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को "अपने ग्राहक को जानो" दिशानिर्देश के कड़े अनुवर्तन के लिए निर्देश दिये हैं जो बहुत ही सर्वांगपूर्ण तथा स्पष्ट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण द्वारा भी इस पहलू पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाती है।

[अनुवाद]

थायरायड की बीमारी

729. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय आयोडीन की कमी के कारण ब्लोटेड थायरायड से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोडीनयुक्त नमक के सेवन से आयोडीन की कमी को दूर करने में कोई प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गरीब वर्गों को आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाल्लमराजू पल्लम राजा): (क) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य संस्थानों एवं राज्य स्वास्थ्य महानिदेशालयों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सर्वेक्षण किए गए 324 में से 263 जिले घेंघा रोग सहित आयोडीन अल्पता विकारों से व्याप्त हैं जहां व्यापकता 10% से अधिक है। केन्द्रीय तौर पर समर्थित राष्ट्रीय आयोडीन विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एन.आई.डी.डी.सी.पी.) के अंतर्गत आयोडीन युक्त नमक के सेवन के परिणामस्वरूप समूचे देश में दृश्यमान घेंघा रोग में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है।

(ङ) देश में कमजोर वर्गों को आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक को एक अनिवार्य वस्तु के रूप में शामिल किया है।

प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदूषण

730. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में पर्यावरण विशेषज्ञों तथा अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को

नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:

(1) सामान्य तथा उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों की अधिसूचना।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हथालन एवं भंडारण हेतु प्रोटोकाल निर्धारित करना।

(3) निर्धारित मानदण्डों को प्रवृत्त करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उद्योगों की पर्यावरण निगरानी और जांच।

(4) जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निदेश जारी करना।

(5) औद्योगिक परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अनिवार्य स्वीकृति।

(6) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों हेतु अनिवार्य सहमति जारी करना।

(7) भारत सरकार द्वारा स्थापित सांझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) तथा शोधन भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) को बढ़ावा देना।

(8) अनुसंधान और प्रसार शुरू करके स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देना।

(9) पर्यावरणीय महत्व पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने हेतु जोनिंग एटलस तैयार करना।

(10) उद्योगों द्वारा स्वैच्छिक पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कार्पोरेट उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन।

(ख) और (ग) उद्योगों हेतु राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानदण्ड निर्धारित करने हेतु, अन्यों के साथ-साथ, औद्योगिक संस्थाओं सहित पर्यावरणीय विशेषज्ञों और अन्य अभिकरणों से परामर्श किया जाता है। छ: क्षेत्र विशिष्ट समितियों का गठन किया गया, जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुदान के प्रोसेस हेतु, विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ भी शामिल हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) संस्थानों जैसे अन्य अभिकरणों के विशेषज्ञ भी शामिल किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चंबल परियोजना

731. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने चंबल परियोजना के संबंध में संशोधित प्रस्ताव सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 70:30 के अनुपात में लागत बंटवारा आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली "कोटा में चंबल नदी की पर्यावरणीय सुधार योजना" के लिए राजस्थान सरकार से 150 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने योजना आयोग से परियोजना को सिद्धान्तत: अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

हज यात्रियों को पासपोर्ट जारी किया जाना

732. श्री एस.के. खारवेनथन: यह विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब ने भारत से हज यात्रियों को "विशेष पास" के स्थान पर पासपोर्ट जारी करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हज पर जाने के इच्छुक गरीब लोगों को पासपोर्ट तथा अन्य संचारतंत्रीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाने/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) सऊदी अरब अधिराज्य ने भारत सहित सभी देशों को सूचित

किया है कि वर्ष 2009 से हज यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर यात्रा करनी होगी।

(ग) हज के मौसम के दौरान विशेष पासपोर्ट कार्यालय काउंटर खोलकर हज यात्रियों को पासपोर्ट जारी करना सुविधाजनक बनाएंगे। हज यात्रियों को तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने सभी पासपोर्ट कार्यालयों को पासपोर्ट पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, ताकि हज के मौसम के दौरान उनकी अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके।

तथापि, भारत सरकार विद्यमान प्रणाली को और एक वर्ष के लिए जारी रखने की अनुमति देने तथा हमारे अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए सऊदी अरब के प्राधिकारियों से संपर्क करना चाहती है।

बैंकिंग लोकपाल योजना

733. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक का विचार इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न होने वाली खामियों को सम्मिलित करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के दायरे का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायतें दर्ज कराने संबंधी प्रारूप को सरल कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 फरवरी, 2009 की अधिसूचना के जरिये बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 संशोधित की है। इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न शिकायतों को शामिल करने के लिये बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 (यथा शिकायतों के आधार) के खण्ड (8) को संशोधित किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। तथापि, आरबीआई ने परामर्श दिया है कि निर्धारित प्रारूप में शिकायत प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है और शिकायतकर्ता के पास बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास सादे कागज पर अथवा ई-मेल से अथवा टेलीफोन पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करने के लिये एक विनिर्दिष्ट प्रारूप का इस्तेमाल करने का इच्छुक है, तो वह सरल प्रारूप इस्तेमाल कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सभी वाणिज्यिक बैंकों को कार्य शैली संबंधी कई दिशानिर्देश परिपत्र जारी किये हैं जिससे उनके द्वारा, बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिये समुचित सुरक्षोपाय किये जा सकें। आरबीआई द्वारा किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गए हैं:-

(1) आरबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग, केवाईसी मानदण्डों के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश/चेतावनी परिपत्र जारी किये थे और साथ ही इस संबंध में कार्य शैली संबंधी परिपत्र जारी किये थे।

(2) आरबीआई ने 14 जून 2001 के परिपत्र के जरिये सभी वाणिज्यिक बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे जिनमें भारत में इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा मानक, कानूनी मुद्दे और विनियामक/पर्यवेक्षी मुद्दे शामिल थे।

(3) आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 16 फरवरी 2006 को फिशिंग आक्रमण के संबंध में एक चेतावनी परिपत्र भी जारी किया था। इस परिपत्र में, ऐसे आक्रमणों की कार्यशैली और फिशिंग आक्रमणों से निपटने के लिये न्यूनतम निरोधात्मक/गुप्तचर उपायों का ब्यौरा है।

[हिन्दी]

निजी टेलीफोन आपरेटर

734. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक निजी टेलीफोन आपरेटरों को आय-कर के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) इन कंपनियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कंपनी का नाम	मु.आ.आ. प्रभार	निर्गत नोटिस का प्रकार	अंतर्ग्रस्त राशि (रु. करोड़ में)			कंपनी की प्रतिक्रिया
			2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7
वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.	अहमदाबाद	मांग की वसूली के लिए नोटिस	48.6	150.01	अभी निर्धारित नहीं	नोटिसों को चुनौती नहीं दी गई
भारतीय एयरटेल	भोपाल	स्रोत पर कर कटौती न करने के लिए नोटिस	अभी निर्धारित नहीं है	अभी निर्धारित नहीं है	अभी निर्धारित नहीं है	कोई प्रतिक्रिया नहीं
वोडाफोन एस्सार स्पेस टेल लि.	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
टाटा इंडिकॉम	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
आइडिया सेल्यूलर लि.	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
भारत संचार निगम	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
रिलायंस टेलीकाम	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
रिलायंस कम्यूनीकेशन	भोपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	कोई प्रतिक्रिया नहीं
वोडाफोन एस्सार लि.	चंडीगढ़	कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के लिए नोटिस	2.55	अभी निर्धारित नहीं है	अभी निर्धारित नहीं है	2005-06 के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करना
आइडिया सेल्यूलर लि.	मुम्बई	कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के लिए नोटिस	शून्य (चूंकि यह हानि का मामला है)	शून्य (चूंकि यह हानि का मामला है)	शून्य (चूंकि यह हानि का मामला है)	आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई है
वोडाफोन इंट. होल्डिंग्स बी.वी. नीदरलैण्ड्स	मुम्बई	स्रोत पर कर कटौती न करने के लिए नोटिस	एन.ए.*	एन.ए.*	एन.ए.*	कर-निर्धारिती की याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने और विशेष अनुमति याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया
हचिसन एस्सार साउथ लि. (अब इसे वोडाफोन एस्सार साउथ लि. कहा जाता है)	नई दिल्ली	कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के लिए नोटिस	शून्य	शून्य	एन.ए.	आयकर आयुक्त (अपील) के सम्मुख संगत वर्षों के लिए अपीलें दायर की गई हैं
हचिसन एस्सार मोबाइल सर्विसेस लि. (अब इसे वोडाफोन मोबाइल सर्विसेस लि. कहा जाता है)	नई दिल्ली	कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के लिए नोटिस	शून्य	शून्य	एन.ए.	कोई प्रतिक्रिया नहीं

1	2	3	4	5	6	7
भारती एयरटेल लि.	नई दिल्ली	स्रोत पर कर कटौती न करने के लिए नोटिस	23.53	14.30	18.14	40.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है
भारती हैक्साकाम पी. लि.	नई दिल्ली	कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के लिए नोटिस	एन.ए.	0.78	एन.ए.	कोई प्रतिक्रिया नहीं

*वित्त वर्ष 2007-08 में संव्यवहार पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की गई थी। देय कर निर्धारण आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयां

735. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युनाइटिड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाईमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) द्वारा भारतीय उद्योगों को कितनी प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सी.आर.) इकाइयां जारी की गईं;

(ख) क्या यू.एन.एफ.सी.सी.सी. मानदण्डों एवं विनियमों के अंतर्गत मेजबान देश के अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कार्बन तथा उत्सर्जन घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत को आज तक जारी की गई प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) इकाइयों की संख्या 58.25 मिलियन है।

(ख) और (ग) यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के मानदण्डों और विनियमों के अनुसार कोई भी हस्ती जो यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अंतर्गत सीडीएम में भाग लेना चाहती है, को उस देश की नामोद्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए) से मेजबान देश अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण, भारत का डीएनए है और पात्र सीडीएम परियोजनाओं को एचसीए प्रदान करता है। मेजबान देश का अनुमोदन प्राप्त करने की पद्धति का राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण की वेबसाईट www.cdmindia.nic.in. पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संक्षेप में यह एकल विन्डो निकासी है जिसमें परियोजना प्रस्तावक अपने 'प्रोजेक्ट कान्सेप्ट नोट' और 'प्रोजेक्ट डिजाइन डाक्युमेन्ट' प्रस्तुत करते हैं। परियोजना प्रस्तावक और उनके परामर्शदाता को राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित रहने के लिए निवेदन किया जाता है जहां वे अपनी परियोजना के ब्यौरों का वर्णन करते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं। यदि सदस्य संतुष्ट हो जाते हैं तो प्राधिकरण द्वारा बाद में मेजबान देश को अनुमोदन जारी किया जाता है।

(घ) भारत उत्सर्जन कम करने की वचनबद्धता के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, हम जलवायु परिवर्तन के उपशमन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की शृंखला को अंगीकार करके सतत विकास के पथ का पालन कर रहे हैं, उन नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल हैं:

(1) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना करना।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(3) बिजली क्षेत्र में सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय कार्यक्रम।

(4) परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन युक्त ईंधन का इस्तेमाल।

(5) स्वच्छ ऊर्जा ईंधन का प्रयोग।

(6) वनीकरण और वनों का संरक्षण।

(7) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(8) गैस फ्लेयरिंग को कम करना, और

(9) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों को बढ़ावा देना।

सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने में किए गए उपायों में उद्योग का क्षमता निर्माण और विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं

के माध्यम से स्टेक होल्डर शामिल करना हैं। एशियन विकास बैंक की सहायता से मंत्रालय ने 'हाठ टू इम्प्लीमेन्ट स्माल स्केल सीडीएम प्रोजेक्ट्स—ए गाईड एण्ड टूलकिट' प्रकाशित की थी जिसे सभी राज्यों में व्यापक रूप से वितरित किया गया था। सरकार, अन्य द्विपक्षीय अभिकरणों के साथ सीडीएम हेतु विशिष्ट कार्यप्रणालियों के विकास में भी सहायता कर रही है।

नेहरू युवा केन्द्र

736. **श्री नन्द कुमार साय:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों पर नेहरू युवा केन्द्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): नेहरू युवा केन्द्र संगठन को अपने 500 जिला केंद्रों के माध्यम से नियमित और विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक ब्लाक अनुदान जारी किये गये हैं। इन 500 केन्द्रों के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 में क्रमश: 95.85 करोड़ रुपये तथा 101.76 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे जिनमें छत्तीसगढ़ के 8 केंद्र और उड़ीसा के 16 केंद्र शामिल हैं।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

737. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि नहीं करने के संबंध में कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार ने विधि आयोग (190वीं रिपोर्ट), के.पी.एन. समिति तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण की सिफारिशों पर बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करने के लिए 22.12.2008 को राज्य सभा में बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया है। इसमें, सहकारिताओं को छोड़कर, भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रावधान शामिल है।

औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन

738. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए परंपरागत दवाओं में प्रयुक्त होने वाले औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 11 जनवरी, 2009 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) औषधीय पादप आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अधिकांशत: पारंपरिक औषधियों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के मुख्य स्रोत हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा निष्पादित राष्ट्र व्यापी अध्ययन के अनुसार देश में 77% औषधीय पादप वनों और निर्जन पड़ी जमीनों से प्राप्त होते हैं। वन्य संसाधनों के आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण कुछ औषधीय पादपों की अत्यधिक दोहन प्रक्रिया से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन का दायित्व निभाता है, जिनके तहत औषधीय पादपों सहित वनों और वन्य जीव के संरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 औषधीय पादपों सहित वन्य संसाधनों के दोहन को नियंत्रित करता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय मूलत: वन्य क्षेत्रों में अवस्थित औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों के विनिर्धारण द्वारा उनके संरक्षण हेतु भी कई परियोजनाओं को सहायता दे रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्कीमों के माध्यम से निम्न कोटिकृत वन भू-भागों में औषधीय पादपों के रोपण हेतु भी सहायता दी जाती है।

सरकार ने अनवरत आधार पर औषधीय उद्योगों को गुणवत्तायुक्त औषधीय पादपों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/विभागों और अन्य पणधारियों के साथ मिलकर औषधीय पादपों से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए औषधीय पादप बोर्ड की भी स्थापना की है।

बोर्ड औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और धारणीय प्रबंधन की अपनी केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों की दुर्लभ, विलुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण और उनके संसाधन में वृद्धि करने के लिए भी स्कीमों को सहायता देता है, इन स्कीमों के लिए 11वीं योजना के दौरान 320.00 करोड़ रुपये का परिव्यय विनिर्धारित किया गया है।

वृत्तचित्र बनाना

739. श्री अनवर हुसैन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म प्रभाग ने वृत्तचित्र बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) पर कितने फिल्में बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) बनाए जाने वाली फिल्मों के चयन का मानदण्ड क्या है; और

(च) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) सहित राज्यवार इस उद्देश्य से कुल कितनी निधियों का आबंटन किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) फिल्म प्रभाग ने अपनी योजनागत स्कीम "वृत्तचित्रों का निर्माण" के अंतर्गत विवरण में दिए गए विभिन्न विषयों और अवधि के वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन जारी किया है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के वृत्तचित्र निर्माताओं से 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) प्राप्त हुए प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक वृत्तचित्र निर्माण-समिति का गठन किया गया है। इस समिति में मंत्रालय और फिल्म प्रभाग से सदस्य तथा गैर-सरकारी सदस्य जो कि वृत्तचित्रों के निर्माण के क्षेत्र से संबंधित सुविख्यात हस्तियां हैं, शामिल हैं। यह समिति वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप देगी।

(च) संपूर्ण ग्यारहवीं योजनावधि के लिए योजनागत स्कीम "वृत्तचित्रों का निर्माण" हेतु कुल आबंटित निधियां 20.00 करोड़ रुपये है जिसमें से 2.00 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिए उद्दिष्ट किए गए हैं। इन निधियों का कोई राज्य-वार वितरण नहीं किया जाएगा।

विवरण

1. थियेटरों में रिलीज के लिए और विभिन्न चैनलों/मीडिया में प्रसारित किए जाने के लिए निम्नलिखित विषयों पर 35 एम एम आकार में ईस्टमैन कलर में 30 सेकेंड से 2 मिनट की अवधि की सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में।

1. सामाजिक न्याय
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3. महिला एवं बाल विकास
4. पंचायत राज
5. पर्यावरण
6. कृषि और ग्रामीण विकास
7. पर्यटन को प्रोत्साहन
8. सर्व शिक्षा अभियान
9. सड़क सुरक्षा
10. नागरिक बोध
11. अंगदान
12. जल की कमी (जल बचाओ)/जल संरक्षण
13. एचआईवी और एड्स
14. दहेज और बाल विवाह
15. सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता
16. ग्लोबल वार्मिंग
17. बाल श्रम
18. सामाजिक बुराइयां
19. आतंकवाद का विरोध
20. सामाजिक अशांति
21. महिलाओं के साथ अपराध।

निम्नलिखित विषयों पर टी.वी. चैनलों पर प्रसारित किए जाने के लिए वृत्तचित्र (वीडियो फार्मेट में 26/52 मिनट की अवधि):-

1. कृषि (पशु-पालन/खेती/वानिकी/बागवानी/विविध)
2. पुरातत्व विज्ञान एवं स्मारक
3. स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता
4. कुटीर उद्योग
5. दस्तकारी
6. कला एवं संस्कृति
7. खाद्य एवं समारोह
8. पर्यटन
9. प्राकृतिक संसाधन
10. व्यापार एवं वाणिज्य
11. समाज कल्याण
12. पुनर्वास और रोजगार
13. भूगोल और यात्रा
14. शिक्षा और युवा कार्यकलाप
15. इतिहास/स्वतंत्रता संग्राम
16. प्रख्यात हस्तियां, आदि।

कर रियायतों की मांग

740. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) ने संघर्षरत भारतीय वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयकर अवकाश मशीनरी पर आयात शुल्क में रियायत देने और इको-कारों को प्रोत्साहन देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा भंडार

741. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित ट्रांश स्थिति शामिल है, अगस्त, 2008 के अंत में 295.31 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 6 फरवरी, 2009 को 251.53 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(ख) विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में किया गया हस्तक्षेप और अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की पारस्परिक घट-बढ़ के कारण हुए मूल्यन परिवर्तन विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के प्रमुख कारण थे। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक स्तर पर है, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा ऋण

742. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सड़कों, पुलों और नई सिंचाई परियोजनाओं जैसी आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु ऋण संस्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, वर्षवार कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं और कितनी निधियों का उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संस्वीकृत और वितरित की गई राशि तथा संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आरआईडीएफ के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और संवितरण की राज्य-वार संख्या 2005-06 से 2008-09 (31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	आरआईडीएफ XI 2005-06			आरआईडीएफ XII 2006-07			आरआईडीएफ XIII 2007-08			आरआईडीएफ XIV 2008-09			कुल राज्य 2005-06 से 2008-09		
	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत	संवितरित	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत	संवितरित	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत	संवितरित	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत	संवितरित	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
गुजरात	423	859.47	596.13	272	987.60	238.28	789	649.03	308.54	4023	985.06	197.01	5607	3481.16	1339.96
आंध्र प्रदेश	2539	1285.98	821.96	2181	756.98	336.36	3471	1277.09	381.06	3206	1109.20	221.84	11397	4429.25	1761.21
अरुणाचल प्रदेश	7	136.00	37.48	15	139.21	34.58	2	29.22	8.76	3	28.82	4.00	27	333.25	84.82
असम	256	402.44	254.67	150	282.74	103.60	84	88.49		112	113.23	0.00	602	886.90	358.27
बिहार	4145	459.41	236.19	204	589.80	141.43	1686	621.68	207.32	45	392.40	47.10	6080	2063.29	632.04
छत्तीसगढ़	36	116.84	62.90	23	51.00	15.33	13	66.29	13.92	13	71.88	7.99	85	306.01	100.14
गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00		3	27.27	5.35	0	0.00	0.00	3	27.27	5.35
हरियाणा	53	157.20	155.69	230	255.88	141.66	133	310.49	117.64	116	301.32	61.23	532	1024.89	476.22
हिमाचल प्रदेश	266	224.67	145.78	651	273.48	117.66	370	299.40	88.49	1741	374.76	112.43	3028	1172.31	464.36
जम्मू-कश्मीर	91	79.55	45.46	256	461.05	212.93	382	602.13	202.33	223	376.84	103.06	952	1519.57	563.78
झारखंड	1253	107.44	82.20	398	331.03	214.33	2893	406.86	140.87	111	265.20	44.38	4655	1110.53	481.78
कर्नाटक	1750	449.46	326.63	3204	497.54	192.59	5335	958.08	50.87	435	78.03		10724	1983.11	570.09
केरल	342	205.09	95.34	163	260.50	110.93	401	287.03	62.68	36	449.89	89.98	942	1202.51	358.93
मध्य प्रदेश	667	396.62	231.51	83	728.72	504.36	165	1264.97	375.43	2	974.92	189.94	917	3365.23	1301.24
महाराष्ट्र	1	100.81	33.94	1215	513.09	341.06	8717	1083.71	398.05	680	895.17	33.50	10613	2592.78	806.55
मणिपुर	2452	27.59	0.00	1	6.89	5.49	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2453	34.48	5.49

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मेघालय	35	32.03	14.17	26	31.96	8.51	116	56.85	29.42	0	0.00	0.00	177	120.84	52.10
मिजोरम	12	19.41	19.33	9	8.19	8.19	23	22.33	2.21	3	1.07	0.00	47	51.00	29.73
नागालैंड	10	34.47	17.19	102	24.60	16.89	11	14.57	10.31	11	237.94	0.00	134	311.58	44.39
उड़ीसा	7059	396.95	217.80	16635	497.93	139.23	2037	508.96	12.24	29248	680.91	0.00	54979	2084.75	369.27
पंजाब	649	283.30	190.22	390	552.66	418.22	457	418.07	141.66	889	400.94	35.07	2385	1654.97	785.17
राजस्थान	3317	605.13	463.15	2772	766.99	432.23	2405	824.97	334.87	913	948.10	98.92	9407	3145.19	1329.17
सिक्किम	70	6.33	5.81	62	16.21	11.30	117	42.16	16.31	277	77.09	0.00	526	141.79	33.42
तमिलनाडु	1929	603.56	460.08	2858	827.06	537.41	2906	956.83	354.37	2972	905.42	181.08	10665	3292.87	1532.94
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	304	161.30	38.65	84	153.69	15.37	176	305.03	0.00	564	620.02	54.02
उत्तर प्रदेश	953	788.09	469.82	6713	1035.38	368.90	781	1091.59	329.53	12624	898.30	0.00	21071	3813.36	1168.25
उत्तराखंड	128	49.85	38.28	50	31.82	18.26	137	138.41	50.66	451	63.69	19.11	766	283.77	126.31
पश्चिम बंगाल	1443	459.22	280.96	3315	513.36	240.36	3441	583.89	128.99	21329	655.45	128.39	29528	2211.92	778.70
कुल योग	29886	8286.91	5302.68	42282	10602.97	4948.74	36959	12784.06	3787.25	79639	11590.66	1575.03	188766	43264.60	15613.70

[अनुवाद]

ड्राप बाक्स से चैकों की चोरी

743. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय से कई बैंकों के ड्राप बाक्स से चैकों के चोरी होने की घटनाओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के कार्यालयों को शिकायतकर्ताओं द्वारा इस तरह की कुछ घटनाओं की सूचना दी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि इस तरह के मामलों के ब्यौरे का पृथक संकलन नहीं किया जाता है चूंकि ये बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 की 8(1)(क), अर्थात् भुगतान नहीं किए गए अथवा चेकों के संग्रह के भुगतान में अत्यधिक विलंब के रूप में वर्गीकृत हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक को ड्राप बाक्स में चेक डालने के लिये बाध्य नहीं किया जाए। इसके अलावा, इस संबंध में ग्राहक जागरूकता के संदर्भ में, बैंकों को चेक ड्राप बाक्स पर ही अनिवार्यत: यह प्रदर्शन करना चाहिए कि "ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और जमा पर्ची पर अभिस्वीकृति रसीद प्राप्त कर सकते हैं।" बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि जब भी बाक्स खोला जाता है, उससे प्राप्त लिखतों को पूरी तरह सुरक्षित बनाएं ताकि कोई विवाद न हो और ग्राहकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।

स्तनपान के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश

744. श्री के. सुब्बारायण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिशुओं को स्तनपान कराने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के शिशु आहार संबंधी दिशानिर्देश जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने, जन्म के पहले छह महीनों तक निरन्तर स्तनपान के साथ-साथ विशेष स्तनपान तथा दो वर्षों और उसके बाद तक के लिए समुचित सम्पूरक आहार की परिकल्पना करते हैं।

(ख) सरकार पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए और एकीकृत बाल सेवा विकास (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए उन्हें अपनाते हुए एवं राज्यों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करते हुए अनुपालन कर रही है। इन दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* सभी आधारभूत स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों तथा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्मिकों (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.), सहायक नर्स धात्रियों (ए.एन.एम.), गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को शामिल करते हुए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार में परिवर्तन।

* बेहतर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों-स्वास्थ्य संबंधित संपर्कों और साथ ही साथ मास मीडिया का प्रयोग।

* माताओं से प्रसवपूर्व तथा प्रसवोपरांत संपर्क के जरिए तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के जरिए स्तनपान और सम्पूरक आहार के संबंध में परामर्शन को बढ़ावा।

* शिशु एवं छोटे बच्चे के आहार यथा स्तनपान और समुचित सम्पूरक आहार के संबंध में स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

गंगा नदी को खतरा

745. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी विश्व की उन शीर्ष दस नदियों में शामिल हो गयी है जिसे प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करने वाले जल के विपथन के कारण बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) प्राकृतिक संसाधनों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं और अब तक इनके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), विश्व वन्यजीव निधि ने "विश्व की 10 शीर्ष नदियां खतरे के कगार पर" नाम रिपोर्ट में गंगा नदी को, विश्व की दस नदियां जो खतरे के कगार पर हैं में सूचीबद्ध किया है। केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए उक्त गैर-सरकारी संगठन ने क्या डाटाबेस और प्रणाली अपनाई है। रिपोर्ट में गंगा नदी की जैवविविधता की रूपरेखा है और कृषि के लिए जल के अधिक निष्कर्षण को तथा प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करने वाले अधिक जल अपवर्तन को नदी के लिए मुख्य खतरे माना गया है। अन्य बातों के अलावा रिपोर्ट में जल उपयोग और फसलों की सिंचाई क्षमता को बेहतर बनाना, विकृत सहायता को समाप्त करना, जल निष्कर्षण स्तरों को कैपिंग तथा सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता तथा एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) गंगा नदी का प्रवाह विभिन्न स्थानों पर नियमित आधार पर जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा मानीटर किया जा रहा है। संकटकालीन मौसम के दौरान भी गंगा नदी में उपलब्ध जल में फरक्का बैरेज के इसके टर्मिनल प्वाइंट पर कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं हुई है। केन्द्रीय जल आयोग ने, देश में जल संसाधनों के विकास के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें देश में जल के अधिकतम उपयोग के लिए जल अतिरेक बेसिनों से जल कमी वाले बेसिनों तक जल के स्थानांतरण के लिए नदियों के जोड़ने की परिकल्पना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, सीवेज के अवरोधन, विपथन, शोधन के स्वीकार्य मानकों तक गंगा की जल गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 1985 में एक केन्द्रीय वित्त पोषित स्कीम के रूप में गंगा कार्य योजना चरण-I प्रारंभ की जिसे 1993-96 में गंगा कार्य योजना चरण-II तथा बढ़ाया गया। बाद में 1996 में गंगा कार्य

योजना चरण-II देश में प्रमुख नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के साथ मिला दी गई थी। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत अब तक, अल्प लागत सफाई कार्यों, शवदाहगृहों आदि जैसे उपशमन कार्यों के अलावा 999 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

गंगा में प्रदूषण की समस्या से समग्र और व्यापक तरीके से निपटने के लिए सरकार ने गंगा नदी के लिए एक अधिकार प्राप्त योजना, वित्त पोषण और मानीटरिंग और समन्वित प्राधिकरण के रूप में एक 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बीमा कंपनियों द्वारा निवेश

746. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) नियमित रूप से शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी बीमा कंपनियों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किए गए निवेश की मात्रा का कोई मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों ने कितनी रायल्टी/शुल्क भेजे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए निवेश की प्रमात्रा सूचित की है:

कंपनी का नाम	वर्ष		
	2005-06	2006-07	2007-08
एलआईसी	14,172.93	23,401.67	53,162.89
जीआईसी	1,719.00	1,610.00	982.00

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, अनुमोदित निवेश और 'अन्य निवेश' में निवेश के लिए निर्धारित सांविधिक उच्चतम सीमा के बीमा कंपनियों द्वारा, अनुपालन की, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

कैंसर का जल्द पता लगाया जाना

747. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने आरंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने की प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंसर की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कैंसर के मामलों का जल्द पता लगाने और कैंसर से पीड़ित गरीबों को नि:शुल्क दवा देने के लिए कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कैलिफोर्निया के एक भारतीय वैज्ञानिक का दावा है कि उन्होंने आरंभिक चरणों में कैंसर का पता लगाने के लिए "मैथड फार अरली डिटेक्शन आफ कैंसर" नामक प्रविधि विकसित की है और इसका पेटेंट कर लिया गया है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कैंसर की शुरू में ही पहचान, निदान और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें कैंसर की रोकथाम एवं शुरू में ही उसका पता लगाने पर अब विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में विकिरण चिकित्सा एकक स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को भी संपूरित कर रही है।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण करार्यक्रम के अंतर्गत आंकोलाजी विंग के विकास तथा जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों/सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता अनुदान संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ही प्रदान किया जाता है। आंकोलाजी

विंग के विकास के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को 3.00 करोड़ रुपए तक एकबारगी अनुदान प्रदान किया जाता है और जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 वर्ष की समय अवधि के लिए 90.00 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

748. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) ऋणात्मक मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वित्तीय रूप से अर्थक्षम और वहनीय बनाने के लिये, सरकार ने वर्ष 2007-08 में पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। 1795.97 करोड़ रुपये की राशि के पूनर्पूंजीकरण द्वारा, 27 आरआरबी (11 समामेलित और 16 असमामेलित) की पुनर्पूंजीकृत किये जाने के लिये पहचान की गई थी।

आरआरबी की शेयर पूंजी में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा 50:15:35 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। तीनों पणधारकों से अपेक्षित है कि वे पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिये अपने हिस्से का अंशदान करें। फिलहाल, ऋणात्मक मालियत वाले 27 आरआरबी में से, 20 को पूर्णत: और 6 को आंशिक रूप से पुनर्पूंजीकृत कर दिया गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित प्रयोजक बैंक द्वारा अपने हिस्से का अंशदान कर देने के अध्यधीन, वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्पूंजीकरण के लिये अपने पूरे हिस्से का अंशदान करेगी।

नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति

749. श्री निखिल कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित निगरानी समिति ने बाघ अभयारण्य में और उसके आसपास पर्यटकों के आवागमन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई पर्यावरण पर्यटन नीति से देश में बाघों को कितना संरक्षण प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति गठित की है, जिसके अधिदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ फ्रिंज क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय निवासियों और पुनर्वासित ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए पारिपर्यटन रणनीति के लिए निवेश प्रदान करना शामिल है।

(ग) नए दिशानिर्देश, देश में बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए बाघ कार्यबल की सिफारिशों के अनुरूप होंगे।

आयकर विवरणी संसाधन केन्द्र

750. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आयकर विवरणी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये केन्द्र देश में आयकरदाताओं को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां। आयकर विभाग बेंगलुरु में "केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र" (सीपीसी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। स्थापना एवं प्रचालन का कार्य मैसर्स इंफोसिस (टेक्नालाजील लि., बेंगलुरु के नेतृत्व वाले संघ को दिया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान सीपीसी के अधिष्ठापित हो जाने की उम्मीद है।

(ख) बेंगलुरु स्थित सीपीसी से आयकर विभाग द्वारा प्राप्त सभी इलेक्ट्रानिक विवरणियों के साथ पहले वर्ष में बेंगलुरु की कागजी आयकर विवरणियों को प्रोसेस करने की उम्मीद है। कार्यभार उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा।

(ग) सीपीसी देश के करदाताओं को निम्नलिखित लाभ/सहायता प्रदान करेगा।

* सीपीसी के फलस्वरूप तेजी से प्रोसेसिंग होगी जिससे प्रतिदायों की सुपुर्दगी त्वरित होगी तथा करदाताओं की शिकायतें कम होंगी।

* प्रतिदाय/विवरणियों की प्रोसेसिंग के लिए आयकर कार्यालयों के साथ करदाताओं का संपर्क मामूली अथवा न के बराबर होगा।

* यह पूरी दुनिया के सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त त्वरित प्रक्रियाओं एवं नागरिक केन्द्रित सेवाओं की तरह सेवाएं प्रदान करने में विभाग को समर्थ बनाएगा।

* करदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए इसका एक समर्पित काल सेंटर होगा।

कोलाचेल पत्तन का विकास

751. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोलाचेल पत्तन के विकास हेतु तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तमिलनाडु राज्य में कोलाचल पत्तन एक गैर महापत्तन है। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर, सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड को कोलाचल पत्तन विकसित किए जाने हेतु एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने से संबंधित काम-काज सौंपा गया है। इस संबंध में परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

पाउचों पर प्रतिबंध

752. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विभिन्न मदों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त पाउचों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है जैसाकि दिनांक 6 फरवरी, 2009 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने रंगीन, पुन:चक्रित प्लास्टिक बैंगों और मल्टीलेयर तथा मैटालिक पाउचों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट सहित अपशिष्ट प्रबंधन पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

निर्यातकों के लिए ऋण मानदण्डों को सरल बनाना

753. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का प्रस्ताव देश में निर्यातकों के लिए ऋण मादण्डों को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे भारतीय निर्यातकों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) विश्वभर में निर्यातक, मंदी की परिस्थितियों द्वारा विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों के दौरान ऋण के मानदण्डों को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(1) लदान पूर्व और लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण की अवधि 90-90 दिन बढ़ाना;

(2) लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर यथा लागू निर्धारित ब्याज दरों की प्रयोज्यता, अग्रिम की तारीख से अगली सूचना तक, 180 दिनों तक के अतिदेय बिलों पर लागू करना;

(3) बैंकों के लिए चलनिधि में वृद्धि करने के उद्देश्य से सीआरआर, एसएलआर, रेपो-दर और प्रति रेपो-दर को कम करना;

(4) वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित (ईसीआर) सुविधा की सीमा को बढ़ाकर बकाया रुपया निर्यात ऋण के 50% तक करना;

(5) बिना स्टेटस वाले निर्यातकों के लिए निर्यात की उगाही की समयावधि को बढ़ाकर 12 महीने करना;

(6) कतिपय रोजगारोन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए लदान पूर्व और लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के संबंध में 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक 2% की ब्याज सहायता की पुनः शुरूआत करना। वित्त मंत्री ने वर्ष 2009 से अपने अंतरिम बजट भाषण में ब्याज सहायता को 6 महीने और अर्थात् 30 सितंबर 2009 तक बढ़ाने की घोषणा की है;

(7) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के संबंध में अधिकतम दर 5 फरवरी 2009 से लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर तथा 100 आधार बिन्दु की वर्तमान अधिकतम दर से बढ़ाकर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर तथा 350 आधार बिन्दु करना। परिणामस्वरूप, निर्यात ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के लिए विदेशी बैंक से ऋण सहायता के संबंध में ब्याज-दर की अधिकतम सीमा छह महीने लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर तथा 75 आधार बिन्दु से बढ़ाकर छह महीने लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर तथा 150 आधार बिन्दु करना;

(8) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के बैंकों को अपने ग्राहकों से एफसीसीबी की समय से पूर्व पुनः खरीद के आवेदनों पर विचार करने की अनुमति प्रदान किया जाना;

(9) एक्जिम बैंक को रुपए या डालर में लदान पूर्व और लदानोत्तर ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्वित्त सुविधा;

(10) भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को तीन महीने तक की समयावधि के लिए विदेशी मुद्रा की अदला-बदली के माध्यम से 30 जून 2009 तक विदेशी मुद्रा की चलनिधि प्रदान की गई है;

(11) बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्निर्धारण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों को शिथिल किया गया है जिनमें निर्यातक भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला ब्लाकों का आवंटन

754. **श्री के.एस. राव:**
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रक्षित कोयला ब्लाकों की पहचान की गई है;

(ख) निजी क्षेत्रों, राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रमों को कितने ब्लाक आवंटित किए गए तथा इसके पृथक रूप से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या इन ब्लाकों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि कोई हो तो, नीलामी की प्रक्रिया से कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है;

(ङ) कितने ब्लाकों में खनन/उत्पादन कार्य आरंभ किया गया है; और

(च) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को आवंटित ब्लाकों में कोयला उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) आज की तारीख के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित किए जाने हेतु लगभग 50 बिलियन भू-वैज्ञानिक भंडारों वाले कुल 229 कोयला ब्लाकों की पहचान की गई है।

(ख) आज की तारीख के अनुसार, लगभग 42 बिलियन टन के अनुमानित भू-वैज्ञानिक भंडारों के साथ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की विभिन्न पार्टियों को कुल 198 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	आवंटित कोयला ब्लाकों की सं.	भू-वैज्ञानिक भंडार (मि.ट.)
1.	केन्द्र सरकार के उपक्रम	22	9636.42
2.	राज्य सरकार के उपक्रम	78	17719.57
3.	निजी क्षेत्र	98	14931.37
	कुल	198	42287.36

केप्टिव ब्लाकों जिनमें उत्पादन आरंभ हो गया है, द्वारा भुगतान किए गए रायल्टी, सेस, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों से सृजित राजस्व निम्नानुसार है:

क्षेत्र	अर्जित राजस्व (आंकड़े लाख रुपए में)		
	2005-06	2006-07	2007-08
केन्द्र सरकार के उपक्रम	शून्य	शून्य	शून्य
राज्य सरकार के उपक्रम	9106.57	11316.00	14844.25
निजी क्षेत्र	5204.41	7539.72	10080.42
कुल	14310.98	18855.72	24924.67

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सार्वजनिक और निजी कंपनियों को दिसम्बर, 2008 तक आबंटित 23 कोयला ब्लाकों में कोयला उत्पादन आरंभ हो गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित ब्लाकों में कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)
2005-06	7.589
2006-07	11.243
2007-08	13.14
2008-09 (दिसम्बर, 2008 तक)	13.58

नागपुर मेडिकल कालेज का उन्नयन

755. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागपुर स्थित सरकारी मेडिकल कालेज के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त मेडिकल कालेज का कब तक उन्नयन किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन 5.2.2009 को प्राप्त हुआ। स्तरोन्नयन-योजना के अधीन मेडिकल कालेज संस्था के स्तरोन्नयन के लिए अधिकतम 150 करोड़ रुपए तक का एकबारगी पूंजीगत व्यय करने का प्रस्ताव है जिसमें से केन्द्र सरकार 125 करोड़ रुपये का निवेश करेगी तथा शेष 25 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय को महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार को जनशक्ति और रखरखाव की सभी स्तरोन्नयन सुविधाओं से संबंधित आवर्ती व्यय को भी वहन करना होगा।

सरकारी मेडिकल कालेज नागपुर में सिविल निर्माण कार्य और उपस्कर की उपलब्धता के बारे में कमी का विश्लेषण/जरूरतों का निर्धारण केन्द्रीय दल द्वारा जनवरी, 2009 में किया गया जिसमें राज्य सरकार के पदधारियों सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पदधारी, सीडीबी के पदधारी और एम्स/लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के संकाय सदस्य शामिल थे। केन्द्रीय दल और राज्य सरकार के पदधारियों द्वारा किए गए संयुक्त निर्धारण के अनुसार महाराष्ट्र सरकार से निर्धारण और स्तरोन्नयन प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार से विस्तृत निर्धारण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। संस्थान का स्तरोन्नयन 2011 के प्रारंभ तक शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।

बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान

756. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपभोक्ता अदालतों सहित विभिन्न न्यायालय भी दावों का निपटान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निपटान प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) केरियर एजेन्ट

757. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) केरियर एजेन्ट की नियुक्ति के लिए निहित अर्हता तथा उन्हें भुगतान किए जाने वाली वृत्तिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरियर एजेन्ट को पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में कम से कम कितनी पालिसियां करनी होती हैं;

(ग) क्या केरियर एजेंट द्वारा निम्नतम पालिसियां करने में असफल होने पर वृत्तिका रोक दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया गया है कि केरियर एजेन्ट [बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियम, 2000 में यथा निर्धारित] की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई अर्हता निम्नानुसार है:-

ग्रामीण केरियर एजेन्ट योजना:

शैक्षिक अर्हता: आईआरडीए विनियम, 2000 में निर्धारित किए अनुसार जिन मामलों में एजेन्ट का निवास शहरी क्षेत्र में है 12वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण है। जिन मामलों में एजेन्ट के निवास स्थान की जनसंख्या 5000 से कम है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता 10वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण है।

शहरी केरियर एजेन्ट योजना:

शैक्षिक अर्हता: माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (एसएससी) 60% अंकों के साथ अथवा उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) अथवा स्नातक।

केरियर एजेन्ट को अदा किया जाने वाला वजीफा निम्नानुसार है:

	शहरी केरियर एजेन्ट	ग्रामीण केरियर एजेन्ट
प्रथम वर्ष	पहले 3 माह 1250/- रु. प्रति माह की दर पर और बाद के 9 महीने 2500/- रु. प्रति माह की दर पर	प्रथम वर्ष 1500/- रु. प्रति माह
द्वितीय वर्ष	2500/- रु. प्रतिमाह (1400/- रु. प्रति माह तथा वित्त 1100/- रु. प्रति माह)	1200/- रु. प्रति माह

(ख) शहरी एवं ग्रामीण केरियर एजेन्ट के लिए न्यूनतम कारबार मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

ग्रामीण तथा शहरी केरियर एजेन्ट के लिए न्यूनतम कारबार मानदण्ड

ग्रामीण केरियर एजेन्ट (आरसीए):

माह-वार	जीवन पालिसियों की संख्या
पहले छह महीनों में	2 प्रति माह
अगले छह महीनों में	3 प्रति माह
अगले छह महीनों में	2 प्रति माह
अगले छह महीनों में	3 प्रति माह

शहरी केरियर एजेन्ट (यूसीए):

तिमाही-वार	जीवन पालिसियों की संख्या
प्रथम तिमाही	4
दूसरी तिमाही	8
तीसरी तिमाही	12
चौथी तिमाही	15
पांचवीं तिमाही	15
छठी तिमाही	15
सातवीं तिमाही	15
आठवीं तिमाही	15
नवीं तिमाही	15
दसवीं तिमाही	15
ग्यारहवीं तिमाही	25
बारहवीं तिमाही	25

विवरण II

वजीफे के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

* कारबार संबंधी समीक्षा मासिक आधार पर की जाएगी।

* यदि कोई ग्रामीण केरियर एजेन्ट (आरसीए) किसी माह में अपेक्षित न्यूनतम कारबार से अधिक कारबार करता है, तब वह उन विभिन्न महीनों के लिए वजीफा प्राप्त करता रहेगा जिसके लिए उसने कारबार किया है, चाहे वह उन महीनों के लिए कोटा कारबार करने में समर्थ नहीं हुआ है।

* ग्रामीण केरियर एजेन्ट को वजीफा प्राप्त करने के लिए पहले वर्ष में न्यूनतम 30 जीवन पालिसियां करनी होंगी।

* यदि वह जीवन पालिसियों की न्यूनतम संख्या एवं यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष कमीशन प्राप्त नहीं करता है, उसे उस माह के लिए वजीफा प्राप्त नहीं होगा। तथापि, यदि वह भविष्य में उस कमी को पूरा करने में समर्थ होता है, तब उसे पिछले माह के लिए वजीफा प्राप्त होगा जिसके लिए वह कारबार कोटा पूरा करने में समर्थ हुआ है।

* सर्वप्रथम, माह के लिए कोटा समायोजित किया जाएगा, तब उलटे क्रम में पिछले महीनों के लिए कमी को समायोजित किया जाए [जीवन पालिसियों की संख्या (एनओएल) तथा प्रथम वर्ष का कमीशन (एफवाईसी) दोनों के लिए] और यदि कोई शेष है तब वह भावी महीनों में निश्चित किया जाएगा।

* अत:, यदि कोई ग्रामीण केरियर एजेन्ट (आरसीए) प्रारंभिक महीनों के लिए न्यूनतम कारबार नहीं लाता है परन्तु बाद में एनओएल एवं एफवाईसी दोनों के कारण कमी को पूरा करने में समर्थ होता है, तब पहले के महीनों के लिए वजीफा जारी किया जाएगा। उसे 12 माह की समाप्ति तक कमी को पूरा करने का अवसर मिलेगा।

* इसी प्रकार, यदि उसे पूरे वर्ष का कारबार प्रारंभिक महीनों में दे दिया है, उसे वजीफे के सभी महीनों के लिए वजीफा मिलता रहेगा।

* शहरी केरियर एजेन्ट के मामले में, यदि किसी एक तिमाही में प्रथम वर्ष की कमीशन (एफवाईसी) में कमी 25% अथवा इससे कम है, केरियर एजेन्ट को अगली तिमाही में इसे पूरा करने का मौका मिलेगा। तथापि, अगली तिमाही के लिए मासिक वजीफा अदा किया जाता रहेगा। यदि अगली तिमाही में भी एफवाईसी की कमी पूरी तरह दूर नहीं की जाती है, परन्तु यह कमी दोनों तिमाहियों को मिलाकर 10% अथवा इससे कम है, तो आगामी तिमाही में इसे पूरा करने के लिए दूसरा मौका (लिखित में सूचित करके) दिया जा सकता है। यदि कमी को, लगातार तीन संगत तिमाहियों के लिए निर्धारित स्तर पर कार्य निष्पादन करके, पूरा नहीं किया जाता है, केरियर एजेंसी को समाप्त कर दिया जाएगा तथा केरियर एजेन्ट को एक साधारण एजेन्ट के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

पिछड़े जिलों के लिए विशेष पैकेज

758. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के अत्यधिक पिछड़े जिलों के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सरकार के पास पिछड़े जिलों को विशेष पैकेज देने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए 250 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के अंतर्गत कवर करने के लिए निधियां प्रदान करता है। 250 जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के अंतर्गत कवर किए गए 250 जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर

4. कुडप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नलगोंडा
10. नाजिमाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. अपर सुबनसिरि

असम

1. बारपेटा
2. बोंगाईगांव
3. कछार
4. धेमाजी
5. गोलपाड़ा
6. हेलकांडी
7. करबी आंगलांग
8. कोकराझार
9. मारीगांव
10. उत्तरी लखीमपुर (लक्ष्य)
11. उत्तरी कछार हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार
15. किशनगंज
16. खगड़िया
17. लखीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुज्जफरपुर
22. नालंदा
23. नवादा
24. पश्चिम चंपारण
25. पटना
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णियां
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा

33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतारी
5. जसपुर
6. कबीरधाम
7. कांकर
8. कोरबा
9. कोरीया
10. महासमुन्द
11. रायगढ़
12. राजनंदगांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बनासकांठा
2. डांग्स
3. दाहोद
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकांठा

हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पुंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवगढ़
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरीडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदगा
15. पाकुड़
16. पलामू
17. रांची
18. साहिबगंज
19. सरायकेला खरसवा
20. सिमडेगा
21. पश्चिम सिंहभूम

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. दावनगिरी
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

केरल

1. पलक्कड
2. वायनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बारवानी
3. बेतूल
4. छत्तरपुर
5. दमोह
6. धार
7. डिनडोरी
8. गुना
9. झबुआ
10. कटनी
11. खंडवा
12. खरगौन
13. मण्डला
14. पन्ना
15. राजगढ़
16. रेवा
17. सतना
18. सिओनी
19. शहडौल
20. सिओपुर
21. शिवपुरी
22. सिद्धी
23. टीकमगढ़
24. उमरिया

महाराष्ट्र

1. अहमद नगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भंडारा
5. चुन्द्रपुर
6. धुले
7. गढ़चिरौली
8. गोंडिया
9. हंगोली
10. नांदेड
11. नंदुरबार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चरचंद्रपुर
3. तामेंगलोंग

मेघालय

1. श्री बोइ
2. साऊथ गारो हिल्स
3. वेस्ट गारो हिल्स

मिजोरम

1. लांगतलाय
2. सियहा

नागालैण्ड

1. मोन
2. तुनसंग
3. वोरखा

उड़ीसा

1. बोलांगीर
2. बौध
3. देबागढ़
4. धेनकेना
5. गजपति
6. गंजम
7. झारसुगुड़ा
8. कालाहांडी
9. कंधमाल
10. क्योंझर
11. कोरापुट
12. मलकानगिर
13. मयूरभंज
14. नबरगंपुर
15. नुआपाड़ा
16. रायगड़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. बांसवाड़ा
2. बारमेर
3. चित्तौड़गढ़
4. डूंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जलोर
7. झालावाड़
8. करौली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तर जिला

तमिलनाडु

1. कुड्डालोर
2. डिंडिगुल
3. नागापट्टिनम
4. शिवगंगे
5. तिरुवन्नामलाई
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धलाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेडकर नगर
2. आजमगढ़

3. बहराईच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली
10. चित्रकूट
11. ऐटा
12. फर्रुखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालौन
19. जौनपुर
20. कौशाम्बी
21. कुशीनगर
22. लखीमपुर खीरी
23. ललितपुर
24. महाराजगंज
25. महोबा
26. मिर्जापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. श्रावस्ती
31. सिद्धार्थनगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव

उत्तराखंड

1. चमोली
2. चंपावत
3. टेहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. 24 परगना साउथ
2. बांकुड़ा
3. बीरभूम
4. दिनाजपुर दक्षिण
5. दिनाजपुर उत्तर
6. जलपाईगुड़ी
7. मालदा
8. मिदनापुर पूर्व
9. मिदनापुर पश्चिम
10. मुर्शीदाबाद
11. पुरुलिया।

कोल-टू-लिक्विड परियोजना

759. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "कोल-टू-लिक्विड" परियोजना के लिए कोयला आवंटन हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन की संवीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के आवेदनों की संवीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर आगे क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 22 सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों से 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) कोयले के कोल-टू-लिक्विड परियोजना हेतु प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जांच एवं मूल्यांकन करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में 3.6.2008 को सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है। विस्तृत विचार-विमर्श/जांच के बाद अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कोल-टू-लिक्विड परियोजना हेतु कोयला ब्लाक के आबंटन के लिए सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है।

वन आधारित परियोजनाएं

760. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई वन आधारित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं काफी समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1.4.2005 से 31.3.2008 तक गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के विविधिकरण से जुड़े 5350 प्रस्ताव और 1.4.2008 से 20.2.2009 तक वर्तमान वर्ष के दौरान 1529 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित सरकारों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जहां तक संभव हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) नियमों 2003 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में, निर्णय लिया जाता है। अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त 5350 परियोजनाओं में से 220 परियोजनाएं पिछले 4 वर्षों तक कुछ अपरिहार्य कारणों, जैसे परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के चैनलों संबंधी उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश मंत्रालय आदि के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र निरीक्षण में देरी होना। वर्तमान वर्ष के दौरान, इन बाध्यताओं पर यद्यपि पूर्ण ध्यान दिया गया है।

विवरण

अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण (अनुमोदित + सिद्धान्त रूप में)

श्रेणी: सभी श्रेणियां 20.2.2009 की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अवधि 1.4.2005 से 31.3.2008	अवधि 1.4.2008 से 20.2.2009
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	5
आंध्र प्रदेश	121	81
अरुणाचल प्रदेश	30	18
असम	66	35
बिहार	39	18
चंडीगढ़	5	0
छत्तीसगढ़	127	51
दादरा एवं नगर हवेली	25	23
दमन एवं दीव	0	1
दिल्ली	3	3

1	2	3
गोवा	14	19
गुजरात	235	127
हरियाणा	796	302
हिमाचल प्रदेश	497	107
जम्मू-कश्मीर	0	0
झारखंड	55	37
कर्नाटक	166	38
केरल	22	4
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	144	62
महाराष्ट्र	166	78
मणिपुर	3	1
मेघालय	8	6
मिजोरम	1	3
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	102	42
पुडुचेरी	0	0
पंजाब	1223	234
राजस्थान	136	33
सिक्किम	94	47
तमिलनाडु	35	19
त्रिपुरा	43	50
उत्तर प्रदेश	262	8
उत्तराखण्ड	908	70
पश्चिम बंगाल	10	7
कुल	5350	1529

एल आई सी पालिसियां

761. श्री पी. करुणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने पालिसियों की संख्या में 22 प्रतिशत का नकारात्मक रुझान एवं प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (एफपीआई) में 36 प्रतिशत का नकारात्मक रुझान दर्शाया है जब कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने 80 प्रतिशत से अधिक का विकास दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 की अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने प्रथम वर्ष प्रीमियम और पालिसियों की संख्या में क्रमश: 1.89% तथा 5.63% का ऋणात्मक विचलन दिखाया है। उसी अवधि के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र ने प्रथम वर्ष प्रीमियम तथा पालिसियों की संख्या में क्रमश: 13.22% तथा 20.36% की वृद्धि दर्शाई है।

वित्तीय क्षेत्र में, हाल ही की गिरावट, विशेषकर पूंजी बाजार में गिरावट ने बीमा उद्योग-विशेषकर यूनिट लिंक्ड उत्पादों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सभी बीमा कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को वृद्धिशील दरों के साथ समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गहन फील्ड कार्यकलाप, नवोन्मेषी उत्पादों का आरम्भ, वितरण चैनलों से सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कंपनियों द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

एलआईसी ने सूचित किया है कि इसने हाल ही में एक नया उत्पाद "जीवन आस्था" शुरू किया है जो ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया और इससे एलआईसी को सीमित अवधि में 10,000 करोड़ रुपए एकत्र करने में मदद मिली। इस उत्पाद की सफलता से एलआईसी को, आने वाले महीने में वृद्धि दर तथा मार्किट शेयर दोनों में सुधार होने की आशा है। एलआईसी ने 16 फरवरी, 2009 को अतिरिक्त गारंटी सहित एक और नया उत्पाद "जीवन वर्षा" प्रस्तुत किया है और इसे उम्मीद है कि यह उत्पाद भी "जीवन आस्था" की तरह ही सफलता दोहराएगा और वर्ष के अंत में यथोचित वृद्धि सहित बंद करने में निगम की मदद करेगा।

आयुर्वेदिक उत्पादों में हेवी मेटल संघटक

762. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विनिर्माताओं द्वारा निर्यातित कतिपय आयुर्वेदिक उत्पादों में सीसा, पारा, संखिया की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार, आयुर्वेदिक उत्पादों में सीसा, पारा तथा संखिया की अनुज्ञेय मात्रा जिसे विभाग द्वारा स्वीकार्य किया गया है, क्रमश: 10 पीपीएम, 1 पीपीएम तथा 3 पीपीएम है।

जर्नल आफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (जामा) के 27 अगस्त, 2008 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, इंटरनेट पर खरीदे गए भारतीय विनिर्मित आयुर्वेदिक उत्पादों के पांचवें भाग में सीसा, पारा और संखिया की दृष्टिगोचर मात्रा मौजूद है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात् सरकार ने प्रतिष्ठित और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा जामा लेख में उल्लिखित प्रतिवेदनों की जांच कराने हेतु तत्काल कदम उठाए हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने धातु आधारित भस्मों की विषाक्तता/सुरक्षागत रूपरेखा का पता लगाने के लिए एक अध्ययन प्रारंभ किया है। यह अध्ययन भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईटीआरसी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), लखनऊ में संयुक्त रूप से निष्पादित किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद को निदेश दिया गया है कि दोनों जामा लेखों में उल्लिखित उत्पादों के सभी नमूनों को प्राप्त करके इन्हें एलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोस्कोपिक रासायनिक विश्लेषण और एक्स-रे फ्लुरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रक्रिया द्वारा भारी धातुओं के विश्लेषण के लिए भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद भेजे।

आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माताओं को विनिर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रयोगशाला बोर्ड/अच्छी प्रयोगशाला पद्धति (एनएबीएल/जीएलपी) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा अपने उत्पादों के संबंध में सुरक्षा/विषाक्तता अध्ययनों को निष्पादित करते हुए जीर्ण, उप-जीर्ण और जीर्ण सुरक्षा/विषाक्तता औषधियों के अध्ययनों के संबंध में अपने-अपने प्रतिवेदन प्रेषित करें।

परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि निर्यात की गई किसी भी भारतीय जड़ी-बूटीय आयुर्वेदिक औषधियों में निहित विषाक्त भारी धातुओं की मात्रा अनुमत सीसा से अधिक नहीं थी। जहां तक विशुद्धत: जड़ी-बूटीय आयुर्वेदिक औषधियों का संबंध है तो उनमें भारी धातुओं की मौजूदगी का पता नहीं चला है। जहां तक जड़ी, बूटीय-खनीजीय और जड़ी बूटीय-धातुमय संपाकों की बात है तो इन औषध योगों में धातुएं अनिवार्य घटक के रूप में शामिल की जाती हैं, अतएव, उनमें इनका पाया जाना कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं है। तथापि, इनमें भारी धातुओं को बहुत छोटी मात्रा में शुद्धिकृत करने के बाद इस आशय के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि वे अन्य जड़ी-बूटीय घटकों की क्रियाशीलता के लिए उत्प्रेरक का कार्य करें और उनके द्वारा औषधियों की प्रभावकारिता में वृद्धि हो। भस्मों के रूप में पिसी हुई धातुओं के मिश्रण में धातुमय संपाको को बार-बार विनियत समय में आग में जला कर और जड़ी-बूटियों के साथ शुद्धिकृत करने के बाद सुरक्षित कर दिया जाता है।

* जामा (यू.एस.), दिनांक 27 अगस्त, 2008 में आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में भारी धातुओं के आरोप विषयक लेख प्रकाशित होने के पश्चात् आयुष विभाग की विस्तृत टिप्पणियों के साथ-साथ सितम्बर, 2008 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

* केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अन्य आवश्यक आदेशों को भी जारी किया गया है ताकि देश और विदेश में आयुष उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके।

* निर्यात की जाने वाली जड़ी बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधियों में भारी धातुओं की मौजूदगी का अनिवार्य परीक्षण दिनांक 1.1.2006 से शुरू कर दिया गया है। ऐसा आयात करने वाले देशों की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

* राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधि कंटेनर के लेबल अथवा एएसयू औषधि के पैकेज में रखी जाने वाली पर्ची में दवा के विनिर्माण में प्रयुक्त औषधि की मात्राओं सहित सभी घटकों की सत्य सूची के बारे में उल्लेख करने के प्रयोजनार्थ नियम 161(1) और (2) से संबंधित उपबंधों का एएसयू औषध विनिर्माताओं द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

* 8 सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त भस्मों के भौतिक-रासायनिक गुणों के अध्ययन और उनके विषाक्तता अध्ययनों को निष्पादित करने के लिए स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है।

* देश में सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माण एककों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियां अनिवार्य कर दी गई हैं।

* आयुष विभाग ने निर्यात के प्रयोजनार्थ आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के परीक्षण एवं प्रमाणन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नजर रखने के लिए आयुष विभाग के अधीन एक आयुष निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने हेतु वाणिज्य मंत्रालय से परिचर्चा की है।

* सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भेषज संहिताएं बनाने के प्रयोजनार्थ आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित भेषज संहिता समितियों का गठन किया है।

* कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान चेन्नई, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र (वर्तमान में आईआईटीआर, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान), लखनऊ और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने लगभग 600 पादपों का विश्लेषण करके यह नतीजा बरामद किया था कि उनमें सीसे, संखिया और पारे की मात्रा अनुमत सीमा के भीतर विद्यमान थी।

* राज्य लाईसेंस प्राधिकारियों को पेटेंट और एकायत्त आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी उत्पादों की लाईसेंसिंग पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 154(2) के उपबंधों के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलम्ब

763. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं अपनी तय समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप हुई लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) 1 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 20 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली 853 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा है। इनमें से 318 परियोजनाएं अपने अनुमोदित मूल समय से पीछे चल रही हैं। विलंब से चल रही इन परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विलंबित परियोजनाओं के निर्धारित समय से पीछे रहने के कुछ कारण हैं, निधि की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेकादारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, ठेके प्रदान करने में विलंब तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं।

(ग) 318 विलंबित परियोजनाओं में से 116 परियोजनाओं में लागत वृद्धि की सूचना मिली है। इन 116 परियोजनाओं की मूल अनुमोदित लागत 91841 करोड़ रु. से बढ़कर 129560 करोड़ रु. हो गई है। लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये कदम शामिल हैं:

(1) सरकार द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा;

(2) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना;

(3) विभागीय तौर पर क्रियान्वित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त समितियों का गठन;

(4) अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर-मंत्रालयिक समन्वय;

(5) समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(6) प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यकाल की निरंतरता के साथ, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; और

(7) मानक बोली दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना।

विवरण I

मूल समय-सारणी के संदर्भ में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा

(1.1.2009 की स्थिति के अनुसार मेगा और प्रमुख परियोजनाओं और 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार मध्यम परियोजनाओं की स्थिति)

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं				समयवृद्धि वाली परियोजनाएं			
		परि. की सं.	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	लागत वृद्धि %	परि. की सं.	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	विलम्ब की सीमा (माह)
1.	परमाणु ऊर्जा	5	24291.26	23360.26	-3.83	3	16586.26	16586.26	16-31
2.	नागर विमानन	29	2056.65	2156.36	4.85	17	1043.91	1137.59	3-50
3.	कोयला	115	28387.28	29813.25	5.02	17	1100.29	1251.19	3-108
4.	सूचना एवं प्रसारण	1	35.00	35.00	0.00	0	0.00	0.00	-
5.	खान	1	4091.51	4091.51	0.00	0	0.00	0.00	-
6.	इस्पात	46	46652.62	51151.39	9.64	17	11757.89	15942.04	2-28
7.	पैट्रोलियम	47	69511.38	76173.37	9.58	29	45074.05	53112.13	1-61
8.	ऊर्जा	69	116364.83	120354.86	3.43	31	63912.19	67537.26	1-68
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	71.18	443.15	522.58	0	0.00	0.00	-
10.	रेलवे	250	42368.29	79827.26	88.41	61	14616.91	31530.00	1-180
11.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	186	52089.74	52744.40	1.26	96	21972.89	22304.71	1-92
12.	जहाजरानी एवं बंदरगाह	43	7356.62	7571.65	2.92	19	1632.38	1763.46	4-96
13.	दूरसंचार	38	13625.38	12930.80	-5.10	20	5852.69	5349.57	2-54
14.	शहरी विकास	19	15265.50	15828.94	3.69	7	8329.54	8887.04	3-49
15.	जल संसाधन	1	542.90	1187.00	118.64	1	542.90	1187.00	60
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	2	64.90	86.86	33.84	0	0.00	0.00	-
	कुल	853	422775.04	477756.06	13.00	318	192421.90	226588.25	

विवरण II

मूल समय-सारणी के संदर्भ में परियोजनाओं में समय एवं लागत, वृद्धि की सीमा

(1.1.2009 की स्थिति के अनुसार मेगा और प्रमुख परियोजनाओं और 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार मध्यम परियोजनाओं की स्थिति)

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं				समय और लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं			
		परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	लागत वृद्धि %	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	विलम्ब की सीमा (माह)
1.	नागर विमानन	29	2056.65	2156.36	4.85	5	194.50	288.18	6-39
2.	कोयला	115	28387.28	29813.25	5.02	5	248.96	400.40	4-48
3.	इस्पात	46	46652.62	51151.39	9.64	7	9902.27	14086.42	4-28
4.	पैट्रोलियम	47	69511.38	76173.37	9.58	18	32690.69	42633.29	1-61
5.	ऊर्जा	69	116364.83	120354.86	3.43	16	25870.46	30465.48	4-44
6.	रेलवे	250	42368.29	79827.26	88.41	45	11099.90	28042.55	1-180
7.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	186	52089.74	52744.40	1.26	9	2348.72	2708.05	7-68
8.	जहाजरानी एवं पत्तन	43	7356.62	7571.65	2.92	6	291.34	426.21	8-96
9.	दूरसंचार	38	13625.38	13920.00	-5.10	3	533.55	646.56	32-54
10.	शहरी विकास	19	15265.50	15828.94	3.69	1	8118.00	8676.00	3
11.	जल संसाधन	1	542.90	1187.00	118.64	1	542.90	1187.00	60
	कुल	853	422775.04	477756.06	13.00	116	91841.29	129560.14	

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करना

764. श्री अनवर हुसैन: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु कोई सहायता प्रदान कराई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए स्थानों/संस्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) डोनर मंत्रालय की क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए मंत्रालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया है। प्रमुख संस्थान जैसे भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता, राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु उद्योग विकास संस्थान (निसबड) नोएडा, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र में विकास रणनीति, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन, ग्राहक उन्मुख जनसेवाएं, माइक्रो वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए लगाया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य सरकार के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमश: 76.25 लाख रुपये और 107.77 लाख रुपये इन संस्थानों को स्वीकृत किए गए थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक

765. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वित्त मंत्री ने 2 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ विचार-विमर्श किया।

(ख) कृषि ऋण प्रवाह, बैंकों का कार्यनिष्पादन सहित विभिन्न बैंकिंग और आर्थिक मुद्दों पर विमर्श हुआ। बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने इन मुद्दों से वित्त मंत्री को अवगत कराया।

अत्याधुनिक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान

766. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में अत्याधुनिक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से तमिलनाडु में अत्याधुनिक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एन.सी.आई.) की स्थापना करने का निर्णय किया है। तमिलनाडु सरकार ने इस संस्थान के निर्माण के लिए कांचीपुरम जिले में 50 एकड़ की भूमि दी है।

समूचे परिसर का निर्माण 850 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के साथ पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण

767. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विस्तार के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) देश में अनेक क्षेत्रों में परिवेशी वायु में श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण पदार्थ (आरएसपीएम) के संबंध में वायु प्रदूषण के स्तर बढ़ता हुआ रुझान दर्शा रहे हैं। यह मौजूदा उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ जनसंख्या में वृद्धि के सहित औद्योगिकीकरण होने, वाहनों और डीजी सेटों की बढ़ती हुई संख्या, त्वरित शहरीकरण, निर्माण गतिविधियों और फसल के बाद अवशिष्ट डंठलों को जलाने सहित कृषि पद्धतियों के कारण है।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार, उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए नई परियोजनाएं अथवा मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता के विस्तारण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अपेक्षित है। इसमें परियोजनाओं का संभावित प्रभाव और उपशमन उपायों का अध्ययन शामिल है। जन सुनवाई भी इस प्रक्रिया का भाग है।

इसके अतिरिक्त, खेतों में फसल के बाद अवशिष्ट डंठलों के जलाने के कारण परिवेशी वायु की गुणवत्ता के आंकलन के संबंध में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा अध्ययन किया गया है। पीपीसीबी ने इस संबंध में आम जनता को सामान्य रूप से और किसानों को विशेष रूप से शिक्षित करने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आरम्भ किया है।

[अनुवाद]

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों के लिए कल्याण कोष

768. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्प्रवासियों के लाभ हेतु परिकल्पित कल्याण कोष अब स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने भारतीय कामगारों, जो कठिनाई में हैं, के कल्याण के लिए मिशनों द्वारा किए गए आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए 17 ईसीआर देशों में भारतीय मिशनों को वित्त पोषण समर्थन प्रदान करने के लिए एक भारतीय समुदाय कल्याण कोष स्थापित किया है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष में अनेक कल्याण उपाय जैसे कि बेदखल किए गए प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए रहने खाने का प्रबंध, मृतकों के पार्थिव शरीरों का परिवहन, आपात चिकित्सा देखभाल, बेदखल किए गए प्रवासी भारतीयों को हवाई भाड़ा, आदि प्रदान करने की व्यवस्था है।

जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण कार्यक्रम

769. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण कार्यक्रम देश में प्रगति नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण कार्यक्रम को देश में सफलता मिली है। जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण अभियान को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल की अधिक स्थानिकमारी वाले 11 जिलों में 88.39% की समग्र व्याप्ति दर प्राप्त करते हुए 2006-07 में पहले प्रारंभ किया गया। 2007-08 के दौरान 9 राज्यों अर्थात् हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार के 28 जिले जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण के अंतर्गत लाए गए जिनमें 84% की समग्र व्याप्ति दर प्राप्त हुई है। 2008-09 के दौरान 10 राज्यों के 21 जिले कवर किए गए हैं। जिनमें 81.15% की समग्र व्याप्ति दर प्राप्त हुई है। भारत सरकार के सघन प्रयत्नों के कारण जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण से उत्तर प्रदेश राज्य जो देश में 80% से अधिक मामलों और उनसे होने वाले मौतों के लिए क्रमश: जिम्मेवार हैं, में 2008-09 के दौरान जापानी मस्तिष्क ज्वर के सकारात्मक मामले रिपोर्ट के अनुसार 7.28% तक उल्लेखनीय रूप से घट गए हैं जबकि वे 2005-06 के दौरान सूचना अनुसार 35.88% थे।

इंडोनेशिया में खानों का अधिग्रहण

770. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार इंडोनेशिया में खानें खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु पहचान किए गए स्थानों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबध में इंडोनेशिया की सरकार के साथ सहमति की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी इनटरनेशनल कोल वेंचर (आईसीवीएल) और अपने आंतरिक कोल विदेश प्रभाग के माध्यम से, ओपनकास्ट खनन की निम्न लागत तथा भारत के लिए कम समुद्री भाड़े के अनुकूल भंडारों की उपलब्धता जैसे कारकों के संयोजन के कारण इण्डोनेशिया में कोयला परिसम्पत्तियां अर्जित करने का इरादा है। हाल में इण्डोनेशिया में नए कोयला खनन के अधिनियम ने भी इण्डोनेशिया में कोयला खनन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नई व्यवस्था आरंभ की है।

(ग) और (घ) नए कोयला खनन कानून की जटिलताओं की जांच सीआईएल द्वारा कोई निवेश निर्णय लेने से पहले की जा रही है।

कृषि स्वर्ण ऋण योजना

771. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि स्वर्ण ऋण योजना के पात्र ऋण लेने वालों को बैंकों द्वारा लाभों से मना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। स्वर्ण ऋण योजना के अंतर्गत किसी पात्र उधारकर्ता को कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना का लाभ नहीं दिए जाने की कोई विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) एडीडब्ल्यूडीआर योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि यदि किसी किसान को शिकायत है कि उनका नाम ऋण माफी/ऋण राहत की सूची में शामिल नहीं है अथवा उनका नाम किसी गलत सूची में है अथवा उन्हें दी गयी राहत की गलत गणना की गयी है, के आधार पर उस बैंक शाखा, जहां से उन्होंने ऋण लिया है, के माध्यम से अथवा सीधे ही संबंधित संस्था के जीआरओ को अभ्यावेदन भेज सकते हैं और ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उचित आदेश जारी कर निपटाया जाएगा।

हाथियों के लिए फ्लाई ओवर कारिडोर

772. श्री सुग्रीव सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर प्रमुख तीर्थ शहरों को जोड़ने के लिए हाथियों हेतु फ्लाई ओवर कारिडोर का निर्माण करने का है जैसा कि 7 जनवरी, 2009 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है और प्रस्तावित कारिडोरों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-58 और राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4-लेन बनाए जाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। यह परियोजना राजाजी नेशनल पार्क से गुजरती है और नेशनल पार्क क्षेत्र में हाथियों के लिए फ्लाईओवर/भूमिगत मार्गों का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) हाथियों के लिए फ्लाईओवर कारीडोरों के निर्माण के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है क्योंकि इनका निर्माण बीओटी आधार पर किया जाना होता है। यह परियोजना 30 माह की निर्माण अवधि के साथ बीओटी आधार पर पूरी की जानी है, यद्यपि वर्तमान निविदा प्रक्रिया के दौरान कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। परियोजना के पूरे होने की संभावित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

(घ) सड़क प्रयोक्ता राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जीव को बाधा पहुंचाए बगैर इस क्षेत्र से गुजरेंगे।

स्वास्थ्य विनियामक निकाय

773. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों में दी गई सेवाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र स्वास्थ्य विनियामक के गठन करने का निर्णय लिया है जैसाकि 9 फरवरी, 2009 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विनियामक निकायों का गठन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्यों में उपलब्ध सेवाओं के अनुवीक्षण हेतु राष्ट्रीय स्वतंत्र स्वास्थ्य विनियामक निकाय की स्थापना करने का निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार

774. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में गरीबी से निपटने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीब राज्यों को विशेष पैकेज देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय बीपीएल जनगणना कराकर गरीबी का अनुमान लगाता है, ताकि उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किया जा सके। वर्ष 1991-2000 के गरीबी संबंधी अनुमान के आधार पर परिवारों की संख्या और समायोजित हिस्से को दर्शाने वाला तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) दो प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एनआरईजीए) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। एसजीएसवाई सभी पहलुओं जैसे कि स्व-सहायता को कवर करने वाला एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्व:सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन, दक्षता विकास, बैंक से क्रेडिट मुहैया करना, भारत सरकार से सब्सिडी आदि मुहैया कराना, संघारणीय आधार पर आय में वृद्धि करना। एसजीएसवाई के अंतर्गत 1977 से 32 लाख एसएचजी बनाए गए हैं और 7 लाख एसएचजी को आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। कुल 115 लाख स्वरोजगारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

एनआरजीए, जो 2 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया था, के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों, जो शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जाता है। एनआरईजीए का निष्पादन नीचे दिया गया है:-

वर्ष		लाभ प्राप्त ग्रामीण परिवार (करोड़ में)
2006-07	90.50	2.10
2007-08	143.59	3.39
2008-09 (जनवरी, 09 तक)	152.12	3.70

(ङ) दोनों स्कीमें गांव आधारित हैं और तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों को उच्चतम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अत: विशेष पैकेज विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 गरीबी अनुमान के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या	समायोजित हिस्से के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11.626	27.526
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.760	0.760
3.	असम	18.434	18.434
4.	बिहार	55.380	66.322
5.	छत्तीसगढ़	14.802	15.019
6.	दिल्ली	0.014	0.039
7.	गोवा	0.022	0.063
8.	गुजरात	7.960	10.361
9.	हरियाणा	2.388	6.096
10.	हिमाचल प्रदेश	0.968	2.567
11.	जम्मू-कश्मीर	0.594	3.177
12.	झारखंड	19.922	23.851
13.	कर्नाटक	11.982	20.786
14.	केरल	4.194	9.327
15.	मध्य प्रदेश	28.762	30.687
16.	महाराष्ट्र	25.024	41.089
17.	मणिपुर	1.306	1.306
18.	मेघालय	1.578	1.578
19.	मिजोरम	0.280	0.280
20.	नागालैंड	1.042	1.042
21.	उड़ीसा	28.738	31.484

1	2	3	4
22.	पंजाब	2.040	2.962
23.	राजस्थान	11.012	15.784
24.	सिक्किम	0.400	0.400
25.	तमिलनाडु	16.102	24.339
26.	त्रिपुरा	2.506	2.506
27.	उत्तर प्रदेश	77.836	93.768
28.	उत्तराखण्ड	4.566	5.468
29.	पश्चिम बंगाल	36.022	36.022
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.116	0.146
31.	चंडीगढ़	0.012	0.015
32.	दादरा और नगर हवेली	0.060	0.146
33.	दमन और दीव	0.002	0.005
34.	लक्षद्वीप	0.006	0.010
35.	पुडुचेरी	0.128	0.185
	अखिल भारत	386.584	493.550

कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क

775. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयातित कृषि उत्पादों पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कपास, धान, वनस्पति तेलों के आयात पर करों में वृद्धि करने हेतु कुछ वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) देश में आयातित कृषि उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, आदि जैसे राज्य के करों के साथ संतुलन बनाने के लिए 4% यथामूल्य की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर देय होता है। कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों जैसे गेहूं सेमी अथवा होल्ली मिल्ड चावल, दाल, कच्चे खाद्य तेल (सोयाबीन कच्चा तेल को छोड़कर) एवं कच्चा कपास इन शुल्कों से पूर्णतया मुक्त हैं। अन्य उत्पादों जैसे, तिलहन, रिफाईन्ड खाद्य तेल एवं चावल (धान/भूसी) पर 5% से 80% यथामूल्य बुनियादी सीमा शुल्क लगता है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार को कपास और वनस्पति तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ाने के अनुरोध वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, धान पर सीमा शुल्क बढ़ाने के संबंध में ऐसी कोई मांग अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। कृषि उत्पादों पर लागू शुल्क दरों की समय-समय पर सरकार द्वारा उनकी घरेलू उपलब्धता, घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, मुद्रास्फीति के सामान्य स्तर, आदि को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाती है। सरकार ने कपास, धान एवं वनस्पति तेलों पर मौजूदा सीमा शुल्क दरों को फिलहाल बनाए रखने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियां

776. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ऐसे मानदण्डों को आरंभ करने का है जिन्हें औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियम की अनुसूची 'एम' के अंतर्गत अधिसूचित अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के रूप में जाना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषधियों के विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मानदंड औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची 'एम' में निहित है। इस प्रयोजनार्थ कोई भी नए मानदंड निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

चल औषधालय

777. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में चल औषधालयों की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार खोले जाने वाले प्रस्तावित औषधालयों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतौर पर अल्पसेवित क्षेत्रों में लोगों के घर-घर तक स्वास्थ्य परिचर्या पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रति जिला एक चल चिकित्सा एकक की दर से चल चिकित्सा एककों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार राज्य के डाटाशीट के अनुसार चल चिकित्सा एकक वाले जिलों की संख्या की राज्यवार सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चल चिकित्सा एकक के लिए वित्तपोषण चलती रहने वाली प्रक्रिया है। राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार चल चिकित्सा एकक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं संपोषणीय प्रतिमान के अंगीकरण को सुनिश्चित करते हुए अपनी विविधता को ध्यान में रखकर चल चिकित्सा एककों से संबंधित अपनी आवश्यकता परिलक्षित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस आवश्यकता को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रतिबिम्बित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति के अनुमोदन के अनुसार जारी की जाती है।

विवरण

चल चिकित्सा एककों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	1
2.	जम्मू-कश्मीर	2
3.	झारखंड	24
4.	मध्य प्रदेश	20
5.	उत्तराखंड	3
6.	अरुणाचल प्रदेश	16
7.	असम	10
8.	मणिपुर	9
9.	मेघालय	7
10.	मिजोरम	9
11.	नागालैंड	11
12.	सिक्किम	4
13.	त्रिपुरा	4
14.	आंध्र प्रदेश	17
15.	गोवा	2
16.	गुजरात	22
17.	हरियाणा	19
18.	केरल	7
19.	पंजाब	16
20.	तमिलनाडु	29
21.	चंडीगढ़	1
22.	दमन व दीव	1
23.	दिल्ली	9
	कुल	243

भविष्य निधि में पेंशन निधि का मिलाया जाना

778. श्री पी. करुणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि में पेंशन निधि को मिलाने का सुझाव वापस लेने का है;

(ख) क्या उपर्युक्त धनराशि को शेयर बाजार में निवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक की बहाली से सांविधिक पेंशन प्रणाली संपूर्ण बन जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भविष्य निधि के साथ पेंशन निधि के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं। इक्विटियों में निवेश करने के प्रस्ताव पर न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) की 178वीं बैठक में चर्चा की गई थी और इक्विटियों में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पेंशन योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार कार्यान्वित की जाती रहेगी। तथापि, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2005 संसद में विचार करने के लिए भेजा गया है।

स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना

779. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त परिचर्या अवसंरचना देश में स्वास्थ्य परिचर्या बीमा के दायरे को व्यापक बनाने में एक प्रमुख बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, हां। स्वास्थ्य वित्तपोषण के रूप में स्वास्थ्य बीमा को बड़े स्तर पर जन स्वास्थ्य में व्यय करने और सुविधाओं के. निर्माण के लिए पूर्व अपेक्षा रहती है क्योंकि इससे स्वास्थ्य परिचर्या की लागत के बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत पर रहने वाला भारतीय जन स्वास्थ्य व्यय विश्व में अल्पतम व्ययों में से एक है। सरकार उसे सकल घरेलू उत्पाद के 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परिदृश्य में जन स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण को छोड़कर वित्त पोषण की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में निवेश करना संभवत: भारत के लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प नहीं है।

इसलिए ग्रामीण और कमजोर जनता को व्यापक सस्ती और सुगम स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में वर्तमान जन परिचर्या और संरचना में कमी को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ किया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन में देश की निर्धन और कमजोर जनता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने, उनके लिए विकसित और बेहतर परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं के जरिए राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं।

गैंडों का मारा जाना

780. श्री अनवर हुसैन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में गैंडों को मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को असम राज्य सरकार से गैंडों की रक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैंडों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गैंडों को मारे जाने की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आस-पास के क्षेत्रों में वर्ष 2007 में 18 गैंडों और वर्ष 2008 में 8 गैंडों का अवैध शिकार किया गया। गैंडों के अवैध शिकार के पीछे चोरी-छिपे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैंडों के सींगों को आकर्षक कीमतों पर बेचा जाना है।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान असम सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - "बाघ परियोजना" के अंतर्गत काजीरंगा बाघ रिजर्व के लिए 1630.12 लाख रुपये की धनराशि पर वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने काजीरंगा बाघ रिजर्व को 457.4129 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की है, जिसमें से 150.00 लाख रुपये अब तक जारी किए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा गैंडों सहित वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों से निपटने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 बनाया है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषियों के लिए कड़े दण्ड लगाए गए हैं।

2. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल गैंडों (रिनोसेरोज यूनीकोर्निस) जिसके द्वारा उच्चतम सुरक्षा दी गई है।

3. वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

4. गैंडों और उनके वास-स्थलों सहित वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं यथा- वन्यजीव वास स्थलों का एकीकृत विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

5. गैंडों की सुरक्षा के लिए अन्य ला इन्फोर्समेंट एजेंसियों के समन्वय के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में गहन निगरानी की जाती है।

6. लोगों के लिए प्राकृतिक जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

7. गैंडा वास स्थलों के सीमावर्ती गांवों में संरक्षण हेतु लोगों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए पारिविकास गतिविधियां चलाई जाती हैं।

पीएचसी को नाबार्ड सहायता

781. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) गुजरात सरकार को राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के निर्माण में सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड के सहयोग से गुजरात में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(घ) नाबार्ड द्वारा गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) का निर्माण, ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र गतिविधि है जिसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सरकारी केन्द्रीय एजेंसी है।

नाबार्ड को दिनांक 19 जनवरी, 2009 को, गुजरात से 80 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 395 उपकेन्द्र और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए, जिनकी परियोजना लागत 115.87 करोड़ रुपए है, आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी और आरआईडीएफ के अंतर्गत गुजरात को प्रामाणिक आवंटन के अनुसार संस्वीकृति प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

खेल संघों की जवाबदेही

782. श्री रामदास आठवले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न खेल संघों की वित्तीय स्वायत्तता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये खेल संघ आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार उनकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) राष्ट्रीय खेल परिसंघों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे धनराशि के उपभोग तथा परिणाम पर रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करें।

(ख) से (घ) मंत्रालय में राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा फाइल की गई आयकर विवरणिकाओं का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) सरकार परिसंघों को स्वीकार्य अनुदान का केवल 75% अग्रिम के रूप में जारी करती है तथा निधियों के उपभोग पर जिसके लिए मंजूरी दी गई थी, कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय विवरण के प्राप्त होने के पश्चात ही शेष अनुदान जारी किया जाता है। संघ/परिसंघों के लेखों की भी मंत्रालय द्वारा जांच की जानी चाहिए और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने हेतु एनआईएसजी की सिफारिशें

783. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पासपोर्ट जारी करने के संबंध में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है जैसाकि एनआईएसजी ने सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य हेतु स्थलों की पहचान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी किए जाने को सुविधाजनक बनाने हेतु मौजूदा अधिनियम में कोई संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी), हैदराबाद को सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित तथा अभिप्रेरित कार्यबल के जरिए नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समय पर, पारदर्शी, अधिक सुगम, विश्वसनीय तरीके से एवं आरामदायक परिवेश में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसके आईटी पहलुओं सहित पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था के संबंध में समयबद्ध अध्ययन करने का कार्य सौंपा था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनआईएसजी ने पूरे देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना करने की अनुशंसा की, जहां पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल आवेदन प्रपत्रों की आरंभिक जांच, शुल्क जमा करना, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो खींचने इत्यादि जैसे अशासकीय कार्य ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा किए जाएंगे, जिनका चयन खुली बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन, पासपोर्ट प्रदान किए जाने संबंधी निर्णय जैसे संवेदनशील कार्य सरकारी स्टाफ द्वारा किए जाएंगे। इलेक्ट्रानिक माध्यम से पासपोर्ट सेवा केंद्रों को जिलों/राज्य की राजधानियों में पुलिस प्राधिकारियों से जोड़कर पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लायी जाएगी। सेवा के जिन स्तरों को प्राप्त किया जाना है, उनमें तीन दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करना और जिन मामलों में पूर्व पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है, उनमें सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करना शामिल हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने एनआईएसजी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और सितंबर, 2007 में पासपोर्ट सेवा परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई थी। एनआईएसजी ने प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों से प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या पर किए गए अध्ययन के आधार पर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की अवस्थिति के संबंध में भी अनुशंसा की थी। 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी प्रस्तावित अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) पासपोर्ट अधिनियम में कोई संशोधन किए जाने का विचार नहीं है।

विवरण

पासपोर्ट सेवा केंद्रों का प्रस्तावित विवरण

पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	पासपोर्ट सेवा केंद्रों के स्थान	पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कुल संख्या
1	2	3
अहमदाबाद	अहमदाबाद 1 अहमदाबाद 2 राजकोट बड़ोदा	4

1	2	3
अमृतसर	अमृतसर	1
बंगलौर	बंगलुरु 1	4
	बंगलुरु 2	
	मंगलौर	
	हुबली	
बरेली	बरेली	1
भोपाल	भोपाल	1
भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	1
चंडीगढ़	चंडीगढ़	3
	अंबाला	
	लुधियाना	
चेन्नै	चेन्नै 1	3
	चेन्नै 2	
	चेन्नै 3	
कोचीन	कोचीन	5
	त्रिसुर	
	अलापूझा	
	अरनाकुलम ग्रामीण	
	कोट्टायम	
कोयंबटूर	कोयंबटूर	1
देहरादून	देहरादून	1
दिल्ली	दिल्ली 1	3
	दिल्ली 2	
	गुड़गांव	
गाजियाबाद	गाजियाबाद	1
गोवा	गोवा	1
गुवाहाटी	गुवाहाटी	1

1	2	3
हैदराबाद	हैदराबाद 1	6
	हैदराबाद 2	
	हैदराबाद 3	
	निजामाबाद	
	विजयवाड़ा	
	तिरुपति	
जयपुर	जयपुर	3
	जोधपुर	
	सीकर	
जालंधर	जालंधर 1	3
	जालंधर 2	
	होशियारपुर	
जम्मू	जम्मू	1
कोलकाता	कोलकाता	2
	बहरामपुर (मुर्शीदाबाद)	
कोझीकोड	कोझीकोड 1	4
	कोझीकोड 2	
	कन्नूर 1	
	कन्नूर 2	
लखनऊ	लखनऊ	4
	गोरखपुर	
	कानपुर	
	वाराणसी	
मदुरै	मदुरै	2
	तिरुनेलवेली	
मल्लापुरम	मल्लापुरम	1
मुंबई	मुंबई 1	3
	मुंबई 2	
	मुंबई 3	

1	2	3
नागपुर	नागपुर	1
पटना	पटना	1
पुणे	पुणे	1
रायपुर	रायपुर	1
रांची	रांची	1
शिमला	शिमला	1
श्रीनगर	श्रीनगर	1
सूरत	सूरत	1
ठाणे	ठाणे	2
	नासिक	
त्रिची	त्रिची	3
	तंजावुर	
	नागरकोविल	
त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम	3
	त्रिवेंद्रम ग्रामीण	
	कोल्लम	
विशाखापटनम	विशाखापटनम	1

विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा

784. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों तथा हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) विदेश मंत्री ने 9 फरवरी, 2009 को बांग्लादेश का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और साथ ही वे बांग्लादेश सरकार के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री से भी मिले। अपनी बैठकों में उन्होंने संपर्क व्यवस्था, जल, व्यापार एवं वाणिज्य तथा सुरक्षा मुद्दों सहित बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बीआईपीपीए) तथा भारत-बांग्लादेश व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए।

शिशुओं में दमा का खतरा

785. श्री हितेन बर्मन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन कतिपय दवाओं के दुष्प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है जिनसे शिशुओं में दमा होने का खतरा पैदा हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन दवाओं के नाम के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) कतिपय दमा-रोधी ड्रग इन्हेलर (सालमेटेराल/फार्मेटराल का फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड के साथ संयोजन) अनुसंधानकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि देर तक असर करने वाला बीटा-2 एमोनिस्ट लक्षणों की गंभीरता को बढ़ाते हुए दमा और बिगाड़ सकता है। ये औषधियां दमा के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं। तथापि, कोर्टिकोस्टेरायड्स जलन में कमी करने के लिए समय से अधिक कार्य करती है और फेफड़ों में स्थायी चोट से बचाती है। बहुत से अध्ययनों ने दर्शाया है कि संयत से गंभीर दमे वाले रोगियों में इन्हेल किए गए कोर्टिकोस्टेरायड्स के प्रयोग से अस्पताल में पुन: दाखिल होने तथा दमे से होने वाली मौतों की दर में कमी आती है। एफ डी ए संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों के लिए सालमेटेराल की निरापदता का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है और उसके लाभ उसके जोखिम से अधिक है।

व्यवसाय हेतु ओआईसी कार्ड धारकों को अनुमति

786. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में व्यवसाय करने के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओआईसी) कार्डधारकों को अनुमति देने का है जैसा कि 9 जनवरी, 2009 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता देने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना संख्या सा.आ. 36(ई), दिनांक 5 जनवरी, 2009, 6 जनवरी, 2009 को जारी कर दी है ताकि संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में वे चिकित्सक, दंतचिकित्सक, परिचायिका, भेषजज्ञ, अधिवक्ता, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रूप में अपने व्यवसाय कर सकें।

आर आई एल द्वारा फेमा का उल्लंघन

787. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के उपयोग के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है जोकि शुरुआती दौर में है।

मातृत्व लाभ योजना

788. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मातृत्व लाभ योजना को राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के संरक्षण में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना की निधियां प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुकूलनीय कोष के भाग के रूप में जारी की जा रही हैं। पिछले वर्ष में किए गए व्यय तथा अगले वर्ष की अनुमानित मांग की समीक्षा करने के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुकूलनीय कोष का आबंटन राष्ट्रीय समन्वय समिति को सांस्थानिक तंत्र के जरिए निर्धारित किया जाता है।

एच1-बी बीजाधारकों पर अमरीकी प्रतिबंध

789. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने एच 1-बी बीजाधारण करने वाले विदेशी कामगारों के काम (हायर) करने पर प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी सरकार ने ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम (टीएआरपी) के तहत बेलआउट धन प्राप्त करने वाले अमरीकी फर्मों द्वारा एच-1बी बीजाधारी विदेशी कामगारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन कंपनियों को संघीय बेलआउट धन प्राप्त हुआ है, उनमें से अधिकांश बैंक, बीमा कंपनियां तथा आटो कंपनियां हैं। नए दिशा-निदेशों के तहत अपेक्षित है कि टीएआरपी निधियां प्राप्त करने वाले तथा एच-1बी के अंतर्गत कामगारों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां एक "एच-1बी निर्भर कंपनी" के रूप में कार्य करेगी। इसका अर्थ यह है कि ये कंपनियां अमरीकी कामगारों की सक्रिय रूप से भर्ती करेंगी, एच-1बी बीजाधारक, अमरीकी कामगारों को नहीं हटाएगी और हटाए गए अमरीकी कामगारों के स्थान पर विदेशी कामगारों को नहीं रखेगी। एच-1बी निर्भर कंपनियां वे कंपनियां हैं, जिनके 15% कार्मिकों के पास एच-1बी बीजा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार अमरीका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के हितों के संरक्षण के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। अमरीकी सरकार के साथ अपने नियमित क्रियाकलाप में हमें बताया गया है कि रोजगार संरक्षणवाद से अमरीका अथवा किसी अन्य देश को लाभ नहीं होगा और न ही यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। हम अमरीकी प्राधिकारियों को निरंतर यह बताने का प्रयास करते रहे हैं कि भारत अमरीकी अर्थव्यवस्था में अति कुशल कामगारों का सबसे बड़ा अंशदाता है और किसी प्रकार की संरक्षणवादी नीति से सबसे अधिक नुकसान अमरीकी कंपनियों को ही होगा।

एसईसीएल क्षेत्रों में कोयले की ढुलाई

790. श्री डी.पी. सरोज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के गेवरा और दीपिका क्षेत्रों में "खुली निविदा प्रणाली" प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में कोयले की कुशलतापूर्वक ढुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रानिक निगरानी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) गेवरा और दीपका क्षेत्रों में सतह से सतह तक कोयले के परिवहन, वैगन लदान और ओवरबर्डन हटाने के कार्य के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(ग) और (घ) दीपका क्षेत्र में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रक डिस्पैच सिस्टम को लागू करने के प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। गेवरा क्षेत्र में ट्रक डिस्पैच सिस्टम को अपग्रेड करके जीपीएस आधारित आपरेटर इंडिपेडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। कोयले के परिवहन में इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से दीपका और गेवरा परियोजनाओं में कोयले के परिवहन के लिए तैनात वाहनों में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान-पत्र (आरएफआईडी) आधारित बूम बेरियर प्रणाली लागू किए जाने की योजना है। इस प्रयोजनार्थ खुली निविदा आमंत्रित की गई है और पेशकश के तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

आर.पी.एल. को पर्यावरणीय स्वीकृति

791. डा. राजेश मिश्रा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस पावर लि. (आर.पी.एल.) ने गलत सूचना प्रस्तुत कर सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की है जैसाकि दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के 'मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फसलों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन

792. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसलों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तथा उनके अवशेषों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक की-गई-कार्यवाही के क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत कृषि, ऊर्जा और जल संसाधनों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों को परिकल्पित किया गया है। आई.सी.ए.आर. कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के साथ सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के लिए और अधिक लचीला बनाना है। कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन और उपशमन रणनीतियां शामिल हैं। इनमें तापमान सहन करने वाली किस्में, C2 पौधों को C4 चावल में परिवर्तन, वैज्ञानिक जल और चावल पैडिज पर विशेष बल देते हुए न्यूटरिएंट प्रबंध संसाधन संरक्षण

रणनीतियों को बढ़ावा देना, अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा पृथक्करण, अवक्रमित मृदा का पुनरुद्धार, कृषि संरक्षण और कृषि वानिकी, स्थलविशिष्ट न्यूटिएंट प्रबंधन और फसल उत्पादन में मौसम भविष्यवाणी का बेहतर उपयोग करना।

[हिन्दी]

निजी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अवैध क्रियाकलाप

793. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय निजी वित्तीय संस्थाएं/बैंक विशेषकर विदेशी वित्तीय संस्थाएं/बैंक अवैध होजिंग में संलिप्त हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ योजनाओं के अंतर्गत व्यापारियों और निर्यातकों को प्रलोभन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं/बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा व्यावसायिक घरानों/निर्यातकों को इन वित्तीय संस्थाओं के चंगुल से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय विकास हेतु प्रवासी भारतीयों के कौशल का उपयोग

794. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास हेतु प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों की विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) (1) वैश्विक-भारत ज्ञान नेटवर्क (ग्लोबल इंक) नामक एक डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में आयोजित गत प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 8 जनवरी, 2009 को किया था। ग्लोबल इंक भारतीय मूल के लोगों, जिन्हें न केवल अपने निवास के देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणीय माना जाता है, को भारत में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान के प्रयोक्ताओं के साथ जोड़ेगा। नेटवर्क किसी प्रवासी विशेषज्ञ को पुन: स्थापित किए बिना कहीं भी स्थित रहते हुए उसके ज्ञान को सुलभ कराने के एक उच्च स्तरीय इलैक्ट्रानिक मंच के रूप में कार्य करेगा। नेटवर्क एक वास्तविक नीतिगत चिन्तन सागर के रूप में कार्य करेगा। लक्षित निष्कर्ष विकास संबंधी विचारों को संजोएंगे, विकास के सम्मुख चुनौतियों का सामना करने में मुख्य तत्वों का पता लगाएंगे और अभिनव तथा प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के मार्फत समाधान निकालेंगे।

(2) प्रधानमंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद:

प्रधानमंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद पूरे विश्व में विविध क्षेत्रों में भारतीय मूल के प्रमुख लोगों के अनुभव और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति है। सर्वोत्तम भारतीय मस्तिष्कों के अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने हेतु इसका गठन किया गया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) में सरकार का नुकसान

795. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) की मौजूदा रिफाइनरी को निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.) में परिवर्तित करने के कारण सरकार को करों व शुल्कों का भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) से इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। विदेश व्यापार नीति 2004-09 के प्रावधानों के अनुसार मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. की पेट्रोलियम रिफाइनरी को निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.) में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

समुद्री पोत के पंजीकरण में विलम्ब

796. **श्री सुरेश अंगड़ि: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोरमुगांव पत्तन सहित अन्य पत्तनों पर समुद्री पोतों के पंजीकरण की स्वीकृति में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। पत्तनों पर जलयानों के पंजीकरण के लिए लिया जाने वाला औसत समय वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय जहाजों का पंजीकरण) नियमावली में यथा निर्धारित जलयानों के मालिक द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। यदि दस्तावेज सही हैं तो जलयानों के पंजीकरण के लिए औसत समय दो दिनों से अधिक नहीं होता है। जलयानों के पंजीकरण में वाणिज्य समुद्री विभाग, गोवा में कोई विलम्ब होने की रिपोर्ट नहीं है।

रिलायंस पावर आईपीओ

797. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों को अब तक रिलायंस पावर लिमिटेड की आईपीओ की खुदरा श्रेणी के अंतर्गत प्रतिदाय नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रमोटरों/लीड मैनेजरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) रिलायंस पावर लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूचित किया है कि 99,292 करोड़ रुपए की राशि से 49,71,073 प्रतिदाय मामलों में से, 20 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार 11 करोड़ रुपए की राशि के 5243 मामले लंबित हैं।

(ग) रिलायंस पावर लिमिटेड ने सेबी को सूचित किया है कि 5,243 लंबित मामलों में से, 1,302 मामलों में प्रतिदाय आदेश विभिन्न कारणों से डाक प्राधिकारियों द्वारा अवितरित ही वापस कर दिए गए थे और शेष 3,941 मामलों में निवेशकों द्वारा वारंटों को भुनाया नहीं गया है और इसलिए सेबी द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

टीकाकरण के कारण शिशुओं की मृत्यु

798. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में टीकाकरण के कारण शिशुओं की मृत्यु के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2009 के दौरान टीकाकरण के पश्चात हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	सूचित मौतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	2
गुजरात	1
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	2
पंजाब	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल	14

वर्ष 2009 में, कुल 14 मौतों की ए.ई.एफ.आई. (टीकाकरण के पश्चात की प्रतिकूल घटना) के रूप में सूचना मिली है जिनमें से 10 पी.आई.आर. (प्राथमिक जांच) रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। 6 मामलों को संपाती मृत्यु के रूप में और अन्य 4 मामलों को अज्ञात कारण के रूप में स्वीकृत किया गया था।

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. ऐसी घटनाओं की जांच एवं उन पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय ए.ई.एफ.आई. समिति तथा सभी राज्यों में ए.ई.एफ.आई. समितियां गठित की गई हैं।
2. कोल्ड चेन तथा संभार-तंत्र की आवधिक तौर पर मानीटरिंग और समीक्षा की जाती है।
3. टीकाकरण के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों (टीकाकर्ता) के प्रशिक्षण का संवाहन।
4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "सुरक्षित प्रतिरक्षण पद्धतियों के लिए दिशानिर्देश" का वितरण।

श्रमशक्ति के संबंध में अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन

799. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा हेतु किसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) भारत ने 1980 के दशक में जोर्डन और कतर के साथ श्रम करार किए थे। जन शक्ति के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 13 दिसम्बर, 2006 को और कुवैत के साथ 10 अप्रैल, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओमान के साथ जन-शक्ति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान 8 नवम्बर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ कामगारों के रोजगार संबंधी समझौता ज्ञापन पर 3 जनवरी, 2009 को हस्ताक्षर हुए। बहरीन के साथ श्रम और जन-शक्ति विकास संबंधी इस प्रकार के एक समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया गया है और उस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होंगे।

एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा कर-मुक्त बांड जारी करना

800. श्री के.एस. राव:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उचित दरों पर विद्युत का संवितरण करने के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार धन जुटाने हेतु कर-मुक्त बांड जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) एनपीसीआईएल द्वारा कर-मुक्त बांड जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। नाभिकीय विद्युत क्षमता बढ़ाने और उचित लागत पर विद्युत का उत्पादन करने को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

खेलों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि जारी किया जाना

801. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में खेल गतिविधियों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) खेलों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा धनराशि का पूर्ण प्रयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा केंद्रीय निधियों की निगरानी एवं उचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रस्तावों को शीघ्रता से मंजूरी देने की दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (घ) राज्यों में खेल गतिविधियों के विकास और संवर्धन के लिए पहले राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खेल अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदान की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत दी जाती थी जिसे 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था।

देश भर में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना की कमी को देखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान को आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य 10 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांव तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना प्रदान करना और ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं तक पहुंच प्रदान करना है। स्कीम के तहत खेल मैदान का विकास, खेल उपस्करों की खरीद तथा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

2008-09 के दौरान, जो कि पं.यु.क्रि.खे.अ. स्कीम के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है में 25 राज्यों में लगभग 25,000 पं.यु.क्रि.खे.अ. केंद्रों को कवर करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। पं.यु.क्रि.खे.अ. स्कीम के तहत स्वीकृत तथा जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी की गई राशि का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दो किश्तों में जारी की जा रही है। दूसरी किश्त तभी जारी की जाती है जब राज्य सरकारें पहली किश्त के अंतर्गत जारी की गई राशि के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। राज्य सरकारों द्वारा पिछले वर्ष जारी की गई राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद अगले वित्त वर्ष की राशि राज्य सरकारों को जारी की जाएगी। साथ ही पं.यु.क्रि.खे.अ. स्कीम की निगरानी के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना पद्धति भी आरंभ की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति के लिए अनुमोदित कुल राशि (लाख रु.)	जारी की गई निधि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2819.77	14,65,38,500
2.	अरुणाचल प्रदेश	98.50	73,87,500
3.	असम	695.54	1,61,25,000
4.	बिहार	1043.66	5,21,83,000
5.	छत्तीसगढ़	1011.20	–
6.	गोवा	35.19	–
7.	गुजरात	1420.11	–
8.	हरियाणा	650.71	3,25,35,500
9.	हिमाचल प्रदेश	402.40	2,01,20,000
10.	जम्मू-कश्मीर	531.72	2,65,86,000
11.	केरल	159.85	79,92,500
12.	मध्य प्रदेश	2364.77	11,82,38,500
13.	महाराष्ट्र	2754.98	–
14.	मणिपुर	108.24	–
15.	मिजोरम	106.66	85,32,800
16.	नागालैंड	147.90	–
17.	उड़ीसा	734.20	3,67,10,000
18.	पंजाब	1390.17	7,28,96,000
19.	राजस्थान	943.49	3,70,87,500
20.	सिक्किम	75.32	6,00,000
21.	तमिलनाडु	1382.39	5,00,00,000
22.	त्रिपुरा	181.24	1,34,74,200
23.	उत्तर प्रदेश	5390.49	10,00,00,000
24.	उत्तराखंड	889.40	3,00,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	463.22	–
	कुल	25801.12	77,80,07,000

ए.वी.एम. नहर का पुनरुद्धार

802. श्री एम.वी. बेल्लारमिन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कन्याकुमारी जिले में अनन्त विक्टोरिया मार्तन्ड वर्मा (ए.वी.एम.) नहर के पुनरुद्धार से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) अनन्त विक्टोरिया मार्तन्ड वर्मा (ए.वी.एम.) नहर के बारे में वैज्ञानिक विचार शीर्षक वाले एक लेख (राइट अप) के साथ श्री एस. जयपाल, विधायक से अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि "निरोडी और मंडाइकाडु के बीच ए.वी.एम. नहर के अपसर्जित जल-खंड का पुनरुद्धार किया जाए और केरल के एर्नाकुलम से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के बीच जल-परिवहन को फिर से चालू किया जाए।

(ग) एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसरण में, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मौजूदा जलमार्ग को पूरी तरह से कार्य करने योग्य बना दिए जाने के बाद ही राष्ट्रीय जलमार्ग-3 का विस्तार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता प्रमाणन

803. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) का विचार भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू.सी.आई.) के सहयोग से खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता प्रमाणन जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी में दिल्ली के भोजन प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा एवं सफाई के मानदण्ड विकसित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद सहित उद्योग, राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की गई पहल में सहयोग कर रहा है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008

804. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के कतिपय उपबंधों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के उपबंधों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि कार्यान्वयन की तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है। तथापि, विनिर्माता संघों और अन्य पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि संशोधित दाण्डिक उपबंधों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

(ग) औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों को देश में समान रूप से प्रवर्तित करने के लिए कार्यान्वयन किए जाने से पहले इन्हें राज्य लाइसेंस प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाएगा।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10713/09]

(3) (एक) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10714/09]

(5) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10715/09]

(7) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2008, जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10716/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मैं लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2007-08 (खण्ड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10717/09]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, आप कानूनी रूप से इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री वायालार रवि: मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 36(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को उसमें उल्लिखित अधिकार विनिर्दिष्ट किए गए हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10718/09]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो. सैफुद्दीन सोज की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वेपकोस लिमिटेड [पहले जिसका नाम वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड था], नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वेपकोस लिमिटेड [पहले जिसका नाम वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड था], नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10719/09]

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10720/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाकी लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10721/09]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10722/09]

(5) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10723/09]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10724/09]

(9) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियम, 2008, जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोधन) नियम], 2008, जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोधन) नियम], 2007, जो 29 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008, जो 15 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10725/09]

(11) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2814(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10726/09]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10727/09]

(15) (एक) नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10728/09]

(17) (एक) लाला रामसरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला रामसरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10729/09]

(18) जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.–10730/09]

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10731/09]

(22) (एक) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10732/09]

(24) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स विनियम, 2008, जो 8 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स विनियम, 2008, जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-54-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया डेंटल मैकेनिक्स कोर्स विनियम, 2008, जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-54-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स विनियम (डेंटल मैटीरियल्स), 2008, जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.-10733/09]

(25) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10734/09]

(27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10735/09]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1515(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एगमोर-नुंगमबाक्कम तालुक के कोयमबेडु और अरूमबक्कम गांव में कोयमबेडु जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1568(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1633(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1638(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1642(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1902(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1643(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 115(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 1644(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1738(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 1648(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1650(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (विस्तार) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1731(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1582(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 1733(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1749(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों (सेलम-कोयंबटूर खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1877(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 497(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1878(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2055(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयबंटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2069(अ) जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1436(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 2087(अ) जो 22 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2136(अ) और का.आ. 2137(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुकुड्डी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2138(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2139(अ) और का.आ. 2140(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2177(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 2178(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2183(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लूपूरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1564(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुनदूरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचीस) का.आ. 1625(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1632(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 1640(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलूनद्रुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है

(अट्ठाईस) का.आ. 1641(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1732(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपासों सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1734(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1750(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1837(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1870(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1885(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1886(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 299(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 1895(अ) से का.आ. 1897(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1898(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1899(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2723(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/

चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2725(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 2735(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 2811(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विलुपूरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 2830(अ) और का.आ. 2831(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 2836(अ) जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2837(अ) जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपूरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 2917(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 2914(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 2915(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 2916(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2918(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 3002(अ) और का.आ. 3003(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुनदुरपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 11(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 2369(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 2444(अ) जो 14 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 2464(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 2469(अ) से 2471(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 2474(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 2475(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 2507(अ) जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(साठ) का.आ. 2508(अ) जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 2521(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुडुचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 2522(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/

चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 2566(अ) और का.आ. 2567(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौसठ) का.आ. 2568(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 2587(अ) जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 2599(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2083(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का.आ. 2602(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 2603(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 2724(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 2726(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरूचिरापल्ली-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 2829(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 2884(अ) और का.आ. 2885(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 2886(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का.आ. 2887(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 3004(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 3005(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सतहत्तर) का.आ. 368(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर-हुबली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 209(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली-धारवाड़ बाईपास पर तरिहाल रोड इंटरचेंज के प्रयोक्ताओं से उदग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनासी) का.आ. 2950(अ) जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पंजिम-मंगलोर खण्ड पर काली नदी पर पुल के प्रयोक्ताओं से उदग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(अस्सी) का.आ. 367(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कोडुंगलूर बाईपास (चन्दप्पुरा-कोट्टापुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का.आ. 201(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10736/09]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 413(अ) जो 6 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-महुआ-जयपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10737/09]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10738/09]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2008 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10739/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10740/09]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2813(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10741/09]

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 379(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10742/09]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 91(अ) जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 8(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 103/2008-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 9(अ) जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 89/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10743/09]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 92(अ) जो 11 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 93(अ) जो 11 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 883(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 32/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10744/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (4) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत यूज आफ वेरी लो पावर रिमोट कार्डियक मानीटरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इम्प्लांट कम्युनिकेशन सिस्टम्स (एमआईसीएस) अथवा मेडिकल इम्प्लांट टेलीमेटरी सिस्टम्स (एमआईटीएस), और अन्य ऐसे वेरी लो पावर मेडिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस डिवाइसेस अथवा इक्यूपमेंट्स (अनुज्ञा अपेक्षा से छूट) नियम, 2008 जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10745/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10746/09]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं श्री नमोनारायन मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सी.पी.आर. एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10747/09]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2979(अ) जो 26 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2974(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10748/09]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 195(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10749/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3)

के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10750/09]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ सं. आईआरडीए/आईएसी/6/48/2008 जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों को 26 दिसम्बर, 2008 से बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी.-10751/09]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10752/09]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार, आईलैण्ड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार, आईलैण्ड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10753/09]

(3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी.-10754/09]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-10755/09]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 फरवरी 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 1 दिसम्बर, 2008 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

36वां और 37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन एवं वनरोपण विकास निगम लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में 36वां प्रतिवेदन; और

(2) भारत विमानपत्तन प्राधिकरण - संरक्षा और सुरक्षा पहलू के बारे में 37वां प्रतिवेदन [सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही]।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका समिति

48वां से 50वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

(1) निम्नलिखित विषयों पर 48वां प्रतिवेदन:-

(क) बैंकिंग क्षेत्र की नीतियों तथा संबंधित मामलों के बारे में श्री गुरुदास दासगुप्त, संसद सदस्य की वित्त मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अभ्यावेदन।

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

(2) निम्नलिखित विषयों पर 49वां प्रतिवेदन:-

(क) एलायंस एयर के कर्मचारियों का उनके नियोजन आदि से संबंधित शिकायतों के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदन।

(3) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत मंत्रालयों से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

47वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं 'भारत में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

40वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के 'एचएमटी इकाइयों की रुग्णता के कारण कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित वितरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(2) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

अपराह्न 12.05 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'मुद्रण निदेशालय' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'एकीकृत न्यून लागत सफाई योजना (आईएलसीएस)' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(6) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05¼ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(1) 45वां और 46वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं:—

(एक) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन;

(दो) "ग्रामीण आवास" विषय पर 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(2) विवरण

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 15वें

[श्री हन्नान मोल्लाह]

प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(2) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(3) पेय जलापूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 23वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(4) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(5) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 31वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(6) 'पेय जलापूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 32वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(7) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 33वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(8) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 34वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

अपराह्न 12.05½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें और 68वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री प्रणब मुखर्जी की

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10756/09

ओर से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें और 68वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य रखता हूं।

अपराह्न 12.05$^{3}/_{4}$ बजे

(दो) (क) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 127वें और 135वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली (11वां संस्करण) के नियम 389 और 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी किए गए निर्देश 73क के अनुसरण में, विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 127वें और 135वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

127वें और 135वें प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की क्रमशः 18 जनवरी, 2008 और 24 अप्रैल, 2008 को बैठक हुई थी। इस समिति ने विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। 127वां प्रतिवेदन 4.3.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 4.3.2008 को ही लोक सभा के पटल पर रखा गया था। 135वां प्रतिवेदन 28.4.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 28.4.2008 को ही लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

मैं 127वीं और 135वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य (भाग-1 और भाग-2) भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10757/09

(ख) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 128वें और 134वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली (11वां संस्करण) के नियम 389 और 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी किए गए निर्देश 73क के अनुसरण में, विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 128वें और 134वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

128वें और 134वें प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की क्रमशः 18 जनवरी, 2008 और 15 अप्रैल, 2008 को बैठक हुई थी। इस समिति ने विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। 128वां प्रतिवेदन 4.3.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 4.3.2008 को ही लोक सभा के पटल पर रखा गया था। 134वां प्रतिवेदन 17.4.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 17.4.2008 को ही लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

मैं 128वें और 134वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य (भाग-1 और भाग-2) भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10758/09

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10759/09

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता, भारत निर्माण की समयबद्ध कार्य योजना में परिलक्षित होती है जिसमें वर्ष 2005 से 2009 तक की 4 वर्ष की अवधि के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 1,74,000 करोड़ रु. के निवेश की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 85,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से भारत निर्माण के छह घटकों में से तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2004-05 से अब तक मंत्रालय ने इन तीन घटकों के कार्यान्वयन पर 67858 करोड़ रु. खर्च किए हैं और इस वित्त वर्ष के अंत तक 6563 करोड़ रु. उपयोग किए जाने की योजना है। घटकवार लक्ष्य, उपलब्धियां तथा कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़क घटक के तहत भारत निर्माण की समयावधि के दौरान 48,000 करोड़ रु. के निवेश की योजना थी जिसकी तुलना में अब तक 33531 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया गया है और इस वित्त वर्ष के अंत तक 3496 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। 1,46,185 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 75396 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है तथा 33222 कि.मी. सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जहां तक सड़कों के उन्नयन का संबंध है, 1,94,130 कि.मी. सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य की तुलना में 1,30,949 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया जा चुका है तथा 53,118 कि.मी. सड़कों का कार्य चल रहा है।

भारत निर्माण के अंतर्गत, 59564 बसावटों को सड़क-संपर्क से जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में 26230 बसावटों को सड़क-संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है तथा 23405 बसावटों संबंधी कार्य प्रगति पर है।

सड़क कार्यों की उच्चस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था स्थापित की गई है। नागरिक सूचना पट्ट के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के जरिए जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित जन-भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी एवं लेखांकन प्रणाली को भी प्रचालित किया गया है। सड़क-वार ब्यौरा www.omms.nic.in के पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस सदन को सरकार के इस निर्णय से पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि भारत सरकार द्वारा पहले के 25 मीटर के प्रावधान के स्थान पर पुलों के निर्माण के लिए 50 मीटर की लम्बाई की अनुमति दी जा रही है। कॉजवेज की लागत (लम्बाई पर निर्भर न होते हुए) का भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अप्रैल 2009 से ई-प्रापण का सहारा लेने की सलाह दी गई है।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास के अंतर्गत भारत निर्माण की अवधि के दौरान 11100 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश की तुलना में अब तक 16988 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 1336 करोड़ रु. रिलीज किए जाने का प्रस्ताव है। 60 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में अब तक 63.48 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा 16.92 लाख मकान निर्माणाधीन हैं।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची" की पद्धति शुरू की गई है।

इस घटक के अंतर्गत उपलब्धियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि मैदानी क्षेत्रों में मकान की प्रति इकाई लागत को बढ़ाकर 35000 रु. तथा पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 38500 रु. कर दिया गया है और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण पद्धति को मौजूदा 75:25 के स्थान पर 90:10 कर दिया गया है। मौजूदा वर्ष के बजट में उन परिवारों को मकान निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है जिन परिवारों के पास मकान निर्माण के लिए भूमि नहीं है।

ग्रामीण जल आपूर्ति

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत, भारत निर्माण अवधि के चार वर्षों के दौरान आबंटन वर्ष 2004-05 में 2900 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4050 करोड़ रु. (40%) हो गया, वर्ष 2005-06 में 4050 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 5200 करोड़ रु. (28%), वर्ष 2006-07 में 5200 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 6500 करोड़ रु. (25%), 2007-08 में 6500 करोड़ रु. से बढ़कर 2008-09 में 7300 करोड़ रु. (12.3%) हो गया। मेरे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-06 में 4098 करोड़ रु., 2006-07 में 4560 करोड़ रु. एवं 2007-08 में 6441.69 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। वर्ष 2008-09 में 7300 करोड़ रु.

के बजटीय आबंटन में से मंत्रालय अब तक राज्यों को 5803.54 करोड़ रु. उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, 603639 कवर न की गई, निचली श्रेणी में लौट आई एवं गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लक्ष्य में से मेरे मंत्रालय ने अब तक 5,90,725 बसावटों को कवर कर लिया है, जो लक्ष्य का 97.86% है। हमें आशा है कि हम मार्च, 2009 के अंत तक बाकी बसावटों को कवर कर लेंगे।

जल गुणवत्ता का विकेंद्रित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता/निगरानी एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों को गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा भारत सरकार राज्य एवं जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लिए सभी राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान देती है।

मुझे इस सम्मानीय सदन को यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण की कार्य योजना के अनुसार कार्य किया है तथा पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ निर्धारित उद्देश्यों को हासिल किया है।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं कुमारी सैलजा की ओर से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में इस विवरण को सभा पटल पर रखता हूं, जो निम्नलिखित अनुसार है:-

"अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में संबंधित मंत्री छह माह में एक बार सदन में विवरण देंगे।"

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 32वां प्रतिवेदन लोक सभा में 16 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में 13 सिफारिशें निहित हैं। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर जुलाई, 2008 के अनुसार की-गई-कार्रवाई टिप्पण शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को 8 जुलाई, 2008 को भेजा गया था। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शायी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जहां कहीं आवश्यक होगा, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस विवरण का अनुबंध सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.07 बजे

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73ए तथा लोक सभा बुलेटिन भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास (14वीं लोक सभा) संबंधी स्थायी समिति को 208वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 208वां प्रतिवेदन लोक सभा में दिनांक 23.4.2008 को रखा गया था। यह प्रतिवेदन समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10760/09

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10761/09

अपराह्न 12.07½ बजे

(छह) (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 27वें और 29वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, माननीय अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के अनुसरण में मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष (2008-09) की अनुदानों की मांगों से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 27वें एवं 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सदन को यह सूचित करना चाहती हूं कि वक्तव्य में इंगित कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 266 के उपबंध के अनुसरण में, मैं आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष (2008-09) की अनुदानों की मांगों से संबंधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति को 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा को यह सूचित करना चाहती हूं कि वक्तव्य में इंगित की गई कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जा रहा है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10762/09

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10763/09

अपराह्न 12.08 बजे

(सात) (क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2004-05, 2005-06, 2007-08 और 2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, 14वें, 19वें और 25वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर स्थायी समिति ने, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2004-2005) संबंधी अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थीं। दिनांक 30.4.2008 को इस माननीय सदन को पहले ही यह सूचित किया जा चुका है कि उपर्युक्त 25 सिफारिशों में से 22 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। महोदय, शेष 3 सिफारिशों के संबंध में, मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर दो विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों पर दिनांक 30.11.2008 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण संख्या I इनमें से एक सिफारिश की स्थिति को दर्शाता है, जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण संख्या II, शेष 2 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मेरे मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2005-2006) संबंधी अपनी 14वें प्रतिवेदन में 48 सिफारिशें की थीं। दिनांक 30.4.2008 को इस माननीय सदन को यह भी सूचित किया जा चुका है कि इनमें से, 35 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष 13 सिफारिशों के संबंध में, महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर दो विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों की दिनांक 30.11.2008 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. III इन सिफारिशों में से तीन के बारे में स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें अब कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10764/09

सं. IV शेष दस सिफारिशों की स्थिति को सूचीबद्ध करता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-2008) संबंधी अपने 19वें प्रतिवेदन में 74 सिफारिशें की थीं। इस माननीय सदन को 30.4.2008 को यह भी सूचित कर दिया गया है कि इनमें से, 43 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है या उन पर कोई अगली कार्रवाई नहीं की जानी है। शेष 31 सिफारिशों के संबंध में, महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सदन के पटल पर दो विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों की 30.11.2008 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. V इन सिफारिशों में से 11 के बारे में स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें अब कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण सं. VI शेष 20 सिफारिशों की स्थिति को सूचीबद्ध करता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2008-2009) पर अपने 25वें प्रतिवेदन में 87 सिफारिशें की हैं। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सदन के पटल पर दो और विवरण रखता हूं, अर्थात् विवरण सं. VII और विवरण सं. VIII जो इन सिफारिशों की 30.11.2008 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. VII 59 सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है, जो कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा उन पर कोई अगली कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। विवरण सं. VIII शेष 28 सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, अनुदानों की मांगों (2008-09) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) का 198वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन को कार्यान्वयन हेतु विभाग में संबद्ध प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था।

अपराह्न 12.09 बजे

(आठ) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (2008-09) पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है और मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

(नौ) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुपालन में वित्तीय मामलों

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10765/09

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10766/09

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10767/09

[श्री वी. नारायणसामी]

संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रख रहा हूं।

वित्तीय मामलों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) का उनहत्तरवां प्रतिवेदन 16 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के बारे में है। समिति की उनहत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण, वित्तीय मामलों संबंधी स्थायी समिति को 12.9.2008 को भेज दिया गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे द्वारा सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण के संलग्नक में दर्शाई गई है, संलग्नक की पूरी सामग्री को पढ़ने के लिए मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

(दस) डाक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें और 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से वैयक्तिक रूप से माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुपालन में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्रमश: डाक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों (2008-09) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें और 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10768/09

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आईडीबीआई प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके और उनका निलंबन और स्थानांतरण कर उनके विरुद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करने से पूर्व मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज नियम 193 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अभी तक समय निर्धारित नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्षमा कीजिए। इस मामले को उठाने का यह उचित समय नहीं है। श्रीमान आचार्य जी, आप एक बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं। मैंने आपसे एक निर्दिष्ट विषय पर बोलने के लिए कहा है और आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इसे कब लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय हम करेंगे। यहां पर इस तरीके से चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अनुरोध किया था कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें:

"आईडीबीआई प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके और उनका निलंबन और स्थानांतरण करके उनके विरुद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। आचार्य जी, मुझे लगता है कि यह आपको मिल चुका है।

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखना चाहता हूं:

आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंकिंग कंपनी है और आईडीबीआई बैंक के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अनुसार, भारत सरकार प्रमुख एवं एकमात्र बड़े शेयरधारक होने के नाते हमेशा बैंक की जारी की गई पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत बनाए रखती है। तदनुसार, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का एक बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ''सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक'' के रूप में वर्गीकृत है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के खंड 5(1) पर ध्यान देते हुए कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संरक्षण सहित आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के उपबंधों का कड़ाई से पालन कर रहा है।

आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के परिणामस्वरूप आईडीबीआई बैंक ने दो विलयन प्रक्रिया पूरी की हैं तथा अप्रैल 2005 में भूतपूर्व आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ तथा अक्तूबर 2006 में भूतपूर्व युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लिमिटेड के साथ। ये दोनों बैंक वाणिज्यिक बैंक थे। पहले के तीनों बैंकों के एक सुदृढ़ बैंक के रूप में एकीकरण के लिए यह आवश्यक हो गया कि बैंक के कारोबार रणनीति को व्यावहारिक बनाया जाए और विभिन्न खंडों और प्रमुख कारोबार यूनिटों को पूर्ण रूप से एकीकृत किया जाए ताकि तालमेल एवं परिचालन दक्षता प्राप्त की जा सके। इसके लिए बैंक ने अपने परिचालन को छह कारोबार वर्टिकल्स अर्थात् (1) इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेट समूह (2) बड़े कारपोरेट समूह (3) मध्यम कारपोरेट समूह (4) लघु एवं मध्यम उद्यम (5) वैयक्तिक बैंकिंग समूह और (6) कृषि कारोबार समूह जो पूर्ण रूप से एकीकृत है। ये वर्टिकल्स सामान्य कारोबार माडल के आधार पर परिचालन करने के अतिरिक्त वर्टिकलों की प्रत्येक कोर क्रियाविधि पर गहन निगरानी करते हैं जिससे बैंक अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सकें।

सेवा शर्तों में परिवर्तन

जहां तक सेवा शर्तों में परिवर्तन का संबंध है, आईडीबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और बैंक ने आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के खंड 5(1) का पालन किया है। यह खंड निम्नलिखित है:-

विकास बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध:

''विकास बैंक का प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी (बोर्ड के निदेशक अथवा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अथवा कोई पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) जो नियुक्ति तिथि के तत्काल पहले की नियुक्ति में सेवा कर रहा हो, जहां तक उपक्रमों के संबंध में नियुक्त ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो इस अधिनियम द्वारा कंपनी में निहित कर दिया गया हो, नियुक्ति की तारीख से, एक अधिकारी होगा अथवा जैसा भी मामला हो, कंपनी का अन्य कर्मचारी अपने कार्यालय में रहेगा और सेवा करेगा जैसा कि उसने समान कार्यकाल में, समान परिलब्धियों पर, समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर समान दायित्व तथा समान अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के साथ छुट्टी, यात्रा रियायत भत्ता, कल्याणकारी योजनाएं, चिकित्सा लाभ योजना, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधियां, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, गेच्युटी और अन्य लाभ प्राप्त करेंगे जो उसने विकास बैंक के अंतर्गत रहते हुए लिए होते। यदि उसका उपक्रम कंपनी में निहित न किया गया हो और एक अधिकारी के रूप में नियमित रहेगा अथवा जैसा भी मामला हो, कंपनी का अन्य कर्मचारी अथवा नियुक्ति की तारीख से छह माह की अवधि की समाप्ति तक, यदि ऐसा अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उक्त अवधि के लिए कंपनी के अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के रूप में कार्य जारी करना न चाहता हो।''

इस खंड से यह देखा जा सकता है कि इसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट है:-

(क) एकसमान कार्यकाल;

(ख) एकसमान वेतन;

(ग) एकसमान निबंधन एवं शर्तें;

(घ) एकसमान बाध्यताएं;

(ङ) छुट्टी, छुट्टी किराया रियायत, कल्याण योजना, चिकित्सा लाभ योजना, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधि, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों के संबंध में एकसमान अधिकार एवं सुविधा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

कर्मचारियों का स्थानांतरण

भूतपूर्व आईडीबीआई कर्मचारियों के डीएफआई खंड से खुदरा बैंकिंग परिचालन में स्थानांतरण से विद्यमान निरसन अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण नहीं हुआ है। आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 का किसी भी प्रावधान आईडीबीआई बैंक को अपने कार्मिकों को बेहतर उपयोग एवं सक्षम ग्राहक सेवा के लिए तैनात करने का प्रतिबंध अथवा अधिकार का निषेध नहीं करता है। वास्तव में, निरसन अधिनियम का खंड 5(1), स्पष्ट रूप में यह कहता है कि नियुक्ति तिथि से पहले विद्यमान समान कार्यकाल एवं समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों द्वारा कर्मचारियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर बल दिया जाता है कि आईडीबीआई बैंक को अपने कार्मिकों को लाभदायक एवं उत्पादक क्रियाकलापों में तैनात करने का अधिकार है।

यह रिकार्ड का विषय है कि एआईआईडीबीईए विगत में बार-बार बैंक की खुदरा शाखाओं में स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी मुद्दा उठाता रहा है और उन्होंने वास्तव में अपनी मांगें पूरी नहीं होने की दशा में हड़ताल एवं अन्य प्रकार के आन्दोलन करने की चेतावनी भी दी जिसके परिणामस्वरूप सुलह अधिकारी के समक्ष मुम्बई में सुलह बैठकों के आयोजन भी आवश्यक हुए और उस समय आईडीबीआई द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य में आईडीबीआई बैंक प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया था कि उपयुक्त समय में खुदरा कारोबार खंड में स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी एआईआईडीबीईए की मांगों पर विचार किया जाएगा और खुदरा खंड में तैनाती पर परस्पर लचीलापन लाया जाएगा। वर्तमान स्थानांतरण में केवल यह पाया गया है कि आईडीबीआई बैंक द्वारा उठाए गए कदम एवं पहल एआईआईडीबीईए के सदस्यों की मांग एवं इच्छाओं को पूरा करने के लिए है और बैंक के प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति के रूप में है।

कर्मचारियों का निलंबन

जहां तक यह आरोप है कि बैंक ने कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया है, तो इस संबंध में बैंक ने बताया है कि प्रत्येक संगठन को अनुशासन बनाए रखना होता है और जब कभी आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन होता है तो अनुशासन कार्यवाही सहित उचित कार्रवाई शुरू की जाती है। मुम्बई में सुलह अधिकारी ने सलाह की थी कि अखिल भारतीय आईडीबीआई कर्मचारी संघ (एआईआईडीबीईए) और आईडीबीआई कर्मकार संघ (आईडीबीडब्ल्यूयू) सुलह कार्य के दौरान औद्योगिक शांति एवं तालमेल बनाए रखे और कार्यवाही, 18 दिसम्बर, 2000 तक स्थगित कर दी गई। तथापि, 21 नवम्बर, 2008 को एआईआईडीबीईए और आईडीबीडब्ल्यूयू के सदस्य अत्यधिक उग्र हो गए और वेंडरों के कर्मचारियों, जो आईडीबीआई टावर, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, डब्ल्यूटीसी काम्पलेक्स, कफ परेड, मुम्बई-400 005 के इलैक्ट्रीकल उपकरणों, संचार नेटवर्क एवं दमकल उपकरणों को बनाए रखने सहित विभिन्न कार्य करते हैं, को बलपूर्वक बाहर निकालने की चेतावनी दी और जिससे समस्त कारोबार परिचालन ठप हो गया। एआईआईडीबीईए और आईडीबीडब्ल्यूयू के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की तरफ से हुए उपर्युक्त कार्यों के कारण वेंडरों के कर्मचारियों में भय सृजित हुआ। चोट एवं शारीरिक उपहति के डर से वे कार्य स्थल और बैंक परिसर से चले गए। एआईआईडीबीईए और आईडीबीडब्ल्यूयू के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की आक्रामक कार्रवाई से वेंडरों के कर्मचारियों के मन में भय एवं मानसिक आघात उत्पन्न हुआ और द्वार पर एकत्रित सदस्यों की भीड़ नहीं हटी और वेंडरों के कर्मचारियों को बैंक के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान की जाएगी और वे तत्काल अपने कार्य स्थल पर वापस आ जाएं। चूंकि सम्पूर्ण परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी इसलिए बैंक के पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था, जिससे वेंडरों के कर्मचारी सुरक्षित रूप से वापिस आ जाएं। पुलिस अधिकारी, आईडीबीआई टावर में शीघ्र आ गए और उसके बाद ही वेंडरों के कर्मचारी अपने कार्य स्थल पर वापस आए। इस अवधि के दौरान वहां पूर्ण रूप से अशांति और दुविधा थी और इसका कारोबार परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सामान्य बैंकिंग लेनदेन नहीं हो सका। इससे बैंक को वित्तीय हानि हुई और ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एआईआईडीबीईए और आईडीबीडब्ल्यूयू के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने कार्य स्थल छोड़ते हुए और नारे लगाते हुए बैंक के कार्य एवं कारोबार परिचालन को अव्यवस्थित करते हुए आईडीबीआई टावर की सभी मंजिलों पर बिना किसी रोक-टोक के अवैध रूप से घूमते रहे और एकत्रित होते रहे। इसके अतिरिक्त, श्री/सर्वश्री एस.ए. परब, एसओए और बी.डी. सावंत, एसओए, मुम्बई में शाखाओं में स्थानांतरित 17 कर्मचारियों में से 2, श्री डी.आर. शिरके, एसओए, जो बोर्ड विभाग में तैनात थे जो बोर्ड विभाग के रिसोग्राफ कक्ष में प्रवेश किया और बोर्ड विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद 12 कार्यकारी समिति के कार्यवृत्त संबंधी कागजातों की रिसोग्राफ की प्रतियां बलपूर्वक ले गए। इन कार्यवृत्त कागजातों को दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को होने वाली बैंक बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक के लिए निदेशकों को प्रेषित किया जाना था। ये कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था तथा इससे बैंक संपत्ति (कागजात) जबरन ले जाया गया। यह बैंक के लिए अत्यधिक गंभीर तथा अधिक चिन्ता का मुद्दा है जिसके

परिणामस्वरूप उच्च सरकारी अधिकारियों के दृष्टि में शर्मसार होना पड़ा क्योंकि उपर्युक्त अभिलेखों की प्रतियां वित्त सचिव को भेजे जाने थे जो विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों/कारपोरेट घरानों से संबंधित लगभग 12,400 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण ऋण से संबंधित थे। मामले की संवेदनशीलता तथा गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल उचित सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया तथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उनको प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर निदेश दिया कि तीनों कर्मचारी जिन्होंने बोर्ड के कार्यवृत्त कागजात को जबरन हथिया लिया था, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि वे भविष्य में बैंक की संपत्ति तथा व्यवसाय को कोई क्षति न पहुंचा सकें। तदनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने हेतु तथा कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, तीनों कर्मचारी जो अनुशासनहीनता के उपर्युक्त कृत्य तथा कदाचार में संलिप्त थे, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आईडीबीआई बैंक ने भी कफ परेड पुलिस स्टेशन, जिसके कार्य क्षेत्र में यह कारपोरेट आता है, में भी शिकायत दर्ज कराई थी।

चेन्नई 10 जनवरी, 2009 को कुछ कर्मचारियों ने महाप्रबंधक को धमकी दी कि यदि उनकी अवैधानिक मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 12 जनवरी, 2009 को शाखा बंद कर देंगे। 12 जनवरी, 2009 को लगभग 40 कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे परन्तु वे कार्यालय परिसर में आए तथा बैंक के विरुद्ध नारे लगाए। तीन इलैक्ट्रीशियन, जो विद्युत संस्थापन के लिए जिम्मेदार थे, न केवल अपनी अनिवार्य सेवा से अनुपस्थित रहे बल्कि एक कार्यालय कर्मी के उकसाने पर भवन परिसर की विद्युत एवं जल आपूर्ति को बाधित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों अधिकारी एवं गैर-हड़ताली कर्मचारी तथा ग्राहकों को पूरे दिन भर विद्युत एवं पानी के अभाव से परेशानी झेलनी पड़ी। बैंक परिचालन तथा बैंक की प्रतिष्ठा को भी अपूर्णनीय क्षति पहुंची। यह कृत्य, जो अनुशासनहीनता है और जो बैंक की प्रतिष्ठा और परिचालन के प्रति अशोभनीय है, सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया जिन्होंने निदेश दिया कि वे कर्मचारी जो बैंक परिसर में विद्युत और जल आपूर्ति में बाधा पहुंचाने में शामिल थे, को निलंबन के अधीन रखा जाएगा ताकि वे ऐसा कार्य न दोहरा सकें तथा भविष्य में बैंक की संपत्ति तथा परिचालन को और क्षति न पहुंचा सकें।

उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, यह कहा जा सकता है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिसे मनमानी, जोर-जबरदस्ती और आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के अतिक्रमण के रूप में देखा या समझा जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जब आईडीबीआई अधिनियम का निरसन हुआ था तो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप उस समय सभा में थे और इस पर लम्बी चर्चा हुई थी। उस समय हम विपक्ष में थे और हमने अनेक संशोधनों को सभा पटल पर रखा था।

अध्यक्ष महोदय: आप अभी भी विपक्ष में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे संशोधन को सत्ता पक्ष द्वारा विरोध किए गए संशोधन की तुलना में एक मत अधिक मिला था।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके पक्ष में मतदान किया था।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने मेरे संशोधन के पक्ष में मतदान किया था।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, बिल्कुल। अन्यथा मैं अपना पद पहले ही गवां चुका होता।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई थी और जब मेरे संशोधन के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर थी, तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझसे मेरा संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया था।

ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मेरे संशोधन के विरुद्ध अपना निर्णायक मत देना था। जब मुझे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह से आश्वासन मिला- उन्होंने स्पष्ट रूप से सभा को आश्वासन दिया- उनके आश्वासन के आधार पर मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया। आपने भी उनके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मुझसे संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय: सामान्यतया ऐसा शिष्टाचार दिखाया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य: आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने संशोधन वापस ले लिया था।

अध्यक्ष महोदय: उस समय आपको मेरी बात माननी पड़ती; मैं नेता था।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आश्वासन उद्धृत करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था:

"मैं इस सभा को यह आश्वासन देता हूं कि आई.डी.बी.आई. का विकास वित्त पहलू कम नहीं किया जाएगा।"

आज क्या हो रहा है? इस वर्ष जनवरी में "द इंडियन बैंकर" में एक लेख छपा था। आई.डी.बी.आई. के वर्तमान सी.एम.डी.

[श्री बसुदेव आचार्य]

द्वारा लिखे गए इस लेख में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है:

"मुझे आई.डी.बी.आई. को विकास वित्तीय संस्था से एक विशुद्ध वाणिज्यिक बैंक में रूपान्तरित करना पड़ा। आई.डी.बी.आई. का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसका रूपान्तरण आवश्यक है।"

तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा सभा में इस प्रकार का आश्वासन देने के बाद आई.डी.बी.आई. के वर्तमान सी.एम.डी. इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? संशोधनकारी विधान लाए बिना आई.डी.बी.आई. का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? इस लेख से वर्तमान सी.एम.डी. की मंशा स्पष्ट है। आई.डी.बी.आई. की स्थापना हमारे देश के उद्योगीकरण के लिए, हमारे देश में उद्योगीकरण में सहायता करने के लिए की गई थी। इसने हमारे देश के उद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब इस भूमिका का उल्लंघन किया जा रहा है।

दूसरा मुद्दा कामगारों, कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में था, जिसे विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा उठाया गया था, विशेषकर वाद-विवाद में भाग लेने वाले श्री रूपचंद पाल द्वारा। उनका आश्वासन काफी स्पष्ट था। यह आश्वासन दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया है:

"हमने आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों की संरक्षा का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम जो प्रावधान कर रहे हैं, वे वास्तव में कर्मचारियों के लिए लाभदायक होंगे। यह संभव है कि मैं जो कह रहा हूं आप उससे सहमत नहीं हों। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम कर्मचारियों के लिए पूर्णतया संतोषजनक उपाय नहीं करने का जोखिम नहीं ले सकते। स्थायी समिति ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया था। लेकिन इन सबके बावजूद हम जो कर रहे हैं अगर उसके कार्यान्वयन में हम यह पाते हैं कि अगर कुछ कठिनाइयां अथवा कमियां अथवा खामियां थीं और है तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम सभा में वापस आएंगे और इसमें संशोधन करेंगे अथवा उन विशेष पहलुओं को सुदृढ़ करेंगे।"

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के निरसन तथा आश्वासन दिए जाने के पश्चात् पांच वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों पर पहला प्रहार उस समय किया गया जब 2005 में वेतन संशोधन का मुद्दा आया था।

महोदय, इसके पूर्व आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के बराबर थे। इस समता को नहीं बनाए रखा गया है। यह प्रश्न ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस सभा में उठाया गया था, और पुन: एक आश्वासन दिया गया लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया।

महोदय, चूंकि यह कर्मचारियों का मान्यता प्राप्त संघ है, अत: संघ के पदाधिकारियों की कतिपय जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। अगर आई.डी.बी.आई. में कुछ ऐसा होता है जो कि आई.डी.बी.आई. के अधिदेशित उद्देश्यों के विरुद्ध है, जो कि इस सभा में दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है और जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम की धारा 5 के विरुद्ध है, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है।

शांतिपूर्ण विरोध किया गया था। उनके विरोध में कोई हिंसा नहीं हुई थी। जब 2005 में इस समता को भंग किया गया, तो देशभर में एक प्रदर्शन हुआ था, और एक समझौता हुआ था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने मुझे एक सहमति प्राप्त संकल्प अथवा समझौते का पाठ भेजा था। महोदय, चर्चा के बाद समझौता हुआ था, आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों के वेतन में उस समय पुनरीक्षण किया गया था।

अब क्या हो रहा है? महोदय, कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना महासचिव तथा उपाध्यक्ष को निलंबित किया जा रहा है। महोदय, यहां तक कि आरोप-पत्र भी जारी नहीं किया गया है। ये सब सारहीन आधार पर किए जा रहे हैं।

महोदय, आई.डी.बी.आई. में आउटसोर्सिंग की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय में किए जाने वाले कार्य मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं और इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय में रोजगार के अवसर सीमित हैं। कर्मचारियों तथा कामगारों में स्वाभाविक असंतोष है। मान्यता प्राप्त संघ के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आई.डी.बी.आई. का प्रबंधन उत्पीड़न का सहारा ले रही है। अगर पदाधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय से स्थानान्तरित कर क्षेत्रीय कार्यालय से काफी दूर किसी शाखा में भेजा जाता है, तो वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार कर सकेगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, कृपया अपना प्रश्न पूछें। आप 12 मिनट ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह और कुछ नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त संघ की मोल-तोल करने की क्षमता को कमजोर करना है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा किए बिना आई.डी.बी.आई. का प्रबंधन ऐसे उपायों का आश्रय ले रहा है।

महोदय, वेतन तथा पदस्थापन सहित निबंधन एवं शर्तों के सुमेलीकरण की प्रक्रिया है क्योंकि आई.डी.बी.आई. ने एक निजी बैंक का अधिग्रहण किया था। बैंक के साथ सुमेलीकरण प्रक्रिया के बारे में चर्चा लंबित है।

मान्यता प्राप्त संघों के साथ आपस में चर्चा कर इस मुद्दे का समाधान किए जाने की गुंजाइश थी। लेकिन आई.डी.बी.आई. ने पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था (डी.एफ.आई.) से रिटेल व्यवसाय खंड वाली शाखाओं में कर्मचारियों को परस्पर स्थानान्तरित किए जाने को लागू करने का एकपक्षीय निर्णय ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब, कृपया अपना प्रश्न पूछें। कई कार्य निपटाए जाने शेष हैं। हमें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा भी शुरू करनी है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारी स्टाफ को विकास वित्तीय संस्थाओं से व्यावसायिक शाखाओं में स्थानांतरित किए जाने से कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी अथवा नहीं।

यह कहकर सभा में आश्वासन दिया गया था कि आई.डी.बी.आई. को एक विशुद्ध व्यावसायिक बैंक में परिवर्तित किया जाएगा। क्या इसे विकास वित्तीय बैंक से व्यावसायिक बैंक में परिवर्तित किए जाने से कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो माननीय वित्त मंत्री ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा है, वह इस समस्या का सिर्फ एकतरफा नजरिया है। किंतु वह जमीनी हकीकत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हां, अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: आई.डी.बी.आई. बैंक की मनमानी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराने के उद्देश्य से, उनके वक्तव्य में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उदाहरणस्वरूप, विद्युत और जल आपूर्ति को बंद करना।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही सेवा शर्तों के उल्लंघन का उल्लेख कर चुके हैं। कृपया अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। बिजली गुल हो गई थी। एसोसिएशन के पदाधिकारी विद्युत और जल की आपूर्ति बंद करने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। जबकि तथ्य यह है कि वे इस आपूर्ति को बंद करने के लिए कतई जिम्मेवार नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय।

श्री आचार्य, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं इस संबंध में, उस वक्तव्य का अंतिम पैराग्राफ उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है, परिवर्ती पैराग्राफों में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर, यह समझा जाए कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसे मनमाना, जोर जबरदस्ती और आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के अतिक्रमण के रूप में देखा या समझा जाए।

किंतु मुंबई से जम्मू स्थानान्तरण करना प्रपीड़क नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह उल्लेख कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आईडीबीआई प्रबंधन को मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के साथ चर्चा शुरू करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा कहा गया है कि आईडीबीआई को इन आंदोलनों के कारण भारी नुकसान हुआ है। इसलिए, एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए और यह देखने के लिए कि आई.डी.बी.आई. द्वारा भविष्य में श्रम कानूनों का उल्लंघन न किया जाए, यह आवश्यक है कि आई.डी.बी.आई. में एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध पैदा किया जाए।

इसलिए, क्या माननीय मंत्री महोदय आई.डी.बी.आई. प्रबंधन से मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता शुरू करने का आग्रह करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आपने सेवा शर्तों के उल्लंघन और एसोसिएशनों के साथ चर्चा शुरू करने के बारे में पूछा है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय कर्मचारियों के उत्पीड़न, निलंबन के मामलों पर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए 20 मिनट नहीं ले सकते। मैंने आपको काफी समय दिया है, किंतु मुझे खेद है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी, कुछ पदाधिकारियों के मुख्यालय से शाखाओं में स्थानान्तरण के बारे में उत्तर दें।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य की आशंकाओं को दूर करना चाहता हूं, जो यह कह रहे हैं कि आई.डी.बी.आई. बैंक के एक बैंक में तब्दील हो जाने के बाद, एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में अपने कार्यों को त्याग दिया है।

आज भी, बैंक का विकास वित्तीय पहलू इसके कुल व्यापार का 84 प्रतिशत है और रिटेल बैंकिंग 16 प्रतिशत तक सीमित है। यह आज की स्थिति है। यह पहले भी कहा गया है और माननीय सदस्य इससे पूरी तरह अवगत होंगे कि बदलते आर्थिक परिदृश्य में जहां प्रतिस्पर्धा व्यापक है, आई.डी.बी.आई. के लिए कतिपय रिटेल बैंकिंग कार्य शुरू करना अनिवार्य बन गया। किंतु यह विकास वित्तीय कार्य की कीमत पर नहीं है बल्कि जैसे ही व्यापार फैलेगा, यह स्वाभाविक ही है कि वहां प्रतिशत में अंतर आ जाएगा किंतु आई.डी.बी.आई. द्वारा विकास वित्त के वित्तपोषण की मात्रा सदैव ही उसके कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा।

मैं वास्तव में यहां यह कहने में इस सम्माननीय सभा का समय नहीं लूंगा कि भारत सरकार विकास वित्तपोषण को सर्वाधिक महत्व देती है और यही कारण है कि हमारे यहां निवेश वित्तीय संस्थान भी मौजूद था।

माननीय सदस्य द्वारा प्रमुख रूप से दो बातें कही गई हैं। पहली बात उन्होंने यह कही है कि समय गुजरने के साथ-साथ कर्मचारियों की सेवा शर्तों में जो उनके अहित में है बदलाव हुआ है, मैं पुन: उनसे भिन्न राय रखते हुए और पूरी विनम्रता के साथ, यह कहना चाहता हूं कि यह सही स्थिति नहीं है। सेवा शर्तें आदि औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 की धारा से शासित होती है जैसा कि माननीय सदस्य ने बहुत ही संक्षेप में इसका उल्लेख किया है। हालांकि, मैंने कहा है कि अपने वक्तव्य में मुझे इसका उल्लेख करना पड़ा है। इसमें, समान कार्यकाल, समान परिलब्धि, समान सेवा और शर्तें, समान दायित्व और अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत, कल्याण योजना, चिकित्सा लाभ योजना, बीमा, भविष्य निधि और अन्य निधियों, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उपदान और अन्य लाभों के संबंध में भी समान अधिकार और विशेषाधिकार कायम रखने की बात कही गई है।

आज की स्थिति के अनुसार भी, हालांकि भावी कार्य दिशा धारा 5 से ही शासित होगी तथापि, आई.डी.बी.आई. बैंक के कर्मचारियों के भी आरबीआई में समानान्तर या समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के समान ही वेतन और भत्ते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात ही है।

मैं इस समस्या के मूल पर आ रहा हूं जिसके कारण कुल निलंबन हुए। आप और पूरी सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि किसी भी संस्थान की सफलता के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

अध्यक्ष महोदय: वे आपके पूर्ववर्तियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में कह रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय सदस्य ने जिस आश्वासन का हवाला दिया है वह यह है कि कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: प्रकाशित लेख के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में उस लेख की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। माननीय सदस्य ने यहां मेरा ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इन बिन्दुओं का उत्तर दें।

श्री बसुदेव आचार्य: वह आई.डी.बी.आई. के मुख्य प्रबंध निदेशक द्वारा लिखा गया था। यह उन्होंने स्वयं कहा है।

श्री पवन कुमार बंसल: यह रिकार्ड का मामला है कि कर्मचारियों का संघ जो कि 'आल इंडिया आई.डी.बी.आई. इम्पलायज एसोसिएशन' और 'आल इंडिया आई.डी.बी.आई. वर्कर्स यूनियन' स्थानांतरण और तैनाती संबंधी मुद्दे उठाते रहे हैं। यह रिकार्ड का मामला है। उन्होंने बैंक की लघु शाखाओं में स्थानांतरण और तैनाती का मुद्दा उठाया था और वस्तुत: उन्होंने धमकी दी थी। संभवत: मेरे माननीय मित्र को इस बारे में नहीं बताया गया है। उन्होंने हड़ताल तथा अन्य विभिन्न प्रकार के आंदोलन की धमकी दी थी। यह मुद्दा अब भी जारी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री पवन कुमार बंसल: इसके कारण मुम्बई में सुलह प्रक्रिया चलायी गई। आई.डी.बी.आई. के लिखित निवेदन में आई.डी.बी.आई. प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि उपयुक्त समय पर आल इंडिया आई.डी.बी.आई. इम्पलायज एसोसिएशन के रिटेल व्यवसाय खंड में परस्पर स्थानांतरण और तैनाती की मांगों पर विचार किया जाएगा और रिटेल व्यवसाय खंड में परस्पर स्थानांतरण और तैनाती की

जाएगी। सुलह प्रक्रिया के समय हमने यही बात कही थी। अब जब तैनाती की गई, तो पहले मैं यह बता दूं कि किसी एक ही संस्थान में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में तैनाती अर्थात् डीएफआई, अर्थात् विकास वित्तीय संस्था खंड से रिटेल खंड में की गयी तैनाती से लोगों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

ये तैनातियां उसी शहर में की गई हैं। उन्हें कहीं बाहर तैनात नहीं किया गया है। मुंबई की तैनातियां केवल मुंबई में की गई हैं और जिन 17 लोगों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था, उन्होंने अपना कार्य-भार संभाल लिया है। यह जानकारी मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

जैसाकि मैंने कहा, जो हमने पहले कहा था उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें लागू कर दिया गया है और इससे उन लोगों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस मामले में किसी को प्रताड़ित करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि मैंने अपने जवाब में विस्तृत रूप से बताया है, पर मैं यहां फिर से कह रहा हूं कि सुलह प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को यह सलाह दी गयी थी कि वे बैंक में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने सेवाओं में व्यवधान डाला। बिजली जैसी कतिपय सेवाएं बाहरी विक्रेताओं से ली गईं और हमारे पास बिजली बोर्ड की तरफ से यह बात रिकार्ड में है कि किसी भी प्रकार से बिजली की आपूर्ति ठप्प नहीं हुई। कर्मचारियों को धमकी दी गई यहां तक कि वे लोग जो इन सेवाओं को संभाल रहे थे मुंबई में इन स्थानों को छोड़कर भाग गए और तीन मामलों में *...(व्यवधान)* यहां यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन परिस्थितियों में आई.डी.बी.आई. प्रबंधन को न चाहते हुए भी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा।

यह नवंबर, 2008 की बात है जब ये दो संघ उग्र हो उठे और उन्होंने बलपूर्वक कर्मचारियों को बाहर निकालने तथा संचार-बिजली उपकरणों, संचार नेटवर्क और अग्निशामक उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

श्री वसुदेव आचार्य: यह तथ्य पर आधारित नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, अगर वे इसे चुनौती दे रहे हैं *...(व्यवधान)* मैं यहां अपना वक्तव्य दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह चुनौती और प्रति-चुनौती का स्थान नहीं है। आप केवल उनके प्रश्न के संदर्भ में जवाब दें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, स्थानान्तरित किए गए 17 में से 2 कर्मचारी और बोर्ड डिपार्टमेंट में तैनात एक अन्य कर्मचारी— वास्तव में यह बहुत गम्भीर बात है- बोर्ड डिपार्टमेंट के रेजोग्राफ रूम में घुसे जहां दस्तावेज रखे हुए थे जिन्हें उन्होंने उन्हें बलपूर्वक छीन लिया, जिन्हें बोर्ड की मीटिंग में परिचालित किया जाना था और वरिष्ठ अधिकारियों के निवेदन के बावजूद, उन्होंने उनके आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया और इसे गंभीर अपराध माना गया। प्रबंधन के पास उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं रह गया था।

अध्यक्ष महोदय: वे पूछ रहे हैं कि क्या आप बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: इस कारण तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। हिंसा के अन्य कार्यों के लिए चेन्नई में चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

महोदय, जब वह समझौता वार्ता की बात करते हैं तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा यह विश्वास है कि चर्चा लोकतंत्र और किसी भी संस्था की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का सार है। यह लोकतांत्रिक प्रवृत्ति ही है जिससे हम मुद्दों पर बात करते हैं और इस संबंध में जो भी नियम होंगे जिनके तहत चर्चा की जा सकती है, आई.डी.बी.आई. बातचीत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जिन बातों पर सहमति हो चुकी है हम उससे आगे नहीं जा सकते। मैं फिर से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई थी, संरक्षित कामगार नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-10769/09]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह पूरा हो गया है।

चौधरी लाल सिंह।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, नियम 193 के अधीन सत्यम कम्प्यूटर्स मामले पर चर्चा कब की जाएगी? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मुझे अफसोस है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी ओर से इसे पहले ही दिन रखा था लेकिन सदस्यगण इस पर चर्चा करने के लिए सहमत नहीं थे। अब, आप मुझ पर थोप रहे हैं। जब भी मेरी इच्छा होगी मैं इसकी घोषणा करूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, कल सत्र का अन्तिम दिन है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी मुझे परवाह नहीं है कि वे चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपको मेरा बात माननी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि आप मेरी निष्ठा पर प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री लाल सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मुझे अफसोस है कि आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। हमारे आदमी 60 वर्ष से तरस रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल चौधरी लाल सिंह का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करें।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस पर सभा में चर्चा कब की जाएगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको दिन का सत्र समाप्त होने तक यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैं इस मामले पर अपनी सुविधानुसार चर्चा नहीं करवा सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया चिल्लाएं मत।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: आचार्य जी, बड़े अफसोस की बात है, आप हमारी बात नहीं सुनने दे रहे हैं। हमारे लोग जंतर-मंतर पर बैठे हुए हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए न।

चौधरी लाल सिंह: सर, मेरा सबमिशन है, आप जानते हैं कि 60 वर्ष हो गए हैं, हमारे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जम्मू-कश्मीर में आए थे, उन्हें आज तक न वोटिंग का अधिकार मिला, न पीआरसी मिला, आज तक उनका स्टेटस नहीं बन पाया, आईएवाई का मकान नहीं मिलता, पढ़ने को कालेज नहीं मिलता, लोगों को वहां सर्विस नहीं मिलती। वे आज 60 वर्ष के बाद दोबारा जंतर-मंतर में आए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप धीरे-धीरे बोलें।

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जितनी जोर से बोलूंगा, वेस्ट पाकिस्तानियों को सुनाई देगा। मैं उनको सुना रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन है कि इस मसले को 60 वर्ष से सीरियसली नहीं लिया गया। हमें अफसोस है कि आज भी वे लोग तरस रहे हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं। अभी तक उनके पास जमीन, मकान और नौकरी नहीं है। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जंतर-मंतर पर गवर्नमेंट का कोई भी आदमी जाकर उनकी बात सुने और उनकी मदद करे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ अपने को एसोसिएट करता हूं और एक मिनट बोलने के लिए रिकवेस्ट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना नाम भेज दीजिए, आपका नाम नोट हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे करने का यह तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लिख कर भेज दीजिए। आपने नोटिस देने का भी कष्ट नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। अगला मुद्दा श्री संतोष गंगवार उठाएंगे। आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब इस समय लोक सभा अंतिम दौर में है। यह सरकार आम आदमी की समस्या, देश के अंदर एलपीजी के वितरण पर भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है।

अध्यक्ष महोदय, एलपीजी की इतनी समस्या है, एक तो सप्लाई शोर्ट कर दी है कि हर डीलर को 60 परसैंट सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद भी 25 दिन के बाद गैस मिल रही है, इस कारण घरों में बहुत संकट है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि एक परिवार में एक गैस कनेक्शन दिया जाए। अब परिवार की परिभाषा में कितने लोग आते हैं, किसी परिवार में चार सदस्य हैं और किसी परिवार में 15 सदस्य हैं। मेरा सुझाव है कि हर बालिग सदस्य के पास नया कनेक्शन होना चाहिए। यह बात सरकार की समझ में आनी चाहिए और सरकार को उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और शहरी क्षेत्रों में, पिछली एनडीए की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस कनेक्शन दिए थे और बहुत बड़ी तादाद में गांवों के लोग लकड़ी की कटान को रोकने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे थे। दुर्भाग्य यह है कि सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसे पूरा करने में बिलकुल असमर्थ साबित हुई है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

***डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तथा नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैण्ड एनएससीएन (आईएम) वे बीच हुए युद्ध विराम समझौते का एनएससीएन (आईएम) ने उल्लंघन किया है। मणिपुर में एक एसडीओ, उसके चालक और एक मंडल की एनएससीएन (आईएम) द्वारा जानबूझकर हत्या किया जाना विद्यमान युद्धविराम समझौते का उल्लंघन एवं विश्वासघात है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हत्या उनके लोगों ने ही की है। एनएससीएन (आईएम) के एक लेफ्टिनेन्ट कर्नल तथा उसके साथी इस जघन्य अपराध के दोषी हैं। कथित दोषियों को संबंधित प्राधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए।

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस अपराध तथा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के लिए एनएससीएन (आईएम) की खिंचाई करें। जब एनएससीएन (आईएम) तथा भारत सरकार के बीच शांतिवार्ता चल रही है तो यह विश्वासघात ही माना जाएगा। सभी दोषियों को संबंधित प्राधिकारियों के हवाले किया जाए तथा देश के कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाकर दंडित किया जाना चाहिए। अंत में, महोदय, मणिपुर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में यदि एनएससीएन (आईएम) के कोई कैंप चल रहे हैं तो उन्हें तुरन्त वहां से हटाया जाए।

---

*मूलत: मणिपुरी में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री एस.के. खारवेलगण (पलानी): महोदय, मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाने के लिए एक नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: अगला मुद्दा श्रीमती के. रानी उठाएंगी। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 'महोदय' कहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा और आप यह बात जानते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने पांच वर्ष तक मुझे बर्दाश्त किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगला मुद्दा श्री हन्नान मोल्लाह उठाएंगे आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं। ओह! वह भी सभा से चले गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह देखना है कि मेरे साथ कौन-कौन सहयोग कर रहे हैं। श्री हंसराज गं. अहीर, केवल एक ही मुद्दा उठाइए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उद्योग-धंधे चलाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। इसी आधार पर मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि देशभर में जहां-जहां भी महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ-ही-साथ मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रदेश सरकारों को निर्देश दे, ताकि महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप द्वारा जिन चीजों का उत्पादन किया जाता है, उनके विपणन हेतु, सभी गांव और शहरों में एक-एक शापिंग सैंटर निर्माण करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा डायरैक्ट सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें श्री अहीर का अनुसरण करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अगली लोक सभा में भी आप ऐसा ही रिकार्ड कायम रखेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान जलपाईगुड़ी में कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट खण्डपीठ को शुरू करने संबंधी समारोह के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी लोग दो दशकों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिला प्राधिकारियों ने पूर्ण कर ली गई बुनियादी अवसंरचना 11 जनवरी, 2006 को न्यायपालिका को सौंप दी है। जिला प्राधिकारियों ने न्यायाधीशों के आवासों के निर्माण के लिए पूरा प्रयास किया। आवश्यक जांच भी पूरी कर ली गई है। तथापि, इसके उद्घाटन में हो रहा विलम्ब हमारी कल्पना से बाहर है। चूंकि आपने वर्ष 1998 से ही पूरे दिल से सहयोग एवं समर्थन दिया है, महोदय, आपके जरिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह तुरंत एवं उचित कार्रवाई करे ताकि वाजिब एवं बहुत आवश्यक एवं काफी प्रचार पा चुकी कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट खण्डपीठ शीघ्र ही जलपाईगुड़ी में खोली जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र रामपुर गन्ना उत्पादक जिला है और वहां हजारों लोग गन्ने की खेती करते हैं। रामपुर नगर में एकमात्र चीनी मिल यू.पी. स्टेट शुगर कार्पोरेशन की है, जो वर्ष 1999 में बन्द हो गई थी। उसे वर्ष 2005 में, तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह के समय में दुबारा चलाया गया। पुनर्वास योजना के अंतर्गत नवीन प्रोजैक्ट के कार्य हेतु 62 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पहली किस्त में 25 करोड़ रुपए देकर कार्य प्रारम्भ किया गया है और लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। सरकार परिवर्तन के कारण अब इस प्रोजैक्ट को रोक दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु शेष धन लगभग 56 करोड़ रुपए अभी तक बचा हुआ है और वह पी.एल.ए. लखनऊ में जमा है, जबकि उत्तर प्रदेश की इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, फिर भी प्रदेश सरकार ने इसका कार्य रोक दिया है।

महोदय, इस चीनी मिल के बन्द हो जाने के कारण रामपुर के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। इसकी वजह से गरीबी और भुखमरी बहुत बढ़ गई है और इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस सरकारी मिल के बन्द होने पर, जो प्राईवेट मिल वाले हैं, वे इसकी पर्चियों में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि जो पैसा बचा हुआ है, उसे तुरन्त रिलीज किया जाए, ताकि चीनी मिल को फिर से चलाया जाए और इसके बन्द होने से उस क्षेत्र के जो लाखों लोग, भुखमरी, गरीबी एवं परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रावधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): हमारी स्वतंत्रता से पूर्व ही अन्य पिछड़ा वर्गों को दक्षिण के राज्यों में आरक्षण मिलता था लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूरे देश में आरक्षण प्रदान किया गया है। साठ के दशक में भी दक्षिण के राज्यों में अ.पि.व. को न केवल सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण दिया जाता था बल्कि पदोन्नति में भी कुछ आरक्षण दिया जाता था। अनुच्छेद 16(4) में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन अनुच्छेद 16(4)(क) में नौकरियों में पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था है। वस्तुत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को न केवल नौकरियों में आरक्षण मिलता है बल्कि उन्हें पदोन्नतियों में भी सामानुपातिक रूप से आरक्षण मिलता है। इसी प्रकार से, अ.पि.व. को भी आन्दोलन करने से पूर्व तथा अपनी आवाज उठाने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न नौकरियों ने पदोन्नतियों में अ.पि.व. को भी समान लाभ मिले। अजा तथा अजजा को वर्ग 'क' के पदों तक पदोन्नति दी जाती है जबकि अ.पि.व. के लिए वर्ग 'घ' पदों के लिए भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि आन्दोलन से समानता सुनिश्चित न की जाए बल्कि अ.पि.व. को ...*(व्यवधान)* सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर न्याय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात संक्षेप में कहें। सभी लोग अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री किन्जरपु येरन्नायडु: मैं भी श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): मैं श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए पदोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी मुद्दे का समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने नाम भेजिए।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मेरे राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित राज्य सरकार गुजरात से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना स्ववित्तपोषित पीटीसी कालेजों को मान्यता प्रदान कर रही है। इस बात की आशंका है कि सरकार के अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना एनसीटीई द्वारा विशेष रूप से दी जा रही मान्यता से निकट भविष्य में बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि यह मुद्दा शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाए।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): मैंने 9.7.2004 को इस सम्माननीय सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्तुत किए थे जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. समुदायों को गैर-सरकारी क्षेत्र के रोजगार में आरक्षण देने की मांग की गयी थी।

इस चर्चा में कुल 29 माननीय सदस्यों ने भाग लिया था और उन सभी ने उक्त संकल्प का स्वागत और समर्थन किया था। हालांकि माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से यह आश्वासन मिलने पर मैंने उक्त संकल्प वापिस ले लिया था कि वे (निजी क्षेत्र के रोजगार में अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़े समुदायों को) आरक्षण देंगी। यह भी सूचित किया गया था कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार इसे लागू करने के लिए पूर्णतया कृत संकल्प है। हालांकि यह कहना खेद की बात है कि ये आश्वासन लोक सभा के कागजों तक ही सिमट कर रह गए और साढ़े चार वर्ष बीत जाने के बावजूद कुछ हल नहीं निकल सका। वर्तमान लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने को है। सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों के निजीकरण और सरकारी गतिविधियों के कारण निजी क्षेत्र में अ.जा., अ.ज.जा. और पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। वे उन लाभों से वंचित हैं जिनकी गारंटी संविधान में दी गई है। अत: मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि कृपया वर्तमान लोक सभा के समापन से पहले इस पर कुछ न कुछ करें।

अध्यक्ष महोदय: वर्तमान लोक सभा कल समाप्त हो रही है।

श्री श्रीचंद कृपलानी-अनुपस्थित

श्री फ्रांसिस जार्ज-कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहूंगा। विभिन्न सदस्यों ने इस देश के दलित ईसाइयों और मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा उठाया है। महोदय, उत्तरवर्ती सरकार इन दो वर्गों को यह अधिकार देने से इंकार कर रही है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई धर्म विशेष अपनाने का यह अर्थ नहीं है कि उसकी सामाजिक स्थिति तुरंत बदल जाती है। प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा गारंटी पूर्वक यह अधिकार दिया गया है कि वह जिस धर्म को अपनाना चाहे वह अपना सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है। आस्था के आधार पर किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा आयोग की नियुक्ति की थी और आयोग ने काफी पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी परंतु सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

[श्री फ्रांसिस जार्ज]

कल दलित ईसाइयों के मंच ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने की मांग करते हुए संसद तक कूच का आयोजन किया था। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार तुरंत रिपोर्ट की समीक्षा करे और सिफारिशों को स्वीकार करे और देश में लाखों दलित मुस्लिमों और ईसाइयों को आरक्षण प्रदान करें और उन्हें इस अधिकार से वंचित न करे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या बोल रहे हैं? एसोशिएट होना है, तो हो जाइए।

[अनुवाद]

सभी के नाम जोड़ दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि इसके लिए स्लिप देनी पड़ती है। अगर सभी माननीय सदस्य एसोशिएशन के लिए खड़े हो जाएंगे, तो काम नहीं होगा। आप स्लिप भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं श्री फ्रांसिस जार्ज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ रहा हूं।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): मैं रंगनाथ मिश्रा आयोग के संबंध में उठाए गए मुद्दे के साथ जुड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): महोदय, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इस साल का एक आर्डर जारी किया है जिसमें इंटरनेशनल पासपोर्ट को हाजियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। आज तक हाजी पिलग्रिम पासपोर्ट से वहां जाते थे, जिस पर सिर्फ दो सौ रुपए हज कमेटी आफ इंडिया लेती थी। अगर इंटरनेशनल पासपोर्ट से उनको जाना पड़ेगा, तो हजारों रुपये खर्च होंगे और उनको बहुत परेशानी भी होगी। इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरब गवर्नमेंट से इस सिलसिले में बात करके, इसे खत्म करायें, जिससे हाजियों को सहूलियत मिल सके।

दूसरी बात, हज कमेटी आफ इंडिया को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूं और सारे मुसलमानों की तरफ से गुजारिश है कि उसको आयोग का दर्जा दिया जाए। सऊदी अरब सरकार ने इस साल 13 हजार हाजियों का एडीशनल कोटा गवर्नमेंट आफ इंडिया को दिया था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसको अपने हाथ से तकसीम किया, जिसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आइंदा जो कोटा आए, वह हज कमेटी आफ इंडिया को दिया जाए, ताकि सही तकसीम हो सके और हाजियों को उसका फायदा मिल सके। मेरी यह गुजारिश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही नोटिस है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जुड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मैं थोड़ा समय ही लूंगा। जैसा कि अभी शफीकुर्रहमान बर्क साहब ने बताया कि सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अनिवार्य होगा। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की हज यात्रा से धार्मिक भावनायें जुड़ी होती हैं। ये लोग कोई व्यापार करने वहां नहीं जाते। यह बहुत गंभीर मामला है। पहले दो सौ रुपए पिलग्रिम पासपोर्ट पर इनका खर्च होता था, लेकिन अब खर्च ज्यादा होगा और परेशानियां भी होंगी।

महोदय, मैं आपके मार्फत एक निवेदन और करना चाहूंगा। इस बार 13 हजार हज यात्रियों का कोटा बढ़ा। प्रदेशों में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से पूरे देश में कोटा बांट दिया जाता, लेकिन सरकार ने यह कोटा अपने पास रखा और अपनी सुविधानुसार उसका बंटवारा किया। हम जो सांसद लोग हैं, सिफारिश करके मुश्किल से दो हज यात्रियों को भेज पाते हैं। सरकार ने अपनी सुविधानुसार उसका बंटवारा किया, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। भविष्य में जब भी कोटा बढ़ाया जाए, तो सूबों में जो अकलियत की संख्या है, उसके हिसाब से कोटे का वितरण होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रामचन्द्र डोम मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता तथा इसी प्रकार के कुछेक अन्य कार्यालयों की स्थापना खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के तहत हुयी थी। यह प्रयोगशाला खानपान में प्रयुक्त अपमिश्रित और संदूषित खाद्य सामग्री तथा खाद्य वस्तुओं का उपयोग करने से लोगों को बचाने के श्रेष्ठ क्षेत्र में कार्य करती है। खाद्य वस्तुओं का नमूने एकत्र करके उसकी जांच सीएफएल में की जाती है और विश्लेषण करने के बाद ही खाद्य वस्तुओं को उपयोग के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है। दोषी व्यक्ति पर अपराध प्रक्रिया के संगत अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

परंतु उन उपबंधों के उल्लंघन में सरकार ने हाल ही में एक नया कानून अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधों को बहुत उदार बनाया गया है। लोगों को इस बात की चिंता है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु रास्ता साफ करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 प्रख्यापित किया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने अपनी शुभकामनाओं सहित उन्हें बोलने की अनुमति दी है। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के उपबंधों का उपयोग खाद्य उत्पादन, विनिर्माण और व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय बेइमान व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अनुसार दोषियों पर आपराधिक कानून द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अपितु उन पर सिविल कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा।

सीएफएल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में ही रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीएफएल को विचारण न्यायालय के रूप में कार्य करते रहना चाहिए। इसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से यह अनुरोध भी है कि सरकार सीएफएल के स्टाफ के साथ परामर्श करके सेवा निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना इस प्रयोगशाला के स्टाफ और कर्मचारियों का स्थानांतरण न करे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य द्वारा किये गये हस्तक्षेप को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, उन्होंने इसे अत्यंत प्रभावशाली तरीके से उठाया है। आप उनके महत्व को क्यों कम कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप मामले की गंभीरता को समझते हैं। विपक्ष के नेता भी सहमत हो चुके हैं। आपको प्रतिक्रिया करनी जरूरी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आणविक विद्युत परियोजना की क्षमता 220 मेगावाट की थी और प्रथम और द्वितीय इकाई की स्थापना के साथ ही इनकी पूरी क्षमता की बिजली राजस्थान को दी जा रही थी। परन्तु जुलाई, 2007 में मरम्मत और रख-रखाव के कारण इन इकाइयों को बंद कर दिया गया है और तब से यह वापिस चालू नहीं हो पाई हैं। इससे राजस्थान को विद्युत आपूर्ति करीब-करीब बंद है और विकास के सारे कार्य ठप्प हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आगामी इकाइयां द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सातवीं और आठवीं, उनमें और विशेष रूप से जो बांसवाड़ा में न्यूक्लियर विद्युत परियोजना प्रारंभ होने जा रही है, उसमें राजस्थान का पूरा हिस्सा रखने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब केवल श्री राधाकृष्णन जी को बुलाऊंगा चूंकि वे मेरे स्थान पर बैठेंगे, यहां आएं और अध्यक्ष

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

के आसन पर बैठें। श्री राधाकृष्णन जी क्या आपने शर्त सुन ली है कि आपको यहां आना होगा?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते है कि चुनाव जल्द ही होने वाले है। खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हजारों लोगों की छंटनी हो रही है और वे हमारे देश में वापस लौट आयेंगे। प्रश्न यह है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वे हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे थे। ये निसहाय लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के कारण देश में लौट आयेंगे, उनकी संख्या लाखों में हो सकती है। हमें इन सब लोगों के पुनर्वास में बहुत समस्या होगी। राज्य सरकार के संसाधन खाड़ी से लौटने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यंत अपर्याप्त हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इस पर गौर करने का अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को भी देश में किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह उचित होगा कि केन्द्र सरकार को इन गरीब लोगों के बचाव में आगे आना चाहिए जिन्हें बिना उनकी किसी गलती के रोजगार से हटा दिया गया। उन्हें खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त था परंतु ऐसा हो सकता है कि केरल सरकार और साथ ही दक्षिणी राज्य उन्हें रोजगार प्रदान करने में सक्षम न हो पाए। इसलिए, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, केन्द्र सरकार को भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप ऐसा सोचते है कि आपके राज्य में उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे?

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इन लोगों के पुनर्वास के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जो खाड़ी देशों से वापस आ रहे हैं। मेरा विचार है कि सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इन लोगों के बचाव में आगे आना चाहिए।

अपराह्न 1.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) गुजरात के अमरेली में एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर आधारित है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने कई प्रतिवेदन देकर अमरेली में एफ.एम. प्रसारण की सुविधाएं दिये जाने हेतु अनुरोध किया है। यहां के मजदूर और किसानों के पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं और आधुनिक किस्म के मनोरंजन के उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं। रेडियो ही एक ऐसा साधन है जिसे किसान और मजदूर खरीद सकता है। आधुनिक समय में सरकार एफ.एम. के माध्यम से मनोरंजन साधन उपलब्ध करा रही है, परन्तु अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र में एफ.एम. के प्रसारण की शुरूआत नहीं हुई है। यहां के लोगों ने एफ.एम. प्रसारण शुरू करने की मांग की है जिसे तत्काल प्रसारित किया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में लोगों की मांग के कारण सदन में मैंने कई बार इस संबंध में सवाल उठाये हैं एवं सदन में विशेष मामलों के तहत विषय को कई बार उठाया है एवं संबंधित मंत्री जी को कई बार इस संबंध में पत्र भेज चुका हूं।

अत: सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एफ.एम. रेडियो का प्रसारण इसी वित्तीय वर्ष में आरंभ किया जाये।

(दो) निजी क्षेत्र की कंपनियों को आंध्र प्रदेश में किसानों से कपास खरीदने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, यह सुज्ञात तथ्य है तथा सरकार भी इस बात से अवगत है कि कपास उत्पादक विरोध-प्रदर्शन करते रहे हैं चूंकि उनके कपास के स्टाक को केवल भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा ही खरीदा जा रहा है। सीसीआई ने कपास के खरीद मूल्य को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। निजी व्यापारियों के निष्क्रिय होने के कारण खरीद और ढुलाई का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है।

वर्तमान में, केवल एसीआई ही पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में कपास की खरीद का काम कर रहा है। कपास उत्पादकों द्वारा उनके उत्पाद को सीसीआई पर उतारे जाने के बाद भी एक सप्ताह या दस दिन बाद ही उसका वजन किया जाता है। एसीआई यह दावा कर रहा है कि उसके भंडागारों में माल उतराई के लिए जगह नहीं है। इसलिए, किसानों को अनेक उत्पाद को उनके ट्रकों में रखना पड़ता है चूंकि वहां जगह की कमी है।

इन परिस्थितियों के कारण, मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि वे संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दें कि वे निजी व्यापारियों को किसानों से कपास की खरीद की अनुमति दें तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों के स्टॉक को वजन करने के लिए एक सप्ताह या दस दिन तक न रखा जाए। इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उन किसानों की मदद की जा सके। जिन्हें अपना स्टाक उतारने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(तीन) राजस्थान के विकास के लिए राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने और कर से छूट देने की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां अत्यंत विषम हैं। परिणामस्वरूप राज्य में प्रदान की जाने वाली सैंकड़ों सड़कें, रेल ऊर्जा, पेयजल आदि की लागत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आती हैं। राजस्थान एक सीमावर्ती तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग के 12 जिले मरूस्थलीय क्षेत्र हैं जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11 प्रतिशत है। राज्य का 5.85 प्रतिशत भाग जनजाति बाहुल्य है, जिसमें राज्य की जनसंख्या की 12.6 प्रतिशत आबादी रहती है। राजस्थान में न्यूनतम जल संसाधन, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा पर निर्भरता तथा सूखा एवं अकाल के कारण राज्य की विकास दर प्रभावित होती है। राजस्थान की कृषि भी अधिकांश भागों में मानसून पर निर्भर रहती है। राजस्थान में जल एक दुर्लभ संसाधन है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10.41 प्रतिशत तथा 5.50 प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य में कुल सतही जल का केवल एक प्रतिशत जल ही उपलब्ध है। राज्य में चम्बल को छोड़कर किसी तरह की कोई बारहमासी नदी नहीं है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की इन विशिष्ट एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देकर तथा पर्वतीय राज्यों की भांति कुछ वर्षों के लिए करमुक्त क्षेत्र घोषित कर विशेष आर्थिक सहयोग दिया जाये।

(चार) उड़ीसा के क्योंझर जिले में सिलसुआं एयरपोर्ट और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोन्टो एयरपोर्ट का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): भारत के खनिज मानचित्र पर उड़ीसा के क्योंझर जिले का प्रमुख स्थान है। यह अपनी उच्च किस्म के लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज तथा अन्य कई खनिजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना जाता है। ये खनिज क्योंझर की खजिन बेल्ट से प्राप्त किए जाते हैं तथा पारादीप और हल्दिया पत्तनों से चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। हजारों श्रमिक क्योंझर तथा इन पत्तनों के खनिज क्षेत्रों पर निर्यात उद्देश्य के लिए इन खनिजों के लदान, माल उतारने तथा परिवहन के लिए तैनात हैं।

खनिज व्यापार की संभावना को देखते हुए, काफी ज्यादा संख्या में कंपनियों ने यहां स्पांज लौह संयंत्र स्थापित किए हैं तथा उस जिले में लौह संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों को अपने कारोबार के संबंध में हवाई जहाज द्वारा दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर तथा अन्य नगर जाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास व्यावहारिक रूप से वायु संपर्क के अभाव में संभव नहीं है। दो छोटे हवाई अड्डे, उड़ीसा के क्योंझर जिले में सिलसुआं तथा दूसरा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले टोंटो में है। इन दो विमानपत्तनों के विस्तार की संभावना है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि सिलसुआं तथा टोन्टों में विमानपत्तनों का विस्तार तथा उन्नयन करके इसे पूरी तरह से घरेलू विमानपत्तन बनाया जाए तथा उड़ीसा के क्योंझर तथा मयूरभंज जिले तथा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को अविलंब इन विमानपत्तनों से वायु संपर्क की सुविधा प्रदान की जाए।

(पांच) उज्जैन को अमृतसर, अजमेर, बड़ौदा और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के साथ जोड़ने वाली नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, देश में उज्जैन का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व है जहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए नियमित रूप से आते हैं। इसलिए रेल मार्ग से यात्रियों की सुविधा के लिए नयी रेल सेवाएं प्रारंभ करना आवश्यक है। उज्जैन से अमृतसर, उज्जैन-रतलाम-नीमच-अजमेर, उज्जैन-इन्दौर-ओंकारेश्वर-खण्डवा, इन्दौर-उज्जैन-नागदा-रतलाम-बड़ौदा इंटर सिटी एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता है।

साथ ही इस क्षेत्र के नागदा, खाचरोड तथा महिदपुर रोड, विक्रमगढ़ आलोट प्रमुख स्टेशनों पर इन मार्गों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के स्टापेज स्वीकृत किये जायें।

(छह) राजस्थान के उदयपुर में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): महोदय, राजस्थान का उदयपुर संभाग आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य है एवं यहां के निवासी आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर है एवं दूसरी खंडपीठ जयपुर में है, जो उदयपुर संभाग के दूरस्थ क्षेत्र कुशनगढ़ व अरनोद तहसील से करीब 550 कि.मी. दूर है। इतना ही नहीं ये क्षेत्र सीधी बस या रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं।

न्याय की मंशा है कि सबको सस्ता व सुलभ न्याय मिले जो इस क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा है। इसका कारण उदयपुर संभाग मुख्यालय में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का न होना है।

मैं इस अत्यंत लोक महत्व के बिन्दु की ओर माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करता हूं कि राजस्थान के जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य उदयपुर संभाग की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु आदेश प्रदान करें।

(सात) त्रिपुरा में लुमडिंग से अगरतला तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि त्रिपुरा के लोग कुमारघाट से अगरतला तक रेलवे के विस्तार हेतु साठ वर्षों से अधिक समय से आन्दोलन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी रेलवे द्वारा जोड़ दी गई है। देश के रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ने के लिए लुमडिंग से अगरतला तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन लुमडिंग से बदरपुर, बदरपुर-बैरग्राम-कुमारघाट तथा लुमडिंग सिलचर क्षेत्र में आमान परिवर्तन के कार्य की प्रगति समय से काफी पीछे है तथा उत्तर पूर्व विशेष रूप से बराक घाटी तथा त्रिपुरा के लोग इसकी धीमी प्रगति से निराश हैं। अतएव, मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि समय सीमा के अंदर आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए वह तत्काल उपाय करे।

(आठ) बिहार की 'कानू' जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, बिहार में "कानू" जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। अभी हाल में कानू विकास संघ के चतुर्थ राज्य सम्मेलन में भी यह मांग जोर-शोर से उठाई गई है। राज्य सरकार ने भी इस विषय को बिहार के दोनों सदनों से पारित कराकर केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है, किन्तु इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। राज्य में "कानू" जाति की स्थिति अत्यंत दयनीय है और आर्थिक दशा बहुत कमजोर है। पिछड़ी जाति (ओबीसी) का दर्जा मिलने के बाद भी इनका विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाया है। अत: अगर इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो कमजोर वर्ग के लोगों का आरक्षण के द्वारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी सत्र में इसको शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाये।

(नौ) कायमकुलम पावर स्टेशन का दर्जा बदलने का निर्णय वापस लिए जाने और इसका केरल को समर्पित पावर स्टेशन के रूप में पूर्व दर्जा बनाए रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): 359.58 मेगावाट की क्षमता वाला कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र केरल को समर्पित पावर स्टेशन है तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने एनटीपीसी के साथ 6.1.1995 को स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत को प्राप्त करने के लिए पीपीए किया। नाफ्था के मूल्य में वृद्धि के चलते केवल केरल राज्य द्वारा पूरा 'फिक्स्ड चार्ज' अदा करने की अव्यवहार्यता को देखते हुए, टीएनईबी तथा केएसईबी के बीच स्टेशन की 'फिक्स्ड चार्जेज' को मिलकर अदा करने की व्यवस्था की गई तथा तब से केएसईबी स्टेशन से केवल 180 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर रहा है। अब केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने दक्षिणी क्षेत्र विद्युत समिति को कायमकुलम स्टेशन को सेन्ट्रल जेनेरेटिंग स्टेशन के रूप में समर्पित विद्युत संयंत्र में परिवर्तित करके कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश को विद्युत आबंटन करने के मामले पर चर्चा करने का निदेश दिया है जो केरल को स्टेशन से विद्युत के प्रमुख अंश से वंचित कर देगा।

इससे केरल को मानसून की विफलता तथा केन्द्रीय पूल आबंटन में कमी के चलते राज्य को अनुभव किए जाने वाले विद्युत संकट को बढ़ाएगा तथा इसलिए मैं सरकार से कायमकुलम ताप विद्युत गृह के संबंध में उपर्युक्त निर्णय को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा व्यापक अपरदन रोके जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सरकार का ध्यान असम में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा व्यापक अपरदन की ओर आकृष्ट किया जाता है। ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करने तथा समेकित विकास योजना हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिए डीओएनईआर मंत्रालय के प्रस्ताव को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध मंत्रालयों, सीडब्ल्यूसी तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ मिलकर मेथमेटिकल मोडल डिजायन करने तथा सामान्य बजटीय समर्थन के अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से धनराशि जुटाने सहित मास्टर प्लान की योजना तथा कार्यान्वयन हेतु अनन्य शक्ति एवं प्राधिकार वाली एक स्वतंत्र क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसी गठित की जाए। प्रारंभ में, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर असम के धेमजी जिले में जोनाई सिविल सब डिवीजन में ब्रह्मपुत्र के लाली सियांग चैनल में व्यापक अपरदन का तुरंत केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण किया जाए क्योंकि इसने जोनाई शहर को खतरा पहुंचाने के अलावा प्रसिद्ध पोबा वन बायो-रिजर्व तथा कोबू चापोरी नदी द्वीप को खतरा पहुंचाया है। पहले से ही ओरिमघाट से मेजरबारी घाट के सोंकयोंग बिन्दु तक कोबू चापोरी तथा बेरा चापोरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवार व्यापक अपरदन से विस्थापित हो गए। नदी के दोनों किनारों पर बोल्डर स्तंभों को बेड़ा उठाने का कार्य प्रभावित मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व तत्काल किया जाना चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर जोनाई क्षेत्र में अपरदन से निपटने के अलावा डीओएनईआर मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच प्रभावी समन्वयन के साथ उपर्युक्त स्वतंत्र एजेंसी को गठित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की भी मांग करता हूं।

(ग्यारह) डीडीए और दिल्ली में विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित आवास इकाइयों के लिए ड्रा निकाले जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. सिबैस्टियन पाल (एर्णाकुलम): शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए दिल्ली हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें शहर के विभिन्न श्रेणियों के निवासियों हेतु आवास के प्रावधान के साथ इसके योजनागत विकास पर जोर दिया गया है। संप्रग का अग्रणी कार्यक्रम, 'सभी के लिए आवास' दिल्ली में आवास की कमी को दूर करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का सहकारी विभाग तथा निजी कंपनियां भी शहर की आवास आवश्यकता की सतत बढ़ती मांग को पूरा करने में जुटी हैं। 300 से अधिक सहकारी आवासीय समितियां हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है। इन सहकारी समितियों के अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त/सेवारत सहकारी कर्मचारी और मध्यम वर्ग के अन्य लोग हैं। कुछ नकली समितियां सी.बी.आई. के जांचाधीन हैं। जनवरी/फरवरी 2008 में पंजीयक, सहकारी समिति के कार्यालय ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से लाटरी निकालने हेतु 50 ऐसी अतिरिक्त समितियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे जो गत वर्ष सी.बी.आई. के जांचाधीन नहीं थीं। तथापि अब तक मात्र 18 समितियों को ही स्वीकृति दी गयी है। ऐसी समितियों, जो सी.बी.आई. के जांचाधीन नहीं है, की लाटरी एक महीने के अंदर निकलवाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के निदेश के बावजूद संबंधित विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और उच्च न्यायालय के निदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी समितियों के, जो सी.बी.आई. के जांचाधीन नहीं है, प्रस्तावों की जांच करने हेतु गठित समिति ने कभी-कभार ही बैठकें की हैं और 50 अतिरिक्त प्रस्तावों में से मात्र 15-16 प्रस्तावों को ही स्वीकृति दी है।

इसलिए मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे दिविप्रा और दिल्ली के सहकारी विभाग को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर आवासीय इकाइयों हेतु लाटरी निकालने का निदेश दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 'शून्यकाल' हेतु सूचीकृत अन्य सभी मामलों को दिन के अंत में लिया जाएगा। श्री हन्नान मोल्लाह, जब आपका नाम पुकारा गया तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मुझे खेद है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी सॉरी से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 5.00 बजे सम्पन्न होगी।

अब हम मद सं. 38 को चर्चा हेतु लेंगे और माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

अपराह्न 1.05 बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009–*जारी*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा में भाग लेने के लिए अपने सहयोगियों को धन्यवाद देती हूं।

अपराह्न 1.05¼ बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

महोदय, आज हमारे देश में शिक्षा का परिदृश्य शीर्ष चरण पर है जहां व्यापक संभावनाएं हैं परन्तु साथ ही अप्रत्याशित चुनौतियां भी हैं। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है जिसका अभिप्राय है कि हमारी यह प्रतिभा देश की प्रतिस्पर्धा, इसके विकास और मानवीय क्षमताओं में भी अवश्य प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। इसी तथ्य के दृष्टिगत किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने देश के बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हों ताकि वे हमारे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में काफी सहायक हो सके और अति महत्वपूर्ण व केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके।

जब हम उच्च शिक्षा के महत्व की बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, समानता, प्रासंगिकता और उच्च शिक्षा तक पहुंच से संबंधित चुनौतियां भी पाते हैं। उच्च शिक्षा तक पहुंच और समानता साथ-साथ चलनी चाहिए क्योंकि आज उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारा कुल नामांकन अनुपात 11 प्रतिशत है तथा किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से सतत विकास हेतु आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात 20 प्रतिशत हो किन्तु यह रातोंरात नहीं हो सकता है। इस बात पर गौर करते हुए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है ताकि हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2012 के अंत तक लगभग 15 प्रतिशत का कुल नामांकन अनुपात प्राप्त कर सकें। मेरी समझ से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब हम पहुंच की बात करते हैं तो हमें समानता की भी बात करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे समाज के वंचित (सीमांत) वर्गों के बच्चे भी गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनेक कार्यक्रम और पहल शुरू की गयी है ताकि हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समाज के इन वर्गों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए शैक्षिक रूप से पिछले प्रखण्डों को चिन्हित करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसे संस्थान वहां स्थापित किए जाएं। ये प्रखंड ऐसे प्रखंड होंगे जहां कुल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से काफी कम होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन क्षेत्रों में रह रहे बच्चों की उच्च शिक्षा तक पहुंच संभव हो सके।

इसी प्रकार, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अग्रणी कार्यक्रम आईसीटी के माध्यम से शिक्षा है जिसमें हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकती है। इसी तरह अनेक पहल की गयी हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हाशिए पर स्थित इन वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं में से एक संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। एनसीएमपी के अंतर्गत किए गए इस वायदे को पूरा करते हुए संसद के अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अथवा एनसीएमईआई की स्थापना की गयी। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को संस्थाएं स्थापित करने व उन्हें चलाने और अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों से संबद्धता हासिल करने तथा इन संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगने के समय उत्पन्न विवाद का निपटारा किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसलिए, एन.सी.एम.ई.आई. अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 30(झ) का पहली बार प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन होगा। जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गईं कि हम बार-बार क्यों संशोधन लेकर संसद में आ रहे हैं। यह कानून विकास चरण में हैं।

सभापति महोदय: विगत में एक संशोधन लाया गया था।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं यह स्पष्ट कर रही हूं कि हम क्यों सभा में संशोधन लेकर आ रहे हैं। यह कानून विकास चरण में हैं। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कानून की कतिपय धाराओं के कार्यान्वयन में कतिपय व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हुई

थीं और इसलिए जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया हम सभा की सहमति के लिए संशोधन लेकर सभा में आए हैं।

महोदय, जब हमारे साथियों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया, उस समय श्री रावत द्वारा व्यक्त की गई मुख्य चिंता थी कि "राज्यों के परामर्श से" वाक्यांश को हटा दिया जाए क्योंकि यह महसूस किया गया कि इससे संघीय भावना क्षीण हो सकती है और संस्थाओं के पूर्ववृत्त की जांच करने के राज्यों के अधिकारों को दुर्बल कर सकती है, जो कि काफी संभव है कि देश की सुरक्षा को क्षति पहुंचा सकती है। धारा 12(ख) के अंतर्गत उपबंधित अपील में यह कहा गया है कि अगर इसका निर्णय राज्य की सहमति से किया जाना है, तो यह प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगी। यह वस्तुत: अपकृत पक्ष के लिए सृजित किए गए अपील के वास्तविक अधिकार को वापस ले लेगी, जिसके परिणामस्वरूप अपील मामले के गुण-दोष पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि यह प्रतिवादी की सहमति पर निर्भर करेगा और स्पष्ट रूप से इसके परिणामस्वरूप अपकृत के प्रति घोर अन्याय होगा। यह सुस्थापित है कि जहां कहीं भी आयोग, राज्य अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास अपील दायर की जाती है, वैसे मामलों में किसी सांविधिक अपील का निपटान अथवा निर्णय विरोधी पक्ष की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है तथा दोनों पक्षों को सुना जाएगा और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होगा। यही वजह है कि "राज्यों के परामर्श से" वाक्यांश का लोप कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि सभा के माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आप यह कारण बता रही हैं, लेकिन क्या आप कोई उदाहरण दें सकती हैं कि किस राज्य ने इस पर आपत्ति की थी? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मुझे इसका उत्तर देने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिनियम की इस धारा के बारे में कई सुझाव एवं सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और ये चिंताएं सभी पक्षों के विभिन्न पणधारकों द्वारा व्यक्त की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो भी सुझाव एवं सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, उन्हें आयोग को भेज दिया गया तथा आयोग ने सभी सुझावों की संवीक्षा करने तथा सभी पक्षों के पणधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह सिफारिश की है कि इस प्रकार का संशोधन लाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे माननीय सदस्य की चिंता का उत्तर मिल जाएगा।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों का यह भी मानना है कि अगर राज्यों द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दिया जाता है, तो संभवत: शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। तथापि, प्रस्तावित संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां कहीं भी अपेक्षित हो, एन.ओ.सी. उस समय के कानून के अध्यधीन जारी किया जाएगा तथा इसे राज्य की कार्यपालिका के विवेकाधीन नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यहां ए.आई.सी.टी.ई. तथा यू.जी.सी. तथा ऐसी कई अन्य संस्थाएं हैं जो वास्तव में गुणवत्ता पक्ष की जांच करती हैं। अत:, माननीय सदस्य इस संबंध में आश्वस्त रह सकते हैं कि गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

महोदय, मेरे साथी श्री ओवेसी ने एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह चिंता जाहिर की थी कि आयोग के समक्ष लंबित मामलों का निपटान काफी धीमी गति से हो रहा है। इसी कारण हम इस संशोधन के लिए सभा की अनुमति चाहते हैं ताकि आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के अतिरिक्त बढ़ाकर दो से तीन कर दी जाए।

उन्होंने अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक को राज्य स्तर पर किसी विशेष समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर दी गई थी। तथापि, यह मुद्दा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित है तथा मैं आश्वस्त हूं कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय इसे परिभाषित करने के लिए सक्षम है।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मैं हमारे माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान कर सकी हूं और मैं सभा का अनुग्रह चाहती हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[सभापति महोदय]

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.18 बजे

राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं प्रस्ताव करता हूं*:

"कि बराक नदी के लखीपुर-भंगा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी के उक्त खंड का विनियमन और विकास करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का भी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**आपकी अनुमति से, मैं विधेयक नामत: 'राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड), विधेयक 2007 पर अपने विचार रखना चाहता हूं तथा इसे आपके द्वारा विचार करने तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। भारत में चिरकाल से अंतर्देशीय जल यातायात एक सस्ता और मितव्ययी यातायात का साधन रहा है। परिवहन के द्रुतगामी साधनों जैसे रेल, सड़क और वायु के आने से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन उपेक्षित हो गया। तथापि, कुछ क्षेत्रों में जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को प्राकृतिक लाभ प्राप्त है, वहां यह परिवहन के अन्य साधनों से अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रहा है।

आज, संपूर्ण विश्व इस बात से भलीभांति परिचित है कि तटीय भागों वाले स्थानों के बीच बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिये यह सबसे सस्ते माध्यम है और इसके अपने लाभ हैं। ऊर्जा खपत में कमी, प्रदूषण में कमी तथा अपनी रोजगार सृजन क्षमता के चलते इसे संपूर्ण विश्व में स्वीकारा जाता है।

सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को देश की परिवहन व्यवस्था में उचित स्थान दिलाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर विचार कर रही है।

अंतरदेशीय जल परिवहन विषय का भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सभी तीनों सूचियों में उल्लेख है। तथापि, संघ की भूमिका संसद द्वारा यथाघोषित राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और जहाजरानी को विनियमित करने तक ही सीमित है। वे जलमार्ग जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है उनके अलावा अन्य सभी जलमार्गों के विकास और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व और कार्यकारी प्राधिकार, राज्य सरकार का है।

हमारे देश में अंतरदेशीय जल यातायात के विकास की धीमी गति को देखते हुए सरकार द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया था जिन्होंने महत्वपूर्ण अंतरदेशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है। इस सम्माननीय सभा ने पहले ही पांच अधिनियम अधिनियमित किए हैं तथा निम्नलिखित अंतरदेशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है:-

* गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र के इलाहाबाद-हल्दिया मार्ग (1620 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 के रूप में;
* ब्रह्मपुत्र नदी के सादिया-धुबरी मार्ग (891 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 के रूप में;
* चम्पाकारा तथा उद्योगमंडल नहर (205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर के कोट्टापुरम-कोल्लम भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के रूप में;
* काकीनाडा-पुडुचेरी नहर के भाग तथा गोदावरी नदी के कालुवेली टैंक, भद्राचलम-राजमुंदरी भाग और कृष्णा नदी (1095 कि.मी.) के वजीराबाद-विजयवाड़ा भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 4 के रूप में; और
* नदियों के तलचर-धमरा भाग पूर्वी तटीय नहर के ग्योनखली-चारबतिया भाग, मताई नदी तथा महानदी डेल्टा (623 कि.मी.) के चारबतिया-धमरा भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 5 के रूप में।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

भारत सरकार ने पोत परिवहन और जहाजरानी के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा विनियमन के लिए वर्ष 1986 में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया था। पहले तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन उन्हें पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए किया जा रहा है। प्राधिकरण शेष दो राष्ट्रीय जलमार्गों पर भी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने जा रहा है जिन्हें नवम्बर, 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अधिकांश राज्य सरकारों के पास अपने जलमार्गों को पोत परिवहन और नौवहन के लिए विकसित करने हेतु संसाधन नहीं हैं जिसके कारण राष्ट्रीय जलमार्गों को छोड़कर अधिकतर जलमार्ग उपेक्षित रहे हैं और नौवहन के लिए इनका उपयोग नहीं किया गया है।

अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन का कुल परिवहन में एक प्रतिशत से कम हिस्सा होने के कारण देश के समग्र हित में परिवहन के इस साधन को बढ़ावा देना अपरिहार्य हो गया है। इस उद्देश्य के लिए और अधिक अंतरदेशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना आवश्यक समझा गया है।

इससे पहले कि किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु विचार किया जाए, इस प्रकार के जलमार्गों के जलशक्ति सर्वेक्षण तथा यातायात अध्ययन के साथ-साथ तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया जाना अनिवार्य है ताकि उनके विकास के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक कार्य तथा वित्तीय दायित्व का पता लगाया जा सके।

इस प्रकार के अध्ययन तथा अंतरदेशीय जल यातायात में सुधार की संभावना के आधार पर देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए बराक नदी (121 कि.मी.) के लखीपुर-भंगा भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि आवश्यक अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी संरचना के साथ इस जलमार्ग का विकास करना अनिवार्य है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के दक्षिण भाग को देश के शेष हिस्सों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके जैसा कि बांग्लादेश में बराक नदी के जरिए हल्दिया तथा कोलकाता पत्तन जलमार्ग भारत-बांग्लादेश नयाचार का एक भाग पहले ही बना दिया गया है।

मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि इस जलमार्ग की घोषणा करने के लिए विधेयक इस सम्माननीय सभा में 29 अगस्त, 2007 को पुर:स्थापित किया गया था। तदुपरान्त इसे जांच एवं रिपोर्ट के लिए परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 130वीं रिपोर्ट 4 मार्च 2008 को विधिवत रूप से यह सिफारिश करते हुए सौंप दी थी कि इस विधेयक को औपचारिक संशोधनों तथा इसके साथ अनुबंधित अद्यतन वित्तीय ज्ञापन के साथ पारित किया जाए। तब से इसके साथ संशोधित वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी के लखीपुर भंगा खण्ड) विधेयक 2007 पर विचार किया जाए।**

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि बराक नदी के लखीपुर-भंगा खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी के उक्त खंड का विनियमन और विकास करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का भी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): महोदय, मैं राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी के लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक 2007 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, बराक घाटी के लोगों की यह लम्बे समय से मांग रही है कि घाटी में जल परिवहन व्यवस्था स्थापित की जाए जैसा कि पहले हुआ करती थी। हमारे यहां कोलकाता-करीमगंज-भंगा-बदरपुर-लखीपुर तक जल परिवहन प्रणाली थी तथा पिछले कई वर्षों से इसे बन्द कर दिया गया है। अब बराक घाटी के भारतीय क्षेत्र में अर्थात् लखीपुर से भंगा तक राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा का एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इस घोषणा के बाद इस खण्ड पर सुरक्षित एवं सतत नौवहन के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इस जल परिवहन के अपने ही लाभ हैं क्योंकि इस पर लागत कम होगी एवं ऊर्जा बचेगी तथा पर्यावरण हितैषी होगा। इससे बड़ी संख्या में गरीब लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

इस खण्ड का विकास भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इससे कोलकाता से करीमगंज के विद्यमान मार्ग से करीमगंज कोलकाता से जुड़ जाएगा। अत: इस मार्ग के विकसित हो जाने के बाद हम कोलकाता से जुड़ जाएंगे तथा बराक नदी जिसका उद्गम मणिपुर में होता है पर लखीपुर से बराक घाटी के जरिए कोलकाता तक रूप हमारे माल का परिवहन कर सकेंगे जहां से हमें म्यांमार का समुद्री लिंक मिल जाएगा।

[श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य]

अतः, हम आशा करते हैं कि किसी दिन इस जलमार्ग के जरिए हम जलमार्ग से म्यांमार से जुड़ जाएंगे। यदि हम इसका विकास कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य की भी संभावनाएं होंगी। मिजोरम, बराक घाटी तथा त्रिपुरा समृद्ध होंगे तथा इस क्षेत्र का विकास होगा। इस जल परिवहन की स्थापना के बाद मशीन वाली नावें इस नदी में चलायी जा सकेंगी। नाव की आवाजाही के कारण नदी में गाद नहीं जमेगी। नावों की आवाजाही नहीं होने के कारण नदियों की गहराई एवं चौड़ाई कम हो गई थी जिससे नदियों के पानी ले जाने की क्षमता में कमी हो गई थी। जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र एवं पड़ोसी राज्यों में विनाशकारी बाढ़ आई। अतः, इस मार्ग के शुरू हो जाने के बाद बाढ़ की समस्या भी कम होगी एवं कम से कम इसकी तीव्रता में तो कमी जरूर होगी। अतः, मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक घाटी तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम के विकास में मददगार होगा।

हमारे यहां बहुत ही शानदार जल प्रणाली है- यह मैं पहले ही बता चुका हूं- कोलकाता से करीमगंज से बदरपुर से सिल्चर। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद करीमगंज से इस खण्ड का विकास जिसकी मांग लम्बे समय से चल रही थी, कब तक शुरू हो जाएगा। यद्यपि यह मार्ग विद्यमान है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। कम व्यस्त समय में इसमें स्टीमर नहीं चल सकता है। अतः नदी की गहराई के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वस्तुतः इससे बहुत मदद मिलेगी।

मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि इससे हमारे लोगों की ऐसी मांग पूरी होगी जिनकी उन्होंने मांग नहीं की थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, यह एक अच्छा विधेयक है, और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक की मंशा बराक नदी के लखीपुर-भंगा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के साथ-साथ उक्त जलमार्ग में पोत परिवहन तथा नौवहन के प्रयोजनार्थ इस नदी के उक्त खंड एवं इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन और विकास करना है।

यह अंतर्देशीय जल परिवहन, जोकि पिछले कई वर्षों से परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में पिछड़ रहा है, अब अंतर्देशीय कार्गो संचलन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा और इस जलमार्ग का उपयोग नौवहन एवं पोत परिवहन के लिए किया जाएगा। विगत में इस जलमार्ग के कारण भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया हुआ था। आज वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था के युग में जलमार्ग व्यावसायिक दृष्टि से परिवहन का सबसे सस्ता साधन है।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में कुछेक बातों को लाना चाहता हूं। यह मार्ग मूल मार्ग नहीं है। विदेश मंत्रालय की आपत्ति के कारण बराक नदी के लखीपुर-भंगा खंड में छठे राष्ट्रीय जलमार्ग की बाह्य सीमा को भंगा तक ही सीमित कर दिया गया। मूल प्रस्ताव में यह सीमा करीमगंज और लाफासिल सीमा जोकि भारत और बांग्लादेश की सीमा है तक थी।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2009 पर गौर करते हुए यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जाए।

यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हो सकता था। यह सुझाव इस विधेयक पर विचार करने वाली स्थायी समिति ने दिया था। चूंकि यह जलमार्ग भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है इसलिए उन्हें इस संबंध में बांग्लादेश से चर्चा करके इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बनाना चाहिए था।

महोदय, यह मार्ग भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल मार्गों से होकर गुजरेगा। स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताओं से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की भी आवश्यकता है कि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सुरक्षा बंदोबस्तों को बढ़ाने के मामले को भी उठाना चाहिए क्योंकि यह मार्ग बांग्लादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर गुजरेगा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक बंदोबस्त करें। सरकार को सुंदरबन प्रोटोकाल मार्गों में सुरक्षा बंदोबस्त करने चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस परियोजना पर कार्य आरंभ करने से पहले ऐसा किया है।

अवैध अप्रवासियों और अवैध वस्तुओं तथा अनधिकृत वस्तुओं के परिवहन पर सभी नावों पर निगरानी रखने का कार्य सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि यह मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सभी नावों पर आवश्यक सुरक्षोपाय कर लिए हैं क्योंकि अप्राधिकृत माल और प्रवासी इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, सर्वप्रथम मैं, असम में लखीपुर-भंगा के बीच स्थापित होने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग पर चर्चा में भाग लेने के लिए दोनों माननीय सदस्यों-श्री बृज किशोर त्रिपाठी और श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा जैसाकि सबने कहा कि यह परिवहन का सस्ता साधन है, इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है और परिवहन का यह साधन पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। इसलिए, जहां कहीं भी संभव हो और आवश्यक हो जलमार्गों को बढ़ावा देना चाहिए और इनका विकास किया जाना चाहिए। इस जलमार्ग की लम्बाई 121 किलोमीटर है और इसकी लागत लगभग 91.5 करोड़ रुपए है। फेयरवे विकास और नौवहन उपकरणों की लागत लगभग 55.5 करोड़ रुपए है और 34.5 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनलों का विकास किया जाएगा तथा 1.5 करोड़ रुपए का प्रशासनिक व्यय किया जाएगा। महोदय, तीन वर्षों के अंदर पूरा विकास कर दिया जाएगा। हमारा अनुमान है कि प्रथम वर्ष के दौरान 6.34 लाख टन माल की ढुलाई होगी, पांचवें वर्ष के दौरान यह लगभग 8.62 लाख टन हो जाएगी और दसवें वर्ष के दौरान यह लगभग 10.53 लाख टन हो जाएगी। इसमें मुख्यत: कोयला, चाय, खाद्यान्न, बांस, कागज, इमारती लकड़ी, चीनी, सीमेन्ट, खाद्य तेल, दालों, पेट्रोलियम तेल एवं स्नेहकों की ढुलाई की जाएगी।

इन सामग्रियों की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स अपने लाभ को बढ़ाने के लिए इस जलमार्ग के विकास के अवसर का फायदा उठाएंगे।

महोदय, जैसाकि आपको ज्ञात है कि पूर्व में अनेक जलमार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। जहां तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का संबंध है तो इसने 25 नवम्बर, 2008 को जलमार्ग संख्या 4 और 5 की घोषणा की है। वर्ष 2007 में संसद में अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक नयी योजना शुरू की गयी है। वर्ष 2010 तक 961.64 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 को पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए संशोधित कार्य योजना तैयार की गई है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर 10.32 करोड़ रु. की लागत से बने सात टर्मिनलों का प्रचालन शुरू हो गया है। कंटेनरों का संचालन करने में सक्षम कम ऊंचाई वाला जेट्टी का पटना में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर निर्माण किया गया और चालू परियोजना के तहत एक अधिक ऊंचाई वाले जेट्टी का निर्माण कार्य जारी है। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पांडू (गुवाहाटी) में कम ऊंचाई वाले जेट्टी का निर्माण पूरा हो चुका है और एक अधिक ऊंचाई वाला जेट्टी निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर लगभग 364 कि.मी., राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर 460 कि.मी. और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर 205 कि.मी. के दायरे में रात्रि नौपरिवहन सुविधा प्रणाली स्थापित की गई। तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों पर चौबीस घंटे की अत्याधुनिक नौपरिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की परियोजना स्वीकृत और कार्यान्वित की गई। 6 संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर गाद निकालने के कार्य के लिए 6 कटर सक्शन ड्रेजरों, काम में आने वाली 6 नौकाओं और 6 आश्रय सुविधा वाली नौकाओं की खरीद की गई और इनकी स्वीकृति दी गई तथा इनके निर्माण के आदेश दिए गए। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के लिए दो कटर सक्शन ड्रेजरों और 2 कार्यशील नौकाओं का निर्माण जारी है और इस संबंध में कार्य चल रहा है। इस प्रकार, मेरे विचार से ये विकासात्मक कार्यकलाप हैं, जो संयुक्त प्रगदिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल के दौरान हुए हैं।

अब मैं, उन कुछेक मुद्दों पर आता हूं, जिनका हमारे माननीय मित्रों ने उल्लेख किया है। श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य ने कलादन नदी के जरिए म्यांमार के साथ संपर्क की बात कही है। वे कलादन नदी के माध्यम से म्यांमार के साथ संपर्क के बारे में चिंतित हैं। इसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पांच वर्षों के भीतर तैयार हो जाएगा। फिर, वे ड्रेजिंग के बारे में चिंतित है। ड्रेजिंग 55 करोड़ रु. की लागत से होने वाले फेयरवे विकास में ही सम्मिलित है।

श्री त्रिपाठी ने कुछ बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय जलमार्गों और संपर्क की बात कही है। नया राष्ट्रीय जलमार्ग बांग्लादेश के माध्यम से कोलकाता और हल्दिया से संपर्क उपलब्ध कराता है, जिसके लिए नयाचार पहले ही मौजूद है। सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पहले से ही सतर्कता बरत रही है। इस समय सुरक्षा के बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। सीमाशुल्क चौकी पहले से ही मौजूद है। अत:, ये कुछ बाते हैं, जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बराक नदी के लखीपुर-भंगा खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी के उक्त खंड का विनियमन और विकास करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का भी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2007" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,.....

"अट्ठावनवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.36 बजे

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 40 और 41 पर एक साथ विचार करेगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

"कि यह सभा 10 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन), अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 1968 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसे 1983 में एक संशोधन द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र बल घोषित किया था। आरंभ में इसका कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित था। लेकिन 1999 में अधिनियम में संशोधन द्वारा इसे केन्द्र सरकार किसी भी अन्य ड्यूटी के लिए तैनात कर सकती है। इस संशोधन के द्वारा बलों को निजी क्षेत्र के औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिकांश हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और अंतरिक्ष अधिष्ठापनों, प्रमुख समुद्री पत्तनों, ताप और जल विद्युत परियोजनाओं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिष्ठापनों, उद्योगों जिनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाली खानें शामिल हैं, दिल्ली मेट्रो तथा महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसे आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव से संबंधित ड्यूटी पर भी तैनात किया जाता है।

इस समय अधिनियम में सी.आई.एस.एफ. को निजी क्षेत्र के उद्योगों में तैनात किए जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार को निजी और संयुक्त क्षेत्र से यह मांग आ रही है कि लागत प्रतिपूर्ति आधार पर उनकी स्थापनाओं को भी इस बल का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए। अत: इस अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार धारा 3 और 14 में संशोधन किया जा रहा है। पूर्णत: प्रशासनिक प्रकृति के कुछ अन्य संशोधन भी हैं।

वर्तमान में सी.आई.एस.एफ. नेपाल में हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावास में तैनात है और इसकी एक टुकड़ी को हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के रूप में भी प्रतिनियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 15 में भी समुचित संशोधन का प्रस्ताव है ताकि इस बल की तैनाती भारत के बाहर भी की जा सके।

माननीय सदस्य प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प में इस तथ्य पर आपत्ति की गई है कि हम यह अध्यादेश उस समय लाए थे जब यह विधेयक राज्य-सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह अध्यादेश जरूरी था। मैंने यह उम्मीद की थी कि यह विधेयक पिछले सत्र में ही पारित कर दिया जाएगा। वस्तुत: मैंने यह निवेदन किया था कि विधेयक पर विचार किया जाए। हालांकि समयाभाव के कारण विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। बाद में इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। इसी बीच हमें यह लगा कि यदि हम सी.आई.एस.एफ. की यह शक्ति नहीं लेते हैं तो यह असुरक्षा की बात होगी। मुंबई आतंकी हमले के बाद प्रत्येक काम अत्यावश्यकता के आधार पर करना पड़ा है। अत: हमने अध्यादेश

प्रख्यापित कर दिया। संसद की अनदेखी करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए मैं संसद के समक्ष उपस्थित हुआ हूं।

अपराह्न 1.39 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यादेश को प्रख्यापित करने का कारण हमने स्थायी समिति को बता दिया था। इसलिए उन्होंने कुछ सिफारिशों के साथ विधेयक का अनुमोदन कर दिया है परंतु उन्होंने कोई संशोधन नहीं सुझाया है। पर अब हमने आधिकारिक संशोधन कर दिया है। अत:, मेरा इस सभा से अनुरोध है कि इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में इस सभा द्वारा भी पारित किया जाए। मैं प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तावित संकल्प की भावना का सम्मान करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसके लिए दबाव न डालें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 10 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने सीआईएसएफ के कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से तथा उसके संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करके सदन को जानकारी दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विधेयक का उद्देश्य अच्छा है और जिस उद्देश्य को लेकर आये हैं, वह भी अच्छा है लेकिन अध्यादेश को जारी करने का क्रम लोक सभा के अंतिम दिनों में बढ़ता चला जा रहा है। जब मुम्बई में हमला हुआ, उस समय इसकी आवश्यकता थी। लोक सभा का एक छोटा सत्र भी उसी दौरान हो चुका है। राज्य सभा में यह बिल पारित हो चुका है, उसी समय लोक सभा में लाकर भी पारित कराया जा सकता था लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई। सुरक्षा के प्रति जितनी सावधानी बरतनी चाहिये थी, शायद उतनी नहीं बरती गई या कहीं न कहीं कोई समस्या उनके

[प्रो. रासा सिंह रावत]

सामने उपस्थित हुई होगी। परिणामस्वरूप दिसम्बर में जो लघु सत्र हुआ, उसमें यह विधेयक लाया जा सकता था। फरवरी में यह सत्र आने वाला था लेकिन जनवरी के महीने में यह अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश लाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। हमारा प्रजातांत्रिक देश है जो दुनिया में सब से बड़ा है, इसमें नियमों का पालन होना जरूरी था। इस विधेयक को सदन के अंदर लाया जा सकता था और सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श और बहस के बाद इसे पारित किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे मंत्री जी ने जो बात कही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह राज्य सभा में पारित नहीं करा पाये, इसलिये अब लेकर आये हैं। वैसे विधेयक की भावना अच्छी है।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब इमरजैंसी हो अथवा कोई संकट उपस्थित हुआ हो या अपरिहार्य परिस्थितियां पैदा हो गई हों। भारत के संविधान में उन्हीं विशेष परिस्थितियों में महामहिम राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 123 खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। परन्तु, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आशा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। खैर, अभी तो चुनाव होने वाले हैं। पूर्ववर्ती सरकार जैसी आदत अध्यादेश जारी करने की न पनपे और जो भी सरकार आये, वह निरंकुश न बन पाये, संसद को सर्वोपरि माने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, हमें अर्द्ध सैन्य बलों पर गर्व है। हमें सेना के तीनों अंगों पर गर्व है। अर्द्ध सैन्य बलों-चाहे वह सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे, असम राइफल्स हो, चाहे आरएएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, इन सब पर हमें गर्व है। इन अर्द्ध-सैन्य बलों को देश में जहां भी तैनात किया गया है- चाहे सीमा पर हो, चाहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हो - इन सैन्य बलों ने बढ़-चढ़कर पूरी मुस्तैदी के साथ, सावधानी और सतर्कता के साथ, अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। मैं सदन के मांध्यम से इन अर्द्ध सैन्य बलों को बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने बताया कि सीआईएसएफ 1968 में गठित किया गया था। उस समय प्राईवेट सैक्टर की औद्योगिक इकाईयों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिये इन्हें उपबंधित किया गया था। उसके बाद 1983 में इसे सशस्त्र बल घोषित किया गया। 1996 में विधेयक में संशोधन करके इन सैन्य बलों को अन्य कर्त्तव्य सौंपे गये। प्राईवेट सैक्टर में सलाह-मशविरा करने का काम इन्हें सौंपा गया और बीच में एअरपोर्ट की सुरक्षा का काम भी सीआईएसएफ को सौंपा गया। इन्हें अलग-अलग तरह के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये शक्तियां प्रदान करने का काम किया गया। संसद के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है और इनका रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है।

उनके अब तक जितने भी काम करने वाले अधिकारी पूर्व में थे और अब हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं। इसके सम्मान में हमेशा वृद्धि होती रही है। महोदय, पिछले कुछ समय से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। आतंकवादी कब कहां पर आक्रमण कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली जुलाई में जब बंगलौर में विज्ञान संस्थान में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट हुआ, वह सिमी की करतूत थी या हूजी की करतूत थी। कहीं सिमी कहीं हूजी और कहीं लश्कर-ए-तोइबा या कहीं विदेशी कैंपों में प्रशिक्षण प्राप्त या पड़ोसी देशों से आने वाले आतंकवादी देश में कहीं पर भी, चाहे वह सरकारी उपक्रम हो या प्राइवेट उपक्रम हो, हमला करके संकट उत्पन्न कर देते थे। अभी बंबई में ताज होटल और ओबराय होटल के ऊपर हमला हुआ। उस समय यह अनुभव किया गया कि वहां प्राइवेट सिक्योरिटी के जो लोग थे, वे न तो इतने प्रशिक्षित थे, न उनके पास कोई हथियार थे और न उन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग ली हुई थी कि वे इन आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। उस समय प्राइवेट सैक्टर्स और ज्वाइंट सैक्टर्स ने प्रार्थना की कि हमें भी सीआईएसएफ की सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाए और हमें भी उसकी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं।

महोदय, सीआईएसएफ के कार्य को विस्तारित करने के लिए और आतंकवाद से हमारे प्राइवेट सैक्टर्स और ज्वाइंट सैक्टर्स की सारी इंडस्ट्रीज आदि को, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आने वाली लागत का पैसा देकर भुगतान करेंगे। आप बाद में नियम बनाकर लागत का फार्मूला तय करेंगे। मैं चाहता हूं कि सीआईएसएफ के साथ ऐसा न हो, जैसे पहले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय विद्यालय खोले गये थे और कहा गया कि वे सार्वजनिक प्रतिष्ठान ही केंद्रीय विद्यालयों का खर्चा उठाएं। सार्वजनिक प्रतिष्ठान घाटे में चलने लगे, तो केन्द्रीय विद्यालय भी बंद हो गये। कहीं ऐसा न हो और यह न कह दिया जाए कि सीआईएसएफ के वेतन और भत्ते वही प्राइवेट सेक्टर वाले दें और उनको वेतन समय पर न मिले। यह सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार भले ही प्राइवेट सैक्टर्स में उनकी सेवाएं दें। सरकार प्राइवेट सैक्टर्स, ज्वाइंट सैक्टर्स और प्राइवेट संस्थानों से पैसा वसूल करे, लेकिन सरकार का यह प्राथमिक दायित्व हो कि वह सीआईएसएफ और अन्य अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों और जवानों को समय पर वेतन का भुगतान करें। वे जहां पर भी कार्य कर रहे हैं उनको वहीं पर आवास की सुविधा उपलब्ध हो। अगर उनके बच्चे उनके पास कैंपों में रहते हैं तो उनकी शिक्षा की भी

व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम उन्हें संस्थानों को सौंप दें और उनके हितों की तरफ ध्यान न दें। इससे असंतोष पैदा होता है। मैं यह समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत मुस्तैद हैं और वे इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे।

महोदय मैं एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस अधिनियम में कुछ शब्दों में परिवर्तन है और कुछ नये शब्दों में इसे पब्लिक सेक्टर के साथ जोड़ने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कन्क्लूड कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: विदेशों में दूतावासों के अंदर और संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए भी इनकी सेवाएं दी जा सकेंगी। इसका इसमें उल्लेख भी किया गया है।

महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। आपने घंटी बजा दी है, लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैंने डिसअप्रूवल का भी नोटिस दिया है और मैं ही पार्टी की तरफ से बोलने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने काफी समय ले लिया है। आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। श्री शाहनवाज हुसैन जी भी हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं इस संबंध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि सीआईएसएफ को कहीं पर भी अंगरक्षकों यानी बाडीगार्ड्स में अथवा निजी सुरक्षा गार्ड में न लगायें। सीआईएसएफ को, जिन उद्देश्य के लिए, जैसे सार्वजनिक उद्यमों के साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर्स या ज्वाइंट सैक्टर्स को सौंपा जाए तो उसे वहां किसी भी तरह पर्सनल गार्ड या किसी की पर्सनल ड्यूटी में और घरों के अंदर न लगाया जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।

महोदय, छठे वेतन आयोग के लागू होने पर सारे देश में वाहवाही हुई। सारे केन्द्रीय अधिकारी, कर्मचारी और सिविल सर्विसिज राजी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सेना के अंदर असंतोष फैला। फिर आपने कमेटी बनायी, मंत्रिमंडलीय समूह बैठा और फिर से कुछ सिफारिशें लाए। अर्द्धसैन्य बलों में कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। मैं चाहूंगा कि उनके वेतनमान आदि का भी छठे वेतन आयोग में ध्यान रखा जाए।

हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों के जवान या अधिकारी जिन कठिन परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, उनके वेतनमानों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. इस बिल का जवाब देते समय मंत्री जी अवश्य इस पर प्रकाश डालें। इनके लिए आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आजकल आतंकवादियों के पास नवीनतम हथियार और तकनीकें हैं। उनके पास कम्यूनिकेशन के सारे यंत्र हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सीआईएसएफ के पास पुराने परंपरागत हथियार ही न हों, अपितु नए और आधुनिक टेक्नोलाजी के, आज की आवश्यकता और परिवेश के अनुरूप हथियार हों ताकि वे मुस्तैदी से आतंकियों का पता लगा सकें। उनका तालमेल भी अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों और गुप्तचर विभाग से होना चाहिए ताकि कोई संकट आए तो उससे पहले ही वे उसका मुकाबला कर सकें।

सबसे पहले जामनगर रिफाइनरी वालों का रिलायंस का प्रपोजल आपके पास आया था। उसके बाद इनफोसिस का आया। उसके बाद मुम्बई में टाटा और ओबरॉय के प्रपोजल्स भी आपके सामने आए हैं। निश्चित रूप से इसके कार्यक्षेत्र में और विस्तार होगा। इनकी भर्ती भी बढ़ाई जाए। सीआईएसएफ की बटालियनों की नफरी कम है। उसमें सब राज्यों के जवानों को लिया जाए जो पढ़े-लिखे हों, शारीरिक दृष्टि से सक्षम तथा योग्यता को पूरा करने वाले हों। ऐसे जवानों को सभी राज्यों से भर्ती किया जाना चाहिए और इनकी नफरी बढ़ाई जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बाजू बन रियान से बोलने का निवेदन करूंगा। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वस्तुत: गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा इस विधेयक की गहन जांच की गई थी और इस स्थायी समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों का स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने भी दिया था। महोदय, गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया गया है। संभवत: यह इस विधेयक का प्रारूप गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कराने से पहले ही तैयार कर लिया गया था। मुझे आशा है कि भविष्य में सरकार इस स्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए गए मतों और सुझावों पर विचार करेगी।

[श्री बाजू बन रियान]

महोदय, वर्ष 1964 में एचईसी में एक अग्निकांड हुआ था और बाद में यह पता लगा कि यह आग कुछ बदमाशों या अन्य लोगों द्वारा लगायी गयी थी। इसी दौरान, वर्ष 1966 में सरकार ने यह महसूस किया कि देश में इस प्रकार की तोड़फोड़ करने वाली शक्तियों से लड़ने और देश में इस प्रकार का आतंक फैलाने वालों से लड़ने के लिए इस प्रकार का बल बनाया जाना चाहिए। वर्ष 1968 में पहली बार इस बल का गठन किया गया। इसके बाद के वर्षों में के.औ.सु.ब. अधिनियम में कई बार संशोधन हुए। नवीनतम संशोधन इसी वर्ष किया जा रहा है और माननीय मंत्री ने के.ओ.सु.ब. को तैनात किए जाने वाले स्थानों में विस्तार करने का प्रस्ताव किया है जो कि पहले केवल सरकारी संस्थापनाओं और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों तक ही सीमित था। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार उन्हें निजी क्षेत्रों के साथ आवश्यक होने पर या आवश्यकता पड़ने पर देश से बाहर भी तैयार कर सकती है।

निस्संदेह प्रस्तावित संशोधन में यह एक नयी विशेषता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था। उस हमले के बाद से सरकार ने यह महसूस किया कि के.औ.सु.ब. को गैर-सरकारी संगठनों में भी तैनात किया जाना चाहिए। उस समय आतंकवादियों का मुख्य निशाना ताज होटल, होटल उद्योग ही था। वहां काफी सारे लोग हताहत हुए। कुछ विदेशियों को भी अपना अमूल्य जीवन गवांना पड़ा। कुछ सुरक्षा कर्मियों जिन्होंने इस जघन्य आतंकी हमलों को रोकने का प्रयास किया था, को भी अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। उस घटना के बाद सरकार ने आतंकी हमलों से निपटने के लिए संसद में एक कानून पारित किया।

अब, पुनः सरकार ने 1968 के इस पूर्ववर्ती कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। उसमें कई संशोधन किए जाने हैं। मैं संशोधन करने के प्रस्ताव से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाजू बन रियान: महोदय, मैंने अभी प्रारंभ किया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इतना स्लो बोल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान: तब, मैं क्या करूं?

महोदय, यदि आप कहते हैं कि सभा के पास समय नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री बाजू बन रियान: नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री बाजू बन रियान: महोदय, चूंकि सभा के पास समय नहीं है अतः मैं बैठ रहा हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र प्रो. रासा सिंह रावत पहले ही विस्तार से बता चुके हैं कि अब सरकार की यह प्रवृत्ति बन गयी है कि वह अध्यादेश के माध्यम से विधान बना रही है। यह अच्छा संसदीय व्यवहार नहीं है। हालांकि इस बात की कोई तात्कालिकता भी नहीं थी क्योंकि हाल ही में संसद का सत्र बुलाया गया था। ऐसे में अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

महोदय, इस विधेयक का आशय निजी क्षेत्र में के.औ.सु.ब. की तैनाती कर उसे सुरक्षा प्रदान करना है। हमें के.औ.सु.ब. द्वारा दिए गए योगदान पर गर्व है। बंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले और हाल ही में मुम्बई में हुए आतंकी हमलों आदि के बाद बढ़े अत्यधिक खतरे से के.औ.सु.ब. अधिनियम 1968 में कुछ समर्थक उपबंध शामिल करने की जरूरत महसूस की गयी है।

हमें ज्ञात हुआ कि के.औ.सु.ब. पर कार्यभार बढ़ता ही जा रहा है। अतएव, मैं माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि के.औ.सु.ब. की संख्या तथा सामान्य रूप से सभी और विशेषकर प्रभावित संवर्गों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाए। हमें ज्ञात हुआ है कि कई संवर्गों में के.औ.सु.ब. कर्मी खुश नहीं हैं और वे अपने पदोन्नति अवसरों में गतिहीनता के कारण अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अतएव, मैं माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें कि के.औ.सु.ब. के ऐसे संवर्गों को समय से यथोचित पदोन्नति दी जाए।

महोदय, सरकार निजी क्षेत्र में के.औ.सु.ब. को तैनात करने से पहले वहां की प्रारंभिक व्यापक सुरक्षा संवीक्षा भी करे। निजी क्षेत्र

में के.औ.सु.ब. को तैनात करने से पहले क्षेत्र की इकाईयों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे को भी ध्यान में रखे। के.औ.सु. बल को निजी क्षेत्र में तैनात करने से पहले किसी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र बड़ी संख्या में के.औ.सु.ब. के कर्मियों को तैनात करने की मांग कर सकता है और हम इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मुहैया कराने की स्थिति में नहीं हैं।

अब, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाएं निजी क्षेत्र को भी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अपराह्न 2.00 बजे

अब यह सेवा निजी क्षेत्र को प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के बीच निजी क्षेत्र में लाभदायक तैनाती प्राप्त करने का क्या स्वाभाविक झुकाव होगा? यह एक नया क्षेत्र है जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों में निजी क्षेत्र में तैनाती लेने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में एक समुचित कार्मिक नीति की आवश्यकता है। बदलती हुई परिस्थितियों के चलते सरकार को यह देखने पर विचार करना चाहिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक समुचित कार्मिक नीति होनी चाहिए।

सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कवर का विस्तार निजी क्षेत्र तक करने पर विचार कर रही है। यह उचित होगा यदि विस्तारित करवेज में सहकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जाए जो देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्र के विकास में योगदान कर रहा है। हम लोग अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारी क्षेत्र के योगदान को जानते हैं। अतएव, जब हम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवा का विस्तार निजी क्षेत्र तक करने का निर्णय लें, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सहकारी क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लें। निजी क्षेत्र की मांग भी है और अनुरोध भी है कि उनके उद्योगों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाए।

जब सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुरक्षा प्रदान करने पर अपने निर्णय को अंतिम रूप देगी तो वह देश की एकता एवं अखंडता पर संभावित खतरे जैसी जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर बहुत अधिक वैज्ञानिक, तार्किक तथा पारदर्शी होनी चाहिए। अन्यथा, निजी क्षेत्र इस बात की अपेक्षा अथवा मांग करेगा कि उनके लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। अतएव, जब सरकार सेवा में विस्तार देगी तो वह इस पर काफी वैज्ञानिक रूप से तथा पारदर्शी ढंग से विचार करे कि क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती ज्यादा आवश्यक है, तभी यह सेवा प्रदान की जायेगी। अन्यथा, मांग इतनी ज्यादा होगी कि सरकार के लिए यह संभव नहीं होगा कि प्रत्येक को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रदान की जाये जबकि कोई खतरा न हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं हो तथा सुरक्षा आवश्यक नहीं हो।

साइबर संबंधी मामलों को देखने के लिए भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अब बदलती हुई परिस्थितियों के कारण, हमने देखा है कि खतरा बढ़ रहा है तथा साइबर अपराध प्रतिदिन देश में बढ़ रहे हैं। अतएव, जब हमारे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात हों, तो उन्हें समुचित प्रशिक्षित होना चाहिए। अन्यथा, हमारे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं होंगे। जब वे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उद्योगों में तैनात हों तो उन्हें अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं अंतिम बिन्दु पर आ रहा हूं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को औद्योगिक घरानों के लिए औद्योगिक विवाद, भूमि विवाद तथा अन्य स्थानीय मुद्दों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब हम उन्हें निजी क्षेत्र में तैनात करने जा रहे हैं। अतएव, वे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का उपयोग अपने व्यक्तिगत, औद्योगिक विवाद के मामलों, भूमि विवादों तथा अन्य स्थानीय विवादों के लिए करेंगे। अतएव, निजी क्षेत्र के लिए कुछ प्रतिबंध होना चाहिए कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों का उपयोग उनके कार्मिक मामलों, जैसे भूमि विवाद, औद्योगिक विवादों में नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों को उनके हितों की रक्षा के रास्ते में नहीं आना चाहिए। अतएव, सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा मुझे आशा है कि सरकार इन बिन्दुओं पर विचार करेगी।

गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति ने अनेक अच्छी बातों की सिफारिश की है। तब सरकार इस विधेयक को क्रियान्वित तथा पारित करेगी तब वह इन बातों को शामिल करेगी

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां जो विषय आया है, इसमें पहले प्रो. रासा सिंह रावत जी और फिर श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

ने बहुत अच्छी बातें कहीं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक जब यहां आया, हम सब जानते हैं कि सुरक्षा बल 189 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, 49 सरकारी भवन, 57 एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो, स्मारक राजघाट, इन सब की सुरक्षा करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं गृह मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। मैं निजी तौर पर और एक युवा नेता के तौर पर इनके काम को बहुत पसंद करता हूं। जब से इनके जिम्मे गृह मंत्रालय का काम आया है, इन्होंने कुछ सख्त कानून बनाए हैं, उसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तब यह निर्णय लिया गया था कि एयरपोर्ट पर सी.आई.एस.एफ. को लगाया जाए। मैं आपके जरिए सी.आई.एस.एफ. को बधाई देना चाहता हूं कि जब से सी.आई.एस.एफ. ने एयरपोर्ट का काम संभाला है, तब से पूरे देश में एयरपोर्ट्स की सुरक्षा अच्छी हुई है। जहां सी.आई.एस.एफ. के लोग काम करते हैं, वहां पहले खासकर मैम्बर आफ पार्लियामेंट की बहुत कंपलेंट्स आती थीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. का व्यवहार अच्छा है। जब हम सिविल एविएशन मंत्री थे, तब सरकार ने निर्देश दिया था कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. के ऐसे पढ़े-लिखे और ग्रेजुएट लोग हों, जो अच्छी लैंग्वेज जानते हों, उन्हें तैनात किया जाए। इसका ध्यान सी.आई.एस.एफ. ने रखा है। जब प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की कंपनियां बन्द होने लगीं, तो लगने लगा था कि इस फोर्स का क्या होगा, लेकिन आज देश में जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि देश पहले से इसके लिए तैयार है, क्योंकि सी.आई.एस.एफ. जैसी एक अच्छी फोर्स हमारे पास है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है।

महोदय, मैं कुछ चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब आप निजी क्षेत्र को यह सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो जिन कंपनीज को यह सुरक्षा दे रहे हैं, उनके एम.डी. या चेयरमैन, स्टेटस सिम्बल के तौर पर सी.आई.एस.एफ. के लोगों को लेकर घूमने न लगें। श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने जो विषय उठाया, वह ठीक है। आप उनकी सुरक्षा के लिए इस फोर्स को दे रहे हैं, ताकि कोई बड़ी आतंकवादी घटना न हो। इसलिए उस फोर्स के लिए आप ऐसी गाइडलाइन्स जरूर बनाएं, जिससे इसका दुरूपयोग न हो। कहीं ऐसा न हो कि कभी किसी एम्पलाइज एसोसिएशन का एजीटेशन चले और वह कंपनी इस फोर्स को उसके आगे खड़ा कर दे। इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की इकनौमी में, निजी क्षेत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उन्हें पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है और यह सुरक्षा आप उन्हें दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सी.आई.एस.एफ. के अंदर आज भी बहुत सी दुश्वारियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी टी.वी. देख रहा था कि बंगलादेश में बी.डी.आर. के लोगों ने अपने ही ऑफीसर के खिलाफ बगावत की। जब फोर्स काम करती है, तो उसके मनोबल का ध्यान रखना चाहिए। कई बार जवानों को छुट्टी देने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से उनका मनोबल काफी गिरता है। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि उसका मनोबल न गिरे। सी.आई.एस.एफ. बहुत अच्छी तरह और ईमानदारी से काम कर रही है। अब जब आप इसे निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, तो इसका मालिकाना हक उस निजी कंपनी को नहीं जाना चाहिए। सी.आई.एस.एफ. का मालिकाना हक पूरी तरह से सरकार के पास रहना चाहिए। उन्हें सरकार को पूरे इक्विपमेंट देने चाहिए। जिस तरह की फोर्स है, उस हिसाब से उसे पूरे इक्विपमेंट देने चाहिए। जैसे आप उसे एयरपोर्ट पर तैनात कर रहे हैं, तो उनके पास लेटैस्ट मशीनरी और इक्विपमेंट उन्हें पूरी तरह से मिलने चाहिए। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके मनोबल को गिराने वाला कभी कोई काम न हो।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सी.आई.एस.एफ. की बहुत डिमांड्स हैं। वे हम लोगों से मिलकर कई बार अपनी डिमांड्स के बारे में बताते रहे हैं। इसलिए जब गृह मंत्री जी उनके ऊपर देश की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, तो उनकी डिमांड्स के बारे में भी ध्यान दें। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। जब संसद पर हमला हुआ, तो टैररिस्ट्स भी सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाना चाहते थे, लेकिन वहां की चाक-चौबन्द सुरक्षा को देखकर वे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए सी.आई.एस.एफ. को बधाई देनी चाहिए कि जहां वह रही, वहां कभी किसी ने किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। जब भी कोई इस प्रकार की घटना हुई, उसे रोकने में सी.आई.एस.एफ. का बहुत बड़ा रोल रहा है।

महोदय, चूंकि मामला सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए मैं सिर्फ दो लाइन कहकर समाप्त करूंगा कि उस वक्त की सरकार ने उनके लिए वर्दी का एक अलग इंतजाम करने के बारे में सोचा था और उसका प्रपोजल भी गया था कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. की वर्दी अलग हो, क्योंकि वर्तमान वर्दी पैसेंजर फ्रेंडली नहीं है। एयरपोर्ट पर तैनात सी.आई.एस.एफ. की वर्दी एयरपोर्ट पैसेंजर फ्रेंडली होनी

चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि एयरपोर्ट पर बहुत दहशत का माहौल है और बहुत फोर्स भरी हुई है। वहां के लिए जो उनकी मांग है, उसे पूरा करना चाहिए। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात का गृह मंत्री जी विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया।

सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि अध्यादेश प्रख्यापित करते समय संसद की अनदेखी करने का कोई आशय नहीं था। जैसा कि मैंने उद्घाटन टिप्पणी में कहा कि यह मेरी प्रबल इच्छा थी कि संसद के पिछले सत्र में विधेयक पारित किया जाता। चूंकि संसद के पिछले सत्र में इसे पारित नहीं किया जा सका तथा मैं 50 दिन के अंतर का जोखिम नहीं ले सकता था जब आवश्यक होने पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रक्षा कवर का विस्तार संयुक्त क्षेत्र या निजी क्षेत्र तक नहीं किया जा सकता था। अतएव, मुझे अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा। भारत के पश्चिम तट पर कई संयंत्र बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध आ रहे थे। अतएव, हमें कानूनी शक्तियों के साथ तैयार होना पड़ा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा कवर का विस्तार कर सकते हैं। अध्यादेश लाने का यह कारण था। मेरा विश्वास है कि स्थायी समिति को कारण बता दिए गए हैं तथा स्थायी समिति ने कुल मिलाकर उन परिस्थितियों को समझा है जिनके अंतर्गत अध्यादेश पारित किया गया।

आज केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हमारे बड़े बलों में से एक है। इसके कार्मिकों की संख्या 1,12,534 है। हमें निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के अधिष्ठापनों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के पूर्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करनी है, तथा यह कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रातों रात मैं सभी अधिष्ठापनों को जिन्होंने सुरक्षा मांगी है, उन्हें सुरक्षा कवर दे दूंगा। यह कार्य एक समयावधि में किया जायेगा। लेकिन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर पहला दावा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी संस्थापनाओं का होगा। हम निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को वास्तव में तभी पूरा कर सकेंगे जब हम बलों की संख्या को और अधिक बढ़ाएं।

जिस प्रकार से इसकी परिभाषा की जा रही है, इसमें सहकारी क्षेत्र शामिल है। हमने कानूनी सलाह ली है। संशोधन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र शामिल हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या इसे शामिल किया जायेगा?

श्री पी. चिदम्बरम: इस विषय में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। यदि हम संशोधन का अवलोकन करें तो संशोधन में इसकी निम्नवत् परिभाषा दी गई है:

> "प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन कोई उद्योग अभिप्रेत है।"

अतएव, स्वामित्व केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को छोड़कर किसी और के पास है। यह निजी स्वामी हो सकता है, यह संयुक्त क्षेत्र स्वामी हो सकता है; और यह सहकारी क्षेत्र स्वामी हो सकता है। अतएव, इस आधार पर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

जहां तक लागत का संबंध है, यह धारा बेहद स्पष्ट है। यह लागत प्रतिपूर्ति आधार पर है। इस संबंध में मानक विपत्रण प्रक्रियाएं हैं। जो सिद्धांत सरकारी क्षेत्रों पर लागू होते हैं वही सिद्धान्त निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र पर लागू होंगे। सीआईएसएफ को तैनात कर लाभ अर्जित करने की मंशा नहीं है। इसकी मंशा सुरक्षा उपलब्ध कराने पर आई समस्त लागत को वसूल करना है। सरकारी क्षेत्र के साथ और निजी तथा संयुक्त क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के प्रति कोई पक्षपात भी नहीं किया जाएगा। एक ही विपत्रण सिद्धांत अपनाया जाएगा और लागत को पूरी तरह वसूला जाएगा।

सीआईएसएफ के दायित्वों को देखने के लिए आपको अधिनियम की धारा 10 देखनी चाहिए जो एक कार्य संबंधी धारा है। यह सीआईएसएफ को औद्योगिक उपक्रमों तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपती है। सीआईएसएफ का यह एक मात्र उद्देश्य है। इसका उद्देश्य सीएमडी अथवा एमडी को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। इसका उद्देश्य किसी औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप करना नहीं है। वस्तुत: आदर्श कार्य संबंधी धारा बेहद स्पष्ट तौर पर कहती है कि सीआईएसएफ किसी भी भूमि विवाद, श्रम विवाद या औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई औद्योगिक विवाद या श्रम विवाद उत्पन्न होता है तो इससे स्थानीय पुलिस निपटती है न कि सीआईएसएफ। सीआईएसएफ केवल प्रतिष्ठानों और उनकी संस्थापनाओं की सुरक्षा करेगा।

[श्री पी. चिदम्बरम]

हम यह भी स्पष्ट कहते हैं कि चूंकि सीआईएसएफ एक अत्यधिक प्रशिक्षित तथा अधिक वेतन प्राप्त कार्य बल है इसलिए इसे गौण कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है। केवल संवेदनशील कार्य ही सीआईएसएफ के अधीन होंगे। यह रक्षा प्रेक्षा का कार्य नहीं करेगा। उन्हें दैनिन्दनी रक्षा-प्रेक्षा कार्यों के लिए अन्य सुरक्षा बल रखना होगा। सीआईएसएफ संवेदनशील कार्य करेगा। सीआईएसएफ से यह फर्क पड़ेगा कि उसके पास गोली चलाने और हमला करने की क्षमता होगी। अत: इसकी तैनाती संस्थापनाओं या प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमला या आतंकवादी खतरों की परिस्थिति में उसका जवाब देने के लिए की जाएगी। सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ के पास होगी। यदि कोई और बल अथवा प्रतिष्ठान का कोई अन्य कर्मचारी सुरक्षा कार्य में नियोजित है तो उसे सीआईएसएफ के कमान और नियंत्रण में कार्य करना होगा।

मेरे विचार से हमने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों का ध्यान रखा है। स्थायी समिति ने किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। हमने जैसा विधेयक प्रस्तुत किया था उसे इसने उसी रूप में स्वीकार किया है तथा कुछ टिप्पणियां की हैं जिनका ध्यान नियम बनाते समय तथा आदर्श संचालन प्रक्रिया में संशोधन करते समय रखा जाएगा।

इस विधेयक के प्रति माननीय सदस्यगण के व्यापक समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत क्या आप अपने सांविधिक संकल्प पर आग्रह करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, इस विधेयक की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगिता देखते हुए और सुरक्षा की परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 6 - धारा 10 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन सं. 1, खंड 6, श्री सुधांशु सील-उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.20 बजे

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008*

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): लोक सभा के विगत सत्र में ए.पी.ई.डी.ए. (एपेडा) अधिनियम, 1985 का संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत एपेडा को बासमती चावल के लिए भौगोलिक पहचान दिए जाने हेतु सशक्त किया गया था। तत्पश्चात् लोक सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसे राज्य सभा के पास भेजा गया। राज्य सभा ने भी अपनी संस्वीकृति दे दी। इसलिए विद्यमान विधेयक जो अभी सभा के समक्ष विचाराधीन है उसमें बहुत ही छोटा संशोधन और सुधार करना है, जो कि पहले ही लोक सभा द्वारा पारित हो चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों व सुधारों को बिना चर्चा के अपनाया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2008" के स्थान पर अंक "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

नया खण्ड 6क

नई धारा 35 का अंत:स्थापन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्,-

"6क. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

'35. दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके बाद शुरू होने वाली और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए या करने के लिए विलोपित सभी चीजों और की गई या न की गई सभी कार्रवाई या उपाय को जहां तक वे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन किया गया या करने के लिए विलोपित अथवा की गई या न की गई कार्रवाई अथवा उपाय माना जाएगा मानो कि उक्त अवधि के दौरान ऐसी चीजों को किए जाने या करने के लिए विलोपन अथवा ऐसी कार्यवाही या उपाय किए जाने या न किए जाने के समय ये उपबंध लागू थे'।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2008" के स्थान पर अंक "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

नया खण्ड 6क

नई धारा 35 का अंत:स्थापन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्,-

"6क. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

'35. दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके बाद शुरू होने वाला और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास

*विधेयक लोक सभा द्वारा 23 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था और राज्य सभा की सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में विधेयक संशोधनों के साथ पारित कर दिया और 17 फरवरी, 2009 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए या करने के लिए विलोपित सभी चीजों और की गई या न की गई सभी कार्रवाई या उपाय को जहां तक वे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन किया गया या करने के लिए विलोपित अथवा की गई या न की गई कार्रवाई अथवा उपाय माना जाएगा मानो कि उक्त अवधि के दौरान ऐसी चीजों को किए जाने या करने के लिए विलोपन अथवा ऐसी कार्यवाही या उपाय किए जाने या न किए जाने के समय ये उपबंध लागू थे'।''

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है कि लोक सभा में इस पर चर्चा हुई थी और बिल पास किया गया था। जैसे अभी आपने बासमती राइस का जिक्र किया है, हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो पाकिस्तान करीब-करीब हमारे बराबर ही बासमती राइस का उत्पादन करता है। इस सत्र में ऐसा हुआ है कि हमारे बासमती राइस का निर्यात रोक दिया गया। इसका कारण जो भी हो, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान ने बासमती राइस का निर्यात किया और हमारे मुकाबले में मूल्य भी कम किए। मैं तराई के क्षेत्र से आता हूं जहां बासमती चावल बहुत होता है। चावल के उत्पादक हमें कहते हैं कि सरकार ने ऐसी नीति बना दी जिससे हमें नुकसान हो रहा है, इस बार हमें पैसा मिल सकता था, हमारी आर्थिक स्थिति उपयुक्त हो सकती थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने इस बिल में जो संशोधन किया है, वह आवश्यक था, समझ में आता है, लेकिन हम जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन कामों को कर रहे हैं, अगर हमारे इन उत्पादों का सही मूल्य उत्पादनकर्ता को नहीं मिलेगा तो सारी नीतियों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि यह हम किसके लिए बना रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो किया, उसे आप पारित करेंगे ही, लेकिन मैंने एक स्पैसीफिक बात कही कि मैं जिस क्षेत्र का हूं, वहां बासमती चावल के सारे उत्पादक, जितने भी किसान हैं, वे सब परेशान हैं। हमारे यहां इतनी सारी राइस मिलें हैं कि सबका कहना है कि पता नहीं सरकार क्या नीति बना रही है, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाते। मेरा आपसे आग्रह है कि भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के फैसले लें जिससे आम आदमी, खास तौर से प्रोसैस्ड फूड और एग्रीकल्चर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसे हम सही दिशा में ले जाने का काम कर सकें।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही मैं माननीय मंत्री श्री जयराम रमेश से अनुरोध करता हूं कि 'एपीईडीए' निश्चय ही निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है। बासमती चावल के संबंध में सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उससे सहमत हूं। यद्यपि पाकिस्तान ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है एवं हमारी तरफ से विलम्ब हुआ है। लेकिन हमें कतिपय एहतियाती उपाय करने चाहिए। इसके लिए ऐसा करने की आवश्यकता है और सरकार को ऐसा करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में फल एवं सब्जी की पर्याप्त संभाव्यता है, हमारे पास अच्छा निर्यात बाजार एवं वैश्विक बाजार हो सकता है लेकिन अपेक्षित बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। जैसा कि हमें पता है ये खराब होने वाली वस्तुएं हैं। अतः, हमें अनेक शीतागारों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, हमें अनेक शीतागारों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, हमें पैकेजिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप इन वस्तुओं के निर्यात हेतु उपयुक्त तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

मैंने अनेक अवसरों पर देखा है कि हमारे माननीय मंत्री समय की मांग के अनुसार सही कदम उठा रहे हैं फिर भी हम पिछड़ रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, पश्चिम बंगाल में हम आलू का उत्पादन कर रहे हैं- हम 83 लाख एमटी से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमारी खपत मात्र 53 लाख एमटी है। इस प्रकार हम 30 लाख एम.टी. अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। अपने प्रयत्नों से हम गत तीन या चार वर्षों से अपने आलू का विभिन्न देशों में निर्यात करने की स्थिति में हैं। लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद सच यह है कि हमारे पास अपने देश में अपने प्रशीतक कंटेनर नहीं हैं। हमें ये कंटेनर अन्य देशों से किराये पर लेने पड़ते हैं। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में आलू या अन्य खराब होने वाली किसी वस्तु का निर्यात करना चाहते हैं तो हमारे पास अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे पास अपने कंटेनरों का बेड़ा होना चाहिए। इन्हें खरीदा जाए या यह कार्य किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए, जो इसके खरीदने का कार्य उचित रूप से कर सके।

जब हम निर्यात के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें वैश्विक आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम आलू का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन आलू के मामले में वास्तविक परिदृश्य क्या है। हम केवल एक विशेष किस्म का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वैश्विक बाजार में वैश्विक उपभोक्ता की पसंद कोई किस्म विशेष ही होती है, जैसा कि हालैण्ड वेराइटी, 'येलो मीट' एक अत्यंत प्रसिद्ध किस्म है। हमें इन बीजों को हालैण्ड से प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: हमें हालैण्ड से बीज प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। हमने पहले ही इस मुद्दे को उठाया है, राज्य सरकार के माननीय मंत्री ने माननीय कृषि मंत्री, श्री शरद पवार को पहले ही लिखा है। हमने गत सप्ताह एक बैठक की थी। उन्होंने हालैण्ड से हालैण्ड वैरायटी के बीज लाने की मंजूरी दे दी थी। यदि हमें आयात लाइसेंस मिल जाएगा तो हम इन विशेष किस्म के बीजों का उत्पादन भारत की भूमि पर करना शुरू कर देंगे। हम इसका उत्पादन करने हेतु विश्वस्त हैं। बांग्लादेश ऐसा कर रहा है। बांग्लादेश यही बीज ला रहा है एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हालैण्ड वैरायटी प्राप्त कर रहा है। वे निर्यात भी कर रहे हैं।

अत: हमने पहले ही इसकी जांच कर ली है। हम नमूना के तौर पर कुछ बीज लाए थे। अभी गत माह ही हमें इसके परिणाम मिले थे। फसल बहुत अच्छी है, उत्पाद बहुत अच्छा है, इसकी हमारे वैश्विक क्रेताओं में काफी मात्रा में मांग है। अत: मैं माननीय मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

मैं अन्य फलों की बात नहीं करूंगा- जहां तक पश्चिम बंगाल में आम का संबंध है, हम अच्छी गुणवत्ता संपन्न हिमसागर और लंगड़ा का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वैश्विक बाजार में केवल एलफोन्सा की पहचान है, मुम्बई से केवल एलफोन्सा का निर्यात होता है। हमने दो साल पहले हिमसागर गुणवत्ता वाले आम को लंदन बाजार में निर्यात करने का प्रयास किया और हम सफल रहे। लेकिन हमें केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। खराब होने वाली वस्तुओं के लिए मुख्य बल बुनियादी ढांचा बनाने पर देना चाहिए, प्रशीतन व्यवस्था बनाए रखी जाए। विमान भाड़ा में असंगति जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं, कम से कम की जाए और कंटेनरों की समस्या पर ध्यान दिया जाए।

इस प्रकार मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि केवल आलू का ही हम अत्यंत बड़ा वैश्विक बाजार बना सकते हैं। यह विशेषकर रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है जिससे लाखों उत्पादकों को लाभ होगा एवं राष्ट्र को निश्चय ही लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: इसका समर्थन करता हूं और समय प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयराम रमेश: मैं दो माननीय सदस्यों श्री गंगवार और श्री सील का इन संशोधनों का समर्थन देने के लिए आभारी हूं।

उन्होंने जिन बिन्दुओं एवं मुद्दों को उठाया था, मैं उनमें से कुछ का उत्तर देना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्य श्री गंगवार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल न्यूनतम निर्यात मूल्य विदित करने के अलावा बासमती चावल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है। न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति टन 1100 डालर है। न्यूनतम निर्यात मूल्य के आरोपण का कारण है कि सरकार विभिन्न समय पर घरेलू मूल्य की स्थिति के प्रति संवेदनशील रही है और भारत से बहुत अधिक चावल का निर्यात किया जा रहा था। बासमती चावल के नाम पर गैर बासमती चावल जाता था क्योंकि यूरोप के बाजार में बासमती चावल का आयात ड्यूटी-मुक्त था और इसमें अत्यधिक लाभांश भिन्नता थी। इस संदर्भ में, क्योंकि सरकार घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती थी, इसलिए हमने पहले गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और हमने बासमती चावल का कतिपय न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया। कुछ महीने पहले यह 1200 डालर प्रति टन था और इस समय यह 1100 डालर प्रति टन है। इस वर्ष 2008-09 में, माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि भारत से कुल लगभग 1.6 से 1.7 एमटी बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा जिसका मूल्य लगभग 7,200 करोड़ रुपये से 7300 करोड़ रुपये तक है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: पाकिस्तान ने तो 1.3 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया है।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं। यदि माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें तो मैं पाकिस्तान के बारे में भी बात करूंगा।

इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के दो जिले के करीब 3-4 लाख बासमती उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने पाकिस्तान के बारे में बात की है। यह सच है कि पाकिस्तान भी बासमती चावल का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। इस वर्ष मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान ने लगभग 1.2 एमटी से 1.3 एमटी तक बासमती चावल का निर्यात किया होगा जो भारत द्वारा किए गए निर्यात से थोड़ा कम लगभग .2 एमटी या .3 एमटी तक कम है।

[श्री जयराम रमेश]

इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है कि पाकिस्तान भी बासमती चावल का निर्यातक है। इस भारत-पाक तथ्य के कारण ही इस विधेयक को जल्दी लाने की जरूरत महसूस हुई।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, 'बासमती' शब्द एक भौगोलिक संकेत है जो भारत और पाकिस्तान दोनों के आर-पार मौजूद समस्त हिमालयन बेल्ट पर लागू होता है। जब तक हम 'बासमती' शब्द को नहीं बचाएंगे और जब तक हम बासमती की देशी किस्म को नहीं बचाएंगे हम उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं बचा पाएंगे। वस्तुत: लाहौर के बासमती उत्पादक संघ ने बासमती पर पाकिस्तान के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार से ट्रेडमार्क हासिल किया हुआ है। एपेडा ने इसके विरुद्ध अपील की और यह अपील स्वीकार कर ली गई। हमारे मामले को कानूनी तौर पर तब मजबूती मिली जब हम कराची, पाकिस्तान की संघीय अदालत में गए और यह कहा कि संसद ने एपेडा को कानूनी तौर पर बासमती के संरक्षण हेतु अधिकार दिए हुए है। इसलिए इस संशोधन को लाया गया है। मुझे खुशी है कि सदस्यों ने हमें अपना सहयोग दिया है।

हमने बासमती के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार हस्तक्षेप पर लगातार लड़ाई लड़ी है। कई देशों में 300 से भी अधिक मामले ऐसे हैं जिनमें बासमती शब्द पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयत्न किया गया है। भारत सरकार ने इन मामलों को सफलतापूर्वक लड़ा है। अब हम यूरोपीय संघ में जीआई के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। किंतु ऐसा करने से पहले हमें भारत में जीआई के लिए आवेदन करना होगा। नवम्बर में हमने भारत में जीआई के लिए आवेदन किया है और मुझे आशा है कि जून-जुलाई, 2009 तक हमें चेन्नई की जीआई रजिस्ट्री से जीआई अर्थात् भौगोलिक संकेत प्राप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि पहले ही 104 जीआई प्रदान किए जा चुके हैं। सबसे पहला और सर्वाधिक प्रसिद्ध जीआई दार्जिलिंग चाय है। जीआई प्रदान किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दार्जिलिंग चाय की कीमत लगभग 10-12 प्रतिशत बढ़ गई और हमें बासमती के बारे में भी ऐसा ही कुछ होने की आशा है। किंतु मैं यहां एक चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे कई संसद सदस्यों से विशेषकर इस संबंध में पत्र मिले हैं कि उनके क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले चावल को भी बासमती के रूप में वर्गीकृत किया जाए। मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल से भी पत्र मिले हैं कि उनके चावल भी बासमती चावल हैं। महोदय, यदि हम बासमती के भौगोलिक संकेत का सार्वभौमिकरण करेंगे तो ऐसा करना 'बासमती' शब्द के साथ मजाक करने के समान होगा। मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि बासमती चावल एक लंबे दाने वाले, सुगंधित चावल है जो भारत के निर्दिष्ट क्षेत्रों में और पाकिस्तान में हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है। उसे वहीं रहने दें। यदि हम भारत में उगाए जाने वाले अधिकांश चावल को बासमती चावल के रूप में वर्गीकृत करेंगे तो हम जीआई के कानूनी और तकनीकी अर्थ को खो देंगे और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नहीं लगेगा।

महोदय, पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य ने फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर काफी टिप्पणियां की हैं। वे न केवल एक माननीय सदस्य हैं अपितु स्वयं भी एक काफी बड़े निर्यातक हैं। मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध रहा है। हम एपेडा के माध्यम से संसाधित खाद्य पदार्थ जिसके लिए विमानपत्तनों पर कोल्डचेन, प्रशीतित वैन और अवसंरचना की आवश्यकता है, के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर विकारीय कार्गो परिसर स्थापित किये हैं और उनमें से एक परिसर कोलकाता में है। हमने पूर्वोत्तर के लगभग सभी विमानपत्तनों में विकारीय कार्गो परिसर स्थापित किए हैं जो पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र जहां से निर्यात की अपार संभावना है, संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देगा।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पश्चिम बंगाल में मालदा और आम की अन्य सभी किस्मों का काफी बड़ा बाजार है। 20 वर्षों के बाद, अब जापान में भारतीय आम बेचा जा रहा है। एक लंबे समय के बाद अल्फांसो और आम की अन्य भारतीय किस्में संयुक्त राज्य अमरीका में भी बेची जा रही हैं। जहां तक आमों के निर्यात का संबंध है, हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। काफी समय बाद हम निर्यात किए जाने वाले आमों की मात्रा का विस्तार करने जा रहे हैं। इस समय अल्फांसों, बंगनपल्ली, चौसा, लंगड़ा का निर्यात किया जा रहा है और मुझे आशा है कि कुछ समय बाद इन किस्मों में इजाफा होगा। हम फल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट जो जापान जैसे बाजार में स्वास्थ्य के लिए काफी बड़ा खतरा है, को मारने के लिए वाष्प ताप उपचार संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। हमने न्हावा शेवा में एक विकिरण सुविधा भी स्थापित की है क्योंकि विकिरण के बिना हमारे आम अमरीकी बाजार में निर्यात नहीं किए जा सकते हैं।

महोदय, मुझे पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य की यह बात सुनकर खुशी हुई विशेषकर तब जब वे वैश्विक बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, वे वैश्विक बाजार के बारे में बातें कर रहे हैं और मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा वैश्विक बाजार के गुणगान करने पर ऐसा लगा कि मानों मैं कोई मधुर संगीत सुन रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे यह जानते हैं कि हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलू, फूलों और कई

अन्य संसाधित वस्तुओं के निर्यात में सहायता की है और हम इसमें अन्य राज्यों की भी सहायता कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब कुछ महीनों बाद यूपीए पुनः सत्ता में आएगा तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी चाहे आप हमें समर्थन दें या नहीं। हम कृषि निर्यात और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को समर्थन देना जारी रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से संशोधनों को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा निम्नलिखित संशोधनों के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में:-

"उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में-

"2008" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

नया खण्ड 6क

नई धारा 35 का अन्तःस्थापन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए:-

"6क. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए अर्थात्:-

'35. दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके बाद शुरू होने वाली और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए या करने के लिए विलोपित सभी चीजों और की गई या न की गई सभी कार्रवाई या उपाय को जहां तक वे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन किया गया या करने के लिए विलोपित अथवा की गई या न की गई कार्रवाई अथवा उपाय माना जाएगा मानो कि उक्त अवधि के दौरान ऐसी चीजों को किए जाने या करने के लिए विलोपन अथवा ऐसी कार्यवाही या उपाय किए जाने या न किए जाने के समय ये उपबंध लागू थे'।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

श्री जयराम रमेश: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन संख्या 1 से 3 पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन संख्या 1 से 3 पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.39 बजे

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पद और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक के बारे में

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित बिल है। इसका पहले भी विरोध किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इस बिल के प्रति क्या रवैया है कि यह बिल सदन में प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो बिल सदन में आना था, उसकी क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय तथा संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय को लिखा है कि हमें विधि मंत्रालय से एक कानूनी सलाह प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से परामर्श करना अनिवार्य है। अत: अब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से औपचारिक परामर्श लेंगे। अत: आज हम इसे पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा कब होगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): हमने संबंधित मंत्री से यहां अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। अन्यथा हम अपराह्न 5.00 बजे चर्चा शुरू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक पर चर्चा पूरी करने के बाद हम इसे देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: हमें बोलने वालों को बुलाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप आज या कल तक उनसे एडवाइज ले लेंगे क्योंकि कल सैशन का आखिरी दिन है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, हमें यह सलाह अभी-अभी ला.मिनिस्टरी से मिली है इसलिए आपसे कहा कि इसे आज न लिया जाए। जितनी जल्दी उनसे कनसल्टेशन हो सके, हम इसकी कोशिश करेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे लेकर सदन में शोर हुआ था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी थी कि हम विद अमेंडमेंट्स यह बिल लाएंगे। उस दिन डेट 19 फरवरी थी और ऐसी एश्योरेंस दी गई थी। शेड्यूल्ड कास्ट्स लीडर्स और दूसरे लीडर्स के साथ बैठकर तय हुआ था कि विद अमेंडमेंट्स बिल लाएंगे। जिस बात को लेकर शोर किया गया था वह

[अनुवाद]

कि खंड 2 से 4 तथा अनुसूची को हटा दिया जाएगा और जहां तक खंड 9 का संबंध है, 'वांछित' शब्द हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इस तरह की एश्योरेंस दी गई थी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैं इस सभा के समक्ष यह तथ्य रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा माननीय राष्ट्रपति को एक संदर्भ भेजा गया था। वह संदर्भ सरकार को प्राप्त हुआ था और उसकी जांच विधि मंत्रालय द्वारा की गई थी। हमें विधि मंत्रालय की राय आज सुबह ही प्राप्त हुई है। विधि मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य होगा। हमें विधि मंत्रालय की सलाह अभी प्राप्त हुई है। हम यथाशीघ्र परामर्श करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): हाउस में आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी हाउस में बिल नहीं आता है। आज कहा जा रहा है कि उसे कमीशन को भेज दिया गया। सदन में मंत्री जी ने बयान दिया था कि यह बिल आएगा और संशोधन के साथ आएगा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है? *...(व्यवधान)* मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संशोधन के साथ बिल आएगा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स वाला बिल कमीशन को भेज दिया गया है। सरकार जो कुछ कहती है, उससे पीछे हट जाती है। संसद सत्र खत्म होने की स्थिति में है। यहां एश्योर करना लेकिन उसके बाद बदल जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या करना चाहती है। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के विरुद्ध ऐसी क्या मजबूरी है जिसे लेकर सरकार टालमटोल कर रही है। अगर यहां आश्वासन दिया गया है तो सरकार उसे क्यों पूरा नहीं कर रही है। इस पर डिबेट होनी चाहिए। राज्य सभा में सितम्बर महीने में गुपचुप तरीके से दो मिनट में इसे पास किया गया। उस दिन सारा हाउस इस बिल के खिलाफ खड़ा था। सरकार ने एश्योर किया कि इस बिल को संशोधन के साथ लाया

जाएगा। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि यह बिल कमीशन में जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: बिल तो आया है लेकिन विद अमेंडमेंट्स नहीं आया है। यह समस्या है।

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: महोदय, मैंने सावधानीपूर्वक एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य की पार्टी के सदस्य कुछ विरोध कर रहे थे और उन्होंने विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने सभा से बहिर्गमन भी किया। इस बीच मैंने कहा कि श्री पासवान तथा कुछ अन्य के साथ इस सुबह चर्चा हुई थी। कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है। मैंने यह कहा है। मैं पुन: यह दोहराता हूं कि ये प्रस्ताव किए गए हैं और यह अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है। अब आप क्या कहेंगे?

श्री राजेश वर्मा: यह पूरे देश की जनता के साथ धोखा है। संसद सत्र के अंतिम दिनों में इस तरह इस बिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 43 पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर, यह हमने नहीं भेजा। कमीशन ने लिखा था कि इसे विदड्रॉ किया जाए। हमने विदड्रॉ नहीं किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस पर जल्दबाजी में विचार क्यों किया जाए। *...(व्यवधान)* अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों को परिचालित किया जाना चाहिए तथा कोई निर्णय लेने से पूर्व हमें उसे पढ़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लिया जाए। मैंने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मैं वाद-विवाद में भाग लेना चाहता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं किया जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: हाउस को विश्वास में लेकर अमेंडमेंट की बात इन्होंने कही थी। *...(व्यवधान)* आज आप अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं। यह क्या मतलब है? *...(व्यवधान)* सरकार ने अमेंडमेंट के लिए हाउस में एश्योर किया था, फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यह कमीशन एससीएसटी कमीशन है। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश वर्मा: मैं चेयर से बात कर रहा हूं। आप बीच में मत बोलिए। जब सरकार ने कहा था कि विद अमेंडमेंट बिल आएगा तो अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ? *...(व्यवधान)* सपोर्ट की बात नहीं है, हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। यह कौन सा तरीका है कि जब सरकार ने यहां पर एश्योर किया था कि अमेंडमेंट के साथ बिल लाएंगे तो फिर कमीशन को क्यों भेजा? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.47 बजे

(तत्पश्चात् श्री राजेश वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब हम मद संख्या 43 पर विचार करेंगे।

अपराह्न 2.47$^{1}/_{2}$ बजे

व्यापार चिन्ह (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[श्री अश्विनी कुमार]

महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से विधेयक के बारे में कुछ आरंभिक टिप्पणियां कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के गुणों के बारे में संक्षिप्त रूप में आरंभिक वक्तव्य देना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य मुख्यत: भारतीय ट्रेड मार्क कानून को मैड्रिड प्रोटोकाल के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप बनाना तथा भारत की प्रोटोकाल तक पहुंच बनाना तथा प्रोटोकाल के 71 सदस्य देशों में एक साथ ट्रेडमार्क पंजीकरण स्वीकृत करवाना है। इसका उद्देश्य हमारे ट्रेड मार्क पंजीकरण को भी सुकर एवं सक्षम बनाना है ताकि भारत में दर्ज कराए गए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों संबंधी आवेदन तथा भारत में प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही हेतु अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो से प्राप्त आवेदनों पर भारत में विचार किया जा सके।

मैं काफी संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि यह विधेयत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रेडमार्क बौधिक संपदा व्यवस्था का भाग बन कर सरकार की व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण साधन हैं जिससे, निवेश सुगम होता है, उद्गम स्रोतों को संरक्षण मिलता है तथा विश्व बाजार में हमारे उत्पाद को पहुंचाकर वैश्विक बनाती है। पिछले कई वर्षों से हमें अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। विगत कई वर्षों में ऐसे कई न्यायिक निर्णय हुए हैं जिसमें यह सिफारिश की गई है कि व्यापार एवं वाणिज्य की बदलती हुई वैश्विक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि हमें मैड्रिड प्रोटोकाल में सम्मिलित होने तथा ट्रेड मार्क को अंतर्राष्ट्रीय रूप से दर्ज कराने तथा ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए सक्षम एवं शक्ति प्राप्त होना चाहिए।

अपराह्न 2.49 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, हमने 23 अगस्त को लोक सभा में विधेयक पुर:स्थापित किया। संसदीय स्थाई समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 19 मार्च और 20 नवंबर को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। मंत्रिमंडल ने विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृत किया और इस प्रकार हमने इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह पेश किया है।

व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में ऐसा कोई व्यापक परिवर्तन नहीं है, जो इस संशोधन के माध्यम से किए जाने हेतु प्रस्तावित है। इसमें केवल हमारे व्यापार चिह्न कानून को मैड्रिड प्रोटोकाल के अनुरूप ढालने का प्रस्ताव है, जिसके बिना हम मैड्रिड प्रोटोकाल को स्वीकार नहीं कर सकते। विशेष तौर पर मैड्रिड प्रोटोकाल को मानने की विशेषता यह है कि केवल एक शुल्क और एक आवेदन, जो कि अन्य देशों की अनेक भाषाओं के अलावा केवल अंग्रेजी में होगा के माध्यम से हमारे व्यापार चिह्न व्यापारियों को विश्व के सदस्य देशों में अपने व्यापार चिन्हों को संरक्षण प्राप्त रहेगा। मुझे उन संशोधनों में सैद्धांतिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से कोई आपत्ति नजर नहीं आती, जिन्हें स्वीकृति देने की मैं मांग करता हूं।

मैं संसदीय स्थायी समिति की एक सिफारिश के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं। संसदीय स्थायी समिति ने धारा 36(ज) को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया था, जो कि वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकों के लिए समान व्यापार चिन्ह विवरण लागू करने के संबंध में है, जैसा कि ये अन्य देशों में लागू हैं। यहां पर मत में भिन्नता की बात यह है कि व्यापार चिन्ह किसी उत्पाद विशेष की गुणवत्ता या समरूपता या गुणवत्ता के एकरूपता की गारंटी नहीं है। व्यापार चिन्ह केवल सेवाओं के या उत्पाद विशेष के स्रोत के अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार इस कारण से कानून के संदर्भ में, नीतिगत संदर्भ में, उपयोगिता के संदर्भ में व्यापार चिन्हों की समझ के अनुसार स्थायी समिति की इस एकमात्र सिफारिश को हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसलिए, यह विधेयक, जिसे मैंने माननीय सदस्यों और इस सभा द्वारा विचार-विमर्श तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है, हमारे व्यापार चिन्हों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो से प्राप्त व्यापार चिन्ह संबंधी आवेदनों पर हमारे देश में पंजीकरण को सुकर बनाने में हमें सक्षम करने की मांग करता है।

इसे केवल वैश्विक व्यापार में भारत की उभरती हैसियत के एक अनिवार्य परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज हम, विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हम व्यापार के रूप में अपने वैश्विक कार्यकलापों को बढ़ा रहे हैं। आज, हमारा आयात और निर्यात के रूप में वैश्विक व्यापारिक कार्यकलाप, लगभग आधा ट्रिलियन डालर है, जो भारत को एक अति व्यापक वैश्विक व्यापारिक साझेदार के रूप में पेश करता है।

इन सभी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, यह विधेयक विचार-विमर्श और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव किया गया:

"कि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): मैं व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में संशोधन करने वाले व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2007 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय ने कारणों को स्पष्ट किया है कि 1999 के अधिनियम में ये संशोधन क्यों आवश्यक थे। जब व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 अस्तित्व में आया और जब हमने इसे पारित किया, तो उस समय यह छः या सात आईपीआर में से एक था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षित थे और डब्ल्यूटीओ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ये आवश्यक थे।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब 1999 में हमने इसे पारित किया, और उस प्रोटोकाल को, जिसका मंत्री जी ने उल्लेख किया है, को 1989 में अपनाया गया, तो ऐसा क्यों है कि जब 1999 में हमारा विधेयक और अधिनियम अस्तित्व में आया, तब इस पर विचार नहीं किया गया? अनेक वर्ष बीत चुके हैं। ऐसा क्यों है कि अब हम इस समस्या के प्रति सचेत हुए हैं और इस प्रोटोकाल को स्वीकार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब, हमारे यहां व्यापार चिन्हों की समस्या आ रही है। एक समय भारत विश्व स्तर पर प्रभावी नहीं था। तब हम एम.एन.सी. नहीं थे। अधिक विश्वस्तरीय कंपनियां मौजूद नहीं थी। ...*(व्यवधान)* अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनेक कंपनियां मौजूद हैं। बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं। रिलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। टाटा मौजूद है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है और अनेक अन्य संगठन और कंपनियां हैं, जो आज विश्व में प्रसिद्ध हैं। अन्य छोटी कंपनियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी हस्तियां बनती जा रही हैं। उनको समस्या होगी, क्योंकि यदि वे अपना एक अलग से व्यापार चिन्ह चाहती हैं, जो कि न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में स्वीकार्य होगा, तो यह एक आवश्यकता है कि हम इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करें। आज यह केवल 71 देशों में है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य देशों का क्या होगा? क्या इस नाम का उन देशों में उतना ही असर होगा, जो इस प्रोटोकाल का हिस्सा नहीं हैं? यदि ऐसा नहीं है, यदि उस नाम को वही दर्जा नहीं दिया जाता, और पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाता, तो वहां क्या होगा, और यदि इस प्रोटोकाल के अंतर्गत जिसका वे मैड्रिड प्रोटोकाल के रूप में उल्लेख कर रहे हैं, उन देशों में स्वीकार्यता नहीं मिलती, तो उन व्यापार चिन्हों का दर्जा क्या होगा जिन्हें यहां पंजीकृत किया जाता है और 71 देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया जाता है, उनका क्या होगा? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री महोदय को इसका भी जवाब देना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने गुणवत्ता की भी बात कही है और उन्होंने कहा कि उसे स्वीकार नहीं किया गया। यह सही है क्योंकि यदि आपका पंजीकृत व्यापार चिन्ह है, और यदि इसमें गुणवत्ता नहीं है, तो व्यापार चिन्ह होने के नाते इसमें गुणवत्ता होना लाजिमी है और गुणवत्ता व्यापार चिन्ह के साथ ही आती है।

महोदय, मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले, मूल सोनी कंपनी और उस कंपनी को शुरू करने वाला व्यक्ति बहुत छोटा व्यापारी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी और मैंने वह आत्मकथा पढ़ी है। उसने बताया था कि उसे पहला सबसे बड़ा क्रयादेश अमरीका में मिला और जब वह अमरीका गया, तो उन्हें बहुत बड़ा क्रयादेश मिला-मुझे नहीं पता कि उसने कितने हजार सोनी रेडियो सेट शुरू किए। जब वह वहां पहुंचा तो उनसे कहा गया कि वे सोनी के व्यापार चिह्न को स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपना व्यापार चिन्ह लगाएंगे और बेचेंगे। श्री सोनी ने कहा कि, मैं इन्हें आपको तब तक नहीं बेचूंगा जब तक आप इन रेडियो को जिन्हें मैं बेच रहा हूं, सोनी नाम नहीं देते। उसने स्वयं उस आत्मकथा में लिखा है कि यह महत्वपूर्ण निर्णय था जो उसे लेना पड़ा। यदि उसने कहा होता कि मैं इस क्रयादेश को स्वीकार करता हूं और उन्होंने अपना व्यापार चिन्ह लगाया होता, तो सोनी, आज वह नहीं होता, जो वह आज है। इसलिए, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि गुणवत्ता उत्पाद से आती है न कि व्यापार चिन्ह से। आप ऐसा नहीं कह सकते और सही मायने में, यह स्वीकार नहीं किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी स्वीकार्य नहीं है।

किंतु, मैंने माननीय मंत्री जी से कुछेक प्रश्न पूछे हैं और मैं इनका जवाब चाहता हूं। लेकिन इनके साथ-साथ मैं इसका समर्थन करता हूं कि हम इस प्रोटोकाल को अपनाएं और संशोधन लाएं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चिन्ह के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अश्विनी कुमार को बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, इस विधेयक में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों और भारत से उद्भूत अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों संबंधी व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह साफ-साफ उद्धृत किया गया है कि मैड्रिड समझौते के आधार पर मैड्रिड प्रोटोकाल किया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

मैड्रिड समझौते का आशय 14 अप्रैल 1891 को मैड्रिड में अंगीकृत चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते

[श्री एस.के. खारवेनथन]

से है जो उत्तरोत्तर संशोधित और पुनरीक्षित हुआ है। तत्पश्चात्, मैड्रिड प्रोटोकाल का आशय समय-समय पर यथा संशोधित 27 जून, 1989 को मैड्रिड में अंगीकृत चिन्हों में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते संबंधी प्रोटोकाल से है। यह मौजूदा विधेयक खण्ड 36ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए व्यापार चिन्ह पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। खण्ड 36 विदेशों में पंजीकरण करवाए जाने हेतु अपने देश के आवेदनों से संबंधित है। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। हालांकि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में व्यापार चिन्ह पेटेंट अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम के क्रियान्वित होने की तिथि से ही प्रभावी है फिर भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्यापार चिन्ह और पेटेंट संबंधी काफी सारे मामले चल रहे हैं। उच्च न्यायालयों में इस प्रकार के कई मामले चल रहे हैं। परंतु यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण करने संबंधी सभी ब्यौरों की पूर्ण जानकारी देता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका क्या हल होगा? जैसे इन नियमों के अंतर्गत व्यापार चिन्ह और पेटेंट संबंधी उल्लंघन का यहां कहीं उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योगों ने हमारे देश में कार्य प्रारंभ कर दिया और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं? वे उसी व्यापार चिन्ह से वस्तुएं भेज रहे हैं। इससे उन्हें सुविधा होगी। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में अपने तमिलनाडु राज्य में शक्ति मसाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने वाला एक उत्पाद है। यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद का निर्यात कर रही है। इससे उन्हें सुविधा होगी। वे पूरे विश्व में खाद्य उत्पाद बेच रहे हैं। परंतु व्यापार चिन्ह केवल हमारे देश के तमिलनाडु राज्य ही में पंजीकृत हैं। इस विधेयक के माध्यम से उन्हें सुविधा होगी। वे अपना व्यापार चिन्ह पूरे विश्व में पंजीकृत करा सकते हैं। इसी प्रकार से बाहरी कंपनियां हमारे पंजीकृत व्यापार चिन्ह के अंतर्गत हमारे देश में काम कर रही हैं और वस्तुएं बेच रही हैं। मान लीजिए कोई तीसरा पक्ष जो भारतीय पंजीकरण अथवा विदेशों में हुए पंजीकरण के अंतर्गत सदस्य नहीं है, इन नियमों का उल्लंघन करता है और व्यापार चिह्न का छद्म रूप से या जाली रूप से उपयोग करता है और सामान की बिक्री करता है तो इसका उपचार क्या है? क्या हमें उन्हीं उपबंधों का मौजूदा उपबंध का ही उपयोग करना चाहिए अथवा जालसाजी को रोकने के लिए सिविल अथवा आपराधिक उपचार करने के लिए कोई विशेष उपबंध करना चाहिए? अधिकांश खाद्य अथवा गैर-खाद्य पदार्थ उत्पादों के मामले में आजकल लोग जाली व्यापार चिन्हों द्वारा ठगे जा रहे हैं। हमारे सामने आपराधिक मामले आ रहे हैं। इस पहलू को भी स्पष्ट करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक अच्छा तरीका है। यह स्वागत योग्य विधेयक है।

इस विधेयक में एक बात यह भी है कि खण्ड 36घ, उप खण्ड (1) भारत से उद्भूत अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में है। इसमें कहा गया है:

"जहां धारा 18 के अधीन व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है या धारा 23 के अधीन व्यापार चिन्ह रजिस्टर कर लिया गया है, वहां आवेदक या उसका रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उस व्यापार चिन्ह के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सामान्य विनियमों द्वारा विहित प्ररूप में कर सकेगा।"

यहां पुन: मैं यह जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु आवेदन तैयार करने के लिए इन नियमों को कौन बनाने जा रहा है। उन्हें कहां आवेदन करना होगा? उन्हें आवेदन कहां से प्राप्त होंगे? पंजीकरण शुल्क कितना होगा? अतएव इन सब चीजों को विस्तार से स्पष्ट करना होगा।

अगला खण्ड 36ङ अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है जहां भारत को पदस्थ किया गया है। उप खण्ड (1) कहता है:

"रजिस्ट्रार, जहां भारत को अभिहित किया गया है, वहां किसी अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो से सलाह लेने के पश्चात्, विहित रीति में उस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का अभिलेख रखेगा।"

इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभावों का उल्लेख धारा 36च, उप खण्ड (1) में दिया गया है जो कहता है:

"किसी व्यापार चिन्ह के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की तारीख से जहां भारत को अभिहित किया गया है या भारत में व्यापार चिन्ह के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षण के विस्तार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के रजिस्टर में लेखबद्ध तारीख से भारत में व्यापार चिन्ह का संरक्षण वैसा ही होगा मानो व्यापार चिन्ह भारत में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।"

इस विधेयक में आवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं संबंधी कार्य का उपबंध भी है और व्यापार चिन्ह के संरक्षण की सीमा का निर्धारण करने के संबंध में पंजीयन बाध्यकारी नहीं होगा।

माननीय मंत्री ने गुणवत्ता के संबंध में विस्तार से बताया है। गुणवत्ता और व्यापार चिन्ह बदले नहीं जा सकते। विपक्ष के माननीय सदस्य ने भी सोनी जैसे व्यापार चिन्ह के बारे में विस्तार से बताया है। लोग व्यापार चिन्ह युक्त चीजें खरीदना चाहते हैं। परंतु यदि गुणवत्ता बहुत खराब है तो स्वाभाविक ही ग्राहक इससे

प्रभावित होंगे। यदि अच्छे व्यापार चिन्ह के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो इस व्यापार चिन्ह का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

इस प्रकार यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को भी कवर करता है। हम भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों के व्यापार चिन्ह को भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं। परंतु वे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मुहैया नहीं करवा पा रही है। यदि यह स्थिति बरकरार रही तो इससे न केवल उद्योग जगत प्रभावित होगा अपितु इससे हमारा राष्ट्र भी प्रभावित होगा। इसी प्रकार से, भारतीय पंजीकरण नियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई अमेरिकी कंपनी अपना माल भेज रही है परंतु वह माल यदि स्तरीय नहीं है तो हमारे ग्राहक इससे प्रभावित होते हैं। अतएव वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के रक्षोपाय क्या हैं? इसी कारण से स्थायी समिति ने भी पुरजोर ढंग से यह सिफारिश की है कि माल की गुणवत्ता की सुरक्षा की जानी चाहिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

तत्पश्चात्, उसमें ऐसा संशोधन किया गया जो कार्य या पारेषण के पंजीकरण से संबंधित है। माननीय मंत्री द्वारा ये सभी अच्छे कदम उठाए गए हैं। मैं इन उपायों का समर्थन करता हूं। परंतु साथ ही साथ हमें गुणवत्ता के बारे में भी सोचना होगा। आगे, मैं यह जानना चाहूंगा कि मुकदमा दर्ज कराने का क्षेत्राधिकार क्या है। मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश में पंजीकृत है तो क्या उस कंपनी को हमारे उच्च न्यायालय में अथवा अपने देश में मुकदमा चलाने का अधिकार है। मंत्री महोदय को इन संदेहों का स्पष्टीकरण करना होगा।

महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री द्वारा किए गए उपायों का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधायी देता हूं और तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैं व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन बहुत ही सही दिशा में है। सरकार के द्वारा ट्रेड मार्क व्यवस्था की परिधि को बढ़ाने का काम किया गया है और यह आज की आवश्यकता है। यह इसे ग्लोबल फार्म, वैश्विक रूप देने का एक प्रयास है। इसके लिए माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं। इसकी कई खासियतों की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है। इसमें पूरी दुनिया से लोग अपना ट्रेड मार्क भारत में रजिस्टर करा सकते हैं और भारत के लोग पूरी दुनिया में अपने ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले, खास तौर से मध्यम और छोटे वर्ग की कंपनियों को, जब उनके उत्पादों का डुप्लीकेशन हुआ करता था तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके उत्पाद की नकल करके विदेशी कंपनियां या देश में ही दूसरी कंपनियां अपने नाम से ट्रेड मार्क ले लेती थीं या अपने नाम से उनका रजिस्ट्रेशन करा लेती थीं। मैड्रिड प्रोटोकाल के दायरे में हुआ यह संशोधन इस देश के ट्रेड सिस्टम को और मजबूत करेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल करने के साथ ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने उस बौद्धिक अधिकार का उपयोग कर सकेंगी जिसकी बात लंबे समय से चली आ रही है, पेटेन्टीकरण पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। इन तमाम चीजों में उसे बहुत सहायता मिलेगी। कई भारतीय कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी बनने का अच्छा अवसर मिलेगा। रजिस्ट्रार को अच्छा खासा एम्पावर किया गया है। केन्द्र सरकार और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय इसके डिसप्यूट को साल्व करने के लिए जो निर्णय लिया करते थे, उसे भी रजिस्ट्रार की पावर्स में वैस्ट कर दिया गया है। इसके साथ-साथ कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा कि पहले से ही यह व्यवस्था भारत में बहुत मजबूत नहीं है। हम इसे ग्लोबल जरूर बना रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो व्यवस्था है, उसके अंदर ही बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है, दूसरी कंपनीज उसकी नकल करके खुलेआम बाजार में उसका मार्क लगाकर सामान बेच रही हैं। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि सोनी या उस तरह की किसी कंपनी का माल धड़ल्ले से उसका मार्क लगाकर बेचा जा रहा है। उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू लास सरकार का हो रहा है तथा साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंज्यूमर्स क्वालिटी को निश्चित रूप से निर्धारित करेंगे। ट्रेड मार्क सिस्टम का काम इतना ही है कि सोर्स को डिसटिंग्विश करे कि किस कोर्स से यह प्रोडक्ट आया लेकिन क्वालिटी का निर्धारण एंड यूजर या मार्केट ही करेगी। यह बात सही है, लेकिन अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के नकली सामान का जो बाजार में मेला लगा हुआ है, उस कुव्यवस्था पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और उसके लिए भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और उसका अनुपालन करने के लिए भी पूरी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ भी बहुत परेशानी होती है। पेटेन्टीकरण का सिस्टम पहले से ही सरल नहीं है। ट्रेडमार्क की बात जब होती है तो कनफ्यूजिंग स्टेट होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का पेटेन्टीकरण कैसे करें। सर्विस इंडस्ट्री में भी प्रावधान किया गया है कि सर्विस इंडस्ट्री का भी ट्रेड मार्क होगा। इस मामले में भी अपनी आइडैन्टिटी एस्टैबलिश करने में कोई सर्विस इंडस्ट्री बहुत सफलता पा सकती है और ग्लोबल लैवल पर अपने स्थापित मार्क

[श्री आलोक कुमार मेहता]

के माध्यम से ग्लोबल लैवल पर अपनी पहचान बना सकती है। बहुत तरह के सुधार किये गये हैं।

[अनुवाद]

अन्य चीजों की तरह यह चीज भी वैश्विक हो रही है। अत: मैं सकारात्मक दिशा में कदम उठाने के लिए माननीय मंत्री और हमारी सरकार को बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति महोदय, हम व्यापार चिन्ह (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे हैं। व्यापार चिन्ह से ग्राहक एक कंपनी के उत्पाद को दूसरी कंपनी के उत्पाद से अलग पहचान कर पाते हैं। व्यापार में कंपनी की साख के साथ उसके ब्रांड का नाम प्रदर्शित होने से व्यापारिक घराने के नाम पर जोर देने की आवश्यकता का कोई महत्व नहीं रह जाता।

इसके महत्व की तुलना बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कि कंपनी के स्वामित्व वाले व्यापार चिन्ह से की जा सकती है। इसकी मंशा भारतीय नामों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को देश में व्यापार चिन्ह की सुरक्षा प्रदान करना है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मैड्रीड प्रोटोकाल का संचालन किया जाता है। मैड्रीड प्रोटोकाल की मंशा अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण को सुगम बनाने की है जोकि एक सस्ती पद्धति है। इस विधान से हमारे देश में व्यापारियों और व्यापारिक घरानों के लिए व्यापार चिन्ह का पंजीकरण आसान हो जाएगा। वास्तव में इससे हम एक ही आवेदन से 71 देशों में एक बार में पंजीकरण करा सकते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस संशोधन से व्यापारिक घरानों को काफी मदद मिलेगी।

व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में पारित किया गया था लेकिन अवसंरचना के अभाव के कारण पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पंजीकरण कार्यालय नहीं खुल पाए और न ही समुचित प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हो पाए। अभी तक यह हमारे देश में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। अत: सरकार को सेवाओं के विस्तार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। व्यापारिक घरानों की सुविधा के लिए सभी राज्यों में व्यापार चिन्ह कार्यालय खोले जाएं। इनमें पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि इस विधान को समुचित ढंग से लागू किया जा सके और हम अपने लोगों के साथ-साथ व्यापारिक घरानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके।

इस अधिनियम में यह उपबंध भी है कि किसी प्रकार के कानूनी विवादों और अन्य बातों के निपटान के लिए अपील न्यायालय तथा इसकी खंडपीठों की स्थापना करने का निर्णय सरकार करेगी। लेकिन अपील न्यायालयों के स्थानों के साथ-साथ इसकी खंडपीठों के स्थानों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम इस विधान के लागू होने के बाद भी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। नियमों के अंतर्गत सरकार को अन्य सुविधाएं भी देनी चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह देखे कि तत्काल अपील न्यायालयों की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त अपील न्यायालय की खंडपीठों के स्थान के बारे में भी निर्णय लिया जाए ताकि किसी भी मुकदमे के लिए सेवाएं दी जा सकें।

माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि व्यापार चिन्ह गुणवत्ता की गारंटी नहीं देगा। हमने यह देखा है कि व्यापारिक घराना एक ही व्यापार चिन्ह से कई उत्पादों का उत्पादन करता है। वे एक ही व्यापार चिन्ह के माध्यम से अनेक उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यदि एक बड़ा व्यापारिक घराना एक व्यापार चिन्ह के माध्यम से अनेक उत्पादों का उत्पादन कर रहा है तो वह ग्राहकों को और अधिक सुविधाएं दे रहा है। कोई भी व्यापारिक घराना जिसका एक व्यवसाय और वही व्यापार चिन्ह होगा; वह प्रतिस्पर्धा में नहीं आ सकता क्योंकि ग्राहकों की एक ही दुकान में एक ही ब्रांड वाली कई वस्तुओं को खरीदने की आदत बन जाती है। प्रतिस्पर्धा बेहतर नहीं होगी। सरकार को अन्य व्यापारिक घरानों को सुविधाएं देने पर विचार करना चाहिए ताकि वे दो या तीन चीजों के लिए एक ही व्यापार चिन्ह का उपयोग कर सके।

दूसरा गुणवत्ता के संबंध में मैं 'लक्स' साबुन का उदाहरण देना चाहूंगा। यह विदेश में भी उपलब्ध है और हमारे देश में भी उपलब्ध है। वे एक ही व्यापार चिन्ह का उपयोग करते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में फर्क है। एक ग्राहक अपने देश में उपलब्ध वस्तु की तुलना में विदेश में वही वस्तु बेहतर गुणवत्ता के साथ खरीदता है। इसलिए इस संबंध में कोई विधान होना चाहिए।

यदि हम गुणवत्ता के बारे में आश्वासन नहीं देते, तब यह स्वाभाविक है कि ग्राहक प्रभावित होगा और एक प्रकार से यह ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होगी। अत: उपभोक्ताओं और ग्राहकों को संरक्षण देने के लिए सरकार को एक ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे एक ही व्यापार चिन्ह के अंतर्गत वे विभिन्न गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। महोदय, लंदन में लक्स साबुन की जो गुणवत्ता है भारत में लक्स साबुन की गुणवत्ता वैसी नहीं है। लंदन के लक्स साबुन की गुणवत्ता भारत

में उत्पादित लक्स साबुन से बेहतर है। यदि आप शिकागो या अन्य देशों में लक्स साबुन खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि लक्स साबुन की गुणवत्ता बेहतर है। मैंने एक ऐसी वस्तु का उदाहरण दिया है जिसका लोगों द्वारा आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

अत: इस विधान के उपबंध के अंतर्गत सरकार को आवश्यक संशोधन करना चाहिए, ताकि ग्राहकों और उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जा सके।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह मेरे अच्छे मित्र, प्रख्यात अधिवक्ता जिन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार को समझा और उस पर अमल किया है और जो स्वयं एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

नि:संदेह यह विधेयक किसी के लिए भी अहितकारी नहीं होगा। इससे एक ऐसी प्रणाली आरंभ करने का प्रयास किया गया है जिसके द्वारा, भारत मैड्रिड प्रोटोकाल का हिस्सा होने के कारण, भारत में किए गए एकल आवेदन से वैश्विक रूप से व्यापार चिन्हों का संरक्षण हो सकेगा। इसलिए नि:संदेह यह एक ऐसा विधेयक है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए।

मेरा मानना है कि वह समय आ गया है जब हम भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार का मूल्यांकन करें और उस पर पुन: गौर करें। 'ट्रिप्स' समझौते के बाद, जिस पर हमने भी हस्ताक्षर किये हैं, हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था आ गई है जिससे विश्व में होने वाले सभी आविष्कारों को इस समझौते का संरक्षण प्राप्त हो गया है। इसमें चिकित्सा संबंधी अधिकार भी सम्मिलित हैं। नए अणुओं का विकास, नई औषध वितरण प्रणाली का विकास बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अब वह समय आ गया है जब हमें इस बात का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे संरक्षण से भारत की आम जनता को वाकई में मदद मिल रही है। नि:संदेह आई.पी.आर. व्यवस्था को नहीं हटाने के विरुद्ध हमेशा बहस हुई है क्योंकि ऐसी संभावना है कि इससे नए आविष्कार संभव नहीं हो पाएंगे। अत: इस बिन्दु पर विचारोपरान्त मेरा मानना है कि वह समय आ गया है जब हमें इस पर दोबारा विचार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत भेषज उद्योग का तेजी से विकसित होता देश है। हमारा भेषज उद्योग इतना सुविकसित और उन्नत है कि हम काफी समय से 'रिवर्स इंजीनियरिंग' की स्थिति में आ गए हैं। हम नए अणु के विकास में सफल हो गए हैं, अणु नहीं तो कम से कम जब औषध पेटेंट की अवस्था से बाहर चली जाए तो हम वास्तव में इसका विकास करने में सफल हो सकें। क्योंकि अब हम 'प्रोसेस पेटेंट सिस्टम के बजाय' प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम' की स्थिति में आ गए हैं तो मेरा यह मानना है कि हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या भारतीय भेषज उद्योग को इससे वास्तव में कोई सहायता या लाभ पहुंचा है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

'जैनेरिक उद्योग' भी वैश्विक रूप से इस समस्या से जूझ रहा है। केवल भारत ही इस चीज को लेकर चिंतित नहीं है। अपितु ब्राजील सरीके देश भी इससे समान रूप से चिंतित हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे इस मुद्दे पर थोड़ी और सावधानी से ध्यान दें।

महोदय, वर्तमान में वैविश्क स्तर पर उभरने वाला एक मुद्दा जलवायु परिवर्तन का है। हम इस समस्या का समाधान नई प्रौद्योगिकियां विकसित करके ही कर सकते हैं। यदि प्रौद्योगिकी समस्या का कारण है तो प्रौद्योगिकी ही उसका निवारण होगा। हमें नई प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नई प्रौद्योगिकी विशेषकर जीवाश्म ऊर्जा की चुनौतियों के समाधान के लिए। अब हमें यह सभी करना होगा। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और अगले दस वर्षों में हमें उत्सर्जन को कम करना होगा। वर्तमान में हमारा उत्सर्जन 385 पीपीएम है। लोगों का कहना है कि अगले 15 वर्षों में हमें इसे 350 पीपीएम तक कम करना होगा। यदि आप उत्सर्जन को इसके वर्तमान स्तर 385 पीपीएम से घटाकर 350 पीपीएम करना चाहते हैं, तो यह लगभग असंभव होगा। अब यदि विकसित की जा रही नई प्रौद्योगिकियों को बौद्धिक संपदा अधिकार से संरक्षित किया जाएगा तो भारत में लोग अपेक्षित नवीकरणीय ऊर्जाओं से वास्तव में किस प्रकार लाभान्वित हो पाएंगे?

इसलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान दें।

जैसा की मैंने आरंभ में कहा है, मैं भी बौद्धिक औषधियों के संरक्षण का सशक्त प्रस्तावक रहा हूं। अन्यथा कोई आविष्कार नहीं हो पाएंगे। भारत ने हमेशा दूसरे देशों की बौद्धिक क्षमताओं का आदर किया है। इसलिए हम यह कभी नहीं कहते कि भारत में आई.पी.आर. व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि मंत्री महोदय आप इसका चुनाव चुनिंदा ढंग से करें। जैसा कि मैंने कहा है कि भेषज और उसके जैसे अन्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जाओं और नयी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है। ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना किया जा सके।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं की वे इस मुद्दे पर ध्यान दें क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब बहुत ही प्रासंगिक और समसामयिक विषय है। हम अगले आठ या नौ महीने में कोपनहेगन जाने वाले हैं। अब हम क्योटो प्रोटोकाल से उत्पन्न होने वाली नई सफलता अथवा नए प्रोटोकाल के बारे में सोच रहे हैं जो कि 2012 में समाप्त होने वाली है, इसके बाद एक नयी व्यवस्था आएगी। आज समूचे विश्व में यही चर्चा है कि हम जो भी व्यवस्था अपनाएं उससे जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान हो।

यदि आप नए आविष्कारों को पूरा करते हैं और यदि आप यह सोचते हैं कि केवल बौद्धिक संपदा अधिकार आधारित उत्पादों से ही इस समस्या का समाधान होगा, तो वास्तव में हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें शामिल संदिग्धता और द्वैधता को देखिए। औद्योगिकृत देश कहते हैं: "हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, हालांकि हम भारत जैसे विकासशील देश को प्रौद्योगिकी देना चाहते हैं। हम और अधिक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रौद्योगिकियों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व है।"

इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती; राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि बाजार प्रधान विकास तेजी से हो रहे हैं। पर जब अमेरिका के बैंक असफल हो रहे हैं। जब ब्रिटेन की कंपनियां समस्याओं का सामना कर रही हैं, वहां की सरकार सार्वजनिक मुद्रा का प्रकोप कंपनियों के बेलआउट में कर रही है। ऐसे समय में वे लोग निजी पूंजी और सार्वजनिक पूंजी में कोई अंतर नहीं करते। फिर जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो फिर क्यों बौद्धिक संपदा अधिकार प्रौद्योगिकी के विस्तार में, जो कि भारत जैसे देश में प्रचारित हो सकती है, बाधा क्यों बन रहे हैं?

इसलिए, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे बड़े मुद्दों पर ध्यान दें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भविष्य की बातचीत निर्भर करेगी। हमें इन मुद्दों पर ज्यादा सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए।

महोदय, बौद्धिक संपदा अधिकार कुछ ऐसा है जिसे व्यापार अवरोधक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके कारण प्रत्येक भेषज कंपनी मूल्यों में वृद्धि का रही है जो कि एकदम हानिकर है। मैं एक प्रकार से यह कहूंगा कि यह अमानवीय है। मान लीजिए विश्व भर के लोग एड्स से मर रहे हैं और कंपनियां कह रही हैं "हम नई औषधी का विकास करेंगे परंतु इसके लिए पहले हमें बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए।" यह अत्यधिक अनुचित है।

मेरा अंतिम प्रश्न व्यापार चिह्न कार्यालयों के प्रशासन के संबंध में है। मैं नहीं जानता कि हममें से कितने लोग इन कार्यालयों में जाने के संबंध में सौभाग्यशाली पर दुर्भाग्यशाली रहे हैं। यह वास्तव में एक दु:स्वप्न भरा अनुभव है। मैं यह जानता हूं कि इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है। शुक्र है आने वाली नयी अनुदानों का। पर जब आप जैसे ही आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो शायद आपके प्रतियोगी को आपके आवेदन के स्वीकार होने के बारे में आपसे पहले पता चल जाता है। इस मुद्दे पर पुन: दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। कुछ उपयुक्त मौलिक उपायों को अपनाये जाने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक होगा।

अब हमें वैश्विक संरक्षण प्राप्त होता है। यदि कोई आवेदन किया जाता है तो इसका प्रसार पूरे विश्व में हो जाता है। पर सबसे पहले और अवश्यंभावी मेरा यह मानना है कि इन आवेदनों को जहां तक संभव हो द्रुतगति से निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजों का पुनर्नवीकरण किया गया है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि व्यापार चिन्ह कार्यालयों की प्रशासनिक प्रणाली का संपूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जाए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मंत्री जी जो संशोधन लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। बहुत सारे विषयों और बातों का समावेश मुझसे पहले जो माननीय संसद सदस्य बोले, उन्होंने अपने भाषणों में कर लिया है। श्री सुरेश प्रभु ने जो अभी भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में बची-खुची बातों का समावेश भी कर दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ दो-तीन बातों का स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हम लोग पिछले लगभग 15-20 साल से कर रहे हैं। गैट पर हस्ताक्षर किए हुए भी हमें लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। जो समस्याएं आज तक उत्पन्न होती रही हैं, अगर यह संशोधन पहले लाया जाता, तो वे समस्याएं उत्पन्न नहीं होतीं।

महोदय, मैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में हूं, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी भ्रान्तियां लोगों के मन में आज भी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और गैट ट्रीटी को लेकर, स्वयं कांग्रेस में भी विभाजन हो गया था, लेकिन बाद में वे एक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्लोबलाइजेशन एक ठीक कदम है। खैर, इन बातों का इस बिल से कोई मतलब नहीं है। हम उन 71 देशों में से हैं, जिन्होंने

मैड्रिड प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये हैं और इसीलिए इस संशोधन को लाना आवश्यक है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से यह है कि एक तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें 12 महीने का समय दिया गया है और एक शर्त यह भी रखी गई है कि जो एप्लीकेशन फाइल होगी, वह फ्रेंच में होगी। अब शायद इसमें संशोधन हो गया होगा, अब शायद अंग्रेजी जोड़ दी गई होगी, लेकिन एक समय था, जब उसको फ्रेंच में रखा गया था। अगर अंग्रेजी उसमें जोड़ दी गई है तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग नहीं हैं। उनको इससे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं।

दूसरी बात, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में कहा, हमारे अपने देश में करोड़ों केस हमारी कोर्ट्स में पैंडिंग हैं, उनको हम किस तरह से हमारे ट्रेडमार्क एग्रीमेंट्स की जो आब्जैक्शंस आएंगी, जो लीगल परेशानियां आएंगी, उनको किस तरह से हम निर्धारित करेंगे। क्या हम और एल.पी.ओज. हमारे देश में बनाएंगे? उनको बनाने के लिए क्या प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे जो एल.पी.ओज. बनाने हैं? जो ट्रेडमार्क संबंधी केसेज हैं, उनका निराकरण इससे जल्दी से होगा। यह मेरा अपना सुझाव है, मेरी सोच है, अगर आपको गलत लगे तो आप उसको नकार सकते हैं।

हमारे देश में छोटे-छोटे शहरों में जो बार एसोसिएशंस हैं और बहुत सारे हमारे जो काबिल वकील हैं, उनके पास काम नहीं है। अगर ये विषय, जो केवल बड़े-बड़े शहरों तक सीमित हैं, अगर एल.पी.ओज के माध्यम से, अगर आई.टी. के माध्यम से वहां उसको खोले, उनको आउटसोर्स किया जाये, हमारे जो छोटे शहरों में वकील बैठे हैं तो वहां उनको बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत सारा पैसा वे वहां कमा सकते हैं और मैंने जैसा पहला कहा, अभी भी कहता हूं कि टेलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है। अभी देखिये, स्लमडाग मिलियनेयर एक फिल्म कितने सारे एवार्ड्स जीते। स्लम में भी जो हमारे बच्चे रहते हैं, उन्होंने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या है, भारत की वह शक्ति क्या है, जो स्लम्स में रहती है तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था बनायें, जिससे कि लीगल वर्क आउटसोर्स होकर छोटे-छोटे शहरों में भी जाये और हमारे वहां के वकीलों को अवसर मिल सके और वे जीवन में आगे बढ़ सकें।

इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, मैं काफी खुश हूं कि मेरे द्वारा इस सभा में लाए गए संशोधन को दोनों पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से सभी सदस्यों ने जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं, इस उपाय का एक तरह से समर्थन किया है। मैं सचमुच में उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा इस विषय पर अपनी विवेकपूर्ण टिप्पणियां एवं विचार प्रकट किए हैं।

मैं उठाए गए कुछ प्रमुख बिन्दुओं का काफी संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा। मैं पहले श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा उठाए गए कुछ बिन्दुओं को लेता हूं। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने वाले अपीलीय निकायों की खंडपीठ के मामले के संबंध में मैं तुरंत यह कह सकता हूं कि हमने चेन्नई में एक अपील बोर्ड स्थापित किया है जो 2007 से पूरी तरह से कार्यरत है तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा अहमदाबाद में इसकी खंडपीठें कार्यरत हैं।

दूसरी बात जो कही गई वह एक उत्पादक या स्वामी द्वारा कई प्रकार की सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए एक ट्रेड मार्क की अनुमति नहीं दिए जाने से संबंधित थी। ट्रेड मार्क कानून का पहला सिद्धांत यह है कि वह वस्तुओं या सेवाओं के मूल स्रोत को बताता है। अब, हम कानून के रूप में किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते हैं कि वह केवल एक सेवा या एक वस्तु का उत्पादन करेगा या वह अपनी वस्तुओं के लिए एक ट्रेड मार्क ले बल्कि कई ले। यह एक व्यापारिक निर्णय है। जब तक कि ट्रेड मार्क का प्रवर्ता या ट्रेड मार्क का स्वामी यह महसूस करता है कि लोगों के बीच एक ट्रेड मार्क का प्रचार करने या उसकी जानकारी देने से उसकी वस्तुएं तथा सेवाओं को बिक्री करने हेतु बेहतर होगा तो आसानी से वह ऐसा ही करेगा।

मैं इस आशंका को दूर करने का प्रयास करता हूं। चूंकि कानून के अनुसार, ट्रेड मार्क कभी भी वस्तुओं तथा सेवाओं की एकसमान गुणवत्ता की गारंटी नहीं होते हैं, इस विषय में संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश तथा अन्य देशों में अनेक प्रकार के कानून हैं जो गुणवत्ता मामलों पर उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारे देश में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो गुणवत्ता का ध्यान रखता है। हमारे पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम है वह भी गुणवत्ता पर ध्यान देता है। विश्व के विभिन्न भागों में हमारे पास फेयर ट्रेड कमीशन हैं जो इन मुद्दों पर ध्यान देते हैं। अतएव, कई प्रकार के विधान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं तथा विभिन्न विषयों पर ध्यान देते हैं। सभा में माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा किए जा रहे इस विशिष्ट उपाय का उद्देश्य काफी सीमित है और वह यह है कि क्या हमें

[श्री अश्विनी कुमार]

अपने लोगों तथा मैड्रिड प्रोटोकाल के सदस्य देशों के लोगों को ट्रेड मार्क संरक्षण देने के लिए एक आवेदन की अनुमति देनी चाहिए।

महोदय, मैड्रिड प्रोटोकाल को 71 देशों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए, जहां तक 71 उन देशों का संबंध है तथा उन 71 देशों के सदस्यों का संबंध है, यदि अपने देश में एक बार आवेदन दे दिया जाता है, तो उन्हें स्वत: ही संरक्षण प्राप्त होगा। यह इस उपाय का सार है। यह उससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं है।

महोदय, एक दूसरा प्रश्न है। निश्चित रूप से, मेरे अच्छे मित्र, श्री सुरेश प्रभु, ने सदा की तरह काफी प्रासंगिक बिन्दु उठाए हैं जो जलवायु परिवर्तन तथा भेषज से संबंधित है लेकिन मुझे संदेह है कि ये बातें पेटेंट के क्षेत्राधिकार में आती हैं तथा यहां पर विचार किए जा रहे मामले से संबंधित नहीं हैं। जहां तक ट्रेड मार्क का संबंध है, ट्रेड मार्क का सीधा संबंध व्यापार, वस्तुओं तथा सेवाओं से उस सीमा तक है जब किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा को ट्रेड मार्क से जोड़ा जाता है। यह अभी भी उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं है जिसका आप उत्पादन कर रहे हैं या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं लेकिन जनसाधारण के मन में, यह कतिपय छवि को जन्म देता है जो वास्तव में ट्रेड मार्क में बौद्धिक संपदा है।

महोदय, एक अन्य प्रश्न मेरे अच्छे मित्र, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह द्वारा उठाया गया था कि हम इतने दिनों बाद यह विधेयक क्यों ला रहे हैं। यह काफी प्रासंगिक प्रश्न है तथा मैं इसका सीधा तथा स्पष्ट उत्तर दूंगा। उत्तर यह है कि हम मैड्रिड प्रोटोकाल के साथ अपने प्रशासन, बौद्धिक संपदा कानूनों, प्रशासनिक तथा संस्थागत दोनों का आधुनिकीकरण किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। हम अब जाकर अपने अभिलेखों की अंकीय रूप दे सके हैं, अब हम ई-फाइलिंग कर सकते हैं; तथा अब हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं तथा सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं कि हम आवश्यक 18 माह के भीतर ट्रेड मार्क को प्रोसेस कर सकते हैं। जहां तक मैड्रिड प्रोटोकाल की सहमति का प्रश्न है उसके लिये यह आवश्यक है। अत: यथाशीघ्र जब हम तैयार हुए हमने उपाय किया है। इस प्रासंगिक प्रश्न का यह संक्षिप्त उत्तर है।

दूसरा मुद्दा है कि किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। स्पष्टत: हमारे न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा। यदि देश के भीतर अतिलंघन होता है तो जिस देश में अतिलंघन होता है उसका क्षेत्राधिकार होगा और अन्य देशों के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसा ही होगा। भारतीय नियम और कानून लागू होंगे। अतएव, इस मामले में कोई संदेह या आशंका नहीं हो सकती कि भारतीय विधिक प्रणाली भारतीय कानून को लागू करेगी जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं।

महोदय, ऐसे अत्यधिक सार्थक और सोद्देश्य वाद-विवाद में भाग लेने तथा सुनने का सौभाग्य व सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है उस संबंध में यह मेरा संक्षिप्त उत्तर है। सैद्धान्तिक तौर पर उपायों के प्रति व्यापक समर्थन वस्तुत: सर्वसम्मति से समर्थन को देखते हुए तथा पूछे गये कुछ प्रश्नों का मेरे द्वारा उत्तर देने के तुच्छ प्रयासों को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण सूझबूझ के साथ विधेयक का समर्थन करेंगे।

इन समापक टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2

धारा 21 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 7,-

"तीन मास" के स्थान पर "चार मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

नये अध्याय चार-क का अन्त:स्थापन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:

'स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''वास्तविक और क्रियाशील औद्योगिक या वाणिज्यिक स्थापन'' से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई स्थापन जहां कोई सद्भावपूर्ण औद्योगिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप होता है और आवश्यकत: कारबार का मुख्य स्थान होना आवश्यक नहीं है;'। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17, ''यथाशीघ्र'' के स्थान पर, ''विहित अवधि के भीतर'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 10, ''बिना किसी विलंब के'' के स्थान पर, ''विहित अवधि के भीतर'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 5,–

पंक्ति 3, ''36छ'' के स्थान पर, ''36छ(1)'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 5, पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए,–

''(2) विनियमों द्वारा नियत अधिभार के संदाय के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए 6 महीने की अनुग्रह अवधि अनुज्ञात की जाएगी।''।

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6

अध्याय दस का लोप

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 20,–''न किया गया हो'' के स्थान पर ''फाइल नहीं किया गया हो'' प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 5, पंक्ति 22, ''विवादग्रस्त हित अर्जित करता है'' के स्थान पर, ''समनुदेशन या पारेषण के ज्ञान के बिना विवादग्रस्त हित अर्जित करता है'' प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 9

कठिनाईयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 32 और 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

''(ixक) वह समय जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित किया जाना है और धारा 36घ की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विशिष्टियों को प्रमाणित करने की रीति;''। (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

''(ixघ) अन्तर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के विज्ञापन की रीति और वह समय जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की धारा 36ङ की उपधारा (3) के अधीन विज्ञापन किया जाएगा;''। (12)

पृष्ठ 6, पंक्ति 3 का लोप करें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 4, 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(ग) खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्।

(xiiiक) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन की रीति;

(xiiiख) वह अवधि जिसके भीतर रजिस्ट्रार धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन का निपटान करेगा;"। (14)

पृष्ठ 6, पंक्ति 7, "(ङ)" के स्थान पर "घ" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

"2007" के स्थान पर "2008" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"अट्ठानवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री अश्विनी कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अश्विनी कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.48 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 45 पर विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

श्री बसुदेव आचार्य और श्री पी. करूणाकरन के नाम से स्वीकृत है। श्री बसुदेव आचार्य ने माननीय अध्यक्ष से स्वयं के स्थान पर श्री रूपचंद पाल को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। माननीय अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब, माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल चर्चा शुरू करेंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, अन्ततः, इस सभा को कई करोड़ों के विविध आयामों वाले इस धोखाधड़ी या घोटाला या फिर महाघोटाला मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या कहूं, के बारे में चर्चा करने का अवसर मिल ही गया। इस महाघोटाले के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं।

यह कोई अपवाद नहीं है जैसाकि मंत्री जी ने दावा किया है, नहीं है। मंत्री जी ने कहा था कि यह एक अलग मामला है। यह प्रणाली में पैदा हो रही खामियों को उजागर करता है। सभी संस्थान, विनियामक, सरकारी एजेंसी और सभी संबंधियों का पूरा तंत्र ही कटघरे में खड़ा है। राजनीतिज्ञ भी कटघरे में खड़े हैं। आंध्र प्रदेश के प्रमुख अधिकारी/कर्मचारी सरकार से जुड़े अन्य लोगों की तरह ही कटघरे में खड़े हैं। अतः महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अन्ततः, हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिल ही गया।

विगत में, हमने हर्षद मेहता जैसे, केतन पारिख जैसे घोटालों, रूपन पंचाल आईपीओ घोटाला और कई दूसरे घोटालों की चर्चा की थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल: इन संस्थाओं को संविधान तथा संसद द्वारा विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। वे बुरी तरह से असफल रही हैं। चाहे वह पूंजी बाजार विनियामक सेबी हो; चाहे, भारतीय रिजर्व बैंक हो; चाहे विभिन्न बैंक हों; चाहे आयकर विभाग, प्रवर्तन विभाग सहित अन्य एजेंसियां तथा कई अन्य संस्थाएं हों, जिनके बारे में मैं विचार-विमर्श के दौरान उल्लेख करूंगा।

7 जनवरी को संपूर्ण राष्ट्र को यह जानकर धक्का लगा कि सूचना प्रौद्योगिकी की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के सी.ई.ओ. द्वारा इकबालिया पत्र लिखा गया है, इसके पास 185 ग्राहक हैं, जिनमें से कई फार्च्यून-500 में हैं, जो कि स्वयं नायक था, जिसे कि बिल क्लिंटन के आने के समय उनके साथ बैठने की अनुमति दी गई थी, जबकि रतन टाटा, मुकेश अंबानी तथा अन्य लोग दर्शकगण थे। वह नायक अब खलनायक हो गया है। क्या ऐसा अचानक हुआ है। उसने स्वीकार किया है, "मैं झूठे लेखे तैयार करने का कार्य निधियों के गबन, धोखेबाजी करता रहा हूं। मैं यह सात सालों से करता रहा हूं।" ऐसा नहीं है कि यह अचानक सामने आया है। इस व्यक्ति का नाम काफी पहले केतन पारेख के समय आया था। इसके बाद 2002 में आयकर विभाग ने यह पाया कि राजू संबंधियों, माता-पिता, सास-ससुर, भाइयों तथा चचेरे भाइयों के नाम से खोले गए खातों का उपयोग धन को दूसरे खातों में ले जाने तथा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कर रहा था। 2002 में उनकी सरकार थी।

सभापति महोदय: क्या हमें उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जो सभा में उपस्थित नहीं है? आप उसे सी.ई.ओ. कह सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं किसका नाम ले रहा हूं? जी हां, मैंने एक महिला इंस्पेक्टर का नाम लिया था, उसका नाम यहां दिया गया है, इसके बारे में देश अच्छी तरह से जानता है। यह लिखा गया है कि जिस महिला ने भारी पैमाने पर कर अपवंचन तथा अनियमितताओं का पता लगाया था, मामले की जांच करने की बजाय उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। यह उनकी सरकार थी। सी.बी.डी.टी. भी था। इस आदमी के पास 63 देशों में बंगले तथा विला थे, जिससे कि निजाम को भी ईर्ष्या होती। इसके पास 21000 जोड़ी से अधिक जूते थे, जिससे कि इमेल्डा को भी ईर्ष्या होती। वह सभी प्रकार की हेराफेरी, धन का गबन, तथा उस तरह का हर अपराध कर रहा था जो कि किसी पढ़े-लिखे अपराधी द्वारा किया जाना संभव है। अब क्या हुआ? 7 जनवरी, 2009 को इस भंडाफोड़ के बाद आज तक यद्यपि प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा घोटाला सामने लाया जाएगा, घोटाले के स्वरूप की जांच की जाएगी तथा तीन महीने के अंदर अपराधियों को उपयुक्त सजा दी जाएगी। आज तक क्या हुआ है? छः सप्ताह से अधिक समय हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ- कोई प्रगति नहीं हुई है। कार्पोरेट कार्य मंत्री दो एजेंसियों के लिए उत्तरदायी हैं- गंभीर अपराध जांच कार्यालय तथा कंपनी रजिस्ट्रार। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जांच तथा सत्यम के सी.ई.ओ. से पूछताछ के लिए एस.एफ.आई.ओ. की पहुंच नहीं थी। यह एक साजिश थी—मैं आरोप लगाता हूं कि यह आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा घोटाले को पर्दे के पीछे रखने के लिए की गई साजिश थी—सी.आई.डी. ने संपूर्ण उत्तरदायित्व ले लिया था—सत्यम प्रमुख ने स्वयं आत्मसमर्पण किया था तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसकी चर्चा 'रक्षात्मक हिरासत के रूप में की गई थी, न कि निवारक हिरासत के रूप में" अब वह सात सितारा विलासिता की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एक अपराधी जिसने हजारों शेयरधारकों को धोखा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रूपचंद पाल]

दिया, जिसने पैसे लूटे हैं, जिसने धन का गबन किया, इसे पांच सितारा तथा सात सितारा विलासिता की सुविधा मिली हुई है और एस.एफ.आई.ओ. उससे पूछताछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक जटिल घोटाला है। आंध्र प्रदेश के सी.आई.डी. के पास ऐसा साधन नहीं है जिससे वह गहराई में जाकर मामले की जांच कर सके; लेकिन इसके बावजूद इसने प्राधिकार ले लिया; वे सेबी से भी सहयोग नहीं करते। इनसाइडर ट्रेडिंग की गई। इसका अर्थ यह है कि 7 जनवरी को अपराध स्वीकार करने के ठीक पहले एक दिन में 92 लाख शेयरों की अदला-बदली हुई। वास्तव में 2.45 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों का अंतरण अथवा बिक्री की गई। क्या यह केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया? नहीं। इसाइडर ट्रेडिंग की गई। इसी में दु:खद घटना निहित है।

अपराध स्वीकार किए जाने से ठीक पहले एक्जेक्युटिवों, वाइस-प्रेसिडेंटों ने लाखों शेयर बेचे। दु:खद घटना अथवा विडम्बना यह है कि वर्तमान सी.ई.ओ. ने भी ऐसा किया है। मैं यहां उपस्थित मंत्री महोदय को याद दिला रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या किया सकता है? यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति बेच दे। यहां तक कि वर्तमान सी.ई.ओ.—श्री मूर्ति, मैं उनका नाम ले रहा हूं, यदि आप चाहें तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं जिन्हें सीईओ बनाया गया है— वे इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त हैं।

निदेशक मंडल में, प्रख्यात नाम, सेलिब्रिटीज, पूर्व केबिनेट सचिव, अन्तर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूलों से बहुत अतिमहत्वपूर्ण नाम हैं। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। उन्हें निदेशक मंडल में रखने की अवधारणा भिन्न है।

एक बार सार्वजनिक क्षेत्र के मुखिया ने टिप्पणी की थी— प्रतिस्पर्धा का समान अवसर दिए बिना आप हमें ऐसे नियंत्रण के अधीन ला रहे हैं। हम एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, सरकार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने में विलम्ब कर रही है तथा आप कह रहे हैं कि हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यधीन हैं, संसदीय समिति हमारी संवीक्षा करती है; हम सीबीसीई, सीबीआई के न्यायिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। आप केवल हम पर ही निगरानी रख रहे हैं। आपके स्वतंत्र निदेशक कहा हैं? वे केवल नवरत्न हैं। यह वक्तव्य एक सबसे महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष ने दिया था— कि इस प्रकार से स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में सेबी हमारे साथ है तथा सरकार निठल्ली बैठी है। वे क्या कर रहे हैं? यदि वह कार्यपालक अध्यक्ष होता है तो 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे। ये स्वतंत्र निदेशक कौन हैं? उनकी नियुक्ति कौन करता है? वे सेलिब्रिटीज हैं। सत्यम मामले में बाद में क्या हुआ। प्रतिदिन स्वतंत्र निदेशक, सेलिब्रिटीज विभिन्न बोर्डों से त्यागपत्र दे रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

वे कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं बल्कि उन्हें छोटे निवेशकों के हितों के प्रहरी का काम करना चाहिए। वे जीवन का आनन्द ले रहे हैं। उन्हें धन दिया गया तथा चूंकि भारी मात्रा में उन्हें फीस दी गई, इसलिए वे चुप रहे। हमें कुछ नहीं मालूम। सरकार ने उन्हें बरी करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी अवधारणा क्यों है? वे अपने निकट संबंधियों की तेजी से नियुक्ति कर रहे हैं। इन सात वर्षों के दौरान स्वतंत्र निदेशक कौन-कौन थे? मुझे बताया गया है कि कुछ लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। सत्यम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक कौन-कौन थे? मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। वे महत्वपूर्ण लोग हैं। वे पूर्व केबिनेट सचिव, महत्वपूर्ण बिजनेस स्कूलों के प्रोफेसर, प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लोग थे। उसने 358 से ज्यादा कंपनियां बनाई तथा उनमें से अनेक काल्पनिक एवं भागने वाली कंपनियां थी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से रीयल एस्टेट क्षेत्र को धन स्थानान्तरित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में 17000 एकड़ जमीन कंपनी को दी थी। विद्युत और सिंचाई क्षेत्र में उन्हें 38,000 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री की पसंदीदा पेयजल योजना जिसका नाम कृष्णा पेयजल योजना था, उन्हें ही दी गई। न केवल विद्युत एवं सिंचाई क्षेत्र की योजनाएं भी उन्हें दी गई, बल्कि प्रतिष्ठित हैदराबाद मेट्रो भी उन्हें दी गई। प्रख्यात हस्ती श्री श्रीधरन, जो कि दिल्ली मेट्रो के कार्य से जुड़े हुए हैं ने योजना आयोग में शिकायत की थी कि जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरी योजना में बदलाव करने की मांग की थी वह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केन्द्र सरकार ने भी हस्तक्षेप नहीं किया है। योजना आयोग ने इसकी परवाह नहीं की है। यह कार्य मैसर्स मेटास इन्फ्रा नामक कंपनी जो कि मैसर्स सत्यम की अनुषंगी कंपनी है के द्वारा किया गया है। वस्तुत: दो कंपनियां हैं, प्रथम मैसर्स मेटास इन्फ्रा जो कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी है तथा दूसरी मैसर्स मेटास प्रोपर्टीज है। सभी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए हजारों करोड़ों रुपये के ठेके दिए गए। यदि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार का राजा माना जाता है तो कौन कह सकता है कि यह सही नहीं है? भ्रष्टाचार के इस राजा के बारे में आंध्र प्रदेश में एक कहावत है। यह एक प्रकार की सांठ-गांठ है। वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हैं जिसका इन भूमि सौदों में बार-बार नाम उछल रहा है। नाम भी वही है, पता भी वही है। वह एक राजनीतिक नेता हैं। वह व्यक्ति कौन है? इन्हें हमसे बेहतर पता होगा। कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि वह सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। सबसे पहले सभी कागजात सीआईडी ले गई। सेबी

और अन्य संस्थाओं को पूछताछ की अनुमति नहीं दी गई। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् ही सेबी को सत्यम के प्रमुख से पूछताछ करने का अवसर दिया गया। जबकि जो कार्य सीआईडी ने करने के प्रयास किये उसे करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सेबी की थी। सीआईडी ने सहयोग नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे अनुरोध कर रहे हैं तथा इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देने के लिए लिख रहे हैं। उसी दिन राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। यह कब प्रकाशित हुआ था? यह तब हुआ जब सर्वोच्च शीर्ष ने मुलायम सिंह के मामले में टिप्पणी की कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के आदेश पर कार्य कर रहा है। लगभग उसी समय एक न्यायालय ने अपने आदेश में निठारी में हुई मौतों पर टिप्पणी की थी। इस देश के लोगों को पता चल चुका है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने कदाचार और भ्रष्टाचार से अपनी छवि को दागदार कर लिया है और कोलकाता में इसके एक डीएसपी की गिरफ्तारी से यह बात साफ हो चुकी है यह डीएसपी नोबल पदक की चोरी तथा सिंगूर मामले एवं ऐसे सभी अन्य मामलों की जांच से जुड़ा था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने स्वयं उक्त अधिकारी को कोलकाता की गलियों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में यह सर्वविदित है और ऐसा कल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में एक समाचार प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया था कि उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है और उन्हें इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हैदराबाद जहां हम एक कार्यालय की स्थापना कर सकते हैं, में कोई कमरा उपलब्ध नहीं था। वहां टेलीफोन नहीं था वहां कोई स्थान उपलब्ध नहीं था जहां हम एकत्रित अभिलेखों को संभाल कर रख सके। *...(व्यवधान)* राज्य सरकार जांच शुरू करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कोई स्थान न देकर उसके साथ सहयोग कर रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं यह इल्जाम लगाया है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आपके नियंत्रण में है। यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कमरा न मिलने और अभिलेख रखने के लिए स्थान न मिलने जैसे आरोप लगा रही है। यह लोकतंत्र की विडम्बना और उसके साथ मजाक है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्नावल्ली (राजामुन्दरी): क्या आप समाचार पत्र में प्रकाशित लेख का हवाला दे रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किसने कहा है? *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं पक्के तौर पर कह रहा हूं कि यह प्रेस में छपा है। यदि आपके पास इसके विपरीत कोई सूचना है तो आप उसका हवाला देकर मेरे इल्जाम का खंडन कर सकते हैं। मैं इल्जाम लगा रहा हूं। यदि आपके पास इसके विपरीत कोई सूचना है तो आप उसका हवाला देकर मेरे इल्जाम का खंडन कर सकते हैं। मैं इल्जाम लगा रहा हूं। आप कह सकते हैं कि स्थान उपलब्ध कराया गया है, कमरा या घर उपलब्ध कराया गया है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो खुश है और वे जांच शुरू करने जा रही है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अब तक राज्य सरकार ने इस बारे में इंकार नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मैं ऐसा अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। मैं ऐसा स्वयं की जानकारी के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। यदि आपके पास इसके विपरीत कोई जानकारी है तो आपको उसका हवाला देकर मेरी बात का खंडन करने और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की पूरी स्वतंत्रता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूपचंद पाल के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल: कृपया यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मंत्री महोदय की जिम्मेदारी क्यों निभा रहे हैं? आपको अभी मंत्री बनना है। *...(व्यवधान)* यदि आप पंद्रहवीं लोक सभा में वापस आए तो शायद आप *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पाल, केवल आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित करूंगा। मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा।

महोदय, 18 बैंकों ने अपनी चीजों का खुलासा किया है और "अपने उपभोक्ता को जानो" का क्या हुआ? बैंकों में लगातार धन आ रहा है। यह धन किसके खाते में आ रहा है, किस खाते से आ रहा है और यह धन कहां से आ रहा है? यदि आप एक संसद सदस्य के रूप में भी बैंक जाते हैं तो बैंक वाले मेरे फोटो, पता और मतदाता पहचान-पत्र इत्यादि मांगते हैं? यह आईपीओ घोटाले जैसा है। वे एक स्लम की मतदाता सूची पर विश्वास करते

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रूपचंद पाल]

हैं और काल्पनिक नाम से खाता खोल देते हैं। फर्जी खाते खुलवाए गए। मैं आर.बी.आई. पर भी आरोप लगा रहा हूं। बीएनपी पारीबस, एचएसबीसी, सिटी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सभी इसमें शामिल हैं। आर.बी.आई. को क्या हुआ है? ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आर.बी.आई. से इस संबंध में पूछा है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, जो कि लेखापरीक्षक हैं, को अपने कार्यकरण की वजह से या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक घोटाले में अपनी संलिप्तता के कारण बदनाम होना पड़ा। उन पर प्रतिबंध लगाया गया। किंतु तीन वर्षों के पश्चात् आर.बी.आई. ने प्रतिबंध हटा लिया। मैंने आर.बी.आई. से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने पूछा: ''हम क्या कर सकते हैं?'' इंडियन चार्टर्ड एकाउण्टेंट इंस्टीट्यूट, आईसीएआई, स्व-विनियामक निकाय है। उनसे इस संबंध में ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। हमने उन्हें प्राइसवाटरहाउस कूपर्स और उनके कुकृत्यों के बारे में लिखा है। किंतु उन्होंने और उनके कुकृत्यों के बारे में लिखा है। किंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया है, उन्होंने इस अपराध का संज्ञान नहीं लिया है और उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, हम क्या कर सकते थे? अत: , हमने प्रतिबंध हटा लिया है।

विश्व में कहीं भी एक प्रमुख लेखा परीक्षा निकाय के मामले में इस प्रकार का स्व-विनियमन नहीं किया जाता। विशेषकर प्राइसवाटरहाउस कूपर्स केवल ग्लोबल ट्रस्ट बैंक घोटाले में ही नहीं बल्कि पहले भी अनेक घोटालों में संलिप्त रहे हैं। उन्हें भारी भुगतान किया गया। आप इंफोसिस, टीसीएस या विप्रो जैसी अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षक के शुल्क से तुलना करें। यह उससे भी कहीं ज्यादा था। इसमें सांठगांठ थी। किंतु दुर्भाग्यवश, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने कुछ भी नहीं किया। मैं पहले ही यह बता चुका हूं।

आयकर विभाग को 2002 से ही पता था कि कर अपवंचन किया जा रहा है। उस दिन से एनडीए के शासन काल के दिनों में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार के पास सारी सूचना मौजूद है। उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? यह कृत्य अलग रहकर नहीं हो सकता। इसमें सांठगांठ थी। किसी स्तर पर, बोर्ड स्तर पर और अन्य स्तरों पर कुछ सांठगांठ थी। अन्यथा इस प्रकार का व्यापक घोटाला नहीं हो सकता था। इसने हमारा नाम खराब किया है और देश का नाम खराब किया है। यह कार्पोरेट इंडिया पर एक धब्बा है। इसने 50000 से ज्यादा कर्मचारियों की जीविका को खतरे में डाला दिया है। इसके अतिरिक्त, इसने सैकड़ों और हजारों छोटे निवेशकों को प्रभावित किया है, जिन्होंने विश्वास पर अपना पैसा लगाया था। इसने संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

यदि सांविधिक निकाय, जिसे निगरानी एजेंसी माना जाता है, इस प्रकार से आचरण करे। यदि स्वतंत्र निदेशक, जो हस्तियां हैं, इस प्रकार से कार्य करें, तो इस देश का क्या होगा? इतना सब होने के बावजूद शेयरों का नियोजन जारी था। शेयरों के नियोजन की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यह कोई जुदा मामला नहीं है क्योंकि यूके नोबल रिसर्च ग्रुप का कहना है कि ऐसी 500 भारतीय कंपनियां खातों के इस प्रकार के हेर-फेर में संलिप्त हैं। यह यूके नोबल रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट है। एक अन्य रिपोर्ट है। वह रिपोर्ट क्या है? यह श्री पाई की रिपोर्ट है, जिन्हें हर्षद मेहता मामले में जांच का कार्य सौंपा गया था। वे आयकर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने, स्विस बैंकों में पड़े भारतीय धन की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की कि चौदह बिलियन डालर्स से अधिक धन स्विस बैंकों में पड़ा है। स्विस बैंकों में सबसे अधिक धनराशि भारतीय धन के रूप में ही है। वे यह टिप्पणी कर रहे हैं कि भारतीय नैगम क्षेत्र द्वारा मात्र 25 प्रतिशत का लाभ दर्शाया जा रहा है। सत्यम के मामले में क्या हुआ है? एक प्रवर्तन निदेशालय मौजूद है। 63 देशों में विला मौजूद है। मारिशस मार्ग के जरिए धन एकत्रित किया गया है या हेर-फेर से इकट्ठा किया गया है। एक मारिशस संपर्क भी शामिल है। एक मारिशस कंपनी भी शामिल है। यह भी जांच के दायरे में है किंतु कुछ भी पता नहीं चल पाया है। प्रवर्तन निदेशालय कई टिप्पणियां कर रहा है और यह सब बातें कह रहा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। यू.एस. क्लास कार्रवाई हो चुकी है, वह एक अलग मामला है। कुछ लाबियां दबाव डाल रही हैं कि सत्यम को औने-पौने दामों में बेच दिया जाए। हम इसके विरोध में हैं। यह एक अलग कहानी है। सरकार एक निस्तारण पैकेज ला रही है किंतु संस्थानों की विश्वसनीयता सरकार की अत्यधिक चिंता का विषय होना चाहिए। एक कंपनी आ सकती है और एक कंपनी जा सकती है किंतु जो संस्थाएं और प्रणालियां कई वर्षों में स्थापित की गई हैं, वह प्रणाली आज शक के घेरे में है। इस प्रणाली में भारी खामियां हैं। लोगों में यह भावना व्याप्त है कि जानबूझकर इन भारी खामियों का फायदा उठाने का अवसर देने की सांठगांठ की जाती है; अन्यथा किस प्रकार से यह व्यक्ति, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी जांचकर्ता द्वारा 2002 में पकड़ा गया था, उसे 2002 से 2009 तक लोगों का धन हड़पने की इजाजत दी गई? यह नई बात नहीं है।

महोदय, अब मैं आंध्र प्रदेश के भूमि सौदे का संदर्भ देना चाहूंगा। 14 राज्यों में इसका ठेका दिया गया। यह दिल्ली में सत्तासीन लोगों के सहयोग, सहायता और मदद के बिना यह कैसे संभव हो सकता? बिना इसके यह संभव नहीं था। 14 राज्यों में उन्हें ठेके, बड़े ठेके, सिंचाई, सड़क, विद्युत, रेल, हवाई अड्डा, पत्तन सहित क्या-क्या नहीं किया गया। आप देखेंगे की भूमि के

सौदों ने उन्हें न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत में जमीन का बेताज बादशाह बना दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप 30 मिनट ले चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचंद पाल: महोदय मैं दस मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं। सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। यह केवल कुछ पैसा उपलब्ध कराने का सवाल नहीं है। आई.डी.बी.आई. 600 करोड़ रुपए देगी, कोई प्रमुख निवेशकों की तलाश करेगा, सेबी अधिग्रहण की भूमिका हटा देगी जिससे प्रतियोगी किसी-किसी तरह आ सकेंगे। नाम आएंगे और औन-पौने दाम में बेचने का दबाव आएगा। यह कहानी का एक पहलू है। यह सत्यम को, इसके कर्मचारियों को, पणधारकों के हितों और इसके जैसी अन्य चीजों को बचाने का उपक्रम है। इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। यह कारपोरेट भारत की छवि से संबद्ध है। यह सच है। परंतु अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रणाली और हमारे संस्थान हैं—क्या सेबी इसकी अनदेखी करेगा और क्या सेबी यह नहीं जानता कि बाजार में क्या हो रहा है? क्या आर.ओ.सी. इसे नहीं जानता, यहां क्या हो रहा है क्या इसे जानना रजिस्ट्रार आफ कंपनीज की जिम्मेदारी नहीं है? अब, अचानक वे जाग रहे हैं। यहां कोई वाणिज्यिक सूचना प्रणाली नहीं है। मेरा यह आरोप है कि यह सब राजग सरकार और संप्रग सरकार, दोनों का किया धरा है और इसने ही देश के लोगों की छवि खराब करने के साथ-साथ उन कारपोरेट घरानों की छवि खराब की है जिन्होंने भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट छवि बनाई है। यह उन्हें भी चोट पहुंचाता है। अत: केवल सत्यम को बचाना एकमात्र विकल्प नहीं है। इस सरकार का एकमात्र कदम इस मामले को रफा-दफा करना नहीं होना चाहिए।

महोदय, सभा में चर्चा से बचकर वे अपना बचाव नहीं कर सकते। उन्हें जवाब देना होगा कि सात वर्षों की लंबी अवधि तक दोनों राजग और संप्रग सरकार क्या कर रही थी। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उसने ही इस सब की अनुमति दी है।

महोदय, हर्षद मेहता मामले पर भी एक जेपीसी गठित की गयी थी। हमारे माननीय मंत्री जी भी दूसरी जेपीसी के सदस्य थे। हमने कतिपय सिफारिशें की थी। हां, माननीय मंत्री जी उस जेपीसी में मेरे साथ थे। हमने किसी दूसरी हैसियत से आई.पी.ओ. घोटाला और अन्य घोटालों की भी जांच की। आज से पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जहां सीआईडी समुचित कार्यवाही करने में सक्षम थी पर ऐसा न करके इस मामले को रफा-दफा करने का खुलेआम प्रयास किया गया। पुलिस ने रक्षात्मक हिरासत को तो मंजूरी दे दी लेकिन न्यायपालिका ने सेबी, एस.एफ.आई. तथा आर.ओ.सी. जैसी एजेंसियों को, जो सत्य को उजागर कर सकती थी, जांच की अनुमति नहीं दी। बाद में सब कुछ रफा-दफा कर लिया गया—मैं अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूं। मैं सीधे सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप 'रफा दफा' की जगह कोई सटीक शब्द प्रयोग कर सकते हैं— सीबीआई जांच के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर। हर कोई जानता है कि सीबीआई का आज कल क्या मतलब है। कम से कम मैं सिंगूर के बारे में जानता हूं जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां के एक व्यक्ति श्री सुबीद दत्ता जो जेल में थे अब आजाद हैं। उन्हें बेल पर आजाद किया गया है। जिस व्यक्ति ने उन्हें जेल भेजा था अब वह स्वयं सलाखों के पीछे है। वह कोलकाता की सड़कों पर स्वयं सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मुलायम सिंह मामले में क्या कहा था, निठारी मामले में क्या कहा था और ऐसे अन्य मामलों में क्या कहा था इस बारे में हम सी.बी.आई. के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पुनर्विचार कर रही है?

मेरी पहली मांग स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में है। हमें उनका चयन कैसे करना चाहिए जैसा कि पहले हुआ है। क्या इसे प्रवर्तकों की मर्जी पर छोड़ दिया जाए? मैंने उन लोगों के नाम मांगे थे जो बोर्ड में हैं, को सत्यम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे। मेरी जानकारी में इस मामले में उनमें से कुछ के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। कुछ एन.आर.आई. भी हैं जो सत्यम बोर्ड से संबंधित हैं। कुछ भागे हुए हैं। कुछ लोगों को दोषी नहीं माना गया है। इस मामले में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जाएं। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वे कौन हैं? आपने ऐसा क्यों किया है? कानून की नजर में सब बराबर हैं। यदि आपने कोई गलत काम या अपराध किया है तो उसकी सजा मिलेगी। ...*(व्यवधान)*

अब, मैं अपनी दूसरी मांग पर आ रहा हूं। पहली मांग संरक्षण न देने के संबंध में है। स्वतंत्र निदेशकों के बारे में क्या हुआ? कई प्रकार के सुझाव आ रहे हैं। दूसरी मांग लेखापरीक्षकों के बारे में है। यदि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया अपने हिसाब से समय लगाएगी तो आप क्या करेंगे? क्या यह भी सुखराम जैसा मामला बन जाएगा जिसमें 13 या 14 वर्ष लगें? प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह तीन महीने में कर दिया जाएगा। 90 दिन 6 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। हम चुनाव से पहले एक आश्वासन चाहते हैं। कल चौदहवीं लोक सभा समाप्त हो जाएगी। यह अंतिम सत्र है। यह कौन जानता है? हम आज ही आश्वासन चाहते हैं। इस समय देश के लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके क्या परिणाम निकले।

[श्री रूपचंद पाल]

तीसरी मांग यह है कि सत्यम के प्रमुख जो कि सबसे निकृष्ट प्रकार का अपराधी है वह सात सितारा विलासितापूर्ण जीवन का आनन्द ले रहा है? उसने इस देश की छवि धूमिल की है। यह बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कुछ कर देने के बाद उसे सेवेन स्टार विलासितापूर्ण जीवन का आनन्द क्यों लेने दिया जा रहा है?

चौथी मांग यह है कि बोर्ड में शामिल अन्य लोगों को भी नहीं बक्शा जाना चाहिए।

अपराह्न 4.24 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं अपने अंतिम बिन्दु पर आता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। उसने जो कुछ भी छिपाया हुआ है सब उगलवा लो। ...*(व्यवधान)* उसने जो कुछ भी छिपाया हुआ है इस बार आपको उगलवा लेना चाहिए।

तत्पश्चात् यथाशीघ्र सभी स्टेकहोल्डरों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

ऐसे दोषी जिसने भारत, उभरते भारत, निगम भारत के नाम पर बट्टा लगा दिया और जिसने इस प्रकार निधियों का संदेहास्पद और जघन्य रूप से अन्यत्र उपयोग करके, खातों में गलत आंकड़े दर्शाकर और इनसाईड ट्रेडिंग आदि करके सत्यम पर बने लोगों के विश्वास और आस्था को चोट पहुंचाई, उसे सजा देने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के प्रति यह सरकार की जिम्मेदारी है वह सत्यम मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं सत्यम कम्प्यूटर सर्विस लिमिटेड के मामले में कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड एक साधारण भारतीय आईटी कंपनी नहीं है। सत्यम के रामालिंगा राजू रातों रात उड़ने वाला आप्रेटर नहीं था। सत्यम न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था। यह यूएस सरकार सहित फार्चून-500 तथा फार्चून-1000 कंपनियों और उनके ग्राहकों का गौरव हुआ करती थी। जब यू.एस. में एनरॉन घोटाला उभरकर सामने आया तो पूरा कारपोरेट विश्व इससे प्रभावित हुआ। सत्यम भी कुछ कम नहीं है। विश्व भर में हमारे आईटी क्षेत्र की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। आज छोटे निवेशक आईटी कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहते। महोदय, भारत में हम नायकों को पूजते हैं और हमारे पास शेयर बाजार में गड़बड़ी के अनेक उदाहरण हैं। हमारे पास तो हर जगह नायक ही नायक हैं। हमारे पास हर्षद मेहता, केतन पारेख, रमेश गैली आदि जैसे नायक हैं। सत्यम के रामालिंगा राजू इस कड़ी में जुड़ने वाला नायक प्रतीत होता है। श्री रामालिंगा राजू एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें विशेष सम्मान दिया जाता था और राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में उनका नाम शुमार था तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अफशरशाहों, विदेशों के अति अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ उनका उठना बैठना था तथा उन्हें बाजार की गहरी पकड़ थी। राजू में ये सब खूबियां थीं और फोर्चून-1000 कंपनियों में उद्धृत सूची उनके मित्रों की थी।

जब सत्यम मेटास फर्म को खरीदना चाहता था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेटास क्या है? वस्तुत: मेटास सत्यम का ही अतिरेक भण्डार है। यदि आप सत्यम का नाम लेते हैं और इसके अतिरेक भण्डार को अलग कर देते हैं तो मेटास बन जाता है। जब शेयरधारकों ने इसे चुनौती दी तो वे केवल रूक गए। वस्तुत: आपको अलग ढंग से देखना चाहिए।

मेरे विचार से, यह सौदा जो होना था और जो रद्द हो गया, संबद्ध पार्टी लेन-देन के बारे में है। जो संबद्ध पार्टी लेन-देन हो रहा था यह उसका राजा या बादशाह है। पकड़े जाने पर राजू ने 7,000 करोड़ रुपये के घोटाले की बात को स्वीकार किया तथा यह माना कि वह पिछले अनेक वर्षों से सत्यम कम्प्यूटर्स के वित्तीय खातों में जालसाजी कर रहा था तथा अधिक लाभ और आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा था।

यद्यपि, हमें जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी, हम रामालिंगम राजू की आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री तथा वहां मंत्रियों और नौकरशाहों से उसकी घनिष्ठता को भी उत्सुकता से समझना चाहते हैं। राजू के परिवार ने राज्य सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के आधार पर मेटास जैसी कम्पनियां बनाई जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होती है और उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा, सत्यम के साथ-साथ मेटास को अपने स्वामित्व में करने का लालच उसके पतन का कारण बना। कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने आई हैं। सत्यम कम्प्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवा बाजार की बड़ी कंपनियों की बराबरी करने के लिए अपने आंकड़ों में गड़बड़ी की। क्या वास्तव में उनकी बिक्री कम हुई तथा आय कम हुई और इसलिए कंपनी के पास पैसा नहीं है? आंकड़ों में गड़बड़ी कर कंपनी को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से लाभ हो सकता था और वह झूठे वित्तीय खातों के बीच अंतर को कम करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी या सत्यम कंप्यूटर के पास वित्तीय अधिकार थे

और इसलिए कम्पनी के पास बहुत सा धन पड़ा हुआ था। परंतु राजू और उसकी कंपनी ने लगभग 10,000 कर्मचारी जो कम्पनी में कार्यरत नहीं थे उनके वेतन खातों सहित फर्जी भुगतान खातों का उपयोग कर पैसा हड़प लिया। इसकी जांच होनी चाहिए जो इस पर और जो मैंने कहा है उस पर रोशनी डाल सकती है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसकी जांच करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल मैं ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से एक और नाम मेरे पास आया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मेरी यह धारणा थी कि अपनी पार्टी से केवल मेरा ही नाम है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी की ओर से एक अन्य माननीय सदस्य का नाम दिया गया है। हर पार्टी इस विषय पर दो घंटे की चर्चा करने के लिए सहमत हुई है। ठीक है, आप 2-3 मिनट और ले सकते हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: परंतु अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमें अपने देश की साख बचाने के लिए शीघ्र कदम उठाने तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या आज ऐसे और भी कोई सत्यम हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को अपनी ओर से निम्न बातों की सिफारिश करता हूं उन्हें सुरक्षोपाय करने चाहिए या सेबी को इन मामलों के संबंध में बताया जाना चाहिए; वित्तीय खातों की पारदर्शिता का उच्च स्तर बनाए रखना जिसमें वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा प्रमाणन करना भी शामिल है; किसी दूसरी लेखा फर्म द्वारा लेखापरीक्षित परिणामों की स्पष्ट समीक्षा; कंपनी के प्रोमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों तथा इस प्रकार की गिरवी रखने की शर्तों का अनिवार्य रूप से बताया जाना।

चौथी बात, मैं कंपनी के अंदरूनी व्यक्तियों द्वारा शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए कड़े मानदण्ड तय करने तथा लोगों के बड़े समूह को इसमें शामिल करने और प्रोमोटरों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अंशधारिता की बिक्री की अग्रिम सूचना देने की सिफारिश करता हूं। पांचवें, मैं सूचना प्रबंधन कंपनियों द्वारा रीयल एस्टेट निवेश को विनियमित करने तथा उसकी निगरानी करने की सिफारिश करता हूं। अंत में, मैं बड़े नकदी भण्डार को विनियमित करने तथा अंशधारकों को अधिक लाभांश देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर जोर देने की सिफारिश करता हूं।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब अमेरिका में 'एनरान' दिवालिया हो गई थी, तो 'ए' ग्रेड की लेखा फर्म, आर्थर एंडरसन ने 'एनरान' के भार को भी वहन किया। क्या प्राईस वाटरहाऊस के मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा?

महोदय, मैं आंतरिक लेखापरीक्षकों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं, चूंकि प्राईस वाटरहाऊस एक बाहरी लेखापरीक्षक है। मेरे सहयोगी आंतरिक लेखापरीक्षा तथा स्वतंत्र निदेशकों के बारे में बात कर रहे थे। 'एनरान' मामले के बाद सेबी ने खण्ड 47 लगा दिया जिसके अनुसार इसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों की भी भूमिका होगी तथा वे स्वतंत्र निदेशक के तहत होंगे और ये स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक लेन-देन पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा होता तो यह घोटाला बहुत पहले उजागर हो जाता क्योंकि सात वर्ष से हेरा-फेरी हो रही है। आंतरिक लेखापरीक्षक क्या कर रहे थे? अगर आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र निदेशक के तहत थे, तो स्वतंत्र निदेशक क्या कर रहे थे? इसकी जांच होनी चाहिए।

मेरा विचार है कि पहली बार किसी मंत्री—वे मेरे साथ संयुक्त संसदीय समिति में भी थे—ने इतनी तीव्रता से कार्यवाही की। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसकी पूरी जांच करेंगे तथा हमें, देश को इसके बारे में बतायेंगे क्योंकि पूरा देश ही घोटाले के बारे में चिंतित है। हमारे सामने परिणाम आने चाहिए; हमें जांच करनी चाहिए। हमें ठीक-ठीक बताएं कि क्या हुआ है? पैसा कहां गया? क्या वे कर्मचारी सिर्फ कागजों में ही काम कर रहे थे? अथवा, क्या यह पैसा किसी की तिजोरी में चला गया है? इसकी जांच करनी होगी।

अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्यम के पेशेवरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी विशेषज्ञों के बारे में भी चिंता करनी होगी। चूंकि वे भी चिंतित हैं। यह एक बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। हम पेशेवरों और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी विशेषज्ञों के परिवारों के बारे में चिन्तित हैं। इसकी जांच किए जाने की जरूरत है।

श्री अरुण कुमार बुन्डावल्ली: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे वरिष्ठतम सदस्य हैं तथा मैं समझता हूं कि मैं कनिष्ठतम, पहली बार संसद सदस्य बना हूं। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि विभाग कुछ भी करने में समर्थ नहीं है; सरकार कुछ नहीं कर सकती है; न्यायालय अभियुक्त की मदद कर रहे हैं; तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक बेकार संगठन

[श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली]

है। अंत में, मैं प्रथम बार संसद सदस्य होने के कारण नहीं समझ पाया कि क्या किया जाना है। हम किसी को लाकर यह कहकर गोली नहीं मार सकते हैं कि तुम अभियुक्त हो। यह इसलिए क्योंकि तेलुगु देशम कह रही है, तेलुगु देशम की हमसे मित्रता है: "हम आपको अब जान से मारने जा रहे हैं; हम आपको फांसी देने जा रहे हैं।" इसके लिए यहां कानून है, एक प्रणाली है। हम जानते हैं कि न्याय पाने में विलंब हो सकता है, लेकिन न्याय मिल कर ही रहता है। इसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन श्री रूपचंद पाल, हो सकता है शुरू से ही अपनी साम्यवादी पृष्ठभूमि के चलते, तथा इतने वरिष्ठ व्यक्ति होने के चलते वे इस देश को भी ऐसा बनाना चाहते हों कि बिना सुनवाई के हम एक व्यक्ति को समाप्त कर सकते हैं, सरकार समझती है कि वे यहां बैठने के योग्य नहीं हैं।

मैं भाजपा के सदस्य श्री विजयेन्द्र पाल सिंह को समुचित कदम उठाने के लिए सरकार को बधाई देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

यदि तत्कालीन एनडीए सरकार ने उस समय कतिपय कदम उठाए होते, तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होता। 2002 में श्री रामदास आठवले, जो सभा में भी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपके द्वारा प्रशंसा सुनकर खुश हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: धन्यवाद, आठवले जी। महोदय, मैंने 2006 में आंध्र प्रदेश विधान सभा में एक वित्तीय घोटाला उजागर किया था। उस सभा में, मैंने इसे नहीं उठाया। श्री आडवाणी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने स्वयं कहा है कि हम प्रेस को नियंत्रित कर रहे हैं तथा आंध्र प्रदेश में प्रेस को दबा रहे हैं। महोदय, मैंने प्रेस के एक व्यक्ति के खिलाफ, उनके समाचार-पत्र के खिलाफ नहीं, एक आरोप लगाया था, उनके वित्तीय लेन देन के खिलाफ, भारतीय रिर्ज बैंक अधिनियम की धारा 45(ढ) के उल्लंघन के खिलाफ, धनराशि एकत्रित करने के खिलाफ आरोप लगाया था। जब मैंने यह आरोप लगाया था और जब जांच शुरू हुई थी तब वे सज्जन न्यायालय का स्थगन आदेश ले आए लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली तथा जमाकर्ताओं को 1800 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह पैसा कैसे बनाया?

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: यदि रूपचंद पाल यहां हैं, तो मैं यह प्रश्न उनसे पूछता हूं। क्योंकि वे उनके काफी करीब हैं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, यह सत्यम घोटाला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। आपको वहां बैठकर संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: कृपया धैर्य रखें। मैं जो भी बोलता हूं वह 'सत्यम' है। 'सत्यम' का अर्थ 'सच' होता है। सत्य की ही विजय होती है। मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे आपके राजगुरु हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया श्री अरुण कुमार के भाषण में व्यवधान के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: तब, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आरबीआई अधिनियम का उल्लंघन करके कैसे कोई व्यक्ति 2,600 करोड़ रुपये एकत्र कर सकता है। वे खुलेआम कहते हैं: "हां, मैं इसे कर सकता हूं। कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न नहीं कर सकता है।" यही उसने कहा। वे टेलीविजन पर आए और कहा: "मैं जानता हूं, मैं इसे कर सकता हूं।" मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी की सरकार.....*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके नाम का उल्लेख नहीं करें।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, मुझे खेद है। मैं इसे वापस ले रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कोई बात नहीं है। वे अपने नाम का उल्लेख कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, मुझे समस्या है। मुझे आपके प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: आपको इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अन्तिम दिन अपना कार्य करने दें।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। वे ऐसा तत्कालीन सरकार, तत्कालीन एनडीए सरकार की सहायता से ऐसा कर पाए होंगे। किसी ने 1999 में शिकायत की थी; उन्होंने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं शिकायत की कापी लाया था और मैंने इसे दिखाया था। अब, मामला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अन्य किसी न्यायालय में है।

अब, जब सत्यम की घटना हुई, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कोई ऐसा बिना सरकार की सहायता के कैसे कर सकता है। सरकार के कुछ लोगों ने इसकी सहायता की होगी। अगले दिन, श्री रामदास आठवले का वक्तव्य आया जिसमें कहा गया था कि 2003 में उन्होंने श्री वाजपेयी, तत्कालीन सेबी अध्यक्ष की इस घोटाला का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये जाली खाते हैं, तथा सरकार को कार्यवाही करने के लिए कहा था। याचिका की एक प्रति जो उन्होंने सेबी के यहां दायर की थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजी थी। इसके परिणामस्वरूप, एक महिला आयकर अधिकारी ने कहा था कि लेखाओं में कुछ गड़बड़ियां हैं; तुरंत उन्हें चुप रहने को कहा गया तथा उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। यह वक्तव्य भी श्री रामदास आठवले द्वारा दिया गया था। तब वे इस सभा में थे।

मैं श्री विजयेन्द्र पाल सिंह को याद दिला रहा हूं कि ऐसा 2003 में हुआ था। सत्यम कम्प्यूटर्स एक प्रतिमान बन गया था। वह बहुत बड़े आदमी बन गये थे। वह बिल क्लिंटन के साथ मंच पर उपस्थित होते थे। कई प्रख्यात लोग वहां बैठे थे; रतन टाटा बैठे थे। हम सबने टेलीविजन पर देखा था तथा सोच रहे थे, "यह आदमी कौन है?" हम उसके बारे में कभी नहीं जान पाए। मंच पर केवल तीन लोग थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आपको मौका मिलेगा। मैं आपको इस प्रकार व्यवधान नहीं पहुंचाने दूंगा।

मैं जानता हूं कि न केवल संसदीय चुनाव बल्कि विधान सभा के चुनाव भी नजदीक हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मैं श्री येरननायडु को समझ सकता हूं। जब तक आप मुझे व्यवधान नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए आप मुझे व्यवधान पहुंचाएंगे; आप हैदराबाद में अपने बास; अपने राजगुरु के साथ प्रसन्न होंगे। मैं जानता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु जब तक मेरी अनुमति से नहीं बोलते हैं तब तक उनका एक शब्द भी नोट नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मैं आपको अन्य मित्रता के बारे में भी बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है, प्रत्येक राज्य अपने राज्य में निवेश करने-हेतु उसे राजी करने का प्रयास कर रहा था। मैंने यह देखा है। मैं औद्योगिक विकास निगम का चेयरमैन था।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्यम कम्प्यूटर्स के एक कार्यालय का उद्घाटन करने अमरीका में न्यूजर्सी गये थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र तथा सत्यम कम्प्यूटर्स के तत्कालीन चेयरमैन के पुत्र दोनों ही स्टनफोर्ड यूनिवर्सिटी गये। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को सत्यम कम्प्यूटर्स से चेक द्वारा एक राशि का भुगतान डोनेशन या आप उसे जो कहना चाहें, दान के रूप में प्राप्त हुआ था। उसके बाद दो महीने के भीतर तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र का नामांकन उस कालेज में दाखिले के लिए आवश्यक कागजात दिखाये बिना हो गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो यहां उपस्थिति नहीं हों ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख न करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: बेहतर होगा कि एक वर्तमान न्यायाधीश को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया जाए। मैं संप्रग सरकार से अनुरोध कर रहा हूं *...(व्यवधान)* मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, वह मुझे व्यवधान पहुंचा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, जब आप बोलेंगे उस समय आपके नियत समय में से मैं इस समय को घटा दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, परेशान न हों। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी न लिखें।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मैं आपको बता रहा हूं, श्री येरननायडु कि मैं जो भी कह रहा हूं वह सत्यमेव जयते है *...(व्यवधान)* हम केवल सच बोलते हैं। यह सत्यमेव जयते है। हम केवल सत्य बोलते हैं और आप कांग्रेस सत्यम का समर्थन करते हैं। *...(व्यवधान)* वह आपकी पृष्ठभूमि है और यह हमारी पृष्ठभूमि है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे देखने दीजिए। यदि कुछ भी असंसदीय कहा गया है, मैं उसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यूनिवर्सिटी को दान करना असंसदीय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: इन्होंने कहा है कि सत्यम कम्प्यूटर्स ने चेक दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं इस बारे में काफी सचेत हूं। मैं किसी अपमानजनक वक्तव्य की अनुमति कभी नहीं देता।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, मैंने कोई अपमानजनक वक्तव्य नहीं दिया है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मेरे लिए यह मन्दिर तुल्य है। मैं जो भी बोलता हूं केवल सत्य बोलता हूं। यदि वे यह साबित कर दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में समान अंक और समान योग्यता वाला कोई दूसरा विद्यार्थी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको बोलने का अवसर मिलेगा। इन व्यवधानों के कारण मैं आपके सम्पूर्ण नियत समय में कटौती कर दूंगा।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, मैं श्री येरननायडु को सुझाव दूंगा कि कृपया इंटरनेट पर गुगल सर्च में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप करें और नाम देख लें।

अध्यक्ष महोदय: कोई नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, उन्हें उस नाम की जानकारी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप करने के पश्चात वह देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए और उसने कितने अंक पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: उन्हें यह भी पता चल सकता है कि डोनेशन के माध्यम से कितनी धनराशि दी गयी है। यह सूचना भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसलिए मैं कुछ भी बना कर नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।

महोदय, मैं इस सभा को यह बताना चाह रहा हूं कि हां, सत्यम कम्प्यूटर के रामालिंगा राजू एक धोखेबाज व्यक्ति हैं। उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकार कर ली थी। जब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जब तक उन्होंने इस बात को उजागर नहीं किया तब तक किसी भी व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं था। यह इसलिए क्योंकि हमें कभी भी उस पर संदेह करने का मौका ही नहीं दिया गया। वह उनके काफी निकट था। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री के काफी निकट थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री जहां कहीं भी जाते थे और साफ्टेवयर इंजीनियरों से बात करते थे, तो उनसे कहते थे: "रामालिंगा राजू आदर्श हैं। आपको उसके जीवन को आदर्श के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रामालिंगा राजू की तरह बनना चाहिए"। उनके बीच इस प्रकार के संबंध थे। हम भी यह सोच रहे थे कि वह एक बड़ा आदमी है, फारचुन-500 कम्पनियों में इसकी कम्पनी का स्थान था। उनकी अनुषंगी कम्पनी आकर विभिन्न ठेकों के लिए बोलियां लगा रही थी, जैसे उन्होंने गुजरात में बोली लगायी थी, बंगाल में बोली लगायी थी, और वे उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं। वे पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* परन्तु वह आपके प्रति जवाबदेह नहीं हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में, उन्हें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, उन्होंने तेलगु में बोला है। मैंने तेलगु में बोलने के लिए भी पूर्व अनुमति ले रखी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया हमारे बारे में सोचें। यह आंध्र प्रदेश विधान सभा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, वह एक कार्य के बारे में प्रश्न कर रहे हैं जिसे नामांकन पर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: इसे यहां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। वह एक नए सदस्य हैं और वह सीट पर बैठकर बोलने के लिए श्री येरननायडु से प्रेरित हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, 7 जनवरी, 2009 को श्री रामालिंगा राजू द्वारा दिए गए बयान से निवेशकों का विश्वास डिग गया। सत्यम कम्प्यूटर्स में लगभग 53,000 पेशेवर लोग कार्य कर रहे हैं और कम्पनी 50 देशों में सेवाएं दे रही हैं।

जब हमारे मुख्य मंत्री यहां विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में भाग ले रहे थे तभी उन्होंने तत्काल कहा कि सी.बी.सी.आई.डी. इस मामले की जांच करे।

ये लोग सी.बी.सी.आई.डी. पर ऊंगली उठा रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि यहां तक कि पाकिस्तानियों द्वारा बाम्बे के होटलों पर किए गए हमलों की तत्काल जांच स्थानीय पुलिस और सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा की गयी थी। यहां तक कि इस देश में किसी कद्दावर शख्सियत के मारे जाने पर भी एफ.आई.आर. थाना प्रभारी के पास ही दर्ज करायी जाती है। इस कार्य के लिए आईजी अथवा डीजी जैसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। प्रक्रिया यह है। तत्काल, हमारे मुख्य मंत्री ने सी.बी.सी.आई.डी. को जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, श्री चिदम्बरम और श्री प्रेमचन्द गुप्ता से बात की और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। यद्यपि 8 तारीख को अवकाश का दिन था, उन्होंने तत्काल इस विषय पर उनसे चर्चा की और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को इसकी जांच सौंपी। वे अवकाश के दिन ठीक अगले दिन हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है।

इस व्यक्ति ने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। वह कार्यालय गया और कहा, कृपया मुझे गिरफ्तार कर लो। 1,800 करोड़ रुपए के मुद्दे के बारे में अभी मैंने जो कहा है, तेलुगु देशम के अपने पैम्फलेट में छपा है—यह आदमी जो जीवन जी रहा है उसे देखो, ऐसा व्यक्ति जिसके घर में स्वीमिंग पूल है, जिसके घर में थिएटर है वह अब जमीन पर सो रहा है। उसे 200 ग्राम चावल और 10 ग्राम अचार दिया जा रहा है। ये बातें सभी समाचार-पत्रों में छप रही हैं।

ये लोग कह रहे हैं कि उसे 7-स्टार और 9-स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती। कौन दे सकता है? यदि उसे 7-स्टार सुविधाएं दी जाती तो वह न्यायालय जाकर यह क्यों कहता कि मैं आयकर निर्धारिती हूं, कृपया मुझे 'बी' श्रेणी दी जाए। उसने न्यायालय जाकर न्यायालय से 'बी' श्रेणी देने की मांग की। ये सभी अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।

अब आंध्र प्रदेश में हमारा सामना करने के लिए उनके पास मुंह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम राज्य के निर्धनतम लोगों को सभी प्रकार की चीजें मुहैया करा रहे हैं जो कि देश के किसी अन्य राज्य में कभी नहीं हुआ है। हमने 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. चावल दिया है। महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं ...*(व्यवधान)* एक मिनट इंतजार कीजिए। नहीं, आपके पास धैर्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी इच्छा के अनुसार किसी सदस्य को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: आपने मुझे तुरंत रोका था। क्या आप उन्हें रोकने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं उन्हें रोकूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास समय है। आपके पास समय नहीं था। यही कारण था कि मैंने आपको रोका था।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मुझे आवंटित समय के दौरान व्यवधान पैदा किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे खेद है।

महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण दूंगा। विधवाओं, बुर्जुग लोगों और विक्लांगों को दी जा रही 2,01,00,000 पेंशनों में से 70,00,000 पेंशन सिर्फ आंध्र प्रदेश में दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: सत्यम के बारे में बात करें।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: शेष भारत 1,31,00,000 पेंशन दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, मेरा समय दूसरों ने ले लिया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसका पता है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मुझे लम्बे समय के बाद अवसर मिला है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। कृपया मुझे पांच मिनट दें और मैं इसके अंदर अपनी बात सम्पात कर दूंगा?

अध्यक्ष महोदय: इसे भी एक दिन पहले देना चाहिए था। आप इसे समाप्त करें। हां मेरे पास बोलने के लिए पांच अन्य सदस्य भी हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, इस समय श्री रूपचंद पाल जी चले गए हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है। वे सरकार के विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगा रहे थे। यह आदत हो गई है। मैं वामपंथियों को उनके सादा जीवन एवं अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी के कारण बहुत पसंद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उसे भी पसंद करते हैं जिसे निष्कासित कर दिया गया है?

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: लेकिन वर्ष 2004 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम है 'बाबू जमाना अक्विनीति खजाना; जिसका अर्थ है कि 'बाबू के शासन में पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है।' इसमें उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश में 12926 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। यही कारण है कि हम 'बाबू' को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वे हमारे साथ आ गए। किसी तरह हम असफल रहे और हम जारी नहीं रख सके। अब, वे कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं और वे पुन: बाजू में शामिल हो रहे हैं। अत: रूपचंद पाल जैसे लोगों को जिनकी छवि बड़ी है, यह नियंत्रित करना चाहिए। यदि 12,926 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ या इसे कोई खा गया तो हमें राजनीति में रहने का क्या मतलब है? यदि आप लाभ प्राप्त करते हैं और इसका ध्यान नहीं रखते हैं एवं हमारी राजनीतिक सुविधा के लिए भूल जाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं श्री रूपचंद पाल जैसे कद्दावर व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं कर सकता। वे एक ईमानदार वामपंथी हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने उन्हें यहां आने की प्रेरणा दी है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: रूपचंद पाल जी मैं बता रहा था कि आपको यह कार्य करना चाहिए। आपने सत्यम कम्प्यूटर्स में रुचि ली है। आपने कहा कि सीबीआई कार्य नहीं कर रही है। कोई नहीं कर रहा है। आपको सबसे कार्य करवाना चाहिए। ऐसा न करें जैसा कि आपने 2004 में किया। आप आरोप लगा रहे हैं कि 'बाबू' ने 12926 करोड़ रुपए खाए हैं, और इसी कारण से आप 'बाबू' को छोड़ रहे हैं। आपने बाबू को छोड़ दिया और 12926 करोड़ रुपये का मुद्दा भी छोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना कद्दावर व्यक्ति एवं वामपंथी होने के कारण आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी तार्किक परिणति तक ले जाएं।

अध्यक्ष महोदय: वे क्या कर सकते हैं? उन्हें करना है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: वास्तव में आप हमें बताते हैं कि अब क्या हुआ है। इस पर सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की है, जिससे वह जेल में है और उसे जमानत नहीं दी गई है? उसकी सारी संपत्ति की कुर्की कर ली गई है।

श्री रूपचंद पाल: जनता इसका जवाब देगी।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: उन्होंने जो कहा मैं सुन नहीं पाया। महोदय, आप मुझे बताएं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा ''जनता इसका जवाब देगी।''

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: इसी प्रकार हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, यदि जनता इसका जवाब देती तो हम यहां नहीं होते? उन्हें अपने आप को समझना चाहिए। हमें यहां आना चाहिए और यहां बैठना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में वही होगा जो जनता कहेगी।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: जनता क्या कहेगी? उन्हें क्या पता है?

आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आपके अपने दल ने 12926 करोड़ रुपये दिए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जनता के अधिकार पर प्रश्न न करें।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आपके अपने दल ने *...(व्यवधान)* आपके आगे बैठे हुए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जाता है, कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ऐसा एक दिन हो गया पर यह अन्तिम बार है, मैं उन सदस्यों का विरोध जारी रखूंगा जो सभा को संबोधित करते समय बैठकर बोलते हैं। यह अत्यंत निन्दनीय है।

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: कृपया मुझे मात्र एक मिनट का समय और दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा यदि वास्तव में यह आखिरी मिनट हो।

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: यही सभी पुस्तकें हैं जो उन्होंने मुद्रित और वितरित की हैं। आपको मिली होंगी। यह पुस्तक पेर्री मसन की पुस्तक की तरह है, इसका शीर्षक है 'बैड एण्ड अग्ली' *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: महोदय, यह राजशेखर रेड्डी पर लिखी गई है, सभी भ्रष्टाचार के आरोप *...(व्यवधान)* उन्हें ये सभी कागजात आरओसी से प्राप्त हुए थे। लोगों को क्या पता चलेगा? श्री रूपचंद पाल कहां हैं? *...(व्यवधान)* इस आरओसी पत्र से लोगों को क्या पता चलेगा? हमें स्पष्ट करना है और हमें उन्हें बताना है। इन सारी बातों के संबंध में उन्होंने आरोप लगाए थे, जो उनके पत्रों में 2005 में, 2006 में, 2007 में और 2008 में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने चुनाव से पहले एक पुस्तक बनाई और इसे सामने लाए।

मैं यह आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि कोई अपराध हुआ है, यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह है जो कानून के अंतर्गत दण्डनीय है, तो उसे इसे प्राधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए, ऐसा न करने पर वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 202 और 120 के अंतर्गत आपराधिक है। जिन लोगों ने यह पुस्तक प्रकाशित की है वे धारा 202 और 120 के अंतर्गत दण्डनीय हैं और वे इससे बच नहीं सकते।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नियम 193 के तहत आपकी इजाजत से इस मामले को उठाया।

सत्यम कंप्यूटर घोटाला देश का बड़ा कारपोरेट घोटाला है। इससे देश की छवि को आघात लगा है। देश के महत्वपूर्ण आई.टी. सैक्टर को इससे जबरदस्त धक्का लगा है। यह मामला निजी क्षेत्र में व्याप्त गड़बड़ी को ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। यह घोटाला भारी ठगी, प्रपंच, लालच, लापरवाही और लचर नियम के चलते हुआ। ढीले-ढाले नियम के रहते हुए यह घोटाला हुआ।

महोदय, इसका एक सिलसिला है। पहले की घटना को देख लीजिए, पहले जो घटना घटी थी, तब यहां जेपीसी बनी थी, आपको याद होगा। जब हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसकी जांच की थी। उस कमेटी के जरिए कुछ इस तरह की अनुशंसायें की गयी थीं, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो अनुशंसा की थी, उसे नदरअंदाज कर दिया गया। इस घोटाले से कंपनी जगत की साख पूरी तरह गिर गयी। इससे भारतीय कंपनियों की छवि पूरी दुनिया में गिरी है।

सत्यम कंप्यूटर के पूर्व चेयरमैन, जिनकी चर्चा काफी हुई, रूप चंद पाल जी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की, वी. रामलिंगम राजू द्वारा 7 हजार 136 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जो मध्यम वर्गीय निवेशक थे, उनके लगभग 13 हजार 600 करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, इस घोटाले से इस कंपनी के 53 हजार कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस घोटाले का जन्म फेक कागजों पर हुआ। कंपनी निदेशक ने निरंतर 7 वर्षों में इनकम, मुनाफा या नकद भंडार को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसके कारण यह घोटाला हुआ। कंपनी ने राजस्व को 7 हजार 136 करोड़ रुपए दिखाया, जो कंपनी ने वर्ष 2008 में बहीखाते में ही दिखाया था।

अपराह्न 5.00 बजे

कंपनी की कुल सम्पत्ति का मूल्य 7,281 करोड़ रुपये से थोड़ा कम ही था। वहीं खाते में फर्जीवाड़ा करके कैश बैलेंस 321 करोड़ रुपये की बजाए 5361 करोड़ रुपये दिखाया गया। टोटल ब्याज के रूप में 376 करोड़ रुपये की अनर्गल आय दिखाई गई। कम्पनी के सिर पर 1230 करोड़ रुपये की देनदारी, ऋण था जिसे पूरी तरह छुपा लिया गया। इसे कहीं से प्रदर्शित नहीं किया

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

गया और न ही इसका उल्लेख है। इतना बड़ा आर्थिक घोटाला हो गया, लेकिन जब इकोनामिक डिपार्टमैंट में इकोनामिक आफैंस को रोकने के लिए तंत्र बना हुआ है, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि वह तंत्र क्या कर रहा था। क्या वह तंत्र सो रहा था? कम्पनी के हिसाब-किताब, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है और सेबी कम्पनी के मंत्रालय भी हैं, वित्त मंत्रालय है। सबको इसकी इन्टीमेशन जाती होगी। यह मंत्री जी बताएंगे कि इन्हें इन्टीमेशन गई या नहीं। सेबी को इन्टीमेशन जाती है, कम्पनी अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी जाती है, फाइनैंस मिनिस्ट्री को भी दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या हमारा समय ओवर हो गया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब दो घंटे के लिए राजी हुए थे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, कृपया मुझे घोटाले के बारे में बोलने के लिए समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: घोटाले के बारे में बोलने के लिए टाइम भी होता है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह नियम 193 के अंतर्गत चर्चा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं आपको बोलने के लिए एक और मिनट का समय देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सत्यम कम्पनी ने जो किया है, यह इतनी बड़ी धोखाधड़ी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: धोखाधड़ी के बारे में बोलने के लिए सिर्फ टाइम पर डिपैंड नहीं किया जाता, मैटीरियल पर किया जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है, इसमें ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह आंख मूंद ली हैं, हम आपके आदेश का पालन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं आपको बोलने के लिए एक और मिनट का समय देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: कृपया मुझे कम से कम पांच मिनट बोलने का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, इन्हें पांच मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कौन हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं आपकी भावनाओं के प्रति कठोर हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यदि ब्यूरोक्रेट्स सचेत होते तो यह घोटाला नहीं होता। जो हजारों निवेशकों का भट्टा बैठ गया है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पार्लियामैंट का टाइम भी लॉस नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी? इस घोटाले पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रोट्स की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आपने समय नियत कर दिया है, इसलिए अब मैं अपनी बात कनक्लूड करूंगा। इस तरह के घोटाले की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है, उसे सदन में बताना चाहिए। आज कारपोरेट गवर्नेंस एकाउंटिंग और कारोबारी आचरण जैसे मुद्दे पर पूरी तरह प्रश्नचिन्ह लग गया है। कम्पनी मामले के मंत्री ने घोषणा की कि इस मामले की गहनता से जांच होगी। मैं इसकी ताइद करता हूं। अब जो परिस्थिति है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो राजू है, जो वायरस है, पूरे देश की बड़ी साफ्टवेयर कम्पनी की रग-रग में यह वायरस फैला हुआ है। ये उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? राजू ने जो वायरस फैलाया है, राजू ऐसी चीज है जो सम्पर्क बनाने में माहिर है। इतना ही नहीं, वह सीधे राजनेताओं से भी मधुर संबंध बनाने में माहिर है। राजू रामलिंगम एकमात्र बी.काम. डिग्री पास व्यक्ति है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ईमानदारी डिग्रियों पर निर्भर नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उसकी डिग्री देख लीजिए और काम देख लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: फिर क्या हुआ?

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: दोनों की तुलना की जाए। घोटाले का भंडाफोड़ होने से पहले भनक तक नहीं लगने दी, उसने इतनी बुद्धि लगाई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतनी बुद्धि लगाई कि क्लिंटन के साथ बैठा।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बिल गेट्स और अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मंच पर बैठकर अपनी छवि को ऊंचा कर लिया और कारपोरेट जगत में अपना दबदबा कायम किया, जिसके फलस्वरूप कारपोरेट जगत द्वारा सत्यम कम्प्यूटर्स को गोल्डन पीकॉक एवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने बड़े जालसाज को एवार्ड से सम्मानित करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

अगले वक्ता श्री बृज किशोर त्रिपाठी होंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के माथे पर इस तरह का घोटाला कलंक है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन में वर्ष 1979 में आर्थिक सुधार हुए, उसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को इस लायक बनाया था, बुनियादी सुधार किए थे। लेकिन आज हम जो आर्थिक सुधार कर रहे हैं, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार हमने नहीं किया है। यही कारण है कि देश में बार-बार इस तरह से केसेज हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हर्षद मेहता वाला प्रतिभूति घोटाला हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब केवल श्री बृज किशोर त्रिपाठी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपकी रिटेन स्पीच हो तो दे दीजिए। केवल श्री बृज किशोर त्रिपाठी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आपके बोलने के लिए दो मिनट का समय नियत किया गया है, लेकिन मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया जांच एजेंसियों को सही तरीके से कार्य करने दीजिए। इसी की आवश्यकता है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: काफी हो गया। अब और नहीं। मुझे खेद है कि मैं आपको रोक रहा हूं। लेकिन मुझे अपना कर्त्तव्य पूरा करना है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** महोदय, देश का आई.टी. इंडस्ट्री सत्यम कम्प्यूटर्स घोटाला देश का बड़ा कारपोरेट घोटाला है। इससे देश की छवि पर आघात लगा है। यह मामला निजी क्षेत्र में व्याप्त गड़बड़ी को प्रदर्शित करता है। इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यह भारी ठगी और प्रपंच का मामला है, जिसे लालच, लापरवाही और लचर नियम ने मिलकर जन्म दिया है। इस घोटाले से कंपनी जगत की साख गिरी है तथा भारतीय कंपनियों की छवि बिगड़ी है।

सत्यम कम्प्यूटर के पूर्व चेयरमैन वी. रामलिंग राजू द्वारा 7,136 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया और देखते देखते मध्य वर्गीय निवेशकों का 13,600 करोड़ रुपया डूब गया। इतना ही नहीं इस घोटाले से इस कंपनी के 53 हजार कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया।

महोदय, जाली कागजातों ने इस घोटाले को जन्म दिया। कंपनी के निदेशक ने निरन्तर सात वर्षों में आय, मुनाफा तथा नकद भंडार को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। कंपनी ने राजस्व 7136 करोड़ रुपये दिखाया जो कंपनी के वर्ष 2008 में बही खाते में दिखाये गये कंपनी के कुल संपत्ति के मूल्य 7281 से थोड़ी ही कम है। बही खाते में फर्जीवाड़ा करके कैश बैलेंस 321 करोड़ रुपये की बजाय 5631 करोड़ रुपये दिखाया गया। ब्याज के रूप में 376 करोड़ की अनर्गल आय दिखाई गई। कंपनी के सिर पर 1230 करोड़ की देनदार (ऋण) थी, जिसे छिपाया गया।

महोदय, प्रश्न है कि इतना बड़ा आर्थिक घोटाला हो गया लेकिन अर्थतंत्र क्या कर रहा था? कंपनी के हिसाब-किताब शेयर बाजार का नियामक संस्था सेबी, कंपनी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सबको भेजे जाते हैं। इनमें से किसी की नजर सत्यम की धोखाधड़ी पर क्यों नहीं गई? यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया?

अगर ब्यूरोक्रेसी आंख मूंदे नहीं रहती तो भारतीय कारपोरेट जगत में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता जिसने हजारों निवेशकों का भट्टा बैठा दिया। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी? इस घोटाले पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट की भूमिका की जांच होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घोटाले की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

महोदय, इस प्रकरण से नैतिकता, कारपोरेट गवर्नेंस, एकाउंटिंग और कारोबारी आचरण जैसे मुद्दों पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। कंपनी मामले के मंत्री ने घोषणा किया है कि इस मामले की गहनता से जांच की जायेगी तथा दोषी को नहीं बख्शा जायेगा। इस घोषणा की मैं ताईद करता हूं। देर से ही भले ही। राजू ने जिस वायरस को तैयार किया वह देश के सबसे बड़े साफ्टवेयर कंपनी के रग-रग में फैल गया।

महोदय, राजू संपर्क बनाने में माहिर था। उसने कई शीर्ष राजनेताओं से मधुर रिश्ते कायम किए। राजू को नया तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हाईलाइट किया गया जबकि वास्तव में राजू रामलिंगा एक बी.काम. डिग्रीधारी है और उसने बड़ी चालाकी से इस सटीक घोटाले के लिए त्रुटि रहित फार्मूला बनाया। इसीलिए घोटाले में भंडाफोड़ होने के पहले किसी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं राजू ने माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मंच पर बैठ कर अपनी छवि को ऊंचा कर लिया। उसने कारपोरेट जगत में अपना दबदबा कायम किया जिसके फलस्वरूप कारपोरेट जगत द्वारा सत्यम कम्प्यूटर्स को गोल्डेन पीकाक अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक जालसाज को अवार्ड से सम्मानित करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घोटाला भारत के माथे पर कलंक का टीका है, जिसे आसानी से धोया नहीं जा सकता।

महोदय, 1979 में जब चीन ने आर्थिक सुधारों की राह पर चलना तय किया तब उसने पहले अपनी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी सुधार किए, लेकिन भारत दो दशकों से आर्थिक सुधारों की राह पर चल रहा है लेकिन हमने चीन की तरह राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया।

महोदय, देश में इससे पहले भी 1992 में प्रतिभूति हर्षद मेहता घोटाला, 1996 में सी.आर. भनसाली पर आरोप लगाया गया था कि रिफंड वारंट का उपयोग भारतीय स्टेट बैंक में सेंटर रिजर्व बैंक के खाता से 1,031 करोड़ रुपया निकाला गया। 1998 में प्लांटेशन कंपनियों ने अपने यहां निवेश पर हैरतअंगेज लाभ देने के लिए लोगों से भारी रकम बटोर लिए। 2001 के केतन पारिख घोटाला हुआ। लेकिन कंपनियों के आर्थिक घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस भूमण्डलीकरण के दौर में देश में कंपनियों के आर्थिक घोटालों पर रोकने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि शेयर के रूप में जो निवेशकों का रुपया डूब गया वह उन्हें वापस मिले इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कोई पैकेज देने पर विचार कर रही है।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि सत्यम कम्प्यूटर्स में कार्यरत 53 हजार कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है?

अंत में मैं मांग करना चाहूंगा कि देश में और कोई आर्थिक घोटाला भविष्य में न हो इसके लिए संपूर्ण देश में अर्थजगत, राजनीति और नौकरशाही में आवश्यक सुधार लाया जाये तथा इस सत्यम कम्प्यूटर के घोटालेबाजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु कोई कानून हो और सख्त कानून बनाये जाने की दिशा में सकारात्मक पहल की जाये। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार नहीं बनाने देना चाहिए।*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यम कम्प्यूटर्स घोटाला भारत की छवि पर एक गंभीर आघात है। सत्यम घोटाला भारत के कार्पोरेट जगत और इसके विनियामक एवं विधिक ढांचे की गंदे अंदरूनी भाग की ओर इंगित करता है। इस घोटाले के गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि इससे प्रणाली की विफलता सामने आई है जिसमें कार्पोरेट अभिशासन की विफलता, अनैतिक प्रबंधन आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण लेखाकरण, बैंक के कार्य करने के संदेहास्पद तरीके, विनियामक संस्थाओं की विफलता, राजनीति-कार्पोरेट गठजोड़ आदि शामिल है। इस घोटाले के शिकार शेयरधारक, कंपनी के काफी संख्या में कर्मचारी, कार्पोरेट इंडिया की छवि तथा एक देश के रूप में भारत स्वयं है।

राजू के रहस्योद्घाटन में ही यह कहा गया है कि 5,361 करोड़ रुपए का भंडार दिखाया गया जबकि वास्तव में 321 करोड़ रुपए थे; 361 करोड़ रुपए की झूठी ब्याज आय दर्शाई गई; वसूली योग्य राशि 490 करोड़ रुपए दर्शाई गई जबकि ऐसी आय मामूली थी; तथा अपने शेयरों के एवज में 1200 करोड़ रुपए का बिना लेखा-जोखा वाला ऋण दर्शाया गया। कुल मिलाकर लेखा बहियों में 7000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ी हुई आय दर्शाई गई। राजू ने यह रोचक बयान दिया है कि वह शेर की सवारी कर रहा था जबकि उसे यह नहीं पता था कि इससे कैसे उतरा जाए।

एक जांच की गई है जिससे यह उद्घाटित हुआ है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा ने सावधि जमा प्रमाण पत्रों की जालसाजी किए जाने की पुष्टि की थी। एस.एफ.आई.ओ. ने तो बैंक आफ बड़ौदा के 1,733 करोड़ रुपए के सावधि जमा की जालसाजी की पुष्टि की थी। एच.डी.एफ.सी. बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा ने अभी तक इस जालसाजी के खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवायी है? सत्यम कम्प्यूटर्स के सी.एफ.ओ. इस संबंध में सेबी को फार्म-16 प्रस्तुत करने वाले थे, जो कि नहीं किया गया। सेबी ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है? सेबी सत्यम कम्प्यूटर्स द्वारा अपने शेयरधारकों की स्वीकृति के बिना बायबैक करने की खुली पेशकश से क्यों सहमत थी?

अब यह स्थापित हो गया है कि सत्यम कम्प्यूटर्स के पास 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 3309 करोड़ रुपए की जमाराशि थी। तदनन्तर यह कहां गायब हो गई? एस.एफ.आई.ओ. इस मामले में अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल, 2009 तक प्रस्तुत करती है। चुनाव शीघ्र ही होंगे, क्या वह समय पर यह कार्य कर सकेगी अथवा समय बढ़ाए जाने के लिए कहेगी?

इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि मामले को छिपाने तथा इस घोटाले में शामिल महत्वपूर्ण राजनैतिक हस्तियों को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। राजू के खिलाफ आरोप हैं: निधियों का विपथन, धन-शोधन, विदेशी मुद्रा हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, आयकर अपवंचन, गलत ढंग से अर्जित की गई संपत्ति की राउंडट्रिपिंग आदि। उनके खिलाफ ये आरोप हैं।

सत्यम घोटाला न केवल लोभ, कार्पोरेट अभिशासन तथा आडिटर्स से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह विद्यमान कानूनों के अंतर्गत त्वरित एवं अधिक दण्डात्मक अभियोगपत्र से भी जुड़ा हुआ है। सत्यम घोटाला अधिक सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन की आवश्यकता को बताता है, जिसकी हमारे यहां कमी है। 10,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बोझ तले सत्यम के विफल होने जैसी घटना से न सिर्फ भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भयंकर विनियामक विफलता सामने आई है। सत्यम भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों में सूचीबद्ध है।

जिन एजेंसियों को अपने कार्यों में सजग नहीं पाया गया, उनमें विदेशी आडिटर, निदेशक, कंपनी बोर्ड तथा स्टाक एक्सचेंज शामिल हैं। वे भी सजग नहीं थे और उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया है। पूर्व में उन्होंने श्री राजू द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता नहीं लगाया था। सत्यम धोखाधड़ी ने इस प्रकार के बड़े पैमाने की अप्रत्याशित कार्पोरेट जालसाजी से निपटने के लिए भारत के विधिक ढांचे तथा विनियामक प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। अगर हम अगले घोटाले के सामने आने की मात्र प्रतीक्षा करने की बजाय इसे रोकना चाहते हैं, तो सरकार को विधिक प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ करना होगा।

सत्यम धोखाधड़ी के मामले में एस.एफ.आई.ओ. के अलावा सेबी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अलग-अलग तरीके से तथा इस घोटाले के विभिन्न आयामों की जांच

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

कर रही है, जो कि एक दूसरे के कार्यों में निश्चित रूप से अतिव्याप्त होगी। सरकार ने पूरे मामले को एक संस्था को नहीं सौंपा है, बल्कि विभिन्न कार्यों को विभिन्न संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें परस्पर अतिव्याप्ति होगी। स्वाभाविक रूप से अंततः कोई मामला नहीं बचेगा।

हमने यह गंभीर मामला गंभीर अपराध जांच कार्यालय को सौंप दिया है। कार्पोरेट अपराधों पर मुकदमा चलाने में एस.एफ.आई.ओ. रिकार्ड अच्छा नहीं है। एस.एफ.आई.ओ. रिकार्ड देखकर शायद ही कोई विश्वास पैदा होता है। लम्बी कानूनी प्रक्रिया से मुकदमों पर अन्तिम निर्णय तक पहुंचने में एसएफआईओ की प्रभावशीलता के बारे में प्रश्न उठते हैं।

अध्यक्ष महोदयः बस इतना ही। मुझे खेद है। आपने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः इस अवधि के दौरान कार्पोरेट अपराधों में उन्होंने कोई सफल प्रयास नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदयः आपने तीन मिनट ज्यादा ले लिए हैं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः अतः निगम अपराधों की सफल रोकथाम एवं मुकदमा चलाने के लिए एक प्रभावी कानूनी एवं विनियामक माहौल बनाने के लिए बहुत कुछ कहा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुधाकर रेड्डी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः अन्त में ...

अध्यक्ष महोदयः वास्तव में अन्तिम।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः अन्यथा, हर्षद मेहता, एनरान तथा वर्तमान सत्यम मामला चलता ही रहेगा। सरकार क्या कर रही है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बस इतना ही।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी—आपके पास दो मिनट का समय है। मैं आपको पांच मिनट का समय देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई तथा कानूनी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे अपराध नहीं हों।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): श्री रूपचंद पाल ने सत्यम घोटाले के बारे में पूरा ब्यौरा दे दिया है। मैं इस पूरे घोटाले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। विनियामक तंत्र इतना बड़ा घोटाला पकड़ने में असफल क्यों रहा जिससे शेयर धारकों को बहुत अधिक नुकसान हुआ एवं पूरे विश्व में निवेशकों का विश्वास हिल गया? इस अपराध में लेखा परीक्षकों की क्या भूमिका है? यह अचानक नोटिस में नहीं आया है। इस प्रकार का घोटाला कुछ समय से चल रहा है तथा जिस प्रकार से घोटाला उजागर हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि लेखापरीक्षक ने कंपनी के साथ सहयोग किया था। अन्यथा इतने लम्बे समय तक यह नहीं चल पाता। एक दूसरे प्रकार का भी एक विनियामक तंत्र है जिन्हें स्वतंत्र निदेशक कहा जाता है, जो कि ऐसी प्रत्येक कंपनी में 50 प्रतिशत होने चाहिए।

कोई भी स्वतंत्र निदेशक कुछ भी नहीं कर सका। कुछ तो गलत है। ये स्वतंत्र निदेशक ऐसी लगभग 16 कंपनियों में हैं। मैं नहीं जानता कि एक स्वतंत्र निदेशक जो कि 15-16 कंपनियों में निदेशक हैं किस तरह इतनी कंपनियों में काम कर पाता है। क्या उसके लिए इतना समय निकाल पाना संभव है? आप उन्हें इतनी कंपनियों में क्यों नियुक्त करते हैं? इन बातों पर कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

कंपनी कार्य मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि केतन पारेख तथा हर्षद मेहता घटना के बाद इस प्रकार के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए एक उचित विनियामक तंत्र नहीं लाया गया? स्वाभाविक रूप से मंत्रालय स्वयं ही इसके लिए दोषी होगा।

मेरे मित्र श्री अरुण कुमार कह रहे थे कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से लगाए जा रहे हैं। यह पूर्णतया राजनीतिक नहीं है लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से इस सम्पूर्ण घोटाले में सरकार की भूमिका निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। सत्यम कम्प्यूटर ने सैकड़ों नए संगठन, नई कंपनियां शुरू की हैं जिसमें उसके दो पुत्र प्रवर्तक हैं। मेटास को आंध्र प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपये का काम दिया गया है। हो सकता है कि ऐसे कई और कार्य भी उसे दिए गए हों।

अध्यक्ष महोदय: जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं कृपया उनके नाम लेने या उनका संदर्भ देने से बचें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: यह राज्य सरकार के बारे में है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह राज्य सरकार के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझसे प्रश्न करेंगे तब मैं आपसे बोलने के लिए नहीं कहूंगा। यह बहुत ही बुरी आदत है। आप अध्यक्ष से पूछ रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं केवल एक विशेष चीज के बारे में पूछ रहा हूं। यह कहा गया है कि सरकार 2 रुपए की दर से चावल दे रही है इसलिए हम क्रोधित हैं। हम उस संबंध में क्रोधित नहीं हैं। हम केवल इस बात के लिए क्रोधित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम चावल 2 रुपए प्रति किलो की दर से दिए जाएंगे और सत्यम को 38,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारा आरोप यही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कारपोरेट घरानों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम इस बारे में उचित जांच करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर यह कहा गया है कि यह राजनीति से प्रेरित है। यह राजनीति से प्रेरित नहीं है। कृपया इस संबंध में उचित जांच कराएं।

विपक्ष की ओर से केवल हम ही यह बात नहीं कह रहे हैं कि सत्यम को बचाया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने भी कहा है कि सेबी को सत्यम के रामालिंगा राजू से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई और रामालिंगा राजू आंध्र प्रदेश सरकार की 'संरक्षणात्मक हिरासत' में है। यह हमारा आरोप नहीं है बल्कि यह आरोप सेबी द्वारा लगाया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी कहा है कि उसे उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति में हम केन्द्र सरकार से समुचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने स्विस बैंक खातों का मुद्दा पहले भी उठाया था। दुर्भाग्य से मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह मुद्दा केवल दो दिन पूर्व ही सामने आया है। लेकिन 20 दिन पूर्व मैंने माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे पता है कि वे इसका उत्तर नहीं दे सकते। यह प्रेस में छपा है कि स्विस बैंक में 1456 बिलियन अमरीकी डालर जमा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या रामालिंगा राजू ने अपने धन का उपयोग 7000 करोड़ रुपए की भूमि खरीदने में किया है या उन्होंने यह धनराशि स्विस बैंक में निवेश की है? रामालिंगा राजू ही नहीं बल्कि अनेक अन्य ऐसे कार्पोरेट लोगों, भ्रष्ट राजनेताओं, भारत के भ्रष्ट अफसरों का धन स्विस बैंकों में जमा है। सरकार को इन बातों का उत्तर देने में शर्म क्यों आ रही है। हम इस अवसर पर यह मांग करते हैं कि सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करते हुए देश की जनता के इस पैसे को देश में वापस लाना चाहिए और कर अदा न करने वालों और स्विस बैंक में धन जमा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए तथा उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई से ही इस बात का पता लगाना संभव होगा कि वे कौन लोग हैं जो राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं।

सत्यम घोटाले के संबंध में, मैं यह महसूस करता हूं कि भारत सरकार की भूमिका संतोषजनक नहीं है। अब प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के मन में पुन: विश्वास कैसे पैदा किया जाए। अत:, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार न केवल सत्यम कम्प्यूटर्स अपितु आंध्र प्रदेश में विशेषकर अनेक कंपनियों की स्थापना में बरती गई अनियमितताओं, अन्य घोटालों के संबंध में सभी कदम उठाए...* और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए। इसे मिटा दिया जाए। यह कोई तरीका नहीं है। सभा पटल का दुरुपयोग न करें।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को केवल एक मिनट मिला है लेकिन मैं आपको बोलने के लिए पांच मिनट दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। कृपया मुझे पांच मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। यदि आप कुछ प्रासंगिक बात कहेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगियों श्री रूपचंद पाल, श्री सुधाकर रेड्डी और अन्य लोगों ने सत्यम कम्प्यूटर घोटाले के बारे में बताया है? इस घोटाला का प्रमुख सूत्रधार ...*

अध्यक्ष महोदय: मुझे क्षमा करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं ...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संवैधानिक प्रमुख हैं ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे जांच एजेंसी के सम्मुख सिद्ध कर सकते हैं सभा में नहीं। मुझे बुरा नहीं लगेगा। उन्हें सूली पर चढ़ा दीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह स्वीकार किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: सत्यम कम्प्यूटर्स ने मेटास इन्फ्रा और मेटास प्रोपर्टी नाम की दो अनुषंगी कंपनियों की स्थापना की है। वर्ष 2005 तक मेटास इन्फ्रा ने केवल 200 करोड़ रुपए का काम किया था। मेटास इन्फ्रा की स्थापना के बाद गत साढ़े चार वर्षों में आंध्र प्रदेश सरकार ने पत्तनों, मेट्रो रेल और अन्य सिंचाई परियोजनाओं सहित उसे 38,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने मेटास इन्फ्रा को 3,800 एकड़ सरकारी भूमि दी थी। उसने 365 अनुषंगी कंपनियों की स्थापना की लेकिन सरकार को इनकी कोई जानकारी नहीं है। विनियामक प्राधिकरणों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। विनियामक प्राधिकरणों की जानकारी के बिना वह इन सभी कंपनियों को शुरू कैसे कर सकता है। इस बारे में राज्य सरकार मौन है। यद्यपि, केन्द्र सरकार ने मेटास इन्फ्रा के भूमि विक्रय को पंजीकृत नहीं करने के निदेश दिए थे, यद्यपि*

अध्यक्ष महोदय: इसे निकाल दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं दिखा सकता हूं कि आंध्र प्रदेश में लेन-देन हो रहे हैं। क्या यह केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश का उल्लंघन नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: सभा में अनुपस्थित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप न लगाएं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, भारत सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

दूसरे, ...* वस्तुत:, वे कांग्रेस के नेता हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नाम का उल्लेख न करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है। आप सभा में किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते।

श्री किन्जरपु येरननायडु: वह एक आम आदमी है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। मैं नया कुछ भी निर्धारित नहीं कर रहा हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, अवैध रूप से धनराशि बेनामी कंपनियों में स्थानान्तरित की गई है। सत्यम कम्प्यूटर्स और इसकी अन्य सहायक कंपनियों ने 6000 एकड़ भूमि खरीदी और धनराशि को अपनी बेनामी कंपनियों के माध्यम से अन्य कंपनियों में स्थानान्तरित किया गया। जांच में यह बात सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य दिये गए। सत्यम कम्प्यूटर्स और इसकी सहायक कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। हवाला के माध्यम से, मारिसियश मार्ग के जरिए और* के माध्यम से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उस नाम को निकाल दीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: यहां तक कि *...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब निकाल दिया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, इन कंपनियों के मालिक अलग-अलग हैं। इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय: नियम इसकी अनुमति नहीं देते। केवल यही एक गलत बात है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: *उन्होंने समस्त हवाला धनराशि को इस कंपनी में कैसे लगाया, इसकी जांच की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नामों को निकाल दिया जाए। यही परेशानी का सबब है। आप चुनावों के बेहद नजदीक हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: इसकी मंत्रालय द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। हम मंत्री महोदय को पहले ही एक ज्ञापन दे चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना समस्त मामले का बेहतर उल्लेख कर सकते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं। किंतु आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और इसलिए, उन नामों को निकाल दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैंने उल्लेख किया है*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): नामों के उल्लेख में कुछ भी गलत नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप विशेषज्ञ बन गए हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सत्यम कम्प्यूटर्स लिमिटेड को लाभ पहुंचाया गया और इन कंपनियों के माध्यम से हवाला धन पहुंचाया गया। वर्ष 2004 में इन कंपनियों ने आयकर रिकार्ड में केवल 41 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति दर्शाई।

उन्हें 10000 करोड़ रु. मूल्य की संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? इसलिए मंत्री महोदय को इसकी जांच करानी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यहां तक कि, मेरे सहयोगी, श्री अरुण कुमार ने *... के नाम का उल्लेख किया।

अध्यक्ष महोदय: नाम को निकाल दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त करें। हमें सीबीआई पर कोई विश्वास नहीं है। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने *... बनाम भारत सरकार के मामले में सीबीआई के विरुद्ध आक्षेप लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: नाम को निकाल दिया जाए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: इसीलिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। सच्चाई तभी बाहर आएगी, यदि आप उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। आप *... और उनके पुत्र तथा ...* और उनके पुत्र के भी खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की जांच कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: सभी नाम निकाल दिए जाएंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह एक राजनीति-कार्पोरेट क्षेत्र की सांठगांठ का घोटाला है। यह सिर्फ ...* का घोटाला है। तभी, लोग काफी चिंतित हैं और भारत सरकार को इन मामलों को जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके अंतिम वाक्य से पूरी तरह सहमत हूं कि एक समुचित जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं?

अब श्री विनोद कुमार बोलेंगे। हालांकि, आपका समय आधे मिनट का है, मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। घोटाले के तुरंत बाद माननीय केन्द्रीय कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने एक वक्तव्य दिया कि इस बात की संभावना है कि सत्यम कम्प्यूटर्स से पैसा निकालकर उसका अन्यत्र उपयोग किया गया है। यह सच है। रामलिंगा राजू और कारपोरेट सैक्टर, विशेष रूप से सत्यम कम्प्यूटर्स ने सूचना प्रौद्योगिकी सैक्टर से विचलन करके रीयल एस्टेट और सिविल ठेकों में प्रवेश किया था जिसका मकसद शीघ्रता और आसानी से पैसा कमाने की लालसा को पूरी करना था। यह हमारी वर्तमान राज्य सरकार का मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया है।

सत्यम कम्प्यूटर्स की आय का उपयोग भूमि का अधिग्रहण करने के लिए किया गया था। मेटास इनफ्रा और मेटास प्रोपर्टीज सत्यम कम्प्यूटर्स की दो सहायक कंपनियां थीं। इस समूह ने हैदराबाद में और इसके आस-पास तेलंगाना क्षेत्र के ऐसे गरीब कृषकों की हजारों एकड़ भूमि अधिगृहित की जो कृषि करके अपनी आजीविका चलाते थे। ये दोनों सहायक कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर वर्ष 2004 में 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था उसे राज्य सरकार ने 38,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया। यह सब जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए किया गया था और राज्य सरकार से इस प्रकार के कारपोरेट सैक्टर को प्रोत्साहन दिया था जो वस्तुत: अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया था। जब रीयल एस्टेट का बुलबुला फूटा तो राजू धन की अदला-बदली नहीं कर सका और जिन लोगों ने तेलंगाना क्षेत्र में इतनी अधिक भूमि का अधिग्रहण करने में उसका पक्ष लिया था, उनसे किए गए वित्तीय वायदों को वह पूरा नहीं कर पाया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि न केवल सत्यम कम्प्यूटर्स बल्कि मेरे राज्य में जिन अन्य कंपनियों को बड़े ठेके दिए गए थे उनकी विस्तारपूर्वक जांच की जाए। मैं यह बात माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये सभी कंपनियां कारपोरेट सैक्टर के अंतर्गत आती हैं। ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है। उनके खातों और तुलन-पत्र में भारी हेराफेरी है। आज हम सत्यम कम्प्यूटर्स पर चर्चा कर रहे हैं और निकट भविष्य में संभवत: 15वीं लोक सभा में हमें इस प्रकार की अनेक कंपनियों पर चर्चा करनी पड़ सकती है।

मेरे राज्य, जिसने कारपोरेट सैक्टर को प्रोत्साहन दिया था, में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि चुनाव होने वाले हैं और मुझे नहीं लगता की जांच एजेंसियां मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगी और मामले की निष्पक्ष जांच करेंगी। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की अबाधित, वस्तुपरक और समबद्ध जांच कराई

[श्री बी. विनोद कुमार]

जाए। यदि किसी प्रकार का अवरोध होता है तो वे पुनः दूसरे अन्य खातों में फेर-बदल कर लेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि निकट भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के.एस. राव। आपकी पार्टी के पास 70 मिनट बचे हैं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय धन्यवाद। यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर लोक सभा में चर्चा होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से यह मामला उस समय ही प्रकाश में आया जब दोषी ने स्वयं इसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि इस बात का पता कुछ सरकारी एजेंसियों ने लगाया है। यदि उसने स्वयं इस बात का रहस्योद्घाटन नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता की हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिलता।

महोदय, जब मैंने घोटाले के ब्यौरे के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कंपनी के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ ही इस घोटाले के लिए कंपनी के आडिटर प्राइसवाटर कूपर्स समान रूप से जिम्मेदार है। संपत्ति के अधिमूल्यन तथा अवमूल्यन को कोई भी समझ सकता है। परंतु यहां इस मामले विशेष में तुलन पक्ष में बैंकों तथा अन्य संस्थानों में हजारों करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपाजिट दर्शाए गए हैं। आडिटर द्वारा इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी। यह वास्तव में आश्चर्य और हिला देने वाली बात है कि किसी आडिटर ने वर्षों तक बैंक में जमा फिक्स्ड डिपोजिट की कोई जाच ही नहीं की। यहां तकनीकी पहलुओं के विस्तार में जाने के बजाय दुर्भाग्यवश मेरे मित्र इसका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल काफी विद्वान और अनुभवी सदस्य हैं तथा यहां हर व्यक्ति उनके ही पक्ष में है। वे मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार का दोष ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वे ऐसा समझते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि इतने बड़े संस्थान जो कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, में जालसाजी हो और उसकी बदनामी हो? वे भले ही वे कैसे भी व्यक्ति हों परंतु निश्चित रूप से वे नहीं चाहते होंगे कि इस प्रकार की कोई घटना घटे। प्रत्येक सरकार चाहे वह एनडीए की सरकार हो या टीडीपी की सरकार, सबने सत्यम कम्प्यूटर्स को प्रोत्साहन ही दिया है। मेरी मंशा किसी पर आरोप लगाने की नहीं है। यदि किसी भारतीय कारपोरेट सैक्टर को विश्व में चौथी कंपनी होने का दर्जा प्रदान किया गया है और दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करके कंपनी ने 20 वर्ष की अवधि में दो बिलियन डालर्स की संपत्ति अर्जित कर ली है तो कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को तब तक प्रोत्साहन जरूर देगी जब तक कि उसे यह मालूम न हो कि उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। अब तक इस कंपनी के विरुद्ध ऐसी कोई बात उभरकर सामने नहीं आयी थी। हर सरकार ने इसे प्रोत्साहन दिया और कई सदस्यों ने भी इसके उदाहरण दिए हैं। उन सभी ने उल्लेख किया कि किस प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति ने रतन टाटा की बजाय सत्यम कम्प्यूटर्स को वरीयता दी। उन्हें सबसे अधिक वरीयता दी गई। उन्हें इस प्रकार से महत्व दिया गया। उनकी एक प्रतिष्ठा बन चुकी थी और साथ ही संपूर्ण विश्व में कंपनी की ख्याति थी। आयकर विभाग में, बैंकों में, रिजर्व बैंक में, ऋणदाता संस्थानों में, अधिकारियों तथा यहां तक कि ग्राहक जो कंपनी और उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अवगत थे। कौन जानता था कि वह व्यापार को, राजस्व को, लाभ को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा है यह रिकार्ड में दर्ज है। वास्तव में, मैसर्स प्राईस वाटरहाऊस कूपर बहुत पहले ही इन सब चीजों को प्रकाश में ला सकता था।

ऐसा हो सकता है कि कोई विनियामक इसे रोक सकता था। आप भला-बुरा कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* मेरे मित्र, रिजर्व बैंक सहित सभी लोगों पर आरोप लगा रहे थे। रिजर्व बैंक किस प्रकार इस धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जो हुई है, जो लेखापरीक्षकों द्वारा पकड़ी जानी चाहिए या जो लेखापरीक्षक संघ द्वारा किया जाना था? मैं प्राईस वाटरहाऊस कूपर्स की बात कर रहा हूं। इसलिए इस स्थिति में हर किसी पर आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमें एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके लिए केवल एक दल या सरकार ही जिम्मेवार नहीं है। एक तंत्र बनाया जाना चाहिए तथा उसकी निगरानी की जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या बनाया गया तंत्र उचित है, क्या पूरी ईमानदारी से इसकी निगरानी की जा रही है। यदि नहीं, तो हमें कम से कम तंत्र में सुधार करने के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी को इस तंत्र में सुधार करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। कोई कह रहा है कि वह उत्तरदायी है। कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है कि वह उत्तरदायी है। सभी लोग कह रहे हैं कि यह 2002 से चल रहा है। जब यह 2002 से चल रहा है और हम सब चुप बैठे थे। और अब, जब गुनहगारों ने इसका रहस्योद्घाटन कर दिया है, तो हम सब इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

आज मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय, मेरा विचार यह है कि हमें इस प्रकार से तंत्र विकसित करना चाहिए कि यदि कोई धोखाधड़ी की जाती है तो वह प्रत्येक स्तर पर प्रकाश में आ जाए और तंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं अपने सभी मित्रों से सहमत हूं कि इससे भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र की छवि धूमिल हुई है, विशेष तौर पर हैदराबाद तथा

संपूर्ण आंध्र प्रदेश की कम्पनियों की। मैं वाकई यह समझ नहीं पाया कि रामालिंगा भी ऐसा कर सकता है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद, कुछ हजार करोड़ रुपये उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखते थे। सम्भवत: परिस्थितियां जिनसे वह उबर नहीं पाया था इस दृष्टिकोण के साथ कि वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कम्पनी बनना चाहता था उसे असलियत में राजस्व न होने पर भी बढ़े हुए राजस्व के आंकड़े दिखाए होंगे, असलियत में लाभ न होने पर भी बढ़ा हुआ माल दर्शाया होगा और इसलिए शेयरों का मूल्य बढ़ता जा रहा था और ऐसी ही सब चीजें हो रही थी। जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि हैदराबाद में रीयल एस्टेट में रातोंरात पैसा बनाने का सही समय था, इसलिए उसने बहुत सी जमीन खरीद ली होगी और उस अंतर को पाटने के लिए कोशिश की होगी। मैं समझ सकता हूं।

23 दिसम्बर को जब उसने मेटास इन्फ्रा तथा मेटास प्रापर्टीज के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा, उसने सोचा होगा कि वह मेटास प्रापर्टीज के 17,000 एकड़ या 7000 एकड़ की भूमि का अंतरण कर बिना निक्षेपों का अंतरण किए हुए सत्यम कम्प्यूटर्स की सम्पत्ति बना लेगा। बैंक में हजारों करोड़ रुपये के फर्जी निक्षेप को वह मेटास को नहीं दे पाया, क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं था। इसलिए, स्पष्टत: यह फर्जी निक्षेपों के अंतरण का एक दस्तावेज हो सकता था, जो सत्यम कम्प्यूटर्स के तुलनपत्र से मेटास को अंतरित किया गया दर्शाया गया था, ताकि सम्पत्ति सत्यम कम्पयूटर्स के पास आ जाए। इसका अर्थ है, यह स्पष्ट था कि वह इस संबंध में अपनी गलती को सुधारना चाहता था। परन्तु फिर सत्यम ने इसकी अनुमति नहीं दी। विदेशी निदेशक जो इसमें शामिल थे और जो इन जटिलताओं से अवगत नहीं थे और जो बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। स्वाभाविक रूप से, यह असफल रहा। यही कारण था कि यह सब हुआ, परन्तु यह सब देश और हममें से प्रत्येक व्यक्ति के हितों के लिए अत्यंत घातक है। अब इसके संबंध में दो विकल्प हैं।

हम सभी एक मत होकर तंत्र में सुधार करने के बारे में सोचें। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार पर लांछन लगाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां मुख्य मंत्री ने तीव्रता से कार्यवाही की और तुरंत ही मामला दर्ज कर लिया हो? क्या किसी ने भी सीआईडी को मामले की जांच करने के लिए कहा? हैदराबाद में न भी होते हुए और दिल्ली में भी होते हुए उन्होंने तुरंत इसका आदेश दिया। उन्होंने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। इसी प्रकार, भारत सरकार के कारपोरेट मंत्री ने रातोंरात ही अवकाश के दिन ही कम्पनी रजिस्ट्रार से मामले की जांच करने और कार्यवाही करने को कहा। इस प्रकार की स्थिति में, इस प्रकार की बड़ी कम्पनी को आज कंगाल बनाने के बजाय, आज हम सब वहां कार्यरत 53,000 कर्मचारियों के जीवन को बचाने के बारे में सोचें। वे सामान्य लोग नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तथा संपूर्ण विश्व में 500 कंपनियों में उनकी सेवाओं की मांग है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान ने सभी इंजीनियरों को अपने देश में काम करने को कहा है।

इसलिए इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री से इस कंपनी को समाप्त करने या गरज में इस कंपनी की बिक्री न करने तथा इन सभी 53,000 विशेषज्ञ इंजीनियरों के जीवन को सड़क पर न लाने का अनुरोध करता हूं। इसलिए, जांच अधिक तीव्र और गहरी और अधिक पारदर्शी होने दें। इस देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इस कंपनी की सभी सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करें उन परिसम्पत्तियों का असल मूल्य बही में दिखाए गए मूल्य से कहीं अधिक होगा और बहुत सी हानि की इससे भरपाई हो जाएगी। आवश्यक होने पर, हम सभी 53,000 कर्मचारियों से स्वैच्छिक रूप से कम वेतन लेने तथा कार्य समय से अधिक समय तक कार्य करने को कह सकते हैं ताकि कम्पनी को बचाया जा सके तथा इस हानि की भरपाई शीघ्र हो जाए। वे अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, निर्यात कंपनियों ने कहा है कि सत्यम कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाएं बहुत उत्कृष्ट थी। वे सक्षम तथा ज्ञानवान और अत्यंत विशिष्ट हैं। अनेक कंपनियों ने केवल इसी कम्पनी को उनके साथ काम करने को कहा है। इसलिए इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री महोदय को जांच को तेजी से पूरा करने तथा इस कम्पनी को बचाने के लिए उपाय करने तथा इसे गरज में न बेचने का अनुरोध करता हूं। अनेक लोग इस कम्पनी को इसकी वर्तमान बाजार अंशधारिता मूल्य के कारण अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है। यह निश्चित ही वापस उबरेगी। इसके मौजूदा प्रबंधन को हटाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले ही बोर्ड को भंग कर दिया है। विस्तृत जांच के बाद वे इसे अन्य भारतीय कारपोरेट क्षेत्र को सौंप सकते हैं जिसकी जांची-परखी पृष्ठभूमि, इतिहास हो ताकि लोगों के जीवन तथा देश की छवि को पुन: प्रतिष्ठित किया जा सके।

आज कई बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को यह गलतफहमी हो गई है कि भारतीय क्षेत्र की कंपनियां ईमानदार और पारदर्शी नहीं हैं। केवल एक कंपनी के ऐसा करने के कारण इस देश की सभी कंपनियों का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। अथवा उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी भारतीय कारपोरेट क्षेत्र का पुनरुद्धार कर उसकी छवि को फिर से चमका सकते हैं। जैसे कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही की उसी तरह अगर आवश्यक हो तो कुछ और अधिक सत्यनिष्ठ लोगों को इसकी विस्तृत जांच के लिए नियुक्त कर सकते हैं। जैसी कि हमारे सहयोगियों द्वारा

[श्री के.एस. राव]

मांग की गई है, विभिन्न सत्यनिष्ठ लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाए और फिर विस्तृत विस्तार से जांच करके ऐसे तरीके निकालें कि किस प्रकार इस कंपनी को बचाया जा सकता है, किस प्रकार भारतीय कारपोरेट क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बचाया जा सकता है और 53,000 अभियंताओं को नौकरी से बाहर न निकालकर उनकी सेवाओं का किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है।

मेरा अपने सभी सहयोगियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास न करें तथा देश के बाहर यह संदेश न भेजें कि न केवल कारपोरेट क्षेत्र बल्कि भारतीय राजनीतिज्ञ भी ऐसे ही हैं। देश के बाहर हमें अपनी ऐसी छवि नहीं बनानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने गलती की है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कम सत्यनिष्ठ होंगे। परंतु, हमें अपने बीच यह सोचना चाहिए कि इस कंपनी का हम कितनी अच्छी तरह सुधार कर सकते हैं। परंतु, कृपया देश के बाहर यह संदेश न भेजें कि सभी एक जैसे हैं, सारी कंपनियां उस जैसी हैं, सभी राजनीतिज्ञ ऐसे ही हैं।

इन शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप व्यावहारिक रूप से सोचें कि किस प्रकार हम स्थिति का भली-भांति सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार हम नियामकों को मजबूत बना सकते हैं और किस प्रकार लेखापरीक्षा में सुधार लाया जा सकता है। हमें यह सोचना होगा कि किस प्रकार के विधान आदि में धाराएं और खण्ड सम्मिलित किए जाएं अथवा उसमें कौन-कौन से संशोधन किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपके पास आधा मिनट है, परंतु मैं आपको पांच मिनट देता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): कृपया, दस मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ के साथ सौदेबाजी न करें। कृपया शुरू कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, सत्यम कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को बहुत बड़ा अभिमान था। आई.टी. क्षेत्र में हैदराबाद का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सत्यम कंप्यूटर ने ले जाने का प्रयत्न किया था। हम सत्यम कंप्यूटर की तरफ बहुत आशा और अपेक्षा से देखते थे।

महोदय, जब हम लोग अपोजिशन में थे और आप वहां बैठते थे और मैं भी आपके पीछे बैठता था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 13 मार्च 2003 को जीरो आवर में मैंने यह इश्यू उठाया था कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि सत्यम कम्प्यूटर में 20-25 करोड़ का घोटाला हो रहा है और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में एम.पीज जो मामला उठाते हैं, उस पर इनक्वायरी करने की आवश्यकता है। यहां प्रशासन के सभी अधिकारी बैठते हैं और उन बातों को नोट भी करते हैं। मैंने 13 मार्च 2003 को इस विषय को जीरो आवर में उठाया था। उसके बाद सेबी के जो चेयरमैन हैं, जी.एन. वाजपेयी जी, उनको मैंने पत्र लिखा था कि सत्यम कम्प्यूटर्स में इनकम टैक्स में कुछ घोटाला हो रहा है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, उसकी इनक्वायरी की जाए। उसकी कापी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री तथा जसवंत सिंह, तत्कालीन वित्त मंत्री को भेजी थी। श्रीमती एस. पद्मजा, डिप्टी डायरैक्टर इनवैस्टिगेशन, आयकर भवन, बशीरबाग रेंज, हैदराबाद ने इसकी इनक्वायरी की थी। बेनामी संपत्ति या बेनामी अकाउंट्स वहां रखे जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी थी और मैंने पत्र में यह लिखा था। तब यदि इसकी इनक्वायरी हो जाती तो 7000 करोड़ रुपये का घोटाला नहीं होता। यहां येरननायडू जी बैठे हैं। इनकी पार्टी के अध्यक्ष *...(व्यवधान)** तब मुख्य मंत्री थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनका नाम न लें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: आंध्र प्रदेश के जो मुख्य मंत्री थे, उनकी तेलुगु देशम पार्टी का सपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को था। इन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। ये लोग सैक्यूलर हैं, उसके बावजूद भी ये लोग उनके साथ थे। मुझे ऐसा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लगता है कि ...*(व्यवधान)** मैं नाम नहीं लेता हूं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्य मंत्री थे, मुख्य मंत्री जी का केन्द्र सरकार को सपोर्ट था और मैंने जो पत्र लिखा था, मुख्य मंत्री जी के दबाव के कारण इसकी इनक्वायरी नहीं हुई और इसीलिए 20-25 करोड़ रुपये से लेकर यह 7000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। 23000 करोड़ रुपये का इनवैस्टर्स का नुकसान और घपला रामलिंगम राजू ने किया है। इनके नाम में राम है, मगर इन्होंने राम की काफी बदनामी की है। आंध्र प्रदेश के सभी लोगों ने आपका नाम जितना ऊंचा किया था, उतना ही हैदराबाद का नाम इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। सरकार में हमारे प्रेमचन्द गुप्ता जी हैं। रूपचंद पाल जी आपकी पार्टी के हैं, मतलब अभी आप उनकी पार्टी के नहीं हैं। आपके रूपचंद पाल जी ने यह मामला उठाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा मन पूरी तरह से शांत है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: रूपचंद पाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। किसी तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए। कल सत्र का आखिरी दिन है। बाद में मैं तो आने वाला हूं। आपने कहा कि जो लोग ज्यादा गड़बड़ करते हैं, वे चुनकर आएंगे नहीं, लेकिन मैं ज्यादा गड़बड़ करता हूं। इसलिए, मैं चुनकर आने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय: हमने तो विदड्रा कर लिया। हमने कहा कि जिनको जनता का सपोर्ट मिलेगा, वे आएंगे।

श्री रामदास आठवले: और मैं ज्यादा गड़बड़ करता हूं, इसलिए मुझे जनता का सपोर्ट ज्यादा मिलता है। यह गड़बंड़ का विषय नहीं है लेकिन ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत इंप्रैसिव और रिस्पान्सिबल स्पीच कर रहे हैं आप।

[अनुवाद]

बहुत देर कर दी है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सरकार में हमारे प्रेमचन्द गुप्ता जी ने सीबीआई इनक्वायरी अनाउंस क़र दी है। इसमें जो भी दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन येरननायडु जी, आप उनकी दोस्ती तोड़ दो। रामलिंगराजू जी अंदर चले गए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इसीलिए, इसकी पूरी जांच हो और जो भी लोग दोषी हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। अंत में मेरा इतना कहना है कि संसद में हम लोग जो मामला जीरो आवर में उठाते हैं उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम यहां 20-25 लाख लोगों को रिप्रजैंट करके जो इश्यू उठाते हैं, उसकी इनक्वायरी करने की आवश्यकता है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

महोदय, क्या मैं ये पेपर्स ले कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: आपको आथैन्टिकेट करना होगा।

[अनुवाद]

***श्री रामदास आठवले:** यह उस प्रश्न का विस्तार है जिसे मैंने सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा कथित आयकर घोटाले के संबंध में संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में उठाया था। मैंने आयकर विभाग द्वारा पूरी जांच करने की मांग की थी, जो अभी चल रही है।

हालांकि, इस घोटाले का एक अन्य रोचक तत्व इस बात की संभावना में है कि प्रवर्तकों और उनके संबंधियों के नाम पर उनके बेनामी खातों के द्वारा भारी मात्रा में आंतरिक खरीद-बिक्री/सर्कुलर ट्रेडिंग की गई है। संलग्न रिपोर्ट में जांच उप-निदेशक के विचारों का स्पष्ट उल्लेख है कि छानबीन के दौरान जो बातें सामने आईं ऐसा लगता है कि वह बहुत कम है। इसके अंदर भारी घोटाला छिपा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि निवेशकों के हित में छानबीन करके इस घोटाले का भंडाफोड़ करें।

संक्षेप में घोटाला इस प्रकार है। जांच उप निदेशक, आयकर भवन, बशीरबाग, हैदराबाद को बिना उचित दस्तावेज के तथा ब्याज पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए प्रपत्र 15-II के साथ हैदराबाद और उसके आस-पास के विभिन्न बैंकों में 20 करोड़ रु. की बेनामी बैंक जमा राशियों का पता चला। इस विचित्र स्थिति को देखते हुए आयकर अधिकारियों ने सत्यम के प्रवर्तकों और उनके पारिवारिक सदस्यों की सावधि जमा राशियों का पता लगाया। आगे जांच करने पर उन्हें सदस्यों के रजिस्टर जिसे सर्वेक्षण के दौरान कंपनी के अधिकारी दिखाने में झिझक रहे थे, में गड़बड़ियों के घोटाले का पता चला। यहां तक की आयकर अधिकारियों को कमरे में बंद कर दिया था। आयकर अधिकारियों ने सदस्यों के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामदास आठवले]

रजिस्टरों में विभिन्न बेनामी खातों में जल्दी-जल्दी शेयरों की खरीद बिक्री संभवत: आंतरिक खरीद बिक्री और ऐसी खरीद बिक्री से हुए मुनाफे को उपरोक्त बेनामी सावधि जमा राशियों में बदलने को बड़े पैमाने पर हुई हेरा-फेरी की संभावना के रूप में देखा। आयकर अधिकारियों को यह लगता था कि बेनामी हिस्सेदारी द्वारा कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी विभिन्न अधिकारियों की घोषित हिस्सेदारी से कहीं अधिक हो सकती है।

आपकी जांच में विशेषतौर पर इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए:

— रिपोर्ट में दर्शायी गई अवधि के दौरान वास्तविकता का पता लगाने के लिए सदस्यों के रजिस्टर की जांच। यह संभवत: वर्ष 1998 से वर्ष 2020 के बीच है। इस बात की प्रबल संभावना है कि प्रवर्तकों और उनके परिवारों के पास बेनामी हिस्सेदारी हो। वास्तविक स्वामियों का पता लगाएं।

— बेनामी हिस्सेदारी में लगातार खरीद-बिक्री की पद्धति आंतरिक खरीद-बिक्री की संभावना की ओर प्रबल इशारा करती है। कृपया इसकी विस्तृत जांच करें।

— इस बात की जांच करें कि क्या कंपनी में प्रवर्तकों की वास्तविक हिस्सेदारों सेबी, विभिन्न स्टाक एक्सचेजों और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष घोषित आंकड़ों के अनुरूप है।

— अगर आवश्यक हो तो जांच का दायरा 1998 की अवधि से पहले भी किया जा सकता है।

हम आपसे निवदेन करते हैं कि इस मामले की जांच उप निदेशक आयकर भवन, बशीरबाग रेंज, हैदराबाद के साथ उठाया जाये। श्रीमती श्रीपुआ पद्मजा, तत्कालीन जांच उप निदेशक जिन्होंने उपर्युक्त सर्वेक्षण प्रक्रिया को करवाया था से भी इस संबंध में और अधिक जानकारी और सबूत के लिए संपर्क किया जाए। मैं आश्वस्त हूं कि आपका कार्यालय निवेशकों के हित में आवश्यक कार्यवाही करेगा और उन्हें कृतार्थ करेगा।

कृपया नोट करें कि मेरे इस मामले में संसद में अनुवर्ती कार्यवाही जारी रहेगी। आपके द्वारा समय जांच संबद्ध अधिकारियों के लिए मददगार होगी।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं सत्यम घोटाले पर अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं।

महोदय, जैसा कि इस देश के माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि सत्यम घोटाला भारतीय कारपोरेट छवि पर एक धब्बा है। यह अत्यंत ही आश्चर्यजनक बात है कि भारत में जो मौजूद तंत्र है पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस प्रकार की खतरनाक स्थिति से दो चार नहीं हुआ है।

इससे यही पता चलता है कि उदारीकरण के दौरान कारपोरेट गवर्नेंस की प्रणाली कार्य नहीं कर रही है। इससे भारत सरकार को यह सबक लेना चाहिए कि जब कभी भी वित्तीय क्षेत्र को 'रीयल सेक्टर' की तुलना में जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो इस प्रकार की घटनाएं होनी अपरिहार्य है। अनेक विकसित देशों का अनुभव भी यही दर्शाता है। 'रीयल सेक्टर' तथा मौद्रिक या वित्तीय क्षेत्र के बीच हमेशा ही एक नाजुक संतुलन बना रहना चाहिए ताकि आप तंत्र की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकें।

अपराह्न 5.51 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

परंतु दुर्भाग्यवश, उदारीकरण, वैश्विकरण की प्रक्रिया के आरंभ होने पर, जिसे भारत में एलपीजी प्रयोग भी कहा जाता है, हमने बाजार को खुला छोड़ दिया है, विशेषकर वित्तीय बाजार शेयर बाजार को ताकि लोग देश में बाजार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकें, सट्टेबाजी से जुड़े व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त हो सकें, खातों में फर्जीवाड़ा कर सकें तथा कंपनी अधिकारियों तथा निदेशकों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसलिए, सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि शेयर बाजार पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता, सरकार की कारपोरेट जगत पर निर्भरता हमें सदैव इस प्रकार के संकट में डाल देगी।

मेरे विचार से, सत्यम के स्वामी अपनी चूक और असफलताओं को स्वीकार करने के लिए आगे आए हैं और इसलिए, हमें इसका पता चला है। देश में यह पता लगाने के लिए ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे हम यह जान सकें कि अन्य देशों या दूसरी कम्पनियों में क्या हो रहा है। हम केवल यही मनोभावना कर सकते हैं कि सत्यम घोटाला कारपोरेट जगत से जुड़ा हुआ एकमात्र घोटाला है। परन्तु सत्यम सौदे के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं जो भारत का सार्वजनिक पूंजी के साथ इस प्रकार के घोटाले कर रही हों। इसलिए हमें इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का घोटाला किया है। कंपनी कानून, लेखापरीक्षा तंत्र, आयकर तंत्र तथा कानूनों के होते हुए ऐसा घोटाला किस प्रकार हो सका। इन सब चीजों के होते हुए यह घोटाला सामने आया

है। यह दर्शाता है कि सभी लोगों की मिलीभगत है या गुट है और उनकी वजह से यह घटना हुई है। यह इस देश के लिए एक आघात है। इसलिए, सरकार को इस घोटाले की संपूर्ण सच्चाई को सामने लाना चाहिए। सरकार को जिसने भी यह काम किया है उन दोषी लोगों के विरुद्ध सब दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। हमें कड़े कम्पनी कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हों। कंपनी मामले मंत्रालय के मात्र कानून तथा विनियम बनाने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे नियमित रूप से विभिन्न कंपनियों के लेखापरीक्षित विवरण की सूक्ष्मता से निगरानी करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए लेखापरीक्षित विवरण उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा स्थिति के अनुसार सही हैं। सम्भवत: यदि तंत्र उचित रूप से काम कर रहा होता तो सत्यम कंपनी की भूल या घटना की पुनरावृत्ति न हुई होती। इसलिए, सरकार को कल्पनात्मत दृष्टिकोण से सोचना चाहिए चूंकि एक ओर तो हम पश्चिमी देशों के सभी माडलों, शेयर बाजार अनुभवों और इन सभी के संबंध में उनकी नकल कर रहे हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की जालसाजी हो रही है, इस प्रकार की चूक हो रही है और उन पर सरकारी एजेंसियों का नियंत्रण नहीं है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या तंत्र संबंधी विफलता जारी रहनी चाहिए या हमें तंत्र संबंधी विफलता को रोकना है तथा लोगों के साथ न्याय करने का प्रयास करना है तथा दोषी लोगों को सजा दिलानी है। इसे कारपोरेट जगत को एक सबक सिखाना चाहिए कि यह देश केवल कारपोरेट जगत पर ही निर्भर नहीं है; 'रीयल सेक्टर' महत्वपूर्ण है। उन्हें 'रीयल सेक्टर' में योगदान करना चाहिए ताकि देश की समस्याओं को बेहतर तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): सभापति महोदय, सत्यम प्रकरण से देश की बदनामी और अपमान हुआ है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि कारपोरेट जगत को बिना किसी पाबंदी के मुनाफा कमाने की व्यवस्था तथा यह सोच कि वे जो भी करते हैं वह देश के लिए ठीक है, के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। पिछले अनेक वर्षों से यह हो रहा था और न केवल सत्यम बल्कि अनेक कारपोरेट हमारी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। हम जानते हैं कि न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के साथ बल्कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के साथ क्या घटित हुआ है। सभी ने यह माना कि सत्यम घोटाला अभूतपूर्व घोटाला है। यह हजारों करोड़ रुपये का घोटाला है और इसमें अनेक लोग शामिल हैं। इसलिए इसकी संपूर्ण जांच करनी होगी।

महोदय, मैं किसी व्यक्ति या संस्थान पर आरोप नहीं लगाना चाहता, परन्तु संपूर्ण तंत्र में कुछ न कुछ खराबी जरूर है। अन्यथा, ऐसा कैसे हो सकता था? सत्यम इतने पैसे की लूटपाट कैसे कर सकता था? वे किस प्रकार न केवल भारत बल्कि देश के बाहर भी संपूर्ण तंत्र को धोखा दे सके हैं? यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

इसलिए मेरे दल की यह मांग है कि इस घोटाले की गहन जांच की जाये और सभी दोषियों को सजा दी जाये। सरकार को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जब वे वैश्विक तथा कारपोरेटाईजेशन की बात करते हैं, तो उन्हें कारपोरेट द्वारा देश को चलाए जाने में निहित खतरे को पहचानना चाहिए। मैं समझता हूं कि सत्यम घोटाले को भावी नीतियां बनाने में सरकार की आंखें खोल देनी चाहिए। इसलिए हम पूरे घोटाले की गहन जांच की मांग करते हैं।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली): महोदय, 7 जनवरी, 2009 को सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसिज लिमिटेड के तत्कालीन चेयरमैन श्री बी. रामालिंगा राजू (राजू) द्वारा उजागर की गयी दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी से निवेशकों विशेषकर हैदराबाद स्थित निवेशकों के विश्वास को ठेस पहुंची है क्योंकि सत्यम देश की सबसे बड़ी साफ्टवेयर निर्यात करने वाली ऐसी कंपनी थी जिस पर साठ से भी ज्यादा फोर्चून-500 कंपनियों का विश्वास टिका था, तकरीबन 53,000 पेशेवर रोजगाररत थे और 50 से भी ज्यादा देशों में अपना प्रचालन कर रही थी।

जब राजू ने मीडिया के समक्ष उपरोक्त रहस्योद्घाटन किया, उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो रही बैठक में शिरकत कर रहे थे। रहस्योद्घाटन की जानकारी के तुरंत बाद मुख्य मंत्री ने स्वयं दिल्ली से सीबीसीआईडी को प्रारंभिक जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राजू जिसने अपने आप स्वीकार किया है, उसे छोड़ा न जाए।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं तत्काल आवश्यकता को देखते हुए स्वयं डा. मोन्टेक सिंह आहलुवालिया से बात कर उनसे प्रधानमंत्री से बात करने हेतु निवेदन किया था, जो कि उस समय बीमार थे, कि वे विशिष्ट व्यक्तियों का एक नया प्रबंधन दल नियुक्त करने हेतु तत्काल कदम उठाएं जिससे कर्मचारियों और निवेशकों दोनों में विश्वास पैदा किया जा सके। उन्होंने डा. मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, प्रधानमंत्री, श्री पी. चिदम्बरम और श्री प्रेमचन्द गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले का अनुवर्तन किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रैस कांफ्रेन्स और प्रधानमंत्री को लिखे गए उनके पत्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

का खूब प्रचार हुआ और वस्तुत: ऐसे कई व्यक्ति थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गयी त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की।

केन्द्र सरकार ने भी तत्काल कार्रवाई की। सेबी तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारी उस दिन छुट्टी होने के बावजूद भी 8 जनवरी, 2009 को मौके पर हैदराबाद पहुंचे तथा केवल सत्यम के कार्यकरण ही नहीं बल्कि आठ अन्य कंपनियों की सीधे जांच शुरू कर दी जिसमें मेटास इन्फ्रा तथा मेटास प्रापर्टीज शामिल हैं। सीबी-सीआईडी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर राजू, उसके भाई और सत्यम के सीएफओ को 9 और 10 जनवरी, 2009 को गिरफ्तार कर लिया और तभी से न्यायालय की संवीक्षा के अंतर्गत जांच की जा रही है। यहां यह नोट करना आवश्यक है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक और टीडीपी के वर्तमान वरिष्ठ सदस्य श्री के. विजय रामाराव द्वारा 8 जनवरी, 2009 को 'द हिन्दु' समाचार-पत्र (9 जुलाई, 2009 को हैदराबाद संस्करण में प्रकाशित हुआ) को दिए गए साक्षात्कार में साफ-साफ कहा गया कि इस मामले में सीबीआई का प्रवेश बेहद जल्दबाजी को दर्शाता है। 'हिन्दु' में यह रिपोर्ट भी प्रकाशित की गयी कि ''उन्होंने इस बात का पक्ष लिया है कि सेबी और धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसे सांविधिक निकायों ने उन बिन्दुओं का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जहां गलतियां हुयी थीं, क्योंकि वे वित्त और लेखापरीक्षा प्रविधि संबंधी मामलों के विशेषज्ञ थे। एक बार धोखाधड़ी की दिशा तय हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय जांच सीबीआई को सौंप सकता था।''

मुख्यमंत्री के अनुरोध के जवाब में केन्द्र सरकार ने सत्यम के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया तथा उसके स्थान पर अपने व्यक्ति मनोनीत कर दिए जो कि वर्तमान में केन्द्र सरकार की सीधी निगरानी में कंपनी का कार्यभार चला रहे हैं। वस्तुत: हर व्यक्ति को यह पता है कि रहस्योद्घाटन के पहले कुछेक दिनों के दौरान सत्यम मामले की प्रगति और इसके प्रबंधन की निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे। प्रधानमंत्री के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी श्री प्रणब मुखर्जी ने मामले की निगरानी की। 7 जनवरी, 2009 के बाद इस मामले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रह गयी क्योंकि यह मामला उसने सीबी-सीआईडी को सौंप दिया था। इन परिस्थितियों में कोई भी राज्य सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी।

अपनी कई प्रैस कांफ्रेन्सों के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि उन्हें बेहद खुशी होगी यदि यह मामला सीबीआई के पास चला जाए। वस्तुत: उन्होंने 28 जनवरी, 2009 को प्रधानमंत्री के नाम एक अर्द्धशासकीय-पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि यदि यह मामला सीबीआई के पास चला जाता है तो राज्य सरकार को खुशी होगी। 8 फरवरी, 2009 को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने केन्द्रीय गृह सचिव श्री मधुकर गुप्ता को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में ले। मुख्यमंत्री ने पुन: 9 फरवरी 2009 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई द्वारा मामलों को शीघ्रता से अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया था।

इसके बावजूद, यह बेहद निराशाजनक है कि राज्य के विपक्षी राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का राजनैतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं। उन्हें कंपनी में नियोजित 53,000 कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। वे तो यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि यह कंपनी तुरंत बर्बाद हो जाए और इसके 53,000 कर्मचारी सड़क पर आ जाएं और स्वाभाविक है कि ऐसे में उनका क्रोध राज्य तथा केन्द्र दोनों की सत्तारूढ़ सरकार पर फूटेगा और यदि अन्य साफ्टवेयर कंपनियों के कर्मचारी सत्यम के कर्मचारियों से मिल जाते हैं, तो स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी; वे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्यम के वैश्विक ग्राहक पीछे हट जाएंगे और राज्य में चारों ओर अफरा-तफरी मच जाएगी। परंतु उनका दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा कुशलता से मामले को संभालने के कारण कंपनी सुचारू रूप से चल रही है; कर्मचारियों को वेतन दिये जा रहे हैं और ग्राहकों ने अपने आर्डर रद्द नहीं किए हैं। सेबी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा बेहद बारीकी से जांच की जा रही है। नव गठित बोर्ड द्वारा नियोजित लेखाकारों और लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यम के खाते पुन: तैयार किए जा रहे हैं, बोर्ड ने आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में ब्रह्ममाया एंड कंपनी चार्टेड अकाउन्टेंट को नियुक्त किया है। यहां यह जिक्र करना अप्रासंगिक न होगा कि यह चार्टेड अकाउन्टेंट फर्म टीडीपी नेता श्री नायडू के बेहद निकट है। श्री देवीनेनी सीतारमैय्या जो कि ब्रह्ममाया एण्ड कंपनी के मुख्य भागीदार हैं श्री नायडू के पथप्रदर्शक और एनटीआर मैमोरियल ट्रस्ट के एकमात्र बाहरी सदस्य हैं।

इन बातों से हताश होकर विपक्ष के कुछ लोग और कुछ मोडियाकर्मी अब इस डर से समुचित जांच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि कहीं उनके संपर्क की बात सामने न आ जाए? अतएव उन्होंने बड़ा शोर-शराबा किया और अपनी भूमिका को छिपाने की उम्मीद से दूसरे पर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया चूंकि अब यह मामला सीबी-सीआईडी के हाथों में है अतएव वे हमें पूछ रहे हैं कि यह जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जा रही है। यदि यह जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, तो वे यह कहने में नहीं हिचकिचाएंगे कि इससे भी कोई सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि सीबीआई कुछ और नहीं सिर्फ कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन है। और यदि यह मामला राज्य सीबी-सीआईडी के हाथों में होगा तो

वे यह कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री जांच को प्रभावित कर रहे हैं। विपक्ष की दोमुखी रणनीति जांच को निष्फल करने और इस अवसर का लाभ उठाकर सरकार की छवि को हर संभव स्तर तक धूमिल करने की है।

उनका दूसरा भय यह है कि इस जांच से अपरिहार्य रूप से श्री राजू और श्री नायडू के संपर्क उजागर हो जाएंगे जिसके बारे में पूरे राज्य को पता है। श्री नायडू तो श्री राजू के संरक्षक रहे हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं जब श्री नायडू ने श्री राजू के उत्थान में कोई श्रेय न लिया हो। उनके श्री चंद्रबाबू नायडू से संबंध तब से माने जाते हैं जब वर्ष 2000 में हैदराबाद में श्री बिल क्लिंटन आए थे और श्री बी. रामलिंगा राजू ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मंच पर उपस्थित होने का मौका मिला था, हालांकि, उस समारोह में प्रख्यात और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्यमी भी मौजूद थे। इस प्रकार नायडू और राजू दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की है। अग्रणी अंग्रेजी दैनिक 'डेक्कन क्रानिकल' में 27.1.2009 के संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर छपे अंक में तीन कंपनियों ईलम इन्वेस्टमेंट्स, फीनिस इन्वेस्टमेंट्स और ग्रेस इन्वेस्टमेंट्स में प्रत्येक कंपनी ने 30 लाख रुपए तेलगु देशम पार्टी के अध्यक्ष श्री नारा चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी द्वारा प्रवर्तित और प्रचालित निजी धमार्थ न्यास एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट को दिए। कहा जाता है कि उपर्युक्त तीनों कंपनियां श्री बी. रामलिंगा राजू द्वारा प्रवर्तित/स्वामित्व की हैं और हाल में ही श्री नायडू ने यह स्वीकार किया है कि एन.टी.आर. ट्रस्ट ने वस्तुत: उपर्युक्त धनराशि स्वीकार की। इसके अतिरिक्त राजू ने नायडू और उनकी राजनीतिक पार्टी को भारी धनराशि दी।

'द इकोनोमिक्स टाइम्स' में 13 जनवरी और 30 जनवरी 2009 को दो प्रमुख समाचार छपे कि दिल्ली में श्री नायडू ने रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद सीबीडीटी और सेबी द्वारा वर्ष 2002 और 2003 में सत्यम के प्रवर्तकों द्वारा आंतरिक व्यापार और धन शोधन के गंभीर आरोपों की जांच को सफलतापूर्वक प्रभावित किया। वास्तव में, संसद सदस्य श्री रामदास आठवले ने वर्ष 2003 में संसद में मुद्दा उठाया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर सही समय पर उचित कार्यवाही की गई होती तो सत्यम की यह वर्तमान स्थिति कभी न होती। आश्चर्य की बात है कि नायडू ने न तो इन वक्तव्यों का खंडन किया और न ही समाचार के विरुद्ध मानहानि का दावा किया। महोदय, मैं आपके द्वारा यह विनम्र निवेदन करता हूं कि हजारों कर्मचारियों का जीवन बचाया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं की संप्रग सरकार आईटी क्षेत्र के हजारों लोगों के भरोसे को बरकरार रख सकती है।

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों श्री रूपचन्द पाल, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह, श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली, आपको श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी, श्री येरननायडु, श्री विनोद कुमार, श्री के.एस. राव, श्री रामदास आठवले, प्रो. रामदास, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार का धन्यवाद करना चाहूंगा।

मैं प्रसन्न हूं कि उनमें से कुछ सदस्य शेयर बाजार घोटले संबंधी पिछली संयुक्त संसदीय समिति में मेरे सहयोगी थे। श्री रूपचन्द पाल और श्री येरननायडु उस समिति में मेरे सहयोगी थे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सत्यम में जो हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रश्न चिन्ह लगा कि हमारी प्रणाली में क्या गड़बड़ी हुई है।

महोदय, कारपोरेट घोटाले होते हैं और भ्रष्टाचार के मामले होते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों की बैंकिंग और ब्रोकरिंग प्रणाली में उच्च स्तर पर कारपोरेट घोटालों के कारण वर्तमान आर्थिक मंदी आई है। यहां तक की 150 वर्ष पुरानी बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय कंपनियों की स्थिति खराब हो गई और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और धनराशि तथा संसाधनों के घोर दुरुपयोग के मामलों में उनकी सहायता करनी पड़ी। यही नहीं, संप्रभु सरकारों पर भी सन्देह किया या। आपको यह याद होगा कि आइसलैंड की सरकार को भी ऐसे संकट से उबारना पड़ा था। अन्यथा उस देश की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाती।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है सत्यम में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं न तो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूं और न ही मैं यह कह रहा हूं कि हम लगातार ऐसी घटनाएं या उनकी पुनरावृत्ति होने दें।

सायं 6.00 बजे

महोदय, मुख्य चिंता यह थी की हमारा कारपोरेट क्षेत्र विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां जो लगभग 175 संप्रभु देशों के लिए तथा विश्व भर में 500 फार्च्यून कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीति कार्यों में संलग्न हैं, जिनमें लाखों युवा नियुक्त हैं और यह उद्योग जो हमारे देश के लिए लगभग 30 बिलियन डालर की कमाई करता है उस पर किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की गलती और लोभ के कारण सवाल नहीं उठने चाहिए।

अत: हमारी मुख्य चिंता यह बात सुनिश्चित करने की है कि सत्यम में कार्य होते रहें अन्यथा 53,000 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। इसका प्रभाव केवल इन 53,000 कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इसका प्रभाव इतना अधिक होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

यह वही सत्यम है, जब सत्यम था तो अधिकांश राज्य सरकारें सत्यम को अपने-अपने राज्य में बुलाने और सुविधाओं की स्थापना करने हेतु आपस में प्रतिस्पर्द्धा कर रही थीं। यह वही श्री राजू हैं जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मैन आफ द इयर घोषित किया गया था। यह वही सत्यम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा गोल्डन पीकाक कारपोरेट गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था।

वापस प्रश्न की ओर लौटते हुए हमारी मुख्य चिन्ता यह सुनिश्चित करने की है कि इन लोगों, इन युवकों की नौकरी न जाए और पूरे देश की बदनामी न हो।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी सायं 6.00 बज चुके हैं। हमारे पास अभी दो और विधेयक विचारार्थ और पारित होने के लिए हैं। अगर सभा सहमत हो तो सभा का समय और एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, क्या विधेयक पारित करने का यही तरीका है? ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, इसका परिचालन अभी किया गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, संशोधनों का परिचालन अभी किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनको अपनी बात समाप्त करने दें फिर उनके जवाब के बाद मैं निर्णय लूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अभी यहां बड़ी संख्या में संशोधन परिचालित किए गए हैं और हम उन संशोधनों का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें, किंतु यह कोई विधेयक पारित करने का तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हाउस का टाइम मंत्री जी के रिप्लाई के खत्म होने तक बढ़ाया जाता है। रिप्लाई के समाप्त होने के बाद हाउस की सेंस फिर ली जाएगी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दो बिल आज लिए जाएं, या नहीं। जिस काम के लिए हाउस एग्री होगा, वही काम होगा। सलीम जी, आपको इतनी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रेमचंद गुप्ता: जैसा कि मैंने कहा, सरकार के समक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की थी कि सत्यम में कार्य चलते रहें ताकि हमारा संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विश्व बाजार में पिछड़ न जाए। दूसरे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तीसरे जांच जारी रह सकती है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समय व्यर्थ न हो।

इसके पीछे ये कारक थे। अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि हमें पहले क्यों नहीं पता चल पाया था 17 जनवरी के पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। 7 जनवरी को, ज्यों ही सेबी को भेजे गए ई-मेल से यह पता चला कि राजू ने कुछ घोटाला किया है, कम्पनी के निदेशकों, स्टाक एक्सचेंजों और आरओसी हैदराबाद को कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट पर और उक्त मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। पांच दिन के भीतर, 12 जनवरी को आरओसी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके साथ-साथ, 7 जनवरी को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया (आईसीएसआई) को भी आरोपों की जांच करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया। क्योंकि ये नियामक हैं और ऐसे संस्थान हैं जो इन दोनों व्यवसायों का विनियमन करते हैं। 8 जनवरी को आरओसी हैदराबाद ने हैदराबाद के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट से सत्यम के परिसरों और विभिन्न कार्यालयों से दस्तावेज और सीडी, साफ्ट एवं हार्ड कापियां, जब्त करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया। उसी दिन अर्थात् 8 जनवरी को ही सत्यम तथा उससे जुड़ी आठ कम्पनियों का मामला सीरियस फ्राड इन्वेस्टीगेशन आफिस (एसएफआईओ) को सौंप दिया गया। 9 जनवरी को कम्पनी ला बोर्ड से सत्यम के बोर्ड को हटाने और सरकार को 10 नए निदेशक नियुक्त करने हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया। तत्काल, 11 और 15 जनवरी को सत्यम के निदेशक मंडल में 6 निदेशक नियुक्त किए गए। ये 6 निदेशक न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी ख्याति प्राप्त लोग हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं नाम दे सकता हूं। किंतु, मुझे पता है कि अब तक आप नाम जान चुके हैं। मुझे आपकी नाम देने की आवश्यकता नहीं है। 19 जनवरी को एसएफआईओ को अपनी जांच के दायरे में मैटास प्रापर्टीज और मैटास इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल करने की अनुमति दी गई, चूंकि इनके तार भी सत्यम से जुड़े थे।

महोदय, आप मानेंगे कि इस देश में विधि का शासन है; इस देश में एक सुस्थापित न्यायिक प्रणाली है और बिना किसी समुचित

रिकार्ड के हम किसी के पास जाकर यह नहीं कह सकते कि देखो आपने ऐसा किया है और इसलिए आपको फांसी पर लटकाया जा रहा है। कानून में एक प्रक्रिया निर्धारित है। उसका अनुपालन लाजिमी था; अन्यथा हमारा मामला कमजोर पड़ा जाता।

जैसा कि मैंने कहा, 19 जनवरी को एसएफआईओ ने अपनी जांच के दायरे में मैटास प्रापर्टीज और मैटास इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया। अगले दिन 20 जनवरी को सत्यम से निधियों के अन्यत्र उपयोग की पुरजोर संभावनाओं और सत्यम के मामलों से नजदीकी से जुड़े व्यक्तियों की अनुचित तरीकों से व्यक्तिगत समृद्धि के मद्देनजर सरकार द्वारा दायर एक याचिका के तहत रामलिंगम राजू अध्यक्ष; श्री रामा राजू, निदेशक; श्री मयनामपति, सीईओ एवं निदेशक; श्री वदलमणि श्रीनिवास, सीएफओ; और श्री जयरमण, कम्पनी सचिव जो पूर्व में सत्यम से जुड़े थे सभी को अपनी सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां माननीय कंपनी ला बोर्ड के समक्ष घोषित करने का निदेश दिया।

माननीय कंपनी ला बोर्ड से यह भी अनुरोध किया गया कि सीएलबी की अनुमति के बिना उन्हें ऐसी कोई भी संपत्ति या परिसंपत्तियां बेचने या अलग करने से रोका जाए। 20 तारीख को ही ऐसा कर दिया गया।

महोदय, इस दौरान एसएफआईओ, आईओसी, सेबी और राज्य सीआईडी ये सभी टीमें मिलजुल कर काम कर रही हैं और उनके बीच में पूरा सहयोग है। मैं आधिकारिक तौर पर यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य एजेंसी या किसी भी केन्द्रीय एजेंसी के स्तर पर किसी भी प्रकार के असहयोग का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। सभी एजेंसियां बेहतर तालमेल से काम कर रही हैं और उन्होंने पता लगाया कि इस ग्रुप के साथ जुड़ी 356 कंपनियों का नेटवर्क था। इन 356 निकायों में से 326 कंपनियां थीं और शेष व्यक्ति विशेष और अन्य लोग थे। इस प्रकार, पूरा नेटवर्क मौजूद था। उन्होंने पाया कि इन 356 निकायों का इस्तेमाल करके धनराशि के हेरफेर की प्रबल संभावना हो सकती थी। एसएफआईओ को अपनी जांच के दायरे में इन 356 निकायों को भी शामिल करने का अधिकार दिया गया।

महोदय, फिर अगले दिन 17 फरवरी को मंत्रालय ने कंपनी ला बोर्ड के पास एक पृथक याचिका दायर की, जिसमें मैटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैटास प्रापर्टीज लिमिटेड के वर्तमान निदेशकों को हटाने और इन कंपनियों के बोर्ड में नए निदेशक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया था। 17 फरवरी को हमने यह याचिका दायर की। मामला न्यायाधीन है। माननीय कंपनी ला बोर्ड ने इन मामलों में से एक, मैटास प्रापर्टीज लि., के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है; और माननीय कंपनी ला बोर्ड द्वारा मैटास इन्फ्रास्ट्रक्चर मामले की सुनवाई कल अर्थात् 26 फरवरी को होगी।

महोदय, 19 फरवरी को केन्द्र सरकार के समर्थन से कंपनी द्वारा दायर याचिका के तहत माननीय कंपनी ला बोर्ड ने नए बोर्ड को कंपनी का व्यापार और प्रचालन जारी रखने के लिए एक योजना बनाने की अनुमति प्रदान की जिसके तहत एक रणनीतिक निवेशक को शामिल किए जाने और सेबी द्वारा प्रबंधन ग्रहण करने के संदर्भ में सेबी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना सम्मिलित है। रणनीतिक निवेशक को शेयरों का आबंटन करके उसे अंतिम रूप से शामिल किए जाने से पहले कंपनी ला बोर्ड की स्वीकृति भी ली जाएगी।

महोदय, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत सरकार की कार्रवाई की हर जगह और हर किसी के द्वारा सराहना की गई है; फाइनेंशियल टाइम्स आफ लंदन, डाउन जोंस—इन सभी समाचार-पत्रों ने सरकार द्वारा अभी तक की गई ठोस कार्रवाई तथा सरकार की इस त्वरित और शीघ्र कार्रवाई की सराहना की है।

महोदय, एक दूसरे पर दोष लगाना बहुत सरल है ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीमः हमारा राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ताः कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया मुझसे यह मत पूछिए कि हमारा राष्ट्रीय नारा क्या है। कृपया मुझे ऐसा कुछ बताने के लिए विवश मत कीजिए, जिसका जानना किसी के भी हित में है। हमें इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ताः यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं।

मोहम्मद सलीमः यह शर्मनाक बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडुः हां, यह शर्मनाक बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ताः सलीम साहब, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। मुझे इससे इंकार नहीं है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के घोटाले फिर न हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे धब्बा ठीक ही कहा है। वह बहुत ही सटीक और सही थे।

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

महोदय, श्री रूपचन्द पाल ने कहा था कि यह पर्दा डालने की कोशिश है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं और मेरा कहना है कि यह सच नहीं है।

अगला मुद्दा उठाया गया था कि सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय जैसी सभी संस्थाएं विफल हो चुकी हैं। हर देश की अपनी व्यवस्था होती है और यदि हम अपनी व्यवस्था का इस सीमा तक मजाक उड़ाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस देश में 8,90,000 कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी को कतिपय दस्तावेज जमा करने होते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि सभी दस्तावेज देखना तथा उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: सत्यम कम्प्यूटर्स कोई सामान्य कंपनी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सलीम, उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: श्री सलीम, उद्वेलित मत होइए। यह एक घोटाला था। ...*(व्यवधान)* हमें उद्वेलित नहीं होना चाहिए। मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के घोटाले अथवा अनियमितताएं समय पर पकड़ी जाएं, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए-21 कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके द्वारा ई-मेल के माध्यम से दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। अधिकारी कंपनियों के रिटर्न, अनियमितता को स्क्रीन पर देख सकते हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आखिरकार व्यवस्था कार्य करती है। जब लेखा-परीक्षक एक कंपनी के खातों को प्रमाणित कर देते हैं तो क्या किया जा सकता है? प्राइस वाटर हाऊस की सात भागीदारी कंपनियां हैं, जोकि पश्चिम बंगाल सहित भारत में पंजीकृत हैं। ये फर्में भारत में पंजीकृत हैं। सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वह लेखा-परीक्षा कार्य के लिए प्राधिकृत हैं।

मोहम्मद सलीम: यह मिली-भगत का मामला है।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: हां, यह मिली-भगत का ही मामला है। मैं 'न' नहीं कर रहा हूं। 'न' कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि लेखा-परीक्षक इसमें संलिप्त हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षक भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। एसएफआईओ द्वारा उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: कानून को अपना कार्य करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* कानून को अपना कार्य करने देना चाहिए।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: मैं यही कह रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप इस मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: हां, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अब आप कृपया मेरे उत्तर में व्यवधान मत डालिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, पिछली जेपीसी में कतिपय अनियमितताओं को उजागर किया गया था और जेपीसी ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्राइस वाटरहाउस के काम-काज की जांच की जाए। प्राइस वाटरहाउस, बंगलौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी। आईसीएआई द्वारा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी।

वर्ष 2000-01 के लिए, अनुशासन समिति श्री एस. गोपाल कृष्ण, श्री राम कृष्ण तथा श्री मनीष अग्रवाल को पेशेवर दुराचार का दोषी पाया। अब संस्थान की परिषद द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन तीनों लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। दंड के तौर पर इन सदस्यों का नाम आईसीएआई से स्थाई रूप से हटाया जा सकता है और आप यह जानते ही हैं कि सनदी लेखाकार के लिए अपना प्रमाण-पत्र खोना बहुत बड़ी बात है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मामले में कतिपय अनियमितताओं को पाया। माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा भी उठाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 2004 में बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्राइस वाटरहाउस के साथ कार्य न करने का परामर्श जारी किया था। आईसीएआई द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप दिए जाने के विलंब के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में पाई गईं अनियमितताओं के लिए प्राइस वाटरहाउस कूपर्स का निलंबन जारी रखना उचित नहीं समझा। इसलिए, तीन वर्ष के पश्चात् अगस्त 2007 में प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्राइस वाटरहाउस के नाम पर विचार करने की अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय था कि यदि वे उनके नाम पर विचार करें तो, वे उन्हें अपनी लेखा-परीक्षा का कार्य सौंप सकते हैं।

जहां तक जांच का संबंध है, संयुक्त संसदीय समिति ने संकेत दिया था कि के.पी. केतन पारिख के समय सत्यम स्टाक तथा के-10 शेयरों में बहुत उठा-पठक देखी गई। आपको याद होगा कि उस समय 10 स्क्राइब चर्चा में बहुत रहे। कंपनी अधिनियम की धारा 209-क के अंतर्गत 12 सितंबर, 2001 को जांच का आदेश दिया गया और आरओसी ने 19 अप्रैल, 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तत्पश्चात्, क्षेत्रीय निदेशक ने 30 अप्रैल, 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उस समय सरकार में शामिल हमारे मित्रों को सत्यम के मामले में कुछ भी गलत नहीं लगा और इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाया गया।

संयुक्त संसदीय समिति में श्री वी.पी. सिंह भी सदस्य के रूप में मेरे साथ थे। आपको यह याद ही होगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): यह तो पिछले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को विमुक्त करता है; श्री आठवले जो कुछ कह रहे थे।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: ठीक है, ऐसा हो सकता है। हमें इसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: जी हां, इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: प्रश्न यह है कि अब क्या किया जा रहा है? अपनी व्यवस्था को इस प्रकार की धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं?

सेबी ने पहले ही देश में महत्वपूर्ण कंपनियों विशेषकर 30 बड़ी कंपनियों के लेखों की समीक्षा करने के आदेश दे दिए हैं। सेबी ने कंपनी के प्रोमोटरों के लिए गिरवी शेयरों को बताना भी अनिवार्य कर दिया है। वे अपने शेयरों को धरोहर के रूप में रखते हैं। वे बैंक और वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेते हैं और वे उस धन का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए करते हैं। सत्यम के मामले में प्रवर्तकों के पास आखिर में केवल आधा प्रतिशत शेयर ही बचे थे वह भी कुछ कंपनियों में और वे सीधे तौर पर उनके नाम पर नहीं थे।

कंपनी अधिनियम, 1956 जिसमें उसके लागू होने के बाद से 25 बार संशोधन हो चुके हैं, की समीक्षा की जा रही है।

महोदय, मैंने माननीय सभा के विचारार्थ कंपनी विधेयक की व्यापक समीक्षा करने संबंधी विधेयक पुर:स्थापित किया है और मैं समझता हूं कि वह संसद की माननीय स्थायी समिति के पास लम्बित है। इस विधेयक में हमने स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित किया है। आज के कंपनी अधिनियम के बारे में सभी निदेशक कह रहे हैं कि इसमें स्वतंत्र निदेशकों का अलग उल्लेख नहीं किया गया है और सभी निदेशक के एक समान दायित्व हैं। वहां इस बारे में कोई विभेद नहीं है जबकि प्रस्तावित विधेयक में हम स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों को अलग-अलग कर रहे है क्योंकि कुछ निदेशक जो स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करते हैं, को कंपनी के कार्यों की गहरी जानकारी नहीं होती और वे इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। अत: नए कंपनी अधिनियम में हम इस बात का प्रस्ताव कर रहे हैं कि प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी जैसे प्रभारी अधिकारी किसी भी प्रकार की भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होंगे। स्वतंत्र निदेशक तब तक जिम्मेदार नहीं होंगे जब तक कि वे उस निर्णय के एक पक्षकार नहीं होते, जहां किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता हुई हो।

हमने कंपनी अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की दशा में कड़ें दांडिक उपबंधों की व्यवस्था की है और स्पष्ट सिविल दायित्वों के लिए भी व्यवस्था की है। आपराधिक दायित्वों के अतिरिक्त हमने सिविल दायित्वों की भी व्यवस्था की है। हमने त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की भी व्यवस्था की है। अब निर्धारित प्रक्रिया बहुत ही लम्बी है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे न्यायालयों पर अत्यधिक भार है और विभिन्न न्यायालयों में 30 मिलियन मामले लम्बित हैं।

हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए और हम जीवन की इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते कि कुछ मुद्दों के संबंध में कोई किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। इसलिए हमने प्रस्तावित विधेयक में त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का उपबंध किया है।

हमने लेखा परीक्षा के लिए भी मानदंड निर्धारित किए हैं। इस समय इंस्टिट्यूट आफ चार्टेड अकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया द्वारा लेखा मानदंडों की घोषणा की जाती है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में सरकार लेखापरीक्षा संबंधी मानदंडों का प्रावधान कर सकेगी ताकि दोषी लेखापरीक्षकों, यदि उन्हें दोषी पाया जाता है, को समुचित दंड दिया जा सकेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। हमने स्वविनियमन की भी व्यवस्था की है लेकिन जवाबदेही के साथ प्रस्तावित कंपनी अधिनियम में विस्तृत प्रकटन अपेक्षाओं का भी उपबंध किया जा रहा है ताकि ...*(व्यवधान)* और गंभीर अपराध जांच कार्यालय के प्रवर्तन स्कंध का सुदृढ़ीकरण। ...*(व्यवधान)*

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

जहां तक सत्यम मुद्दे का संबंध है तो मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सभी जांच अभिकरण युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हें जांच के पूरे अधिकार दिए गए हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मंत्री जी इस अवसर का उपयोग प्रमाणपत्र देने के लिए कर रहे हैं जबकि सदस्य विक्षुब्ध थे। कंपनी ने भाग्याधीन घटनाओं के बारे में बताया था और सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि यह व्यापारिक गड़बड़ी को ढकने का प्रयास है। वह प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं जो होने वाली है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मो. सलीम, कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: श्री सलीम आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: सदस्य यही कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप उन्हें इसका उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: एक-दूसरे पर आरोप लगाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता ...*(व्यवधान)* आपकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में सत्यम को भूमि आबंटित की है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: नहीं, यह आपकी व्यवस्था का दोष है।

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: यह व्यवस्था आपकी भी तो है ...*(व्यवधान)* आपने यह व्यवस्था बनाई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया ...*(व्यवधान)* आप प्रमाणपत्र जारी नहीं करते ...*(व्यवधान)* मैं सत्यम का एक ग्राहक होने के नाते कुछ कह सकता हूं लेकिन आप मानीटर हैं और विनियामक हैं ...*(व्यवधान)* यह आपकी व्यवस्था है जो विफल हो गई है ...*(व्यवधान)* यह आरोप का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री सलीम, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, अभी-अभी मेरे मित्र तथा इस सभा के सदस्य श्री सलीम ने अपना आपा खोना शुरू कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आपने यह कहा ...*(व्यवधान)* सत्यम पूरे देश में व्यवसाय करता है। क्या वे सभी अपराधी एवं दोषी हैं? ...*(व्यवधान)* आपको विनियमित करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: मैंने कहा है ...*(व्यवधान)* हम विनियमित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री सलीम, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रेमचंद गुप्ता: आप कैसे मानते हैं कि हम विनियमित नहीं कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आपकी सरकार ने क्या किया? *...(व्यवधान)*

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, विनियामक तंत्र काम कर रहा है। मामले की जांच की जा रही है। *...(व्यवधान)* मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोषी व्यक्ति को दण्डि किया जाएगा तथा इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। *...(व्यवधान)* अत: मैं पूरे विश्वास के साथ पुन: कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी जांच एजेंसियां जांच करने में सक्षम हैं तथा बिना किसी हस्तक्षेप के युद्धस्तर पर जांच चल रही है और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मंत्री जी के उत्तर से और प्रश्न उठ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हम माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री सलीम, आप बिना मेरी अनुमति के कुछ नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री सलीम, यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य एक-एक करके एक स्पष्टीकरण पूछ सकता है। अब, मैं श्री येरननायडु को माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): माननीय सदस्य एलर्ट नहीं थे, इनके राज में स्कैम हुआ है। इन्हें क्या कहना है?

[अनुवाद]

सरकार ने सबसे अच्छी कार्रवाई की है। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: इस माह की 23 तारीख को एक टेलीविजन चर्चा में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार सत्यम प्रबंधन को हमारे देश के कानून के अनुसार दण्डित नहीं किया जा सकता है तथा कार्रवाई केवल अमेरिका के कानून के अनुसार ही की जा सकती है। *...(व्यवधान)* मैं इसकी एक कैसेट भी आपको भेजूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? *...(व्यवधान)* सीबीआई, फेमा, आरबीआई आदि द्वारा की जा रही इन सभी जांचों का उद्देश्य क्या है?

मेरा दूसरा प्रश्न है...

सभापति महोदय: मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, यह पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

सभापति महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। श्री सलीम आप अपना प्रश्न पूछिए।

मोहम्मद सलीम: मंत्री जी सभी पक्षों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे हैं। अन्यथा उनके उत्तर से और अधिक प्रश्न उठते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, यह पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह बात साबित हो गई है कि सत्यम कम्प्यूटर्स के पास जमा धनराशि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु जो भी कह रहे हैं उसे अब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री येरननायडु, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैंने केवल श्री विजयेन्द्र पाल सिंह को अनुमति दी है। उनके भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैंने पहले ही यह कहा था कि मंत्री महोदय ने तत्काल कार्यवाही की है। लेकिन मंत्री महोदय तथा जांच एजेंसियों के निष्कर्ष प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाते हैं कि सत्यम जिस मेटास कंपनी को खरीदना चाहती थी उस कंपनी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अधिकारी वर्ग द्वारा पक्षपातपूर्ण सहायता दी गई थी। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में और निष्कर्षों से अवगत करा सकते हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मंत्री महोदय का पूरा उत्तर सुनने के पश्चात् मैं यह नहीं समझ सका कि वे किस विशेष जांच के लिए आदेश दे रहे हैं। किसी विशेष जांच का उल्लेख नहीं किया गया है सिवाय अच्छे इरादों को अभिव्यक्त किए जाने के कि भविष्य में क्या किया जाएगा ताकि ये गलतियां न की जा सकें। इन सभी आश्वासनों के दिए जाने के बाद हम यह जानना चाहेंगे कि इस समय सरकार किस प्रकार की जांच शुरू कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारे देश के सबसे बड़े कार्पोरेट घोटाले के संबंध में हमारे साथियों द्वारा अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। वाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। इनमें से एक प्रश्न यह था कि किसी अपराधी को पांच सितारा सुविधा तथा सात-सितारा सुविधा कैसे दी जा रही थी *...(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: ये बिल्कुल गलत है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मंत्री महोदय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वाद-विवाद के उत्तर में उन्होंने जो कहा है वह भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में है। क्या जांच की गई है तथा इस घोटाले के अपराधियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वी. विनोद कुमार: महोदय, श्री राजू के वक्तव्य के अनुसार सभी फर्जी लेखे तैयार किए गए थे। मंत्री महोदय के वक्तव्य तथा एस.एफ.आई.ओ. के अनुसार 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार लेखों में 3,309 करोड़ रुपए की राशि दर्शाई गई थी।

यह ऐसा समय था जब रियल एस्टेट में तेजी थी। जब मैं बोल रहा था तब मैंने रियल एस्टेट का जिक्र किया था। मैं जानना चाहूंगा कि सत्यम समूह द्वारा खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि का विपथन किया गया।

सभापति महोदय: नहीं, केवल एक स्पष्टीकरण।

श्री वी. विनोद कुमार: इसके अतिरिक्त, इन निधियों का सरकार को विपथन *...(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: सभा में चर्चा के बाद यह सहमति हुई थी कि उपयुक्त समय पर कार्रवाई नहीं की गई और यही कारण है कि सत्यम घोटाला 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि जब श्री रामदास आठवले ने शिकायत की थी उस समय यह 20 करोड़ रुपए था। मैंने माननीय मंत्री जी को एक शिकायत दी है जिसमें यह कहा गया है कि सत्यम कम्प्यूटर्स खातों की जालसाजी इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में संलिप्त है।

सभापति महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मैंने माननीय मंत्री महोदय को शिकायत की है कि एक अन्य कंपनी हैरिटेज पर भी इसी प्रकार के आरोप हैं जो कि इसमें संलिप्त है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया उत्तर देना आरंभ करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि आप लोग मिनिस्टर का रिप्लाई नहीं चाहते हैं तो हम डिबेट को यहीं समाप्त कर देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सायं 6.42 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं बार-बार स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दूंगा। श्री नायडु, यह उचित नहीं है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप सभा में नई मिसाल स्थापित नहीं कर सकते। यह असंभव है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि आप मैम्बर्स के क्लेरिफिकेशंस का रिप्लाई माननीय मंत्री जी से नहीं चाहते हैं तो हम डिबेट को यहीं समाप्त कर देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सायं 6.43 बजे

(इस समय श्री येरननायडु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब वाद-विवाद समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रेमचंद गुप्ता: जैसा कि मैंने पहले ही कहा था और मैं रिकार्ड को यथावत रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि भारत सहित किसी देश के कार्पोरेट इतिहास में अभी तक कहीं भी इतनी त्वरित एवं दृढ़ कार्यवाही नहीं की गई है। *...(व्यवधान)* मैं राजनैतिक बयानबाजी में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मामले का तथ्य यह है कि सभी जांच एजेंसियां उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, वे पूर्णतया समन्वित ढंग से कार्य कर रही हैं। हमें निदेशक मंडल का अभिनन्दन करना चाहिए कि इतनी कम अवधि में वे स्थिति को काबू में लाने में सक्षम हुए। हमें 53,000 युवा लोगों की नौकरियां जाने का खतरा था।

इसमें 3,00,000 शेयरधारक तथा 175 फार्च्यून 500 कंपनियां जो कि सत्यम के ग्राहक थे, शामिल हैं, इसमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी शामिल थी। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, यूपीए नेता श्रीमती सोनिया गांधी के अधीन इस सरकार ने कड़ा रुख अपनाया; हमने समन्वित कार्यवाही की है। यह एक उदाहरण है, द फाइनैंशियल टाइम्स, लंदन, द फाइनैंशियल टाइम्स, सिंगापुर जैसे सभी समाचार पत्रों ने भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना की है। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैं गणपूर्ति की मांग करता हूं। सभा में कोई गणपूर्ति नहीं है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: ठीक है, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है। चूंकि गणपूर्ति नहीं है, अत: सभा सायं 7.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं सात बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 7.40 बजे

लोक सभा सायं 7.40 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 और भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 193 के अधीन चर्चा पूरी हो गई है। सभा अब मद संख्या 43क और 43ख पर विचार करेगी।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 66 के परन्तुक का निलंबन

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप नियम 66 के परन्तुक के निलंबन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): *मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार जाने और पारित किए जाने के प्रस्ताव में इसके अनुप्रयोग को निलंबित करती है चूंकि यह पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 पर आधारित है।"

...(व्यवधान)

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, हम इन विधेयकों को कल ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं और इन्हें विपक्ष की अनुपस्थिति में लिया जा रहा है। *...(व्यवधान)* इन्हें मूल कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया था। *...(व्यवधान)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, ये महत्वपूर्ण विधान सभी पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से होकर आए हैं तथा कल इन्हें राज्य सभा में भेजना है। यहां पारित हुए बिना उन्हें राज्य सभा में नहीं भेजा जा सकता। अत:, मैं माननीय सदस्यों से इन विधेयकों को पारित करने में सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। कृपया प्रविधि पर जोर न दीजिए क्योंकि कल राज्य सभा स्थगित हो जाएगी तथा हमें इन्हें वहां रखना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, प्रतिवेदन नवम्बर में प्रस्तुत किया गया था। आज दिन के अंत में इतने महत्वपूर्ण विधेयक सभा में लाए जा रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण विधेयक सत्र के आरम्भ में क्यों नहीं लाए गए? *...(व्यवधान)* संशोधन केवल आधे घंटे पहले ही परिचालित किए गए हैं और हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। इसे कल लिया जा सकता है तथा राज्य सभा की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने प्रस्ताव पहले ही पेश कर दिया है। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किए जाने और पारित किए जाने के प्रस्ताव में इसके अनुप्रयोग को निलंबित करती है चूंकि यह पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 पर आधारित है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दोनों बिल को एक साथ लिया जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 की विषय वस्तु से अवगत होकर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश करते हैं।

राष्ट्रपति भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की विषय वस्तु से अवगत होकर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश करते हैं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि लोक सभा प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

रिहेब्लिटेशन एंड रिसेटलमेंट बिल, 2007 पर विचार किया जाए, इसके साथ ही लैंड इक्विजिशन एक्ट अमेंडमेंट बिल, 2007 पर भी विचार किया जाए।

मैं सबसे पहले आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हिन्दुस्तान के गरीब और किसान, जो त्रस्त थे, उनके पक्ष में यह ऐतिहासिक विधेयक आया है और उस पर आपने विचार करने का अवसर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम सभी विधेयक के पक्ष में हैं। इसीलिए, मेरा कहना है कि इसे जल्दबाजी में नहीं लिया जाए। एक गलत परम्परा बनाई जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, विपक्ष की अनुपस्थिति में इस विधेयक पर चर्चा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। ये मूल कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: इतना महत्वपूर्ण बिल है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आचार्य जी, आप हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अगर कल इस बिल को हाउस में लाएं तो क्या होगा। ...*(व्यवधान)* कल हाउस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बसुदेव आचार्य जी जो सवाल उठा रहे हैं, यह ठीक बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपको हाउस का ओपिनियन लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल आया तो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वह स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के विद्वान सदस्यों ने गहन छानबीन की। देश भर के लोगों से राय ली गई और विचार किया गया। विज्ञापन निकला और इतना बड़ा वाइडर कंसलटेशन देशभर के तमान सिविल सोसायटी, राज्य सरकारें और सभी विभाग आदि सबसे परामर्श किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने जो राय दी, उसकी दो पंक्तियां पढ़ने की इजाजत दी जाए।

[अनुवाद]

भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक के संबंध में स्थायी समिति का मत है कि यह स्वतंत्रता के बाद पुर:स्थापित किए गए महत्वपूर्ण विधानों में से एक है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद ऐसा विधेयक कभी नहीं आया, प्रो-फार्मर, प्रो-पूअर, यूपीए गवर्नमेंट की उपलब्धि है। रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट बिल में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा-

[अनुवाद]

"विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों से युक्त ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विधान।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, न्यूयार्क में वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित बैठक में दुनिया भर के देशों के लोगों ने, उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस विधेयक और कानून की वर्ल्ड वाइड प्रशंसा हुई है। इसलिए देशभर में जब लोग सुनेंगे और जानेंगे कि किसान

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

और जो उससे प्रभावित लोग हैं तो उन्हें कितना एप्रीसिएशन मिलेगा और कितना संतोष होगा। यह प्रगतिशील और ऐतिहासिक विधेयक है, गरीबों के पक्ष में है। डिसप्लेसमेंट से पहले उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। सबसे पहले उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा, पुनर्स्थापन किया जाएगा, तब उन्हें हटाया जाएगा, अच्छे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी रहे, लेकिन इन्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसलिए किसान दर-दर भटकते हैं, त्राहि-त्राहि मचती है।

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरह के विस्थापन, चाहे विस्थापन आसमानी हो या सुल्तानी हो, दोनों तरह के विस्थापित पीड़ित परिवारों को इसमें सहुलियत देने का प्रावधान किया गया है। इसलिए हम माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि लोग अपने सुझाव दें और इसे पारित किया जाए, कल यह राज्य सभा में पारित होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: आप एक संशोधन स्वीकार कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक विधेयक में सब की भागीदारी और सहयोग होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी अनुशंसाएं की हैं, हमने उन्हें ज्यादातर स्वीकार किया है। इसलिए आज सदन से प्रार्थना है कि राय-विचार करके इसे पारित कराया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पहले ही इन विधेयकों को प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए हम आज पूरे विपक्ष के अनुपस्थित होने की वजह से इन दो विधेयकों को चर्चा के लिए कल ले सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, आप पूरी सभा की सहमति के बगैर सभा का समय नहीं बढ़ा सकते। महोदय, हम सभा का समय बढ़ाए जाने का विरोध करते हैं।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी यह विनती मान लें अन्यथा विरोध स्वरूप मैं सभा से बहिर्गमन करता हूं। पूरा विपक्ष आज अनुपस्थित है और आप इन विधेयकों को चर्चा के लिए ले रहे हैं। तथापि, यदि आप इन पर चर्चा करवाना चाहते हैं तो कराएं। मैं बहिर्गमन करता हूं।

सायं 7.51 बजे

(इस समय, श्री बृज किशोर त्रिपाठी सभा से बाहर चले गए)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इन विधेयकों का पूरा समर्थन करता हूं, परन्तु मेरा एक विरोध है। परन्तु इससे पहले मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री हन्नान मोल्लाह का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इस सभा की बैठक संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होती है। हम कुछ नियमों द्वारा शासित होते हैं। यहां तक कि ग्रंथालय समिति की बैठक में भी ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनायी जाएगी। कम से कम इस विषय को सुबह में भी हमारी जानकारी में लाया जाना चाहिए था। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों अथवा विपक्ष के, हमें इस प्रकार से विभ्रित नहीं किया जाना चाहिए। सभा के किसी सदस्य को विशेषकर विधान के मामले में विस्मित नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय प्रश्न से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधान है। यह भू-अर्जन प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्थापित लोगों के बारे में है जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। प्रभावित लोगों की संख्या काफी है जो इस विधेयक के दायरे में आते हैं। इन लोगों को पुनर्स्थापित करना होगा और उनकी पर्याप्तत: क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह किसी विशेष राज्य से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि यह पूरे राष्ट्र से जुड़ा मामला है। हम पूरे देश में परियोजनाएं चला रहे हैं। जब कभी कोई सार्वजनिक परियोजना क्रियान्वित की जाएगी भू-अर्जन के माध्यम से लोग विस्थापित होंगे। वे लोग अनेक लोगों की अकर्मण्यता की वजह से पर्याप्त मुआवजा नहीं पा सकेंगे। यद्यपि यह मामला लम्बे समय से लम्बित है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं ऐसा विधेयक लाने के लिए मंत्री महोदय का विरोध करता हूं। मैं विधेयक की विषयवस्तु से सहमत हूं परन्तु विधान प्रस्तुत करने का यह तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)* बेहतर होता यदि हमें सूचना दी गयी होती। हम सभा के सदस्य हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रंथालय समिति की बैठक में भी इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी

जाएगी। यह काफी महत्वपूर्ण विधान है। ...*(व्यवधान)* इसे हमारी जानकारी में लाया जाना चाहिए था।

अतः, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री हन्नान मोल्लाह की बातों के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, यहां हमारी पार्टी के अलावा अन्य दलों के बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें संशोधन करने हेतु सबसे ज्यादा मेरी भूमिका रही है। मैंने पहले चार-पांच महीने पूरे देश में घूमकर हजारों लोगों से सलाह-मशविरा कर के बिल में संशोधन हेतु सुझाव दिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जो सुझाव हमें पूरे देश के लोगों की ओर से मिले, उनके आधार पर इस बिल को बेहतर बनाने हेतु हमने संशोधनों की अनुशंसा कमेटी की ओर से सरकार से की। किसानों की जो समस्याएं हैं, भूमि सुधार का जो कानून ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा था, जो आब्सोलीट हो गया था, उसे अप-टू-डेट करना चाहिए। इसी दृष्टि से इस बिल का ड्राफ्ट बनाया गया था।

महोदय, डा. रघुवंश बाबू, सभी मंत्रियों में सबसे अच्छे हैं। बाकी तो इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू मुंह से भले ही न कहें, लेकिन इनके दिल में गरीबों और किसानों के लिए बहुत दर्द है। लालू प्रसाद जी भी अच्छे मंत्रियों में हैं। बहुत से लोग गरीबों की बात केवल जुबान से करते हैं, लेकिन उनके दिल में दर्द नहीं होता है। गरीबों के लिए रघुवंश बाबू ने लड़ाई लड़ी और इस बिल को लाने का काम किया। इस सरकार ने 60 साल तक इस बारे में कोई सुधार नहीं किए, लेकिन जब हमारा सपोर्ट मिला, तब इसने हम पर भरोसा किया और यह बिल लाया गया है। हालांकि, यह बिल मजबूरी में लाया गया है, लेकिन अच्छा काम किया गया है। इसलिए आज की परिस्थिति में यह बिल लाया गया है।

महोदय, हमने जो सुझाव दिए थे, उनमें से इस बिल में कहा गया कि 60-65 सुझावों को एक्सैप्ट किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये 60-65 जो सुझाव स्वीकृत किए गए हैं, ये एक पार्ट के कई हिस्सों जैसे ए का बी, सी, डी अथवा 1 नंबर का दो नंबर आदि इस प्रकार इनकी संख्या बताकर सुझाव स्वीकार करने की बात कही गई है, मगर जो मुख्य सुझाव हैं, वे स्वीकार नहीं किए गए हैं। सरकार ने हमारे सुझावों को स्वीकार करने का केवल दिखावा किया है। मुख्य सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है।

इसमें हमारी जो यूनेनिमस ओपिनियन थी, इस कमेटी में कांग्रेस, बी.जे.पी. और लैफ्ट पार्टीज सभी के लोग थे और सारी पार्टी के लोगों ने मिलकर यह सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसको पूरा स्वीकार नहीं किया। हमारा यही कहना है। इस बिल को हम सपोर्ट करते हैं, मगर जो हमारा सुझाव था, वह स्वीकार नहीं करने के लिए हम इस सरकार की जो मंशा है, इसके लिए तो हमारी अंगुली उठेगी ही कि यह सरकार की ईमानदारी में खोट है। इसके लिए इनको बोला था कि जो पर्सनल इंटर स्टेट का सवाल था, उसके बारे में जो सुझाव दिया था, उसको इसमें नहीं लाया गया। जो पब्लिक परपज का सवाल था, पब्लिक परपज में जो इसमें एमेंडमेंट था, उस एमेंडमेंट में जो सुझाव दिया था, उसको भी पूरे ढंग से इसमें नहीं लाया गया।

ट्राइबल लैंड लेने के बाद उस लैंड को किस तरह से लिया जायेगा, उसकी जगह जो ट्राइबल एरिया है, उस एरिया से उसको किस तरह से जोड़ा जायेगा, उसको किस तरह से री-हैबिलिटेशन दिया जायेगा, उसके बारे में जो सुझाव दिया था, उसको ठीक से एक्सैप्ट नहीं किया। फिर जो सोशल इम्पैक्ट स्टडीज के बारे में है, उसके बारे में हमने बिल में 50 से नीचे जो लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को हटाया जायेगा तो सोशल इम्पैक्ट स्टडीज में लाना पड़ेगा, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, जो हमारी एक सबसे बड़ी समस्या थी, 70:30 परसेंट का जो सवाल है, पूरी कमेटी ने बहुत जोर से इसकी खिलाफत की थी, क्योंकि 70 परसेंट कोई मालिक जमीन खरीद करे तो सरकार का 30 परसेंट एक्वायर करने का पैसा लगेगा तो बाकी जो 70 परसेंट खरीद किया, उस किसान के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकती, वह बेचकर चला गया। बाकी 30 परसेंट जो सरकार एक्वायर करेगी, उसको बचाने के लिए उसकी सोशल इम्पैक्ट स्टडी होगी, उसको भी कुछ सुविधा दी जायेगी और बाकी लोगों को वह सुविधा नहीं मिलेगी।

दूसरी बात, हमारे पुराने कानून में जो डैफीनिशन थी, उसमें पब्लिक परपज में जो डैफीनिशन थी, उसको संक्षिप्त करके उन्होंने खंडित कर दिया। आप सुनिये, जैसे एग्रीकल्चर की हिफाजत करना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, कोई देश उसके औद्योगिक विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, मगर औद्योगिक विकास के लिए जो नेशनलाइजेशन करना है, सरकार जो लैंड अधिग्रहीत करेगी,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

उसके बारे में सरकार की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए और वह सिर्फ प्राइवेट के हाथ में छोड़ देना, जो जमीन के दलाल हैं, उनके हाथों में छोड़ देने से गरीब लोगों का फायदा नहीं होगा। जो मिडिलमैन हैं, हमने देखा है कि जितनी जमीन की प्राइवेट में खरीद होती है, किसान को 20-30 परसेंट भी नहीं मिलता, पर मिडिलमैन, जो दलाल है, वह ज्यादा से ज्यादा पैसा मार लेता है और इस तरह ये लोग गरीबों को ठगते हैं। इसलिए एक्वीजीशन जो होगी, हमने कमेटी में 100 परसेंट एक्वीजीशन का सुझाव दिया था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए जो इसमें दिया है, जहां-जहां कमेटी ने यूनानिमसली सही सुझाव दिया था, उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस जगह पर हम सरकार की निन्दा करते हैं। यह नहीं होना चाहिए, यूनेनिमस डिसीजन को सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

कुछ 2-4 चीजें एक्सैप्ट की हैं, जो अच्छा है, वह ठीक है, लेकिन जो मुख्य 3-4 चीजें हैं, कम से कम 70:30 की जो शर्त है, इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी भी अपील करूंगा, क्योंकि हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं, सब के समर्थन के साथ जो बिल है, पूरे समर्थन के साथ इस तरह विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जब सब को मिलाकर करना है तो 70:30 परसेंट का जो यूनेनिमस सुझाव है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके आधार पर सरकार करे तो पूरे दिल से इसका सब लोग समर्थन कर सकते हैं। इस बात के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यह सर्वसम्मति से माना गया था कि दो बिल अभी आ जायें, लेकिन अन्तत: इन दोनों बिलों को एक करके हमें एक समग्र बिल की आवश्यकता है। स्थायी समिति ने इस बात को भी माना था कि एक समग्र बिल इसका आना चाहिए।

रात्रि 8.00 बजे

अभी लोक सभा के पास समय नहीं है, इसलिए जो भी अगली लोक सभा आएगी, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वह पुन: हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री बनेंगे। उनसे यह आग्रह है कि सदन में भी इस बात को नोट कर लिया जाए कि इनको मिलाकर समग्र बिल की बात को, 15वीं लोक सभा में जब वर्तमान मंत्री जी दोबारा मंत्री बने, तब इस बात को सोचा जाए। मैं अपनी इसी बात को कहना चाहता था।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, लगता है कि इस बिल का जो मूल उद्देश्य है, जो मुद्दा है, इसको गंभीरता से न लेकर, इसका एप्रीसिएशन, एप्रेजल, क्रिटिसिज्म में न जाकर, किसी तरह से चुनावी नारा देने के लिए हम लोग ...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। ये जल्दीबाजी कर रहे हैं। बिल के ऊपर स्थायी कमेटी की रिकमंडेशन कई महीने पहले पेश हो गयी। पिछले सत्र में इस बिल का आना उचित था, लेकिन नहीं आया। इस सत्र में भी आज अंतिम दिन के पहले विचार-विमर्श नहीं करके, इस बिल को लाया गया। लैंड का मामला बहुत नाजुक है और यह पूरी इकानामी से जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

भूमि विकास, भू संबंधी क्रांति, भूमि कानूनों में परिवर्तन हमारे आर्थिक विकास और देश को आगे बढ़ाने के बुनियादी कारक हैं।

[हिन्दी]

यह बहुत नाजुक मामला है। इसको मिसकंसप्शन में ले जाने से और गड़बड़ होगी।

महोदय, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जो किसान है, उसको लाभ मिले।

[अनुवाद]

भूमि के हस्तांतरण के मामले में, भूमि के पुनर्ग्रहण के मामले में, भूमि के अर्जन के मामले में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हो क्या रहा है?...*(व्यवधान)* नंदीग्राम का जो पैकेज है, अगर उसे मान लें, तो यह बिल बेहतर बन जाएगा। पूरा पैकेज, नंदीग्राम में जो किया है, उसको आप मान लीजिए। ...*(व्यवधान)* वह तो अलग बात है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप डिस्टर्ब न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: वह चर्चा करना चाहते हैं तो किया जाएगा। आज वेस्ट बंगाल में जो पैकेज दिया जा रहा है, उसको आप पूरे हिन्दुस्तान के लिए मान लें, तो यह बिल पास है। ...*(व्यवधान)* लैंड के मामले में ...*(व्यवधान)* नंदीग्राम का डिस्कशन होगा। ...*(व्यवधान)* अभी यह है, नंदीग्राम नहीं है। ...*(व्यवधान)* बात करा लीजिए, क्या जवाब है डिस्कशन का ...*(व्यवधान)* क्या जरूरत है? ...*(व्यवधान)* आपस में लड़ना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: तोपदार जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: अगर इतनी जल्दी है घर जाने के लिए तो चले जाइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: साइलेंस प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: बात यह है कि किसानों को लाभ, दाम के बदले में, जमीन का दलालराज पैदा होने वाला है। कोई बड़ा सरमायेदार जाकर जमीन लेगा, तो क्या वह खुद जाएगा?

[अनुवाद]

वह बिचौलियों की नियुक्ति करेंगे और बिचौलिए मामले देखेंगे।

[हिन्दी]

नहीं तो वह मिडलमैन हो जाएगा। *...(व्यवधान)* ऐसा बंगाल में नहीं हुआ, इसीलिए गड़बड़ हुई। बंगाल में हम लोग अगर दलालराज के थ्रू जाते, तो नंदीग्राम का नाम आप लोग नहीं सुनते। कभी नाम भी नहीं आता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, मैंने आपसे अध्यक्षपीठ को संबोधित करने का अनुरोध किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: ठीक है, मैं बैठ जाता हूं और क्या किया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस कीजिए। आप तो उनसे उलझ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार: वे प्रासंगिक प्रश्न उठा रहे हैं। नंदीग्राम भी यहां प्रासंगिक प्रश्न है। मैं नंदीग्राम का जिक्र किया जाना अप्रासंगिक नहीं मानता। यह काफी प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक तरफ दलाल राज पैदा होगा, दूसरी तरफ 30 प्रतिशत वालों के लिए एक दर होगी, 70 प्रतिशत वाले वंचित रहेंगे। यह 70:30 का जो डिवीजन होगा, इसका जो सोशल इम्पैक्ट *...(व्यवधान)* लाल सलाम तो हम लोगों ने पैदा किया।

[अनुवाद]

बंगाल की भूमि का चौरासी प्रतिशत हिस्सा किसानों के स्वामित्व में है। ऐसी स्थिति किसी अन्य राज्य में नहीं है।

[हिन्दी]

बताइए कौन से राज्य में है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: ठीक है। सोशल इम्पैक्ट के प्रावधान की जो चर्चा की गई, सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम जिसे हमने डिसकस किया, एक तरफ उसकी कोई मान्यता नहीं हुई और दूसरी तरफ 70:30 प्रोग्राम में सोशल इम्पैक्ट को दुगुना, चौगुना बढ़ाने का काम किया गया है

[अनुवाद]

तथा मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है तो इसे काफी कम समय के अंदर ही निरसित करना होगा क्योंकि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है और सत्ता पक्ष के भी मात्र कुछ सदस्य ही यहां उपस्थित हैं। वे लोग इसे बहुमत से पारित कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तरित बरण तोपदार]

[हिन्दी]

यह अच्छा काम नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)* एजेंडा अच्छा है, लेकिन आपने जो निदान किया है, वह बहुत गलत है। लैंड के मामले में इस तरह का सोशल इम्बैलैंस पैदा करने की जो चेष्टा हो रही है, हम उसकी निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: मैं बता रहा हूं कि यह बहुत खतरनाक नतीजे पर पहुंचेगा।

[अनुवाद]

अंतत: मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और उस तरफ बैठे उनके समर्थक बात सुनने को तैयार नहीं हैं, इस मुद्दे पर वाद-विवाद करने के लिए तैयार नहीं हैं और इस मामले की गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

दुख की बात यह है कि लालू जी, रघुवंश जी, जो किसानों की हिफाजत करने वाले, कम से कम नारे में, एक्शन में, जो उनके समर्थक हैं, किसान हैं, वे भी इस मामले की गंभीरता को देखने के लिए तैयार नहीं हैं,

[अनुवाद]

क्योंकि वे सभी अधीर हैं, अब उनका ध्यान चुनाव पर है और वे मतदाताओं के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि उन्होंने भूमि के संबंध में कुछ काम किया है,

[हिन्दी]

उसे समझने से पहले ही चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, इस तरह का जो गैर-जिम्मेदारी का काम हो रहा है, मैं उसकी निन्दा करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह न केवल क्रान्तिकारी विधेयक है बल्कि ऐतिहासिक विधेयक है। देश भर के किसानों के व्यापक हित में प्रगतिशील विधेयक लाया गया है और मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक लाए थे।

यह बहुत प्रगतिशील विधेयक है और भूमिहीन एवं गरीब मजदूरों के हित में है। जिन लोगों से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जमीन ली जाएगी, ऐसे विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए लाया गया है। लगता है कि माननीय सदस्य ने बिल के एम्स एंड आब्जेक्टिव्स को नहीं देखा है। देश के किसानों के व्यापक हित में यह बिल बहुत प्रगतिशील और बेहतरीन है। इस विधेयक को माननीय सदस्य आधे मन से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें देश के किसानों के व्यापक हितों का ध्यान रखा गया है, इसलिए पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। इसके लिए किन्तु, परन्तु लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैण्डिंग कमेटी ने इसकी पूरी जांच और गहन परीक्षण किया है। उसके बाद यह बिल नहीं आया है। समिति की ज्यादातर अनुशंसाओं को इसमें शामिल किया गया है, समाहित किया गया है।

श्री तरित बरण तोपदार: नहीं किया गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण विधेयक के लिए कोई क्षण नहीं होता है, वह हमेशा महत्वपूर्ण होता है। सीपीएम पार्टी इसमें अपना एजेंडा लगा दे, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए जनता के व्यापक हित में यह विधेयक है। हमारी पार्टी तहेदिल से इस विधेयक के समर्थन में है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह और तोपदार साहब ने अपनी जो सोच और जानकारी रखी है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आलोचना करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। लेकिन श्री बसुदेव आचार्य जी, श्री वरकला राधाकृष्णन जी, श्री हन्नान मोल्लाह जी और सीपीएम के अन्य जितने सदस्य हैं, सभी लोगों ने कहा है कि यह क्रांतिकारी और अच्छा विधेयक है, हम इसका समर्थन करते हैं। इस विधेयक को बेहतर बनाने के लिए स्टैण्डिंग कमेटी ने जो प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं स्टैण्डिंग कमेटी को और खासकर श्री हन्नान मोल्लाह जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य ने 70-30 वाली जो बात कही, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तोपदार साहब ने कहा कि इसे जल्दबाजी में लाया गया, वह एकदम गलत है, सौ फीसदी गलत है।

रात्रि 8.13 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

महोदय, इस विधेयक को लाने से पहले तमाम राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। सबकी प्रतिक्रिया, सभी के सुझाव लिए गए। देश भर की सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सोशल एक्टीविस्ट्स,

सभी से पांच-पांच बार बैठकें हुईं, सभी लोगों ने एप्रिशिएट किया, सभी के सुझावों का समन्वय इसमें किया गया। इतना वाइड कंस्लटेशन देश में पहले किसी भी कानून को बनाने में नहीं किया गया। इस विधेयक में क्रांतिकारिता यह है कि पहले ही इसकी दिशा को उलट दिया गया है। पहले जहां यह कानून प्रो-गवर्नमेंट और प्रो-रिच था, उसे उलट कर प्रो-पुअर और प्रो-फार्मर कर दिया गया है। इसमें एक भी प्रावधान किसान के खिलाफ नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: यह तो* में हो गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं-नहीं, ऐसा मत कहिए।

सभापति महोदय: कोई भी अनपार्लियामेंटरी शब्द प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इतना परामर्श करने के बाद मंत्रियों के समूह द्वारा पुनर्वास और पुनःस्थापन विधेयक, 2007 और भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 को अन्तिम रूप दिया गया था। हम इसे जून-अगस्त, 2007 में कैबिनेट में ले गए। कैबिनेट से अक्तूबर, 2007 में इसको मंजूरी मिली, दिसंबर, 2007 में लोक सभा में आया, दिसम्बर, 2007 में अध्यक्ष महोदय ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया।

स्टेंडिंग कमेटी ने भी व्यापक विज्ञापन करके देश भर में घूम कर तमाम लोगों के साथ बैठक करके, राय लेकर उनसे परामर्श लेने का काम किया। स्थायी समिति ने 21 अक्तूबर, 2008 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 21 अक्तूबर, 2008 में यह रिपोर्ट दाखिल की और फिर उसका हमने अध्ययन किया।

[अनुवाद]

आधिकारिक संशोधनों को 16 दिसम्बर, 2008 को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया। मंत्रिमंडल ने 19 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में मंत्रियों के समूह के समक्ष इन संशोधनों का प्रस्ताव किया।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: कितने दिन जीओएम के पास रही?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जीओएम ने कल ही क्लियरेंस किया इसलिए जो आपकी आपत्ति थी, राष्ट्रपति जी का भी आदेश था, तो इन सारी औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगा। हम तत्पर थे इसे पास कराने में इसलिए लोक सभा के अंतिम क्षण में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने का गौरव लोक सभा को प्राप्त हो। *...(व्यवधान)* इसलिए थोड़ा समय लगा।

श्री बसुदेव आचार्य: अंतिम क्षण में ऐतिहासिक विधेयक ला रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार: इस लोक सभा की समाप्ति पर इन विधेयकों को नहीं लाया जाना चाहिए था। यह अंतिम अधिवेशन है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया इन्हें व्यवधान न पहुंचाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम कितने दिनों से इसका प्रोसेस चला, तब इसे यहां लेकर आए हैं। बहुत ठोक बजाकर और गरीबों तथा किसानों के हित में इसे यहां पेश किया गया है।

जो बीच के आदमी की आपने बात कही, तो मैं इस बारे में बताना चाहता हूं। इस बिल की खूबी नम्बर एक यह है है कि जो नेशनल रिहैब्लिटेशन एंड रिसैटलमेंट पालिसी लाई गई है, उसे स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है, कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन उसका इनैक्टमेंट करना कोई साधारण बात नहीं है इसलिए हमने इतिहास लिखने का काम करने के लिए यह विधेयक यहां लाए हैं और उससे लैंड एक्विजिशन बिल यहां पेश किया है। इस बिल में यह खूबी है कि कम्पनीज के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब आप बताएं कि क्या यह किसानों के हित में है या नहीं? *...(व्यवधान)* सरकार निजी कम्पनीज के लिए भूमि अधिग्रहण तब करेगी, जब निजी निकाय 70 फीसदी जमीन की प्रत्यक्ष खरीद कर लें। सरकार सिर्फ 30 फीसदी भूमि का अधिग्रहण करेगी। हन्नान मोल्लाह जी की यही आपत्ति है। इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ। कोई भी पूंजीपति या उद्योगपति कारखाना स्थापित करना चाहे तो किसानों की राजी-खुशी से वह 70 फीसदी जमीन ले सकता है। इससे बेरोजगारी दूर होने में मदद मिलेगी, कारखाना भी स्थापित होगा। हम इसमें दखल नहीं देंगे। अगर बीच में कोई अड़ियल किस्म के लोग आ जाएं और कहें कि हम कारखाना स्थापित नहीं होने देंगे, तब हम बीच में आएंगे और अगर बाकी 30 फीसदी जमीन की जरूरत पड़ी तो सरकार दखल देगी। पहले यह होता था कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए पब्लिक पर्पज कहकर उद्योगपति के पक्ष में किसान की जमीन कौड़ियों के भाव पर ले ली जाती थी और किसान मुआवजे के लिए दर-दर की ठोकरें खाता था। इसलिए पहले जो बड़े लोगों के पक्ष में कानून था जमीन एक्वायर करने का, वह खत्म कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* आदिवासियों और अन्य परम्परागत जंगल निवासियों को शामिल करने का काम भी इस बिल में किया गया है। यहां गिरधर गमांग जी और मीणा जी बैठे हैं, वे यह चीज जानते हैं। उन्होंने भी जो भावना आदिवासियों के बारे में बताई और इस बिल के बारे में कहा कि इससे ज्यादा और कल्याण उनका नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों के साथ जो पहले अन्याय होता था, उसे जड़मूल से समाप्त करके उन्हें न्याय मिले, इसका प्रावधान किया गया है।

यह कहा जाए कि विकास प्रोजेक्ट के नाम पर हम 10,000 करोड़ रुपए का कारखाना स्थापित कर रहे हैं, जिनकी जमीन गई, उनके लिए कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी जमीन एक्वायर हो जाती थी और वे लोग दर-दर की ठोकरें खाते थें, मेधा पाटकर जैसे लोग आंदोलन करते हैं।

महोदय, अब रिहेब्लिटेशन बिफोर डिसप्लेसमेंट है। उनकी जमीन लेने से पहले उनका रिहेब्लिटेशन होगा। रिहेब्लिटेशन की रिच स्कीम रहने के बाद भी स्कीम लागू नहीं होती है, इसलिए आंदोलन होते हैं और ला एंड आर्डर प्राब्लम होती है। इसी कारण रिहेब्लिटेशन बिफोर डिसप्लेसमेंट की नीति अपनाई गई और ऐसा प्रावधान किया गया। भूमि का मुआवजा बाजार कीमत पर तय करने का प्रावधान है और तीस फीसदी मुआवजा पहले था, अब उसे दोगुना करके साठ फीसदी किया गया है। मुआवजे का भुगतान वास्तविक विस्थापन से पहले निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाएगा। विस्थापित लोगों को मुआवजे के त्वरित भुगतान के लिए अदालत में जाने पर रोक होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर यदि अधिग्रहित भूमि का इस्तेमाल न होने पर सरकार को जमीन वापस लौटाना होगा। अगर पहले जमीन ले ली और उसका इस्तेमाल न किया जाए तथा किसान दर-दर की ठोकर खा रहा है, तब वह जमीन वापस हो जाएगी। वह जमीन दोबारा किसान को दे दी जाएगी। खेती की जमीन ली और उसका कमर्शियल उपयोग किया गया। यदि उस कमर्शियल जमीन की कीमत बढ़ कर के दो या पांच लाख रुपया हो गई है, तो उस बढ़ी हुई जमीन की कीमत का लाभ जमीन के मालिक को भी मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। उनके लिए नौकरी का भी प्रावधान है। अधिग्रहित भूमि की स्थिति में कुल अनअर्जित लाभ का 80 फीसदी मूलभूत स्वामी या उनके वैध उत्तराधिकारी के साथ बांटा जाएगा, जिसकी जमीन पर कारखाना खोला गया है। जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई है और वहां नौकरी उपलब्ध है, तो उन्हें नौकरी मिलेगी। उनको शेयर में हिस्सा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित बैठक न्यूयार्क में हुई। वहां दुनिया के लोग आए थे। सबने प्रशंसा की और कहा कि ऐसा कानून दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, जो पालिसी भारत में बनाई गई है।

सभापति महोदय, देश में सेज के लिए बहुत हल्ला मचाया जाता है। सेज में क्या होगा, कारखाना बनाया जाएगा, उद्योग चलेगा। सेज के नाम पर रियल स्टेट का धंधा शुरू हो जाता था, उद्योग शुरू नहीं होते थे। सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट का प्रावधान इसमें किया गया है। यह देखा जाएगा कि उस जमीन से क्या लाभ और हानि हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री तोपदार, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री तोपदार, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, इससे प्रभावित जो परिवार होंगे, जो जमीन पर आश्रित थे, जिनकी जीविका जमीन से चलती थी, जो भूमिहीन थे, जमीन के अधिग्रहण से यदि उनकी जीविका चली गई, उनकी जीविका तथा उनके विकास का भी प्रावधान किया गया है। इस बिल का जितना गुण-बखान किया जाए कम है क्योंकि यह गरीब के पक्ष में और किसान के पक्ष में है। इससे विवाद, उत्पात, झंझट तथा फसाद, गोली आदि सब खत्म हो जाएगा। इससे किसान खुशहाल होंगे। सभी राज्यों से एप्रिसिएशन प्राप्त हो रहे हैं। देश भर से खबर आ रही है, चंडीगढ़ से खबर आ रही है, गाजियाबाद से, आंध्र प्रदेश से, मथुरा से खबर आ रही है। सारे किसान खुशहाल हैं कि उनके पक्ष में कानून बना है।

वैशाली से भी हल्ला उठ रहा है। यह किसानों के पक्ष में कानून है, किसानों को राहत पहुंचाने और खुशहाली लाने के लिए है। कोई भी विकास हो उससे देश का लाभ होता है लेकिन जिन की जमीन पर कारखाने खुले हैं, उनका भी विकास हो इसका पूरा ध्यान किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री आचार्य बहुत हो गया। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी ने कहा कि जमीन लेने से पहले रिहैबिलिटेशन होगा जो अच्छी बात है। 70 परसेंट कारखाने के मालिक कारखाना खोलने के लिए जो जमीन खरीदेंगे, क्या रिहैबिलिटेशन का पहले प्रावधान करके जमीन खरीदेंगे? *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: देश भर में जमीन अथवा सामान की खरीद बिक्री होती है। प्राइवेट प्रापर्टी कोई किसी के हाथ बेचता है, क्या उसमें सरकार कहीं दखल दे रही है? *...(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। किसान राजी खुशी से अपनी जमीन बेच दे और कोई खरीद ले, बीच में सरकार जो खरीदेगी या एक्वायर करेगी उसके लिए कानून की जरूरत है। कोई राजी खुशी से अपनी जमीन बेचेगा, घाटा सह कर उसे नहीं बेचेगा। *...(व्यवधान)*

रात्रि 8.15 बजे

(1) पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन या किसी अन्य कारण से अस्वैच्छिक विस्थापन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

खंड 2

अधिनियम भूमि अर्जन के सभी मामलों अथवा व्यक्तियों के अन्य अस्वैच्छिक विस्थापन पर लागू होगा

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 और पंक्ति 4, "प्रभावित व्यक्तियों" के स्थान पर, "प्रभावित कुटुंबों" रखें।

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 और पंक्ति 5, "किसी अन्य कारण से व्यक्तियों के अस्वैच्छिक विस्थापन" के स्थान पर, "प्राकृतिक विपत्तियों या किसी अन्य आपदा के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, व्यक्तियों के स्थायी अस्वैच्छिक विस्थापन" रखें। (5)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

परिभाषाएं

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 से पंक्ति 27, के स्थान पर निम्नलिखित रखे,-

"(i) ऐसा कुटुंब, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है या जिसे प्राकृतिक विपत्तियों या ऐसी अन्य आपदा के कारण, जो धारा 2 के अधीन अधिसूचित की गई है, अपनी भूमि या स्थावर संपत्ति से अस्वैच्छिक और स्थायी रूप से विस्थापित किया गया है;

(2) ऐसा कुटुंब, जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व प्रभावित क्षेत्र में तीन वर्ष के अन्यून की अवधि के लिए लगातार (और गैर-अप्राधिकृत रूप से) निवास कर रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र में भूमि अर्जन द्वारा किए गए अस्वैच्छिक और स्थायी विस्थापन या धारा 2 के अंतर्गत आने वाले अन्य विस्थापन के कारण उसकी जीविका के मुख्य स्रोत से वंचित कर दिया गया है।" (6)

[सभापति महोदय]

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 से पंक्ति 34 का लोप करें। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35, "ङ" के स्थान पर, "(घ)" रखें। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6, "(च)" के स्थान पर, "(ङ)" रखें। (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17, "(छ)" के स्थान पर, "(च)" रखें। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23, "(झ)" के स्थान पर, "(ज)" रखें। (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25, "(ज)" के स्थान पर, "(झ)" रखें। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30, "(ट)" के स्थान पर, "(ज)" रखें। (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32, "(ठ)" के स्थान पर, "(ट)" रखें। (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 34, "(ड)" के स्थान पर, "(ठ)" रखें। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37 और 38 तथा पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 5 का लोप करें। (16)

पृष्ठ 4, पंक्ति 6, "(ण)" के स्थान पर, "(ड)" रखें। (17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 8, "(त)" के स्थान पर, "(ढ)" रखें। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10, "(थ)" के स्थान पर, "(ण)" रखें। (19)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12, "(द)" के स्थान पर, "(त)" रखें। (20)

पृष्ठ 4, पंक्ति 14, "(ध)" के स्थान पर, "(थ)" रखें। (21)

पृष्ठ 4, पंक्ति 17, "(न)" के स्थान पर, "(द)" रखें। (22)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24, "(प)" के स्थान पर, "(ध)" रखें। (23)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, "(फ)" के स्थान पर, "(न)" रखें। (24)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 22,-

"पांच" के *स्थान* पर "दो" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (68)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,-

"पांच" के *स्थान* पर "दो" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (69)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 से 28,-

"और अन्य संबंधी ..... आश्रित हैं" का *लोप* किया जाए। (70)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29,-

"बालक हैं," के पश्चात् "कुटुम्ब के अंतर्गत एक सदस्यीय परिवार भी शामिल है और इसके अंतर्गत सभी वयस्क अविवाहित महिलाएं, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त/पृथक बहिनें/भाभी/ननद/साली/देवरानी/पुत्री/पुत्रवधू और शारीरिक रूप से नि:शक्त कुटुम्ब के सदस्य पृथक समूह के रूप में शामिल हैं।" *अंत:स्थापित* किया जाए। (71)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38,-

"पांच" के *स्थान* पर "दो" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (72)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,-

"समुदाय का कोई सदस्य" के पश्चात् "और अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सभी वन अधिकार धारक" *अंत:स्थापित* किया जाए। (73)

सभापति महोदय: मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत खंड 3 में संशोधन संख्या 68 से 73 तक सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत हुए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 4

कतिपय मामलों में सामाजिक आघात निर्धारण अध्ययन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, "(फ)" के स्थान पर "(न)" रखें। (25)

पृष्ठ 4, पंक्ति 37,

के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"परंतु ऐसे मामलों में जिनमें मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से चार सौ से कम या आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास ब्लाकों या संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से दो सौ से कम परिवारों या अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्वजित है, वहां संबंधित जिले की पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव के निर्धारण का अध्ययन ऐसी रीति में करेगी जो विहित की जाए।" (26)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,

"प्रशिक्षण सुविधाएं", के पश्चात् "आंगनवाड़ी, बाल उद्यान" रखें। (27)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 35,-

"अस्वैच्छिक" का *लोप* किया जाए। (74)

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 से 35,-

"समतल क्षेत्रों.....कुटुम्बों" के *स्थान* पर "पचास और उससे अधिक कुटुम्बों" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (75)

सभापति महोदय: अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 74 तथा 75 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत हुए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 5

सामाजिक आघात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बहु-विध विशेषज्ञ समूह

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,

"अनुसूचित जातियों" के स्थान पर,

"महिलाओं और बालकों तथा अनुसूचित जातियों" रखें। (28)

पृष्ठ 5, पंक्ति 18,

"और" का लोप करें। (29)

पृष्ठ 5, पंक्ति 20

के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

"एक प्रतिनिधि; और

(घ) ग्राम पंचायत या नगर पालिका का एक प्रतिनिधि, जो समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) समुचित सरकार विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से एक व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।" (30)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 9

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 25 और पंक्ति 26 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें–

"(2) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक को उसे दक्षतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने और विनिर्दिष्ट समय-सीमा को पूरा करने के लिए ऐसी कार्यालय अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सहायता दी जाएगी जो राज्य सरकार विनिश्चित करे।" (31)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 10

प्रशासक की शक्तियां और कृत्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,–

"कुटुंबों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए सभी उपाय करेगा और इस संबंध में उसे निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्;

(1) प्रभावी क्षेत्रों और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में प्रवेश करना और उन क्षेत्रों को चिह्नांकित करना, मापना और उनमें योजनाएं बनाना;

(2) पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना के संबंध में जांच और विनिश्चय करना और प्रभावित कुटुंबों पर सूचना की तामील करना;

(3) प्रभावित कुटुंबों के नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करना और उसे लागू करना;

(4) घोषित किए गए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में भूमि का कब्जा लेना; और

(5) कोई अन्य शक्ति, जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा प्रशासक को प्रदत्त की जाए।" (32)

पृष्ठ 6, पंक्ति 34-पंक्ति 35 *का लोप करें।* (33)

पृष्ठ 6, पंक्ति 36,

"(ii)" के स्थान पर, "(i)" रखें। (34)

पृष्ठ 6, पंक्ति 38,

"(iii)" के स्थान पर, "(ii)" रखें। (35)

पृष्ठ 7, पंक्ति 2,

"(iv)" के स्थान पर, "(iii)" रखें। (36)

पृष्ठ 7, पंक्ति 4,

"(v)" के स्थान पर, "(iv)" रखें। (37)

पृष्ठ 7, पंक्ति 7,

"(vi)" के स्थान पर, "(v)" रखें। (38)

पृष्ठ 7, पंक्ति 9,

"(vii)" के स्थान पर, "(vi)" रखें। (39)

पृष्ठ 7, पंक्ति 11,

"(viii)" के स्थान पर, "(vii)" रखें। (40)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 11

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

"(3) आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के परामर्श से सामाजिक संपरीक्षा के पश्च-कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।"। (41)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 12

परियोजना स्तर पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 7, पंक्ति 29,

"प्रशासक" के स्थान पर "आयुक्त" रखें। (42)

पृष्ठ 7, पंक्ति 32,

"सामाजिक संपरीक्षा करेगी" शब्दों के स्थान पर, "ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के परामर्श से सामाजिक संपरीक्षा करेगी" रखें। (43)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 14

लोकपाल

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

"(vii) संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान मंडल के सदस्य;

(vii) अपेक्षा करने वाले निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ix) सदस्य संयोजक के रूप में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।"। (44)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 20

प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 17 से पंक्ति 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

"14. (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17ठ और धारा 17क के अधीन गठित, यथास्थिति, केन्द्रीय भूमि अर्जन

[श्री सभापति महोदय]

प्रतिकर विवाद परिनिर्धारण प्राधिकरण या राज्य भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद परिनिर्धारण प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन आने वाले विषयों से उद्भूत शिकायतों का निपटारा करने की शक्तियां होंगी।

(2) अनुज्ञेय फायदों की प्रस्थापना न किए जाने के कारण प्रभावित कोई व्यक्ति यदि व्यथित हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण को अपनी शिकायतों के प्रतितोषण के लिए अर्जी दे सकेगा।

(3) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर उपधारा (2) के अधीन अर्जियां प्राधिकरण को दी जा सकेंगी तथा विहित रीति में उनका निपटारा किया जा सकेगा।

(4) प्राधिकरण को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक या पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी अर्जियों पर विचार करने और उनका निपटारा करने तथा अपेक्षा करने वाले निकाय, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, जिलों के जिला कलक्टर या उपायुक्तों को ऐसी शिकायतों के प्रतितोषण के लिए ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो वह आवश्यक समझे।" (45)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 21

सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुंबों की जनगणना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 से 34 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(1) जहां समुचित सरकार की यह राय है कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण या धारा 2 के अधीन जाने वाले किसी अन्य कारण से किसी क्षेत्र से व्यक्तियों के स्थायी अस्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी।"। (46)

पृष्ठ 10, पंक्ति 12 का लोप करें। (47)

पृष्ठ 10, पंक्ति 13ए "(iv)" के *स्थान* पर "(iii)" रखें। (48)

पृष्ठ 10, पंक्ति 15, "(v)" के *स्थान* पर "(iv)" रखें। (49)

पृष्ठ 10, पंक्ति 19, "(vi)" के *स्थान* पर "(v)" रखें। (50)

पृष्ठ 10, पंक्ति 23 "(vii)" के *स्थान* पर "(vi)" रखें। (51)

पृष्ठ 12, पंक्ति 28, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (52)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 23

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रारूप स्कीम और योजना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में, "पुनर्व्यवस्थापन में" के *स्थान* पर "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में" रखें। (53)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 29

विस्थापन से पूर्व प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 36 में, "में पर्याप्त प्रगति" के स्थान पर "के लिए उपबंध करने जैसी पर्याप्त प्रगति" रखें। (54)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 32

अत्यावश्यकता की दशा में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 14 में "भूमि का अर्जन किया जाता है" के स्थान पर "भूमि का अर्जन किया जाता है या जब अस्वैच्छिक विस्थापन धारा 2 के अंतर्गत आगे आने वाली किसी अन्य आपदा के कारण होता है" रखें। (55)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 33

उपांत विकास

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 21, हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (56)

पृष्ठ 14, पंक्ति 27-पंक्ति 28, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (57)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 35

आवास फायदे

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 15, पंक्ति 2-पंक्ति 3 में,

"प्रत्येक कुटुम्ब" के स्थान पर, "प्रत्येक न्यूक्लियर कुटुंब" रखें। (58)

पृष्ठ 15, पंक्ति 7 में,

"पांच" के स्थान पर, "तीन" रखें। (59)

पृष्ठ 15, पंक्ति 9 में,

"पचास वर्ग मीटर" के स्थान पर, "एक सौ वर्ग मीटर" रखें। (60)

पृष्ठ 15, पंक्ति 10 में,

"पच्चीस वर्ग मीटर" के स्थान पर, "पचास वर्ग मीटर" रखें। (61)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 15, पंक्ति 6,-

"गरीबी रेखा से नीचे" का लोप किया जाए। (76)

पृष्ठ 15, पंक्ति 7,-

"पांच" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाए। (77)

सभापति महोदय: अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत खंड 35 के संशोधन संख्या 76 तथा 77 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खण्ड 36

कृषि भूमि का आबंटन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 15, पंक्ति 20,

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (62)

पृष्ठ 15, पंक्ति 32 और 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

"को अर्जित भूमि को लागू विद्यमान विधि के अनुसार धनीय प्रतिकर दिया जा सकेगा।" (63)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 41

नियोजन और कौशल विकास

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 21 में,

"प्रत्येक कुटुम्ब" के स्थान पर, "प्रत्येक न्यूक्लियर कुटुंब" रखें। (64)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 42

पुनर्वास अनुदान और शेयरों के आबंटन के लिए विकल्प

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 2 से पंक्ति 4,

"नियोजन उपलब्ध कराया नहीं गया है, सात सौ पचास दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य पुनर्वास अनुदान के

हकदार होंगे:" के *स्थान* पर, "धारा 41 में यथाउपबंधित नियोजन और कौशल विकास का अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार सात सौ दिन की न्यूनतम मजदूरी के बराबर रकम से अन्यून के या ऐसी अन्य उच्चतर रकम का पुनर्वास अनुदान के लिए हकदार होंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए" रखें। (65)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 49

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 1 में,

"सभी फायदे" के *स्थान* पर, "सभी फायदे जिनके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को उपलब्ध आरक्षण फायदे भी हैं," रखें। (66)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 50 से 60 विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,

"2007" के स्थान पर "2009" रखें। (3)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

[हिन्दी]

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 से 11 और पृष्ठ 2, पंक्ति 1,-

"और भिन्न-भिन्न राज्यों.....प्रतिनिर्देश है।" का *लोप* किया जाए। (67)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत खंड 1 में संशोधन सं. 67 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"अठावनवें" के *स्थान* पर, "साठवें" रखें। (2)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

पूरा नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, बृहत्त नाम में,

"प्रभावित व्यक्तियों" के स्थान पर, "प्रभावित कुटुंबों" रखें। (1)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.46 बजे

(ii) भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 43ख पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4

नई धारा 1क का अन्तःस्थापन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, "2007" के स्थान पर, "2008" रखें। (3)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): विधेयक में किए गए संशोधनों की प्रतियां कहां हैं? उन्हें परिचालित नहीं किया गया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

धारा 3 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 14 और 15 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें,-

"नौ सेना, थल सेना, वायु सेना और संघ के अन्य सशस्त्र बल संकर्म या राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा या राज्य पुलिस के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपबंध;"; (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,

"क्रय किया गया है" के पश्चात् "या उसके पास भूमि है" शब्द अंतःस्थापित करें; (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 21, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 और 28 के *स्थान* पर, निम्नलिखित रखें-

"(ii) सड़कों, राजमार्गों, पुलों, विमानपत्तनों, पत्तनों, रेल, प्रणालियों, खनन क्रियाकलापों, शैक्षणिक, खेलकूद, स्वास्थ्य देखरेख, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम और ऐसी आय वाले समूहों के लिए आवास का, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, संनिर्माण;"; (7)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 से 21 का *लोप* किया जाए। (29)

सभापति महोदयः मैं अब श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसड़ा): महोदय, हम इस अनुसूचित जाति के बिल के संबंध में आपसे जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य रामचन्द्र पासवान जी, यह वक्त नहीं है, आप इसे दूसरे समय उठाएं। यह आलरेडी डैफर कर गया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हाऊस में यह क्या हो रहा है, क्या हाऊस इस तरह चलेगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

खंड 8

नई धारा 3क का अंतःस्थापन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 22,

"2007" के *स्थान* पर, "2008" रखें। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा *अंतःस्थापित* करें,-

"3ख (1) समुचित सरकार, भूमि अर्जन के प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जिसमें वित्त, ग्रामीण विकास और संबंधित विभाग के सचिव और सुसंगत क्षेत्रों से तीन से अनधिक विशेषज्ञ होंगे।" (10)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 26 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,-

''सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल अन्य बातों के साथ-साथ:

(क) परियोजना प्रस्ताव का इसके सार्वजनिक प्रयोजन के विशेष रूप में मूल्यांकन करेगा;

(ख) उर्वर और सिंचित कृषि भूमि, सामान्य संपत्ति संसाधनों, आजीविकाओं, विस्थापन, पर्यावरणीय स्थायित्वता पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अर्जन के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा;

(ग) अन्य कम-विस्थापनकारी विकल्पों की पहचान और उन पर विचार करेगा; और

(घ) ग्राम सभाओं, इच्छुक व्यक्तियों और प्रभावित होने की संभावना वाले परिवारों से परामर्श करेगा और उनके सुझावों पर विचार करेगा।'' (30)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

धारा 4 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 28 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें,-

(क) उपधारा (1) के *स्थान* पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

''(1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरे सहित इस निमित्त एक अधिसूचना निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्,-

(1) राजपत्र में;

(2) परिक्षेत्र में प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार-पत्रों में जिनमें से एक-एक हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होगा;

(3) पब्लिक डोमेन में समुचित सरकार की वैबसाइट पर;

(4) तहसील या ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय में प्रभावित व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा;

(5) कलक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त परिक्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर लगवाएगा।'' (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

स्पष्टीकरण– ऐसे प्रकाशन और ऐसी लोक सूचना दिए जाने की अंतिम तारीखों को इसके पश्चात् अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख कहा गया है।'' (12)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 80(एक) का निलम्बन

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह

अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क

धारा 5क का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

'9क, मूल अधिनियम की धारा 5क में,-

''(क) उपधारा (1) में ''अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन दिन के भीतर'' *शब्दों* के *स्थान* पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (2) में ''अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित'' शब्दों के पश्चात् ''मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में विस्थापित होने वाले प्रभावित कुटुंबों की संख्या का विवरण देते हुए एक पृथक रिपोर्ट के साथ'' शब्द रखे जाएंगे।''।' (13)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 9क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

धारा 6 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 22 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें,-

''10. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(क) उपधारा (1) में,-''; (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

'(ख) उपधारा (2) में, ''और कलक्टर'' शब्दों के पश्चात्, ''पब्लिक डोमेन में संबंधित जिले के वेबसाइट पर लोक सूचना डालने के अतिरिक्त,'' शब्द *अंत:स्थापित* किए जाएंगे। (15)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 और 24 का *लोप* किया जाए। (31)

सभापति महोदय: मैं अब श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 80(i) का निलम्बन

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क

धारा 9 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"11क. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में "कलक्टर" शब्द के स्थान पर "कलक्टर पब्लिक डोमेन में उस जिले की वेबसाइट पर लोक सूचना डालने के अतिरिक्त", शब्द रखे जाएंगे; (16)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 11क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12

धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 39,

"2007" के स्थान पर, "2008" रखें। (17)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13

धारा 11क के पश्चात् नई धाराओं का अंत:स्थापन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 32 में,-

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (18)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 6, पंक्ति 12 से 21 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

"उदाहरण के रूप में गांव या उसके आस-पास के क्षेत्र में अवस्थित समान प्रकार की भूमि के विक्रय मूल्य का पूर्ववर्ती तीन वर्षों से उच्चतम मूल्य जिसमें प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर जोड़ा जाए।" (32)

पृष्ठ 7, पंक्ति 10 से 22 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

"11ग. (1) जब भूमि शेयर और डिबेंचर निर्गम करने के लिए प्राधिकृत किसी कंपनी के लिए अर्जित की जाती है तब ऐसी कंपनी अपने 20 प्रतिशत शेयर या डिबेंचर इच्छुक व्यक्तियों के समान रूप से बांटे जाने के लिए नि:शुल्क देगी।

(2) शेयर और डिबेंचर लाभ में हिस्सा बांटने के एक भाग के रूप में प्रतिकर से अधिक दिए जाएंगे।

(3) इसके लिए, सरकार एक कोर निधि/निक्षेप का सृजन करेगी जो प्रभावित व्यक्तियों के शेयरों और डिबेंचरों का प्रबंधन कर सकेगी और भविष्य में उन्हें सुनिश्चित मासिक आय प्रवाह प्रदान करेगी।

(4) इस धारा में उल्लिखित शेयरों और डिबेंचरों का आबंटन कंपनी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, "शेयरों और डिबेंचरों" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिया गया है।" (33)

सभापति महोदय: मैं अब श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 और 33 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम मत विभाजन के लिए आग्रह करते हैं।

सभापति महोदय: दीर्घाएं खाली कर दी जाएं-

अब, दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 7, पंक्ति 10 से 22 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,-

"11ग. (1) जब भूमि शेयर और डिबेंचर निर्गम करने के लिए प्राधिकृत किसी कंपनी के लिए अर्जित की जाती है तब ऐसी कंपनी अपने 20 प्रतिशत शेयर या डिबेंचर इच्छुक व्यक्तियों के समान रूप से बांटे जाने के लिए नि:शुल्क देगी।

(2) शेयर और डिबेंचर लाभ में हिस्सा बांटने के एक भाग के रूप में प्रतिकर से अधिक दिए जाएंगे।

(3) इसके लिए, सरकार एक कोर निधि/निक्षेप का सृजन करेगी जो प्रभावित व्यक्तियों के शेयरों और डिबेंचरों का प्रबंधन कर सकेगी और भविष्य में उन्हें सुनिश्चित मासिक आय प्रवाह प्रदान करेगी।

(4) इस धारा में उल्लिखित शेयरों और डिबेंचरों का आबंटन कंपनी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, "शेयरों और डिबेंचरों" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिया गया है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 1 पक्ष में रात्रि 9.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य

प्रो. बसुदेव बर्मन

श्रीमती सुस्मिता बाउरी

श्री बंसगोपाल चौधरी

डा. के.एस. मनोज

श्री हन्नान मोल्लाह

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री सुधांशु सील

श्रीमती मिनाती सेन

श्री तरित बरण तोपदार

विपक्ष में

अंसारी, श्री फुरकान

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

*इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

उरांव, डा. रामेश्वर

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि/मतदान किया गया।

कृष्ण, श्री विजय

केरकेटा, श्रीमती सुशीला

खारवेनथन, श्री एस.के.

गमांग, श्री गिरिधर

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चौरे, श्री बापू हरी

झा, श्री रघुनाथ

तंगबालु, श्री के.वी.

दुबे, श्री चन्द्र शेखर

निखिल कुमार, श्री

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री वीरचन्द्र

प्रभु, श्री आर.

फैन्थम, श्री फ्रांसिस

बंसल, श्री पवन कुमार

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीना, श्री नमोनारायन

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री राम कृपाल

रंजन, श्रीमती रंजीत

राणा, श्री रविन्दर कुमार

राव, श्री के.एस.

लालू प्रसाद, श्री

विरुपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार

शिवन्ना, श्री एम.

*संगमा, कुमारी अगाथा के.

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री मानिक

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्रीमती कान्ति

सुम्बरुई, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव हु.

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई.

*हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हुसैन, श्री अनवर

सभापति महोदय: शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में - 10

विपक्ष में - 55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि/मतदान किया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विपक्ष: 55 + श्री ई.जी.के.एस. इलेंगोवन, श्री जी.वी. हर्ष कुमार और कुमारी अगाथा के. संगमा - 58

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14

धारा 12 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 32 से 36 *का लोप करें।* (19)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 80(i) का निलंबन

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15क

प्रतिकर का संज्ञान और कब्जा लेना

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

'15क. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिकर का पूर्ण संदाय धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय की तारीख से आरंभ होकर नब्बे दिन की अवधि के भीतर हकदार व्यक्तियों को संदत्त कर दिया जाता है या निविदत्त कर दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) में उपबंधित शर्त के पूरा होने पर कलक्टर अर्जित भूमि पर कब्जा करेगा जो ऐसा होने पर सभी विलंगमों से मुक्त होकर सरकार में आत्यंतिकत: निहित हो जाएगी।";

(20)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 80(i) का निलंबन

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 को सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 16क

धारा 17 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 44 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

"16क. मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"1(क) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक निर्बंधित की जाएंगी और प्रतिकर रकम का प्राक्कलन विधेयक के खंड 11ख और धारा 11ग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।"।' (21)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 16क विधेयक में जोड़ दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 16क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

नये भाग 11क और 11ख का अंत:स्थापन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 31,

"इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन प्रतिकर" के पश्चात्, "या पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन प्रभावित कुटुंब के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के हल" *अंत:स्थापित* करें। (22)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 तथा 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 20

धारा 28क के पश्चात् नई धाराओं का अंत:स्थापन

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 21

भाग सात का लोप

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
नियम 80(i) का निलंबन

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 21क

धारा 45 का संशोधन

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें,-

'21क. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (3) में "किसी वयस्क पुरुष सदस्य" के स्थान पर "वयस्क सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।'। (23)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 21क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 21क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 तथा 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

[हिन्दी]

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,

"2007" के स्थान पर, "2008" रखें। (2)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"अठावनवें" के स्थान पर, "उनसठवें" रखें। (1)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा कल, 26 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 9.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 26 फरवरी, 2009/ 7 फाल्गुन, 1930 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एम. ग्रजा मोहन रेड्डी श्री किन्जरपु येरननायडु	121
2.	डा. चिन्ता मोहन	122
3.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री जीवाभाई ए. पटेल	123
4.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील श्री एस. अजय कुमार	124
5.	श्री रामजीलाल सुमन	125
6.	श्री मधुसूदन मिस्त्री	126
7.	श्रीमती करुणा शुक्ला श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	127
8.	श्री नन्द कुमार साय श्री बृज किशोर त्रिपाठी	128
9.	श्री नवीन जिन्दल	129
10.	डा. के. धनराजू	130
11.	श्री दलपत सिंह परस्ते	131
12.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	132
13.	श्री अनवर हुसैन	133
14.	श्रीमती निवेदिता माने श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	134
15.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	135
16.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	136
17.	श्री विजय कृष्ण श्री सुभाष महरिया	137
18.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री निखिल कुमार	138
19.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	139
20.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	746, 797
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	686, 715
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	672, 723, 787, 797
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	695, 752, 773, 786
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	622, 718
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	624, 680, 728, 755, 775
7.	अजय कुमार, श्री एस.	692
8.	अनंत कुमार, श्री	667
9.	अंगड़ि, श्री सुरेश	625, 645, 691, 763, 796
10.	आठवले, श्री रामदास	664, 708, 742, 767, 782
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	683, 730, 758, 781
12.	बर्मन, श्री हितेन	759, 785
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	675, 726, 751, 771, 802
14.	भगोरा, श्री महावीर	633
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	709
16.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	653
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	650, 693, 746
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	651, 788
19.	चिन्ता मोहन, डा.	696, 763
20.	चौधरी, श्री अधीर	666, 682, 712, 722, 743

1	2	3
21.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	651
22.	दूबे, श्री रमेश	632, 635, 646, 654, 722
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	670, 793
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	702, 740, 765
25.	गमांग, श्री गिरिधर	642
26.	गंगवार, श्री संतोष	627
27.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	660
28.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	663
29.	हुसैन, श्री अनवर	701, 739, 764, 780
30.	जैन, श्री पुष्प	623
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	643
32.	जिन्दल, श्री नवीन	661, 687, 794
33.	कलमाडी, श्री सुरेश	673, 725
34.	करूणाकरन, श्री पी.	655, 699, 761, 778, 737
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	629, 681, 745, 754
36.	खां, श्री सुनील	621
37.	खारवेनथन, श्री एस.के.	630, 684, 732, 766, 803
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	620, 685, 731, 756, 774
39.	कृष्ण, श्री विजय	638, 695
40.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	671
41.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	657, 721
42.	मंडल, श्री सनत कुमार	640, 689, 693
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	702, 740, 765

1	2	3
44.	मनोज, डा. के.एस.	634, 663
45.	मैन्या, डा. टोकचोम	648
46.	मिश्रा, डा. राजेश	787, 791
47.	मंडल, श्री अबु अयीश	652
48.	मुर्मू, श्री हेमलाल	677
49.	नायक, श्री अनन्त	674
50.	निखिल कुमार, श्री	717, 749
51.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	646, 715, 799
52.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	632, 710
53.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	693, 694
54.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	682, 734, 763
55.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	698, 707, 759
56.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	641, 754, 789, 804
57.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	688, 735
58.	पाल, डा. सिबैस्टियन	684
59.	राजगोपाल, श्री एल.	656, 706
60.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	654, 795
61.	राव, श्री के.एस.	626, 716, 754, 800
62.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	647, 692, 747, 768, 800
63.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	703, 798
64.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	788
65.	रिजीजू, श्री कीरेन	631, 632, 667, 710
66.	साय, श्री नन्द कुमार	698, 710, 736, 759
67.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	662, 790

1	2	3
68.	सत्पथी, श्री तथागत	754
69.	सेन, श्रीमती मिनाती	665, 711
70.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	676
71.	शर्मा, डा. अरविन्द	650
72.	शर्मा, श्री मदन लाल	639
73.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	695, 700, 722, 738
74.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	679, 729, 760, 777, 801
75.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	693
76.	सिंह, श्री गणेश	644
77.	सिंह, श्री राकेश	636, 693, 792
78.	सिंह, श्री सुग्रीव	722, 753, 772, 784
79.	सिंह, श्री सूरज	659, 697, 763
80.	सिंह, श्री उदय	638, 690, 733, 757, 776
81.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	658
82.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	637
83.	सुब्बारायण, श्री के.	714, 744
84.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	668, 719
85.	सुमन, श्री रामजीलाल	659, 696, 697, 763
86.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	678, 727
87.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	628, 670
88.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	649, 698, 713
89.	तुम्मर, श्री वी.के.	682, 734
90.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	705, 750, 770, 783
91.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	661, 704, 741
92.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	669, 715, 720, 748, 769
93.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	700, 738, 762, 779
94.	यादव, श्री गिरिधारी	801
95.	यास्खी, श्री मधु गौड	722, 740, 765
96.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	722, 724

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	123, 139
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	128
विदेश	:	
वित्त	:	122, 127, 132
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	121, 124, 126, 131, 137, 138
सूचना और प्रसारण	:	140
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	133, 134
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	125, 135
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	129, 130, 136

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	632, 726, 800
कोयला	:	621, 626, 662, 681, 723, 754, 759, 770, 790
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	764
पर्यावरण और वन	:	628, 668, 669, 682, 686, 687, 693, 704, 730, 731, 735, 749, 752, 760, 767, 780, 791, 792

विदेश	:	673, 695, 698, 705, 712, 717, 732, 783, 784, 789
वित्त	:	620, 622, 641, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 665, 670, 672, 674, 676, 690, 696, 697, 699, 701, 702, 703, 706, 708, 710, 711, 714, 720, 721, 724, 728, 733, 734, 737, 740, 741, 742, 743, 746, 748, 750, 753, 756, 757, 761, 765, 771, 775, 778, 781, 787, 783, 795, 797
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	623, 627, 630, 634, 635, 638, 643, 644, 647, 652, 657, 666, 675, 677, 678, 680, 684, 689, 691, 692, 694, 700, 709, 716, 718, 722, 727, 729, 738, 744, 747, 755, 762, 766, 769, 773, 776, 777, 779, 785, 788, 798, 803, 804
सूचना और प्रसारण	:	629, 633, 636, 655, 725, 739, 745
प्रवासी भारतीय कार्य	:	667, 715, 768, 786, 794, 799
पंचायती राज	:	624, 640, 679, 688
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	637, 685
योजना	:	642, 646, 656, 758, 774
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	625, 631, 645, 658, 659, 663, 664, 671, 751, 772, 796, 802
अंतरिक्ष	:	661, 707, 713
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	763
युवक कार्यक्रम और खेल	:	639, 648, 683, 719, 736, 782, 801.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–37/9/2009/1930 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।